INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT- DISTRICT GHAZIPUR

समन्वित ग्रामीण विकास-जनपद गाजीपुर

A THESIS SUBMITTED
TO
UNIVERSITY OF ALLAHABAD
FOR THE DEGREE OF

DOCTOR OF PHILOSOPHY

IN
GEOGRAPHY

Under the supervision of
Dr. (Smt.) Kumkum Roy, M. A., D. Phil,
Senior Lecturar in Geography

By

Kumari Bindo Singh

DEPARTMEMT OF GEOGRAPHY
UNIVERSITY OF ALLAHABAD
ALLAHABAD

1992

आभारोक्ति

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की सम्पन्नता का सम्पूर्ण श्रेय मेरी निर्देशिका डॉ० श्रीमती कुमकुम राय जी को है जिन्होंने आत्मीयता पूर्ण व्यवहार से शोध कार्य को पूरा कराया ।

श्रद्धेय गुरूवर डॉ० सविन्द्र सिंह, भूगोल विभागाध्यक्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रेरणा और स्नेह का मूल्य चुकाना असंभव है क्योंकि शोध प्रबन्ध की निर्विघ्न परिणाति उन्हीं की कृपा से संभव हुआ है ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अन्य भूगोलविदों में डॉ० आर०एन० सिंह, डॉ० आर० सी० तिवारी, डॉ० बी०एन० मिश्रा, डॉ० मनोरमा सिन्हा, डॉ० एस०एस० ओझा, डॉ० बी०एन० सिंह, डॉ० आलोक दूबे आदि विद्वानों द्वारा समय - समय पर प्राप्त सहयोग एवं सुझावों के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ ।

शोध अध्ययन के प्रथम प्रेरक के रूप में परम - श्रद्धेय गुरूवर प्रो० रामलोचन सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष, भूगोल विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं भूतपूर्व कुलपति मेरठ विश्वविद्यालय के प्रति हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने इस शोध प्रबन्ध के वर्तमान स्वरूप को प्रदान करने में अपना अमूल्य सहयोग हर दिशा में प्रदान किया तथा उत्साह बढ़ाया।

डॉ० जगदीश सिंह, अध्यक्ष भूगोल विभाग श्री महंथ रामाश्रय दास महाविद्यालय भुड़कुड़ा के प्रति मैं बहुत ही कृतज्ञता पूर्ण हृदय से आभारी हूँ । उनके अमूल्य समय और सहयोग का मूल्य चुकाना असंभव है क्योंकि उनके सहयोग के अभाव में मेरा कार्य दुष्कर हो जाता।

डॉ० (मेजर) एस० के० सिंह, अध्यक्ष भूगोल विभाग उदय प्रताप कालेज, वाराणसी, डॉ० बी०एस० त्यागी, डॉ० डी०के० सिंह, डा० सियाराम यादव, रामजनम सिंह तथा डॉ० धन सिंह रावत के प्रति भी मैं हृदय से आभारी हूँ क्योंकि हमारी स्नातक और [illegible]र की शिक्षा इन्हीं लोगों के सहयोग और निर्देशन से हुई है । वर्तमान

शोध प्रबन्ध की प्रेरणा और उत्साहबर्द्धन भी इन गुरूजनों से समय-समय पर प्राप्त हुआ ।

आंकड़ा संकलन और क्षेत्र सर्वेक्षण में राजेश्वर सिंह, प्रबन्ध निदेशक, विकास निगम गाजीपुर, परमेश्वर सिंह भूतपूर्व परियोजना निदेशक गाजीपुर, बी0आर0 द्विवेदी, नायब तहसीलदार करण्डा सदर गाजीपुर, एस0पी0 सिंह, बैंक मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया रेलवे स्टेशन शाखा सादात, सूबेदार सिंह, बी0डी0ओ0 मुहम्मदाबाद विकास खण्ड, बी0डी0ओ0 जखनियाँ, गाजीपुर, सैदपुर जमानियाँ, रामभुवन राम नायब तहसीलदार मुहम्मदाबाद, लेखपाल लालचन्द, हनुमान, राममूर्ति राम इत्यादि भी बधाई के पात्र हैं इनके सहयोग से ही शोध प्रबन्ध वर्तमान स्थिति को प्राप्त हुआ है ।

परिवार में परम पूज्य पिता श्री रमाशंकर सिंह को किसी शब्द सीमा में आभार व्यक्त करना असंभव है जिन्होंने वृद्धावस्था में भी कष्ट झेलकर मेरे गन्तव्य को निर्बाध बनाये रखा । पूजनीय माता जी श्रीमती धर्मा देवी के ममता और स्नेहाशीष का ऋण चुकाना असंभव है । पूजनीय चाचा श्री राम किशोर सिंह, भूतपूर्व जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी के प्रति भी हृदय से कृतज्ञ हूँ जिनकी प्रेरणा और सहयोग के अभाव में शोध प्रबन्ध का कार्य असंभव था । पूजनीय चाची श्रीमती शारदा देवी की प्रेरणा भी हमेशा मेरे साथ रही । आदरणीया बहन श्रीमती विभा सिंह (ट्रेजरी आफिसर), श्रीमती आभा सिंह (उप पुलिस अधीक्षक), श्रीमती शुभा सिंह (बेसिक शिक्षा अधिकारी), श्रीमती इन्दु सिंह एवं बड़े भाई उदय प्रताप सिंह (अधिवक्ता), विजय प्रताप सिंह (मुंसिफ मजिस्ट्रेट) एवं अजीत प्रताप सिंह (इंजीनियर) के प्रति भी हृदय से आभारी हूँ इन्हीं लोगों की प्रेरणा से हमारा कार्य वर्तमान रूप धारण कर सका है । छोटे भाई बहनों में श्रीमती सिन्धू शाही, संजय कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह एवं रानी सिंह का मेरे साथ बहुत ही सहयोग रहा है इनकी मेहनत समय और प्रेरणा हमेशा मेरे साथ रही । ये सब भाई बहन बहुत प्रशंसनीय एवं बधाई के पात्र हैं ।

अन्य सहयोगी जनों में आदरणीय श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जगदीश प्रसाद

सिंह, संगम लाल (बिक्रीकर अधिकारी) विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के कर्मचारी - के0 सी0 शुक्ला, रामकेश यादव, बच्चा, मुरारी दूबे एवं ठाकुर भी बधाई के पात्र हैं ।

लेखन सामग्री उपलब्ध कराने में ए0एन0 सिंह, साहब सिंह,पुस्तकालयाध्यक्ष, भूगोल विभाग बी0एच0यू0 एवं मानचित्र बनाने में कार्टोग्राफर शम्भू भूगोल विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, कार्टोग्राफर बी0एन0 सिन्हा, उदय प्रताप कालेज, के0डी0 गुप्ता, इंजीनियरिंग सेक्शन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशंसनीय सहयोग रहा जिन्होंने अतिशीघ्र मानचित्र उपलब्ध कराया । टाइपिंग में टाइपिस्ट अरूण कुमार जायसवाल 'गुड्डू' ने भी बहुत ही अथक परिश्रम से टाइप कार्य को समयानुकूल उपलब्ध कराया । ये सभी सहयोगी बधाई के पात्र हैं । बी0एल0 भार्गव ने शोध प्रबन्ध को साकार रूप देने में सहयोग प्रदान किया । हम उनके आभारी हैं ।

अन्त में मैं अपने शोध निर्देशिका के प्रति पुनः आभार व्यक्त करती हूँ ।

कुमारी बिन्दो सिंह

मंगलवार 28 अप्रैल, 1992.

(कुमारी बिन्दो सिंह)

प्रस्तावना

भारतीय विकासशील अर्थ-व्यवस्था में जहाँ लगभग 80% ग्रामीण लोग कृषि एवं ततुसम्बन्धी कार्यो. में लगे हैं तथा राष्ट्रीय आय का 37% कृषि से प्राप्त होता है जिसमें 33% श्रमिक कृषि कार्य अथवा उससे सम्बन्धित आर्थिक कार्य-कलापों में सेवारत हैं । इस संदर्भ. में ग्रामीण विकास का अध्ययन स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण. हो जाता है । ऐसी आर्थिक व्यवस्था में विपन्न जनसंख्या अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाई जाती है जिसके जीवन - यापन के स्तर में सुधार तथा विकास प्रक्रिया में इस जनसंख्या की सक्रिय भूमिका ग्रामीण विकास के मुख्य उद्देश्य एवं उससे सम्बद्ध कार्यक्रमों की सफलता हेतु अनिवार्य तत्व माने गये हैं । इस देश की विकासशील अर्थव्यवस्था में व्याप्त आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक द्वैतवाद के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों का शोषण होता रहा है और आज भी स्थिति यथावत् है, क्योंकि सम्पूर्ण विकास अभी तक अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित है एवं जनसामान्य अभी भी विकास के विविध आयामों से नितान्त दूर है । इस असन्तुलन एवं वैषम्य की ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमानता मुख्यतः रोजगार की अनुपलब्धता का प्रतिफल है और इसी के फलस्वरूप, ग्रामीण जनसमुदाय का पलायन नगरोन्मुख है । यह असमानता केवल रोजी एवं रोटी से ही नहीं सम्बद्ध है, अपितु जीवन में अन्य आवश्यक एवं आरामदेह आवश्यकताओं से सम्बद्ध तत्वों का ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव भी मूलतः इसका कारण है । इसने आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक संरचना में व्यतिक्रम उत्पन्न कर दिया है । सम्पूर्ण देश के स्तर पर क्षेत्रीय एवं धन्धीय असन्तुलन व्यापक रूप से बढ़ रहा है, जिसे कम करना समसामयिक है । इसमें भूगोल वेत्ता की भूमिका उपादेय एवं महत्वपूर्ण है । भूगोल एक परिपूर्ण. विज्ञान है । इसमें ' मानव ' अध्ययन का केन्द्र है तथा यह मानव के जीवन चक्र में काल एवं स्थान को विशिष्ट महत्व प्रदान करता है । भारत सदृश विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या की बहुलता है तथा उनमें अनेक कुरीतियों एवं दोषों के अतिव्यापन से समाज त्रस्त है । अस्तु भूगोलवेत्ता के लिए समन्वित ग्रामीण विकास अध्ययन महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, क्योंकि वह भौतिक,

सामाजिक , सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, भेषजीय, आनुवंशिकी एवं प्रौद्योगिकी आदि विभिन्न तत्वों का समावेश अपने अध्ययन में करता है और इस प्रकार निश्चय ही वह विकास के साथ नियोजन में पारिस्थैतिक संतुलन का विशेष एवं उपादेय सामन्जस्य बनाये रखने में सक्षम होता है और अपने विस्तृत एवं समन्वित दृष्टिकोण से समन्वित ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है ।[1]

ग्रामीण विकास की पृष्ठ भूमि :

' नियोजन संकल्पना ' की वास्तविक रूप रेखा का अभ्युदय कब हुआ, इस संदर्भ में निश्चित एवं प्रामाणिक रूप में कुछ कहना, करना कठिन प्रतीत होता है, फिर भी ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्राचीन काल में क्षेत्र के विद्यमान संसाधनों के आर्थिक विकास हेतु प्रादेशिक नियोजन आम तौर पर एक उपागम के रूप में अपनाया जाता था ।[2] सामाजिक, आर्थिक उन्नयन एवं संरचनात्मक परिवर्तन हेतु पूर्व नियोजन की प्रक्रिया एक अभिनव उपागम है जो मूलतः समाजवादी राष्ट्रों की देन है ।[3] समन्वित क्षेत्रीय विकास की रूपरेखा सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रादेशिक नियोजन की प्रारम्भिक नीति के रूप में प्रस्तुत की गई ।[4] भारतीय संदर्भ में समन्वित ग्रामीण क्षेत्रीय विकास की अवधारणा वर्तमान शताब्दी में सातवें दशक की देन है । इस देश के अनेक महापुरूषों एवं विद्वानों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसके प्रयोग एवं दिशा निर्देशन हेतु प्रयास किया ।

सर्वप्रथम 1920 ई0 में रवीन्द्र नाथ टैगोर[5] ने गाँवों के पुनर्निर्माण के लिए ' शान्ति निकेतन ' के माध्यम से योजनाबद्ध कार्यक्रम प्रारम्भ किया । इसके साथ ही 1920-1938 ई0 महात्मा गांधी[6] ने ग्राम पुनर्निर्माण के लिए ' सेवाग्राम ' के माध्यम से एक संरचनात्मक कार्यक्रम प्रारम्भ किया । तत्पश्चात् 1927 ई0 में एल0 एल0 ब्रायने[7] गुड़गाँव जिले की विभिन्न समस्याओं के समाधान के रूप में एक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत किया । ये कार्यक्रम मुख्यतः सहकारिता, शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुधार इत्यादि

से सम्बन्धित थे । इनके अनुसरण करते हुए स्पेन्शन हेच[8] ने 1928 में भारतण्डम् के 40 गाँवों के लिए स्वावलम्बन, शिक्षा एवं कृषि विकास की एक योजना बनायी । मद्रास में 1946-47 ई0 के अन्तर्गत फिरका[9] विकास योजना प्रारम्भ की गई जो ग्रामीण उद्योग, खादी, संचार एवं कृषि के विकास से सम्बन्धित थी । इसी प्रकार 1948 ई0 में अल्बर्ट[10] द्वारा उत्तर प्रदेश में स्वावलम्बन एवं जन सहयोग पर आधारित इटावा में विकास परियोजना प्रारम्भ की गयी । एस0 के0 डे0[11] ने 1949 ई0 में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समन्वित विकास का सिद्धान्त प्रस्तुत किया । राष्ट्रप्तिा महात्मा गांधी प्रायः कहा करते थे कि भारत की आत्मा उसके गाँवों में निवास करती है और मात्र गाँवों के पुनर्निर्माण में निहित है । यदि ' देश का विकास चाहते हो तो गांवों की ओर चलो ' ग्रामीण विकास की इस गांधी वादी विचार धारा को स्वीकार करते हुए अनौपचारिक रूप से 2 अक्टूबर 1952 ई0 में ' सामूहिक विकास कार्यक्रम ' चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों में रहने वाले कृषकों, श्रमिकों, हस्तशिल्पियों एवं अन्य निर्धन परिवारों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार करना था ।

किन्तु दुर्भाग्यवश इसके अंतर्गत कृषि के आधुनिकीकरण एवं अन्य विकास कार्यक्रमों से गांव के मजदूरों, सीमान्त लघु कृषकों, दस्तकारों एवं अन्य निर्धन परिवारों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया । इसके मुख्य कारण योजना की अस्पष्ट नीति, विभिन्न ग्रामीण समुदायों के निहित स्वार्थ, विभिन्न वर्गों में प्रतिस्पर्धा एवं विरोध तथा तज्जनित आपसी सहयोग की कमी और स्थानीय जनसंख्या में सक्रिय सहयोग का अभाव इत्यादि । दूबे[12] ने 1958 ई0 में सामुदायिक विकास हेतु कृषि कार्य संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, समाज - कल्याण एवं गृह सम्बन्धी योजनाओं की समीक्षा प्रस्तुत की । इसके बाद लाटन[13] ने 1959 ई0 में ग्रामीण क्षेत्रों के परिवर्तन में विभिन्न भौगोलिक तथ्यों पर तथा नाजिमुल करीम[14]ने 1967 ई0 में समाज में व्याप्त कमियाँ जो आर्थिक सामाजिक उन्नयन में बाधक थी, के नियंत्रण पर बल दिया ।

1967 ई0 में आल इण्डिया रूरल क्रेडिट रिफार्म कमेटी के सुझाव पर कृषकों को तात्कालिक आवश्यकता एवं विकास के लिए लघु एवं सीमान्त तथा कृषि मजदर विकास एजेन्सी गठित की गयी । इसके अन्तर्गत बैंकों द्वारा भूमि विकास के

लिए विभिन्न सुविधायें दी गयी । ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय के अवसर बढ़ाने हेतु तैयार की गयी नीतियों के अंतर्गत (1) आर्थिक वृद्धि (2) कृषि का आधुनिकीकरण एवं ग्रामीण उद्योगों का विकास एवं (3) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रहा । एल0 के0 सेन[15] ने 1978 ई0 में मिरयालगुदा तालुका के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों, भूमि उपयोग एवं यातायात एवं संचार के आधार पर समन्वित क्षेत्रीय विकास हेतु भूवैन्यासिक संगठन की योजना प्रस्तुत की । इसके साथ ही साथ चन्द्रशेखर एवं रमन्ना[16] ने 1978 में ग्रामीण विकास के क्षेत्रीय नियोजन की रूप रेखा तैयार किया जिसमें मिट्टी, वर्षा, सिंचाई की सुविधा एवं जीवन निर्वाहक कृषि हेतु समुचित प्राविधिकी सम्बन्धी शोध को वरीयता प्रदान की गयी थी । सिंह[17] ने 1979 ई0 में गोरखपुर क्षेत्र के अध्ययन के माध्यम से पिछड़ी अर्थ - व्यवस्था में सेवा केन्द्रों से सम्बद्ध समन्वित ग्रामीण नियोजन की रूप रेखा प्रस्तुत की ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में योजना आयोग द्वारा यह अनुभव किया गया कि भूवैन्यासिक विकास की विचार धारा के औचित्य को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अलग - अलग योजनाओं द्वारा प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है । इस दृष्टि से समन्वित नियोजन का महत्व भूगोलवेत्ताओं, विकास नियोजकों, समाजविदों एवं विकास से सम्बन्धित अन्य विज्ञानविदों सभी द्वारा स्वीकार किया गया जिसके फलस्वरूप पांचवी पंचवर्षीय योजना में रोजगार के नये अवसर प्रदान करने, बेहतर ग्रामीण परिवेश के सृजन तथा सामाजिक न्याय प्रदान करने, समाज में व्याप्त विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य में 'लक्ष्य क्षेत्र' एवं लक्ष्य समूह को आधार मानकर अधिकांश संख्या में विकास योजनायें प्रारम्भ की गयीं ।[18] इस समय देश में कृषि की निम्न उत्पादकता, बेरोजगारी की समस्या का निराकरण, सूखा एवं बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं के समाधान अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित जन समुदाय को राहत पहुँचाने एवं गरीबों के आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति हेतु सरकार द्वारा अनेक विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं । इस संदर्भ में विशेष रूप से विगत दशक (1970-80) में लघु कृषक

विकास योजना, सूखा क्षेत्र योजना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार (काम के बदले अनाज) कार्यक्रम विशिष्ट पशु सम्बर्द्धन, अन्त्योदय कार्यक्रम आदि विकास योजनायें चलायी गयीं जिनके परिणाम स्वरूप उद्देश्य, प्रयास, पूँजी निवेश के अनुरूप वांछित सफलता न प्राप्त हो सकी । वस्तुतः नियोजकों एवं सरकारी अधिकारियों को उपर्युक्त विकास कार्यक्रमों में निर्धारित सफलता की प्राप्ति में बाधक कारकों का आभास हुआ । इसके बाद यह स्वीकार किया गया कि विभिन्न विकास कार्यक्रम एक दूसरे से बहुत अंशों तक सम्बद्ध है । अतः इन कार्यक्रमों में प्रशासनिक, कार्मिक एवं भूवैन्यासिक स्तर पर समन्वय की नितान्त आवश्यकता है । इसके साथ - ही - साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुयी गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु एक विस्तृत एवं व्यापक योजना, जिसके उद्देश्य एवं क्रियान्वय उपागम स्पष्ट हों, के निर्माण पर विशेष बल दिया गया । उपरोक्त संदर्भ में समस्त विकास कार्यक्रमों को समन्वित कर 1978-79 में एक व्यापक विकास कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी जिसे 'समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम' के नाम से अभिहित किया गया । इस प्रस्तावित योजना को अनौपचारिक रूप से सर्वप्रथम देश के 2300 विकास खण्डों में क्रियान्वित करने एवं प्रति वर्ष इस योजनान्तर्गत 300 नये विकास खण्डों को सम्मिलित करने का प्राविधान किया गया । परन्तु बढ़ती हुयी बेरोजगारी एवं आर्थिक विपन्नता को दृष्टिगत रखते हुए छठीं पंचवर्षीय योजना में अप्रैल, 1980 में इस योजना को देश के सम्पूर्ण विकास खण्डों (5000) में प्रारम्भ किया गया ।[19] इस कार्यक्रम को मुख्य उद्देश्य एवं अन्य ग्रामीण श्रमिक, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के ऐसे निर्धन परिवार जिनकी वार्षिक आय 3,500 रूपये मात्र से भी कम है, का विकास स्तर के अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण एवं चयन करके उन्हें कृषि, पशु-पालन, मत्स्य-पालन, वृक्षारोपण, ग्रामीण लघु स्तरीय कुटीर उद्योग, वाणिज्य एवं व्यापार तथा अन्य व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता एवं ऋण उपलब्ध करा कर उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करना था । इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निर्धन परिवारों के जीवन स्तर में सुधार, उन्हें

गरीबी से छुटकारा तथा आर्थिक समृद्धि के लिए रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मुख्य ध्येय निर्धारित हुए । इसी पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष प्रत्येक विकास खण्ड के 600 निर्धन परिवारों को चयन कर उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया । परन्तु समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र के ग्रामीण निर्धन परिवारों की आर्थिक दशा में अपेक्षित सुधार दृष्टिगोचर नहीं होता है, जबकि सरकारी आंकड़ों, अभिलेखों एवं प्रचार माध्यमों द्वारा इस कार्यक्रम को पूर्ण सफल बताया जा रहा है । सरकारी आँकड़ों की विश्वसनीयता का सीमित एवं संदिग्ध होना सर्वविदित है । अध्ययन क्षेत्र के व्यक्तिगत सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश निर्धन परिवार इस योजना के लाभ से वंचित है, साथ ही इस योजना से लाभान्वित निर्धन परिवारों के जीवन स्तर में भी यथोचित सुधार नहीं हो पाया है । इसके मुख्य कारण निहित स्वार्थों के कारण लक्ष्य वर्ग के परिवारों के चयन में धांधली , उनकी आवश्यकता एवं प्राथमिकता के अनुरूप सहायता का न मिलना, समाज के प्रभावी व्यक्तियों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष हस्तक्षेप, वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्था तथा प्रशासनिक अधिकारियों की सांठ - गांठ एवं भ्रष्टाचार, उचित मार्ग दर्शन एवं प्रोत्साहन का अभाव, विपणन की समुचित सुविधा का अभाव, क्रियान्वित कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु चयनित लक्ष्य परिवारों का यथा समय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का अभाव आदि हैं । क्षेत्र विशेष में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु उद्देश्य नियोजन एवं सुझाव प्रस्तुत किया गया है ।

समन्वित ग्रामीण क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य :

आज के वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में समन्वित विकास में प्रत्यक्ष रूप से विशेष महत्व दिया जा रहा है, जबकि समन्वित ग्रामीण क्षेत्रीय विकास के सिद्धान्त एवं उसकी सफलता हेतु आवश्यक उपागम के संदर्भ में विद्वानों में वैचारिक मतभेद है । परन्तु इस बात पर सम्पूर्ण विद्वान एक मत हो जाते हैं कि समन्वित ग्रामीण क्षेत्रीय विकास, विकास [illegible] राष्ट्र की नियोजित प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है । इस

कार्यक्रम की आत्म निर्भरता हेतु एक ऐसे उत्पादक तंत्र की आवश्यकता होती है जो सामाजिक सेवाओं एवं सुविधाओं के विकास हेतु प्रायः अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा सके । निःसन्देह ग्रामीण विकास की पृष्ठभूमि कृषि विकास की संकल्पना से अधिक व्यापक होती है । यह एक समन्वित बहु-प्रखन्डीय गतिविधि है जिसके अंतर्गत कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही जनहित में सामाजिक सुविधाओं का विकास सम्मिलित है । अतः ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के भौतिक एवं सामाजिक कल्याण में सम्बर्द्धन करना है ।[20] समन्वित ग्रामीण क्षेत्रीय विकास में समाकलन एक 'विधितंत्र' ग्रामीण क्षेत्र उसका ' केन्द्र बिन्दु ' एवं ' विकास ' उसका उद्देश्य है । वर्तमान प्राविधिक संदर्भ में समाकलन विभिन्न व्याख्या एवं अभिप्राय से सम्बन्धित है, सामान्यतया किसी योजना का क्रियान्वयन सम्पूर्ण विकास को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है, परन्तु भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में समाकलन चाहे वह आर्थिक या सामाजिक हो, को एक प्रक्रिया के रूप में निरूपित किया जा सकता है जो एक क्षेत्र विशेष की प्रक्रियाओं से अन्तर्सम्बन्धित है ।[21] परिणामतः समन्वित ग्रामीण विकास की संकल्पना समाकलन के विविध आयामों कार्यात्मक, प्राविधिक, भू वैन्यासिक, सामाजिक एवं सामयिक आदि को सम्मिलित करती है जो क्षेत्र विशेष के अधिवास एवं संरचनात्मक प्रतिरूपों में संगठित होते हैं । कार्यात्मक समाकलन से अभिप्राय सभी प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक क्रिया कलापों के समाकलन से है । इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग एवं अन्य सेवायें, जो मानव के दैनिक जीवन यापन हेतु आवश्यक है, परस्पर सम्बन्धित हैं ।[22] उपरोक्त कार्य-कलाप एक दूसरे से इस तरह सम्बद्ध होते हैं कि एक परिवर्तन दूसरे में परिवर्तन का कारण बनता है । विभिन्न प्रकार के सामायिक एवं आर्थिक कार्यों की अन्तर्सम्बद्धता मुख्य रूप से उनकी अवस्थिति पर निर्भर है । सामान्यतः यह सम्बद्धता विकास के स्तर, सेवाओं और सुविधाओं की मांग पूर्ति, इनमें समयानुकूल परिवर्तन, इनकी लागत, अन्तर्केन्द्रीय दूरी स्थानीय जनसंख्या के आय का स्तर एवं अन्य सेवाओं के संदर्भ में कार्य विशेष की स्थिति आदि तत्वों द्वारा प्रभावित होती है । आर्थिक प्रगति के साथ

ही समानता, समन्वय एवं सन्तुलन के लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में प्रमुख समस्या अवस्थापना तत्वों, उत्पादक गतिविधियों, सामाजिक सुविधाओं तथा सेवाओं के तर्कसंगत एवं विकास उत्प्रेरक वितरण से सम्बन्धित है ।[23] इस प्रकार भूवैन्यासिक समाकलन में मानव की संपूर्ण गतिविधियों के समन्वित स्वरूप की अवधारणा निहित है । क्षेत्र विशेष के सेवा केन्द्र एवं अधिवास अन्योन्यक्रिया द्वारा परस्पर सम्बद्ध होते हैं और विकास प्रक्रिया में उनकी भूमिका इनके पदानुक्रमिक समन्वय पर आधारित होती है । सामाजिक समाकलन के अंतर्गत विभिन्न समुदायों यथा बड़े कृषक लघु एवं सीमान्त कृषक, भूमिहीन, कृषि मजदूर ग्रामीण व्यापारी एवं सम्पन्न वर्ग की विकास प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता को महत्व दिया जाता है । विकास कार्यक्रमों से सम्पूर्ण ग्रामीण समाज सामान्य रूप से लाभान्वित होता है । इस तरह समन्वित ग्रामीण विकास नगरीय एवं ग्रामीण जीवन के मध्य की खाईं को कम करने के साथ ही विभिन्न आयु वर्गों में वर्तमान असमानता के न्यूनीकरण की एक नीति है । सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें अधिवासों के पदानुक्रमानुसार सामूहिक रूप में वितरित होती है । उनमें कार्यात्मक सम्बद्धता स्थापित करने वाली अन्तर्प्रक्रियाओं में परिवहन, गमनागमन, सम्पर्क एवं सूचना आदि मुख्य है । अतः ग्रामीण क्षेत्र के समुचित विकास हेतु समयबद्ध नियोजन अपेक्षित है, विभिन्न प्रकार के नियोजन जैसे - अल्प अवधि, लम्बी अवधि के परिप्रेक्ष्य में संसाधन की सम्भाव्यता को बनाये रखते हुए क्षेत्र की बढ़ती हुयी जनसंख्या के मध्य सामंजस्य स्थापित कर वर्तमान में आवश्यकतानुसार कार्य किया जा सकता है ।

ग्राम प्रधान भारत का वास्तविक विकास तभी होगा, जब गाँव सुदृढ़ स्थिति में हो । अस्तु ग्रामों के समन्वित विकास हेतु बहुस्तरीय, बहुवर्गीय एवं बहुधन्धी आयाम को नियोजकों ने प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किया है । इनका समन्वित रूप से क्रियान्वयन ग्रामों के अभ्युदय में गति प्रदान करेगा ।

बहुस्तरीय आयाम में नियोजन प्रक्रियाओं के विकेन्द्रीकरण के साथ, आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए तथा उनमें सामंजस्य स्थापित

करते हुए क्षेत्रीय विकास करना अपेक्षित है । बहुवर्गीय आयाम में सामाजिक प्राथमिकताओं एवं समाज के पिछड़े एवं दलित वर्ग को उत्पादन की मुख्य धारा से जोड़ना, ताकि उनमें मानसिक एवं बौद्धिक सुधार हो और उनकी कार्यकुशलता बढ़े तथा मानवीय गुणों के विकास के साथ उनका आर्थिक विकास भी हो सन्निहित है । बहुधन्धीय आयाम में कृषि एवं उद्योगों के सन्तुलित विकास से विकास की गति तीव्रतर होगी । इसके अंतर्गत इस देश में श्रम प्रधान तकनीक अपनाना समीचीन है । इस सभी आयामों में सन्निहित घटकों के समन्वय से ग्रामीण क्षेत्र निश्चितत: विकसित हो सकते हैं । समन्वित ग्रामीण विकास में लोकतान्त्रिक मूल्यों के अनुरूप आयोजना को अंगीकृत करना समीचीन है । क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करने की दृष्टि से बहुस्तरीय आयाम उपयुक्त है । इससे नियोजन प्रक्रिया में विकेन्द्रीकरण आयेगा ।[24]

समन्वित ग्रामीण क्षेत्रीय विकास क्षेत्र के संतुलित विकास से सम्बन्धित है जिसमें भौतिक परिवेश में सामाजिक - आर्थिक क्रियाओं के उपर्युक्त उपस्थिति का निर्धारण विशेष महत्वपूर्ण है जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सामाजिक न्याय मिल सकता है ।[25] क्षेत्र के प्रत्येक सेवा को प्रत्येक अधिवास में समान रूप से वितरित नहीं किया जा सकता । अध्ययन क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक, आर्थिक सेवाओं के अनुकूलतम उपयोग हेतु विकेन्द्रीकरण आवश्यक है । इस प्रकार समन्वित ग्रामीण विकास का सिद्धान्त ग्रामीण क्षेत्र के बहुमुखी विकास से सम्बन्धित है जो मुख्य रूप से क्षेत्रीय संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि द्वारा सम्भव है ।[26] ग्रामीण समुदाय को विकास प्रक्रिया के क्रियान्वयन का घटक बनाना एवं उनमें आत्म विश्वास जगाना ग्रामीण विकास की सफलता के लिए अत्यावश्यक है । इसके अलावा ग्रामीण विकास के अंतर्गत ग्राम में कृषीतर क्रिया -कलाप में वृद्धि भी अपेक्षित है इस प्रकार समन्वित ग्रामीण क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में जैविक विकास, विकास के प्रत्येक स्तर पर सम्यक रूप से छाये हुए हैं, जो एक न्यायोचित विकास प्रकिया है । अतः पूर्ण ग्रामीण रोजगार भी समन्वित ग्रामीण विकास

का मुख्य उद्‌देश्य है । इसके कुछ मुख्य उद्‌देश्य निम्नलिखित हैं :-

1. क्षेत्र के ग्रामीण जनसमुदाय में विकास कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता पैदा करने कार्यों में निपुणता लाने एवं जीवन स्तर में सुधार हेतु शिक्षा, सामाजिक कल्याण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विकास होना अति आवश्यक है ।

2. क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु क्षेत्रीय संसाधनों का वैज्ञानिक ढंग से सर्वेक्षण, आकलन एवं अनुकूलतम, उपयोग, अपेक्षित भूमि सुधार, बाढ़ एवं सूखा नियंत्रण, भूमि संरक्षण, जल प्रबन्ध, वृक्षारोपण आदि आवश्यक है ।

3. क्षेत्र में कृषि एवं तत्सम्बन्धी कार्यो के विकास हेतु कृषि क्षेत्र में निवेश आपूर्ति, कृषि यंत्रों में सुधार नयी उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रचलन, उर्वरक एवं उन्नतशील बीजों का प्रयोग, दुग्ध पशुपालन, भेड़ एवं बकरी - पालन, सुअर पालन, मुर्गी - पालन, मत्स्य पालन आदि का विकास आवश्यक है ।

4. क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों में अर्न्तसम्बद्धता को ध्यान में रखते हुए समन्वय सिद्धान्त के अनुसार सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक सेवाओं एवं सुविधाओं का यथा सम्भव विकेन्द्रीकरण, जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके ।

5. क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब जनसमुदाय के विकास हेतु यथा सम्भव क्षेत्रीय संसाधनों पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा ग्रामीण दस्तकारों, शिल्पकारों एवं बुनकरों के परम्परागत कुटीर उद्योगों का विकास जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके ।

6. स्वस्थ ग्रामीण जीवन हेतु पर्यावरण सुधार के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सुविधा का विस्तार आवश्यक है ।

विकास केन्द्र की संकल्पना :

विकास केन्द्र की संकल्पना के संदर्भ में ग्रामीण विकास प्रकिया में विकास

परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अधिवासों एवं विकास केन्द्रों का भूवैन्यासिक विश्लेषण तथा उनकी अन्योन्य क्रिया के प्रारूप की व्याख्या विकास के किसी भी प्रतिमान के प्रतिपादन हेतु प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि एक तरफ ये विकास केन्द्र अपने समीपवर्ती अधिवास के कृषि उत्पादों का संकलन कर उनके पदानुक्रमिक विनिमय को प्रभावित करते हैं, तो दूसरी तरफ ग्रामीण जनसंख्या हेतु आवश्यक कृषि पूरक नगरीय उत्पादों को ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण हेतु एक सक्षम माध्यम प्रदान करते हैं । इस प्रकार कृषि आधुनिकीकरण हेतु आवश्यक विभिन्न प्रकार की सेवाओं एवं सुविधाओं को प्रदान करने के साथ ही स्थानीय कृषि के उत्पादन अधिक्य का तर्कसंगत विनिमय एवं वितरण तथा विकास प्रक्रिया के नगरीय पूर्वाग्रह को नियंत्रित करना विकास केन्द्र का प्रमुख कार्य है । अतः समन्वित ग्रामीण क्षेत्रीय विकास एवं नियोजन के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं भौतिक अवस्थापना तत्वों के तर्कसंगत वितरण में विकास केन्द्रों की अहम् भूमिका होती है, क्योंकि भूवैन्यासिक तंत्र क्षेत्रीय विकास प्रक्रिया के लिए संरचनात्मक आधार प्रस्तुत करता है । विकास केन्द्र के सिद्धान्त का आशय ग्रामीण विकास के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यों के केन्द्रित विकेन्द्रीकरण के माध्यम स्वरूप योजना में संतुलित विधितंत्र के प्रयोग से है, जो कार्यों के अन्तर्सम्बन्धित स्थिति की व्याख्या एवं उपयुक्त अवस्थिति के निर्धारण पर आधारित है । क्षेत्र विशेष में कार्यों एवं सेवाओं के लिए तर्कसंगत अवस्थिति प्रारूप का निर्धारण, उसके अनुरूप विकास बिन्दुओं का चयन एवं उनके विकास हेतु मार्ग दर्शन तथा प्रोत्साहन की व्यवस्था ग्रामीण विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग है । इस संदर्भ में विकास प्रक्रिया के नये प्रतिमान में आर्थिक सामाजिक, पर्यावरणीय एवं प्रादेशिक पक्षों के समाकलन हेतु मानव अधिवास की भूमिका अति महत्वपूर्ण है । लघु स्तरीय विकास केन्द्रों में ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक विकास के उज्जवल भविष्य की सम्भाव्यता निहित होती है, क्योंकि उनके द्वारा प्रदत्त विविध, सामाजिक एवं आर्थिक सुविधायें क्षेत्र के भावी विकास की उत्प्रेरक होती है । ये विकास केन्द्र कार्यों के विशेषीकरण एवं श्रृंखलाबद्धता के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते है ।

अतः क्षेत्र विशेष में उनकी स्थिति एवं उनके स्वरूप तथा उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं का निर्धारण एक मूलभूत प्रश्न है । विश्व बैंक द्वारा प्रतिपादित कार्यात्मक समन्वय की नीति संयुक्त राष्ट्र संघ से सम्बन्धित विभिन्न विकास संगठनों द्वारा प्रतिपादित ग्रामीण आधुनिकीकरण की नीति तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सी द्वारा प्रतिपादित भूवैन्यासिक विकास की नीति आदि सभी कमोवेश, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के मध्य अग्रगामी एवं पृष्ठगामी अंर्तसम्बन्धों को स्वीकार करती है तथा प्रकीर्ण परन्तु अंतर्सम्बन्धित विकास केन्द्रों एवं सक्षम अन्योन्य क्रिया से सम्बद्ध भूवैन्यासिक तंत्र के विकास पर बल देती है । ' ग्रामीण विकास में नगरीय कार्य ' उपमागम भी ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार तथा उनके आधुनिकीकरण हेतु नगरीय सेवाओं, सुविधाओं एवं उपयोगिताओं को, एक सक्षम अन्योन्य क्रिया मुक्त भूवैन्यासिक संगठन द्वारा सेवा केन्द्र पदानुक्रम का अनुसरण करते हुए प्रदान करने के नियोजित प्रयास को आवश्यक बतलाया है ।

विधितंत्र एवं अध्ययन उपागम :

समन्वित ग्रामीण विकास का सिद्धानत सम्यक् रूप में समाज के सभी वर्गों एवं सामाजिक - आर्थिक पक्षों से सम्बन्धित है जिसे हमारे नियोजकों, अर्थशास्त्रियों, भूगोलवेत्ताओं एवं समाजविदों ने विकास को एक सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकार किया है । इस दिशा में उपयुक्त विधितंत्र के निर्धारण के लिए विविध संसाधन एवं विद्वानों द्वारा अध्ययन तथा इसके संदर्भ में शोध निबन्ध प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें मुख्यतः नेशनल इंस्टीच्यूट आफ रूरल डेवलपमेन्ट (हैदराबाद), इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (नई दिल्ली), सेन्ट्रल रिसर्च एसोसिएशन आफ बालन्टरी एजेन्सी फार रूरल डेवलपमेन्ट, इंडियन स्टेटिस्टिकल इन्स्टीच्यूट (नई दिल्ली), समन्वित ग्रामीण क्षेत्रीय विकास केन्द्र, बी0एच0यू0 (वाराणसी), इन्टीग्रेटेड रूरल एरिया डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट, तहसील रसड़ा, जनपद बलिया (डा0 सुरेन्द्र कुमार सिंह, अध्यक्ष भूगोल विभाग, उदय प्रताप कालेज, वाराणसी), विकास खण्ड लार, जनपद - देवरिया (अरविन्द कुमार

ही प्रस्तुत किये गये हैं जो क्षेत्र विशेष के अध्ययन हेतु विशेष उपयोगी हैं । इन उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर जनपद-गाजीपुर के परिप्रेक्ष्य में 'समन्वित ग्रामीण विकास एवं नियोजन' की एक रूप-रेखा प्रस्तुत की गई है । प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत विशेष रूप से स्थानीय संसाधन एवं मानव शक्ति के आधार पर क्षेत्र के सर्वांगीण एवं समन्वित विकास हेतु नियोजन पर बल दिया गया है ।

प्रस्तुत अध्ययन सात अध्यायों में विभक्त है । प्रथम अध्याय में प्रारूप एवं संकल्पना की विवेचना की गई है पहले प्रारूप एवं लक्ष्य को विवेचित किया गया है इसके अंतर्गत प्रारूप के तीनों लक्ष्यों यथा - उत्पादन में सहायक क्रियाकलाप, भौतिक अवस्थापना तथा सामाजिक अवस्थापना की विस्तृत व्याख्या की गई है । समन्वित ग्रामीण विकास के मुख्य लक्ष्यों की भी विस्तृत विवेचना की गई है । इसके बाद समन्वित ग्रामीण विकास संकल्पना की व्याख्या कार्यात्मकता एवं संगठन के आधार पर की गई है । समन्वित ग्रामीण विकास संकल्पना के आधार एवं आयाम की भी व्याख्या की गई है इसके अंतर्गत बहुस्तरीय, बहुधन्धीय एवं बहुवर्गीय आयामों को आधार माना गया है ।

द्वितीय अध्याय में भौतिक एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप की व्याख्या की गई है इसके अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र का नामकरण एवं ऐतिहासिकता, स्थिति एवं विस्तार, संरचना, उच्चावच, अपवाह एवं जलाशय, मिट्टियाँ, प्राकृतिक वनस्पति, जीव-जन्तु परिवहन एवं संचार तथा उद्योग धन्धे एवं शिक्षण संस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

अध्याय तृतीय भूमि उपयोग से सम्बन्धित है भूमि उपयोग में कृषि के अयोग्य भूमि, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य अकृषित भूमि, परती भूमि, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, दो फसली क्षेत्र, सिंचाई आदि की विवेचना की गई है इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग समस्यायें तथा भूमि उपयोग नियोजन की भी विस्तृत व्याख्या की गई है ।

अध्याय चतुर्थ मानव संसाधन से सम्बन्धित है इसके अंतर्गत जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि, जन्मदर, मृत्युदर, जनसंख्या स्थानान्तरण आयु संरचना, यौन संरचना, वैवाहिक संरचना, साक्षरता एवं शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या एवं

व्यावसायिक संरचना की व्याख्या की गई है ।

पाँचवा अध्याय ग्रामीण अधिवास, सेवा केन्द्र और चयनित अध्ययन से सम्बन्धित है । इसके अंतर्गत ग्रामीण अधिवास, ग्रामीण अधिवासों का विकास, ग्राम की संकल्पना, अधिवासों की स्थिति एवं वितरण, ग्राम्याकार, अधिवासों का प्रारूप., ग्रामीण अधिवासों के प्रकार, सेवाक्षेत्र, ग्रामीण सेवा केन्द्र आंकड़ा संकलन एवं सर्वेक्षण, प्रयुक्त विधितंत्र एवं सेवा केन्द्रों का नियोजन सम्मिलित किया गया है । इसके अतिरिक्त चयनित सेवा केन्द्रों में सादात, चोचकपुर एवं जखनियाँ की विस्तृत व्याख्या की गई है ।

छठाँ अध्याय ग्रामीण विकास सुविधाओं से सम्बन्धित है इसमें भारत में ग्राम्य विकास के कुछ प्रारम्भिक प्रयोग, स्वतंत्र भारत के प्रारम्भिक प्रयोग, ग्राम्य विकास के बाद के विशेष कार्यक्रम, गाजीपुर जनपद के विकास में व्यापक परिस्थितियाँ, सिंचाई सुविधा, ग्रामीण विद्युतीकरण सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बैंकिंग सुविधायें राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्य निष्पादन इत्यादि की व्याख्या प्रस्तुत है ।

सातवाँ अध्याय समन्वित ग्रामीण विकास एवं नियोजन से सम्बन्धित है इसमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, उद्देश्य, कार्यक्रम की व्याप्ति, प्रावधान, उपलब्धियाँ, प्रारूप, सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण (ट्राइसेम), ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं तथा बच्चों का विकास, इन्दिरा आवास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों का परिचय - लघु कृषक, सीमान्त कृषक, कृषक मजदूर मजदूर, ग्रामीण दस्तकार एवं नियोजन शीर्षक के अंतर्गत विस्तृत विवेचना की गई है । अन्त में चयनित ग्रामों का अध्ययन एवं नियोजन प्रस्तुत है । चयनित ग्राम में - भुड़कुड़ी, खानपुर, सरासन, बसुहारी को सम्मिलित किया गया है । अन्त में चयनित ग्रामों की विकास आयोजना प्रस्तुत की गई है ।

अन्त में सारांश एवं निष्कर्ष प्रस्तुत है ।

REFERENCES

1. Dubey, B.C. and Singh Mangla (1985) " Intergrated Rural Development (Hindi) Varanasi, P. vi.
2. Prakash Rao, V.L.S., (1963) Regional Planning Theoretical Approach, Calcutta, p.5.
3. Kuklinski, A.K. (1978) Some Basic Issues in Regional Planning and National Development, in Mishra, p.p. et al. (Eds.) Vikash Publication, New Delhi. P.5
4. Shah, G.L. (1979), Spatial Organisation of Rural settlement in the Mountainous Part of U.P. - A study in Integrated Area development " Spmposium on Geographers and Regional Planning (Abstract) University of Gorakhpur, p. 9.
5. Singh, J. (1975) " Key Issues : Integrated Rural Development, F.S.H. Division, F.A.O. Rome, p.1.
6. Ray, P. and Patil, B.R. (1977), Manual For block level Planning, New Delhi p. 30.
7. Singh, J. and Mishra, R.P. et al, (1978), "Regional Development Planning in India. Vikash Publication, New Delhi. p.2.
8. Mathur, J.S. (1977) " Area Planning - A Critical Review and Regional development " 10th Course on R.R.D. " NICD Hyderabad (Uppublished paper) p.1.
9. F.A.O.(1977), Policies and Institutions for Integrated Rural Area development, Joint Report on

sessions Vol. I, p.2.

10. I bid.

11. I bid.

12. Dubey, S.C. (1958), " India a Changing Villages, Bombay.

13. Lawtan, G.H., (1958-59), "India's Changing Villages. Royal Geographical Society of Australia, South Australian Branch Paper (60) p. 17-24.

14. Nazumul Kanim, A.K., (1961) " Changing Society of India and Pakistan " Ideal Publication Dacca.

15. Sen, L.K. et al (1971) " Planning Rural Growth Centres for Integrated Area development : A Study in Minyalguda Taluka, National Institute of Community Development, Hyderabad, p.1

16. Chandra Shekhar, Buggi and Ramanna, (1978) " Regional Planning for Rural development in Regional Planning and National Development (eds.) Mishra, R.P., et al. Vikash Publication, New Delhi, p. 403.

17. Singh, J. (1979) " Central Places and Spatial Organisation in Backward Economy Gorakhpur Region - A study in Integrated Regional development, U.B.B.P. Gorakhpur.

18. Sundaram, K.V. (1978) " Some recent Trands in Regional development Planning in India." In regional planning and National development (eds.)

19. Ghate, Prabhu, (1984), Direct Attack on Rural Poverty, The context of Poverty, Concept Publishing Company New Delhi, p. 4.
20. Waterston, A., (1974), " A Vible Model of Rural development, Finance and Development, p.p. 22-25.
21. Mishra, R.P. et al Regional Development Planning in India, Vikash Publication, New Delhi 1978, p.2
22. Sen, L.K. et al. Op. Cit. Ref. N. 14.
23. I bid.
24. Dubey, B.C. and Singh Mangla (1985) Integrated Rural Development (Hindi) Varanasi - p. vi-vii.
25. I bid.
26. I bid.

अनुक्रम

शिक्षा - जनपद में शिक्षा संस्थायें (मान्यता प्राप्त) । सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण - जनपद में एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय, जनपद में एलोपैथिक चिकित्सा सेवा, गाजीपुर जनपद में आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा । जल सम्पूर्ति । ंचायत राज । जिले के विकास कार्यक्रम । बैकिंग सुविधाएँ -शाखा विस्तार, जनपद में बैंक जमा ऋण तथा ऋण जमा अनुपात, वार्षिक ऋण योजना 1989-90 के अन्तर्गत बैंकवार, क्षेत्रवार कार्य निष्पादन, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, भारतीय स्टेट बैंक, सेन्ट्रल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक , इलाहाबाद बैंक, बनारस स्टेट बैंक लि0, संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0, उ0प्र0 वित्त निगम । राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्य निष्पादन एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगार योजना (सीयू) शहरी निर्धनों हेतु स्वतः रोजगार योजना (सेपप), स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अन्तर्गत विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर अनुश्रवण । जिले की विकास योजनायें - कृषि ऋण, औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्र, लघु स्तरीय उद्योग, तृतीयक श्रेणी क्षेत्र की गतिविधियाँ महत्वपूर्ण सरकारी योजनायें । विकासशील कार्यक्रम 1990-91 - (क) आई0आर0डी0पी0 (एग्राविका) (ख) विशेष घटक योजना (एस0सी0पी0) (ग) लघु सिंचाई योजना (घ) बायोगैस (च) मत्स्य पालक विकास कार्यक्रम (छ) ऊसर भूमि सुधार (ज) शहरी गरीबों के लिए स्वतः रोजगार कार्यक्रम (सेपप) (झ) शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वतः रोजगार योजना (सीपू) (ट) अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मार्जिन राशि ऋण योजना (ठ) कुटीर और ग्राम्य उद्योगों का विकास (के0वी0आई0सी0) (ड) पेम्सेम और सेम्फेक्स द्वितीय मूलभूत, सहयोगी सुविधाओं, सेवाओं हेतु व्यवस्था तथा उत्तरदायी एजेन्सी, विभाग ,1.कृषि , फसल उत्पादन, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (एस0एफ0पी0पी) 2. सिंचाई एवं कृषि उपकरण, 3. भूमि विकास, 4. उद्यान और वृक्षारोपण, 5. वानिकी । कृषि सहयोगी गतिविधियाँ - 1. दुग्ध पालन, 2. मुर्गी पालन, 3. मत्स्य पालन, 4. सूअर पालन, 5. बकरी/भेंड़ पालन, 6. रेशम कीट पालन, 7. बायोगैस प्लान्ट (संयंत्र) 8. ग्रामीण दस्तकार कुटीर और लघु उद्योग । ग्राम्य विकास हेतु ग्रामीण चिन्तन (सुझाव)

LIST OF ILLUSTRATIONS

छायाचित्र सूची

अध्याय - प्रथम

समन्वित ग्रामीण विकास - प्रारूप एवं संकल्पना

प्रारूप एवं लक्ष्य :

समन्वित ग्रामीण विकास नीति का केन्द्रीय लक्ष्य श्रम एवं प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग है । इस प्रकार ये तीन तत्व इसके लक्ष्य के प्रमुख अंग है, यथा 1. उत्पादन में सहायक क्रियाकलाप जैसे सिंचाई, जोत यंत्रीकरण, पशुधन, उर्वरक ग्रामीण साख, प्राविधिकी एवं ग्रामीण विद्युतीकरण, 2. भौतिक अवस्थापना - सड़क, जलापूर्ति आदि और 3. सामाजिक अवस्थापना - परिवार नियोजन, ग्रामीण शिक्षा, मनोरंजन आदि ।[1] विभिन्न अभिगमों के माध्यम से विकास के विभिन्न घटकों तथा लक्षणों को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :-

प्रारूप एवं घटक	लक्ष्य
1. अभिलक्षित जनसंख्या	ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों तथा सम्पूर्ण ग्रामीण जनता विशेषतः कमजोर वर्ग (अ) लघु कृषक, (ब) सीमान्त कृषक (स) कृषक श्रमिक, (द) कृषि अतिरिक्त श्रमिक (य) ग्रामीण शिल्पकार एवं दस्तकार के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाना, विकास के लिए परिवार के समुदाय की सबसे छोटी इकाई के रूप में विशेष महत्व देना ।
2. क्षेत्रीय एवं स्थानीय नियोजन	ग्रामीण विकास के लिये नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण, जो छोटे स्तर से बड़े स्तर के लिये उत्तरदायी हो । विकास प्रक्रिया (जोत, ग्राम समूह, पंचायत विकास खण्ड, जनपद (एवं प्रदेश)

प्रारूप एवं घटक	लक्ष्य
	में स्थानिक संशिष्टता एवं अवस्थापना की सुदृढ़ता पर विशेष बल । विकास प्रक्रिया का आधार स्तर तथा स्थानीय संसाधनों का विकास एवं संरक्षण प्रदान करना तथा ग्रामों के समूहों को नियोजन की दृष्टि से संगठित करना ।
3. सेवा केन्द्र एवं बाजार	ज्ञान - अभिज्ञान की प्राप्ति, उत्पादन अतिरेकों का विक्रय, विभिन्न सेवाओं का विसरण । विकास स्थल जो प्रत्यक्षतः पदानुक्रम को सुदृढ करें तथा इन पर उद्योगों का विकास ।
4. यातायात	ग्रामों को सड़क से जोड़ते हुए निम्न से उच्च श्रेणी के सेवा केन्द्र के साथ नगरों से परिवहन सम्पर्क बढ़ाना, जिससे परिवहन सुगमता बढ़े तथा ग्रामीण उत्पादन अतिरेक सुगमता से विक्रय केन्द्रों तक पहुँच सकें ।
5. कृषि	खाद्य पदार्थों एवं पोषक तत्वों की आपूर्ति में आत्म निर्भरता हेतु कृषि को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर कृषि विकास करना । शुष्क कृषि विकास प्राविधिकी का विकास ।
6. सिंचाई	भूमि प्रबन्ध के साथ उन्नत एवं व्यावसायिक कृषि उत्पादन हेतु लघु सिंचाई सुविधाओं का प्राथमिकता के आधार पर विकास करना ।
7. (अ) कृषि एवं संबंधित कार्य	कृषि के साथ उन्नत उद्यान, वनीकरण (वृक्षारोपण)

प्रारूप एवं घटक	लक्ष्य
	पर विशेष बल, जिससे ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके ।
(ब) पशुधन विकास	उन्नत नस्ल के पशुओं का विकास एवं वितरण, पशुबीमा, पशुसेवा, स्वास्थ्य तथा रख-रखाव आदि का समुचित ध्यान तथा ग्रामीणों को तत्संबंधी प्रशिक्षण ।
(स) कृषि निर्माण कार्य	कृषि यंत्रों में सुधार एवं नई प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण, प्रचार तथा प्रसार ।
8. ग्रामीण उद्योग	श्रम बाहुल्य उद्योगों का विकास, जो स्थानीय संसाधनों पर आधारित हों । ग्रामीण दस्तकारों एवं शिल्पियों के साथ परम्परागत रोजगारों पर विशेष बल ।
9. बैंकिंग	कृषि, उद्योग एवं अन्य विकास कार्यों हेतु ऋण एवं अनुदान ।
10. विद्युतीकरण	ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई विकास के साथ ग्रामीण औद्योगीकरण एवं जीवन के सुविधाओं में वृद्धि हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण ।
11. प्राविधिकी	मध्यम एवं देशी प्राविधिकी का सम्यक विकास, जिससे कम व्यय में अधिकाधिक लाभ हो । श्रम बहुल प्राविधिकी विकास पर विशेष बल ।
12. स्वास्थ्य	औषधि एवं स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के साथ परिवार नियोजन को प्राथमिकता ।
13. ग्रामीण पेयजल की आपूर्ति	पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध कराना, जिससे

प्रारूप एवं घटक	लक्ष्य
	ग्रामीणों का स्वास्थ्य ठीक रहे ।
14. शिक्षा	ग्रामीण जनों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था इसमें प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य भी सम्मिलित है ।
15. मनोरंजन	ग्रामों में शिक्षा प्रचार के साथ रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा की व्यवस्था तथा रंगमंच्च एवं पारम्पारिक मनोरंजन के साधनों के विकास साथ खेलकूद, व्यायाम एवं शारीरिक शिक्षा पर विशेष ध्यान ।
16. आवास	समाज के कमजोर वर्ग के लिए आवास एवं ग्रामीण बस्ती में जल निकास आदि की समुचित व्यवस्था ।
17. नियोजन	सर्वेक्षण द्वारा स्थानीय एवं क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार योजना तैयार कर उसका समुचित कार्यान्वयन ।
18. सामाजिक पुनर्जागरण, ग्रामीण नेतृत्व तथा तनाव निवारण	पंचायत अधिकारी के माध्यम से ग्रामीण समुदाय में तनाव निवारण का प्रयास,ताकि सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ग्रामों के विकास कार्यों में अनावश्यक बाधायें एवं रूकावट न आ पाये तथा जन सामान्य में विकास के प्रति रूचि जगे । इसके लिये ग्राम एवं पंचायत स्तर पर बुद्धिवादियों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ग्राम एवं न्याय पंचायतों के कतिपय सदस्यों के समुचित एवं विवेकपूर्ण टोलियों का गठन किया जाय । ये टोलियाँ ऐसी हों जिनमें जातिवाद,

प्रारूप एवं घटक	लक्ष्य
	रूढ़िवाद, अन्धविश्वास भाई-भतीजावाद आदि न हो, निष्पक्ष निर्णय लेने में समर्थ हो तथा विकास में रूचि लें ।

यह लक्ष्य बहुस्तरीय एवं बहुवर्गीय आयाम द्वारा नियंत्रित होते है । क्योंकि अभिलक्षित वर्ग या क्षेत्र का विकास कृषि, उद्योग एवं सेवाओं के विकास से संभव है । बहुस्तरीय एवं बहुवर्गीय आयाम सन्तुलित विकास के लिए आधार तैयार करते है । संतुलित विकास के लिए आयोजना तैयार करते समय उसके कार्यान्वयन के प्रारूप, अभिलक्षित वर्ग एवं क्षेत्र का ध्यान रखना आवश्यक है ।

प्राथमिक धन्धे कृषि एवं उससे सम्बन्धित कार्य, बहुवर्गीय एवं बहुस्तरीय नियोजन के लिए व्यापक आधार प्रदान करते हैं । इसलिए इन पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है । द्वितीयक धन्धे, उद्योग का विकास, स्थानीय संसाधनों एवं मांग के अनुसार करना समसामयिक है । तृतीयक क्षेत्र में अवस्थापना एवं सेवाओं के विकास से स्थानिक संशक्तता में वृद्धि होगी ।

योजनाओं का उद्देश्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता, जब तक क्षेत्र से सम्बद्ध सभी विकास योजनायें समन्वित रूप से कार्यान्वित न की जायेंगी । इसके लिए आवश्यक है कि सभी विकास विभाग अपनी योजनाओं को समन्वित विकास के अन्तर्गत, विकास खण्डों में सघन रूप से लागू करें । इसमें अभिलक्षित वर्ग का ध्यान अवश्य मेव रखा जाय । वस्तुतः समन्वित ग्रामीण विकास तभी पूर्ण सफल होगा, जब हर स्तर पर निष्ठा के साथ इसे कार्यान्वित किया जाय तथा समताधर्मी नीति का अनुसरण हो ।

समन्वित ग्रामीण विकास, डॉ0 मंगला सिंह, डॉ0 बेचन दूबे, 1985 पृ0 20-25

समन्वित ग्रामीण विकास :

भारत सदृश विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या की बहुलता है तथा उसमें अनेक कुरीतियों एवं दोषों से समाज कालान्तर से त्रस्त रहा है । सम्प्रति आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाकर संपूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करते हुए ग्रामीण विकास में स्पष्टतः योगदान किया है ।

भूगोल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से स्पष्ट होता है कि यह अतीतकाल तक मानचित्रों के प्रयोग एवं प्रतिपदान तथा यात्रा वर्णनों से सम्बन्धित रहा है । किन्तु वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास की वर्तमान प्रक्रिया में अब यह संभव नही रहा कि मानचित्र अकेले ही सम्पूर्ण क्षेत्रीय विशेषताओं को प्रस्तुत करने का पर्याप्त आधार बन सके । भौगोलिक चिन्तन एवं गहन अध्ययन के परिणाम स्वरूप भूगोल की विषय-वस्तु में अभिनव प्रवृत्तियों का विकास हुआ । सामाजिक-आर्थिक संरचना, राजनैतिक, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रचालित जीवन दर्शन और सहयोगी विषयों में उभड़ती नूतन प्रवृत्तियों के अनुरूप भौगोलिक दिशानुसंधान में भी परिवर्तन होता रहा है । प्रकृति एवं प्राविधिकी के परिवर्तन शील अन्तर्सम्बन्धों ने भूगोल के संकल्पनात्मक आधार, शोध आयाम एवं अध्ययन उपागम में सतत परिवर्तन, संशोधन एवं परिमार्जन की अनिवार्यता को उजागर किया है । यही कारण है कि भौगोलिक अध्ययन की सामान्य एवं मुख्य दिशा मानव कल्याण हेतु विभिन्न उपायों की खोज एवम् समस्या समाधान की ओर समर्पित हुई ।

भूगोल की पहचान एक ' प्रत्यावर्तन विज्ञान ' के रूप में कुछ विलम्ब से हुई है । भूगोल की मुख्य भूमिका क्षेत्रीय पर्यावरण की उद्देश्य पूर्ण सुरक्षा एवम् प्रत्यावर्तन हेतु उपयुक्त आधार प्रस्तुत करना है । भूगोल वातावरण का वैज्ञानिक ज्ञान है जो उसके समृद्ध उपयोग एवं समन्वित ग्रामीण विकास को मानव के हित के लिए अनुमति देता है । यह मानव वातावरण अन्तर्सम्बन्ध एक समन्वित तंत्र के रूप में प्रतिरूप, संरचना एवं प्रक्रियाओं में निहित है ।

इस प्रकार एक प्रदेश समन्वित वितरण प्रारूप के संश्लिष्ट गति की दिशा एवं स्थानिक प्रक्रियाओं में निहित है । इस प्रकार एक प्रदेश समन्वित वितरण प्रारूप के संश्लिष्ट गति की दिशा एवं स्थानिक प्रक्रियाओं के रूप में पर्यावलोकित किया जा सकता

है । प्रो0 राम लोचन सिंह के अनुसार भूगोल की पहचान ' पर्यावरण विज्ञान ' के रूप में होनी चाहिये, जो सूची बद्ध एवं रचनात्मक तथा नियोजन स्वरूप को आदर्श दिशा दे सके तथा जिसका उपयोग मानव कल्याण, शान्ति एवं सहयोग के लिए किया जा सके । इस प्रकार भौगोलिक चिन्तन का उद्देश्य पर्यावरण के बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना तथा इसके समुचित प्रयोग के साथ-साथ प्रत्यावर्तन और विकास को वास्तविक दिशा देना है।

किसी भी सांस्कृतिक भूदृश्य की क्षेत्रीय यथार्थता को विभिन्न मानवीय सूचकों यथा अधिवास के प्रकार एवं प्रारूप, प्रधान कार्यों, उत्पादन की विधि एवं संग्रह तथा सामाजिक-आर्थिक संगठन की मिश्रित संरचना द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है । आधुनिक मानव-समाज में विकास की प्रकृति विभिन्न प्रक्रियाओं की संश्लिष्टाओं से परिपूर्ण है जिसमें प्राविधिकी उन्नयन की विशेषता महत्वपूर्ण है । ग्रामीण विकास एक प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसके द्वारा ग्रामीण जन चिरकाल तक अपना सामाजिक-आर्थिक सुधार करने में समर्थ हो सके । ऐसा लक्ष्य होना आवश्यक है जिससे ग्रामीण संसाधनों का समुचित उपयोग ग्रामीणों द्वारा किया जा सके । ग्रामीण विकास की विषय-वस्तु को ग्रामीण उत्पादकता एवं सामाजिक न्याय तथा अधिक रोजगार की सुविधा एवं समानता के उन्नयन के प्रति समर्पित होना आवश्यक है ।

नीति निर्धारण योजनाओं को आमने-सामने अथवा एक दूसरे का पूरक होना चाहिये ,जिससे ग्रामीण निर्धनता, बेरोजगारी, ग्रामीण गतिहीनता, भूख कुपोषण, अस्वस्थता, अशिक्षा एवं शोषण को समाप्त करने में समान रूप से पहल हो सके ।

ग्रामीण विकास की विषय-वस्तु इस प्रकार होनी चाहिए जिससे ग्रामीण निवासियों की मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं यथा भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय, रोजगार तथा अन्य सामाजिक सेवायें प्रदान करने में सक्षम हो सकें ।

ग्रामीण विकास का सर्वोपरिलक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने में तथा ग्रामीण श्रमिकों एवं कृषकों के स्वयं के विकास में निरन्तरता की वृद्धि होना चाहिये । इतना ही नही भौतिक साधनों के विकास से अधिक

महत्वपूर्ण इसका लक्ष्य ग्रामीणों के दृष्टिकोण तथा विचारों में परिवर्तन उत्पन्न करना है । तात्पर्य यह कि ग्राम वासियों में जब तक यह विश्वास पैदा न हो कि वे अपनी प्रगति स्वयं कर सकते हैं तथा अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझा सकते हैं तब तक ग्रामों का सर्वांगीण विकास किसी प्रकार भी संभव नही है । इस प्रकार जन सामान्य के बेहतर गुणात्मक जीवन स्तर की सुविधा सुलभ करने की दिशा में विकास में संगठनात्मक परिवर्तन आवश्यक है ।

भारतीय आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु मूलतः एवं स्पष्टतः कृषि है । भारतीय अर्थव्यवस्था सदियों से कृषि पर आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था है । देश की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और गांवों की लगभग 69 % जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं परोक्षरूप से अपने जीवन यापन हेतु कृषि क्रियाकलापों पर निर्भर है फिर भी कृषि से हमारी राष्ट्रीय आय का मात्र 40 प्रतिशत ही प्राप्त होता है, यह आय ऐसी स्थितियों में प्राप्त होती है जब कृषि में लगे लोगों को अपनी क्षमता से कम रोजगार मिलता है और जमीन पर क्षमता से बहुत कम उत्पादन होता है । कृषि में नियमित रूप से किसानों और मजदूरों को काम नहीं मिल पाता है । इसके साथ ही फसलोत्पादन की जितनी भी क्रियायें होती है उसमें प्रायः निरन्तरता नहीं पाई जाती है । इसमें मौसमी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है; जो एक चुनौती पूर्ण समस्या है । ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार छिपी हुई बेरोजगारी एक भयावह समस्या है । सम्प्रति कृषि क्षेत्र में 20 प्रतिशत लोग छिपी बेरोजगारी की चपेट में है, जो प्रति व्यक्ति आय, उत्पादकता तथा जीवन स्तर को नीचे कर देती हे । परिणाम स्वयप ग्रामीण क्षेत्रों में दरिद्रता की प्रधानता बढ़ जाती है । इस समस्या के निराकरण हेतु ' समन्वित ग्रामीण विकास योजना ' को गति प्रदान की गई है । समन्वित ग्राम्य विकास में ग्रामीण पर्यावरण के सुधार के लिए क्रियाशीलता के सम्पूर्ण क्षेत्र को सम्मिलित करना चाहिये ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गांव के निर्बल वर्गों, विशेषकर लघु सीमान्त कृषक, खेतिहर, मजदूरों तथा ग्रमीण शिल्पकारों को सहायता देकर उन्हें पूर्ण रोजगार के

साधन उपलब्ध कराने तथा उनकी आय में वृद्धि करके उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से देश के सभी (5011) विकास खण्डों में सरकार की सहायता से चलायी जा रही है । इस योजना के माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहायता देकर रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे है तथा यथा संभव आवश्यक अनस्थापना सुविधायें गांव में विकसित की जा रही है ताकि गरीब परिवारों को रोजगार चलाने, उत्पादन बढ़ाने ओर अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अधिकतम अवसर सुलभ हो सके ।

ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों में समन्वित ग्रामीण विकास प्रबंध योजना का निर्धारण करता है । समन्वित ग्राम्य विकास सरकारी प्रस्तावित विकास की परियोजना है । समन्वित ग्रामीण विकास योजना अपने वर्तमान स्वरूप में समस्त योजना प्रक्रिया के विचार एवं अनुभव की तरफ ध्यान आकृष्ट करती है । इस योजना में गरीबी उन्मूलन समग्र राष्ट्रीय विकास के स्वरूप में किया जाना निहित है । ग्रामीणं विकास पर उपलब्ध साहित्य में अब समन्वित ग्राम विकास योजना का अत्याधिक महत्व है ।

क्षेत्र समय तथा परिस्थिति को देखते हुए विकास कार्यक्रम में समुचित परिवर्तन एवं परिवर्द्धन आवश्यक होता है । इसी उद्देश्य से वर्ष 1975 में लागू 20 सूत्रीय कार्यक्रम को 14 जनवरी 1982 को ' नया बीस सूत्री कार्यक्रम ' के नाम से लागू किया गया । इसी क्रम में पुनः 20 अगस्त 1986 को ' बीस सूत्री कार्यक्रम' 1986 की घोषणा की गई । ग्रामीणों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंडित जवाहर लाल नेहरू के शताब्दी वर्ष (1989) से ' जवाहर रोजगार योजना ' शुरू की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारों तथा अर्द्ध बेरोजगारों को घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक कार्य कराना है । इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं तथा अन्य गरीब एवं कमजोर वर्गों को वरीयता दी गई है । विकास में जन-जन की भागीदारी के अधीन पंचायती राज प्रणाली को नया जीवन देने तथा उसे ग्राम स्वराज एवं ग्राम विकास का सबल एवं सक्षम माध्यम बनाने की दिशा में की गई

पहल उल्लेखनीय है ।

भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने राष्ट्र के नाम संदेश में 2 दिसम्बर 1989 को गाँवों के संदर्भ में इस प्रकार की भावना व्यक्त किया ' भारत के खेत और खलिहानों की धूल लेकर हम सरकारी कमरों में आये है । इन कमरों में उस धूल की मर्यादा रखेंगे । गाँवों में भारत रहता है । आज गाँवों से बुद्धि भाग रही है श्रम शक्ति भाग रही धन भाग रहा है, जब तक यह होता रहेगा भारत माँ का मुँह पीला रहेगा । इसके मुँह पर सुर्खी लाने के लिए हंसी खुशी लाने के लिए देश के साधनों का आधा-हिस्सा गाँवों में लगाने का हम लोगों ने संकल्प किया है ।'

इससे यह प्रतिध्वनित होता है कि इस देश की उन्नति मुख्यतः गाँवों के विकास पर निर्भर करती है । ग्रामीण विकास ही वह मार्ग है जो राष्ट्र को उन्नति के राह पर ले जाने का संबल है । ग्रामीण विकास का सर्वोपरि लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना तथा ग्रामीण मजदूरों एवं कृषकों के स्वयं के विकास में निरन्तरता की वृद्धि करना है । ग्रामीण जनों के बेहतर गुणात्मक जीवन स्तर की सुविधा सुलभ करने की दिशा में विकास आवश्यक है । इस प्रकार समन्वित ग्रामीण विकास और नियोजन सबसे नवीनतम देन है जो वर्तमान काल में अधिक लोक प्रियता प्राप्त करती जा रही है ।

ग्रामीण अधिवास का भौगोलिक अध्ययन भूगोल विज्ञान की विशिष्ट शाखा रूप में प्रतिष्ठित हुआ है । उन्नीसवीं शदी के प्रारम्भिक काल में अधिवास के अध्ययन का सूत्रपात कार्ल रिटर के द्वारा हुआ । इनका अध्ययन वस्तुतः गृह प्रकार, प्रारूप एवं उपनिवेश की व्याख्या से सम्बन्धित है ।

अधिवास से सम्बन्धित अध्ययन ने ग्रीक, रोमन एवं भारतीय शोधकर्ताओं का भी ध्यान आकर्षित किया । अमेरिका, यूरोप, जापान तथा भारत में अधिवास भूगोल के अध्ययन के सम्बन्ध में संकल्पना, प्रतिमान तथा सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया । इनमें वाइडल डीला ब्लाश, डिमाजियन, ईशावेमेन, ओरेस्क्यू, बेकर, हडसन, जिरोयूनेकूरा, युहामा, डिकिन्सन,

आर0 पी0 हाल, एच0 इशीदा जेम्स, जीन्स वायरलुण्ड, इडिट, स्टोन, जार्डन, रामलोचन सिंह, इ0 अहमद, काशीनाथ सिंह, रामबली सिंह, राना पी0बी0 सिंह , एच0 बी0 मुखर्जी, सन्त बहादुर सिंह, लल्लन सिंह, एस0 एच0 अन्सारी, श्री पाल सिंह आदि प्रमुख भूगोल वेत्ता हैं।

मानसून एशिया में ग्रामीण समस्यायें एवं मानव अधिवास के अध्ययन हेतु प्रो0 राम लोचन सिंह का योगदान स्तुत्य है तथा भारतीय अध्येताओं के लिए शोध कार्य हेतु मार्ग प्रशस्त करता है । अधिवास भूगोल से सम्बन्धित अनेकों शोध ग्रन्थों का प्रकाशन ' भारतीय राष्ट्रीय भौगोलिक संगठन ' वाराणसी द्वारा इसी उद्देश्य से किया गया है ।

रजनीपाम दत्तर (1982) ने अपनी पुस्तक ' भारत वर्तमान और भावी ' में भारत और आधुनिक संसार , भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास, भारत और औद्योगिक क्रान्ति पूर्व स्वतंत्रता काल एवं स्वातंत्रयोत्तर काल में कृषक आन्दोलन एवं सामाजिक परिवर्तन आदि विषयों पर विशद विवचेन कर ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक रूपरेखा प्रस्तुत किया ।

बेचन दूबे एवं मंगला सिंह की पुस्तक (1985) ' समन्वित ग्रामीण विकास ' में ग्रामीण विकास के विभिन्न तत्वों की समीक्षा एवं सुझाव दिये गये हैं ।

ग्रामीण विकास - यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विचारणीय है कि यदि केवल कृषि पर ही जोर दिया जायेगा तो ग्रामीण विकास की समस्या को हल नही किया जा सकेगा । यह मान्य सत्य है कि कृषि विकास पर जोर देने से वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानतायें बढ़ जाती है और जरूरी नही रहता कि कृषि विकास के लाभ गांवों के गरीबों तक पहुँच ही जायें । कृषि विकास पर केन्द्रित ग्रामीण विकास नीति के इसलिए असफल होने की संभावना है कि इससे चुने हुए इलाकों में किसानों का छोटा मध्य वर्ग तो पैदा हो जायेगा लेकिन इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की व्यापक गरीबी की समस्या हल नहीं हो सकेगी । यह तो एक सकल विकास नीति से ही संभव हो सकता है जिसमें कृषि विकास मात्र एक अंग ही रहेगा ।

समन्वित ग्रामीण विकास के मुख्य लक्ष्य :

समन्वित ग्रामीण विकास के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार होने चाहिये --

1. कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि
2. भूमि और जल साधनों का कुशल और बेहतर उपयोग ।
3. पूँजीगत साधनों की पूर्ति ।
4. रोजगार के अवसर पैदा करना और उन्हें अधिकतम बढ़ाना ।
5. आय का पुनर्वितरण ।
6. ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर सुधारना ।

1. कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि :

कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण उन्नति हुई है । बीजों की अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का विकास और विशेष तकनीकी एवं पर्यावरण संबंधी व्यवस्था जैसे-उर्वरक, सिंचाई आदि इसे आमतौर पर ' हरित क्रांति ' के नाम से जाना जाता है और इससे कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी थी लेकिन इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय में असमानता भी बढ़ी है, अतः स्वाभाविक है कि हम हरित क्रान्ति के परिणामों को ध्यान में रखे - यह क्रांति कृषि उत्पादन प्रक्रिया के केवल एक भाग को ही प्रभावित करती है ।

2. भूमि और जल साधनों का कुशल और बेहतर उपयोग :

सभी जानते है कि मिट्टी के कटाव और भूक्षरण, वनों की बेतहाशा कटाई और रेगिस्तान के फैलने से देश के कई भागों में कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है । इसी प्रकार जहाँ कई इलाकों में भूमिगत जल का कृषि के लिए उपयोग नही हो पा रहा है वहीं कुछ अन्य भागों में यह जल तेजी से घटता जा रहा है । अतः भूमि और जल साधनों के कुशल और बेहतर उपयोग के बारे में उचित उपाय सोचना जरूरी है और ये उपाय

हर स्थान के लिए भिन्न होंगे ।

3. पूंजीगत साधनों की पूर्ति :

यह भी सब जानते है कि कृषि क्षेत्र में नया पूँजी निवेश सबसे कम होता है । इसलिए कृषि उत्पादन कार्यों में पूँजी निवेश बढ़ाने की जरूरत है । लेकिन इस बात के भी पर्याप्त प्रमाण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पूँजी निवेश करने से जबर्दस्त सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था फैल जायेगी और मशीनीकरण हो जाने के फलस्वरूव बेरोजगारी भी बढ़ेगी ।

4. रोजगार के अधिकतम अवसर जुटाना :

ग्रामीण विकास कार्यक्रम में रोजगार के अवसर जुटाने पर जोर दिया जाना चाहिये,क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि रोजगार पैदा करने का कौन सा साधन अधिक उपयोगी है । रोजगार पैदा करने के लिए श्रम आधारित कृषि तकनीक, ढाँचे के लिए सार्वजनिक निर्माण कार्य, जनशक्ति का सघन उपयोग, ग्रामीण औद्योगीकरण जैसे उपाय किये गये हैं इन उपायों की उपयोगिता विशेष लघु इकाई के आर्थिक स्वरूप पर निर्भर करती है और यह पूर्व निर्धारित प्राथमिकता नहीं हो सकती । रोजगार उत्पादन की क्षमता के निर्माण का सबसे उपयुक्त क्षेत्र तैयार किया जाये ताकि कृषि में जनशक्ति के बढ़ते बोझ को धीरे-धीरे कम किया जा सके । आखिर अधिकांश रोजगार परक निर्माण कार्य बन्द भी होते ही हैं जैसे कि पर्याप्त सड़कें बन जाने पर सड़क निर्माण कार्य रूक जाता है इसलिए लघु ग्रामीण उद्योगों और बड़े ग्रामीण उद्योगों के बारे में सोचना होगा ।

5. आय का पुनर्वितरण :

अगर कुल प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों के बीच आय वितरण में असमानता भी बढ़ती है । इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए ग्रामीण विकास नीति में बहुत छोटे किसान भूमिहीन मजदूरों और अस्थायी मौसमी मजदूरों के लाभ के उपाय भी शामिल किये जाने चाहिये ।

6. **ग्रामीण लोगों का जीवन-स्तर सुधारना :**

यदि ग्रामीण विकास का लक्ष्य ग्रामीण लोगों का जीवन-स्तर सुधारना है तो इसका उद्देश्य आय बढ़ाने से आगे भी होना चाहिये । अधिक आय का यह अर्थ जरूरी नहीं है कि ग्रामीण जनता का जीवन स्तर भी खाद्य सामग्री, शिक्षा, सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक एकता आदि की दृष्टि से सुधर गया है, अनुभव से पता चला है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अचानक पूँजी निवशे बढ़ा देने से व्यर्थ का व्यय होता है, बेमतलब खपत बढ़ती है, और हानिकारण परिणाम होते हैं, उपभोग और बेहतर जीवन के लिए उतनी ही शिक्षा महत्वपूर्ण है । जितने कि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन । इसके लिए व्यक्तिगत लक्ष्यों के बजाय सामूहिक लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिये ।

समन्वय और क्षेत्रीय संतुलन :

ग्रामीण विकास के उद्देश्यों के ढाँचे में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये कि कुछ समय के लिए कृषि ही ग्रामीण विकास का एक प्रमुख आधार बनी रहे । लेकिन कृषि को विकास का केन्द्र बिन्दु बनाने के लिए कुछ बातों की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है । इस समय कृषि उत्पादन बढ़ाना ही जरूरी नहीं है बल्कि कृषि पर इतनी बड़ी जनसंख्या की निर्भरता के बोझ को भी कम करना है । साथ ही छोटी इकाईयों के भीतर ही रोजगार के अवसर पैदा करना भी जरूरी है ताकि शहरों की ओर भागने की प्रवृत्ति पर अंकुश रखा जा सके । इस परिप्रेक्ष्य में कृषि, ग्रामीण लघु उद्योग और आधुनिक उद्योगों के बीच संपर्क रखना भी अति आवश्यक है ।

कृषि और ग्रामीण उद्योगों में निकट संपर्क जरूरी है :

समन्वित ग्रामीण विकास ग्रामीण औद्योगीकरण जिसका अनिवार्य अंग है, को बहुउद्देशीय लक्ष्य पूरे करने होंगे । कृषि के लिए औद्योगिक आदानों की व्यवस्था मूल उत्पादों के रोजगार और आय के साधन जुटाना इन लक्ष्यों में शामिल है । परिणामस्वरूप

ग्रामीण विकास के सफल कार्यक्रम के लिए कृषि और ग्रामीण उद्योगों के बीच निकट सपंर्क जरूरी है ।

सामाजिक संस्थागत ढाँचा :

चूँकि ग्रामीण विकास के कारण हाल में स्थापित सामाजिक संतुलन डगमगा जायेगा और समाज के धनी एवं संपन्न वर्गों की अपेक्षा गरीब वर्गों के पास साधन पहुँचने लगेंगे । अतः उस संस्थागत ढाँचे को स्पष्ट समझना जरूरी है जो वर्तमान असमान सामाजिक व्यवस्था का आधार है । इसके लिए परिणामों के साथ-साथ सामाजिक ढाँचे, उत्पादन संबंधों, सामाजिक संसाधनों की असमान उपलब्धि और प्रोत्साहन व्यवस्था की व्यापक योजना बनाना आवश्यक है । इस योजना के आधार पर ही काम की भीतरी जानकारी मिल सकती है और ग्रामीण विकास के संबंध में समस्या की भयावहता या विकरालता को समझना होगा । इस नये समर्थन के आधार पर ही समाज के बेहद गरीब और कमजोर वर्गों के प्रयासों को जुटाकर उनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है ।

कमजोर वर्ग :

आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति में यह जोर दिया जाना चाहिये कि योजना प्रक्रिया को गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों की अत्याधिक खराब सामाजिक आर्थिक हालत को सुधारने की दिशा में मोड़ने की कोशिशें की जानी चाहिये । खंड स्तर की जिस योजना में ये तत्व शामिल नही होंगे वह योजना आर्थिक दृष्टि से असमानता फैलाने वाली, सामाजिक दृष्टि से अलाभकारी और राजनीतिक दृष्टि से विनाशकारी सिद्ध होगी ।*

ग्रामीण विकास में जन सहयोग :

विकास एक काफी भ्रामक धारणा है । तकनीकी दृष्टि से विकास से तात्पर्य किसी देश या उसकी अर्थव्यवस्था में गुणात्मक तथा ढांचागत परिवर्तनों से होता है । इसके

---

* रोजगार समाचार 16-22 मार्च, प्रोफेसर एस0एन0 मिश्र

मुकाबले वृद्धि का अर्थ सकल राष्ट्रीय उत्पादन में संख्यात्मक बढ़ोत्तरी से होता है । ऐसी अर्थव्यवस्था में तेजी आने से - जैसे समय पर वर्षा होने से कृषि उत्पादन बढ़ जाना, अंतराष्ट्रीय मंडियों में और मूल्य ढाँचे में परिवर्तन हो जाना आदि होता है । लेकिन विकास होता है ग्रामीण राष्ट्रीय आय में दीर्घावधि और स्थायी वृद्धि जिससे लोगों के दृष्टिकोण, उनकी प्रेरणाओं, संस्थागत ढाँचे, उत्पादन तकनीकों आदि में बदलाव भी आता है ।

सरकार ने न केवल रूझान और झुकाव दिखाया बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुमुखी विकास के लिए अनेक वित्तीय एवं आर्थिक उपाय भी किये । सभी आयामों के धारणात्मक विस्तार से ही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का जन्म हुआ । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों के गरीब लोगों की रचनात्मक पहल को शुरू किया जाता है । इसमें यह नीति भी है कि कृषि विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास से समन्वय किया जाय ताकि ग्रामीण जनता के विभिन्न वर्गों के व्यापक एवं विविध हितों की रक्षा की जा सके । वृद्धि और न्यायपूर्ण वितरण पर काफी जोर दिया गया है ।

भारत जैसी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में लोगों की सामाजिक आर्थिक हालत में क्रांतिकारी परिवर्तन का कोई भी प्रयास ग्रामीण लोगों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए यह माना गया है कि ग्रामीण जीवन के सभी पहलू आपस में जुड़े है और किसानों के किसी भी पहलू पर अलग से ध्यान देते रहने से कोई स्थायी परिणाम नहीं मिल पाएगा । इसीलिए सर्वांगीण ग्रामीण विकास करने के उद्देश्य से 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया । ग्राम्य जीवन की आवश्यकतायें पूरी करने के उद्देश्य से ग्राम सेवकों का एक बहुउद्देशीय कार्यकर्ता कोडर बनाया गया । विकास खंड स्तर पर ग्राम सेवक की मदद और दिशा निर्देश के लिए विषय विशेषज्ञों का दल रहता है जिनमें पशुपालन, सहकारिता, पंचायतें, समाजशिक्षा, जनस्वास्थ्य, महिला और बाल कल्याण आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं । ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रमुख अंग हैं कृषि और उससे संबद्ध सेवायें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कुटीर और लघु उद्योग, परिवहन और संचार, समाज शिक्षा आदि । यह एक राष्ट्र व्यापी कार्यक्रम था और किसी भी विकासशील देश में पहले इतना व्यापक

कार्यक्रम नहीं चलाया गया था ।

भारत में ही नहीं बल्कि अन्य अनेक विकास शील देशों में विभिन्न ग्रामीणं विकास कार्यक्रमों के पिछले अनुभव से पता चला है कि इनमें किसी भी कार्यक्रम को अकेले चलाने से कृषि संबंधी आर्थिक या सामाजिक समस्याओं का कोई स्थायी हल नहीं निकलता । इसलिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की नई धारणा पर काफी जोर दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण जीवन का स्तर ऊँचा उठाया जा सके । इस प्रक्रिया में अपनी सहायता स्वयं करने और सामुदायिक सहयोग का विशेष महत्व है । सभी विकास प्रयासों का प्रमुख केन्द्र गांव के गरीबों और दलित वर्गों पर रखा गया है ।

दूसरे शब्दों में विकास का उद्देश्य रहा है गरीबी, सामाजिक असमानता और बेरोजगारी का उन्मूलन । हर विकासशील देश में यही राष्ट्रीय लक्ष्य बन गये हैं । इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाई गई नीति में खास तौर पर आर्थिक विकास पर जोर रखा गया है तथा यह विश्वास रखा जाता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन के लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच सकेंगे जिससे देश से गरीबी, सामाजिक असमानता ओर बेरोजगारी दूर हो जायेगी । आयोजन मॉडल ने पश्चिम के विकसित देशों में करिश्में किये है और केन्द्रीय योजना वली अर्थव्यवस्थाओं को विकासशील देशों के लिए आदर्श और उपर्युक्त माना गया । लेकिन विकास मॉडल 'असफल भगवान ' सिद्ध हुआ है हॉलाकि इस पर पच्चीस वर्ष से अधिक तक परीक्षण किये गये । विकास दर में वृद्धि गरीबी हटाने या कम करने की गारण्टी नहीं है ।

महबूब-डल-हक के अनुसार - हमें अपना सकल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने को कहा गया था क्योंकि इससे गरीबी दूर करने में मदद मिलेगी ।

विकास आर्थिक वृद्धि से आगे की स्थिति है अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को पाटने की दृष्टि से समानता स्थापित करने पर बल दिया गया है यह भी माना गया है कि गांव के गरीबों की रहन-सहन सुधारे बिना सही अर्थों में विकास नहीं हो सकता है इससे बुनियादी न्यूनतम आवश्यकतायें पूरी करने के महत्व का पता चलता है । कुल मिलाकर हाल के वर्षों में एक व्यापक सहमति हुई है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

इन देशों के लिए विकास नीति का विकल्प बन सकता है ।

ग्रामीण विकास के विशेषज्ञों ने ग्रामीण विकास की कई प्रकार से परिभाषा की है। । लेकिन इन सभी परिभाषाओं का निचोड़ यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के कम आय वर्गों के लोगों को रहन सहन की बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रमुख है जिसे पूरा किये बिना ग्रामीण विकास संभव नहीं होगा । राम पी0 यादव के अनुसार समन्वित ग्रामीण विकास के उद्‌देश्य निम्नलिखित है -

1. उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि
2. समानता
   (1) आय कमाने के अवसरों में ।
   (2) सार्वजनिक सेवाओं के मामले में ।
   (3) उत्पादक आदानों के मामले में ।
3. लाभकारी रोजगार
4. आत्म निर्भरता
5. विकास प्रक्रिया में जन सहयोग
6. पर्यावरण संतुलन, अर्थात् भूमि, जल और वन आदि भौतिक साधनों का समुचित एवं उपयुक्त प्रबन्ध ।

ये उद्‌देश्य परस्पर जुड़े हुए है, अतः विकास की समन्वित पहल के अन्तर्गत इनके बीच किसी भी विरोधाभास को समाप्त करना चाहिये ।

विकास शील देशों के सम्मुख सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है सामाजिक न्याय के साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास प्राप्त करना । इसमें कोशिश यही रहती है कि सामाजिक-राजनीतिक विकास विचार प्राप्त किया जाये या संचालन ढाँचा उपलब्ध करा दिया जाये । सक्रिय सहयोग में विकास प्रक्रिया में लोगों का योगदान और नियंत्रण से सामाजिक-राजनीतिक प्रणाली आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए अधिक उपयुक्त बन जायेगी और सामाजिक न्याय की स्थापना में अधिक सफलता मिल सकेगी ।

जन सहयोग ही मुख्य लक्ष्य :

नई विकास नीति के अन्य उद्देश्य तब प्राप्त हो सकते है जब लोग विकास संबंधी सभी कार्यों में शामिल होने लगेंगे जैसे निर्णय प्रक्रिया, क्रियान्वयन, प्रगति की देखरेख, मूल्यांकन और लाभ का वितरण । उदाहरण स्वरूप विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में लोगों के सहयोग से ऐसी परियोजनायें चुनने में मदद मिल सकती हैं जो उनके लिए सीधे लाभ की है और जो अधिक लाभकारी रोजगार उपलब्ध करायेंगी । साथ ही बेकार और खाली श्रम शाक्ति को रोजगार उत्पादन में लगाने से उत्पादन भी बढ़ेगा और पूरी प्रणाली आत्म निर्भरता की ओर अग्रसर हो सकेगी ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण जन सहयोग है विकास परियोजनाओं के लाभों को मिलकर आपस में बाँटना । इस काम में समानता का पहलू जुड़ा है । इसी प्रकार जनसहयोग से ही भूमि, जल और बन जैसे प्राकृतिक साधनों का बेहतर प्रबंध संभव हो सकता है । यह तथ्य अनेक सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर आधारित है ।*

समन्वित ग्रामीण विकास - संकल्पना :

समन्वित ग्रामीण विकास की संकल्पना विकासशील देशों में 1970 के पश्चात् अपनायी गयी । 1976 में भारत सरकार ने भी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को 26 चुने हुए जनपदों में प्रारम्भ किया तथा इन जनपदों के 'विकास' अनुभवों के आधार पर 1978-79 से 'समन्वित विकास कार्यक्रम' संपूर्ण देश में प्रारम्भ किया गया ।[2] सम्प्रति संपूर्ण राष्ट्र में युद्ध स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए इसका वृहद् रूप में विवरण प्रस्तुत है ।

कार्यात्मकता एवं स्थानिक संगठन समन्वित ग्रामीण विकास संकल्पना के केन्द्रक हैं । कार्यात्मकता , समस्त सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों का समन्वित प्रारूप है । यह जनजीवन को निरन्तर प्रभावित करती रहती है तथा इसमें दिन प्रतिदिन विकास प्रक्रियाओं से प्रभावित कृषि, उस पर आधारित उद्योग एवं अन्य धन्धे केन्द्रीय भूमिका का निर्वाह करते हैं । परिवहन, संचार शिक्षा एवं अन्य सांस्थानिक सुविधायें, कार्यात्मक समन्वय को गति

* रोजगार समाचार 6-12 अप्रैल प्रो0 एस.एन.मिश्रा

प्रदान कर जनजीवन को ऊँचा उठाने में आधारीय सहयोग प्रदान करती हैं । सामान्यतः समान्वित ग्रामीण विकास किसी क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक क्रियाओं के समुचित वितरण एवं अवस्थिति से सम्बन्धित है, जिससे उसका सन्तुलित विकास हो सके ।[3] साथ ही ' हर एक के लिए न्यूनतम और जहाँ तक सम्भव हो उच्च स्तर तक ' से सम्बन्धित है ।[4] वस्तुतः इसमें विकास के वे सभी घटक (कम्पोनेण्ट) समन्वित है, जिनसे ग्रामीणों को सामाजिक न्याय मिल सके ।[5] इस प्रकार समन्वित ग्रामीण विकास बहुपक्षीय एवं बहुगत्यात्मक है, जो ग्रामीण विकास के विभिन्न घटकों के कार्यात्मक स्थानिक अध्यारोपण तथा बहुस्तरीय, बहुवर्गीय एवं बहुक्षेत्रीय से सम्बन्धित है और विभिन्न धन्धों (सेक्टर्स) एवं स्थानिक अन्तर्सम्बद्ध पद्धति का प्रतिफल है ।[6]

समन्वित ग्रामीण विकास संकल्पना के आधार :

इस संकल्पना के प्रमुख आधार ये हैं : -

अ. निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर नियोजन प्रक्रिया को अपनाना जिससे क्षेत्रीय असन्तुलन कम किया जा सके ।

ब. स्थानीय संसाधनों का विकास एवं उसका विवेकपूर्ण उपयोग, जिससे परिस्थैतिक सन्तुलन बना रहे ।

स. विभिन्न धन्धों (सेक्टर) का आनुपातिक विकास, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े ।

द. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बहुसंख्यक लोगों की जीवन निर्वाह की मुख्य दशाओं में सुधार ।

य. अवस्थापना एवं सेवाओं का विकास, जिससे क्षेत्रीय अन्तर्सम्बद्धता दृढ़ हो ।

समन्वित ग्रामीण विकास के आयाम :

यह बहुउद्देशीय प्रक्रियाओं से सम्बद्ध बहु आयामी है ।[7] सामान्यतः आर्थिक-सामाजिक -भौतिक-प्राविधिक एवं संगठनात्मक तत्व प्राथमिक कारक हैं, जो विकास प्रक्रिया के आयोजना के लिए किसी भी समय महत्व रखते है ।[8] वस्तुतः समन्वित ग्रामीण विकास बहुआयामी है । इसके अन्तर्गत बहुस्तरीय, बहुधन्धीय एवं बहुवर्गीय[9] विकास का आधार माना जाता है । (मानचित्र संख्या 1.1ए.)

समन्वित ग्रामीण विकास
बहुधन्धी बहुवर्गीय बहुस्तरीय संकल्पना

विकास पिरामिड

बहुस्तरीय स्थानिक पदानुक्रम में ग्राम या ग्राम समूह, विकास खण्ड , जनपद प्रदेश एवं सेवा केन्द्र है । बहुधन्धी (मल्टी सेक्टर) में प्राथमिक (मानव द्वारा की जाने वाली वे समस्त आर्थिक क्रियायें जो मुख्यतः प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को प्राप्त एवं एकत्र करने से सम्बन्धित है, जैसे कृषि, खान खोदना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, शिकार करना आदि) द्वितीयक उद्योग (वे व्यवसाय जिनमें प्राथमिक व्यवसायों से प्राप्त उत्पादक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किये जाते हैं और उनको अधिक उपयोग एवं मूल्यवान वस्तुओं में बदला जाता है, जैसे लकड़ी से फर्नीचर, कपास से सूती वस्त्र आदि । इस प्रकार जो व्यवसाय विनिर्माण उद्योगों की देन है वे द्वितीयक व्यवसाय है) और तृतीयक व्यवसाय (समुदाय को दी जाने वाली व्यक्ति सामुदायिक एवं व्यवसायिक सेवायें यथा-शिक्षा, स्वास्थ्य व्यापार, यातायात, बैंक, संचार तथा प्राशासनिक सेवायें) सम्मिलित है । ये ग्रामीण केन्द्रों की अपेक्षा शहरी केन्द्रों में अधिक विकसित है । बहुवर्गी (मल्टी सेक्शन) में पिछड़े एवं कमजोर वर्ग, आर्थिक विपन्न मजदूर छोटे व लघु कृषक, शिक्षित बेरोजगार आदि के सामाजिक-आर्थिक विकास को सम्मिलित किया जाता है ।

(अ) बहुस्तरीय आयाम :

यह नियोजन प्रक्रियाओं के विकेन्द्रीकरण[10] पर आधारित है । इस संकल्पना का हृदय 'विकेन्द्रीकरण' है । जोत, ग्राम, पंचायत, विकास खण्ड और जनपद [11] आदि इसके विभिन्न स्तर है । बहुवर्गी एवं बहुक्षेत्रीय संकल्पना का आधार होने के फलस्वरूप हर स्तर का विशेष महत्व है, क्योंकि ये स्तर पदानुक्रम में एक दूसर से अन्तर्सम्बद्ध हैं । विकास प्रक्रियाओं को अधः से शीर्ष की ओर क्रियान्वित करने पर विशेष बल इस आयाम में समाहित है । इस प्रकार लघुस्तरीय आधार पर स्थानीय संसाधनों के सदुपयोग से संबंधित लोगों का विकास किया जा सकता है । वस्तुतः लघु स्तर पर ही सर्वेक्षण के आधार पर वर्ग एवं धन्धे के विकास की आयोजना सफल होगी । ये लघु स्तरीय इकाईयाँ अपने अवस्थापना से अपने सें बड़े स्तर से जुड़ी रहेंगी । फलतः लघुस्तरीय विकास योजना बड़े स्तर के लिये उत्तरदायी होंगी । इससे क्षेत्रीय अन्तर्सम्बद्धता बढ़ेगी और सन्तुलित ग्रामीण विकास होगा । विकास पिरामिड द्वारा विकास के विभिन्न अवयवों एवं चरणों को निरूपित किया गया है । बहुस्तरीय आयाम में इसके विभिन्न चरणों को अंगीकृत किया जाता है । (मानचित्र

(ब) बहुधन्धी आयाम :

यह मूलतः कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्रियाकलाप (प्राथमिक) उद्योगों (द्वितीयक) तथा ग्रामीण सेवाओं (तृतीयक) को समन्वित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमबद्ध करने के सिद्धान्त पर आधारित है । वस्तुतः ग्रामीण समाज के विविध वर्गों को प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में नियोजित ढंग से सम्बद्ध कर देने से वर्गों एवं क्षेत्रों का बहुमुखी विकास निश्चिततः होगा । सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र ही पिछ्ड़ा हुआ है । इसलिए प्राथमिक क्षेत्र पर ही सर्वप्रथम ध्यान देने की आवश्यकता है । इसका विकास कर ग्रामीण समुदाय के अधिसंख्यक एवं गरीब वर्ग को रोजगार दिया जा सकता है । आनुपातिक रूप से द्वितीयक एवं तृतीयक धन्धों के विकास द्वारा और रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है । वस्तुतः प्राथमिक धन्धे के तीव्र विकास से द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों का स्वयं विकास होगा । सम्प्रति प्राथमिक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति देखी जा रही है । अतः द्वितीय क्षेत्र की उदासीनता को दूर करना होगा । इसमें ग्राम्य एवं अन्य प्रकार के उद्योगों का विकास करना आवश्यक है ।

(स) बहुवर्गी आयाम :

यह समन्वित ग्रामीण विकास की केन्द्रीय संकल्पना है । इसमें जनसंख्या के सबसे दरिद्र वर्ग के जीवन स्तर में अभिलक्षित उन्नति तथा बेरोजगारी को दूर करना सम्मिलित है । विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सरकार द्वारा न्यूनतम श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए प्राविधान किये गये हैं यथा पेयजल, स्वास्थ्य, प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और भूमिहीनों के लिए ग्रामीण आवास आदि।[12] इनमें बेरोजगार एवं दरिद्र वर्ग के लिए अतिरिक्त रोजगार की सुविधा सृजित करके उनके जीवन स्तर को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना तथा योजनाबद्ध प्रयासों द्वारा उन्हें ऊपर लाने का प्राविधान किया गया है तथा अन्त्योदय सिद्धान्त के अनुरूप दरिद्रतम परिवारों को ऊपर उठाने की व्यवस्था की गई है । परिवार को आधारभूत इकाई मानकर समन्वित ग्रामीण विकास में जीवन स्तर सुधारने की नीति के अनुसार प्रयत्न होना चाहिये । जीवन स्तर तथा

आर्थिक स्तरीकरण के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 50.85 प्रतिशत जनसंख्या (1977-78) गरीबी रेखा से नीचे थी । विकास कार्यक्रमों द्वारा 1982-83 एवं 1987-88 तक क्रमशः 38.7 एवं 27.28 प्रतिशत ही गरीबी रेखा से नीचे रह जायेंगे, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।[13] अतएव चार में से मात्र एक भूखा नंगा रहेगा । यदि विकास स्तर को बहुवर्गीय आयाम के अन्तर्गत समताधर्मी नीति के अनुसार द्रुतगति तथा योजनाबद्ध ढंग से पूर्ण निष्ठा के साथ लागू किया जाय, तो सम्भवतः लक्ष्य को और अधिक सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है ।

समन्वित ग्रामीण विकास - लघुस्तरीय आधार आयोजना :

स्वतंत्रता प्राप्ति के तीन दशकों में विकास योजनायें वृहद से लघु स्तर के विकास अभिगम द्वारा संचालित की गयी जिससे असफल हुई । सम्प्रति आवश्यकता को देखते हुए लघु स्तरीय योजनाओं का महत्व समझाकर समझकर लघ स्तर से वृहद स्तर अभिगम को अपनाया गया है । विकास सुविधाओं के न्याय संगत वितरण तथा क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए विक्रेन्दीकरण की प्रकिया में लघु स्तरीय नियोजन महत्वपूर्ण होता है । विकास प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए विकास की लघु स्तरीय इकाई विकास खण्ड बनाया गया है । ये विकास प्रक्रियाओं को आधारीय सहयोग प्रदान करते हैं [14] और एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते है । सामान्यतः विकास खण्ड विकास की इकाई है, न कि राजस्व की ।[15] चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जनपद को विकास की आदर्श इकाई के रूप में चुना गया । फलतः योजनायें जनपद स्तर पर बनी और उनका क्रियान्वयन हुआ । जनपदीय योजनायें प्रदेश (राज्य) स्तर के लिए उत्तरदायी तो रहीं, लेकिन उनका लाभ ग्रामों को न मिल सका । दन्तवाला ने विकास खण्ड स्तर पर नियोजन प्रक्रिया अपनाये जाने पर बल देते हुए यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि विकास खण्ड स्तर की विकास आयोजना एक ओर जनपद एवं प्रदेश (राज्य) से सम्बन्धित है, तो दूसरी ओर ग्रामों से भी । इस प्रकार ग्रामों का नियोजन विकास खण्ड के नियोजन के साथ जनपद के नियोजन को समन्वित करता है। कुछ विद्वान ग्राम समूह अथवा मण्डल या पंचायत को जिनकी जनसंख्या 15,000-20,000

तक हो, विकास की इकाई मानते हैं ।[16] लघुस्तरीय अभिगम द्वारा स्थानीय संसाधनों के सम्यक उपयोग तथा आर्थिक - सामाजिक क्रियाओं की सम्यक स्थापना सम्भव है । इस दिशा में विकास खण्ड आदर्श इकाई है । क्योंकि यह जनपद से छोटी तथा ग्राम से बड़ी योजना इकाई मानी गयी है ।[17] विकास खण्ड जैसी छोटी इकाई में भी भौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक विविधता प्रतिबिम्बित होती है जो आयोजकों के ध्यानाकर्षण में सक्षम होती है । निश्चय रूप से यह बहुस्तरीय आयोजना के लिए आदर्श है तथा विकेन्द्रित नियोजन की माध्यम इकाई है ।

संदर्भ

1. थापर, एस0डी0 (1980), ' ब्लाक लेबल प्लानिंग ', विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ0 1.

2. 'एकीकृत ग्रामीण विकास (आई0आर0डी0) कार्यक्रम मार्ग निर्देशिका एवं समेकित अनुदेश ' (1980), उ0प्र0 सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, लखनऊ , पृ0 10.

3. शर्मा, एस0के0 एवं मलहोत्रा, एस0एल0 (1979) ' इन्टेग्रेटेड रूरल डेवेलपमेण्ट एप्रोच स्ट्रेटजी एण्ड प्रास्पेक्टिव ', अभिनव पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ0 691.

4. भावे, जी0पी0 (1981), ' इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स एण्ड इन्टेग्रेवेड रूरल डेवेलपमेन्ट', कुरूक्षेत्र, जुलाई 16, पृ0 3.

5. सेन, एल0के0 एवं अन्य, (1971) ' प्लानिंग रूरल ग्रोथ सेन्टर्स फार इन्टेग्रेटेड एरिया डेवेलपमेन्ट - ए स्टडी इन मिरालगुदा तालुका ' एन0एन0आई0सी0डी0, हैदराबाद, पृ0 21.

6. कायस्थ, एस0एल0 एण्ड सिंह राम बाबू (1980) ' डाइमेन्सन्स आफ इन्टेग्रेटेड रूरल डेवेलपमेन्ट 'एन0जी0एस0आई0, बी0एच0यू0, वाराणसी, पृ0 48.

7. तिवारी, बी0आर0 (1981) ' कोआर्डिनेशन एक्शन एण्ड इण्टेग्रेटेड रूरल डेवेलपमेन्ट ', कुरूक्षेत्र, (इन्डियन जर्नल आफ रूरल डेवेलपमेन्ट), जनवरी ।

8. कायस्थ, एस0एल0 वही, पृ0 48.

9. राय, प्रदीप्तो एण्ड पाटिल (1977) ' मैनुअल फार ब्लाक लेवल प्लानिंग, ' मैकमिलन,नई दिल्ली, पृ0 16.

10. सिन्हा, एस0पी0, (1979), ' इण्डियन प्लानिंग नीड फार डिसेन्ट्रालाइजेशन', खादी ग्राम उद्योग, 26 (3) दिसम्बर, पृ0 120-129.

11. मिश्रा, आर0 पी0 एण्ड सुन्दरम् वी0 के0 (1980), ' मल्टीलेवल प्लानिंग एण्ड इन्टेग्रेटेड रूरल डेवेलपमेन्ट इन इण्डिया ', नई दिल्ली , पृ0 7.

12. 'एकीकृत ग्रामीण विकास ', वही, पृ0 1.

13. पटेल, ए0आर0एन0, (1981) 'एक्शन प्लान फार वीकर सेक्शन', कुरूक्षेत्र, 16 जुलाई ।

14. सिंह मंगला, वही पृ0 101.

15. सेन, ललित के0 एवं अन्य वही, पृ0 3.

16. राव आर0 ह्री (1978), ' रूरल इण्डस्ट्रियल लाइजेशन इन इण्डिया ' कन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, पृ0 20.

17. राव, डी0 राघव, (1980) 'पंचायत एण्ड रूरल डेवेलपमेन्ट', आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ0 7.

अध्याय - द्वितीय

भौतिक एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप

अध्ययन क्षेत्र का नामकरण एवं ऐतिहासिकता :

मुख्यालय शहर गाजीपुर के नाम पर अध्ययन क्षेत्र गाजीपुर जनपद का नाम पड़ा है । हिन्दू मान्यताओं के अनुसार राजा गाधि के नाम पर गाधिपुरा नगरी थी । बाद में चलकर स्थानीय लोग इसे गाजीपुर के नाम से पुकारने लगे ।[1] गाजीपुर की स्थापना के संबंध में कहा जाता है कि राजा मानधाता दिल्ली के राजा पृथ्वीराज के अधीन था जो एक बार भगवान जगन्नाथ का उत्सव मनाने के लिए पाँच ब्राहम्णों के निर्देशन में एक तालाब में स्नानकर अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त किया और वहीं बस गया और एक किले का निर्माण किया जो बाद में चलकर नगर के रूप में विकसित हुआ । हर्षवर्धन के शासन काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग (630-644 ए.डी.) ने इस क्षेत्र की यात्रा काशी से पाटलिपुत्र जाते हुए की । उसने इसका नाम ' चेन चू ' रखा जिसका शाब्दिक अर्थ 'युद्ध साम्राज्य की राजधानी' है ।[2] इसे युद्धपति पुरा, युधरनपुरा और गरजपति पुरा के नाम से जाना जाता है । कनिंघम के अनुसार गरजपति पुरा के नाम से जाना जाता है । कनिंघम के अनुसार गरजपति पुरा आधुनिक गाजीपुर की राजधानी थी । गाजीपुर के निर्माण की तिथि सन् 1330 है ।[3] मसूद ने अपना नाम मलिक उस सादात गाजी रखा और उसने एक शहर बसाया जो आगे चलकर गाजीपुर के नाम से जाना जाने लगा । मीर जमानुल्लाह जंगीपुर ने लिखा है कि गाजीपुर की स्थापना 1713 ए.डी. में हुई ।[4]

अध्ययन क्षेत्र की ऐतिहासिकता एवं उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ही इसकी पहचान है । पाषाण काल से लेकर आधुनिक काल तक की घटनाओं एवं इतिहास को अपने में संजोये हुए है । कार्लाले ने खोजों से सिद्ध किया कि बुद्धपुर एवं जहूरगंज बस्तियाँ एवं टीले पाषाण कालीन हैं ।[5] पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित है कि अध्ययन क्षेत्र की ऐतिहासिकता काफी प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है । खुदाई से प्राप्त सोने चाँदी व ताँबे के सिक्कों स्तूप लाट मूर्तियों एवं दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं इसके प्रमुख साक्ष्य हैं ।

पुराणकाल में मनु के पौत्र पुरूरवा . ऐला का राज्य था । इस क्षेत्र में कौरवों एवं पाण्डवों का भी राज्य था । जरासंध के राज्य की सीमा गाजीपुर तक थी । खेरा बुद्धपुर, कृलेन्द्रपुरा, रामात वाक्कु, जहूरगंज, मसवान डीह, युद्धपतिपुरा, गरजपतिपुरा आदि गाँव व टीले पुरातात्विक दृष्टि से अति प्राचीन एवं महतवपूर्ण है । जैन व बुद्ध धर्मग्रंथों में इस क्षेत्र का विस्तृत वर्णन मिलता है । सोलसा महाजनपद काशीराज के अधीन था । अध्ययन क्षेत्र पर काशी, कोशल, मगध, नन्द मौर्य, सुंग,कनवास, कुषाण गुप्त, वर्धन, गुजरात के परिहार राजाओं का राज्य था ।

गुप्तकाल में सैदपुर भीतरी व औड़िहार के आसपास के क्षेत्रों का काफी महत्व था । भीतरी गाँव में खुदाई से प्राप्त स्वर्ण व चाँदी की मुद्रायें, बौद्ध स्तूप, लाट तथा मूर्तियाँ आदि मिली हैं । स्कन्दगुप्त ने पुष्यमित्र को इसी जगह पराजित किया था और उसने लाल पत्थर के एक स्तम्भ पर अपनी विजय एवं कीर्ति को लिखवाया । सन् 1834 में ड्रेगियर ने इसे सर्वप्रथम देखा था जो अभिलेख मिट्टी के नीचे दबा था ।[6] 1836 में लार्ड कनिंघम ने खुदायी कराकर यह लेख प्रकाश में लाया । यह लेख पालि लिपि में लिखा गया है । यथा -

विचलित - कुल लक्ष्मी - स्तम्भनामोद्यतेन

क्षितितल शयनीये येन नीता त्रियामा ।

समुदित वल - कोश - राष्ट्रं - मित्राणिय क्त्वा

क्षितिप - चरण पीछे स्थापितो वाम - पादः

पितरि दिवभुपेते विप्लुतां वंश - लक्ष्मी

भुजवल - विजितारिर्थ्यः प्रतिष्ठाप्यभयः

जितमिति परितोषा न्मातरं साम्र नेत्वां

हतरिपुरि व कृष्णो देव कीयम्युये ।[7]

प्राचीन काल की भाँति मध्य काल में भी इसका गौरवमय इतिहास रहा है ।

कन्नौज के राजा जयचन्द्र, मुहम्मदगोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक आदि राजाओं का राज्य था । गाजीपुर जनपद जौनपुर राज्य के अधीन था जिस पर मलिक सरवर ख्वाजा जहान का शासन था । सन् 1394 में शासन की बागडोर संभाली और अपना नाम बदलकर सुल्तान उल शार्क रखा । उसकी मृत्यु के पश्चात् मुबारक शाह राजा बना । लोदी वंश के राजाओं बहलोल लोदी, सिकन्दर लोदी व इब्राहिम लोदी ने यहाँ शासन किया । सर्वप्रथम गाजीपुर के गवर्नर नसीर खान नुहानी गाजीपुरी नियुक्त हुए तभी से अध्ययन क्षेत्र को गाजीपुर नाम से जाना जाता है । 16 वीं शताब्दी में हमजापुर व कुछ मुसलिम मुहल्लों की स्थापना हुई । बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब आदि मुगल सम्राटों के अधीन यह क्षेत्र रहा । शेरखाँ (शेरशाह सूरी) और हुमायें के बीच चौसा का युद्ध इसी क्षेत्र में हुआ । हुमायूँ युद्ध में हार गया और अपनी जान बचाने के लिए गंगा में कूद गया जिसे एक भिश्ती ने बचाया । हुमायूँ गाजीपुर स्थित भुड़कुड़ा में रात्रि विश्राम किया और दिल्ली की ओर भागा । 1559 में अली कुली खान खान जमाल ने जमानियों को बसाया । सन् 1563 में खान जमान ने अकबर के खिलाफ बगावत कर दी और गाजीपुर को अपने अधीन कर लिया किन्तु बाद में अकबर ने विद्रोह को कुचल दिया । मुनीम खान इ खालान को इसका गवर्नर नियुक्त किया । इसके पश्चात् पहाड़ खाँ को गाजीपुर का फौजदार नियुक्त किया गया जिसने गाजीपुर में सकलेना बाद के पास एक विशाल तालाब खुदवाया जिसे पहाड़ खाँ का पोखरा कहते हैं । तालाब के पूर्वी छोर पर पहाड़ खाँ का विशाल मकबरा बना है जो जीर्णावस्था में है । पहाड़ खाँ की मृत्यु के पश्चात् मिर्जा सुल्तान गाजीपुर का फौजदार बना । शाहजहाँ व औरंगजेब के शासन काल में गाजीपुर का गवर्नर नवाब सूफी बहादुर था जिसका मकबरा नौली में स्थित है । बाद में हातिम खान ने अपना किला हातिमपुर में बनाया । फारूखसियर ने 11 जनवरी 1713 ई को जहानदार शाह से शासन की बागडोर छीन लिया जिसकी 28 सितम्बर 1713 को हत्या कर दी गयी और मुहम्मद शाह गद्दी पर बैठा । बदलते घटना क्रमों के कारण गाजीपुर पर अवध के नवाबों का अधिकार हो गया । रूस्तम अली खान 1738 तक शासन किया । शेख अब्दुल्ला ने गाजीपुर को एक सुन्दर रूप दिया।

उसने जलालाबाद किला, चिहाल सत्न किला कासिमाबाद एवं गाजीपुर शहर के पार मँगई नदी पर पुल का निर्माण कराया । इसके अतिरिक्त उसनेएक मस्जिद, इमामबाड़ा, तालाब, नवाबबाग आदि बनवाया ।[9] सन् 1744 में उसकी मृत्यु हो गयी ओर गाजीपुर पर काशीनरेश बलवन्त सिंह के पुत्र चेतसिंह को हटाकर काशी को अपने अधीन कर लिया । लार्ड कार्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर में 5 अक्टूबर 1805 ई0 को हुई जिसका विशाल मकबरा गाजीपुर चोचकपुर मार्ग पर डिग्री कालेज के पास गंगा नदी के किनारे बना है । गंगा के बाये तट पर स्थित पवहारी बाबा का आश्रम, भुड़कुड़ा एवं हथियाराम धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान है । पवहारी बाबा हेतु स्वामी विवेकानन्द एवं रवीन्द्र नाथ टैगोर भी पधारे । 20 वीं शताब्दी का इतिहास काफी गौरवमयी एवं संघर्ष पूर्ण है । सन् 1916 ई0 में गाजीपुर राजनीतिक क्रियाकलाप का केन्द्र बना । श्री भगवती मिश्र ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यालय गाजीपुर में खोला ।[10] होमरूल आन्दोलन, रौलट बिल, खिलाफत आन्दोलन, साइमन कमीशन , भारत छोड़ो आन्दोलन आदि ने अपनी कुर्बानियाँ दीं । मुहम्मदाबाद युसुफ, नन्दगंज व सादात की हृदय विदारक घटनायें तथा पिपरीडीह ट्रेन काण्ड व आकुसपुर काण्ड यहाँ के क्रान्तिकारियों के साहस एवं शौर्य की कहानियाँ कहती है ।

स्थिति एवं विस्तार :

सन् 1818 ई0 में गाजीपुर एक जनपद इकाई के रूप में उभरकर मानचित्र पर अंकित हुआ जिसके अन्तर्गत वर्तमान बलिया जनपद, नरवन (वाराणसी), चौसा (शाहाबाद बिहार), आजमगढ़ का सगड़ी, घोसी, परगना, मऊ एवं मुहम्मदाबाद का क्षेत्र सम्मिलित था । सन् 1954 में वर्तमान प्रशासनिक ढाँचे का रूप दिया गया ।[11] गाजीपुर जनपद का विस्तार $25.^{0}19'$ - $25^{0}.54'$ उत्तरी अक्षांश तथा $83^{0}.$ - $83^{0}.58'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है । जनपद का संपूर्ण क्षेत्रफल 3377 वर्ग कि0मी0 है । इसके पश्चिम में आजमगढ़ उत्तर पूर्व में बलिया, पश्चिम में जौनपुर, दक्षिण में वाराणसी तथा दक्षिण पूर्व में बिहार का शाहाबाद जनपद स्थित है । कर्मनाशा नदी इसकी सीमा निर्धारित करती है । (मानचित्र संख्या 2.1 ए) पूर्व से पश्चिम अधिकतम लम्बाई 20 कि0मी0 तथा उत्तर से

दक्षिण अधिकतम चौड़ाई 64 कि0मी0 है ।

प्रशासनिक दृष्टि से जनपद को चार तहसीलों में विभक्त किया गया है यथा सैदपुर, गाजीपुर, मुहम्मदाबाद और जमानियाँ । जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 1114.21 वर्ग किमी0 , 677.24 वर्ग कि0मी0, 820.06 वर्ग कि0मी0 एवं 768.79 वर्ग कि0मी0 है । विकास खण्डों की दृष्टि से सम्पूर्ण जनपद को 16 विकास खण्डों में विभक्त किया गया है । जिनके नाम क्रमशः गाजीपुर, करण्डा, विरनो, मरदह, सैदपुर, देवकली, सादात, जखनियाँ, मनिहारी, मुहम्मदाबाद, भाँवरकोल, कासिनाबाद, बाराचवर, जमानियाँ, भदौरा एवं रेवतीपुर है । (मानचित्र 2.1 बी.)

संरचना :

अध्ययन क्षेत्र गंगा के विशाल मैदान का मध्यवर्ती भाग है जिसका सम्पूर्ण भू-भाग सामान्यतः समतल है । नदीय तटीय क्षेत्रों में अपरदन के कारण असमतल भू भाग दिखाई देता है । सम्पूर्ण जनपद की औसत ऊँचाई 70 मीटर है । जनपद के उत्तर पश्चिम में यह ऊँचाई 75 मीटर तथा द0पू0 में 65 मीटर है । सम्पूर्ण भाग का औसत ढाल नदियों के बहाव की दिशा के अनुकूल है । गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ पूर्व से पश्चिम तथा प0उ0म0 से पूर्व की ओर बह रही हैं । यह मैदान बालू और मिट्टी की तहों का बना हुआ है ।[12] प्रसिद्ध भू-गर्भशास्त्री एडवर्ड सुएस के अनुसार गंगा का मैदानी भाग हिमालय के अत्यधिक बलन के सम्मुख स्थित अग्रगर्त जो स्थिर एवं ठोस दक्षिणी पठारी भू-भाग से आरोपित रहा है का एक भू अभिनतीय भाग है ।[13] डी0 एन0 वाडिया के अनुसार[14] इस समतल मैदानी भू भाग का निर्माण गंगा एवं घाघरा नदियों द्वारा लायी जलोढ़ निक्षेप से हुआ है । इसकी मोटाई अनिश्चित एवं विवादास्पद है । ओल्डहम[15] ने जलोढ़ निक्षेप की मोटाई 5000 - 6000 मीटर बताया । नवीनतम खोजों के अनुसार इसकी मोटाई 1520 मीटर है । (मानचित्र सं0 2.2 ए.)

उच्चावच :

अध्ययन क्षेत्र में नदियों एवं नालों के कारण ही धरातल में कुछ विसंगति पाई जाती है । महत्वपूर्ण उच्चावचीय दृश्यों के अभाव में भूतल समतल मैदानी क्षेत्र है । गंगा नदी के कार्य परिवर्तन एवं छोटी नदियों के धरातल विच्छेदन में उत्पन्न भू दृश्यों के कारण धरातलीय स्वरूप में कहीं-कहीं विभिन्नता आ गई है । यह विभिन्नता नदी छाड़न, झील, तालाब एवं जलाशयों के रूप में दिखाई देती है ।

सागर तल से इसकी औसत ऊँचाई लगभग 75 मीटर है । अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक ऊँचाई 82.1 मीटर जखनियाँ गोविन्दगाँव की है । न्यूनतम ऊँचाई 68.2 मीटर वारागाँव के समीप है । सर्वाधिक ढाल (0.00063^0) नगसर पट्टी - वेतावर तथा सराय गोकुल - विरनो के मध्य तथा न्यूनतम ढाल (0.00014^0) मादह - मटेहूँ एवं मौधा - औड़िहार के बीच है । (मानचित्र 2.2 ए.)

अध्ययन क्षेत्र को उच्चावच की दृष्टि से प्रमुख तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है -

1. उत्तरी उच्चभूमि ।
2. मध्यवर्ती निम्न भूमि ।
3. दक्षिणी गंगा उच्च भूमि ।

उपरवार (उच्च भूमि के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 42.5 प्रतिशत भाग आता है जिसके अंतर्गत सादात जखानियाँ, मनिहारी, विरनो, मरदह, कासिमाबाद तथा बाराचवर विकास खण्ड सम्मिलित हैं । इसको तीन उपखण्डों में बाँटा जा सकता है -

(1) छोटी सरयू बेसू मैदान ।
(2) मँगई - बेसू मैदान ।
(3) बेसू - गांगी मैदान ।

मध्यवर्ती निम्न भूमि के अन्तर्गत 48 प्रतिशत भू भाग सम्मिलित है जिसमें सैदपुर,

DISTRICT GHAZIPUR

PHYSIOGRAPHIC DIVISION

B

CHHOTI SARAJU N.
I-A
MANGAI N
BESU N
I-B
GANGI N
RIVER
GOMATI N.
GANGA
II
KARAMNA N.
10 0 10 20
K.M.

I NORTH GANGA PLAIN
A BESU-CHHOTI SARJU PLAIN
B BESU-GANGA PLAIN
II SOUTH GANGA PLAIN

SURFACE CONFIGURATION

A

72
70
68
66
72
70
66
68
70 — CONTOUR (M)

SOILS

C

देवकली, गाजीपुर, कारण्डा, मुहम्मदाबाद एवं भाँवरकोल के खादर क्षेत्र सम्मिलित हैं ।

निम्न उच्चभूमि जनपद के दक्षिणी भाग में गंगा एवं कर्मनाशा नदियों के मध्य स्थित है । इसका कुल क्षेत्रफल 9.5 प्रतिशत है । हिमायल से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से इस मैदान का प्रादुर्भाव हुआ है । यह निक्षेपण काल प्लीस्टोसीन काल में प्रारंभ हुआ था जो आज भी निरन्तर निक्षेपित हो रहा है । प्रसिद्ध भूगर्भवित्ता एडवर्ड सुऐस के अनुसार हिमालय के निर्माण के समय उसके तथा पठार के बीच एक गर्त का निर्माण हो गया था जिसका नामकरण उन्होंने विशाल खड्ड (टिथीज सागर) रखा । हिमालय से आने वाली नदियों ने अपने साथ लाये गये तलछट को इस क्षेत्र में जमाकर दिया जिससे विशाल मैदान का सृजन हुआ । प्रतिवर्ष गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ लाखों टन नवीन मिट्टी का निक्षेपण करती हैं। इनमें चीका एवं रेत की प्रधानता है । यह भू भाग बाँगर और खादर नामक भूमि से बना हुआ है । प्राचीन जलोढ़ एक बड़े भू-भाग पर विस्तृत है । नये जलोढ़ अर्थात् खादर प्रायः बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में ही पाये जाते हैं ।[16]

भौतिक विभाजन

उच्चावच एवं अपवाह की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र को निम्नलिखित तीन भौतिक विभागों में विभंक्त किया गया है (मानचित्र संख्या 2.2 बी.)

1. उत्तरी गंगा का मैदान :

छोटी सरयू एवं गंगा के मध्य स्थित इस भू-भाग का क्षेत्रफल 23.66 वर्ग कि0मी0 है जो जनपद के क्षेत्रफल का 69.9% है । उत्तरी गंगा मैदान को दो उपविभागों में विभक्त किया गया है ।

2. बेसो - छोटी सरयू के मध्य का मैदान :

इस भू भाग क्षेत्रफल 12.6 वर्ग कि0मी0 जो जनपद के कुल क्षेत्रफल का 35.9 प्रतिशत है ।

इस मैदानी क्षेत्रफल में तालों एवं झीलों की संख्या अत्याधिक है । इनमें हाथी, कुरावल, असली, बूसर तथा उज्जैन प्रमुख हैं । बेसू नदी के दाहिने किनारे वाला भू-भाग काफी ऊँचा नीचा एवं कटा-फटा हैं जो अपरदन का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है । इस भाग में ऊसर, अम्लीय एवं क्षारीय मिट्टियाँ के छोटे - छोटे क्षेत्र है ।

2) बेसो - गंगा के मध्य का मैदान :

इसका क्षेत्रफल 1150 वर्ग कि0मी0 है जो जनपद के क्षेत्रफल का कुल 34% भाग घेरता है । यह खादर क्षेत्र है जो प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित रहता है । परिणामतः प्रति वर्ष नयी मिट्टी का जमाव होता है जो कृषि के लिए अति लाभदायक है । इस क्षेत्र में कुसा ताल एवं परना झील मुख्य जाल संग्रह क्षेत्र है

2. गंगा का दक्षिणी मैदानी भाग :

यह भू भाग गंगा एवं कर्मनाशा नदी के मध्य जनपद के दक्षिणी भाग में स्थित है । इस मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल 1015 वर्ग कि0मी0 है जो सम्पूर्ण जनपद का 30.10% भाग घेरता है । बड़का ताल एवं गोहदा वाला ताल इस क्षेत्र के मुख्य ताल हैं ।

उपर्युक्त विभाजन के अतिरिक्त अध्ययन क्षेत्र को निम्न तीन प्राकृतिक भागों में भी बांटा जा सकता है --

(1) उत्तरी उच्चभूमि :

गंगा के उत्तर का सम्पूर्ण भू-भाग इस क्षेत्र में सम्मिलित है । सैदपुर , गाजीपुर और मुहम्मदाबाद तहसीलों का अधिकांश भू भाग सामान्य ढाल वाला क्षेत्र है । उच्च भूमि बलुआ है । इसका ढाल गंगा नदी की ओर है ।

(2) निम्न भूमि :

यह गंगा नदी के बाढ़ वाला भू-भाग है । इसमें जलोढ़ मिट्टी का जमाव है जिसे तराई कहते हैं । सैदपुर व गाजीपुर परगना का कुछ भाग तथा करण्डा व मुहम्मदाबाद का अधिकांश क्षेत्र इसमें सम्मिलित है । गंगा के दक्षिण जमानियां शहर एवं सड़कें दक्षिण वाला भू-भाग इसके अन्तर्गत आता है ।

(3) दक्षिणी उच्च भूमि :

कर्मनाशा नदी एवं गंगा नदी के मध्य यह मैदानी क्षेत्र अवस्थित है । इसका ढाल कर्मनाशा एवं पूर्व की ओर है । इसके मध्य भाग में छोटे बड़े कई ताल स्थित हैं ।

अपवाह एवं जलाशय :

अध्ययन क्षेत्र के मध्य गंगा नदी अपनी सहायक नदियों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है । सम्पूर्ण क्षेत्र में अपवाह प्रतिरूप वृक्षाभ प्रणाली में है । गंगा की सहायक नदियों में गांगी, मँगई, बेसो तथा छोटी सरयू हैं जो उ0प0 से बहती हुई गंगा में आकर बायें किनारे मिलती हैं । कर्मनाशा नदी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है । गोमती नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है जो अध्ययन क्षेत्र के द0प0 भाग में बहती हुई कैथी के पास गंगा में मिल जाती है । इसका प्रवाह क्षेत्र बहुत ही कम है । इसकी लम्बाई 30 कि0मी0 है ।

गंगा नदी इस क्षेत्र में 102 कि0मी0 बहती हुई बलिया की ओर चली जाती है। यह नदी दो कुण्डलियों का निर्माण करती है । पहली कुण्डली गंगा गोमती के संगम के पूर्व तथा दूसरी गंगा कर्मनाशा के संगम के पश्चिम अवस्थित है । पहली कुण्डली का आकार अंग्रेजी के यू अक्षर की भाँति एवं सकरा है जबकि पूर्वी कुण्डली का आकार अर्ध चन्द्राकार है । मानचित्र (2.3) को देखने से सुस्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर गोखुर झील का निर्माण हुआ है । पहली कुण्डली भी सैकड़ों वर्षों बाद इस रूप में आ जायेगी क्योंकि इस भू-भाग में गंगा का कटाव काफी तीव्र है और कुण्डली क्रमशः सकरी होती जा रही है । गंगा नदी के मध्य कहीं-कहीं बालुका पुलीनों का निर्माण हुआ है । औड़िहार, सैदपुर, चोचकपुर, पहाड़पुर, करण्डा, गाजीपुर, मैनपुर, जमानियाँ, बारा आदि स्थानों से होती हुई बिहार के शाहाबाद जनपद में प्रवेश कर जाती है । कर्मनाशा नदी विन्ध्यन पठार की कैमूर पहाड़ियों से निकलकर वाराणसी, गाजीपुर के दक्षिणी सीमा से होती हुई बिहार में चली जाती है और गंगा में मिल जाती है । गंगा नदी आजमगढ़ जनपद से निकलकर गंगा में मैनपुर के पास गंगा में मिल जाती है । यह नदी गंगा के लगभग समानान्तर प्रवाहित होती है । बेसो नदी भी आजमगढ़ जनपद से निकलकर उ0प0 से द0पू0 दिशा की ओर जनपद में

CHHOTI SARJU NADI
NADAH TAL
DARITOLI
JAROTHA TAL
MANGAI NADI
BESU
UDANTI NADI
BESU NADI
GUNWA TAL
GANGI NADI
GOMATI RIVER
GANGA
RIVER
ABARKA TAL
KARAMNASA NADI
0 4 0 8 16
K.M.

FIG.2-3

बहती हुई गंगा के बायें किनारे पर मिल जाती है । मँगई नदी अध्ययन क्षेत्र की तीसरी प्रमुख सहायक नदी है जो जनपद के उत्तरी एवं पूर्वी भाग में बहती है । इसका पूर्वी भाग बाढ़ वाला निम्न भूमि का क्षेत्र है । गंगा के बाद यह दूसरी सबसे लम्बी नदी है, जिसकी कुल लम्बाई 99 कि0मी0 है ।

जलाशय :

जनपद का सामान्य ढाल होने के कारण जब नदियों में बाढ़ आ जाती है तो विशेषकर गोमती बेसो एवं मँगई का मार्ग अवरूद्ध हो जाता है । परिणाम स्वरूव विस्तृत भू-भाग जलमग्न हो जाता है । निम्न भूमि वाले क्षेत्रों में जल संचित हो जाता है और जलाशय का रूप धारण कर लेता है । पूरे अध्ययन क्षेत्र में ताल एवं झीलों की संख्या काफी है । उत्तरी उच्च भूमि वाले भू-भाग में मँगई, भैंसही, सरयू वाले भागों में सुप्रवाहित ढाल न होने के कारण बीच - बीच में पानी काफी क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है इनमें सिंगेरा ताल, गोधनी, नादा ताल, मनादार झील, उद्दैन, शेदाताल, परना झील, रिथोन्सा ताल, बड़का ताल एवं रेवतीपुर झील प्रमुख हैं । (मानचित्र 2.3)

बाढ़ क्षेत्र :

बाढ़ इस जनपद की एक मौसमी विशेषता है । गंगा, गोमती, कर्मनाशा एवम् टोन्स नदी के तटवर्ती क्षेत्र प्राय: भीषण बाढ़ के चपेट में आते हैं । नदियों के जल स्तर से बाढ़ की तीव्रता अथवा न्यूनता का सीधा सम्बन्ध है । गंगा नदी का जलस्तर इधर 100 वर्षों के भीतर कई बार खतरे के निशान से ऊपर चला गया था । परन्तु 1898, 1916, 1923, 1935, 1945 से 1948 तक, 1957, 1958 से 1960 तक, 1973, 1975, 1977 एवं 1987 की बाढ़ संकटकालीन स्थिति उत्पन्न कर दी थी । 1948 ई0 की बाढ़ का अनुभव आज भी लोगों को याद है जब गंगा नदी का जल स्तर अप्रत्याशित रूप से काफी ऊँचा उठ गया था । गोमती नदी वर्ष 1891, 1894, 1915, 1946 एवं 1960 में बाढ़ की भयावह स्थिति उत्पन्न की थी जिसमें मानव अधिवास तो विशेष तौर से प्रभावित नहीं हुए परन्तु

खड़ी फसलें प्रायः बर्बाद हो गयी थी । 1955 ई0 में तमसा (सरयू) नदी की बाढ़ से मुहम्मदाबाद तहसील के अनेक गांव बर्बाद हो गये थे । वर्ष सन् 1987 ई0 में कर्मनाशा नदी में आयी बाढ़ ने भयंकर विनाश लीला प्रस्तुत कर दी थी । इस भीषण बाढ़ के बारे में लोगों का विचार है कि इसने पिछले सारे रिकार्ड तोड़ दिये हैं । गायघाट से बाबतपुर तक बड़ी रेलवे लाईन के दाहिने तरफ सम्पूर्ण क्षेत्र बाढ़ से पूरी तरह पीड़ित था ।[16] बाढ़ का पानी भदौरा के आस पास के क्षेत्रों से रेल मार्ग पारकर रेवतीपुर विकासखण्ड के 30 से भी अधिक गांव को अपने चपेट में ले लिया था और भदौरा गहमर के बीच लगभग 1 कि0मी0 रेलवे लाईन बह गई थी ।

मिट्टियाँ

सम्पूर्ण जनपद में नवीन जलोढ़ मिट्टियों का निक्षेपण है , फलस्वरूप मृदा परिच्छेदिका पूर्णतया विकसित नहीं है । उच्चावच एवं अपवाह विन्यास में अन्तर मृदा संरचना में विभिन्नता का मूल कारण है । अध्ययन क्षेत्र की मिट्टी को निम्नलिखित मुख्य चार प्रकारों एवं 10 उपवर्गों में विभक्त किया गया है । (मानचित्र सं0 2.2 सी.)

1. बलुआ मिट्टी :

उत्तरी उच्च भूमि में बलुआ मिट्टी पाई जाती है । गंगा नदी के दोनों किनारों की उच्च भूमि पर इसका विस्तार है । यह कम उपजाऊ मिट्टी है । मृदा परिच्छेदिका अभी भी पूर्ण विकसित नहीं है । इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फासफोरस की मात्रा अधिक है । लवणता मध्यम एवं पी0एच0मूल्य 7.4 है ।

2. दोमट मिट्टी :

दोमट मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से जमानियाँ एवं वाराचवर विकास खण्डों में हैं । इसे गंगापार खादर मिट्टी कहते हैं । यह मिट्टी गेहूँ, जौ, चना आदि फसलों के लिए अत्याधिक उपयुक्त है । इसकी लवणता मध्यम एवम् पी0एच0 मूल्य 7.7 है । कालान्तर में मिट्टी बनावट प्रक्रमों में अत्याधिक विकसित मृदा परिच्छेदिका का निर्माण

किया है जो कहीं - कहीं चूने के संसाधनों से युक्त है । दोमट या मटियार मिट्टी वाले क्षेत्रों के उच्च भूमि में कंकड़ की अधिकता है । दोमट मिट्टी का रंग पीले भूरे से गहरे भूरे के बीच है । यह दो प्रकार की है (1) बलुई दोमट (2) मटियार दोमट ।

3. ऊसर मिट्टी :

ऊसर मिट्टी अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भाग में पायी जाती है जहाँ धान की खेती होती है । जखनियाँ, सादात, सैदपुर, विरनों, मनिहारी विकास खण्डों में छोटे-छोटे टुकड़ों में यह मिट्टी पाई जाती है । यह मिट्टी सामान्य से मध्यम स्तर की क्षारीय है । इसका पी0एच0 मूल्य 6.7 है ।

4. करैल मिट्टी :

यह मिट्टी निम्न भूमि वाले क्षेत्रों में विस्तृत है जिसे तराई मिट्टी कहते हैं । सैदपुर, गाजीपुर परगना, करण्डा, मुहम्मदाबाद जमानियाँ में पाई जाती हे । जलोढ़ निम्न भूमि वाले निक्षेपित करैल मिट्टी दो क्षेत्रों में है । (1) मुहम्मदाबाद मँगई एवं बलिया मार्ग के मध्य का क्षेत्र । (2) जमानियाँ के आसपास का क्षेत्र जिसमें नागसर सोहावल व करहिया क्षेत्र सम्मिलित है । गंगा नदी दक्षिण कर्मनाशा नदी बेसिन में करैल मिट्टी का निक्षेपण पाया जाता है । इसकी लवणता मध्यम एवं पी0एच0 मूल्य 8.2 है । गर्मी के दिनों में नमी की कमी के कारण चट्टानों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ जाती हैं । इसका रंग भूरा या काला होता है । इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है ।

जलवायु :

मानव जीवन को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है । जलवायु के आधार पर ही क्षेत्र की कार्यकुशलता एवं उतपादकता के आधार पर विकास के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन एवं अध्ययन होता है । जलवायु के तत्वों तापमान, आर्द्रता, वर्षा वायु आदि का अध्ययन करना आवश्यक है । (मानचित्र सं0 2.4)

DISTRICT GHAZIPUR
CLIMATIC CHARACTERISTICS
HYTHERGRAPH
MEAN TEMP °C
RAINFALL CM
CLIMOGRAPH
WET BULB TEMP °C
RELATIVE HUMIDITY
RAINFALL
SAIDPUR
GHAZIPUR
MUHAMMADABAD
ZAMANIA
RAINFALL VARIATION OF GHAZIPUR 1975-88
CM
YEARS
RELATIVE HUMIDITY
A+8 30 AM
A+17 30 PM
MONTHS
MAX. TAMP
MINI. TAMP
MONTHS
WIND ROSE
N
NE
E
SE
S
SW
W
NW
19
0 10 20 30 40
DAYS

तापमान :

गाजीपुर जनपद का वार्षिक औसत तापमान 24.8^0 से.ग्रे. है । जनवरी का औसत तापमान 4.2^0 से.ग्रे. तथा मई का औसत तापमान 45.5^0 से.ग्रे. है । जनवरी सबसे ठंडा तथा मई सबसे गर्म माह होता है । गर्मी के दिनों (मई-जून) में प्रायः लू चलती है जो झुलसा देने वाली गर्म होती है । तापमान की विभिन्नता के कारण हवायें स्थल से समुद्र की ओर समुद्र से स्थल की ओर चलती है । अक्टूबर में वायुमण्डलीय वायुभार 1001.5 मि0 बार तथा जनवरी में 1008.4 मिलीबार रहता है । मई में यह बढ़कर 994.2 मि0बार तक पहुंच जाता है । जून एवं जुलाई माह में न्यूनतम वायुमण्डलीय वायुदाब रहता है जो क्रमशः 990.2 एवं 991.1 मि0बार है ।

वायु की दिशा मौसम परिवर्तन के साथ-साथ बदलती रहती है । इसीलिए मानसूनी जलवायु कहा जाता है । जून से अक्टूबर के मध्य तक द0प0 मानसूनी हवायें चलती है जबकि शीत ऋतु में उत्तरी-पूर्वी मानसून हवायें चलती हैं जो जाड़े के दिनों में कभी-कभी वर्षा करती हैं ।

सापेक्षिक आर्द्रता :

मौसम में भारी परिवर्तन क्षेत्र विशेष की सापेक्षिक आर्द्रता में परिलक्षित होता है । अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता अगस्त माह में रहती है । यह मात्रा 85.6% है । न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता अप्रैल माह में 38.7% रहती है । जनवरी माह में औसत सापेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत 66.0% है । (तालिका 2.1)

तालिका 2.1

गाजीपुर जनपद की औसत जलवायविक दशा (1901 - 90)

माह	सापेक्षिक आर्द्रता %	शुष्क आर्द्रता तापमान^0 C	उच्चतम तापमान^0 C	न्यूनतम तापमान^0 C	औसत तापमान^0 C	वायुदाब मिलीबार	वर्षा मि0मी0
जनवरी	73.58	12.20	23.68	8.72	16.2	1016	16.04
फरवरी	68.46	14.34	27.58	11.24	19.4	1014	20.25
मार्च	55.52	17.00	32.01	15.62	23.81	1010	6.99
अप्रैल	45.0	22.59	37.3	21.14	29.23	1004	5.30
मई	64.54	26.45	40.79	23.48	32.13	999	10.70
जून	70.48	26.82	39.40	25.71	32.55	996	112.60
जुलाई	79.95	25.97	34.24	23.86	29.05	998	295.00
अगस्त	84.0	25.50	32.30	22.95	27.62	998	310.00
सितम्बर	83.78	24.65	32.60	22.82	27.71	1004	224.60
अक्टूबर	72.5	23.00	31.53	19.36	25.44	1010	49.0
नवम्बर	70.85	22.70	28.50	12.97	20.73	1014	6.0
दिसम्बर	73.24	18.51	24.80	10.55	17.67	1015	6.10
औसत	69.82	21.73	32.04	18.18	25.11	1006.5	1063.78

वर्षा :

जलवायविक तत्वों में वर्षा का स्थान सर्वोपरि है । बंगाल की खाड़ी से चलने वाली द0प0 मानसून अध्ययन क्षेत्र की वर्षा का मुख्य स्रोत है । मानसून का प्रवेश गाजीपुर जनपद में जून के तीसरे सप्ताह में होता है और मध्य अक्टूबर तक वर्षा प्रदान करती है । कभी- कभी मानसून विलम्ब से प्रवेश करता है और समय से पूर्व ही समाप्त हो जाता है जिससे वर्षा के अभाव में सूखा पड़ जाता है । इससे खरीफ की फसलों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है । वर्षा की अनिश्चितता सदैव बनी रहती है । वर्षा का औसत 1007.8 मि0मि0 है । सम्पूर्ण वर्षा की कुल मात्रा का लगभग 75% भाग मध्य जून से मध्य सितम्बर के बीच प्राप्त होता है । उत्तरी पूर्वी मानसून से जनवरी एवं फरवरी में थोड़ी वर्षा हो जाती है जिससे रबी की फसलों को काफी लाभ मिलता है । अक्टूबर एवं नवम्बर माह में मानसून की वापसी के साथ भी कभी - कभी थोड़ी वर्षा हो जाती है । (मानचित्र 2.4)

तापमान, वायुदाब एवं वर्षा की मात्रा के आधार पर वर्ष को तीन ऋतुओं में विभक्त किया गया है -

1- शीत ऋतु, 2- ग्रीष्म ऋतु, 3- वर्षा ऋतु

1. शीत ऋतु :

शीत ऋतु शांत मेघरहित एवं स्वच्छ आकाश वाला रहता है । इसका आगमन अक्टूबर के अन्त में द0प0 मानसून की वापसी के साथ होता है । दिन में आकाश स्वच्छ होने से विकिरण द्वारा ताप का ह्रास हो जाता है । नवम्बर में जनपद का औसत तापमान 14.5^0 से0ग्रे0 नापा गया है । जनवरी वर्ष का सबसे ठंडा महीना है जिसका औसत तापमान 8.3^0 से0ग्रे0 रहता है । रात्रि में कभी - कभी तापमान हिमांक बिन्दु से नीचे भी आ जाता है । ठंडी हवाओं के चलने से शीत लहर का प्रकोप हो जाता है । फरवरी माह में धीरे - धीरे तापक्रम में वृद्धि होने लगती है क्योंकि सूर्य उत्तरायण होने लगता है । सूर्य की किरणें तिरछी न होकर क्रमशः लम्बवत होने लगती हैं ।

2. ग्रीष्म ऋतु :

ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ मार्च महीने से हो जाता है और मध्य जून तक रहता है । मई महीना सबसे गर्म महीना होता है जिससे झुलसा देने वाली गर्म हवा चलती है जिसे 'लू' कहते हैं । ग्रीष्म ऋतु का औसत उच्चतम व निम्नतम तापक्रम क्रमशः 37.67 से0ग्रे0 एवं 21.42 से0ग्रे0 रहता है । तापान्तर 16.25^{0} से0ग्रे0 है । आँधी से यदा-कदा वर्षा भी हो जाती है । गंगा घाटी में इसे 'नार्वेस्टर' कहते हैं जिनकी गति 100 कि0मी0 प्रति घण्टा रहती है ।

3. वर्षा ऋतु :

जून के अन्तिम सप्ताह से वर्षा ऋतु का आगमन प्रारंभ हो जाता है । जुलाई एवं अगस्त दो महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है । इस ऋतु में कुल वार्षिक वर्षा का 90% भाग प्राप्त होता है ।सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा सर्वाधिक 85% रहती है जुलाई से अक्टूबर के मध्य तक वायुदाव 991.1 मि0बार से 1001.5 मिलीबार रहता है । मानसून की अनिश्चितता के कारण वर्षा की मात्रा में कभी कभी कमी आती है । समय से वर्षा होने पर प्रायः नदियों में बाढ़ आ जाती है । 1774, 1794, 1830, 1891, 1955, 1974, 1980 एवं 1987 में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में भयंकर बाढ़ आयी थी जिससे काफी धन-जन की हानि हुई । गाजीपुर शहर 1903, 1915, 1943, 1980 एवं 1987 में बाढ़ से अत्याधिक प्रभावित रहा ।

प्राकृतिक वनस्पति :

किसी भी क्षेत्र विशेष की वनस्पति वहाँ की जलवायु के विविध तत्वों विशेषकर तापक्रम, वर्षा, मिट्टी तथा भू-पृष्ठ के वैज्ञानिक इतिहास से प्रभावित होती है ।[17] गाजीपुर जनपद मानसूनी जलवायु के प्रभाव के अन्तर्गत आता है । इसीलिए यहाँ मानसूनी चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वाले वृक्ष बहुलता से पाये जाते है । प्राचीन समय में जनपद का सम्पूर्ण उत्तरी भाग घने जंगलों से आच्छादित था जो नदियों के किनारे थे । इन वनों में पलास के वृक्षों की अधिकता थी । सैदपुर तहसील में चौजा राम वन सबसे सघन वन था ।

किन्तु बढ़ती जनसंख्या एवं उसकी आवश्ययकता ने धीरे-2 इन वनों को साफ कर दिया और जमीन की खेती के रूप में प्रयोग करने लगे । आज स्थिति यह है कि वन के नाम पर पूरें जनपद में कोई विशेष क्षेत्र नही है । वनस्पतियाँ प्रधानतः बाग और चरागाह के रूप में हैं । आम, जामुन, नीम, महुआ, चावल, बरगद, बाँस, बेर, इमली, बबूल आदि के वृक्ष पूरे जनपद में छिट - फुट रूप में पाये जाते हैं । ये वृक्ष मुख्यतः गाँव की बस्तियों एवं बगीचों में हैं । बबूल नदियों के किनारे ऊबड़- खाबड़ भूमि में पाये जाते हैं । सामाजिक बांनिकी विभाग ने बड़ी तेजी से वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिससे सिरिस, शीशम, सागौन, यूकेलिप्टस बबूल आदि वृक्षों को परती भूमि, सड़कों एवं रेल लाइनों के किनारे की रिक्त भूमि तथा गाँव समाज की भूमि पर लगाया जा रहा है । विशेष सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण गांव के मवेशियों द्वारा काफी नुकसान पहुँचता है और इनकी वृद्धि धीमी पड़ जाती है । अध्ययन क्षेत्र में वनों का प्रतिशत 0.5 है ।

जीव - जन्तु :

अध्ययन क्षेत्र गाजीपुर जनपद में दो प्रकार के जीव जन्तु पाये जाते हैं ≬1≬ पालतू ≬2≬ जंगली । पालतू जानवरों में गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेंड़, गधे, खच्चर व घोड़े प्रमुख हैं । इनका प्रयोग हल जोतने, दूध दूहने तथा भार ढोने में किया जाता है । बैल भारतीय किसानों की मेरूदण्ड है । गाय को बहुत ही पवित्र माना जाता है इसीलिए हिन्दू इसे 'गोशाला' कहते हैं और इसकी पूजा करते हैं । जंगली जीव जन्तुओं में किसी प्रकार के हिंसक जानवर नहीं पाये जाते । नीलगाय, सियार, लोमड़ी, खरगोश, भेड़िये, जंगली बिलाव पाये जाते हैं । नीलगायों की संख्या में क्रमोत्तर वृद्धि हो रही है । ये नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में पाये जाते हैं । इनसे फसलों को काफी हानि होती है ।

पक्षियों में कौवा, गौरैया, किलेट्टा, तोता काफी मात्रा में पाये जाते हैं इसके अतिरिक्त गिद्ध, बगुला, चील्ह भी अध्ययन क्षेत्र में घोसले बनाकर रहते हैं । जाड़े के दिनों में साइबेरिया से आने वाले पक्षी काफी संख्या में तालों झीलों एवम् गंगा नदी में रहते हैं और जाड़े की समाप्ति पर पुनः वापस चले जाते हैं । सारस, खिड़रिच, हंस आदि प्रमुख पक्षी है

जिनके मारने पर कड़ा प्रतिबन्ध है किन्तु ग्रामीण लोग लुके - छिपे इनका शिकार करते हैं। सांप, बिच्छू, नेवला आदि जीव - जन्तु भी क्षेत्र में पाये जाते हैं ।

परिवहन तंत्र :

परिवहन तंत्र मानव एवं पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अत्याधिक सहायक है । विकसित परिवहन किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास के द्योतक हैं । प्रो० स्पेल्स ने परिवहन तंत्र की तुलना जीवन रक्त दायिनी शिराओं से किया है ।[18] प्रो० बूंस ने राजमार्गों को मनुष्य की आवश्यकताओं के अन्तर्गत सम्मिलित किया है । ये राजमार्ग पगडंडी से पक्की सड़क तक हो सकते हैं । मनुष्य द्वारा निर्मित सभी सुविधायें तथा भौतिक संसाधन अन्तः संरचनात्मक तत्व के अन्तर्गत निहित है जो आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु प्रेरक शाक्ति प्रदान करते हैं । ऐसे तत्वों में परिवहन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है जो आधुनिक विकास की धुरी है । वस्तुतः आज के भौतिक एवं वैज्ञानिक युग में विकास के प्रत्येक क्षेत्र में परिवहन का विशिष्टतम महत्व है ।

(1) सड़क मार्ग :

अध्ययन क्षेत्र में वाराणसी - सैदपुर मार्ग के किनारे स्थित बौद्ध स्मृति चिन्ह इस मार्ग के प्राचीनता एवं महत्ता का द्योतक है दूसरा महत्वपूर्ण मार्ग वाराणसी से बक्सर के बीच है जिस पर सम्राट अकबर के शासन काल में जमानियां का उद्भव हुआ । इस समय यह क्षेत्र प्रान्त के अन्य क्षेत्रों से सड़कों के द्वारा जुड़ा हुआ था । ब्रिटिश काल में भी सड़कों का विकास हुआ ।

संम्प्रति अध्ययन क्षेत्र में सड़क मार्गों को 3 खण्डों में विभक्त किया गया है, राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग एवं जनपदीय मार्ग । इस जनपद में एक ही राष्ट्रीय मार्ग सं० 29 है जो विकास खण्ड सैदपुर, देवकली, गाजीपुर, विरनों एवं मरदह होते हुए वाराणसी एवं गोरखपुर को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है । इसकी जनपद में कुल लम्बाई 82 कि०मी० है ।

राज्य मार्गों की लम्बाई मार्च 1989 तक 1157 कि0मी0 एवम् जिला परिषद के अन्तर्गत आने वाली सड़कों की लम्बाई 198 कि0मी0 थी । इस प्रकार सड़क मार्ग की कुल लम्बाई 1437 कि0मी0 थी । राष्ट्रीय मार्गों, राज्य मार्गों एवं जिला परिषदीय मार्गो द्वारा उपलब्ध सेवा की दृष्टि से अवलोकन करें तो सैदपुर (107 कि0मी0) जमानियाँ (97 कि0मी0) गाजीपुर (96 कि0मी0) मरदह (96 कि0मी0) देवकली (92 कि0मी0) भदौरा (88 कि0मी0) विकास खण्डों की तुलना में विरनों (76 कि0मी0) एवं भांवरकोल (59 कि0मी0) विकास खण्ड कम सेवित है । (मानचित्र सं0 2.5 ए)

जनपद में प्रति हजार कि0मी0 पर पक्की सड़कों की लम्बाई 308 कि0मी0 है । 31 मार्च 1974, 1979 एवं 1989 में जनपद में सड़कों की लम्बाई का विवरण निम्नवत् था ।

तालिका 2.2

नाम पक्की सड़क	पक्की सड़कों की कुल लम्बाई कि0मी0 में		
	31.3.74	31.3.79	31.3.89
राष्ट्रीय मार्ग	82.0	82.0	82.0
सा0नि0वि0 की सड़कें	357.1	459.7	1157.0
जिला परिषद की सड़कें	110.0	105.0	198.0
योग	549.1	646.7	1437.0

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका जनपद गाजीपुर 1990.

रेलमार्ग :

सर्वप्रथम 1862 में अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी भाग में पश्चिम से पूरब को ब्राड-गेज के रेल मार्ग का निर्माण हुआ जिसे 1882 तक दोहरे रेलमार्ग में परिवर्तित कर

DISTRICT GHAZIPUR
ACCESSIBILITY BY ROAD
1990
N
A
DISTANCE FROM METALLED ROAD IN KM
25
50
5 AND ABOVE
ACCESSIBILITY BY RAIL
1990
B
DISTANCE FROM ANY STATION
BELOW 5km
5 10
10 15
ABOVE 15km

FIG.2:5

दिया गया । इस रेलमार्ग पर जमानियाँ तहसील के गहमर, भदौरा, दिलदार नगर एवं जमानियां रेलवे स्टेशनों की स्थापना हुई । 18 अक्टूबर 1880 में दिलदार नगर रेलवे स्टेशन से तारीघाट सेवान्त स्टेशन के बीच 1931 कि0मी0 लम्बे एक प्रशाखा रेलमार्ग का निर्माण किया गया । मार्च 1899 में वाराणसी से मऊ जंक्शन के बीच मीटर गेज रेलमार्ग का निर्माण हुआ जिससे औड़िहार रेलवे स्टेशन से एक प्रशाखा रेलमार्ग सैदपुर, तरांव, नन्दगंज, अंकुशपुर और गाजीपुर शहर होते हुए गाजीपुर घाट तक निर्मित हुआ और 1903 में इसे शहबाज कुली, युसूफपुर, ढोढ़ाडीह, करीमुद्दीनपुर होते हुए बलिया जनपद में स्थित फेफना रेलवे स्टेशन तक बढ़ा दिया गया । औड़िहार जंक्शन से दूसरा प्रशाखा रेलमार्ग पश्चिम की तरफ जौनपुर तक निर्मित हुआ । सम्प्रति मनिहारी विरनों मरदह, कासिमाबाद एवं भांवर कोल विकासखण्डों को छोड़कर अध्ययन क्षेत्र के तीनों सम्भागों में रेलमार्गों की सुविधा उपलब्ध है ।

जखनियाँ, सैदपुर, देवकली, करण्डा, गाजीपुर, मुहम्मदाबाद एवं बाराचवर विकास खण्डों में मीटर गेज रेलमार्ग की सुविधा उपलब्ध है । अध्ययन क्षेत्र में स्थित 193.7 कि0मी0 लम्बा रेलमार्ग 5 शाखाओं में विभक्त है ।

1. वाराणसी भटनी मीटर गेज रेलमार्ग जो ब्राडगेज में परिवर्तित किया जा रहा है यह सिधौना हाल्ट से नायकडीह हाल्ट के बीच 51 कि0मी0 लम्बा है ।

2. वाराणसी छपरा मीटर गेज रेलमार्ग जो औड़िहार जंकशन से इस जनपद के उत्तरी पूर्वी छोर तक 81 किमी0 लम्बा है ।

3. औड़िहार - जौनपुर मीटर गेज रेल मार्ग जो औड़िहार जंक्शन से पश्चिम अध्ययन क्षेत्र में 9 कि0मी0 की लम्बाई में है ।

4. मुगलसराय - हावड़ा ब्राड गेज का दोहरा रेलमार्ग जमानियां से बारा तक 34.5 कि0मी0 की लम्बाई में है ।

5. दिलदार नगर ताड़ीघाट सेवान्त बिन्दु के बीच ब्राड गेज रेल मार्ग 19.3 किमी0 लम्बा है । (मानचित्र सं0 2.5 बी.)

जल परिवहन :

जल परिवहन जनपद का प्राचीनतम परिवहन का साधन रहा है । गंगा नदी में प्राचीन काल में नावों द्वारा व्यापार बड़े व्यापक पैमाने पर होता था । सैदपुर, गाजीपुर इसका प्रमुख केन्द्र था । वाराणसी व कलकत्ता के बीच पाल युक्त नावें चलती थीं जिन पर व्यापारी काफी मात्रा में सामग्री रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान को व्यापार करने हेतु ले जाते थे । ब्रिटिश काल से गंगा में स्टीमर चलाये जा रहे हैं । इसीलिए इस घाट को स्टीमर घाट कहते हैं । प्रतिदिन यात्री गंगा घाट पर से गाजीपुर हजारों की संख्या में नावों एवं स्टीमरों से आते जाते हैं । सैदपुर से धानापुर जाने वाले लोग नावों द्वारा गंगा नदी को पार करते हैं । किन्तु अब पीपे के पुल बन जाने से यात्रियों को काफी सुविधा है । इसके अतिरिक्त गोमती, कर्मनाशा, मैंगई, बेसो, गांगी आदि नदियों पर वर्षा काल में नावों द्वारा यात्री आते जाते हैं । क्योंकि इन नदियों पर पुलों की संख्या नगण्य है जिससे यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है ।

वायु परिवहन :

वायु परिवहन की दृष्टि से गाजीपुर काफी पिछड़ा है । गाजीपुर के पास अन्हऊ पर एक छोटा नागरिक हवाई अड्डा है जिस पर वाराणसी, काठमाण्डू जाने वाले विमान रूकते हैं । कभी-कभी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के हेलीकाप्टर भी उतरते हैं ।

संचार व्यवस्था:

अध्ययन क्षेत्र के विस्तार एवं जनसंख्या को देखते हुए संचार व्यवस्था की सुविधायें पर्याप्त नहीं है । इस जनपद में 1988 की स्थिति के अनुसार 2540 आबाद ग्रामों के लिए 325 डाकघर, 67 तार घर एवं 685 टेलीफोन थे जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 315 डाकघर, 53 तार घर एवं 171 टेलीफोन थे । यह यातायात परिवहन एवं संचार प्रणाली ग्रामीण विकास में एक उत्प्रेरक अभिकर्ता के रूप में किसी क्षेत्र की क्षमता को इंगित करती हैं ।

विद्युतीकरण :

औद्योगीकरण तथा कृषि विकास के साथ बढ़ती हुई आबादी ने दिनों दिन समाज की आवश्यकताओं को बढ़ावा है । इन मुख्य आवश्यकताओं को बढ़ाया है । इन मुख्य आवश्यकताओं में विद्युत समाज के लिए एक अभिन्न अंग बन गई है । ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि के विकास में भी विद्युत आपूर्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है । विगत वर्षों में विद्युत-आपूर्ति से ग्रामीण विकास की रूप रेखा में भी बहुत परिवर्तन आया है । इस जनपद में विद्युत रिहन्द विद्युत शक्ति केन्द्र एवं ओबरा ताप विद्युत गृह से होती है । विद्युत कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्युत परिषद ने इस जनपद को दो खण्डों में विभक्त कर दिया है । विद्युत वितरण प्रथम खण्ड के अंतर्गत गाजीपुर एवं सैदपुर तहसीलों के सभी विकास खण्ड सम्मिलित हैं । विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय के अंतर्गत मुहम्मदाबाद तथा जमानियाँ तहसीलों के सभी विकास खण्ड सम्मिलित हैं । (मानचित्र सं0 2.6) वर्ष 1985-86 में 2338 लाख किलोवाट विद्युत का उपभोग किया गया जिसका 49 प्रतिशत कृषि कार्यों में तथा शेष औद्योगिक और घरेलू कार्यो में उपभोग हुआ । घरेलू प्रकाश में उपभोग की गई विद्युत का प्रतिशत 3.17 प्रतिशत है जो जनपद के पिछड़ेपन का प्रमाण है एवं औद्योगिक कार्यो में 7.37 प्रतिशत विद्युत का उपभोग औद्योगिक विकास की कमी को दर्शाता है । वर्ष 1988 में ' हाई टेन्सन ' के अंतर्गत 11 के0वी0 लाइनों की लम्बाई 384 कि0मी0 थी । इसके अतिरिक्त ' लो टेन्सन ' लाइनों की कुल लम्बाई 3611.113 कि0मी0 थी ।

विद्युत वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु जनपद में 132 के0वी0 के 3 विद्युत वितरण उपकेन्द्र गाजीपुर (अन्धऊ) जमानियाँ एवं सैदपुर में कार्यरत हैं तथा एक अतिरिक्त 132 के0वी0 का उपकेन्द्र मुहम्मदाबाद में निर्माणाधीन है । 31 मार्च 1988 तक 33 के0वी0 के विद्युत वितरण खण्डों की कुल संख्या 21 थी । सम्प्रति जनपद के शत प्रतिशत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र विद्युतीकृत है ।

बाजार केन्द्र :

किसी भी क्षेत्र के विकास में क्रय -विक्रय सम्बन्धी सुविधाओं का महत्वपूर्ण स्थान

DISTRICT GHAZIPUR
ELECTRIC TRANSMISSION SYSTEM
MAU POWER HOUSE
SIGERA
GHAZIPUR
MOHAMMADABAD
SAUNA
DEOKALI
NANDGANJ
GANGA
JAMANIYA
132 K. V. LINE WITH SUBSTATION
33 K. V. LINE WITH SUBSTATION
132 K. V. LINE
33 K V LINE WITH SUBSTATION
0
10
KM

FIG. 2:6

है और ये सुविधायें विपणन एवं सेवा केन्द्र के माध्यम से ही उपलब्ध होती हैं अध्ययन क्षेत्र के विपणन एवं सेवा केन्द्र अपने चतुर्दिक स्थित क्षेत्र को शिक्षा, संचार, व्यवसाय, कृषि संयत्र एवं उर्वरक वितरण, बैंकिंग, परिवहन,स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन एवं विपणन की सेवायें उपलबध कराते हैं जिनका समन्वित ग्रामीण विकास से सीधा सम्बन्ध है । इस क्षेत्र के विपणन केन्द्र एवं मानव बसावकी सघनता के मध्य धनात्मक सह सम्बन्ध पाया जाता है । सम्प्रति जनपद में कुल 129 विपणन केन्द्र हैं, जिनमें 72 मुहम्मदाबाद, 20 गाजीपुर, 28 सैदपुर एवं 9 जमानियां तहसील में स्थित हैं । क्षेत्रीय योजना के अभाव में जनपद के विपणन केन्द्र अव्यवस्थित ढंग से वितरित हैं । विपणन केन्द्रों में मुख्यतः क्रय-विक्रय का कार्य होता है । ये ग्रामीण बाजार सप्ताह में एक दिनी, दो- दिनी, तीन-दिनी ओर प्रति-दिनी होते हैं । एक दिनी बाजारों की संख्या सैदपुर में अधिक (10) और जमानियाँ में कम (2) है । दो दिनी बाजार सबसे अधिक (64) केन्द्रों मुहम्मदाबाद तहसील में और सबसे कम (3 केन्द्रों) सैदपुर तहसील में लगती है । प्रतिदिनी बाजार सबसे अधिक (15 केन्द्रों) सैदपुर तहसील में लगती है जबकि मुहम्मदाबाद में सबसे कम (2 केन्द्रों) लगती है । (मानचित्र संख्या 2.7 ए.)

उद्योग धन्धे :

उद्योग धन्धों की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र गाजीपुर जनपद काफी पिछड़ा हुआ है । स्वतंत्रता के बाद भी इस पिछड़े क्षेत्र में किसी भी बड़े उद्योग की स्थापना नहीं हुई क्योंकि यह छोटी लाइन से जुड़ा था और क्षेत्र में भारी उद्योगों से सम्बन्धित कच्चे माल की अनुउपलब्धता हैं । जनपद में खनिज पदार्थों के अभाव से भारी उद्योगों से सम्बन्धित कच्चे माल की अनुउपलब्धता है । जनपद में खनिज पदार्थों के अभाव से भारी उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकी है परन्तु स्वस्थ कृषि आधार एवं सन्तुलित अवस्थापनात्मक तत्वों के रहते हुए भी औद्यागिक क्षमता निम्न है । इस क्षेत्र का इतिहास प्राचीन कुटीर उद्योगों के विकास युक्त रहा है । मुगल काल में सभी गांव कपड़ा कृषि औजार और जीवन की अन्य आवश्यक सामग्रियों की दृष्टि से आत्मनिर्भर थे । मुगलकाल का इत्र उत्पादन विश्व विख्यात है जिसे

DISTRICT GHAZIPUR
MARKET CENTRE
A
DAILY
WEEKLY
GANGA RIVER
INDUSTRIAL LANDSCAPE
B
MARADAH
KASIMABAD
JAKHANIYAN
JANGIPUR
SADAT
MOHAMMADABAD
KHARADIHA
GHAZIPUR
DEO KALI
SAIDPUR
DILDARNAGAR
JAMANIYAN
COTTON
OPIUM
PULSES
LEATHER
MUSTARD
HANDLOOM
SUGAR
DISTILLERY
FURNITURE
KHADSARI
AGRICULTURAL EQUIPMENTS
SHOAP
ALMIRAH AND TRUNK
PO POLICE STATION
PS POST OFFICE
+ HOSPITAL
H HIGH SCHOOL
D DEGREE COLLEGE
0 10 20
KM.

FIG. 2.7

लंदन के ब्रिटिश साम्राज्य प्रदर्शनी में पुरस्कृत किया गया था । 19 वीं शताब्दी में चीनी का उत्पादन लगभग प्रत्येक गांव में होता था जिसकी उत्पादन इकाइयों को ' करखन्ना ' के नाम से जाना जाता था । वर्तमान काल में भी गुड़ खाड़सारी का काम लगभग सभी गांवों में होता है । चीनी उत्पादन के समान ही शोरा का उत्पादन सैदपुर, बहरियाबाद और पचोतर परगना में किया जाता था । मोटे धागों से भद्दे किस्म के कपड़े और ' नीलिन रंग ' के कालीन बहरियाबाद एवं गाजीपुर में बनते थे जो काफी सस्ते थे । सलमा, सितारा और गोखरू से युक्त चूड़ियों का आभूषण ग्राम सुहवल ओर पहाड़ीपुर में तैयार करके दूसरे जनपदों को निर्यात किया जाता था ।[19] इसके अतिरिक्त बर्तन, घरेलू उपकरण, कृषि उपकरण इत्यादि बनाने के कारखाने ग्रामीण क्षेत्रों के यत्र-तत्र फैले हुये थे । इन प्राचीन विधिवत उन्नतिशील एवं प्रसिद्धि पाये उद्योगों का जनपद से अब पूर्णतया समापन हो चुका है । अध्ययन क्षेत्र के वृहत् स्तरीय उद्योगों में गाजीपुर नगर में स्थापित अफीम क्षारोद कारखाना अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाये हुए है । अफीम के लिए कच्चा माल जनपद में ही पोस्ते की खेती करके प्राप्त किया जाता है जिसके लिए सरकार लाइसेन्स जारी करती है । इसके अतिरिक्त कच्चा माल बाहरी जनपदों या राज्यों से भी प्राप्त किया जाता है । नन्दगंज सिहौरी सहकारी चीनी मिल वृहद स्तरीय औद्योगिक विकास की दूसरी इकाई तथा जनपद के उत्तरी क्षेत्र के नगर केन्द्र बहादुर गंज के समीप स्थापित पूर्वान्चल सहकारी सूती मिल, बडौरा औद्योगिक विकास की तीसरी इकाई है । सहकारी चीनी मिल द्वारा चीनी का उत्पादन होता है जबकि सूती मिल सूती धागों को उत्पादन कर रही है । वृहद एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों में पी0बी0 डिस्टिलरी नन्दगंज भी उल्लेखनीय है (मानचित्र सं0 2.7 बी.) इन चार उद्योगों में 2551 व्यक्तियों रोजगार प्राप्त है ।

कृषि एवं पशुपालन पर आधारित रासायनिक वस्त्र, इन्जीनियरिंग, भवन निर्माण, चावल, दाल तेल , आटा, गुड़, जूता, फर्नीचर, इमारती सामान साबुन, माचिस, बर्तन आदि से सम्बन्धित लघु उद्योग उल्लेखनीय हैं कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण कृषि पर आधारित उद्योगों की प्रधानता है । इन उद्योगों में फली से दाल निकालने की 16 इकाईयाँ जमानियाँ

एवं गाजीपुर में है । धान कूटने की मिलें जमानियाँ में स्थापित हैं ।

सामान्य इंजीनियरिंग की 26 इकाईयाँ गाजीपुर एवं अन्य तहसील मुख्यालयों पर है । लकड़ी के फर्नीचर दरवाजे और खिड़कियों के ढाँचे, चारपाईयाँ, बैलगाड़ियों के चक्के 63 इकाईयों द्वारा तैयार किये जाते हैं । ये इकाईयाँ गाजीपुर, मुहम्मदाबाद, युसुफपुर, सैद्पुर, गहमर, बारा, दिलदारनगर, रेवतीपुर एवं जमानियाँ में स्थित है । चमड़े का काम जनपद में सर्वत्र होता हें, फिर भी 27 इकाईयाँ ही अनुबन्धित हैं । अल्युमिनियम से बर्तन तैयार करने का काम 5 इकाईयों द्वारा होता है जो जनपद मुख्यालय पर स्थित है । खाड़सारी चीनी तैयार करने की 19 इकाइयां जमानियाँ, दुल्लहपुर मरदह, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर एवं नन्दगंज में स्थित हैं । कृषि उपकरणों में हल, थ्रेशर, कड़ाहा बाल्टी इत्यादि की 60 औद्योगिक इकाईयां गाजीपुर मुहम्मदाबाद, नन्दगंज एवं जमानियां में स्थित है । सैद्पुर में रंगभराई की एक इकाई है । सहकारी आधार पर देवकली में चीनी तैयार करने की एक इकाई है । इस्पात के बक्से एवं आलमारी बनाने वाली 15 इकाईयां इस जनपद में स्थापित की गई है । मोमबत्ती बनाने की 9 इकाईयां है । 245 औद्योगिक इकाईयों द्वारा आटा पीसने एवं तेल पेराई का काम होता है । जनपद में 16 शीत भण्डार है जिनकी कुल क्षमता 56005 मैट्रिक टन है । 18 मुद्रण इकाईयां है जिनके लिए कच्चा माल अन्य जनपदों से मंगाया जाता है।

हथकरघा उद्योग के अन्तर्गत छोटी, साड़ी, गादा, बेडशीट, तौलिया, परदे इत्यादि तैयार किये जाते हैं जिनमें 20000 बुनकर लगे हुए हैं । गृह तथा कुटीर उद्योगों का वितरण जनपद के सभी विकास खण्डों में पाया जाता है । इन उद्योगों में आटा, चावल, दाल, तेल, गुड़, साबुन , बैलगाड़ी, पालकी, टोकरी, सामान्य इंजीनियरिंग, घड़ी एवं साइकिल, मोटर साइकिल ट्रैक्टर मरम्मत इत्यादि उद्योग में सम्मिलित है । गुड़ बनाने का कुटीर उद्योग सैद्पुर, मुहम्मदाबाद एवं गाजीपुर तहसीलों में सर्वत्र स्थापित है । ग्रामीण कुटीर उद्योगों के रूप में तेल उत्पादन, जंगीपुर, मुहम्मदाबाद, गोपालपुर, तिरछी, हरदासपुर, बारा एवं गहमर में किया जाता है । चमड़ा सिलने एवं जूता बनाने का काम मरदह, जंगीपुर, अवथही, बारा, रेवतीपुर, वीरपुर, बासूपुर गौसपुर, गाजीपुर, मुहम्मदाबाद, युसुफपुर सैद्पुर, जमानियाँ, बहादुरगंज, नवली, सेवराई, बघौल एवं गंगोली में किया जाता है । लुहारागिरी एवं बढ़ईगिरी के अन्तर्गत कृषि उपकरण

एवं गृह कार्य में उपयुक्त होने वाले उपकरणों का निर्माण जनपद के लगभग प्रत्येक ग्राम में किया जाता है । ऊनी कम्बल बनाने का काम बघोल, सुभाखरपुर, गोराबा, सुजनीपुर, गड्डुआ, मकसूदपुर, बासूपुर, नारीपंचदेवरा, मंसावाला, गहमर, शेरपुर, चकमिहानी एवं वर्नपुर में किया जाता है । मिट्टी के बर्तन एवं देवी - देवताओं की मूर्तियों को बनाने का काम जनपद के लगभग 200 ग्रामों में किया जाता है । इन उद्योगों के अतिरिक्त नारियल के हुक्का, कुप्पी, बर्तन, बीड़ी, हुक्का - तम्बाकू, टीन के सामान, ताड़ की पंखिया और टोकरियाँ के बनाने का काम जनपद के अधिकांश भागों में किया जाता है । सन् 1987-88 में 253 औद्योगिक इकाइयों एवं 402 दस्तकारी इकाईयों की स्थापना करायी गयी तथा 1670 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध किया गया। उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम द्वारा गंगोली और नसीरपुर में हथकरघा वस्त्र उत्पादन केन्द्र की स्थापना हुई । जनपद में धन्धों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 21 एकड़ के परिप्रेक्ष्य में एक औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण नन्दगंज में किया गया है । इस समय जनपद में 93.88 लाख रूपये के पूँजी - निवेश से औद्योगिक इकाईयों कार्यशील है और 64.56 लाख रूपये के पूँजी-निवेश से 16 ऐसी बड़ी इकाईयों की और स्थापना सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है ।

ग्रामीण एवं लघु उद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि का भार कम करने एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु इन इकाईयों की स्थापना की गई है ।

शिक्षण- संस्थायें:

जनपद में 1989-90 में कुल 1094 प्राइमरी स्कूल थे जिनमें 1013 ग्रामीण क्षेत्रों तथा 81 नगरीय क्षेत्रों में स्थित हैं । सैदपुर विकासखण्ड में इनकी संख्या 86 है जो सर्वाधिक है । करण्डा विकास खण्ड में यह संख्या मात्र 52 है जो सबसे कम है । इसका मुख्यकारण इस क्षेत्र में आवागमन के साधन की कमी तथा शिक्षा के प्रति कम रूचि का होना है । अध्ययन क्षेत्र में सीनियर बेसिक स्कूल की संख्या 302 है । इनमें 266 ग्रामीण क्षेत्रों तथा 36 नगरीय क्षेत्रों में स्थित है । इसमें 51 बालिका विद्यालय है । 41 ग्रामीण क्षेत्रों तथा 10 शहरी क्षेत्रों में हैं । हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट विद्यालयों की संख्या 104 है । इनमें 77 ग्रामीण क्षेत्रों में है । बालिका हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों की संख्या मात्र 11 है

जिनमें केवल 3 ही ग्रामीण क्षेत्रों में है । उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जनपद में कुल ।। महाविद्यालय हैं इनमें दो महिला महाविद्यालय भी हैं। गाजीपुर महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन अध्यापन कला एवं विज्ञान संकायों में होता है जबकि शेष दस महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर कला संकाय में शिक्षा दी जाती है । मलिकपुरा एवं भुड़कुड़ा महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय में स्नातक स्तर पर पढ़ाई होती है । जनपद पर शिक्षा का प्रतिशत मात्र 27.62 है ।

जनपद में गाजीपुर वाराणसी राष्ट्रीय मार्ग पर गाजीपुर शहर के पास तकनीकी स्तर की शिक्षा ग्रहण करने हेतु एक 'प्राविधिक शिक्षण संस्थान' है । इसमें विभिन्न ट्रेडों में प्राविधिक स्तर का प्रशिक्षण दिया जाता है । इसके अतिरिक्त एक औद्योगिक शिक्षण संस्थान तथा यूनियन बैंक ट्रेनिंग सेन्टर है । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 200 लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है । शिक्षण प्रशिक्षण के दो संस्थान है जिनमें 50 लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है ।

REFERENCES

1. UTTAR PRADESH DISTRICT GAZETTEERS, GHAZIPUR P.1.
2. I BID P.1
3. I BID P.1
4. I BID P.1
5. I BID P.1
6. KRISHNAN, M.S. (1960) " GEOLOGY OF INDIA & BURMA", MADRAS, P. 573.
7. गुप्त, परमेश्वरी लाल, (1983) ' प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख ' (गुप्तकाल सन् 319 - 543) पृष्ठ 174.
8. UTTAR PRADESH DISTRICT GAZETTERS GHAZIPUR (1982) P. 31,
9. I BID p. 33
10. I BID p. 40
11. I BID p.1
12. WADIA,D.N. (1961), " GEOLOGY OF INDIA " LANDON P.P. - 388-390.
13. WADIA, D.N.(1976) "GEOLOGY OF INDIA" p. 364
14. I BID p. 364
15. OLDHAM, R.D.(1977), " THE STRUACTURE OF HIMALAYA OF GANGETIC PLAIN", MEMASIS OF THE GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA. VOL XIII, p. 11
16. KRISHNAN M.S. (1960) " GEOLOGY OF INDIA & BURMA MADRAS, p. 573
17. UNPUBLISHED DATA : SOURCE, OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE ,GHAZIPUR, U.P.

18. I BID

19. SUBRAHMANYAM, V.P. (1958), " THE CLIMATE OF INDIA IN RELATION TO THE DISTRIBUTION OF NATURAL VEGATATION, THE INDIAN GEOGRAPHER, VOL. 3, p.p. 1-12.

20. RAMANATHAN, V.V. (1948), " ROAD TRANSPORT IN INDIA " LUCKNOW p.p. 32-34.

21. INFORMATION CENTRE, DISTRICT GHAZIPUR, U.P. 1987.

अध्याय - तृतीय

भूमि उपयोग

मानव की आवश्कयता के परिप्रेक्ष्य में भूमि अपनी क्षमता के अनुसार एक संसाधन के रूप में प्रतिष्ठित है । जिस पर सभी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य आधारित होते हैं । क्षेत्र विशेष की भूमि उपयोग का प्रतिरूप क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है । बारलो[1] ने भूमि संसाधसन उपयोग को भूमि समस्या एवं उसके नियोजन सम्बन्धी विवेचना की धुरी बताया है । कैरियल[2] ने भूमि उपयोग, भूमि प्रयोग एवं भूमि संसाधन उपयोग को कृषि विकास की तीन क्रमिक अवस्थाओं से सम्बन्धित कहा है । ' भूमि उपयोग ' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सावर[3] तथा जोन्स एवं फ्रिंच[4] द्वारा किया गया था । परन्तु भूगोल में इसके अध्ययन को वास्तविक और व्यावहारिक महत्व डडले स्टैम्प[5] ने दिया ।

भूमि उपयोग मानव एवं पर्यावरण के साथ समायोजन है तथा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक उपादानों के संयोग का प्रतिफल है । मानवीय सम्यता एवं उसकी आवश्यकताओं में परिवर्तन तथा विकास के साथ भूमि उपयोग का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है, जिसमें परोक्ष रूप से कृषि विकास की अवस्थायें अंकित होती रहती हैं । कृषि कार्य में विविधता एवं विशिष्टता भूमि उपयोग के विकास क्रम की द्योतक हैं तथा मानव जीवन यापन की प्राथमिक आवश्यकताओं से लेकर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करती हैं । क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विकास खण्ड स्तर पर भूमि उपयोग का अध्ययन एवं विश्लेषण अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण पक्ष है ।

आधुनिक वैज्ञानिक युग में सभी उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु भूमि उपयोग को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया जा रहा है । अध्ययन क्षेत्र के भूमि उपयोग प्रतिरूप को 10 वर्ष के अन्तराल पर 1955-56 से 85-86 की अवधि का अध्ययन किया गया है । साथ ही वर्तमान प्रतिरूप 1989-90 का भी दर्शाया गया है । जनपद प्रदेश का एक पिछड़ा कृषि प्रधान जनपद है जहाँ विकास की गति मंद है; किन्तु

पिछले दो दशकों में विकास के कारण इसके भूमि उपयोग प्रतिरूप में काफी परिवर्तन है । सन् 1955-56 की अवधि में अध्ययन क्षेत्र में सबसे अधिक शुद्ध कृषिगत क्षेत्र (77.03%) रहा; जबकि सबसे कम वर्तमान परती भूमि 1990 में 2.79%, रहा है । 1990 में 2.10 प्रतिशत कृषि योग्य बंजर भूमि, 1.64% ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल क्रमशः 4.53%, 2.60% एवं 1.65% है । कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई गई भूमि का प्रतिशत क्रमशः 8.13%, 8.57% एवं 10.24%एवं 10.42 % है । वृक्ष एवं झाड़ियों का विवरण क्रमशः 2.82%, 2.56%, 2.63%, 2.3% एवं 0.98% है । वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण चरागाह का प्रतिशत कम होकर मात्र 0.35% रह गया है । कृषि योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत क्रमशः 0.32%, 1.7% , 3.22%, 4.75% एवं 2.10% है, जबकि परती भूमि का वितरण क्रमशः 3.06%, 0.78%, 1.55% एवं 2.30% तथा 1.54% है । शुद्ध कृषिगत क्षेत्र का विवरण क्रमशः 77.07%,80.05%, 78.55%, 77.82% एवं 80.12% रहा है । जनपद में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल 1955-56 में 14.13% और 1985-86 में 31.82% तथा 1989-90 में 36.01% था । (मानचित्र सं0 3.1)

DISTRICT GHAZIPUR
GENERAL LAND USE
1990

N

Uncultivated
Current fallow with-cultivable land
Net sown area
Net irrigated land
Double cropped area

0 10
KM

FIG-3.1

तालिका 3.1

भूमि उपयोग (प्रतिशत में)

भूमि उपयोग / वर्ष	1956	1966	1976	1986	1990
1. वन	-	-	-	-	-
2. कृषि के अयोग्य भूमि	6.23	4.53	2.60	1.70	-
3. ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि	2.70	2.70	2.58	2.01	1.65
4. कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि	7.76	8.13	8.57	10.24	10.42
5. चरागाह	-	0.15	0.27	1.00	0.35
6. वृक्ष एवं झाड़ियाँ	2.82	2.56	2.63	2.30	0.98
7. कृषि योग्य बंजर भूमि	0.32	1.07	3.22	4.75	2.10
8. परती भूमि	3.06	0.78	1.55	2.30	4.38
9. शुद्ध कृषिगत भूमि	77.03	80.05	78.55	77.82	80.12
10. बहुफसली क्षेत्र	14.13	18.03	28.73	31.82	36.01
11. सकल बोया गया क्षेत्रफल	91.16	98.08	97.28	104.64	116.1
12. कुल क्षेत्रफल (हेक्टयेर)	337256	337250	333029	333209	333209

उपर्युक्त तालिका एवं विवरण से स्पष्ट है कि कृषि अयोग्य भूमि, ऊसर, परती भूमि तथा वृक्ष एवं झाड़ियों का प्रतिशत क्रमशः कम होता जा रहा है जबकि कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई गई भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि शुद्ध कृषि गत क्षेत्र तथा एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र में लगातार वृद्धि होती जा रही है ।

कृषि के अयोग्य भूमि :

कृषि अयोग्य भूमि से तात्पर्य वर्तमान संबंध में ऐसी - भूमि से है जिसे वैज्ञानिक अनुसंधानों, नवीन कृषि यंत्रों, सिंचाई के साधनों, अभिनव तकनीकी ज्ञान तथा ऐसी अन्य सुविधाओं के उपरान्त भी आर्थिक दृष्टि से शुद्ध लाभप्रद कृषिगत क्षेत्र में न लाया जा सके । भूमि उपयोग का यह एक ऐसा महत्वपूर्ण पक्ष है जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक भू-दृश्यों के अनेक तत्व यथा अधिवास, कब्रिस्तान, उद्योग, व्यापार सिंचाई के साधन परिवहन व संचार के साधन आदि संबंधित होते हैं ।.

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कृषि के अयोग्य भूमि को दो भागों में विभक्त किया गया है -

1. ऊसर और कृषि के अयोग्य भूमि ।
2. कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई गई भूमि ।

सन् 1974-75 में अध्ययन क्षेत्र में सबसे कम ऊसर और कृषि के अयोग्य भूमि 0.70% भांवरकोल तथा सबसे अधिक 6.04% सादात विकास खण्ड में था ; जबकि सन् 1990 में अध्ययन क्षेत्र में यह 1.65% भाग पर विस्तृत है । सन् 1984-85 में भाँवरकोल विकास खण्ड में पूर्व की भाँति सबसे कम विस्तार (0.70%) तथा सर्वाधिक विस्तार जमानियाँ (4.70%) में रहा है । इसी वर्ष जनपद में 1975 की अपेक्षा 0.57% कम रहा । 1990-91 में जनपद में मनिहारी (12.59%) एवं जखनियाँ (11.22%) में ऊसर एवं कृषि के अयोग्य भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक रहा । इसके विपरीत सबसे कम भांवरकोल (1.36%) एवं रेवतीपुर (2.34%) था ।

कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई गई भूमि का सर्वाधिक वितरण गाजीपुर (15.27%) विकास खण्ड में 1974-75 में रहा, तथा सबसे कम बाराचवर (5.80%) विकास खण्ड में था । जनपद में यह कुल भूमि के 8.57% भाग पर फैला था । सन् 1984-85 में एक दशक बाद सबसे कम मरदह एवं सर्वाधिक गाजीपुर विकास खण्ड में था जो क्रमशः 6% एवं 19.23% है । 1990-91 में सम्पूर्ण जनपद में अन्य

उपयोग में लाई गई भूमि का प्रतिशत 10.42 है ।

परती भूमि के अतिरिक्त अन्य अकृषित भूमि :

परती भूमि के अतिरिक्त अन्य अकृषित भूमि एक विशिष्ट श्रेणी है जिसमें कृषिगत क्षेत्र में भावी विस्तार की सम्भावनायें निहित होती हैं । इस प्रकार की भूमि के वितरण प्रतिरूप के आधार पर क्षेत्र विशेष की वर्तमान एवं भविष्य के भूमि उपयोग की रूप रेखा निर्धारित की जाती है । इसके अन्तर्गत बंजर भूमि, चरागाह एवं बाग व झाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है । वह सभी प्रकार की भूमि जिसमें किन्ही बाधाओं अथवा अनुकुल दशाओं के अभाव में वर्तमान समय में कृषि सम्भव नहीं हो पा रही है । किन्तु भविष्य में वैज्ञानिक अनुसंधानों, वांछित परिस्थितियों, उचित संसाधनों की उपलब्धता द्वारा उसे कृषि उपयोग में लाये जाने की संभावनायें निहित हैं । इस श्रेणी की भूमि को तीन भागों में विभक्त किया गया है ।

(1) कृषि योग्य बंजर भूमि ।

(2) उद्यान वृक्ष व झाड़ियाँ ।

(3) चरागाह ।

अध्ययन क्षेत्र में सन् 1975 में कृषि योग्य बंजर भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत मरदह (6.04%) एवं सबसे कम (2.6%) रेवतीपुर विकास खण्ड में है । 1990-91 में सर्वाधिक कृषि योग्य बंजर भूमि का वितरण है ।

उद्यान, वृक्ष एवं झाड़ियों का क्षेत्रफल जनपद में 0.98% है । सन् 1974-75 में यह 2.67% भाग पर विस्तृत था । भदौरा विकास खण्ड में सबसे अधिक 6.18% एवं सबसे कम सादात विकास खण्ड में 1.01% है । 1990-91 में जनपद में सम्पूर्ण उद्यान एवं वृक्षों के क्षेत्रफल का 1.28%, रेवतीपुर में था जो सर्वाधिक है । सबसे कम गाजीपुर (0.19%) विकास खण्ड का । चरागाहों का जनपद में अभाव है । 1774-75 एवं 1984-85 में क्रमशः 0.27% एवं 0.3% भाग पर विस्तृत था । सबसे कम

भांवरकोल (0.002%) एवं सबसे अधिक सादात विकासखण्ड (1.41%) में है । इससे स्पष्ट होता है कि बढ़ती जनसंख्या, नयी तकनीक की वृद्धि के साथ-साथ बेकार भूमि की मात्रा घटती जा रही है । इससे पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ता जा रहा है । वर्तमान में जनपद में चरागाह 0.30% भाग पर विस्तृत है ।

परती भूमि :

परती भूमि पर उस प्रकार की भूमि होती है जिसपर कृषि-कार्य हो सकता है किन्तु कतिपय कारणवश कृषि कार्य कुछ वर्षों से नहीं होता है । जनपद में 1974-75 में परती भूमि 4.77% थी जबकि एक दशक बाद (1984-85) यह बढ़कर 7.05% हो गयी । देवकली विकास खण्ड में सर्वाधिक 7.74% एवं सबसे न्यून 0.72% भांवरकोल में विस्तृत थी । 1990-91 में कुल परती भूमि का क्षेत्रफल 4.38% रहा जिसमें वर्तमान परती का प्रतिशत 2.79 एवं अन्य परती का प्रतिशत 1.59 रहा । कासिमाबाद (4.2%) का स्थान जनपद में सबसे ऊपर था । जखनियाँ विकास खण्ड का स्थान सबसे नीचे (0.056%) था ।

परती भूमि में वृद्धि का कारण भूमि की उर्वरता को कायम करना तथा चकबंदी बाद स्थायी रूप से कुछ भूमि को छोड़ने के कारण हुआ है ।

शुद्ध बोया गया क्षेत्र :

शुद्ध कृषिगत भूमि, भूमि उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है । इसके उपयोग की विभिन्न अवस्थायें मानव के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के स्तर की प्रतीक हैं । जनपद में 1955-56 में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 77.03% भाग पर शुद्ध रूप से कृषि कार्य किया जाता था । सन् 1985-86 77.82% भाग पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र विस्तृत था । वर्ष 1990-91 में भदौरा विकास खण्ड 83.75% भाग पर कृषि होने से प्रथम स्थान पर था । जखनियाँ (83.25%) एवं मनिहारी (83.19%) क्रमशः

द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर थे । गाजीपुर (70.2%) विकास खंण्ड का स्थान सबसे नीचे था कारण कि इस विकास खण्ड में शहरी आबादी तथा बगीचों की अधिकता है ।

जल निकासी का प्रबंध, सिंचित क्षेत्र का विस्तार उन्नतिशील बीजों एवं उर्वरकों का प्रयोग, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास आदि कृषिगत क्षेत्र की दृष्टि से विकास खण्डो में वृद्धि वितरण प्रतिरूप के लिए उत्तरदायी हैं । दूसरी ओर सिंचाई एवं यातायात के साधनों का विकास, अधिवासों एवं बाजार क्षेत्र में विस्तार तथा परती भूमि छोड़ने की प्रवृत्ति आदि के कारण शुद्ध कृषिगत क्षेत्र में कमी हो रही है । (मानचित्र सं0 3.2)

दो फसली क्षेत्र :

जनपद में दो फसली क्षेत्र का प्रतिशत उसकी भूमि उपयोग गहनता का परिचायक है । अध्ययन क्षेत्र में 1988-89 में शुद्ध बोई गई भूमि का 31.0% दो फसली क्षेत्र के अन्तर्गत है जबकि 1974-75 में यह मात्र 23.8% था । वर्ष 1988-89 में सर्वाधिक प्रतिशत विरनो विकास खंड का (43.6%) था एवं सबसे कम (13.35%) रेवतीपुर विकास खण्ड का रहा ।

इसके अतिरिक्त गाजीपुर (43.42%) मुहम्मदाबाद (37.79%) कासिमाबाद (36.68%), जमानियाँ (36.71%) का स्थान क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पाँचवाँ एवं छठां था । 25% से कम फसली क्षेत्र में क्रमशः भाँवर कोल (18.07%) देवकली (23.14%) विकास खण्ड आते हैं ।

सन् 1984-85 में सबसे अधिक दो फसली क्षेत्र करण्डा विकास खण्ड में (67.44%) एवं सबसे कम दो फसली क्षेत्र/ रेवतीपुर में (16.07%) था । दो फसली क्षेत्र का निम्न प्रतिशत होने का मुख्य कारण अनुपजाऊ मिट्टी, जलप्लावन, परम्परागत पुरानी कृषि पद्धति, सिंचाई के साधनों का अभाव, सामाजिक पिछड़ापन, अशिक्षा, वैज्ञानिक

DOUBLE CROPPED AREA
1974-75
1984-85
IN PERCENT
20
30
40
50
VARIATION IN DOUBLE CROPPED
1974-75-1984-85
LANDUSE EFFICIENCY
DEVIATION
0·75
1·00
1·25
5 0 5 10
km

FIG. 3·2

कृषि का अभाव आदि हैं तथा उच्च प्रतिशत का कारण जनसंख्या वृद्धि, सिंचाई के साधनों का अभाव, सामाजिक पिछड़ापन, अशिक्षा, वैज्ञनिक कृषि का अभाव आदि हैं तथा उच्च प्रतिशत का कारण जनसंख्या वृद्धि सिंचाई के साधनों में वृद्धि, उन्नतशील बीज एवं उर्वरकों का प्रयोग एवं वैज्ञानिक कृषि आदि हैं । (सारिणी 3.2) ।

सारिणी 3.2

दो फसली क्षेत्र का वितरण (हेक्टेयर में)

विकास खण्ड	वर्ष 1974-75 कुल क्षेत्रफल	प्रतिशत	1984-85 कुल क्षेत्रफल	प्रतिशत	1989-90 कुल क्षेत्रफल	प्रतिशत में परिवर्तन
गाजीपुर	3925	35.47	6182	53.86	8609	43.42
करण्डा	4632	40.54	7783	67.44	4358	27.5
विरनो	4889	40.75	7502	61.07	9483	43.67
मरदह	4920	33.80	5747	39.91	8639	36.3
सैदपुर	4845	28.96	7584	45.00	7035	28.19
देवकली	3661	20.58	7226	42.00	5472	23.14
सादात	5416	34.26	8930	54.43	8682	32.25
जखनियाँ	3555	21.66	7621	48.50	5867	25.71
मनिहारी	4076	22.63	8357	49.48	6440	25.79
मुहम्मदाबाद	5764	32.82	6393	44.48	8618	37.59
भांवरकोल	881	5.10	3409	16.40	4694	18.07
बाराचवर	1750	10.23	6066	39.01	7187	31.02
जमानियाँ	5199	24.72	9944	45.85	12608	36.71
भदौरा	2029	12.80	6383	37.74	8355	32.94
रेवतीपुर	1636	7.55	2830	16.07	2822	13.35
योग जनपद	62404	23.84	106687	41.24	119992	31.00

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका जनपद गाजीपुर 1975, 1985 एवं 1990.

सिंचाई :

जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसका प्रमुख स्रोत वर्षा है । वर्षा से प्राप्त जल ताल, पोखरों, नदियों आदि में इकट्ठा एवं प्रवाहित होता है । निम्न गमन की प्रक्रिया से गुजरता हुआ जल सतही एवं भूमिगत दोनों संसाधनों के रूप में विद्यमान है । सिंह आर0एल0[6] के अनुसार सम्पूर्ण मध्य गंगा घाटी में मिट्टी एवं वर्षा की उपयुक्तता के कारण भूमिगत जल का वृहद् भण्डार विद्यमान है । आवश्यकता केवल इस बात की है कि उसका विस्तृत रूप से वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं स्थिति का निर्धारण किया जाय । अध्ययन क्षेत्र में जल की सतह सामान्यतः 12 फीट से 45 फीट की गहराई के बीच है । भूमिगत जल का सिंचाई के रूप में प्रयुक्त करने का प्रमुख स्रोत कुआँ, नलकूप तथा हैण्डपम्प द्वारा होता है । सतही जल ताल, पोखरे, नदी एवं नहर के रूप में विद्यमान है । जल संसाधन का उपयोग मुख्यतया कृषि एवं विद्युत उतपादन में किया जाता है । नलकूप एवं कुओं द्वारा भूमिगत जल के उपयोग से जनपद की 79.22% सिंचाई होती है जबकि सतही जल के द्वारा 20.78% सिंचाई होती है । सतही जल अस्थायी एवं सीमित है जबकि अध्ययन क्षेत्र में भूमिगत जल की अधिकता एवं उसकी सुलभता है ।

उपर्युक्त विश्लेषणों से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई के चार प्रमुख साधन हैं --

1. तालाब एवं ताल ।
2. कुआँ ।
3. नलकूप ।
4. नहर ।

अध्ययन क्षेत्र गाजीपुर जनपद में सिंचित क्षेत्र का 84.39% व्यक्तिगत एवं शासकीय नलकूपों, 14.64% नहरों, 0.78% कुओं, 0.09% तालाब, ताल व झीलों तथा 0.05% अन्य साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है ।

नलकूप :

जनपद में सिंचाई के प्रमुख साधनों के रूप में व्यक्तिगत नलकूपों एवं राजकीय नलकूपों की कृषि उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है । सरकार की निःशुल्क बोरिंग योजना का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है । इसके अतिरिक्त विश्व बैंक द्वारा महानलकूपों को लगाकर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिससे अत्याधिक अन्न उत्पादन में सहयोग मिला है । इनकी कुल संख्या 25 है । (मानचित्र सं0 3.3)

नहर :

नहर सिंचाई का सबसे सस्ता एवं नलकूप के बाद महत्वपूर्ण साधन है । अध्ययन क्षेत्र में लिफ्ट नहरों का विशेष योगदान है । गंगा नदी पर सैदपुर के पास देवकली पम्प नहर निकाली गई है जिससे असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है । इसके अतिरिक्त शारदा नहर की कई शाखायें एवं उपशाखायें हैं । इसके पुच्छ भाग से सिंचाई की जाती है । पानी की कमी के कारण इनकी भूमिका नगण्य है । जनपद में कुल सिंचित क्षेत्र का 14.96 प्रतिशत नहरों द्वारा सींचा जाता है । जमानियाँ एवं भदौरा विकास खण्डों का स्थान क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय है तथा मुहम्मदाबाद का स्थान सबसे नीचे है जहाँ क्रमशः 50.61%, 50.20%, 0.19% भाग पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है । इसके अतिरिक्त मनिहारी में 16.99% ,देवकली में 14.19% भाँवरकोल 14.29%, रेवतीपुर में 13.43%, सादात में 13.50%, कुआँ, तालाब, ताल एवं झीलों द्वारा सिंचाई बहुत छोटे पैमाने पर की जाती है । आज के वैज्ञानिक युग में कुओं का महत्व धीरे-धीरे घटता जा रहा है क्योंकि कुओं द्वारा सिंचाई रहट एवं पुरवट द्वारा की जाती है इससे अधिक समय में कम क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है । (मानचित्र सं0 3.3)

तालाबों, तालों एवं झीलों द्वारा सिंचाई न्यूनतम क्षेत्र में की जाती है । दोन एवं दौरी की सहायता से पानी को उड़ेलकर खेत में पहुँचाया जाता है । यह परम्परागत साधन है । विशेष रूप से धान की फसल को सिंचाई करने में इन साधनों का प्रयोग

IRRIGATION SYSTEM
MARDAH RAJWAHA
VIRANO
PATPUR R.
KALI
DEO
MAIN CANAL
GHAZIPUR RAJWAHA
GANGA
DEVAIT
RAJWAHA
25
34
25
33
29
30
31
77
87
75
50
62
24
43
7
13
TUBE WELL
RIVER
MAIN CANAL
BRANCHES (RAJWAHA)
0
10
KM.

FIG. 3·3 A

DISTRICT GHAZIPUR
AREA IRRIGATED BY VARIOUS SOURCES
CANAL
1990
TUBEWELL
NET IRRIGATED AREA AS PERCENT TO NET SOWN AREA
1976
1990
0 20 KM
%OF NET IRRIGATED AREA
% OF NET IRRIGATED AREA BY VARIOUS SOURCES
> 20
> 20
20-30
10-20
30-40
20-30
40-50
30-40
50-60
40-50
60-70
50-60
70-80
60-70
80 90
70-80
< 90
80-90
90-100
1980
GROWTH OF NET IRRIGATED AREA
IN %
YEAR
1970-71
73-74
78-79
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87

FIG. 3-3 B

सूखा पड़ने पर किया जाता है ।

जनपद में 0.78% पर कुओं द्वारा एवं 0.09% भाग पर तालाबों, तालों एवं झीलों द्वारा सिंचाई की जाती है । सर्वाधिक 4.69% गाजीपुर, सादात 1.42%, बाराचवर 1.32% जखनियाँ 1.08%, मरदह 1.01% भाग पर कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है । गाजीपुर विकास खण्ड में तालाबों एवं झीलों द्वारा सर्वाधिक 1.18% भाग पर सिंचाई की जाती है । इसके अतिरिक्त विरनों (0.44%),कासिमाबाद (0.06%), भांवरकोल (0.04%) एवं मरदह (0.01%) का स्थान है जहाँ इन साधनों द्वारा नगण्य सिंचाई की जाती है । मानचित्र सं0 3.3 से अध्ययन क्षेत्र में सिंचित साधनों का विवरण ज्ञात हो जाता है । (सारिणी 3.3)

तालिका - 3.3

सिंचित क्षेत्र 1988-87 (प्रतिशत में)

विकास खण्ड	सिंचाई के साधन एवं सिंचित क्षेत्र % में				
	नहर	नलकूप	कुएँ	तालाब झील एंव अन्य	योग
गाजीपुर	3.191	90.93	4.69	1.19	68.18
करण्डा	5.68	93.42	0.63	0.01	57.07
विरनो	7.56	91.83	0.17	0.44	62.53
मरदह	3.77	95.21	1.01	0.01	81.24
सैदपुर	8.99	90.77	0.24	-	47.48
देवकली	14.19	84.97	0.84	-	52.34
सादात	13.56	85.02	1.42	-	53.17
जखनियाँ	9.24	89.68	1.08	-	65.25
मनिहारी	16.99	82.76	0.25	-	63.92
मुहम्मदाबाद	0.19	99.96	0.12	-	74.37
भांवरकोल	14.29	85.35	0.18	0.18	34.50
कासिमाबाद	4.52	94.33	0.96	0.19	78.30
बाराचवर	-	98.33	1.32	0.38	65.70
जमानियाँ	50.61	49.27	0.12	-	59.06
भदौरा	50.20	49.61	0.19	-	76.67
रेवतीपुर	13.43	86.44	0.13	-	47.34
योग	14.69	84.39	0.78	0.13	61.80%

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका गाजीपुर, 1989-90

सिंचाई गहनता :

सिंचाई के माध्यम से भूमि को दो प्रकार से उपयोगी बनाया जा सकता है । प्रथम सूखे क्षेत्र में जल की पूर्ति करके तथा दूसरा जल जमाव क्षेत्र से जल की निकासी करके[7] सिंचाई उत्पादकता में अभिवृद्धि तथा राजस्व व्युत्पन्न करके भूमि के मूल्य वृद्धि में सहायक सिद्ध होता है । सिंचाई गहनता के द्वारा अविकसित क्षेत्र को विकसित क्षेत्र में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है । जलापूर्ति द्वारा शुष्क भूमि की उत्पादकता में अभिवृद्धि एक फसली भूमि का बहुफसली भूमि में परिवर्तन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि, रासायनिक उर्वरकों के प्रचुर प्रयोग द्वारा नयी प्रजातियों का अधिकाधिक उत्पादन में प्रयोग, फसल चक्रों के माध्यम से भूमि की उर्वरता को कायम करना आदि सिंचाई के द्वारा ही सम्भव है जो बढ़ती हुई जनसंख्या की माँग की पूर्ति सहजता से कर सकता है । इन्ही बिन्दुओं पर ध्यान रखते हुए सिंचाई के विविध पक्षों विशेषकर इसकी गहनता का अध्ययन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा ।

अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई गहनता सन् 1974-75 में सर्वाधिक 68.5% गाजीपुर विकास खण्ड में और सबसे कम 15.7% रेवतीपुर विकासखण्ड में था जबकि 1984-85 में भी गाजीपुर का सर्वोच्च स्थान था और यह बढ़कर 78.6 प्रतिशत हो गया । भाँवरकोल विकास खण्ड में सिंचाई गहनता सबसे कम 35.8 प्रतिशत रही । (मानचित्र सं0 3.4)

सिंचाई गहनता के प्रतिशत के आधार पर अध्ययन क्षेत्र को चार वर्गों में विभक्त किया गया है -

1.	निम्न सिंचाई गहनता	20.40%
2.	मध्यम सिंचाई गहनता	40.60%
3.	उच्च सिंचाई गहनता	60.80%
4.	अति उच्च सिंचाई गहनता	80% से ऊपर

INTENSITY OF IRRIGATION
1974-75
1989-90
IN PERCENT
30
40
50
60
VARIATION IN INTENSITY OF IRRIGATION
RCENT
20
40
60
80
IRRIGATION (CANALS)
IN PERCENT
10
20
30
40
IRRIGATION (TUBEWELLS)
PERCENT
60
70
80
90
IRRIGATION (OTHER SOURCES)
IN PERCENT
0 50
1 00
1 50
2 00
5 0 5 10
km

FIG. 3·4

निम्न सिंचाई गहनता की श्रेणी में वर्ष 1988-89 में भांवर कोल विकास खण्ड सम्मिलित था जहाँ गहनता का प्रतिशत क्रमशः 34.9 प्रतिशत एवं 41.34 प्रतिशत है । यहाँ सिंचाई के साधनों का अभाव तथा जल स्तर का नीचा होना इसका प्रमुख कारण है । सन् 1974-75 में रेवतीपुर भांवरकोल विकास खण्ड इस श्रेणी के अन्तर्गत थे जहाँ गहनता प्रतिशत क्रमशः 15.7%, 17.4% या मध्यम सिंचाई गहनता श्रेणी के अंतर्गत वर्ष 1974-75 में मरदह, देवकली, सादात, जखनियाँ, मनिहारी, मुहम्मदाबाद, कासिमाबाद, बाराचवर, जमनियाँ एवं भदौरा विकास खण्ड सम्मिलित थे जबकि वर्ष 1988-89 में जमनियाँ, करण्डा, सादात, रेवतीपुर विकास खण्ड इस श्रेणी के अन्तर्गत था जहाँ सिंचाई गहनता क्रमशः 59.06%, 57.67%, 53.17% एवं 41.34% थी ।

उच्च- सिंचाई गहनता की श्रेणी 60.80% के अन्तर्गत है जहाँ 1974-75 में अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत गाजीपुर (68.5%) विरनो (65.0%), एवं मरदह (68.4%) विकास खण्ड सम्मिलित थे जबकि 1988-89 में जनपद के आठ विकास खण्ड उच्च सिंचाई सघनता श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित थे । कासिमाबाद 78.25%, भदौरा 75.67% मुहम्मदाबाद 74.37% ,सैदपुर 67.86% , जखनियाँ 65.25%, बाराचवर 65.17%, मनिहारी 63.92% एवं देवकली 61.8% जमानियाँ व भदौरा विकास खण्ड थे । वर्ष 1988 - 89 में जनपद की सिंचाई गहनता 64.32% था ।

अति उच्च सिंचाई गहनता के अन्तर्गत जनपद के 3 विकास खण्ड, विरनो, मरदह एवं गाजीपुर विकास खण्ड आते हैं । जहाँ सिंचाई गहनता का प्रतिशत क्रमशः 93.34%, 81.24% एवं 80.39% है ।

सिंचाई गहनता में परिवर्तन :

अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई गहनता में परिवर्तन का अध्ययन 1974-75 एवं 1988-89 की अवधि का किया गया है । जनपद में परिवर्तन का प्रतिशत 48.77% है । भांवरकोल में 135.9% तथा सबसे कम मनिहारी विकास खण्ड में 13.59% हुआ ।

सिंचाई गहनता परिवर्तन को चार श्रेणियों में विभक्त किया गया है -

1.	अति निम्न	25% से कम
2.	निम्न	25% - 50%
3.	मध्यम	50% - 75%
4.	उच्च	75% - 100%
5.	अति उच्च	100 से ऊपर

अति निम्न सिंचाई गहनता परिवर्तन की श्रेणी में जनपद के सात विकास खण्ड आते हैं । इनमें गाजीपुर (18.98%), देवकली (18.51%), सैदपुर (18.79%), सादात (15.39%), जखनियाँ (14.67%), जमानियाँ (19.98%) तथा मनिहारी विकास खण्ड (3.59%) आते हैं ।

निम्न सिंचाई गहनता परिवर्तन में मात्र तीन विकास खण्ड विरनों, मरदह एवं बाराचवर थे । जहाँ परिवर्तन का प्रतिशत क्रमशः 47.30%, 45.08%, 43.76% है ।

मध्यम सिंचाई गहनता परिवर्तन वर्ग (50 - 75%) में जनपद के दो विकासखण्ड भदौरा एवं मुहम्मदाबाद आते हैं जहाँ गहनता परिवर्तन का प्रतिशत क्रमशः 74.81% एवं 65.91% रहा । उच्च सिंचाई गहनता परिवर्तन वर्ग (75 - 100%) की श्रेणी में एक मात्र विकास खण्ड कासिमाबाद है जहाँ परिवर्तन का प्रतिशत 76.06% है । अति उच्च श्रेणी (100 से ऊपर) के अन्तर्गत भाँवरकोल एवं रेवतीपुर दो विकास खण्ड सम्मिलित हैं । इन विकास खण्डों में परिवर्तन का प्रतिशत क्रमशः 135.9% एवं 122.44% है । इसका मुख्य कारण सिंचाई के साधनों में वृद्धि है ।

तालिका 3.4

सिंचाई गहनता में परिवर्तन (प्रतिशत)

1974-75 से 1989-90

विकास खण्ड	1974 - 75 शुद्ध सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	1989 - 90 शुद्ध सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	परिवर्तन	परिवर्तन प्रतिशत
गाजीपुर	7582	9025	1440	18.98
करण्डा	4286	6625	2377	55.95
विरनो	7800	11440	3640	47.30
मरदह	8484	12309	3825	45.08
सैदपुर	10236	12169	1924	18.79
देवकली	9444	11230	1780	18.91
सादात	8405	9697	1294	15.39
जखनियाँ	9650	11066	1416	14.67
मनिहारी	10427	11844	1417	13.59
मुहम्मदाबाद	6431	10638	4207	65.91
भाँवरकोल	3000	7077	4077	13.59
कासिमाबाद	7497	14080	6083	76.06
बाराचवर	7244	10414	3170	43.76
जमानियाँ	10696	12833	2137	19.98
भदौरा	7396	12929	5533	74.81
रेवतीपुर	3404	7572	4168	122.44

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका एवं मिलान खसरा जनपद गाजीपुर, 1974-75 से 1989-90

भूमि उपयोग समस्यायें :

व्यावहारिक विज्ञान में भूमि उपयोग की नीति एवं योजना में मानव समाज का कल्याण निहित होता है, क्योंकि देश या क्षेत्र विशेष की आर्थिक समुन्नति हेतु मानव भूमि की आर्थिक उपयोगिता में सतत् वृद्धि करता रहता है । वारलो [8] ने भूमि उपयोग को भूमि समस्या एवं योजना संबंधी विवेचना की धुरी बताया है ।

जनपद में प्रचलित भूमि उपयोग संबंधी समस्याओं में कुछ कृषि भूमि में वृद्धि, कृषि भूमि में कृष्य भूमि के परिवर्तन की समस्या, भूमि का अवैज्ञानिक उपयोग एवं गहन उपयोग की समस्या प्रमुख है । वर्ष 1974-75 में जनपद में कुल शुद्ध कृषित भूमि 78.19% की अपेक्षा वर्ष 1988-89 80.12% से अधिक है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण अधिक से अधिक भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है । इस वृद्धि से चरागाहों, वन, बंजर भूमि में क्रमशः ह्रास हो रहा है । अध्ययन क्षेत्र में भूमि क्षरण एवं भूमि सुधार योजनाओं की अव्यावहारिकता के कारण कृषि भूमि का अधिग्रहण कम हो पाया है । अतः दोनों रीतियों से भूमि उपयोग की मात्रात्मक समस्या उल्लेखनीय है । कृषक अधिकांशतः अशिक्षित हैं इस कारण वे आधुनिक वैज्ञानिक कृषि विधियों से अपरिचित हैं साथ ही आर्थिक अभाव के कारण शुद्ध कृषि भूमि का गहन उपयोग कम सम्भव है । जनपद की बढ़ती जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि भूमि संसाधन का अधिकाधिक उपयोग हो जिससे बहुफसली भूमि एवं शस्य गहनता में वृद्धि हो सके ।

भूमि उपयोग नियोजन :

नियोजन का मूल उद्देश्य अर्थ व्यवस्था की प्रगतिशील शक्तियों को प्रोत्साहन देना है जिसके द्वारा प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों को समुन्नत किया जा सके। नियोजन के अन्तर्गत नई परिस्थितियों, नई समस्याओं एवं अन्तर्सम्बन्धों को आत्मसात करने की क्षमता होती है साथ ही इसमें बहुमुखी प्राविधिक कुशलताओं एवं विविध व्यावसायिक क्षमताओं का समन्वय होता है । आर्थिक नियोजन आर्थिक निर्णय की क्रिया को दर्शाता है एवं भविष्य के आर्थिक क्रिया-कलापों का परिप्रेक्षण करता है । बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत करते हुए कृषि के विकार हेतु कृषि प्रारूपों में अभीष्ट परिवर्तन करने के लिए समष्टि रूप से कृषि नियोजन आवश्यक है जो आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण अंग है ।

कृषि के अभीष्ट स्तर से वर्तमान कृषि विकास स्तर की कमी को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध संसाधनों की अप्रयोगिता क्षमता का अनुकूल उपयोग करने हेतु कृषि

विकास की व्यूह रचना के संरक्षण को कृषि नियोजन करते हैं । कृषि भूगोल का व्यावहारिक पक्ष नियोजन द्वारा दर्शाया जाता है जिसका अन्तिम उद्देश्य आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्षेत्रीय कृषि - आर्थिक समन्वय द्वारा कृषि संसाधनों के अनुकूल उपयोग का विश्लेषण एवं अधिकतम उत्पादन पर बल देता है ।

कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले गाजीपुर जनपद में भूमि ही सर्वोमरि संसाधन है जहाँ कृषि के लिए उपयुक्त मैदान, मानसूनी जलवायु, उर्वर भूमि एवं उच्च जल स्तर उपलब्ध है और दूसरी ओर अनिश्चित वर्षा, भूमि क्षरण एवं जल प्लावन की अध्ययन क्षेत्र में पुनरावृत्ति होती रहती है। इन भौतिक समस्याओं के अतिरिक्त तीव्र जनसंख्या वृद्धि, भूमि उपयोग में अव्यवस्था, रूढ़िवादी कृषि परम्परा, अशिक्षा एवं तकनीकी अभाव जैसे तत्व भी भूमि उपयोग विकास में बाधक हैं । पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के निमित्त कृषि विकास संबंधी योजना पर विशेष बल दिया गया परन्तु देश की निर्धनता के कारण सम्भावित कृषि विकास का अभाव रहा है । कृषि विकास हेतु लघु प्रदेशीय योजना का संरूपण एवं उनका कार्यान्वयन अधिक लाभप्रद सिद्ध होगा । इससे कृषि व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है । जनपद स्तर पर प्रत्येक लघु इकाई के लिए समन्वित विकास योजनाओं के फलस्वरूप ही संतुलित विकास का उदय संभव हो सकेगा ।

व्यावहारिक रूप से भूमि उपयोग नियोजन को विविध भूमि उपयोगों के लिए कृषित भूमि की सर्वोत्तम उपयुक्तता के निश्चयन की एक प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि सीमित भूमि संसाधन पर जनसंख्या भार न केवल समस्या को जन्म देता है अपितु भविष्य के लिए न्यूनतम जीवन स्तर व्यतीत करने को बाधा भी करता है । अतः समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक है कि कृषि विकास योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की जाय जिससे जनपद की अर्थव्यवस्था सुदृढ एवं विकसित की जा सके ।

भूमि उपयोग नियोजन की नितान्त आवश्यकता है जिसमें आधुनिक भूमि

उपयोग गहनता एवं कृषि का मिश्रित उपयोग अपेक्षित है जिससे कृषि के सर्वांगीण विकास हेतु अनुकूल दशायें सुलभ हो सकेंगी । इसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा रहे हैं ।

अ. **भूमि उपयोग गहनता :**

1. खेतों की मेंड़बन्दी एवं समतलन ।
2. चको की न्यूनतम संख्या ।
3. सिंचाई के साधनों की उपलब्धता ।
4. बहुफसली योजनाओं का कार्यान्वयन ।
5. नकदी फसलों का उत्पादन ।
6. फसल चक्र व्यवस्था ।
7. उन्नतिशील बीजों एवं उर्वरकों का समुचित प्रयोग
8. वैज्ञानिक कृषि पद्धति ।
9. फसल सुरक्षा ।

ब. भूमि का मिश्रित एवं बहुउपयोग :

जहाँ एक तरफ भूमि उपयोग नियोजन के अन्तर्गत भूमि उपयोग की उच्चतम क्षमता अभिस्थापन में गहन कृषि की अनुशंसा की गई है वहीं यह भी आवशययक है कि क्षेत्रीय प्रगतिशील किसानों में भूमि के मिश्रित एवं बहु उपयोग हेतु जागृति उत्पन्न की जाय । ग्रामीण विकास हेतु भूमि का बहुमुखी उपयोग किया जाय जिसमें शस्यो उत्पादन एवं पशुपालन प्रमुख है । पश्चिमी देशों में मिश्रित खेती वास्तविक खेती का गुर है । पशुपालन व्यवस्था से दुग्ध उद्योग विकसित होगा जिससे ग्रामीणों की आर्थिक दशा सुधरेगी और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे ।

अध्ययन क्षेत्र गाजीपुर जनपद में भूमि उपयोग, कृष्योत्पादन, जनसंख्या वृद्धि एवं पोषण स्तर आदि तत्वों में हुए परिवर्तनों से स्पष्ट होता है कि जनपद में जनसंख्या वृद्धि के कारण आर्थिक विकास एवं जीवन स्तर में गिरावट दृष्टिगोचर होती है जो कृषि

आय में वृद्धि के असंतुलित अनुपात का द्योतक है । जनपद में खनिज संसाधनों एवं उद्योग धन्धों की कमी के कारण अर्थतंत्र पूर्णरूपेण कृषि पर ही आधारित है । इस दृष्टि से क्षेत्र के निवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए उच्चतम भूमि उपयोग क्षमता एवं अधिकतम कृषि उत्पादन हेतु योजनाबद्ध कार्यक्रम की नितांत आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त कृषि पर जनसंख्या भार को कम करने के लिए कृषि से संबंधित उद्योगों एवं कृष्येतर व्यवसायों को प्रोत्साहन देकर रोजगार उपलब्ध कराना चाहिये जिससे ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊँचा उठ सके ।

शस्य क्रम गहनता :

शस्य क्रम गहनता से तात्पर्य भूमि उपयोग गहनता से है । यह एक वर्ष विशेष में एक से अधिक फसलों के उत्पादन की ओर इंगित करता है । दूसरे शब्दों में किसी भी क्षेत्र में शुद्ध बोये गये क्षेत्र की अपेक्षा कुल फसल क्षेत्र का अधिक होना शस्य क्रम गहनता का परिचायक है । टण्डन एवं घोंड्याल[9] के शब्दों में ' शस्य गहनता वह सामाजिक बिन्दु है जहाँ भूमि श्रम एवं पूँजी का सम्मिश्रण सर्वाधिक लाभप्रद सिद्ध होता है[10]. शस्य क्रम गहनता निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है यथा -

$$\text{शस्य क्रम गहनता} = \frac{\text{कुल फसलगत क्षेत्र}}{\text{शुद्ध बोया गया क्षेत्र}} \times 100$$

उपरोक्त सूत्र के आधार पर अध्ययन क्षेत्र की औसत शस्य गहनता वर्ष 1988-89 में 144.94% थी जबकि 1984-85 एवं 1974-75 में क्रमशः 142.72% एवं 126.31% थी । इससे स्पष्ट होता है कि जिससे वर्षों की तुलना में शस्य गहनता में लगातार वृद्धि हो रही है, जो अधिकतम भूमि उपयोग एवं कृषि के प्रति रूचि का द्योतक है । इसका मुख्य कारण कृषि पर जनसंख्या भार का अधिक होना है । विकास खण्ड स्तर पर यदि इसका अध्ययन किया जाय तो इसमें पर्याप्त विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। वर्ष 1988-89 में सबसे कम शस्य गहनता रेवतीपुर (115.41%) एवं भांवरकोल

(128.08%) में रही है इसके विपरीत सबसे अधिक शस्य गहनता विरनो (177.54%) एवं गाजीपुर (176.73%) विकास खण्ड में थी । वर्ष 1974-75 में 105.10%, भाँवरकोल, 107.55%, रेवतीपुर, 167.64%, करण्डा, 140.75% विरनो एवं 135.47% गाजीपुर विकास खण्डों में थी । निम्न सारिणी (3.5) के आधार पर जनपद की शस्य गहनता को 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया है ।

तालिका -3.5 ए

शस्य क्रम गहनता श्रेणी

श्रेणी	शस्य गहनता %	विकास खण्डों की संख्या	
		1974-75	1988-89
अति निम्न	120 से कम	4	1
निम्न	120 - 130	6	1
मध्यम	130 - 140	4	5
उच्च	140 - 150	1	3
अति उच्च	150 से ऊपर	1	6

उपर्युक्त तालिका सं 3.5 से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1974 - 75 में 130% से कम शस्य गहनता के अन्तर्गत दस विकास खण्ड थे जबकि वर्ष 1988-89 में मात्र दो विकास खण्ड हैं । वर्ष 1974-75 में मध्यम, उच्च एवं अति उच्च श्रेणी के अन्तर्गत क्रमशः 4, 1 एवं 1 विकास खण्ड थे । इसके विपरीत 1988-89 में इन श्रेणियों के अंतर्गत क्रमशः पाँच , तीन एवं छः विकास खण्ड आते हैं । इस प्रकार कुल चौदह विकास खण्ड सम्मिलित हैं ।

तालिका - 3.5 बी.

शस्य गहनता

विकास खण्ड	1974-75			1989-90		
	शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हेक्टेयर)	सकल बोया गया क्षेत्र (हेक्टेयर)	शस्य गहनता प्रतिशत	शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हेक्टेयर)	सकल बोया गया क्षेत्र (हेक्टेयर)	शस्य गहनता प्रतिशत
गाजीपुर	11060	14983	135.47	11220	19829	176.73
करण्डा	11507	19290	167.64	11486	15844	137.94
विरनो	11997	16886	140.75	12230	21713	177.54
मरदह	14553	19473	133.80	15151	23790	157.02
सैदपुर	16730	21575	128.96	17918	24953	139.26
देवकली	17788	21449	120.58	18171	23643	130.11
सादात	15807	21229	134.30	18236	26918	147.61
जखनियाँ	16416	19971	121.65	16956	22823	134.60
मनिहारी	18009	22085	122.63	18529	24969	134.76
मुहम्मदाबाद	15733	20897	132.82	14303	22921	160.25
भाँवरकोल	17258	18139	105.10	20277	25971	128.08
कासिमाबाद	18013	21965	121.94	17992	28416	157.94
बाराचवर	17105	18855	110.23	15979	23166	144.97
जमानियाँ	21028	26227	124.72	21728	34336	158.03
भदौरा	15854	17883	112.80	17085	25440	148.90
रेवतीपुर	21672	23308	107.55	18315	21137	115.41

स्रोत : साँख्यिकी पत्रिका 1976, 1990.

शस्य-स्वरूप :

क्षेत्र विशेष में फसलों के क्षेत्रीय वितरण - प्रारूप को शस्य - स्वरूप कहते हैं । यह सकल बोये गये क्षेत्र के प्रतिशत द्वारा ज्ञात किया जाता है जो उस क्षेत्र की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी दशाओं को दर्शाता है । अतः ये कारक शस्य वितरण में क्षेत्रीय एवं सामयिक अन्तर उत्पन्न कर देते हैं । वर्षा, आर्द्रता, तापक्रम जलस्तर मिट्टी एवं ढाल का प्रभाव फसलचक्र निरोधक के रूप में पड़ता है सिंचाई साधनों, जोत-आकार, शुद्ध लाभ, मिश्रित फल व्यवस्था आदि शस्य स्वरूप को निर्धारित करता है। (मानचित्र सं0 3.5)

अध्ययन क्षेत्र में शस्य स्वरूप को उपर्युक्त कारकों ने काफी हद तक प्रभावित किया है । वर्ष 1970-71 में कुल खाद्यान्न का 94% भाग पर कृषि हुई जिसमें 68.67%, धान्य, 25.3% दालें, 3.92% गन्ना 1.1% आलू तथा 0.98% अन्य अखाद्य फसलों का भाग रहा । कुल खाद्यान्न का 28.07% धान, 10.4% गेहूँ, 15.45%, जौ, 2.18% मक्का, 8.63% ज्वार एवं बाजरा, 3.94% अन्य धान्य तथा दालों में 8.2% चना, 7.85 अरहर 3.56% मटर एवं 5.44% अन्य दालों की खेती की गई । इसके विपरीत जौ, ज्वार, बाजरा मक्का इत्यादि फसलों की खेती अधिक की गई जिसमें कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है ।

वर्ष 1980-81 में 94.16% भाग पर खाद्यान्न की कृषि हुई जिसमें 80.52% भाग पर धान्य एवं 13.64% भाग पर दालों की कृषि हुई जो पिछले दशक की तुलना में दालों की अपेक्षा धान्य फसलों की अधिक कृषि की गई । इसका मुख्य कारण सिंचित क्षेत्र की अधिकता, उन्नतशील बीजों एवं उर्वरकों का अधिकतम प्रयोग रहा । गन्ना (1.4%) एवं आलू (0.54%) की कृषि स्वरूप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । कुल धान्य फसलों का 32.23% धान, 26.32% गेहूँ, 13.0% जौ, 4.91% ज्वार एवं बाजरा, 0.97% मक्का एवं 1.09% भाग अन्य धान्य फसलों का प्रतिशत रहा ।

N
% OF TOTAL CROPPED AREA
< 10
10 15
15 20
20 25
25 30
30 35
35 40
40 >
PULSES
JWAR BAZARA
0 20
KM
CROPPING PATTERN
WHEAT
PADDY
MILLETS
PULSES
SUGARCANE
OTHERS
0 10
KM

FIG. 3·5

इसके अतिरिक्त 7.31% चना, 3.37% अरहर, 0.78% मटर तथा 2.18% भाग पर अन्य दालों की कृषि की गई ।

सन् 1989-90 में जनपद में कुल कृषि का 76.09% धान्य, 7.47 दालें, 3.64% गन्ना एवं 1.91% भाग पर आलू की खेती की गई, जो वर्ष 1980-81 की तुलना में दालों की अपेक्षा धान्य फसलों की कृषि अधिक की गई । कुल धान्य फसलों का 31.76% धान, 35.85% गेहूँ, 2.55% जौ, 5.11% ज्वार एवं बाजरा तथा 0.56% भाग पर मक्के की कृषि की गई । जो 1970-71 एवं 1988-89 का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि धान एवं गेहूँ की कृषि में वृद्धि सर्वाधिक है जबकि जौ की कृषि में काफी ह्रास हुआ है । इसका मुख्य कारण जौ की मांग की कमी है । गेहूँ की खेती में जौ की अपेक्षा अधिक उत्पादन एवं लाभ है । गेहूँ की कई उन्नतशील जातियाँ है जबकि जौ में गेहूँ की अपेक्षा अधिक उत्पादन एवं लाभ है । गेहूँ की कई उन्नतशील जातियाँ है जबकि जौ में गेहूँ की अपेक्षा कम है । इसी प्रकार दालों की कृषि में भी कमी हुई है । 1988-89 में 0.11% भाग पर उर्द, 0.17%, मूँग, 1.99% मसूर 5.18% चना की कृषि की गई । गन्ना एवं आलू का प्रतिशत क्रमशः 3.64% एवं 1.91% रहा । किन्तु दो दशकों की तुलना में गन्ने एवं आलू की कृषि में वृद्धि हुई क्योंकि ये दोनों फसलें मुद्रादायिनी फसलें हैं । कृषकों का झुकाव इनकी ओर बढ़ता जा रहा है । नन्दगंज चीनी मिल के कारण गन्ने की कृषि अधिक होने लगी है ।

दालों की कृषि में कमी का मुख्य कारण कम उत्पादन फसल चक्र का न अपनाना, रोग एवं बीमारियों की अधिकता, उन्नतशील बीजों की कमी, वर्ष भर खेतों का फँसा रहना, वर्षा की अनिश्चितता तथा नील गायों का अत्याधिक मात्रा में होना जो फसलों को काफी हानि पहुँचाते हैं , रहा है । शस्य स्वरूप का विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है ।

तालिका 3.6

शस्य स्वरूप (प्रतिशत में)

फसलें	वर्ष		
	1970-71	1980-81	1989-90
कुल धान्य	68.67	80.52	76.09
धान	28.07	32.23	31.76
गेहूँ	10.40	26.32	35.85
जौ	15.43	13.0	2.55
ज्वार एवं बाजरा	8.63	4.91	5.11
मक्का	2.18	0.97	0.56
अन्य धान्य	8.20	1.09	0.16
दाले	25.32	13.52	10.98
उर्द, मूँग, मसूर	5.44	2.18	2.27
चना	8.20	7.31	5.18
मटर	3.56	0.78	0.82
अरहर	7.85	3.37	2.73
अन्य			
गन्ना	3.92	3.90	3.65
आलू	1.10	1.40	1.91

स्रोतः सांख्यिकी पत्रिका - गाजीपुर, 1972, 1982, 1990

क्षेत्रीय वितरण - प्रारूप :

फसलों के क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप के अध्ययन से फसल के क्षेत्रीय महत्व एवं उपयोगिता की जानकारी होती है तथा इससे संबंधित कारकों का भी स्पष्टीकरण होता है । इसके अतिरिक्त इसके आधार पर एकाग्रता सूची भी ज्ञात की जाती है । इस प्रकार का अध्ययन फसल वितरण संबंधी विशेषताओं का समझाने में महत्वपूर्ण है । (मानचित्र सं0 3.5)

कुल खाद्यान्य :

सन् 1975-76 में जनपद में कुल खाद्यान्य की 91.10% पर कृषि की गई, जिसमें 71.33% धान्य, 19.70% दालें, 4.70% गन्ना, 1.02% आलू व 3.18% अखाद्य फसलों का प्रतिशत रहा । जबकि 1988-89 में सर्वाधिक 91.79% जखनियाँ विकास खण्ड में खाद्यानों की कृषि की गई । गाजीपुर का स्थान सबसे नीचे (75.16%) था । इसके बाद सबसे कम क्षेत्र में खाद्यानों की खेती भाँवरकोल विकास खण्ड (79.56%) में की गई । शेष सभी विकास खण्ड 80-90% के बीच रहे ।

कुल धान्य :

अध्ययन क्षेत्र में 1988-89 वर्ष में 76.09% भाग पर कुल धान्यों का उत्पादन हुआ जबकि 1974-75 में यह भाग 71.33% था । कुल धान्य (1988-89) की कृषि सर्वाधिक सादात (84.19%) विकास खण्ड में एवं सबसे कम क्रमशः भाँवरकोल एवं रेवतीपुर (59.84%) विकास खण्डों में था । 70-80% के बीच क्रमशः गाजीपुर (70%), मुहम्मदाबाद (72.11%), जमानियाँ (73.26%), करण्डा (73.36%), वाराचवर (77.35%), भदौरा, (77.54%) विकास खण्डों का स्थान था । 80-90% के बीच गाजीपुर में आठ विकास खण्ड थे यथा सैदपुर (80.78%) मनिहारी (81.02%), देवकली (82.44%), मरदह (82.78%), कासिमाबाद (82.75%), विरनो (83.26%), देवकली (82.44%), जखनियाँ (83.81%) थे ।

प्रमुख - फसलें :

चावल (धान) :

अध्ययन क्षेत्र में चावल एक महत्वपूर्ण फसल है जिसकी खेती समस्त विकास खण्डों में की जाती है । इसका मुख्य कारण भूमि का नीचा होना एवं मिट्टी है । जनपद में 1974-75 में 28.65% भाग पर कृषि की गई जबकि 1988-89 में यह बढ़कर 31.76% हो गया । क्षेत्रीय वितरण में सर्वाधिक चावल की खेती क्रमशः विरनों (45.54%), सादात (40.06%), मरदह (39.81%), कासिमाबाद (39.45%) एवं जखनियाँ (38.50%) की गई । सबसे कम खेती भाँवरकोल (12.5%), रेवतीपुर (15.58%) एवं करण्डा (16.63%) विकास खण्डों में की गई । इनका मुख्य कारण बाढ़ क्षेत्र करैली भूमि एवं उच्च बलुई दोमट मिट्टी है जो धान की खेती के लिए उपर्युक्त नहीं है । वर्ष 1974-75 में सर्वाधिक मरदह विकास खण्ड में 43.00% एवं सबसे कम करण्डा (9.46%) विकास खण्ड में चावल की खेती की गई । वर्तमान समय में धान की कृषि में वृद्धि का मुख्य कारण सिंचाई के साधनों की प्रचुरता, उन्नतिशील बीजों एवं उर्वरकों का प्रयोग रहा है जिसके माध्यम से अधिक से अधिक खेती कर जनसंख्या अधिकार को वहन किया जा सके ।

गेहूँ :

वर्तमान समय में जनपद में गेहूँ का स्थान प्रथम है । वर्ष 1988-89 में 35.85% भाग पर गेहूँ की खेती की गई जबकि 1980-81 एवं 1970-71 में क्रमशः 26.32% एवं 10.40% भाग पर ही खेती की गई । इसका मुख्य कारण दो दशक पूर्व सिंचाई के साधनों, उर्वरकों एवं उन्नतिशील बीजों का अभाव था । जैसे - जैसे इन साधनों एवं तकनीकी का विकास होता गया । क्रमशः गेहूँ की खेती के प्रति रूचि बढ़ती गई । मरदह, जखनियाँ एवं सैदपुर में सर्वाधिक गेहूँ की खेती की जाती है जहाँ सकल भूमि की इन विकास खण्डों में क्रमशः 40.82%, 39.61% एवं 39.13% भाग पर खेती की जाती है । सबसे कम गेहूँ की खेती भांवरकोल (26.14%) एवं रेवतीपुर

(31.57%) में की जाती है । इसका मुख्य कारण सिंचाई के साधनों का अभाव एवं मसूर की खेती की अधिकता है ।

जौ :

जौ अध्ययन क्षेत्र की तीसरी महत्वपूर्ण रबी फसल है । सन् 1970-71 में जनपद के सकल बोये गये क्षेत्र के 15.45% भाग पर खेती की गई जबकि सन् 1980-81 एवं 1988-89 में यह घटकर क्रमशः 13.0% एवं 2.55% रह गया । जौ की खेती में ह्रास का मुख्य कारण गेहूँ की कृषि की अधिकता एवं जौ की कम मांग रहा है । जनपद में जौ की सर्वाधिक खेती करण्डा, मनिहारी, रेवतीपुर एवं जमनियां बाराचवर में की गई । जहाँ क्रमश, 4.19%, 3.92%, 3.79% एवं 3.39% भाग है । सबसे कम क्षेत्र में खेती मरदह (1.21%), देवकली (1.73%), कासिमाबाद (1.90%), गाजीपुर (1.96%) एवं सादात (1.98%) विकास खण्ड में की गई ।

ज्वार एवं बाजरा :

मोटे अनाजों में ज्वार एवं बाजरा प्रमुख फसल है । इसकी खेती खरीफ में उच्च भूमि पर की जाती है । 1970-71 में जनपद के सकल बोये गये क्षेत्र के 8.63% भाग पर खेती की गई । किन्तु लगभग दो दशक बाद इसकी खेती में ह्रास हुआ । 1988-89 में मात्र 5.11% भाग पर ही खेती की गई । इस मुख्य कारण मोटे अनाज के प्रति अरूचि एवं कम उत्पादन है । नदी के किनारे की उच्च भूमि जिसमें पानी न लगता हो कृषि की जाती है । यही कारण है कि मुहम्मदाबाद, देवकली, भाँवरकोल जमनियां एवं सैदपुर ज्वार बाजरे की खेती अधिक मात्रा में की जाती है । सकल बोये गये भूमि के क्रमशः 8.34%, 8.63%, 6.67%, 6.63% एवं 5.98% भाग पर खेती की गई । सबसे कम खेती मरदह, विरनो, सादात एवं जखनियाँ विकास खण्डों में की गई । इस मुख्य कारण उच्च भूमि एवं जल निकास का अभाव है ।

मक्का :

अध्ययन क्षेत्र में ज्वार बाजरे की भाँति मक्के की भी खेती कम की जाने लगी। । ⟮1970-71⟯ में मक्के की खेती का प्रतिशत 2.18 रहा जो घटकर 1988-89 में मात्र 0.56% ही रह गया । सबसे अधिक इसकी खेती सैदपुर विकास खण्ड ⟮2.49%⟯ में की गई । इसके बाद क्रमशः जखनियाँ ⟮1.2%⟯ एवं सादात ⟮1.92%⟯ विकास खण्डों का स्थान है । विरनो, मरदह, भदौरा, बाराचवर, रेवतीपुर विकास खण्डों में इसकी खेती नगण्य होती है ।

दलहन :

दलहन फसलों के अन्तर्गत अरहर, चना, मटर, मूँग, उर्द, मसूर आदि सम्मिलित हैं । 1970-71 में जनपद के सकल बोई गई भूमि के 25.32% भाग पर खेती की गई । जबकि 1980-81 एवं 88-89 में क्रमशः 13.64% एवं 10.97% भाग पर खेती हुई । इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दलहन की खेती में क्रमशः ह्रास हो रहा है । दलहन फसलों की सर्वाधिक खेती भाँवरकोल ⟮46.18%⟯, जमानियाँ ⟮30.64%⟯ एवं रेवतीपुर ⟮23.82%⟯ विकास खण्डों में की गई । सबसे कम खेती मरदह एवं विरनों विकास खण्डों में हुई जहाँ दलहनी खेती का प्रतिशत क्रमशः 4.04% एवं 4.16% रहा । वर्ष 1988-89 में मूँग, मसूर , चना, मटर एवं अरहर की खेती का प्रतिशत क्रमशः 0.17%, 1.99%, 5.18%, 0.80% एवं 2.73% था । जनपद में चने की खेती क्रमशः रेवतीपुर ⟮15.92%⟯, एवं भाँवरकोल ⟮12.29%⟯ विकास खण्डों में सर्वाधिक क्षेत्र में की जाती हे । इसके विपरीत सबसे कम खेती गाजीपुर मरदह एवं विरनो विकास खंण्डों में की गई । इसी प्रकार मसूर की खेती सर्वाधिक 13.05% भाँवरकोल 6.63% वाराचवर एवं 6.23% जमानियाँ विकास खण्डों में हुई । इन विकास खण्डों में चने एवं मसूर की खेती की अधिकता का मुख्य कारण जलोढ़ मिट्टी है जो गंगा नदी के कछारी क्षेत्र में बहुलता से पाई जाती है । इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है ।

अरहर की खेती जनपद में 1988-89 में मात्र 2.73% भाग पर की गई ।

सबसे अधिक इसकी खेती 7.10% करण्डा, 6.35% रेवतीपुर एवं 4.33%, जमानियाँ विकास खण्डों में की गई । इसके विपरीत सबसे कम खेती का प्रतिशत विरनो एवं मरदह में रहा जहाँ क्रमशः 1.30% एवं 1.43% भाग पर खेती हुई ।

मुदादायिनी फसलें :

जनपद में मुद्रादायिनी या नकदी फसलों के अन्तर्गत गन्ना एवं आलू सम्मिलित हैं । सिंचाई के साधनों की प्रचुरता, उन्नतिशील बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता के कारण इनकी खेती की ओर विशेष बल दिया जा रहा है । जबकि भाँवरकोल बाराचवर एवं जमानियाँ विकास खण्डों में मसूर मुख्य मुद्रादायिनी फसल है जहाँ कम लागत में इसकी खेती प्रचुरता से होती है । सन् 1955-56 में गन्ना एवं आलू की कृषि सकल बोये गये क्षेत्र के 3.9% भाग पर की गई जबकि 1988-89 में 5.55% भाग पर कृषि हुई जिसमें गन्ना 3.64% एवं आलू 1.91% रहा । गन्ने की खेती की ओर आकर्षण का मुख्य कारण नन्दगंज सिरोही चीनी मिल की स्थापना है जहाँ किसान अपने गन्ने को बेचकर आसानी से नगदी प्राप्त कर लेते हैं । जनपद के विभिन्न अंचलों में काँटे लगे हुए हैं जिससे किसानों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता । गन्ने की सर्वाधिक खेती मनिहारी (6.52%) , कासिमाबाद (5.05%), सैदपुर (4.75%), सादात (4.63%), विरनो (4.58%) एवं करण्डा (4.58%) विकास खण्डों में की जाती है जो नंदगंज चीनी मिल के समीपवर्ती विकास खण्ड हैं और जहाँ गन्ने की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं । गन्ने की सबसे कमि खेती जमानियाँ (0.74%) भदौरा (0.57%), रेवतीपुर (1.01%) एवं भाँवरकोल (1.88%) विकास खण्डों में है । इन विकास खण्डों में कम क्षेत्रों में खेती का मुख्य कारण बाढ़ एवं निम्न भूमि की प्रचुरता तथा सिंचाई के साधनों का अभाव है ।

आलू सब्जियों की खेती में सर्वप्रमुख फसल है । यह एक मुद्रादायिनी फसल भी है । 1955-56 में जनपद के मात्र 0.45% भाग पर ही आलू की कृषि की गई जबकि 1988-89 में यह बढ़कर 1.99% तक पहुँच गई । आलू की सर्वाधिक खेती मुहम्मदाबाद, गाजीपुर, विरनो एवं कासिमाबाद में की आती है । जहाँ सकल भूमि का क्रमशः 5.26%, 4.46%, 2.86% एवं 2.39% भाग में खेती की जाती है । सबसे कम

खेती रेवतीपुर (0.67%), जमानियाँ (0.54%) में की गई । इन विकास खण्डों में करैल मिट्टी की उपलब्धता के कारण आलू की खेती कम की जाती है ।

शस्य कोटि क्रम :

कृषि जनपद की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है । इस कारण शस्यों की प्रमुखता का अध्ययन अत्याधिक महत्वपूर्ण है । शस्य कोटिक्रम निर्धारण में जनपद के किसी एक कार्य में समस्त विकास खण्डों के शस्यों को प्रथम से पंचम श्रेणी तक क्रमबद्ध किया गया है । (मानचित्र सं0 3.6) । अध्ययन क्षेत्र में 1989-90 को मानक मानकर शस्य कोटिक्रम - निर्धारित किया गया है । जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है ।

कोटि	शस्य	विकास खण्ड	कुल संख्या
प्रथम शस्यानुक्रम	1) गेहूँ	गाजीपुर, करण्डा, मरदह, सैदपुर, देवकली, जखनियाँ, मनिहारी, मुहम्मदाबाद, भाँवरकोल, कासिमाबाद, रेवतीपुर ।	11
	2) धान	विरनो, सादात, वाराचवर, जमानियाँ, भदौरा ।	5
द्वितीय शस्यानुक्रम	1) धान	गाजीपुर, करण्डा, मरदह, सैदपुर, देवकली, जखनियाँ, मनिहारी, मुहम्मदाबाद, भाँवरकोल, कासिमाबाद, रेवतीपुर ।	11
	2) गेहूँ	विरनो, सादात, बाराचवर जमानियाँ, भदौरा ।	5
तृतीय शस्यानुक्रम	1) गन्ना	विरनो, मरदह, सादात, जखनियाँ मनिहारी, कासिमाबाद ।	6

क्रमशः

DISTRICT GHAZIPUR
CROP RANKING
N
I
II
III
IV
V
PADDY
WHEAT
BARLEY
JOWAR BAJRA
SUGERCANE
POTATO
GRAM
ARHAR
CROP COMBINATION REGION
WRSG
RWSG
RWSJ
WRJG
RWSG
RWSJ
WRJS
WRJP
WJGR
WRJS
WRA
WGRJ
RWGB
RWJG
W WHEAT
R PADDY
J JOWAR BAJRA
G GRAM
S SUGARCANE
P POTATO
B BARLEY
A ARHAR
FIRST RANK
SECOND RANK
THIRD RANK
FOURTH RANK
5 0 5 10
km

FIG. 3·6

	2) ज्वार - बाजरा	गाजीपुर, करण्डा, सैदपुर,देवकली मुहम्मदाबाद ।	5
	3) मसूर	बाराचवर, जमानियाँ, भांवरकोल	3
	4) चना	भदौरा, रेवतीपुर	2
चतुर्थ शस्यानुक्रम	1) चना	सादात, जखनियाँ, भाँवरकोल, कासिमाबाद, बाराचवर, जमानियाँ ।	6
	2) आलू	गाजीपुर, विरनो, मरदह, मुहम्मदाबाद	4
	3) गन्ना	सैदपुर, देवकली	2
	4) जौ	मनिहारी, भदौरा	2
	5) अरहर	करण्डा, रेवतीपुर	2
पंचम शस्यानुक्रम	1) जौ	विरनो, देवकली, सादात, जखनियाँ	4
	2) चना	करण्डा, सैदपुर, मनिहारी	3
	3) गन्ना	गाजीपुर, मुहम्मदाबाद	2
	ज्वार बाजरा	भांवरकोल, जमानियाँ	2
	आलू	कासिमाबाद, बाराचवर	2
	मसूर	भदौरा, रेवतीपुर	2
	4) अरहर	करण्डा	1

तालिका 3.7

शस्य कोटि क्रम 1988-89

विकास खण्ड	क्रम				
	1	2	3	4	5
गाजीपुर	गेहूँ	धान	'	आलू	गन्ना
करण्डा	'	'	ज्वार बाजरा	अरहर	चना
विरनो	धान	गेहूँ	गन्ना	आलू	जौ
मरदह	गेहूँ	धान	'	'	अरहर
सैदपुर	गेहूँ	धान	बाजरा	गन्ना	चना
देवकली	'	'	'	'	जौ
सादात	धान	गेहूँ	गन्ना	चना	'
जखनियाँ	गेहूँ	धान	'	'	'
मनिहारी	'	'	'	जौ	चना
मुहम्मदाबाद	'	'	बाजरा	आलू	गन्ना
भांवरकोल	'	'	मसूर	चना	बाजरा
कासिमाबाद	'	'	गन्ना	'	आलू
बाराचवर	धान	गेहूँ	मसूर	'	'
जमानियाँ	'	'	'	'	बाजरा
भदौरा	'	'	चना	जौ	मसूर
रेवतीपुर	गेहूँ	धान	'	अरहर	मसूर
जनपद गाजीपुर	गेहूँ	धान	बाजरा	अरहर	जौ

स्रोत : साँख्यिकी पत्रिका जनपद गाजीपुर पृ0 47-51, 1990

शस्य संयोजन प्रदेश :

कृषि प्रकारिणी के निर्धारण में शस्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है । जो क्षेत्र विशेष की जलवायु, धरातल का स्वरूप, मिट्टी, सिंचाई के साधन, उर्वरक, बीज, उन्नत तकनीक एवं रूचि आदि शस्य संयोजन प्रदेश को निर्धारित करती है । दूसरे शब्दों में यह भौतिक वातावरण एवं मानव रूचि के संबंधों के स्वरूप का प्रतिफल है । सम्पूर्ण कृषिगत क्षेत्रफल के अन्तर्गत मुख्य फसलों के अधिकतम प्रतिशत द्वारा शस्य संयोजन प्रदेश का निर्धारण होता है । अध्ययन क्षेत्र के शस्य संयोजन प्रदेश का निर्धारण होता है । अध्ययन क्षेत्र के शस्य संयोजन प्रदेश का निर्धारण दोई[10] महोदय द्वारा प्रस्तुत सांख्यिकी विधि, तंत्र के आधार पर किया गया है जो अध्ययन क्षेत्र में प्रथम स्तर के तीन, द्वितीय स्तर के पाँच , तृतीय स्तर के सात चतुर्थ एवं पंचम स्तर के दस एवं षष्टम स्तर के ग्यारह शस्य संयोजन प्रदेश है । जिनका विवरण निम्नलिखित है । (मानचित्र सं0 3.7)

1. प्रथम स्तरीय शस्य संयोजन प्रदेश -

1) गेहूँ
2) धान
3) दालें

2. द्वितीय स्तरीय शस्य संयोजन प्रदेश -

1) गेहूँ - धान
2) गेहूँ - (ज्वार-बाजरा-मक्का) मोटे अनाज
3) गेहूँ - दालें
4) धान - गेहूँ
5) दालें - गेहूँ

A
1960
B M P R
M P S B
P M B R
M P B R
P R M B
B
1970
R M W S
W
P
P M R
R
M
B
R M W P
R M P W
C
1990
WRPSBPO
RW SP
M
PO
RWPS MB PO
RWSP M B PO
WRPMSB PO
RWPSMBPO
B
WRMPSPO B
PWMR BS PO
WRMPSBPO
WM PBS PO
WPRMB S PO
RWPM BS PO
RWPE
FIRST ORDER
SECOND ORDER
THIRD ORDER
FOURTH ORDER
FIFTH ORDER
W WHEAT
R RICE
M MILLETS
P PULSES
S SUGARCANE
B BARLEY
PO POTATO
O OILSEEDS

FIG. 3.7

3. तृतीय स्तरीय शस्य संयोजन प्रदेश -

1) गेहूँ - धान - ज्वार - बाजरा - मक्का
2) गेहूँ - धान - दालें
3) गेहूँ - ज्वार - बाजरा - दालें
4) गेहूँ - दालें - धान
5) धान - गेहूँ - गन्ना
6) धान - गेहूँ - दालें
7) दालें - गेहूँ - ज्वार - बाजरा

4. चतुर्थ एवं पंचम स्तरीय शस्य संयोजन प्रदेश -

1) गेहूँ - धान - ज्वार - बाजरा - दालें
2) गेहूँ - धान - दालें - गन्ना
3) गेहूँ - धान - दालें - ज्वार - बाजरा
4) गेहूँ - ज्वार - बाजरा - दालें - धान
5) गेहूँ - दालें - धान - ज्वार - बाजरा
6) धान - गेहूँ - गन्ना - दालें
7) धान - गेहूँ - दालें - गन्ना
8) धान गेहूँ - दालें - ज्वार - बाजरा
9) धान - गेहूँ - दालें-जौ
10) दालें - गेहूँ - ज्वार - बाजरा - धान

5. पंचम स्तरीय शस्य संयोजन प्रदेश -

1) गेहूँ - धान - ज्वार - बाजरा - दालें - गन्ना - आलू
2) गेहूँ - धान - गन्ना - ज्वार - बाजरा - जौ
3) गेहूँ - धान - दालें - ज्वार - बाजरा - गन्ना - जौ
4) गेहूँ - ज्वार - बाजरा - धान - जौ - गन्ना
5) गेहूँ - दालें - धान - ज्वार - बाजरा - जौ - गन्ना
6) धान - गेहूँ - गन्ना - दालें - ज्वार - बाजरा - आलू

7) धान - गेहू - गन्ना - दालें - ज्वार - बाजरा - आलू

8) धान - गेहूँ - दालें - गन्ना - ज्वार - बाजरा - जौ

9) धान - गेहूँ - दालें - ज्वार - बाजरा - जौ - गन्ना

10) धान - गेहूँ - दालें - जौ - ज्वार - बाजरा - तिलहन

11) दालें - गेहूँ - ज्वार - बाजरा - धान - जौ - गन्ना

REFERENCES

1. BARLOWE, R. AND JOHNSON, V.W.,(1954) LAND PROBLEMS AND POLICIES", MOGRAW HILL BOOK COMPANY,, INC. NEW YORK P. 99 .
2. KARIEL, H.G. AND KARIEL, P.E. (1972) " EXPLANATIONS IN SOCIAL GEOGRAPHY. " ADDISON - WELSELY PUBLISHING COMPANY, P. 172.
3. SOVER, C.O., (1919) " MAPPING THE UTILIZATION OF LAND ", GEOGRAPHY REVIEW ".
4. JONCE, W.D. AND FRINCH. V.C., " DETAILED FIELD MAPPING OF AN AGRICULTURAL AREA ", ANNALS ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS P. 15.
5. STAMP, L.D. " THE LAND UTILIZATION SURVEY OF BRITAIN ", GEOGRAPHICAL JOURNAL, PP. 40-53, 78.
6. SINGH, R.L. (1971) " A REGIONAL GEOGRAPHY ", N.G.S.I. VARANASI, P. 205.
7. PANDEY, M.P."IMPACT OF IRRIGATION ON RURAL DEVELOPMENT - A CASE STUDY ", CONCEPT POBLISHING COMPANY, NEW DELHI.
8. BARLOW, R. AND JOHNSON, V.W. (1954), " LAND PROBLEM AND POLICIES " MOGRAW HILL BOOK COMPANY, INC. NEW YORK.
9. TANDON, R.K. AND GHONDYAL, S.P. " PRINCIPLES AND METHODS OF FARM MANAGEMENT. " P. 60.
10. DOI, K. (1957-59) " THE INDUSTRIAL STRUCTURE OFJAPANESE PREFECTURES PROCEEDING OF I.G.U. REGIONAL CONFERENCE IN JAPAN ". P.P. 310-316.

अध्ययन - चतुर्थ

मानव संसाधन

मानव संसाधन के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र का जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि लैंगिक अनुपात, आयु संरचना, वैवाहिक संरचना, शिक्षा, ग्रामीण व्यावसायिक संरचना आदि को सम्मिलित किया गया है । जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष की मापनी होती है जिसके आधार पर उस क्षेत्र के विकास एवं समस्याओं का मूल्यांकन किया जाता है और साथ ही जनसंख्या उस क्षेत्र के भौतिक संसाधनों को किस रूप में दोहन कर रही है जिसके आधार पर आर्थिक विकास की गति तीव्र सा निम्न है का संकेत देती है । जनंसख्या के वितरण प्रतिरूप से ही परिलक्षित होता है कि मानव ने किस सीमा तक भौतिक वातावरण से समायोजन किया है अथवा उसमें संशोधन किया है । मानव किन क्षेत्रों को निवास हेतु चयनित किया है अथवा उसे छोड़ दिया है । जनसंख्या भूगोल में किसी स्थान विशेष की भूमि एवं सन्निवासित जनसंख्या के परिज्ञान हेतु जनसंख्या वितरण एवं घनत्व का अध्ययन आवश्यक होता है । किसी स्थान की जनसंख्या पर उसके प्राकृतिक बनावट, जलवायु, वनस्पति, भूगार्भिक संरचना, मिट्टी, भूमि की उर्वरता, खनिज, जल की उपलब्धता एवं जल स्तर एवं संचार के साधन, सुरक्षा कृषि प्रतिरूप आदि का गहरा प्रभाव पड़ता है । अतः किसी क्षेत्र विशेष पर जनसंख्या का अधिक एवं कम दबाव ज्ञात करने के लिए जनसंख्या वितरण का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि इससे जनसंख्या समूहों के विशिष्ट प्रारूप स्पष्ट होते हैं जो औसत या सामान्य से भिन्न होते हैं ।

क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में वहाँ की जनसंख्या की विशिष्टताओं यथा जनसंख्या वितरण, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या प्रारूप, सामाजिक संरचना, जाति एवं धर्म आदि का विशिष्ट प्रभाव होता है । क्षेत्र में जनसंख्या के असमान वितरण एवं घनत्व पर कई तत्वों के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम होता है ।

अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले निम्न तत्व हैं :-

1. प्राकृतिक तत्व : स्थिति, उच्चावच, जलप्रवाह प्रतिरूप, जलवायु, वन, जल, खनिज, मिट्टी ।
2. मानवीय तत्व : जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या का स्थानान्तरण, सांस्कृतिक प्रतिरूप, जाति धर्म, भाषा, शिक्षण एवं स्वास्थ्य केन्द्र कृषि प्रतिरूप ।
3. भौतिक तत्व : सिंचाई सुविधायें, उद्योग, परिवहन एवं संचार के साधन आदि।

जनसंख्या का वितरण :

जनपद गाजीपुर का क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 52 वां (3377 वर्ग किमी0) तथा जनसंख्या की दृष्टि से 28 वाँ (1944669 व्यक्ति 1981) स्थान है । सन् 1981 में प्रदेश की कुल जनसंख्या का 1.75 प्रतिशत जनसंख्या गाजीपुर में निवास करती है । अध्ययन क्षेत्र मध्य गंगा मैदान का भाग है, यहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक है । इसका मुख्य कारण भू - वैन्यासिक स्वरूप का लगभग समान एवं मानव बसाव हेतु उपयुक्त होता है । स्टील के अनुसार जनसंख्या का भू - वैन्यासिक वितरण क्षेत्र की सामान्य निवास्यता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसकी घटनाओं के द्वारा नियंत्रित होता है ।[1] जनसंख्या वितरण (मानचित्र सं0 4.1) से स्पष्ट होता है कि नदियों के किनारे वाले भाग में जहाँ बाढ़ का प्रकोप ज्यादा रहता है जनसंख्या न्यून अथवा शून्य है । इसके अतिरिक्त नदियों द्वारा अपरित क्षेत्रों में जहाँ कंकड़ीली, क्षारीय, ऊसर अथवा अनुपजाऊ भूमि उपलब्ध है जनसंख्या का वितरण असमान है । इसके विपरीत समतल एवं उपजाऊ भूमि एवं नदियों किनारे वाले ऊँचे भागों में जनसंख्या का दबाव अत्याधिक है । गांगी, वेसो, मँगई, उदन्ती, गंगा एवं कर्मनाशा नदियां जनसंख्या वितरण को काफी प्रभावित करती हैं । अध्ययन क्षेत्र के तालों एवं निम्न भूमि की उपस्थिति इस क्रमबद्धता

RURAL — EACH DOT REPRESENTS 500 PERSONS

URBAN — 40,000 PERSONS

20,000 PERSONS

10,000 PERSONS

10 5 0 10

Km.

FIG. 4·1

को बीच - बीच में भंग करती है । (मानचित्र संख्या 4.1)

तालिका 4.1

ग्रामों के आकार के आधार पर जनसंख्या वितरण 1981

ग्रामों की जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या वितरण को 6 समूहों में विभक्त किया गया है जो निम्नवत् है :

1.	अति निम्न जनसंख्या के ग्राम	200 से कम जनसंख्या
2.	निम्न जनसंख्या के ग्राम	201 से 499 जनसंख्या
3.	साधारण जनसंख्या के ग्राम	500 से 999 जनसंख्या
4.	मध्यम जनसंख्या के ग्राम	1000 से 1999 जनसंख्या
5.	उच्च जनसंख्या के ग्राम	2000 से 4999 जनसंख्या
6.	अतिउच्च जनसंख्या के ग्राम	5000 से अधिक

तालिका 4.2

जनसंख्या के अनुसार वर्गीकृत ग्राम

	वर्गीकरण					
वर्ष	200 से कम	200-499	500-999	1000-1999	2000-4999	5000 से अधिक
1961	600	1123	479	210	77	13
1971	818	802	520	260	95	15
1981	715	702	606	360	141	16

उपर्युक्त तालिका संख्या 4.2 से स्पष्ट हो रहा है कि अति निम्न एवं निम्न वर्ग की जनसंख्या वाले ग्रामों के आकार में ह्रास हुआ है जबकि इसके विपरीत साधारण, मध्यम, उच्च एवं अति उच्च वर्ग की संख्या में क्रमशः वृद्धि हुई है । यह वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है जो प्राकृतिक वृद्धि एवं स्थानान्तरण के फलस्वरूप हुई है । 1981 की जनगणना के आधार पर जनपद में 200 से कम जनसंख्या वाले गांवों की संख्या 715 थी जो कुल गांवों की संख्या का 28.5% है । 30.5% जनसंख्या अति निम्न एवं निम्न जनसंख्या (500 से कम वाले गांवों में निवास करती है । साधारण एवं मध्यम आकार वाले गांवों का प्रतिशत 35.0% है जबकि उच्च एवं अति उच्च जनसंख्या वाले गांवों का प्रतिशत 6 % है जनपद में विकास खण्ड स्तर पर देखा जाय (तालिका 4.3) तो स्पष्ट हो जाता है कि बाराचवर, कासिमाबाद, सैदपुर, देवकली, सादात, जखनियाँ, मनिहारी में छोटे गांवों की संख्या अधिक है । रेवतीपुर (8) भदौरा (24), जमानियां (24), करण्डा (15) मरदह (28) विकास खण्डों में बहुत कम है । मध्यम आकार (500-1999) वाले गांव कासिमाबाद, देवकली, सैदपुर, जखनियाँ एवं सादात के विकास खण्डों में सर्वाधिक है जबकि उच्च एवं अति उच्च जनसंख्या वाले गांव जमानियाँ, भदौरा, रेवतीपुर, विरनो, मुहम्मदाबाद, करण्डा विकास खण्डों में अति उच्च जनसंख्या वाले गाँवों का पूर्ण अभाव है । अति उच्च जनसंख्या वाले बड़े गांव मुख्य रूप से भदौरा (5) रेवतीपुर (3) बाराचवर (2) तथा देवकली, जखनियाँ एवं बाराचवर विकास खण्डों में एक - एक गांव है । रेवतीपुर, गहमर एवं शेरपुर जनपद के सबसे बड़े गांवों में है जिनकी जनसंख्या (1981) क्रमशः 18024 व 18397 है । गहमर 1971 जनगणना वर्ष में ग्राम के अंतर्गत किन्तु 1981 में इस ग्राम को नगर की श्रेणी में रखा गया ।

तालिका 4.3

क्र0 स0	विकासखण्ड	200 से कम	200-499	500-999	1000-1999	2000-4999	ऊपर 5000 से
1.	गाजीपुर	44	50	48	18	8	-
2.	करण्डा	15	18	15	23	11	-
3.	विरनो	40	33	29	14	12	-
4.	मरदह	28	30	29	25	9	-
5.	सैद्पुर	84	50	57	35	9	-
6.	देवकली	59	64	60	26	5	1
7.	सादात	45	58	42	31	8	-
8.	जखनियाँ	57	68	49	24	4	1
9.	मनिहारी	55	55	53	24	8	-
10.	मुहम्मदाबाद	59	62	43	28	9	-
11.	भांवरकोल	40	37	34	18	8	3
12.	कासिमाबाद	69	64	63	24	6	-
13.	बाराचवर	64	58	35	20	7	1
14.	जमानियाँ	24	30	28	23	18	2
15.	भदौरा	24	7	10	10	9	5
16.	रेवतीपुर	8	10	11	18	10	3
17.	गाजीपुर जनपद संख्या	715	702	606	360	141	8
प्रतिशत		28.5%	28%	23.9%	14.2%	5.5%	0.6%

गाजीपुर जनपद के विभिन्न आकार के ग्रामों एवं उसमें वासित जनसंख्या के वितरण के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है । प्रदेश एवं देश में

ग्रामों के आकार बढ़ने के साथ - साथ उनके प्रतिशत में क्रमशः वृद्धि होती गई है किन्तु यह स्थिति निम्न श्रेणी तक ही सीमित है । इसके बाद की श्रेणियों में जैसे - जैसे ग्रामों का आकार बढ़ता गया है वैसे - वैसे जनसंख्या के वितरण में गुणात्मक वृद्धि होती गई है । जनपद में 1971 में साधारण वर्ग तक तथा 1981 में मध्यम वर्ग तक जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि होती गई है साथ ही उच्च एवं अति उच्च आकार के गांवों में जनसंख्या प्रतिशत घटता गया है । वस्तुतः अध्ययन क्षेत्र गाजीपुर जनपद समतल मैदानी भाग में स्थित होने के कारण तथा भूमि प्रबंध, वितरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश आदि के कारण छोटे - छोटे ग्राम समूहों में विभक्त रहा है । जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सुरक्षा की भावना, उत्थान के कारण बड़े गांवों का अस्तित्व परिलक्षित होता है; किन्तु इसका मूल कारण उसकी भौगोलिक स्थिति है । अधिकांश बड़े गांव गंगा नदी के किनारे उच्च भागों पर बसे हैं जो बाढ़ से अप्रभावित है । (मानचित्र सं0 4.1)

जनसंख्या घनत्व :

जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गमील/वर्ग किOमीO) पर निवास करने वाली जनसंख्या से है । जनसंख्या सभी संसाधनों के विदोहन के स्तर को निर्धारित करती है । इससे प्रति व्यक्ति साधनों की उपलब्धता एवं उपभोग आय एवं जीवन स्तर का ज्ञान होता है । अतः क्षेत्र विशेष की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का प्रारूप निर्धारित करने के लिए क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व का ज्ञान अपेक्षित है । क्षेत्र में निवास करने वाली ज़नसंख्या और क्षेत्रफल के पारस्पारिक अनुपात से जनसंख्या का घनत्व ज्ञात होता है । 1981 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व 584 व्यक्ति प्रति वर्ग किOमीO था । जबकि राष्ट्र एवं प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व क्रमशः 216 एवं 377 व्यक्ति प्रति वर्ग किOमीO है । (मानचित्र सं0 4.2) । 1961 एवं 1971 जनगणना वर्षों में गाजीपुर का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय घनत्व की तुलना में दो गुने से भी अधिक है । इससे स्पष्ट होता है कि गंगा के

DISTRICT GHAZIPUR
DENSITY OF POPULATION
1981
N
U
M B
U
PERSONS / KM²
< 400
401-500
501-600
601-700
701-800
> 800
0
1C
KM

FIG. 4·2

उपजाऊ मैदान में लोगों को अत्याधिक आकर्षित किया है । वस्तुतः भौगोलिक जनसंख्या के आधार पर संपूर्ण जनपद की व्याख्या के साथ आँकिक जनसंख्या घनत्व, ग्रामीण एवं नगरीय घनत्व, कार्मिक घनत्व, कृषि घनत्व तथा पोषण घनत्व के विश्लेषण से इसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है । मानचित्र संख्या 4.3 में जनसंख्या घनत्व (1981) को दर्शाया गया है ।

$$\text{आँकिक या सामान्य जनसंख्या घनत्व} : \frac{\text{सम्पूर्ण जनसंख्या}}{\text{सम्पूर्ण क्षेत्रफल}}$$

आँकिक या सामान्य जनसंख्या घनत्व को गणितीय घनत्व भी कहते हैं । यह घनत्व सम्पूर्ण जनसंख्या और सम्पूर्ण क्षेत्रफल का अनुपात होता है जो वर्ग कि0मी0 या वर्ग मील इकाई में ज्ञात किया जाता है । आँकिक जनसंख्या घनत्व को मानव भूमि - संबंध भी कहा जाता है ।[2]

अध्ययन क्षेत्र में 1901 से 1921 अर्थात् दो दशकों में जनसंख्या घनत्व में ह्रास प्राप्त हुआ । इसका मुख्य कारण यह रहा है कि इन दो दशकों के मध्य हैजा, प्लेग, चेचक बीमारियों का प्रकोप तथा अभाव के कारण बहुत लोग कालकवलित हुए । 1931 के दशक से क्रमशः वृद्धि होती गई किन्तु यह वृद्धि 1951 के बाद अति तीव्र गति से हुई । 1961-77 एवं 1977-81 में 42.85 % वृद्धि हुई । सन् 1981 की जनगणना के अनुसार गाजीपुर विकास खण्ड का घनत्व सर्वाधिक 961 तथा रेवतीपुर का न्यूनतम 466 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 रहा । गाजीपुर विकास खण्ड में सर्वाधिक घनत्व का मूल कारण गाजीपुर शहर का होना है । आँकिक जनसंख्या घनत्व को उसकी सघनता के आधार पर निम्न 5 वर्गों में विभाजित किया गया है ।

1.	निम्न घनत्व वर्ग	350 व्यक्ति वर्ग कि0मी0 से कम
2.	साधारण घनत्व वर्ग	350 - 500 व्यक्ति किमी0 से कम
3.	मध्यम घनत्व वर्ग	500 - 650

DISTRICT GHAZIPUR : DENSITY
ARITHMETIC
RURAL
1961
1971
1981
PERSONS/KM2
350
500
650
800
PERSONS / KM2
400
450
500
550
5 0 5 10
Km

FIG. 4·3

4.	उच्च घनत्व वर्ग	650 - 800
5.	अति उच्च घनत्व वर्ग	800 से अधिक

1. निम्न घनत्व वर्ग :

सन् 1961 की जनगणना के अनुसार इस वर्ग के अंतर्गत जनपद के दो ही विकासखण्ड मरदह (341) एवं रेवतीपुर (328) आते हैं । किन्तु 1971 एवं 81 की जनगणना में सतत् जनसंख्या वृद्धि के कारण इस वर्ग का पूर्णतया लोप हो गया । वर्तमान समय में इस श्रेणी में कोई भी विकास खण्ड नहीं आता ।

2. साधारण घनत्व वर्ग :

1981 की जनगणना के अनुसार गाजीपुर के 16 विकास खण्डों में से भांवरकोल एवं रेवतीपुर ही इस श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं । इनका घनत्व क्रमशः 475 एवं 466 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 रहा । 1971 में इस श्रेणी के अन्तर्गत 13 विकास खण्ड तथा 1961 में 12 विकास खण्ड सम्मिलित थे । सन् 1971 की जनगणना के अनुसार भांवरकोल 470, भदौरा 469, कासिमाबाद 457, सादात 448, जखनियाँ 446, करण्डा, 437, विरनों 430, जमानियाँ 414, मरदह 413, देवकली 411, मनिहारी 403 तथा बाराचवर 496 व्यक्ति था ।

3. मध्यम घनत्व वर्ग :

आँकिक या सामान्य घनत्व के मध्यम घनत्व वर्ग में 1981 की जनगणना के अनुसार 11 विकास खण्ड थे जबकि 1961 एवं 1971 में मात्र दो विकास खण्ड इस श्रेणी में सम्मिलित थे । 1961 में गाजीपुर (581) एवं मुहम्मदाबाद विकास खण्ड थे । सन् 1961 में गाजीपुर (581) एवं मुहम्मदाबाद विकास खण्ड थे । सन् 1981 की जनगणना के आधार पर 11 विकास खण्डों की स्थिति इस प्रकार है । भदौरा 605, विरनो 587, जखनियाँ 572, कासिमाबाद 560, देवकली 551, सादात 544, करण्डा

539, जमानियाँ 532, बाराचवर 525, मरदह 522 एवं मनिहारी 511 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है ।

4. उच्च घनत्व वर्ग :

इस वर्ग के अन्तर्गत सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद दो विकास खण्ड इस श्रेणी के अंतर्गत आते है 1981 में इनका घनत्व क्रमशः 667 एवं 792 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 रहा । इसका मुख्य कारण इन दोनों विकास खण्डों में शहरी जनसांख्या में अत्याधिक वृद्धि का होना था । 1971 में गाजीपुर विकास खण्ड मात्र एक था जो इस श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित था ।

5. अति उच्च घनत्व वर्ग :

1981 की जनगणंना के आधार पर गाजीपुर विकास खण्ड इस श्रेणी के अंतर्गत था जिसका घनत्व 960 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 रहा । किन्तु 1971 में गाजीपुर उच्च घनत्व वर्ग में था । अत्याधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण यह परिवर्तन परिलक्षित होता है ।

नगरीय आंकिक जनसंख्या घनत्व :

जनपद में कुल 9 नगरीय केन्द्र हैं यथा गाजीपुर, मुहम्मदाबाद, सैदपुर, गहमर, जमानियाँ, दिलदारनगर, बहादुरगंज , जंगीपुर व सादात । नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीणं क्षेत्रों की अपेक्षा घनत्व अत्याधिक है । 1981 में जनपद में नगरीय आंकिक जनसंख्या का घनत्व 3112 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 रहा जो प्रदेश के औसत से बहुत कम है । प्रदेश में घनत्व 4364 व्यक्ति था । इससे स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या बहुत कम है । 1981 की जनगणना के आधार पर गाजीपुर 4425, दिलदारनगर 4236, बहादुरगंज 3512, मुहम्मदाबाद 2840, जंगीपुर 2705, सादात 2494, जमानियां 2463, सैदपुर 2335 व गहमर 2109 रहा । सन् 1961 एवं 1971 में गाजीपुर शहर का आंकिक जनसंख्या घनत्व क्रमशः 2705 एवं 3324 व्यक्ति प्रति

वर्ग कि0मी0 था ।

ग्रामीण आंकिक जनसंख्या घनत्व :

.ग्रामीण आंकिक जनसंख्या घनत्व क्षेत्र विशेष के भौतिक एवं आर्थिक दशाओं पर ही निर्भर करता है । संसाधनों की उपलब्धता पर ही जनसंख्या स्थानानतरण सघन एवं विरल होता है । सन् 1981 की जनगणना में जनपद का ग्रामीण आंकिक जनसंख्या घनत्व 542 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 रहा है । 1921 में यह घनत्व मात्र 270 व्यक्ति वर्ग कि0मी0 था । ग्रामीण जनसंख्या में क्रमशः वृद्धि का मूल कारण जन्मदर में वृद्धि है । विकास खण्ड स्तर पर देखा जाय तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या घनत्व गाजीपुर विकास खण्ड का है और सबसे कम घनत्व रेवतीपुर विकास खण्ड का था । यह घनत्व क्रमशः 669 एवं 466 व्यक्ति रहा । जनप के 6 विकास खण्डों यथा मुहम्मदाबाद (688) गाजीपुर (669), सैदपुर (638) जखनियाँ (572) एवं देवकली (551) का ग्रामीण जनसंख्या घनत्व जनपद के औसत से कम रहा । सन् 1961 एवं 1971 में जनपद का ग्रामीण आंकिक जनसंख्या घनतव क्रमशः 390 एवं 436 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 था । (मानचित्र सं0 4.3)

कार्मिक जनसंख्या घनत्व :

यह घनत्व मानव कृषि योगय भूमि अनुपात कहलाता है । संपूर्ण जनसंख्या एवं सम्पूर्ण कृषिगत भूमि के बीच एक निश्चित समय पर प्रति इकाई संबंध व्यक्त करता है । कार्मिक जनसंख्या घनत्व ज्ञान करने का निम्न सूत्र है :

$$\text{सूत्र} = \text{कार्मिक जनसंख्या का घनत्व} = \frac{\text{कुल जनसंख्या}}{\text{कृषिगत भूमि का क्षेत्रफल}}$$

संपूर्ण जनसंख्या का किसी भी क्षेत्र में भार प्राप्त करने के लिए उस भाग को शामिल कर लेना जिस भाग पर वे व्यक्ति भार नहीं डालते हैं । यह विधि बहुत वैज्ञानिक विधि नहीं है । जब हम किसी क्षेत्र विशेष के क्षेत्रफल को लेते हैं तो वहाँ

के दुर्गम पहाड़ी चट्टानी, रेगिस्तानी, नदी, तालाब, झील सभी भाग को सम्मिलित कर लेते हैं जबकि उन भागों में मानव बसाव सम्भव नहीं है । अतः वास्तविक भार ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि समस्त क्षेत्रफल को न सम्मिलित कर कृषि योग्य भूमि को ही लिया जाता है । जनपद में 1901 में कार्मिक जनसंख्या घनत्व 274 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि0मी0 था । 1921 में यह घटकर 250 रह गया । किन्तु 1931 के दशक के बाद कार्मिक जनसंख्या घनत्व में क्रमशः वृद्धि होती गई ।

तालिका 4.4

जनसंख्या घनत्व

वर्ष	घनत्व । वर्ग कि0मी0
1901	274 व्यक्ति
1911	252 व्यक्ति
1921	250 व्यक्ति
1931	325 व्यक्ति
1941	333 व्यक्ति
1951	383 व्यक्ति
1961	438 व्यक्ति
1971	552 व्यक्ति
1981	695 व्यक्ति
1991	710 व्यक्ति

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 1951-81 के बीच कार्मिक जनसंख्या घनत्व में तीव्र गति से वृद्धि हुई है । सन् 1981 की जनगणना के अनुसार

निम्न एवं साधारण घनत्व वर्ग में अध्ययन क्षेत्र में कोई भी विकास खण्ड इस श्रेणी में नहीं आता । मध्यम घनत्व वर्ग में जनपद के 9 विकास खण्ड आते हैं जिनका कार्मिक घनत्व क्रमशः विरनो 644, कासिमाबाद 615, बाराचवर 607, जमानियाँ 604, मरदह 603, मनिहारी, 609, भदौरा 582, रेवतीपुर 558 एवं भांवरकोल का 554 व्यक्ति है । इसका मुख्य कार्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण जनसंख्या का दबाव कम है । उच्च जनसंख्या वर्ग के अंतर्गत जनपद के पाँच विकास खण्ड सम्मिलित हैं : यथा मुहम्मदाबाद, सैद्पुर, करण्डा, सादात एवं जखनियां जिनका कार्मिक घनतव क्रमशः 791,757,687,683,670 रहा । अति उच्च जनसंख्या घनत्व वर्ग में गाजीपुर (875) एवं देवकली विकास खण्ड आते हैं । उच्च एवं अति उच्च घनत्व का कारण नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, समतल भूमि , एवं मृत्युदर में कमी है । (मानचित्र सं0 4.4)

कृषि जनसंख्या घनत्व :

कृषक जनसंख्या और कुल कृषि भूमि के अनुपात को कृषि जनसंख्या घनत्व कहते हैं । कृषि जनसंख्या घनत्व एक निश्चित समय पर प्रति इकाई कृषिगत भूमि पर कृषि में संलग्न जनसंख्या का द्योतक होता है । कृषि जनसंख्या घनत्व निम्न सूत्र की सहायता से निकाला जाता है ।

$$\text{सूत्र} = \text{कृषि जनसंख्या घनत्व} = \frac{\text{कृषि में संलग्न जनसंख्या}}{\text{कृषिगत क्षेत्रफल}}$$

कृषिगत क्षेत्रफल शुद्ध बोया गया क्षेत्र परती भूमि एवं कृषि योग्य बंजर भूमि का प्रतीक है । कृषि में संलग्न जनसंख्या के अंतर्गत कृषक एवं कृषि श्रमिक को सम्मिलित किया गया है । सन् 1981 में जनपद में कृषि जनसंख्या घनत्व 140 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 था जबकि 1971 में 134 व्यक्ति एवं 1961 में 137 व्यक्ति था । सन् 1971 में कृषि जनसंख्या घनत्व कम होने का कारण जनसंख्या का गांव से शहर की ओर

DISTRICT GHAZIPUR : DENSITY (1981)
PHYSIOLOGICAL
N
PERSONS/KM²
350
500
650
800
AGRICULTURAL
PERSONS/KM²
125
135
145
155
NUTRITIONAL
PERSONS/KM²
450
500
550
600
5 0 5 10
Km

FIG. 4·4

पलायन का संकेत देता है । सन् 1981 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक कृषि जनसंख्या घनतव (173) मुहम्मदाबाद विकास खण्ड का था तथा सबसे कम भदौरा विकास खण्ड का (110) था । जनपद में सभी विकास खण्ड निम्न घनत्व वर्ग की श्रेणी में आते हैं । जनपद में विकास खण्ड स्तर पर कृषि जनसंख्या घनत्व इस प्रकार है । मुहम्मदाबाद 173, गाजीपुर 165, विरनो 152, सैदपुर 149, बाराचवर 148, जमानियाँ 140, मनिहारी 139, कासिमाबाद 136, जखनियाँ 133, करण्डा 131, देवकली 131, मरदह 131, सादात 128, भांवरकोल 124, रेवतीपुर 119, भदौरा 110 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 है । कृषि घनत्व के अध्ययन से स्पष्ट है कि जनपद में आंकिक जनसंख्या घनत्व की ही तरह कृषि जनसंख्या घनत्व में भी असमानता है । (मानचित्र सं0 4.4)

तालिका 4.5

जनसंख्या घनत्व 1981 (व्यक्ति वर्ग कि0मी0)

क्र0 सं0	जनपद/विकास खण्ड जनपद	कार्मिक 695	कृषि 140	पोषण 490
1.	गाजीपुर	875	166	606
2.	करण्डा	688	131	521
3.	विरनो	644	152	429
4.	मरदह	603	131	482
5.	सैदपुर	757	149	569
6.	देवकली	855	131	501
7.	सादात	683	128	470
8.	जखनियाँ	670	133	500
9.	मनिहारी	602	139	451
10.	मुहम्मदाबाद	751	173	577
11.	भांवरकोल	553	124	492
12.	कासिमाबाद	615	136	484
13.	बाराचवर	607	148	483
14.	जमानियाँ	604	140	432
15.	भदौरा	582	110	438
16.	रेवतीपुर	558	119	511

पोषण जनसंख्या घनत्व :

कृषिगत भूमि की एक इकाई से जितने व्यक्तियों को आहार प्राप्त होता है उन व्यक्तियों की संख्या को पोषण घनत्व के रूप में जाना जाता है ।यह पोषण घनत्व ग्रामीण जनसंख्या एवं सकल बोये गये क्षेत्रफल के अनुपात को व्यक्त करता है ।[3] पोषण जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का निम्न सूत्र है :

$$\text{सूत्र} = \text{पोषण जनसंख्या घनत्व} = \frac{\text{ग्रामीण जनसंख्या}}{\text{सकल बोया गया क्षेत्र}}$$

जनपद में 1901 में पोषण जनसंख्या घनत्व 258 व्यक्ति रह गया था जो 1911 में घटकर मात्र 241 व्यक्ति रह गया । 1951 के बाद इसमें तीव्रगति से वृद्धि हुई । 1951 में 324 व्यक्ति, 1961 में 404 व्यक्ति, 1971 में 404 व्यक्ति एवं 1981 में 490 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 रहा । 1981 में जनपद में विभिन्न विकास खण्डों में पोषण जनसंख्या घनत्व में काफी विभिन्नता रही । गाजीपुर विकास खण्ड में सर्वाधिक घनत्व 606 रहा तथा सबसे कम जमानियाँ विकास खण्ड में 432 व्यक्ति था ।

जनसंख्या वृद्धि :

किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में एक निश्चित अवधि में मात्रात्मक परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं चाहे वह वृद्धि धनात्मक हो या ऋणात्मक ।[4] जनसंख्या समूह में किसी प्रकार का परिवर्तन जनसंख्या विकास कहलाता है यदि परिवर्तन वृद्धि में है तो धनात्मक वृद्धि (+), ह्रास में है तो ऋणात्मक (-) वृद्धि होती है । अध्ययन क्षेत्र जनपद गाजीपुर में भी प्रदेश एवं देश की भाँति जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप क्रमशः वृद्धि की ओर ही रहा है । सन् 1872 में गाजीपुर जनपद की जनसंख्या 8,32,636 थी और 1981 में यह बढ़कर 19,44,664 हो गई । इन 12 दशकों में जनसंख्या में 1112033 व्यक्तियों की वृद्धि हुई । सन् 1901, 1911 एवं 1921 में जनसंख्या वृद्धि में ह्रास हुआ । यह ह्रास क्रमशः 913818, 839725 एवं 732284 था । इसका मुख्य

कारण इस अवधि में जनपद एवं देश प्रदेश में हैजा, प्लेग चेचक जैसी महामारियों का प्रकोप था जिनमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई । 1901 से 1981 के मध्य जनपद में जनसंख्या वृद्धि दर 126.70% है जो प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि (128%) से कम हैं । जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिकोण से सन् 1921 एक विभाजक रेखा के रूप में है क्योंकि इससे पूर्व दो दशकों में (1901 एवं 1911) जनसंख्या वृद्धि में गिरावट हुई तथा बाद के दशकों में क्रमशः वृद्धि होती चली गई है किन्तु यह वृद्धि दर समान नहीं रही है । 1931-41 में जनसंख्या वृद्धि दर 19.44% थी जबकि 1941-51 में घटकर 15.82 प्रतिशत हो गई ।

गाजीपुर जनपद की जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण किया जाय तो स्पष्ट होता है विगत आठ दशकों में जनसंख्या की वृद्धि प्रारंभ के तीन दशकों में ऋणात्मक रही है और शेष बाद के पाँच दशकों में जनसंख्या वृद्धि धनात्मक रही है । (मानचित्र सं0 4.5) इस आधार 1901 - 81 की अवधि को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।

1. ऋणात्मक वृद्धि काल (1901 - 21)
2. धनात्मक वृद्धि काल (1921 - 81)

ऋणात्मक वृद्धिकाल 1901 से 1921 के मध्यम रहा । इन दो दशकों में ऋणात्मक वृद्धि क्रमशः -8.11 एवं -0.88 रही 12 इन्ही दशकों में प्रदेश की ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि क्रमशः -0.97 एवं -3.08 रही जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या ह्रास -5.73 एवं -0.30 रहा । इन दो दशकों में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक होने का मुख्य कारण 1904 ई0 का दुर्भिक्ष एवं 1911 ई0 की महामारी रही ।

धनात्मक वृद्धि काल (1921-81):

जनपद में 1921 के बाद जनसंख्या में अनवरत धनात्मक वृद्धि होती गई है । 1921 में जनपद की जनसंख्या 7,32,284 थी जो बढ़कर 1931 में 8,24,971, 1941 में 9,85,081, 1951 में 11,40,932 1961 में 1321578, 1971 में 1531654 एवं 1981 में 1944669 हो गई । इन वृद्धियों से स्पष्ट होता है कि 1921 - 31

DISTRICT GHAZIPUR : POPULATION GROWTH
N
TOTAL
RURAL
URBAN
1901
11
21
31
41
51
61
71
81
YEAR
DECADAL POPULATION GROWTH (%)
GHAZIPUR
U P
INDIA
1961-1971
1971-81
IN PERCENTAGE
10
15
20
25
1961-71
1971-81
GROWTH IN PERSONS/KM²
50
100
150
200
Km

FIG. 4·5

के दशक में जनसंख्या + 5.55 प्रतिशत से बढ़कर 1931-41 दशक में 19.44 प्रतिशत हो गई । लेकिन इसके बाद में दशक (1941-51) में जनसंख्या वृद्धि में थोड़ी गिरावट हुई (15.82%) । पुनः 1951-61 के दशक से लेकर 1971-81 के दशक के मध्य तीव्रगति से वृद्धि हुई । किन्तु 1971-81 के दशक को छोड़कर जनपद की अपेक्षा प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि सदैव अधिक रही है । 1971-81 दशक में प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि (25.52%) एवं जनपद की जनसंख्या वृद्धि (26.96 से) कम हो गई । 1951-81 में जनपद की जनसंख्या में आशातीत वृद्धि हुई । यह वृद्धि दर 70.44% रही । जबकि इसी अवधि में प्रदेश की जनसंख्या में 75.4% की वृद्धि हुई । जनपद की जनसंख्या वृद्धि का विवरण निम्न तालिका से सुस्पष्ट होता है ।

तालिका 4.6

जनपद गाजीपुर में जनसंख्या वृद्धि

(1872 - 1981)

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि प्रतिशत प्रति दशक	वृद्धि प्रतिशत ग्रामीण नगरीय	प्रतिशत उ0प्र0	भारत
1872	832636				
1881	963189				
1891	1024753				
1901	913818				
1911	839725	-8.11	-9.14+3.68	-0.97	-5.73
1921	732284	-0.88	-1.39+4.12	-3.08	-0.30
1931	824971	+5.55	+3.87+21.56	+6.66	+11.00
1941	985081	+19.44	+19.63+17.65	+13.57	+14.22
1951	1140932	+15.82	+15.67+17.04	+11.82	+13.31
1961	1321578	+15.83	+25.64+26.17	+16.66	+21.51
1971	1531654	+15.89	+14.60+52.80	+19.80	+24.80
1981	1944669	+26.96	+22.40+123.60	+25.52	+24.75

1961 से 71 की अवधि में यदि जनपद के विकास खण्डों पर द्रृष्टिपात किया जाय तो सबसे अधिक वृद्धि देवकली विकास खण्ड में हुई । यह वृद्धि दर 20.25% थी जबकि सबसे कम वृद्धि बाराचवर विकास खण्ड (8.38%) में हुई है । गाजीपुर विकास खण्ड में 19.63% करण्डा में 18.32%, विरनों में 14.47%, मरदह में 19.46%, सैदपुर में 14.50%, सादात में 16.58% जखनियाँ में 13.32% , मनिहारी में 16.47%, मुहम्मदाबाद में 15.90% भाँवरकोल में 15.75%, कासिमाबाद में 13.31% जमानियाँ में 13.21% भदौरा में 16% तथा रेवतीपुर में 10.23% की वृद्धि हुई ।

जनपद की ग्रामीण जनसंख्या 1901 में 7,88,825 थी जो 1981 में बढ़कर 17,90,387 हो गई । ग्रामीण जनसंख्या में 1901 से 1981 की अवधि में 127% की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि में प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि में ह्रास हुआ (110.77%) । 1901 से 1921 के मध्य ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि काल में ग्रामीण जनसंख्या में भी ऋणात्मक वृद्धि हुई । 1901 से 1911 की अवधि में ग्रामीण जनसंख्या 7,88,825 से घटकर 7,16,749 हो गई । इस प्रकार ग्रमीण जनसंख्या वृद्धि में -9.14% की ऋणात्मक वृद्धि हुई । पुनः 1921 में जनसंख्या वृद्धि में ह्रास हुआ जो घटकर 7,06,835 हो गया जिसकी प्रतिशत वृद्धि -1.40% रही ।

ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि 1961-81 की अवधि में अति तीव्र गति से हुई । सबसे अधिक वृद्धि गाजीपुर तहसील (48.13%) तथा सबसे कम जमानियाँ तहसील (22.17) में हुई । 1951-81 की अवधि में जनपद की ग्रामीण जनसंख्या में 76.25% की वृद्धि हुई जो प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (66.55%) से अधिक थी । (मानचित्र सं0 4.6)

जनपद में नगरीय जनसंख्या वृद्धि 1901-81 की अवधि में 69,007 से बढ़कर 1,54,282 हो गई । इस प्रकार नगरीय जनसंख्या में 123.6% की वृद्धि हुई । इसी अवधि में प्रदेश में नगरीय जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत 270.52% रहा । इससे स्पष्ट है कि जनपद में नगरीय जनसंख्या की कमी है । इसका कारण यहाँ उद्योग धंधों

DISTRICT GHAZIPUR
VARIATION IN RURAL POPULATION
1971-81
N
IN %
< 20
20-22
22-24
24-26
26 >
0
5
10
KM

FIG. 4.6

एवं कलकारखानों का अभाव है जिससे लोग शहरों की तरफ अपनी रोजी - रोटी कमाने के लिए कम आकर्षित होते हैं । इसका दूसरा कारण यह है कि 1951 में जनपद में कुल 12 नगरीय केन्द्र थे लेकिन 1961 में जनगणना विभाग ने नगरीय जनसंख्या की परिभाषा में परिवर्तन किया जिसके फलस्वरूप जनपद में मात्र 2 नगरीय केन्द्र रह गये । सन् 1951 से 81 के मध्य नगरीय जनसंख्या में मात्र 23.42% की वृद्धि हुई । 1961-71 के मध्यम नगरीय जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि (52.80%) हुई । इसका कारण एक नगर केन्द्र का बढ़ना तथा नगरों में सामान्य वृद्धि रहना । 1971-81 में आशा से अधिक वृद्धि हुई । यह वृद्धि 123.60% रही । इसके लिए दो तत्व उत्तरदायी रहे । प्रथम नगर केन्द्रों की संख्या तीन से बढ़कर नौ हो गई जिससे उनकी जनसंख्या नगरीय जनसंख्या में जुट गई । इस कारण रोजगार के अवसर की तलाश में नगर की ओर पलायन रहा । जनपद में 1901 में कुल जनसंख्या का 91.88% ग्रामीण तथा 8.12% नगरीय था । 1951 में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई (10.95%) तथा ग्रामीण जनसंख्या में कमी (89.4%) हुई ।

तालिका 4.7

ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वृद्धि

वर्ष	जनसंख्या	
	ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	शहरी जनसंख्या का प्रतिशत
1901	91.88	8.04
1911	90.92	9.08
1921	90.46	9.53
1931	89.02	10.98
1941	89.15	10.85
1951	89.04	10.95
1961	96.59	3.41
1971	95.49	4.50
1981	92.06	7.93

उपर्युक्त आंकड़ों से प्रतीत होता है कि 1951 के पूर्व ग्रामीण जनसंख्या में क्रमशः ह्रास तथा नगरीय जनसंख्या में क्रमोत्तर वृद्धि होती गई है किन्तु 1961 दशक में अचानक शहरी जनसंख्या में कमी हुई और ग्रामीण जनसंख्या में आशातीत वृद्धि हुई ।

जन्म दर :

प्रति हजार जनसंख्या पर पैदा हुए बच्चों को जन्मदर कहा जाता है । जनपद में जनगणना के प्रारंभिक दशकों में जन्मदर स्वतंत्रता के बाद की अपेक्षा अधिक थी क्योंकि अत्याधिक सन्तानोत्पत्ति प्रवृत्ति, शिक्षा एवं मनोरंजन का अभाव, आर्थिक संकट, पुत्र उत्पत्ति की लालशा, विवाह की अनिवार्यता एवं मोक्ष की कामना जैसी बुराइयों का होना तथा परिवार नियोजन के साधनों का अभाव गर्म जलवायु एवं कम उम्र में विवाह का होना था । 1901 से 1911 के दशक में जन्मदर 29.80 थी जबकि 1911-21 के मध्य यह बढ़कर 36.6 प्रतिशत तक पहुँच गई । किन्तु बाद के दशकों में जन्मदर में क्रमशः गिरावट होने लगी । इसका कारण परिवार नियोजन के साधनों का प्रयोग रहा । 1961-71 में 33.10, 1971-88 में 33.03% हो गई । संयुक्त परिवार प्रथा के कारण बच्चे के पालन -पोषण का दायित्व केवल माता-पिता का न होकर पूरे परिवार का होता है जिसका प्रभाव ऊँचा जन्मदर पर पड़ता है । जनपद की जनता अभी भी परिवार नियोजन के प्रति उदासीन है । हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों में यह प्रवृत्ति धार्मिक भावना के कारण अधिक पायी जाती है । यही कारण है कि मुसलमानों में जन्मदर अधिक है । जनपद देश एवं प्रदेश का सबसे पिछड़ा, गरीब एवं अविकसित भाग है जहाँ निर्धनता, निम्न जीवन स्तर, आर्थिक अदूरदर्शिता, अशिक्षा, अविवेकपूर्ण मातृत्व तथा जनपद में पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अधिक होना है जो अपवनी जीविकोपार्जन हेतु अधिक संतोनोत्पत्ति में विश्वास करते हैं । उनका मानना है कि जितने अधिक बच्चे होंगे उनके परिवार की आय उतनी ही अधिक होगी । भारतीय स्त्रियों में प्रजननता का गुण 14 वर्ष की अल्प आयु में ही हो जाता है; 40 वर्ष तक एक स्त्री कम से कम 7-8 बच्चों की माँ बन जाती है । इससे जन्मदर में

तीव्र गति से वृद्धि होती है किन्तु 1981 दशक में परिवार नियोजन के साधनों का काफी प्रयोग होने लगा है क्योंकि हर दम्पत्ति अब महसूस करने लगा है कि अधिक बच्चे होने से उनका ठीक ढंग से लालन - पालन नहीं किया जा सकता ।

तालिका 4.8

जन्मदर, मृत्युदर सामान्य जनसंख्या वृद्धि दर (प्रति हजार) 1901-81

वर्ष	जन्मदर	मृत्युदर	सामान्य वृद्धि दर
1901-11	29.80	31.45	-1.65
1911-21	36.60	37.10	+0.50
1921-31	35.02	31.23	+3.79
1931-41	31.41	27.45	+3.96
1941-51	31.20	19.21	+11.99
1951-61	35.32	18.12	+17.20
1961-71	33.10	14.22	+18.88
1971-81	33.02	7.72	+25.31

मृत्युदर :

जनसंख्या परिवर्तन के घटकों में मृत्यु एक प्रभावकारी कारक है । जनसंख्या के आकार के उतार - चढ़ाव मृत्युदर में विभिन्नता के कारण ही आता है । जनपद में मृत्युदर पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई है । 1911-21 में मृत्युदर 37.10 प्रति हजार थी जबकि 1971-81 में यह घटकर 7.72 प्रति हजार रह गई । कमी का कारण चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता एवं कम संतानोत्पत्ति की भावना एवं लड़के - लड़कियों में समानता की भावना का होना है ।

जनसंख्या स्थानान्तरण :

मानव वर्गों के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक या अन्य कारणों से एक स्थान, प्रदेश, देश अथवा महाद्वीप में आप्रजन या प्रवजन को जनसंख्या का स्थानान्तरण कहते हैं । मानव इतिहास के साथ जनसंख्या स्थानान्तरण का इतिहास भी अति प्राचीन है और धरातल के प्रत्येक भाग एवं काल में यह प्रभाव काफी रहा । जनसंख्या स्थानान्तरण सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक समाकलन और जनसंख्या के पुनर्वितरण के लिए मंत्र स्वरूप है ।[5] यह एक प्रभावकारी कारक के रूप में किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि, वितरण घनत्व एवं प्रतिरूप को प्रभावित करता है । स्थानान्तरण में मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवजन ही सम्मिलित नहीं होता बल्कि यह क्षेत्र की स्थानिक स्म्बद्धता एवं तज्जनित सूझ-बूझ का परिणाम होता है ।[6] स्थानान्तरण ही जनसंख्या के विकास का मूल कारण है साथ ही किसी क्षेत्र के भौगोलिक विश्लेषण में इसकी प्रमुख भूमिका होती है । इससे विभिन्न सांस्कृतियों का मिश्रण एवं नई सांस्कृतियों का अभ्युदय होता है तथा सामाजिक संरचना का अनुमान के साथ ज्ञान - विज्ञान का विकास, सांस्कृतिकउन्नति एवं प्रभावित क्षेत्र की आर्थिक संभावनाओं का परिवर्तनशील प्रतिरूप प्रतिबिम्बित होता है । शाश्वत आप्रजन एवं प्रवजन से राष्ट्र शक्तिशाली होते हैं ।[7] गाजीपुर जनपद के संदर्भ में यह कथन सत्य प्रतीत होता है क्योंकि जनपद में आप्रजित जनसंख्या से विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति तीव्र हुई है ।

जनसंख्या स्थानान्तरण में आयु तथा लिंग प्रधान होता है यही कारण है कि बालकों एवं वृद्धों की तुलना में कार्यशील युवकों को तथा स्त्रियों की तुलना में पुरूषों का स्थानान्तरण अधिक होता है । विशेष परिस्थितियों में स्त्रियों एवं बच्चों का स्थानान्तरण भी होता है । यह तभी संभव होता है जब पुरूष स्थायी रूप से कहीं भी रोजगार परक हो जाता है । गाजीपुर में मुख्य रूप से स्थानान्तरण वैवाहिक एवं रोजगार पाने के उद्देश्य गांवों से नगरों में रोजगार पाने के लिए हुआ है । जनपद में इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के स्थानान्तरणीय प्रारूप उपलब्ध है :-

वर्तमान शताब्दी में जनसंख्या भूगोल के सिद्धान्त एवं आकृति के निर्माण में एक प्रभावशाली तथ्य प्रस्तुत कर रहा है । यह प्रक्रिया मात्रात्मक क्रान्ति से संबंधित है। किसी व्यक्ति के स्थानान्तरण के निर्णय के पीछे कोई निश्चयात्मक तथ्य नहीं होता है । एस.ए. स्टोफर के अनुसार स्थानान्तरण सुअवसरों की उपलब्धता की संख्या के अनुपात में होता है । उन्होंने दूरी को महत्व न देकर सुअवसरों की उपलब्धता को अधिक महत्व दिया है । जनपद में जनसंख्या स्थानानतरण में प्राकृतिक कारकों की अपेक्षा मानवीय कारकों का महत्व सबसे अधिक है । मानव एक विकासशील प्राणी है । जीविकोपार्जन के साधनों का प्रबंध मानव के लिए सर्वोपरि होता है । जनपद में 1904 में दुर्भिक्ष एवं 1917 में महामारी के कारण बहुत से लोग समीपवर्ती जिलों एवं दूसरे

प्रदेशों में चले गये । स्वतंत्रता के बाद जनपद से कई मुसलमान परिवार पाकिस्तान एवं अलीगढ़ चले गये । जनपद में अधिकांश क्षेत्रीय स्थानान्तरण मुख्यतः सामाजिक रीति रिवाज के बंधनों, रोजगार एवं व्यवसाय के कारण हुआ है । शिक्षा, कला, विज्ञान एवं तकनीकी आदान-प्रदान कारणों से भी हुआ है । वर्तमान में जनसंख्या का स्थानान्तरण आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनैतिक कारणों से हुआ है । जनपद से जनसंख्या का स्थानान्तरण रोजगार की खोज में मध्य - पूर्व के देशों (ईराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन) में अल्प मात्रा में भी हुआ है ।

आव्रजन एवं प्रवजन :

तालिका 4.9

जनसंख्या आव्रजन 1981

मद	ग्रामीण			नगरीय		
	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
जिले में अन्यत्र पैदा हुए	21733 6.80%	297992 93.20%	319725 71.02%	440 15.27%	7990 84.73%	9430 38.26%
राज्य में अन्य जिलों में पैदा हुए	98 9.88%	92135 90.12%	2233 22.7%	2265 22.70%	7713 77.30%	4978 40.48%
भारत के अन्य प्रांतों में पैदा हुए	2335 8.27%	25885 91.72%	28220 6.26%	1182 22.54%	4060 77.45%	5242 21.26%
कुल आव्रजन योग	34196 7.60%	416012 92.40%	450178 100.0%	4887 19.82%	19763 80.17%	24650 100.0%

स्रोत : जनगणना पुसितका 1971 (भाग एक्स सी) जनगणना पुस्तिका भारत - उत्तर प्रदेश (सोशल एवं कल्चरल टेबुल) 1961 एवं 1981 द्वारा संगठित एवं कल्चरल एवं माइक्रोशन टेबुल भारत - उ0प्र0 1961 एवं 1981 द्वारा संगठित ।

तालिका 4.10

जनसंख्या आव्रजन

मद	1961	वर्ष 1971	1981
1. जिले में अन्यत्र पैदा हुए	242725 70.13%	279664 70.59%	329894 69.32%
2. राज्य के अन्य जिलों में पैदा हुए	78079 22.56%	88516 22.34%	12268 23.60%
3. अन्य प्रांतों में पैदा हुए	2406 6.95%	27780 7.01%	33578 7.04%
4. अन्य देशों में पैदा हुए	1222 0.35%	190 0.04%	174 0.03%
कुल आव्रजन	346085	396150	475854

आव्रजन एवं प्रवजन जनसंख्या स्थानान्तरण रूपी सिक्के के दो पहलू हैं इसके किसी एक की अनुपस्थिति में दूसरे के अस्तित्व की कल्पना व्यर्थ है ।[8] आव्रजन में मानव वर्ग का किसी देश प्रदेश अथवा क्षेत्र में आगमन होता है । भारत में पाकिस्तान से हिन्दुओं एवं पाकिस्तान में भारत से मुसलमानों का स्थानान्तरण आव्रजन का उत्तम उदाहरण है । जनपद में क्षेत्रीय स्थानान्तरण का आव्रजन प्रवजन अधिक हुआ है । इसके अतिरिक्त वाराणसी आजमगढ़, बलिया, इलाहाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, देवरिया, सुल्तानपुर, फैजाबाद आदि जिलों से जनसंख्या का आव्रजन हुआ है । कानपुर , लखनऊ, अलीगढ़, दिल्ली, पं0 बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, पाकिस्तान, वर्मा, नेपाल आदि स्थानों में जनपद से जनसंख्या का प्रवजन हुआ है ।

आव्रजन :

जनपद में सन् 1961 में कुल आने वालों में से 70.13% जिले में ही अन्यत्र पैदा हुए थे जबकि राज्य के अन्य जिलों में 22.56%, भारत के

अन्य प्रांतों से6.95% तथा अन्य देशों में 0.35% लोग पैदा हुए थे जबकि 1971, 1981 में क्रमशः जिनमें अन्यत्र पैदा हुए लोगों का प्रतिशत 70.59% एवं 69.32% , राज्य के अन्य जिलों में 22.34% एवं 23.60%, भारत के अन्य प्रांतों में 7.01%एवं 7.04% तथा अन्य देशों में 0.04% व 0.03% लोग पैदा हुए जो स्थानान्तरित होकर गाजीपुर आये ()तालिका 4.10()

कुल ग्रामीण आव्रजन का 71.02% भाग जिले में ही हुआ है जिसमें 93.2 :% स्त्रियाँ एवं 6.80% पुरूषों का रहा है । शेष 22.71% ग्रामीण आव्रजन का राज्य के अन्य जिलों से तथा 6.26% भारत के अन्य प्रांतों से हुआ है । इनमें स्त्रियों का स्थानान्तरण सर्वाधिक हुआ है ।

नगरीय जनसंख्या में आव्रजन 38.26% गाजीपुर जनपद से जिनमें 84.73% स्त्रियाँ एवं 15.27% पुरूषों का है । राज्य के अन्य जिलों से 40.48% तथा भारत के अन्य प्रान्तों से 21.26% है । इनमें स्त्रियों का हिस्सा 77.45% तथा पुरूषों का 22.54% है । इससे स्पष्ट होता है कि जनपद में आने वालों में स्त्रियों की संख्या पुरूषों की अपेक्षा अधिक है ।() तालिका 4.9()

ग्रामीण आव्रजन का गणना के जिले में ही अन्यत्र पैदा होने वालों में 94.9% जनसंख्या ग्राम से ग्राम की ओर स्थानान्तरित हुई है जबकि राज्य के अन्य जिलों में पैदा हुए लोगों में से 91.57% तथा भारत के अन्य राज्यों में पैदा हुए लोगों में से 85.11% आव्रजन हुआ है जिले की सीमा के अन्दर ग्रामीण से नगरीय आव्रजन 5.10%, अन्य जिलों से आये 8.43%, भारत के अन्य प्रान्तों से 14.98% हुआ है जबकि कुल ग्रामीण आव्रजन का 93.53% ग्रामीण से ग्रामीण तथा 6.47% ग्रामीण से नगरीय जनसंख्या का स्थानान्तरण हुआ है ।

तालिका 4.11

आव्रजित जनसंख्या 1981

मद	आव्रजन ग्रामीण पुरूष	स्त्री	योग	नगरीय पुरूष	स्त्री	योग
1. गणना के जिलें में अन्यत्र पैदा हुए	6300 5.10%	303425 94.90%	319725 71.02%	6197 65.72%	3232 43.27%	9424 38.25%
2. राज्य के अन्य जिलों में पैदा हुए	8619 8.43%	93614 91.57%	02233 22.70%	4736 47.46%	5243 52.54%	1979 40.48%
3. भारत के अन्य प्रांतों में पैदा हुए	4200 14.88%	24020 85.11%	28220 6.28%	2959 56.45%	2282 43.54%	5241 21.26%
योग	29119 6.47%	421059 93.53%	480174 100.0%	3892 56.35%	10757 43.64%	24649 100.0%

नगरीय आव्रजित जनसंख्या :

गणना के जिले में ही अन्यत्र पैदा होने वालों का कुल आव्रजन 38.25% है जिसका 34.27% नगरीय से नगरीय है । राज्य के अन्य जिलों से आये लोगों का प्रतिशत 52.54 तथा भारत के अन्य प्रांतों से आये लोगों का प्रतिशत 43.54 तथा जनपद में कुल आने वालों का नगरीय से नगरीय 43.64% आव्रजन है । जनपद में नगरीय जनसंख्या के आने वालों में 56.33% नगर से गांवों की ओर स्थानान्तरित हुए हैं । भारत के अन्य प्रांतों से ग्रामीण आव्रजन सर्वाधिक बिहार प्रांत (96.95%) से हुआ है जबकि आंध्र प्रदेश से 0.17% असम से 0.41%, गुजरात से 0.17% हरियाणा से 0.14%, हिमांचल प्रदेश से 0.05%, कर्नाटक से 0.02%, मध्य प्रदेश से 0.37%, महाराष्ट्र से 0.03%, उड़ीसा से 0.02%, पंजाब से 0.23%, राजस्थान से 0.05%

पश्चिमी बंगाल से 1.2% , अण्डमान निकोबार से तथा दिल्ली से क्रमशः 0.07% एवं 0.02% ग्रामीण आव्रजन हुआ है ।

नगरों से जनपद में कुल आने वालें में भी सर्वाधिक बिहार (55.96%) से है । आन्ध्र प्रदेश से 0.38%, असम से 2.27% गुजरात से0.51% हरियाणा से 0.30 प्रतिशत, जम्मू कश्मीर से 0.09 प्रतिशत, केरल से 0.26 प्रतिशत मध्य प्रदेश से 2.02 प्रतिशत, महाराष्ट्र से 3.69 प्रतिशत, मणिपुर से 1.69 प्रतिशत, उड़ीसा से 0.59 प्रतिशत, पंजाब से 1.18 प्रतिशत, राजस्थान से 0.78 प्रतिशत, त्रिपुरा से 0.09 प्रतिशत तथा पं0 बंगाल से 30.08 प्रतिशत नगरीय आव्रजन हुआ है । अण्डमान निकोबार, अरूणाचंल दिल्ली से नगरीय आव्रजन क्रमशः क्रमशः 0.09%, 0.09% तथा 0.21 % है । प्रदेश के अन्य जिलों से कुल ग्रामीण आव्रजन का सर्वाधिक समीपस्थ जनपद बलिया (34.18) से हुआ है । जबकि बस्ती से 1.17 प्रतिशत, गोरखपुर से 0.51 प्रतिशत, देवरिया से 1.21 प्रतिशत, आजमगढ से 33.82 प्रतिशत, जौनपुर से 7.32 प्रतिशत, वाराणसी से 19.26 प्रतिशत तथा 1.07 प्रतिशत मिर्जापुर से हुआ है । बलिया, आजमगढ़ वाराणसी व जौनपुर में आव्रजन का यह प्रतिशत वैवाहिक संबंधों की ओर इंगित करता है । इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जिलों से कुल नगरीय आव्रजन का सर्वाधिक वाराणसी जनपद से होता है क्योंकि शिक्षा एवं रोजगार हेतु जनसंख्या का प्रवाह हुआ है । तत्पश्चात् आजमगढ़ (20.37%), बलिया (18.67%), जौनपुर(6.88%), इलाहाबाद (3.34%), मिर्जापुर (3.06%), नगरीय जनसंख्या का आव्रजन होता है । सबसे कम मुराबादबाद एवं इलाहाबाद से हुआ है ।

ग्रामीण प्रवजन :

कुल ग्रामीण प्रवजन का 72.72% गणना के ही जनपद में अन्यत्र होता है जिनमें 91.54% स्त्रियाँ एवं 8.45% पुरूष हैं । राज्य के अन्य जिलों में कुल ग्रामीण आव्रजन 21.16% जिसका 92.42% स्त्रियाँ तथा 7.57% पुरूष हैं । भारत के अन्य प्रांतों का प्रतिशत 6.08 है, 93.72 % स्त्रियाँ तथा 6.28% पुरूषों का आता है । अन्य राष्ट्रों 0.03% आव्रजन हुआ है । जनपद में कुल आव्रजन का 91.84% स्त्रियाँ तथा

8.15% पुरूषों का अनुपात है ।

तालिका 4.12

जनसंख्या प्रवजन 1981

मद	ग्रामीण पुरूष	ग्रामीण स्त्री	ग्रामीण योग	नगरीय पुरूष	नगरीय स्त्री	नगरीय योग
1. गणना के जिलों में अन्यत्र पैदा हुए	24650 8.45%	266885 91.54%	291533 72.72%	1055 22.14%	3710 77.85%	4765 25.54%
2. राज्य के अन्य जिलों में पैदा हुए	6430 7.57%	78420 92.42%	84850 21.16%	2900 35.17%	5345 64.82%	8245 44.20%
3. भारत के अन्य प्रांतों में पैदा हुए	1530 6.25%	22840 93.72%	24370 6.08%	2660 47.80%	2905 52.2%	5569 29.83%
4. अन्य राष्ट्रों में पैदा हुए	80 57.14%	60 42.85%	140 0.03%	35 43.75%	45 56.29%	80 0.45%
योग	32690 8.15%	368205 91.86%	400895 100%	6650 35.64%	2005 64.36%	18655 100%

ग्रामीण प्रव्रजित जनसंख्या :

1981 में ग्रामीण से ग्रामीण कुल प्रवजन का गणना के जिले में ही अन्यत्र से 96.22% हुआ है । राज्य के अन्य जिलों में कुल ग्रामीण प्रवजन का 95.16% भारत के अन्य प्रांतों में कुल ग्रामीण प्रवजन का 96.59% हुआ है । जनपद में गणना के जिले में अन्यत्र कुल ग्रामीण प्रवजन का ग्रामीण से नगरीय प्रवजन 3.77% है । राज्य के अन्य जिलों में कुल ग्रामीण प्रवजन का 4.83% ग्रामीण से नगरीय तथा भारत के अन्य प्रांतों में कुल ग्रामीण प्रवजन का 3.40% ग्रामीण से नगरीय है ।(मानचित्र सं0 4.7)

नगरीय जनसंख्या प्रवजन :

1981 में कुल नगरीय प्रवजन का 25.57% गणना के ही जिले में अन्यत्र होता

है जिसका 23.40% प्रवजन नगरीय से नगरीय है । इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य जिलों तथा भारत के अन्य प्रांतों में प्रवजन क्रमशः 45.90% तथा 20.40% है । जबकि कुल नगरीय प्रवजन का 32.38% नगर से नगर को होता है । (तालिका 4.13)

तालिका 4.13

ग्रामीण एवं नगरीय प्रव्रजित जनसंख्या 1981

मद	ग्रामीण प्रवाजित जनसंख्या			नगरीय प्रवाजित जनसंख्या		
	ग्रामीण से नगरीय	ग्रामीण से ग्रामीण	योग	नगरीय से ग्रामीण	नगरीय से नगरीय	योग
1. गणना के जिले में अन्यत्र पैदा हुए	0995 3.79%	280540 96.22%	291555 72.72%	5650 76.60%	1115 23.40%	4765 25.57
2. राज्य के अन्य जिलों में पैदा हुए	4100 4.83%	40730 95.16%	84850 21.16%	4460 54.10%	3785 45.90%	8245 44.24%
3. भारत के अन्य प्रांतों में पैदा हुए	830 3.40%	23540 94.59%	24370 6.07%	4430 79.6%	1133 20.40%	5565 29.86%
4. अन्य राष्ट्रों में पैदा हुए	-	--	140 0.03%	-	-	60 0.32%
योग	5925 3.97%	384838 96.03%	400895 100%	2540 67.49%	6035 32.51%	8635 100%

नगरीय से ग्रामीण प्रवजन :

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है की सन् 1981 की जनगणना में गणना के जिले में अन्यत्र कुल नगरीय प्रवजन का 76.60% भाग नगर से गाँव, राज्य के अन्य जिलों में होने वाले नगरीय प्रवजन का 54.10% तथा भारत के अन्य प्रांतों में होने वाले कुल

नगरीय प्रवजन का 74.60% नगरीय से ग्रामीण है । जनपद में भारत के अन्य प्रांतों में जो ग्रामीण प्रवजन होता है उसमें बिहार (97.08%) का सर्वोपरि है तथा न्यूनतम उड़ीसा (0.02%) का न्यूनतम स्थान है । भारत के अन्य प्रांतों में नगरीय प्रवजन पं० बंगाल में 40.07%, बिहार में 36.84 %, आन्ध्र प्रदेश में 2.96%, मध्य प्रदेश में 3.50%, पंजाब 2.33% असम में 2.78% तथा महाराष्ट्र, मैसूर, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाड़, दिल्ली का हिस्सा क्रमशः 1.8%, 0.08% 0.54%, 0.27% तथा 1.89% है ।

प्रदेश के अन्य जिलों में ग्रामीण प्रवाजित जनसंख्या का सर्वाधिक भाग आजमगढ़ (28.50%) तथा बलिया (26.90%) जनपदों का है । अन्य जनपदों में क्रमशः वाराणसी (14.89%), जौनपुर (10.07%), बहराइच (7.46%), इलाहाबाद (4.61%) तथा मिर्जापुर (4.30%) हैं । शेष जनपदों में बहुत कम जनसंख्या का ग्रामीण प्रवजन हुआ है । अन्य जिलों में नगरीय प्रवाजित जनसंख्या जनपद से प्रदेश के अन्य जिलों में होने वाले कुल नगरीय प्रवजन का 30.90% वाराणसी, 9.56% कानपुर, 8.38%, आजमगढ़ 7.27%, इलाहाबाद , 6.91% मिर्जापुर, 6.15% बलिया, 5.70% लखनऊ, 3.20% जौनपुर, 1.27% देवरिया तथा 1.04% बाराबंकी में हुआ है । (मानचित्र सं० 4.8)

आयु संरचना :

किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वास्तविक अध्ययन के लिए उस क्षेत्र की उम्र के अनुसार वर्गीकृत करके अध्ययन करना आवश्यक होता है । आयु, जनसंख्या की संरचना को समझने का सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पक्ष है जिसके आधार पर भविष्य में जनसंख्या का अनुमान तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है ।[19] इससे उम्र, श्रमशक्ति में प्रवेश मताधिकार विवाह वय आदि महत्वपूर्ण तथ्यों के आंकलन के साथ ही साथ मृत्युदर एवं विवाह दर तथा आर्थिक व्यवसायिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक ढांचे का अध्ययन होता है । अतः आयु - संरचना के महत्वपूर्ण पक्ष निम्न प्रकार से स्पष्ट किये जा सकते हैं ।

DISTRICT-GHAZIPUR

URBAN MIGRATION PATTERN 1981

INDIA

IMMIGRATION

U·P.

IN PERCENT

EMIGRATION

IN PERCENT

◉ STUDY AREA

FIG. 4·8

1. आयु से किसी व्यक्ति की क्षमता का ज्ञान होता है जिसके आधार पर मानव शाक्ति की आपूर्ति तथा राष्ट्रीय शाक्ति आंकी जा सकती है ।

2. आयु संरचना से जन्मदर, मृत्युदर एवं जन स्थानान्तरण का पता चलता है ।

3. आयु संरचना से वहां सामाजिक एवं आर्थिक क्रिया - कलापों का मार्ग दर्शन होता है ।

4. आयु संरचना के आंकड़े, शिक्षा, सेवा, जीवन बीमा इत्यादि योजनायें बनाने के लिए उपयोगी होते हैं ।

5. आयु संरचना विवाह पद्धति को भी प्रभावित एवं निर्धारित करती है ।

6. आयु संरचना देश की राजनैतिक चिन्तन को भी प्रभावित करती है । आयु संरचना विश्लेषण से तथ्यों, युवकों तथा वृद्धों की संख्या का आनुपातिक वितरण होता है जिससे भावी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलती है ।

गाजीपुर जनपद की संपूर्ण जनसंख्या में सबसे अधिक प्रतिशत 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है । 19 वर्ष की आयु तक की जनसंख्या पर ध्यान दिया जाय तो जनपद की लगभग 50% जनसंख्या इसी आयु श्रेणी में सम्मिलित है । 1981 में 60 वर्ष से अधिक उम्र की जनसंख्या का प्रतिशत मात्र 6.6% तथा 50-59 वर्ष के मध्यम 6.43 है । 20-59 वर्ष आयु वर्ग में जनपद में 40.62% जनसंख्या निवास करती है ।

जनसंख्या के आयु, वर्ग के सामान्य वितरण पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि जैसे - जैसे आयु - वर्ग की ज्येष्ठता बढ़ती जाती है जनसंख्या के प्रतिशत में क्रमशः ह्रास होता जाता है । जनसंख्या का सर्वाधिक ह्रास 10-19 वर्ष आयु वर्ग में है । शेष आयु वर्ग में ह्रास की गति सामान्य लेकिन घटती- बढ़ती रही है । पुरूषों एवं स्त्रियों के प्रतिशत वितरण से ज्ञात हो रहा है कि कम उम्र में बालकों की तुलना में बालिकाओं की अधिक मृत्यु हुई है । 1981 में 0.9 वर्ष आयु वर्ग की कुल जनसंख्या 30.91% जिनमें पुरूष एवं स्त्रियों का प्रतिशत क्रमशः 30.09% तथा 29.09% है । 50 वर्ष से अधिक

आयु वर्ग में स्त्रियों की संख्या अधिक है । जे0एल0हल के अनुसार प्रकृति द्वारा अधिक सशक्त होने पर भी बाल्यकाल में तिरष्कृत तथा युवावस्था में कम आयु से ही एवं कम अन्तराल में ही शिशु दबावों के कारण भारत में स्त्रियों में मृत्यु अधिक होती है । परिणाम स्वरूप यहाँ 20-50 वर्ष की उम्र में पुरूषों की संख्या अधिक है ।

अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में आयु संरचना लगभग संपूर्ण जनसंख्या की तरह है । 1961-71 एवं 81 में ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 31.16%, 29.82% एवं 30.30% बच्चे थे । 1981 में 10.19 वर्ष एवं 30-39 वर्ष आयु वर्षा में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या 1971 की तुलना में कम रही । ठीक यही स्थिति 20-29 वर्ष आयु वर्ग में रही है । इस आयु - वर्ग में ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है क्योंकि इस उम्र में बहुत से ग्रामीण जीविकोपार्जन हेतु नगरों में चले जाते हैं ।

तालिका 4.14

आयु संरचना (प्रतिशत)

आयु वर्ग	1961		1971		1981	
	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय
0 - 9	31.16	29.30	29.82	28.60	30.37	27.79
10 - 19	20.79	22.86	20.02	22.36	21.95	23.00
20 - 22	14.45	15.36	125.52	16.32	12.77	15.26
30 - 39	11.25	22.53	12.36	12.55	10.54	11.63
40 - 49	9.03	8.81	8.97	9.08	8.97	9.61
50 - 59	6.37	5.41	6.43	5.43	6.75	6.13
60 से अधिक	7.35	5.61	6.78	5.64	7.55	6.50

स्रोत :जिला जनगणना हस्त पुस्तिका 1961, 71, 81, सोशल एण्ड कल्चरल टेबुल, जनपद गाजीपुर

आयु संरचना तथा यौनानुपात :

जनसंख्या की आयु एवं यौनानुपात के निर्धारण में जन्म, मृत्यु एवं मानव की गतिशीलता ही आधार भूत तत्व है । अतः किसी भी क्षेत्र की आर्थिक एवं सामाजिक दशाओं पर जनसंख्या की आयु एवं लिंगानुपात का अन्तर ही जनसंख्या संबंधी अधिकांश परिवर्तनों का कारण होता है क्योंकि इनसे ही समाज की संरचना होती है । वर्तमान जनसंख्या की आयु एवं लिंगानुपात पिछले 100 वर्षों के जन्म मृत्यु एवं प्रवास की प्रवृत्तियों का परिणाम है जिसके कारण इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता । जनपद में 19 वर्ष से कम आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या बालकों की अपेक्षा कम है । परन्तु 20-39 वर्ष की आयु वर्ग में स्त्रियों की संख्या पुरूषों से अधिक है । यही कार्यशील जनसंख्या है । इसमें पुरूष वर्ग रोजगार की तलाश में बाहर चला जाता है जिसके परिणामस्वरूप इस आयु वर्ग में पुरूषों का प्रतिशत स्त्रियों से कम हो जाता है । 50 से अधिक आयु - वर्ग में पुरूषों की जनसंख्या स्त्रियों की अपेक्षा अधिक है क्योंकि अत्याधिक प्रजजन के कारण स्त्रियों की मृत्यु पुरूषों की अपेक्षा पहले हो जाती है । आत्म संतोष, भोजन में एक रूपता, व्रतोपवास में विश्वास सादा जीवन, अंधविश्वास एवं ममतावश मानसिक मुक्ति के साधन, संयोग की प्रवृत्ति का अन्त तथा नियमित जीवनचर्या के कारण ही स्त्रियाँ यदि 50-55 वर्ष तक जीवित रहती है तो उनकी उम्र सामान्यतः बढ़ जाती है । (मानचित्र 4.9)

यौन संरचना :

किसी निश्चित जनसंख्या में पुरूषों एवं स्त्रियों के अनुपात को लिंगानुपात अथवा यौनानुपात कहा जाता है । इससे स्त्रियों की संख्या के आधार पर कार्यशील जनसंख्या तथा भावी वृद्धि दर का अनुमान लगाया जाता है । इसके अतिरिक्त पुरूषों एवं स्त्रियों का अनुपात अनेक सामाजिक समस्याओं को भी प्रोत्साहित करता है । यह प्रति एक हजार पुरूषों के पीछे स्त्रियाँ की संख्या को प्रकट करता है । जनपद, प्रदेश एवं देश में स्त्रियों का अनुपात पुरूषों की अपेक्षा कम है । जो निम्न तालिका से

सुस्पष्ट होता है ।

तालिका 4.15

यौनानुपात (प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियाँ)

1901 - 81

वर्ष	गाजीपुर ग्रामीण	नगरीय	औसत	उत्तर प्रदेश	भारत
1901	1054	1070	1062	937	972
1911	999	987	993	915	946
1921	962	949	956	909	956
1931	956	934	945	904	952
1941	978	943	965	907	947
1951	1006	950	984	910	948
1961	1024	962	993	909	943
1971	982	877	930	879	931
1981	996	901	949	886	934

जनपद में प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या देश एवं प्रदेश की अपेक्षा अधिक है । 1901 गाजीपुर का लिंगानुपात 1062 था जबकि उ0प्र0 एवं भारत का क्रमशः 937 एवं 972 था । अध्ययन क्षेत्र में सबसे कम 1971 में यौनानुपात (930) था जबकि इसी वर्ष राष्ट्रीय एवं प्रदेशीय औसत क्रमशः 931 एवं 879 था जो जनपद के औसत से काफी कम था । जनपद में 1901 से 1931 तक क्रमशः लिंगानुपात में ह्रास होता गया है तत्पश्चात् 1941-61 की अवधि में लिंगानुपात बढ़ता गया है । लेकिन 1971 (930) एवं 1981 (949) में पुनः ह्रास हुआ है ।

1911-31 के मध्य लिंगानुपात घटने का मुख्य कारण दुर्भिक्ष, अकाल, महामारी एवं प्रथम विश्व युद्ध रहा है जिसके परिणाम स्वरूप कुछ बाहर रहने वाले पुरूष वर्ग अपने घरों को लौट आयें । जनपद के लिंगानुपात में विभिन्नता का मुख्य कारण पुरूष वर्ग का जीविकोपार्जन हेतु बाहर जाना व आना है ।

जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरों की अपेक्षा स्त्रियों का अनुपात अधिक है । इसका मुख्य कारण नगरों के विभिन्न वर्गों में काम करने वाले व्यक्तियों का ग्रामीण क्षेत्रों से जीविकोपार्जन, शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य सेवाओं हेतु नगरों में आना है । यौन संरचना के क्षेत्रीय वितरण में जनपद में अति निम्न श्रेणी में गाजीपुर, मुहम्मदाबाद एवं रेवतीपुर विकास खण्ड आते हैं निम्न श्रेणी (970-990) के अंतर्गत पाँच विकास खण्ड यथा भांवरकोल, कासिमाबाद, बाराचवर, जमानियां एवं भदौरा हैं । मध्यम श्रेणी (990-1010) के अंतर्गत करण्डा, मरदह एवं देवकली विकास खण्ड तथा उच्च श्रेणी (1010-1030) के अंतर्गत विरनों एवं सैदपुर आते हैं । सादात, जखनियां एवं मनिहारी विकास खण्ड अति उच्च (1030 से ऊपर) श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं । 1981 में सर्वाधिक मरदह विकास खण्ड (1040) एवं सबसे न्यून गाजीपुर (960) का यौनानुपात रहा है । (मानचित्र सं० 4.10)

तालिका 4.16

जनपद गाजीपुर में विकास खण्डों का यौनानुपात

1981

प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियाँ

विकासखण्ड	यौनानुपात	विकास खण्ड	यौनानुपात
गाजीपुर	960	मनिहारी	1041
करण्डा	994	मुहम्मदाबाद	964
विरनो	1011	भांवरकोल	989
मरदह	999	कासिमाबाद	978
सैदपुर	1023	जमानियां	971
देवकली	1006	बाराचवर	984
सादात	1037	भदौरा	976
जखनियाँ	1036	रेवतीपुर	965

स्रोत : प्राथमिक जनगणना सार पुस्तिका, 1981 गाजीपुर, उ०प्र०

DISTRICT GHAZIPUR : SEX RATIO
GHAZIPUR
INDIA
UP
FEMALES / 1000 MALES
CENSUS YEARS
RURAL
TOTAL
URBAN
1981
N
FEMALES / 1000 MALES
970
990
1010
1030
Km

FIG. 4.10

वैवाहिक संरचना :

जनसंख्या की वैवाहिक स्थिति-अविवाहित, विवाहित, विधवा और विधुर व्यक्तियों के अनुपात को इंगित करता है । इन अनुपातों को आयु संरचना और यौनानुपात दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं । इस प्रकार किसी जनसंख्या की वैवाहिक स्थिति कभी भी स्थिर नहीं रहती है । विवाह, तलाक एवं वैधव्य आदि जनांकिकीय घटनायें जनसंख्या विकास को प्रत्यक्ष प्रभावित करती हैं । वैवाहिक संरचना जनसंख्या की एक ऐसी महत्वपूर्ण सामाजिक विशेषता है जो जनांकिकीय तथ्यों को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करती है । विभिन्न जनसंख्या समूहों में अलग-अलग आर्थिक और सामाजिक स्तर के कारण वैवाहिक संरचना भी अलग-अलग मिलती है । भारत एवं अध्ययन क्षेत्र के सन्दर्भ में अपेक्षाकृत निम्न आर्थिक एवं सामाजिक स्तर के कारण अल्प व्यस्कों का विवाह हो जाता है । जबकि आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से सम्पन्न समूहों में अपेक्षाकृत अधिक उम्र में विवाह होता है । क्षेत्रीय आधार पर भी विभिन्न वर्गों में वैवाहिक संरचना अलग - अलग होती है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव प्रजननता पर पड़ता है । जिस समाज में स्त्रियों की संख्या अधिक है वहाँ जन्मदर उच्च है तथा जनसंख्या में अपेक्षाकृत कम विवाहित स्त्रियों की संख्या होने से निम्न जन्मदर रहती है । जनपद में मुख्यतया कम उम्र में विवाह निम्न जाति, निम्न जीवन स्तर, अशिक्षित तथा मजदूर समुदाय के लोगों में होता है । इसका कारण यह कि कम उम्र में विवाह आसानी एवं कम खर्च में हो जाता है । साथ ही धार्मिक भावनायें यथा मासिक धर्म शुरू होने से पूर्व लड़कियों की शादी करने पर माँ बाप को पुण्य मिलता है कम उम्र में शादी होने को प्रेरित करता है ।

अध्ययन क्षेत्र में स्त्रियों की अपेक्षा पुरूषों में अविवाहितों की संख्या अधिक है । 1971 में जनपद में कुल ग्रामीण पुरूषों की संख्या में 48.60% पुरूष एवं 36.48% स्त्रियाँ अविवाहित, 46.83% पुरूष एवं 56.03% स्त्रियाँ विवाहित, 4.45% पुरूष विधुर एवं 7.05 स्त्रियाँ विधवा एवं 0.02% तलाकशुदा थी । 1981 में ग्रामीण

क्षेत्रों में 51.43% पुरूष अविवाहित तथा 46.44% स्त्रियाँ अविवाहित थी । विधवाओं का प्रतिशत 3.65% है जो 1971 की तुलना में कम है । इसका कारण बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध है और मृत्युदर कम है । उम्र की ज्येष्ठता के बढ़ने के अनुसार अविवाहितों का प्रतिशत घटता जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक पुरूष 30.39 वर्ष की आयु के बीच व नगरीय क्षेत्र में 40-49 वर्ष की उम्र के बीच हैं । विवाहित स्त्रियों का सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 20-29 वर्ष की उम्र के मध्य तथा नगरीय क्षेत्रों में 30-39 वर्ष की उम्र के मध्य है ।

साक्षरता एवं शिक्षा :

साक्षरता एवं शिक्षा किसी देश के आर्थिक विकास सामाजिक उत्थान और प्रजातांत्रिक स्थायित्व के लिए आवश्यक है । किसी भी क्षेत्र विशेष की उसकी साक्षरता तथा उसकी साक्षरता का उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है । जिस परिवार का जीवन स्तर ऊँचा होता है उसमें बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है । इसके विपरीत निम्न रहन सहन स्तर वाले परिवारों में साक्षरता का प्रतिशत निम्न है क्योंकि ये साधन विहीन होते हैं तथा उनमें परिवार के सभी सदस्य बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरूष कार्य करके अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं । जिस समाज में स्त्रियों का स्थान पुरूषों के समान होता है वहाँ स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है । इसके विपरीत स्त्री शिक्षा पर विशेष कोई ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि उन्हें घर की चहार दीवारी तक ही सीमित रहना पड़ता है । मुसलमानों में भी नारी शिक्षा को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है । वर्तमान समय में साक्षरता एवं शिक्षा की दर का स्तर ऊँचा करने में सरकारी नीतियाँ भी प्रभावी कारक होती है । अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि से संबंधित सरकारी नीतियाँ साक्षरता दर को ऊँचा उठा रही हैं । जनपद में 1971 में साक्षरता 20% जो 1981 में बढ़कर 27% हो गई । इनमें पुरूषों की संख्या 40.41% तथा स्त्रियों का प्रतिशत मात्र 13.63% है । उत्तर प्रदेश में यह 27.38% तथा जो राष्ट्रीय साक्षरता (36.17%) से काफी कम है ।

सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण अनुसूचित जातियों में साक्षरता का दर न्यून है ।

गाजीपुर में साक्षरता का अध्ययन विकास खण्ड स्तर पर किया गया है जिसे वर्गों में विभक्त किया गया है । (मानचित्र 4.11)

1. निम्नवर्ग (20- 25%):

1981 की जनगणना में साक्षरता के इस वर्ग में जनपद के 6 विकास खण्ड आते हैं । मरदह (23.75%), बाराचवर (22.50%), मनिहारी (22.29%), विरनो (22.11%), जखनियाँ (22.04%) तथा कासिमाबाद (21.25%) । 1971 में इस वर्ग में जनपद के 5 विकास खण्ड थे : करण्डा, विरनो, मुहम्मदाबाद, भाँवरकोल तथा जमानियाँ हैं जिनका प्रतिशत क्रमशः 24%, 21.9%, 22.40%, 21.10% एवं 22.10% है ।

2. मध्यम वर्ग (25-30%) :

1971 की जनगणना में जनपद में केवल 83 विकास खण्ड सम्मिलित थे जबकि 1981 में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के कारण इस श्रेणी में 7 विकास खण्ड सम्मिलित हैं । इस वर्ग में आने वाले 7 विकास खण्डों में सादात, करण्डा, जमानियाँ, भांवरकोल, सैदपुर, मुहम्मदाबाद एवं देवकली हैं जिनका भाग क्रमशः 29%, 28.40%, 28.25%, 27.84% 26.52% एवं 26.27% है ।

3. उच्च वर्ग (30-35%) :

गाजीपुर (34.50) भदौरा (33.35%) एवं रेवतीपुर (32.50%) विकास खण्ड उच्च वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित हैं । गाजीपुर में शिक्षा एवं साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक होने का मुख्य कारण नगरीय जनसंख्या एवं काफी संख्या में शिक्षण संस्थाओं का होना है ।

DISTRICT GHAZIPUR : LITERACY
N
MALE
FEMALE
1961
1971
1981
IN PERCENT
30
IN PERCENT
6
9
15
5 0 5 10
Km

FIG. 4·11

नारी साक्षरता का वितरण प्रतिरूप :

नारी साक्षरता में क्रमशः तीन दशकों से लगातार वृद्धि हो रही है । 1961, 1971 एवं 1981 में क्रमशः 7.20%, 8.40% एवं 13.03% रही जो पुरूषों की अपेक्षा इन्हीं दशकों में काफी कम है । 1961,71 एवं 81 में पुरूषों की साक्षरता क्रमशः 28.9%, 30.45% एवं 41.49% थी । सर्वाधिक स्त्री शिक्षा का प्रतिशत गाजीपुर विकास खण्ड (20.32%) तथा न्यूनतम साक्षरता जखनियाँ (8.03%) विकास खण्ड में है । जखनियाँ विकास खण्ड में न्यूनतम नारी शिक्षा का कारण पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों की अधिकता, मार्गों का अभाव तथा नारी शिक्षा के प्रति उदासीनता है ।

1981 में कुल जनसंख्या का 27.77% लोग शिक्षित थे जिनमें 34.60% अशिक्षित 23.64% प्राइमरी स्तर, 16.27% जूनियर हाईस्कूल, 16.91% हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट तथा 0.09% डिप्लोमाधारी तथा 3.42% व्यक्ति स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा प्राप्त किये ।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या :

जनपद में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की कुल संख्या लगभग 15% है, जिनमें चमार, पासी, धोबी, मुसहर, खाटिक, धरिकार, डोम, नट, बाल्मीकि आदि प्रमुख हैं । 1981 में जनपद में 20.59% जनसंख्या अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की थी जिसमें 20.45% पुरूष तथा 20.72% स्त्रियाँ थी । सबसे अधिक जनसंख्या मरदह विकास खण्ड (26.91%) तथा सबसे कम भदौरा विकास खण्ड (15.20%) में है । इसके अतिरिक्त अन्य विकास खण्डों में क्रमशः मुहम्मदाबाद (18.17%), भाँवरकोल (18.40%), जमानियां (17.62%), रेवतीपुर (18.39%), गाजीपुर (22.10%), करण्डा (20.26%), देवकली (22.83%), मनिहारी (22.77%), कासिमाबाद (21.03%), बाराचवर (20.74%), विरनो (25.29%), सादात (24.37%), सैदपुर (23.10%) एवं जखनियाँ (26.91%) है । (मानचित्र सं0 4.12)

DISTRICT GHAZIPUR : SCHEDULED CASTE POPULATION (1981)
N
DENSITY
PERCENT IN TOTAL POPULATION
20
23
26
GROWTH (1971-81)
IN PERCENT
25
30
35
40
MALE
LITERACY
FEMALE
IN PERCENT
26
28
IN PERCENT
3
50
RURAL
IN PERCENT
15
16
URBAN
IN PERCENT
20
25
5 0 5 10
Km

FIG. - 4·12

तालिका 4.17

अनुसूचित जाति एवं जनजाति का विवरण 1981 (प्रतिशत)

विकास खण्ड	प्रतिशत	विकास खण्ड	प्रतिशत	विकास खण्ड	प्रतिशत
गाजीपुर	22.10	सादात	24.37	कासिमाबाद	21.03
करण्डा	20.26	जखनियाँ	26.0	बाराचवर	20.74
विरनो	25.29	मनिहारी	22.77	जमानियाँ	17.62
मरदह	26.91	मुहम्मदाबाद	18.17	भदौरा	15.20
सैदपुर	23.10	भाँवरकोल	18.40	रेवतीपुर	18.39
देवकली	22.23				

वृद्धि :

जनपद में 1951-61 की अवधि में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या 15.83% थी जबकि 1961 - 71 एवं 1971-81 के मध्य क्रमशः 19.10 एवं 27.70% थी । 1971-81 के दशक में सर्वाधिक वृद्धि जमानियाँ विकास खण्ड तथा सबसे कम भदौरा विकास खण्ड में थी जो क्रमशः 65.68% एवं 9.41% थी । अन्य विकास खण्डों में वृद्धि का विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है ।

तालिका 4.18

अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या वृद्धि सन् 1971-81

विकास खण्ड	वृद्धि प्रतिशत	विकास खण्ड	वृद्धि प्रतिशत	विकास खण्ड	वृद्धि प्रतिशत
गाजीपुर	28.29	सादात	31.80	बाराचवर	34.65
करण्डा	40.40	जखनियाँ	39.87	जमानियाँ	65.68
विरनो	39.67	मनिहारी	30.48	भदौरा	9.41
मरदह	41.86	मुहम्मदाबाद	20.00	रेवतीपुर	36.03
सैदपुर	39.53	भांवरकोल	23.78		
देवकली	36.62	कासिमाबाद	36.42		

साक्षरता :

जनपद गाजीपुर में 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति की साक्षरता 15.78% है जिसमें पुरूष 28.30% एवं स्त्री 3.28% साक्षर हैं । निम्न स्तर का जीवन निर्वाह करने एवं आर्थिक समस्याओं के फलस्वरूप स्त्रियों की साक्षरता अत्याधिक कम है । तहसील स्तर पर देखा जाय तो ज्ञात होता है कि गाजीपुर में 17.90%, जमानियाँ में 15.81%, सैदपुर में 15.64% तथा मुहम्मदाबाद में 13.83% है ।

तालिका 4.19

अनुसूचित जाति एवं जनजाति का साक्षरता प्रतिशत 1981

तहसील	कुल	पुरूष	स्त्री
सैदपुर	15.64	20.70	3.28
गाजीपुर	17.90	31.90	3.87
मुहम्मदाबाद	13.83	24.27	3.10
जमानियाँ	15.81	28.21	2.67

जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना

जनसंख्या भूगोल में व्यावसायिक संरचना का अध्ययन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग आदि का ज्ञान होता है । इसी आधार पर भावी योजना की सम्पूर्ण प्रक्रिया की दिशा निर्धारित की जा सकती है । प्राथमिक व्यवसायों जैसे - कृषि, वन, मत्स्य पालन पशुपालन आदि में संलग्न अधिकांश जनक्षेत्र विकास के प्रथम चरण , द्वितीयक व्यवसाय प्रधान जनक्षेत्र विकास के द्वितीय चरण में तथा तृतीय उद्योग प्रधान क्षेत्र विकसित अर्थव्यवस्था के प्रतीक हैं ।

गाजीपुर जनपद में आयु वर्ग एवं क्रियाशीलता में शत प्रतिशत सह सम्बन्ध न

होने के कारण कार्यरत जनसंख्या की अपेक्षा अकार्यरत जनसंख्या बहुत कम है साथ ही जनपद में निर्भरता अनुपात भी अधिक है । कार्यरत जनसंख्या एवं अकार्यरत जनसंख्या के विश्लेषणसे स्पष्ट है कि रोजगार के अवसर तो बढ़ें हैं परन्तु जनसंख्या की अत्याधिक वृद्धि के कारण अकार्यरत जनसंख्या में भी तदनुरूप अधिक वृद्धि हुई है । 1961 में 35.48% कार्यरत जनसंख्या है जिसमें 6.62% जनसंख्या सीमांतिक कर्मकरों की है । इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के मौसमी मजदूर, ईट भट्टों पर कार्य करने वाले तथा कुछ विद्यार्थी भी जो पठन - पाठन के साथ - साथ अन्य कार्य भी किया करते हैं सम्मिलित हैं ।

तालिका 4.20

व्यवसायिक संरचना

वर्ष	कार्यरत जनसंख्या प्रतिशत	अकार्यरत जनसंख्या प्रतिशत
1961	35.48	64.52
1971	29.59	70.41
1981	27.43	72.57

विश्व के विकसित देशों की जनसंख्या से भारतीय जनसंख्या की व्यवसायवार संरचना की तुलना की जाय तो स्पष्ट होता है कि भारत में 72.0% प्रतिशत लोग कृषि में लगे है ।

जापान (19.40%), ब्रिटेन (5.0%) तथा संयुक्त राज्य अमेरिका (12.5%) में अल्प जनसंख्या कृषि में संलग्न है ।

तालिका 4.21

व्यवसाय वार जनसंख्या का तुलनात्मक विवरण 1981

व्यवसाय	देश				
	संयुक्त राज्य अमेरिका	ब्रिटेन	जापान	भारत	गाजीपुर
कृषि एवं कृषि मजदूर	12.5	5.0	19.4	72.6	73.11
उद्योग	30.6	43.0	29.3	9.7	2.55
निर्माण कार्य	6.4	6.2	6.6	1.1	1.95
यातायात एवं सम्बद्ध वाहन	19.0	14.1	16.5	5.1	3.85
अन्य सेवायें	23.8	23.8	20.8	11.8	18.66

अध्ययन क्षेत्र में व्यवसायिक संरचना :

जनपद गाजीपुर में प्राथमिक व्यवसाय वर्ग के अन्तर्गत कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । जनपद के कृषि क्षेत्रों में सामाजिक संरचना में विभिन्नतायें पाई जाती हैं । जनपद में कार्यरत जनसंख्या की अपेक्षा अकार्यरत जनसंख्या अधिक है जो उसके पिछड़ेपन का प्रतीक है, कारण कि यहाँ उद्योगों, लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों का अभाव है । 1981 में 27.43% कार्यरत जनसंख्या तथा 72.57% अकार्यरत जनसंख्या निवास करती है । 1971 में यह प्रतिशत क्रमशः 29.59% तथा 70.41% था । इसका मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि के समय रोजगार के अवसरों का अभाव है ।

तालिका 4.22

गाजीपुर में व्यवसायिक जनसंख्या संरचना (प्रतिशत)

व्यवसाय	1961	वर्ष 1971	1981
कार्यरत जनसंख्या	35.42	29.60	27.43
अकार्यरत जनसंख्या	64.50	70.40	72.57
कृषक	62.63	57.52	53.51
कृषक मजदूर	16.22	30.52	19.60
उद्योग एवं निर्माण	8.55	6.50	4.25
अन्य	12.60	11.46	22.64

जनपद की कार्यरत जनसंख्या को चार व्यवसायिक श्रेणियों में विभक्त किया गया है : यथा कृषक, कृषक मजदूर, उद्योग एवं निर्माण तथा अन्य । अन्य श्रेणी के अंतर्गत पशुपालन, वृक्षारोपण खान खोदना, व्यापार एवं वाणिज्य यातायात संग्रहण एवं संचार को सम्मिलित किया गया है । जनपद की सर्वाधिक जनसंख्या कृषक (53.51) है । 1971 में यह 51.52% रहा है । सर्वाधिक कृषक मजदूर 1971 में 30.52% रहे जो 1951 की तुलना में 20.92% अधिक रहा । उद्योग एवं निर्माण कार्य में लगी जनसंख्या 9.25% (1981) थी जबकि अन्य व्यवसायों में सर्वाधिक 92.64% था । कार्यरत जनसंख्या के आधार पर जनपद को विकास खण्डों में विभक्त किया गया है जो निम्न है -

1. अति निम्न श्रेणी 25% से कम ।
2. निम्न श्रेणी 25 से 30%
3. मध्यम श्रेणी 30 - 35%
4. उच्च श्रेणी 35 से अधिक

अति निम्न वर्ग के अंतर्गत 1981 में केवल भदौरा विकास खण्ड सम्मिलित है जिसका प्रतिशत 24.0% है । निम्न वर्ग के अंतर्गत 12 विकास खण्ड सम्मिलित थे । गाजीपुर (28.96%), करण्डा 25.90%, सैद्पुर 27.68% देवकली 27.61%, सादात 27.54%, जखनियाँ 27.09% मनिहारी 27.68%, मुहम्मदाबाद 28.05%, भाँवरकोल 28.01%, कासिमाबाद 28.08%, जमानियाँ 26.38% एक एवं रेवतीपुर का प्रतिशत 26.92% था । मध्यम वर्ग के अंतग्रत 3 विकास खण्ड सम्मिलित हैं : विरनों, मरहद एवं बाराचवर जिनका प्रतिशत, क्रमश : 30.15% 31.54% एवं 30.55% है ।

जनपद में कार्यरत जनसंख्या में कृषकों का प्रतिशत सर्वाधिक है । 1961, 1971 एवं 1981 में क्रमशः 62.63%, 31.5% एवं 53.5% कृषक हैं । 1961 की अपेक्षा 1981 में कृषक के प्रतिशत में कमी का कारण अधिकांश लोग रोजगार की तलाश में अन्य व्यवसायों को अपना लिया है जो प्रजाति का सूचक है सन् 1981 में जनपद के सभी विकास खण्डों में सर्वाधिक कृषकों का प्रतिशत मनिहारी विकास खण्ड है 71.5% है और सबसे कम रेवतीपुर विकास खण्ड (40.13%) में है । करण्डा, मुहम्मदाबाद, भाँवरकोल, बाराचवर, जमानियाँ , भदौरा में कृषकों का प्रतिशत जनपद के प्रतिशत से कम रहा । इन विकास खण्डों का प्रतिशत क्रमश 52.99%, 53.26%, 40.81%, 49.45%, 51.83%, 45.78% रहा । (मानचित्र सं0 4.13)

अध्ययन क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का दूसरा स्थान कृषक मजदूरों का है । 1961, 1971 एवं 1981 में क्रमशः 16.22%, 30.5% एवं 19.6% है । कृषक मजदूरों की संख्या में कमी का कारण, गरीब लोग के रिक्शा चलाने, कुली का कार्य करने, समीप के बड़े शहरों में चले जाना तथा पंजाब में अच्छी मजदूरी मिलने के कारण चले जाना । 1981 में सर्वाधिक कृषक मजदूरों का प्रतिशत भाँवकोल विकास खण्ड (39.09%) में है तथा सबसे कम जखनियाँ विकास खण्ड (7.18%) है । गाजीपुर में 13.57%, करण्डा में 20.63%, विरनों में 12.92%, मरदह में 11.80%, सैद्पुर में 12.85%,देवकली में 9.29%, सादात में 10.53%, मनिहारी में 12.05%, मुहम्मदाबाद

DISTRICT GHAZIPUR SCHEDULED CASTE (1981)
OCCUPATIONAL STRUCTURE
N
CULTIVATORS
IN PERCENT
20
AGRICULTURAL LABOURERS
IN PERCENT
50
70
HOUSEHOLD INDUSTRY & MANUFACTURING
IN PERCENT
OTHER WORKERS
IN PERCENT
10
5 0 5 10
Km

FIG. 4·13

में 24.63%, भदौरा में 33.32% एवं रेवतीपुर 38.87% कृषक मजदूर कार्यरत थे ।

जनपद में 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति की व्यवसायिक संरचना में 28.68% कर्मकर हैं जिनमें पुरूषों एवं स्त्रियों का प्रतिशत क्रमशः 44.88% एवं 12.45% है । कर्मकरों में 39.38% कृषक, 46.70% कृषक मजदूर, 3.39% पारिवारिक उद्यम, निर्माण सेवा एवं मरम्मत तथा 10.52% अन्य कार्यों में सम्मिलित हैं । सर्वाधिक कर्मकरों की संख्या पुरूषों की अपेक्षा अधिक है क्योंकि समय-समय पर कार्य की अधिकता एवं अधिक मजदूरी प्राप्त करने की इच्छा के फलस्वरूप अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के घरों में बहू, बेटियाँ भी कार्य में संलग्न हो जाती हैं । इसी कारण स्त्रियों की संख्या सीमांकित कर्मकरों में की जाती है । ≬मानचित्र सं0 4.13≬

REFERENCE

1. Steel, R.N. (1955), Land and Population in British Thopical Africa ", Geography, p. 40.
2. Mamoria, C.B. (1961), " India's Population Problems ", Kitab Mahal, Pvt. Ltd., Allahabad, p. 74.
3. Chandra, R.C. and Sidhu, M.S. (1980), " Introduction to Population Geography ", Kalyani Publishers, New Delhi, p. 19.
4. I bid p. 31.
5. Singh, S.N.C. and Devi Uma (1975), " Manav Bhugol Ka Vivechnatmak Adhyayan ", Ramapatti Press, Varanasi.
6. Gosal, G.S. (1961), " Internal Migration in India A Regional Analysis ", Indian Geographical Journal, 36, p.106.
7. Bogue, D.I. (1955), " Internal Migration, in O.C. Doncan and P.M. Hauser (Eds.) The Study of Population : An Inventory and Appraisal, " Chieago, P. 487.
8. Gale, S., (1973), " Explanation Theory and Models of Migration, " Economic Geography. 49, p.p.257-274.
9. Pant, J.C. (1983), Janakikee", Goyal Publishing House, Subhash Nagar, Meerut, p.p.338-339.

अध्याय - पंचम

ग्रामीण अधिवास, सेवा केन्द्र और चयनित अध्ययन

अधिवास मानव निवास का केन्द्र - बिन्दु है । इसमें उसके रहन - सहन आचार - व्यवहार जीवनोपयोगी कार्यों के साथ - साथ विकास के अनेकानेक कार्य सम्पन्न होते हैं ।

मानव अधिवास सांस्कृतिक भूदृश्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है जो मानव की परम्परा तथा संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है । मानव अपनी आवश्यकतानुसार अन्तर्सम्बन्धों, अन्तर्प्रक्रियाओं तथा सहसम्बन्धों के द्वारा उद्भूत सेवा कार्यों की स्थापना करता है । ये सेवा कार्य प्रतिष्ठान , अधिवासीय जनसंख्या की आवश्ययकता पूर्ति तो करता ही है साथ ही कार्य क्षेत्र विस्तार के फलस्वरूप अपने चतुर्दिक आश्रित अधिवासों को भी सेवा प्रदान करता है ।

मानव अधिवास समाज की क्रमबद्ध संस्कृति के प्रतिरूप होते हैं । अधिवास भूगोल में अधिवास का अभिप्राय गृहों के उस समूह से लगाया जाता है जो समीपवर्ती क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए एक सुविधाजनक स्थल पर संग्रहीत हो । सामान्यतया मानव अधिवास ग्रामीण एवं नगरीय दो श्रणियों में आते हैं ।

ग्रामीण अधिवास मानव समाज के मूलाधार हैं । ये एक स्थानबद्ध संस्कृति के गृह के रूप में सेवा प्रदान करते हैं । ये सभ्यता की प्राथमिक इकाई है जहाँ से मानव जीवन के सम्पूर्ण क्षेत्र में संस्कृति फैलती है । ग्रामीण अधिवास मानवीय प्राणियों के संगठित उपनिवेशों (जिनमें भवन सम्मिलित है जिसके अन्दर वे रहते हैं, कार्यकरते हैं, संचयन करते हैं या उनका प्रयोग करते हैं और वे पथ तथा गलियां जिनपर वह गतिशील रहते हैं) को प्रदर्शित करते हैं ।[1]

ग्रामीण अधिवास साधारणतया अनुकूल स्थिति पर छोटे-छोटे तथा साधारण मकानों के समूह हैं जो किसी न किसी तरह कृषि एवं कृषि उत्पाद से सम्बन्धित हैं ।

स्टोन के अनुसार ग्रामीण अधिवास के स्वरूप हैं जिनका निर्माण मानव भूमि से प्राथमिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए करता है ।[2] अनेक गृहों का समूह जिसे हम बस्तियाँ अधिवास कहते हैं मानव की निवास्यता को उजागर करता है । ग्रामीण बस्ती वस्तुतः एक संगामी संगठन है जिसमें लघु से लेकर वृहत् अधिवासी समूह जीवन-यावन के लिए एक ही प्रकार की उत्पाद विधि पर आधारित होते हैं जहाँ कहीं भी ग्रामीण अधिवास हैं वहाँ के लोगों के लिए उदरपूर्ति के लिए प्रायः कृषि ही एक अपेक्षित आधार है । इस प्रकार मानव अधिवास अभिकेन्द्रीय और अपकेन्द्रीय शक्तियों के रूप में क्षेत्र विशेष के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है । जिस केन्द्र में अधिक सेवायें विद्यमान रहती हैं, वह अधिक शक्ति सम्पन्न होकर विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है ।

अतः विकास कार्यों में इन केन्द्रों की अन्यतम भूमिका के कारण ' समन्वित ग्रामीण क्षेत्र विकास ' के सन्दर्भ में इनका अध्ययन आवश्यक है । ग्रामीण अधिवास एक ही क्षेत्र में सर्वत्र एक समान नही पाये जाते हैं । प्रत्येक अधिवास का अपना एक व्यक्तित्व होता है तथा उनके वितरण का प्रतिरूप विभिन्न होता है । अधिवासों की अपनी खास स्थिति होती है और उनका धरातल पर विशिष्ट स्थान होता है ।

ग्रामीण अधिवासों का वितरण प्रारूप क्षेत्र विशेष के भौतिक सामाजिक तथा आर्थिक कारकों का मिश्रित प्रतिफल होता है । इन कारकों में क्षेत्रीय अन्तर के परिणाम स्वरूप वितरण प्रतिरूप में भी अन्तर पाया जाता है । अधिवासों के वितरण में एक सामान्य विशेषता यह मिलती है कि छोटे आकार के अधिवासों के आकार में वृद्धि के साथ - साथ उनके बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है ।

प्रस्तुत अध्याय में ग्रामीण अधिवास के अन्तर्गत ग्रामीण बस्तियों की स्थिति, आकार ग्रामीण घनत्व और अधिवासों का वितरण एवं अन्तर्सम्बन्ध, अधिवासों के प्रकार आदि का अध्ययन किया गया है, तदुपरान्त सेवा केन्द्र की समन्वित ग्रामीण क्षेत्र विकास में योगदान, सेवा केन्द्र की संकल्पना, सेवा केन्द्र निर्धारण में प्रयुक्त विधि एवं अभिज्ञान

के घटक, सेवा केन्द्रों का पदानुक्रम, सेवा समूहों का पदानुक्रमिक स्तर, सेवा क्षेत्र की पहचान तथा सीमांकन का प्रयास किया गया है ।

अध्ययन के उत्तरार्द्ध भाग में चयनित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अन्तर्गत 3 विभिन्न ग्राम जो विभिन्न स्थानिक, आर्थिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक तत्वों से सम्बन्धित हैं, अध्ययन के लिए चुने गये हैं । यद्यपि अध्ययन की पुष्टि, विकासखण्ड एवं ग्राम्य स्तर पर प्राप्त आंकड़ों से परिपूर्ण हो जाती है, फिर भी अध्ययन की गहनता के लिए ग्राम्य स्तर से भी नीचे की इकाई, अर्थात् पारिवारिक एवं व्यक्तिगत स्तर तक का अध्ययन आवश्यक है । इस सन्दर्भ में पारिवारिक आर्थिक स्थितियों के साथ साथ जनसंख्या संसाधन, भूमि संसाधन, कृषि एवं पशु संसाधन, गृह - प्रकार इत्यादि की विवेचना की गई है । इस प्रकार प्रस्तुत अध्याय अध्ययन का मेरूदण्ड है ।

ग्रामीण अधिवास :

मानव, विकास का एक मुख्य कारक है । वह अपनी आवश्यकतानुसार आवश्यक सामग्री का निर्माण एवं उपभोग करता है । किसी भी स्थान के मानव बसाव से वहाँ की सभ्यता, संस्कृति और विकास का अनुमान लगाया जा सकता है । मानव के उठने - बैठने, बसने और आश्रय जमाने में स्थान विशेष की भौगोलिक स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है । मानव बसाव ऋत्विक, अस्थाई एवं स्थाई रूप में हो सकता है । ग्रामीण अधिवासों का अस्तित्व मौलिक एवं पुरातन है । मानव समाज में अपनत्व एवं एकता की भावना के अभ्युदय के साथ बस्तियों का जन्म हुआ । तब से आज तक सभ्यताओं एवं संस्कृतियों के विकास के साथ हर भौगोलिक परिस्थिति में धरातल पर मौलिकतः ग्रामीण बस्तियों (अधिवासों) का विकास होता रहा है । ग्राम (मौजा) प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त अधिशासी इकाई है । इसकी सीमांकित इकाई में एकमात्र सम्बद्ध बस्ती, कई नगले, टोले तथा पुरवे आदि बिखरे होते हैं । यह लघुस्तरीय इकाई है, जिसमें अधिवास सामान्यतः बस्ती मार्ग एवं उसकी अन्य विशेषताओं से युक्त होता है ।

गृह एवं मार्ग पूर्णतया एक दूसरे के पूरक हैं । गृहों का निर्माण मार्गों से और मार्ग गृहों से प्रभावित होते हैं । मार्ग का तात्पर्य पगडण्डी से लेकर वायुमार्ग तक है । अधिवास गृहों के बीच की पारस्परिक दूरी उनकी संख्या और सघनता के आधार पर संगठित, अर्द्धसंगठित और विकीर्ण अभिसंज्ञित होते है । ग्रामीण बस्तियों की स्थिति, आकार एवं कार्यों का नियंत्रण परिस्थैतिक कारकों द्वारा होता है । प्रस्तुत अध्याय में गाजीपुर जनपद के अधिवासों का सामान्य वितरण, आकार-प्रकार एवं ग्रामों की विविध विशेषताओं का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है ।

भारत में ग्रामीण अधिवासों का विकास

प्रागैतिहासिक अधिवास (320 ई0पू0 तक) :

प्रागैतिहासिक पदार्थों की खोज यद्यपि पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई, तब भी निम्न गंगा यमुना - दोआब में प्रागैतिहासिक अधिवासों की खोज कठिन है[3] प्रागैतिहासिक मानवों (आर्यन या ब्रह्मार्यन) के आगमन के पूर्व इस क्षेत्र में ' इक्ष्वाकु आही ' (प्रोटोइण्डिक्स या प्रोटो आस्ट्रेलाइड्स) लोगा निवास करते थे, जिन्हें बाद में 'निशाद' मार्स, 'किरात', 'दास', 'दस्यु' और 'असुर' नाम से जाना गया । इस क्षेत्र में पाषाणकालीन मानव गंगा-घाटी क्षेत्र की गुफा में रहते थे । ये स्थल हैं सिद्धयत, लेखनिया, मोर्हाना पहाड़, बाराकच्चा, गोपद-बनास घाटी और बेलन घाटी । पुरातात्विक प्रमाणों से स्पष्ट हुआ है कि सराय नहर राय और समीपवर्ती क्षेत्र और गाजीपुर जनपद के समीप के जलोढ़ क्षेत्र में नवपाषाणकालीन अधिवास के प्रमाण मिले हैं ।

आर्यन अधिवास :

सिन्ध घाटी के मूल निवासी आर्यन द0पू0 और पूर्व की ओर स्थानानतरित होकर 2500-2000 ई0पू0 गंगा घाटी में दो शाखाओं में आये जिससे कृषि में विकास की प्रकिया तीव्र हुई । आर्यन की एक शाखा घाघरा घाटी (अवध मैदान) की ओर और दूसरी गंगा- यमुना दोआब में स्थानान्तरित हुयी और अपनी राजधानी क्रमशः अयोध्या और

काशी को बनाया । डॉ0 रामलोचन सिंह के अनुसार इस पूर्व घने बसे क्षेत्र में आर्य उपनिवेश क्षेत्रों को जीतकर या फुसलाकर कायम हुआ ।[4] आर्यनकाल के अधिवासों को 6 इकाई या प्रकार में विभक्त किया जा सकता है ।[5]

1. घोसा या गोभा, जिसे बृजा भी कहते हैं ।
2. पल्ली ।
3. ग्राम
4. दुर्ग ।
5. खर्वाट या पत्ताना ।
6. नगर ।

इनमें से प्रथम तीन ग्रामीण किस्म के अधिवास थे । आयर्न अधिवासों के नाम प्रायः गोत्र अथवा कुल के आधार पर रखे गये ।

बौद्ध एवं मौर्यकालीन अधिवास :

फर्रूखाबाद जनपद के 'संकिसा' ग्राम में हाल के पुरातात्विक खोजों के परिणामस्वरूप यह स्पष्ट हुआ कि यह स्थान बौद्ध काल में बसा था । बौद्ध साहित्य में प्रायः ग्रामद्वार का जिक्र आना यह स्पष्ट करता है कि उस समय के गांव किलेबन्द होते थे । गृहों का निर्माण काष्ठ, बाँस एवं अन्य नाशवान पदार्थों से किया जाता था । माप के आधार पर ग्रामों को अनेक नामों से पुकारा जाता था ।

1. गामाक अर्थात् लघु ग्राम ।
2. गाम अर्थात साधारण ग्राम ।
3. निगमा गाम वृहद्ग्राम ।
4. द्वार गामत अर्थात् उपनगरीय ग्राम ।
5. पछन्ता गाम अर्थात् प्रादेशिक ग्राम ।

पूर्व - राजपूत अधिवास :

हर्ष की मृत्यु के बाद (647 ई0) भारतीय साहित्य में अंधकार युग का आगमन हुआ । 8 वीं शताब्दी के प्रारम्भ से निम्न गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में घने जंगल विद्यमान थे । इस क्षेत्र के अधिकांश राजपूत मालवा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से स्थानान्तरित होकर आये थे । इस क्षेत्र के मूल जाति के लोगों ने 8 वीं एवं 12 वीं शताब्दी के मध्य अपने को पुनर्स्थापित किया । लेकिन 11 वीं - 12 वीं शताब्दी के दौरान इन मूलवासियों पर राजपूतों का फिर अधिकार हो गया ।

मुस्लिम कालीन अधिवास (1200 - 1800 ई0) :

कन्नौज के पतन के बाद राजा जजपाल (जयचन्द के बड़े पुत्र) ने फर्रूखाबाद जनपद के खोर पर अपने उपनिवेश को स्थापित किया लेकिन सन् 1214 में शम्सुद्दीन इल्तमस ने नाराज होकर इस अधिवास को नष्ट कर दिया । हालांकि इसी स्थान पर उसने अपने नाम से शमसाद नामक बस्ती की स्थापना की ।

16 वीं शताब्दी के मध्य तक अकबर ने मुगल साम्राज्य (1526 -1750 ई0) की स्थापना की । प्रशासकीय दृष्टि से अकबर ने पूरे साम्राज्य को 5 भागों में विभक्त किया -

(1) सूबा (प्रान्त), (ब) सरकार (संभाग), (स) दस्तूर (जिला), (द) परगना तथा (य) महल ।

ब्रिटिश कालीन अधिवास :

प्रारम्भिक समय में इलाहाबाद फोर्ट (1764 ई0) और जाजमऊ (1764 ई0) ब्रिटिश के अधीन रहा और उन्होंने फतेहगढ़ में 1770 में अपनी छावनी की स्थापना की । 10 नवम्बर 1801 को नवाब सादात अली खाँ और ब्रिटिश सरकार के बीच हुए संधि के मुताबिक सम्पूर्ण अवध क्षेत्र ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सौंप दिया गया । ब्रिटिश

शासकों ने इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की स्थापना की फलतः नये अधिवासों का अभ्युदय हुआ । आर0एल0 सिंह के अनुसार गाँव में बसे लोग अपने खेतों के समीप स्थापित होने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप बाह्य स्थिति नगलों का अभ्युदय और विकास हुआ ।[6]

ग्राम की संकल्पना :

भारत प्रारंभिक काल से ही ग्रामों का एक समूह राष्ट्र रहा है । ' ग्राम ' ग्रामीण जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई होता था, जिसके प्रत्येक घर में कहाँ कौन सा प्रयोजन निष्पादित किया जायेगा की व्यवस्था एवं नियमन की प्रक्रिया निर्धारित रहती थी । ' ग्राम ' इकाई के निवासियों के जीवन - यापन के साधनों को पूरा करने वाले प्रत्येक कारक का अधिवास में कहाँ और क्या स्थान होगा यह भी निर्धारित रहता था ।

वर्तमान सन्दर्भ में ' ग्राम शब्द का प्रयोग काश्तकारों के एक समूह से है जहाँ सघन तथा बिखरे आवास होते हैं एवम् ग्रामवासियों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध संगठन व उनकी सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था होती है । इस प्रकार ' ग्राम ' का अर्थ मानव समूहन से है जिसका एक निर्धारित नाम होता है ।[7] आवासित क्षेत्र के अन्तर्गत आवासों के समूहन को 'पुरवा' एवम् ग्राम कहते हैं । एक राजस्व ' ग्राम ' में कई ' पुरवा ' अलग - अलग स्थित हो सकते हैं ।

1981 की जनगणना के आधार पर ग्राम को एक निश्चित स्थायी सीमा से अवरूद्ध राजस्व मौजा माना गया है लेकिन कुछ परिस्थितियों में अपवाद भी है ।

आबादी प्रसार से एक संस्थिति क्षेत्र (अधिवास स्थल) एक से अधिक राजस्व ग्रामों के प्रसरण कर सकता है । इस प्रकार प्रत्येक ' ग्राम ' की एक निश्चित सीमा अवस्थिति, स्थान नाम होता है और वह चारों तरफ से एक सीमा द्वारा घिरा होता है । आबाद स्थल को ' खास ' ग्राम अथवा ' आबादी खास ' के रूप में जाना जाता है । जबकि उसी सामाजिक वृद्धि के अन्तर्गत विकसित हुई एक या एक से अधिक जुड़ी हुई आबाद इकाईयों को सामान्यतया ' पूरा ', ' टोली ' इत्यादि शब्दों से अभिहित किया गया

है । ये आबाद पुरवे अधिकांशतः आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो द्वारा अधिवासित हैं जो मुख्यतया उच्च एवं सम्पन्न जाति के किसानों के यहाँ कृषि मजदूर के रूप में काम करते रहे है ।

अध्ययन क्षेत्र में कुल 3,363 ग्रामों में 2540 आबाद ग्राम एवं 823 गैर आबाद ग्राम हैं । गैर आबाद ग्रामों को स्थानीय भाषा में बेचिरागी या नाचिरागी (जिस ग्राम में प्रकाश न जलता हो) ग्राम कहते हैं ।

अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण अधिवासों का क्रमबद्ध अधिवसन राजपूत एवं भूमिहार वंशों के पदार्पण के बाद हुआ । विविध राजपूत वंश विभिन्न समयों में जनपद में आये तथा विस्तृत क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किये, जैसे पचोतर तथा शादियाबाद में दीक्षित, जहूराबाद में सेंगर, करण्डा में गौतम, शादियाबाद में काकन, बहरियाबाद में वैश्य, पूर्वी जमानियाँ में सकरवार आदि । इसी प्रकार दूसरी प्रमुख सम्पन्न जाति भूमिहार की विविध शाखायें जमानियाँ एवं मुहम्मदाबाद तहसीलों में अनेक क्षेत्रों में अपने अधिवासों की स्थापना की ।

अध्ययन क्षेत्र के प्राचीन गांव महान हिन्दू परम्परा के एक भाग हैं जो राजपूतों एवं भूमिहारों द्वारा सुरक्षित रखे गये हैं तथा ये राजपूत एवम् भूमिहार वंश अपने सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्बन्ध को आज तक संजोये हुए हैं ।

अधिवासों की अवस्थिति एवं वितरण :

ग्रामीण अधिवासों के वितरण से तात्पर्य उस प्राथमिकता से है जिससे वे किसी क्षेत्र में पाये जाते हैं ।[8] वितरण का स्वरूप एक मापक पर आधारित होता जिस पर उन्हें अवलोकित किया जा सकता है । वितरण के अन्तर्गत क्षेत्रीय भिन्नता अधिग्रहण में स्थानिक अन्तर, गहनता प्रारूप तथा घनत्व आदि सम्मिलित है ।[9] ग्रामीण अधिवास वितरण के प्रतिरूप व प्रकार में प्रादेशिक भिन्नता होती है किन्तु विभिन्न मापक तथा सूचकांकों के आधार पर वितरण प्रारूप एवम् ग्रामीण अधिवास के बीच परस्पर सम्बन्ध

की व्याख्या, आकार , (जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर) दूरी (अवलोकित अनुमानित तथा यादृच्छिक) एवं अन्य विशेषताओं के माध्यम से की जा सकती है ।[10]

अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण अधिवास साधारणतया अनुकूल भौगोलिक स्थिति पर छोटे - छोटे तथा साधारण मकानों के समूह हैं जो किसी न किसी तरह कृषि से सम्बन्धित हैं । इन अधिवासों के वितरण पर मानवीय एवम् प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव पड़ा है । इन तत्वों ने कहीं एकाकी और कहीं सम्मिलित रूप से प्रभाव डाले हैं । अध्ययन क्षेत्र में भौतिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों की क्षेत्रीय समानता के कारण ग्रामीण अधिवासों का वितरण भी समान है । ग्रामीण अधिवासों की स्थापना प्रायः समतल भूमि पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से दूर हुई है । मुख्यतः मिट्टी की उर्वराशक्ति,ऊसरभूमि, जलापूर्ति के स्रोत, अपवाह तंत्र एवम् उससे उत्पन्न जल प्लावन तथा जल जमाव एवम् अधोभौमिक जल स्तर की क्षेत्रीय विषमता के कारण इन अधिवासों के वितरण में व्यतिक्रम पाया जाता है । अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण अधिवासों के विकास और स्थल चयन में गंगा एवम् उसकी सहायक नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण अधिवासों के विकास के लिए नदियों के किनारे अपेक्षाकृत ऊँचे भूभाग उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण स्थिति संस्थापित करते हैं । बारा, गोसपुर, पुरैना, जमानियाँ , चोचकपुर, देवचन्द्पुर, गहमर, बीरपुर, रेवतीपुर इत्यादि की संस्थिति गंगा नदी के ऊँचे तटवर्ती भागों पर है । क्षेत्र में अधिवासों के विकास के लिए नदी विसर्पण एवं पाश एक दूसरी महत्वपूर्ण संस्थिति है । शेरपुर, फिरोजपुर, पृथ्वीपुर, जलालपुर एवं साधोपुर इसके अच्छे उदाहरण हैं । तालाबों ने एवं अन्य जलाशय भी अधिवासों के विकास में विशिष्ठ प्रकार की संस्थिति प्रस्तुत किये हैं । इस प्रकार के अधिवासों में सिंगेरा, चौबेपुर, कोदई, बलसारी, सोनहरया, बैटावर कलां, टिसौरा, फुल्ली आदि महत्वपूर्ण अधिवास हैं, जो किसी ताल झील या नाले के पास स्थित हैं ।

विपणन केन्द्र भी अधिवास वितरण की प्रक्रिया एवं प्रतिरूप को प्रभावित

करते हैं । विपणन केन्द्र सामान्यतया यातायात मार्गो के अभिबिन्दु केन्द्रों पर विकसित होते हैं । विपणन केन्द्रों में निकटवर्ती क्षेत्रों के उत्पाद का संग्रह एवम् उनका क्रय - विक्रय किया जाता हे । व्यापार एवं परिवहन एक दूसरे से शरीर प्राण के रूप में सम्बन्धित है । इन क्रियाओं के बारम्बारता एवं प्रौढता से विपणन केन्द्रों के स्थायित्व एवं स्तर में क्रमशः वृद्धि होने लगती है ।

नन्दगंज, जंगीपुर, कासिमाबाद, बहादुरगंज, ढढ़नी, दिलदारनगर, शादियाबाद, बहरियाबाद, इत्यादि इसके उदाहरण हैं ।

सामान्य रूप में गंगा नदी के उत्तर बांगर भूमि के समतल चौरस भाग में कम अन्तराल वाले अपेक्षाकृत छोटे - छोटे अधिवास पाये जाते हैं । यातायात मार्गों के सहारे अथवा अपेक्षाकृत अधिक उर्वर भूमि में बड़े एवं सघन अधिवास भी कहीं - कहीं हैं । यथा जलालाबाद, बहरियाबाद, कासिमाबाद, मरदह, भौधा, खानपुर, मैनपुर, नायकडीह इत्यादि । गंगा नदी के दक्षिण में जहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है बाढ़ की सीमा से ऊपर स्थित अधिवास स्थल की कमी के कारण एक दूसरे से दूर किन्तु आकार में बड़े अधिवास हैं । इन अधिवासों में रेवतीपुर, सुहवल, उतरौली, नवली, उसिया, गहमर, सेवराई, देवल, बारा इत्यादि वृहदाकार अधिवास प्रमुख है ।

गंगा नदी के खादर क्षेत्र एवं गंगा कर्मनाशा नदियों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में अधिवास वितरण विरल है जबकि गंगा नदी के उत्तर सैदपुर एवं गाजीपुर तहसीलों के बांगर प्रदेश में अधिवास वितरण सघन है । किन्तु गाजीपुर, सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तहसीलों में जहाँ रेहयुक्त ऊसर भूमि की पट्टी पाई जाती है , अधिवासों का वितरण विरल है ।

ग्राम्याकार :

ग्राम के आकार की संकल्पना की अभिव्यक्ति उसके क्षेत्रीय विस्तार अथवा उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में की जाती है । ग्रामों के आकार एवं घनत्व एक दूसरे से सम्बन्धित हैं जबकि उनके घनत्व और दूरी में प्रतिकूल सम्बन्ध है ।

सामान्यतः अधिवासीय अन्तरालकम होने पर अधिवासों के घनत्व में वृद्धि हो जाती है तथा अधिवासीय अन्तराल में वृद्धि होने पर घनत्व में कमी आती है ।

ग्रामीण अधिवासों के आकार का निर्धारण क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर किया गया है । क्षेत्रफल को आधार मानकर ग्राम्याकार का विश्लेषण न्याय पंचायत स्तर पर किया गया है । न्याय पंचायत विशेष के क्षेत्रफल में उसके अन्तर्गत स्थित आबाद ग्रामों की संख्या से भाग देकर ग्राम का औसत क्षेत्रफल ज्ञात किया गया है । इस गणितीय परिकलन के आधार पर सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के अधिवासों को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है ।

1. अति लघु आकार (.50 किमी^{2}/ग्राम) :

इस वर्ग के ग्राम कुल 3 न्याय पंचायतों में पाये जाते हैं, इनमें रावल (सैदपुर) भीतरी (देवकली) और विन्दवलिया (गाजीपुर) न्याय पंचायतें सम्मिलित हैं । इस श्रेणी के अध्ययन क्षेत्र के 0.97 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रफल पर 1.43 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या का निवास है ।

2. लघु आकार (0.50 - 1.00 किमी^{2}/ग्राम) :

इस वर्ग के अन्तर्गत कुल 59 न्याय पंचायतें सम्मिलित हैं । विकास खण्ड जखनियाँ (6) मनिहारी (3) सादात (2) सैदपुर (8) देवकली (7) विरनों (3) मरदह (1) गाजीपुर (7) कासिमाबाद (8) बारावचर (6) एवं मुहम्मदाबाद (8) की न्याय पंचातों में 22.80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रफल पर 27.11 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है । इस वर्ग की न्याय पंचायतें समतल मैदानी भाग में बाढ़ से सुरक्षित एवं सिंचन सुविधाओं से युक्त दो फसली क्षेत्र हैं ।

3. मध्यम लघु आकार (1.00 - 1.50 किमी^{2}/ग्राम) :

इस श्रेणी के ग्रामों का विस्तार विकासखण्ड रेवतीपुर एवं भदौरा को छोड़कर अध्ययन क्षेत्र के सभी विकासखण्डों में पाया जाता है । जखनियाँ की 5, मनिहारी की

7, सादात की 8, सैद्पुर की 4, देवकली की 3, विरनों की 2, मरहद की 4, गाजीपुर की 2, करण्डा की 3, कासिमाबाद की 4, बाराचवर की 5, मुहम्मदाबाद की 3, भाँवरकोल की 4, एवं जमानियाँ में बघरी मलसा तथा जलालपुर की न्याय पंचायतों सहित कुल 71 न्याय पंचायतें इस वर्ग के अन्तर्गत आती हैं, जो कुल 27.40 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रफल पर 29.31 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या का निवास्य क्षेत्र है । इस आकार के ग्राम भी गंगा नदी के उत्तर समतल मैदानी भाग में पाये जाते हैं जो बाढ़ से अप्रभावित हैं, साथ ही दो फसली क्षेत्र है । गंगा नदी के दक्षिण में जमानियाँ तहसील के एक सीमित क्षेत्र पर ही इस क्षेत्रीय आकार के ग्राम पाये जाते हैं ।

4. मध्यम आकार (1.50 - 2.00 किमी²/ग्राम) :

इस श्रेणी के ग्राम अध्ययन क्षेत्र के 33 न्याय पंचायतों में कुल ग्रामीण क्षेत्रफल के 18.87 प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है जिनमें कुल ग्रामीण जनसंख्या का 16.14 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है । इस आकार के ग्राम सर्वाधिक विकास खण्ड भांवरकोल (6 न्याय पंचायत) में पाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त विरनों (3) करण्डा (3), जमानियाँ (3) रेवतीपुर (3), मनिहारी (2), सैद्पुर (2), मरदह (2), मुहम्मदाबाद (2), जखनियाँ (1), सादात (1), देवकली (1) एवं गाजीपुर (1) की न्याय पंचायतों में भी इस क्षेत्रीय आकार के ग्राम केन्द्रित हैं । इस आकार के ग्रामों का केन्द्रीयकरण लगभग उन्हीं क्षेत्रों में है जो या तो उसरीले हैं या करइल एवं बाढ़ मिट्टी के क्षेत्र हैं । गंगा नदी एवं छोटी सरयू नदी के किनारे पड़ने वाली न्याय पंचायतें बाढ़ से प्रभावित होती रहती हैं ।

5. मध्यम दीर्घ आकार (2.00 - 2.50 किमी²/ग्राम) :

अध्ययन क्षेत्र की कुल 20 न्याय पंचायतों में ग्रामीण क्षेत्रफल के 18.99 प्रति-शत भाग पर है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 16.96 प्रतिशत भाग पर निवास करती है । इस आकार के ग्राम गंगा खादर प्रदेश में पड़ने वाली न्याय पंचायतें खालिसपुर (गाजीपुर) सौरभ, मैनपुर, सौमनी (करण्डा), ताजपुर, माइना, बसइन देवढ़ी (जमानियाँ) ताड़ी डेढ़गांवा

(रिवतीपुर) बारा एवं सेवराई (भदौरा) हैं, जबकि गंगा नदी के उत्तर कटे-पिटे (वड्डनुमा क्षेत्र में केन्द्रित न्याय पंचायतें, युसुफपुर, मौधिया (मनिहारी), मिर्जापुर (सादात), तहुरापुर वोगना (विरनों) सिगैरा, सुलेमान, देवकली, (मरदह) देवली (कासिमाबाद) एवं असवार (बाराचवर) है ।

6. वृहद् आकार (2.50 - 3.00 किमी^{2}ग्राम):

इस श्रेणी के ग्राम अध्ययन क्षेत्र के 10.97 प्रतिशत भू-भाग पर विस्तुत हैं, जिनमें 9.95 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है । वृहद् आकार के ग्राम उतर में ऊसरभूमि प्रधान क्षेत्र की हैदरगंज (मरदह), करीमुउद्दीन (बाराचवर), न्याय पंचायतों में एवं गंगा खादर क्षेत्र की देवरिया, बेतावर, तियरी (जमानियाँ), सुहवल (रिवतीपुर), गहमर एवं ताजपुर कलां (भदौरा) न्याय पंचायतों में केन्द्रित हैं ।

7. वृहत्तम आकार (73.00 किमी^{2}/ग्राम) :

इस आकार के ग्रामों का केन्द्रीयकरण मुख्यालय जमानियाँ तहसील के बाद प्रभावित गंगा खादर क्षेत्र में हैं जहाँ खरीफ की फसलें प्रायः बरसात के दिनों में बाढ़ से विनष्ट हो जाती हे, परन्तु रबी की फसल का उत्पादन इतना अधिक होता है कि दोनों फसलों का औसत प्रायः पूरा हो जाता है । इस आकार के ग्रामों के लिए शेरपुर कलाँ, (24.40 किमी^{2}/ग्राम) रेवतीपुर (10.6किमी^{2} ग्राम), दिलदारनगर (5.69किमी^{2}/ग्राम) एवं मोहम्ममदपुर (4.75 किमी^{2}/ग्राम) की न्याय पंचायतें उल्लेखनीय है, जहाँ बहुत ही बड़े आकार के ग्राम विस्तृत हैं । इनके अतिरिक्त गंगा नदी के उत्तर खादर क्षेत्र विहीन परन्तु जल जमाव के क्षेत्र में पड़ने वाली सेमुआपार (सादात), कुसुम्हीकलाँ एवं हुसेनपुर (गाजीपुर) की न्याय पंचायतों में बड़े आकार के ग्राम एक दूसरे से काफी दूरी पर बसे हैं । करहिया एवं देवल (भदौरा) न्याय पंचायतें गंगा व कर्मनाशा नदियों के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में पड़ती है, जहाँ वृहत्तम आकार के ग्राम दूर - दूर बसे हैं (मानचित्र सं0 5.1)

DISTRICT GHAZIPUR
SIZE OF VILLAGES
BASED ON AREA
BELOW 0·50 KM²/VILLAGE
0·50 1·00
1·00 1·50
1·50 2·00
2·00 2·50
2·50 3·00
ABOVE 3·00 KM²/VILLAGE
0
10
KM

FIG. 5·1

तालिका 5.1

ग्राम्याकार 1981 (क्षेत्रफल पर आधारित)

वर्ग क्षेत्रफल किमी2/ग्राम	न्याय पं0 संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	कुल ग्रामीण क्षेत्रफल का प्रतिशत	निवास करने वाली कुल ग्रा0जन0का प्रतिशत	विकास खण्ड (न्याय पंचायत संख्या सहित)
0.50 किमी^{2}/ग्रा.	3	32.05	0.97	1.43	सैदपुर (1) देवकली (1) गाजीपुर (1)
0.50-1.00	59	751.00	22.80	27.11	जखनियाँ(6) मनिहारी (3) सादात (2) सैदपुर (8) देवकली(7) विरनो (3) मरदह (1) गाजीपुर (7) करण्डा (0) कासिमाबाद (8) बाराचवर (6) मुहम्मदाबाद (8)
1.00-1.50	58	902.37	27.40	29.31	जखनियाँ (5) मनिहारी (7) सादात (8) सैदपुर (4) देवकली (3) विरनो (2) मरदह (4) गाजीपुर (2) करण्डा (3) कासिमाबाद (4) बाराचवर (5) मुहम्मदाबाद (3) भाँवरकोल (4) जमानियाँ (3)
1.50-2.00	33	621.33	18.87	16.14	जखनियाँ (1) मनिहारी (2) सादात (1) सैदपुर (2) देवकली (1) विरनो (3) मरदह (2) गाजीपुर (1) करण्डा (3)कासिमाबाद (3) मुहम्मदाबाद (2) भाँवरकोल (6) जमानियाँ (3) रेवतीपुर (3)
2.00-3.00	29	625.48	18.99	16.06	मनिहारी (2) सादात (1) विरनो (2) मरदह (3) गाजीपुर (1) करण्डा (9) कासिमाबाद (1) बाराचवर (2) जमानियाँ (6) रेवतीपुर (3, भदौर (4)
>-3.00	11	361.27	90.97	9.95	सादात (1) गाजीपुर (1) करण्डा (1) भाँवरकोल (1) जमानियाँ (2) रेवतीपुर (2) भदौरा (3)
1.30	193	3293.5	100.0	100.0	अध्ययन क्षेत्र (193)

तालिका 5.2

अधिवास घनत्व

अधिवास/ 10 किमी^{2}	न्याय प0 सं0	कुल न्याय पंचायतों का %	कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	कुल ग्रामीण क्षेत्रफल का प्रतिशत	विकास खण्ड न्याय पंचायत संख्या सहित
<3	7	3.63	7.97	8.12	भाँवरकोल (1) जमानियाँ (2) रेवतीपुर (2) भदौरा (2)
3-6	51	26.42	27.40	31.87	सादात (5) देवकली (1) विरनो (4) मरदह (5) गाजीपुर (2) करण्डा (8) कासिमाबाद (2) बाराचवर (2) मुहम्मदाबाद (1) भाँवरकोल (3) जमानियाँ (8) रेवतीपुर (5) भदौरा (5)
6-9	53	27.46	26.40	26.56	जखनियाँ (4) मनिहारी (2) सादात (5) सैदपुर (5) देवकली (2) विरनो (3) मरदह (5) गाजीपुर (2) करण्डा (2) कासिमाबाद (4) बाराचवर (5) मुहम्मदाबाद (3) भांवरकोल (6) जमानियाँ (4) रेवतीपुर (1)
9-12	39	20.21	19.68	18.63	जखनियाँ (4) मनिहारी (6) सादात (6) सैदपुर (5) देवकली (6) विरनों (1) गाजीपुर (2) करण्डा (1) कासिमाबाद (4) बाराचवर (1) मुहम्मदाबाद (2) भांवरकोल (1)
12-15	24	12.44	10.65	8.83	जखनियाँ (4) सैदपुर (1) मनिहारी (3) देवकली (2) विरनो (1) गाजीपुर (2) कासिमाबाद (3) बाराचवर (4) मुहम्मदाबाद (3)
>15	19	9.84	7.90	5.99	सैदपुर (9) देवकली (1) विरनो (1) मरदह (1) गाजीपुर (5) कासिमाबाद (3) बाराचवर (1) मुहम्मदाबाद (3)
12.90	193	100.00	100.00	100.00	

ग्राम्याकार विश्लेषण (जनसंख्या/ग्राम) :

जनसंख्या आकार को आधार मानकर ग्राम्याकार विश्लेषण करने के लिए न्याय पंचायतों के संपूर्ण जनसंख्या को आबाद ग्रामों की संख्या से भाग दे दिया गया है । इस गणितीय परिकलन के आधार पर अध्ययन क्षेत्र की न्याय पंचायतों को 6 वर्गों में विभक्त किया गया है ।

1. लघु आकार (300 व्यक्ति/ग्राम) :

इस वर्ग के ग्राम रावल (सैदपुर) एवं कटारिया (बाराचवर) न्याय पंचायतों में केन्द्रित हैं जो सबसे कम (0.65 प्रतिशत) ग्रामीण जनसंख्या के निवास क्षेत्र के रूप में 0.54 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रफल पर विस्तृत है ।

2. मध्यम लघु आकार (301 - 600 व्यक्ति/ग्राम) :

इस श्रेणी के ग्राम अध्ययन क्षेत्र के विस्तृत (34.99 प्रतिशत) भूभाग पर सर्वाधिक (35.14 प्रतिशत) जनसंख्या निवास करती है । इस प्रकार के ग्राम कुल 75 न्याय पंचायतों में केन्द्रित है जिनमें सर्वाधिक (45.33 प्रतिशत) तहसील सैदपुर, मुहम्मदाबाद (33.33 प्रतिशत) एवं गाजीपुर (16 प्रतिशत) में पड़ती है । तहसील जमानियाँ में मात्र तीन (मलसा, जमालपुर एवं गहमर) न्याय पंचायतों में इस आकार के ग्राम पाये जाते हैं ।

3. मध्यम आकार (601 - 900 व्यक्ति/ग्राम) :

इस श्रेणी के ग्राम अध्ययन क्षेत्र के 31.93 प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत 32.29 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है । इसके अन्तर्गत कुल 64 (33.16 प्रतिशत) न्याय पंचायतें आती है, जिनमें सर्वाधिक (40.63 प्रतिशत) तहसील सैदपुर (26) में स्थित है । शेष मुहम्मदाबाद (19), गाजीपुर (15) एवं जमानियाँ (4) में स्थित हैं । हम देखते हैं कि द्वितीय एवं तृतीय वर्ग के ग्राम्याकार की न्याय पंचायतों का

जाता है, अर्थात् गंगा नदी के उत्तर स्थिति सिंचन सुविधाओं से युक्त, समतल सुप्रवाह ढाल वाले दो फसली क्षेत्रों में इस आकार के ग्रामों का केन्द्रीयकरण हुआ है ।

4. मध्यम दीर्घ आकार (901 -1200 व्यक्ति/ग्राम) :

इस आकार के ग्राम अध्ययन क्षेत्र की कुल 26 न्याय पंचायतों में 12.79 प्रतिशत क्षेत्रफल पर 12.63 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के निवास क्षेत्र के रूप में अधिवासित है । विकास खण्ड जखनियाँ, सादात (तहसील सैदपुर) एवं भदौरा (जमानियाँ) को छोड़कर शेष सभी विकास खण्डों की कमोवेश न्याय पंचायतों में इस आकार के ग्राम पाये जाते हैं ।

5. दीर्घाकार (1201 से 1500 व्यक्ति/ग्राम) :

इस वर्ग के ग्रामों का विस्तार मुख्यतः जनमानियाँ तहसील में है । अध्ययन क्षेत्र में क्रमशः 7.29 प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत 7.05 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या की अर्थव्यवस्था के आधार इस आकार के ग्रामों की स्थिति बाढ़ प्रभावित एवं जल जमाव के क्षेत्र में है । यहाँ गाँवों के बीच की दूरी अधिक और ग्राम संख्या कम है, परन्तु इस आकार के ग्रामों में निवास करने वाली जनसंख्या बहुत ही अधिक है । पंचम वर्ग के अन्तर्गत आने वाले न्याय पंचायतों में सेसुआपार (सादात), हैदरगंज, सिगेरा (मरदह), सौरभ, मैनपुर, कटरिया (करण्डा), करीमुद्दीनपुर (बाराचवर), तारी, डेढ़गाँवा, गोहदा, विशुनपुर (रिवतीपुर), बारा एवं देवल (भदौरा) हैं ।

6. वृहत्तम आकार (1500 व्यक्ति/ग्राम) :

इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले न्याय पंचायतें हुसेनपुर (गाजीपुर), कुसुम्हीकलाँ (करण्डा), शेरपुर कलाँ (भांवरकोल), घरहनी, भारमल, बैढ़ाबर, कुल्ली मोहम्मदपुर (जमानियाँ), सुहवल, रेवतीपुर, नवली (रिवतीपुर) करहियां, सेवराई, दिलदारनगर, वताजपुर कर्रा (भदौरा है, जिनमें शेरपुर कलां (10436 व्यक्ति/ग्राम) दिलदारनगर (4504 व्यक्ति/ग्राम), नवली (4410 व्यक्ति/ग्राम), रेवतीपुर (3381 व्यक्ति/ग्राम) फुल्ली (2835 व्यक्ति/ग्राम) एवं मोहम्मदपुर (2648 व्यक्ति/ग्राम)

अत्याधिक जनसंख्या वाले ग्राम के लिए राष्ट्र स्तर पर उल्लेखनीय हैं ।

मानचित्र (5.2) से स्पष्ट है कि वृहत्तम एवं दीर्घ आकार के ग्रामों का तहसील जमानियाँ में बाहुल्य है, जो मुख्यतया गंगा खादर क्षेत्र में पड़ते हैं । इसके अतिरिक्त गाजीपुर एवं मुहम्मदाबाद तहसीलों में भी उन्ही क्षेत्रों के ग्राम्याकार बड़े हैं जो गंगा नदी के खादर क्षेत्र में पड़ते हैं । अध्ययन क्षेत्र के शेष भागों में ग्राम्याकार लघु अथवा औसत हैं ।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से वृहद् औसत तथा लघु आकार के ग्रामों का उन्ही क्षेत्रों में केन्द्रित होना स्वाभाविक है जहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से वृहद्, औसत तथा लघु आकार के ग्राम स्थित हैं । इस प्रकार जनसंख्या तथा क्षेत्रफल पर आधारित ग्रामों का अन्तर्सम्बन्ध है । (मानचित्र सं0 5.2)

DISTRICT GHAZIPUR
SIZE OF THE VILLAGES
BASED ON POPULATION
N
BELOW 300
300 600
600 900
900 1200
1200 1500
ABOVE 1500
0
10
KM

FIG. 5·2

तालिका 5.3

ग्राम्याकार (जनसंख्या के आधार पर)

वर्ग.व्यक्ति ग्राम	कुल न्याय पंचायत संख्या	कुल ग्रामीण क्षेत्रफल का प्रतिशत	कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	विकास खण्ड नाम (न्याय पंचायत संख्या सहित)
< 300	2	0.54	0.65	सैदपुर (1) बाराचवर (1)
301-600	75	34.99	35.14	जखनियां (7) मनिहारी (8) सादात (5) सैदपुर (5) देवकली (9) विरनो (3) मरदह (3) गाजीपुर (6) कासिमाबाद (10) बाराचवर (7) मुहम्मदाबाद (7) भांवरकोल (2) जमानियां (2) भदौरा (1)
601-900	64	31.93	32.29	जखनियां (5) मनिहारी (5) सादात (7) सैदपुर (8) देवकली (1) विरनो (3) मरदह (4) गाजीपुर (4) करण्डा (4) कासिमाबाद (5) बाराचवर (3) मुहम्मदाबाद (4) भांवरकोल (7) जमानियां (3) रेवतीपुर (1) ।
901-1200	26	12.79	12.63	मनिहारी (1) सैदपुर (1) देवकली (2) विरनो (4) मरदह (2) गाजीपुर (2) करण्डा (3) कासिमाबाद (1) बाराचवर (1) मुहम्मदाबाद (2) भांवरकोल (1) जमानियां (5) रेवतीपुर (1) ।
1201-1500	12	7.29	7.05	सादात (1) मरदह (2) करण्डा (3) बाराचवर (1) रेवतीपुर (3) भदौरा (1) ।
> 1500	14	12.46	12.24	गाजीपुर (1) करण्डा (1) भांवरकोल (1) जमानियां (4) रेवतीपुर (3) भदौरा (4) ।
705 व्यक्ति/ग्राम	193	100.0	100.0	अध्ययन क्षेत्र (193)

अधिवासों का वितरण :

अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण अधिवास साधारणतया अनुकूल भौगोलिक स्थिति पर छोटे - छोटे तथा साधारण मकानों के समूह हैं जो किसी न किसी तरह कृषि से सम्बन्धित हैं । इन अधिवासों के वितरण पर मानवीय एवं प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव पड़ा है । ये तत्व कहीं एकाकी और कहीं सम्मिलित रूप से प्रभाव डाले हैं । अध्ययन क्षेत्र में भौतिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों की क्षेत्रीय समानता के कारण ग्रामीण अधिवासों का वितरण भी समान है । ग्रामीण अधिवासों की स्थापना प्रायः समतल भूमि पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से दूर हुई है । अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण अधिवासों के विकास और स्थल - चयन में गंगा एवम् उसकी सहायक नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण अधिवासों के विकास के लिए नदियों के किनारे अपेक्षाकृत ऊँचे भूभाग उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण स्थिति स्थापित करते हैं । बारा, गोसपुर, पुरैना, जमानियां, चोचकपुर, देवचन्द्पुर, गहमर, बीरपुर, रेवतीपुर इत्यादि की स्थिति गंगा नदी के ऊँचे तटवर्ती भागों पर है । विपणन केन्द्र, यातायात एवं संचार के साधनों ने भी अधिवास के वितरण को प्रभावित किया है । भटनी वाराणसी रेलमार्ग पर नायकडीह, दुल्लहपुर, जखनियाँ, सादात, हुरमुजपुर, माहपुर, औड़िहार, सिधौना, औड़िहार बलिया रेलमार्ग पर नन्दगंज, तटाँव, करीमुद्दीनपुर इत्यादि, मुगलसराय, पटना (ब्राडगेज) मुख्य रेल मार्ग पर भदौरा, दिलदारनगर, गहमर इत्यादि एवं ताड़ी घाट - दिलदार नगर रेलमार्ग ताड़ीघाट - एवं नासर इसके प्रमुख उदाहरण हैं । इसी प्रकार राष्ट्रीय एवं राजकीय राजपथ भी अधिवासों के विकास को प्रभावित किये हैं । मटेहूँ, मरदह, भड़सर विरनो, जंगीपुर, नन्दगंज, उजियारपुर, कासिमाबाद, बहलोलपुर, मौधा, मलसा, उतरौली इत्यादि के विकास में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका है । (मानचित्र सं0 5.3 ए)

विपणन केन्द्र भी अधिवास वितरण की प्रक्रिया एवं प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं । नन्दगंज, जंगीपुर, कासिमाबाद, बहादुरगंज, ढढ़नी, दिलदारनगर, शादियाबाद, बहरियाबाद इत्यादि इसके उदाहरण हैं ।

सामान्य रूप में गंगा नदी के उत्तर बांगर भूमि के समतल चौरस भाग में कम अन्तराल वाले अपेक्षाकृत छोटे - छोटे अधिवास पाये जाते हैं । यातायात मार्गों के सहारे अथवा अपेक्षाकृत अधिक उर्वर भूमि में बड़े एवं सघन अधिवास भी कहीं - कहीं है यथा जलालाबाद, बहरियाबाद, कासिमाबाद, मरदह, मौधा, खानपुर, मैनपुर, नायकडीह इत्यादि ।

गंगा नदी के दक्षिण में जहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है बाढ़ की सीमा से ऊपर स्थित अधिवास स्थल की कमी के कारण एक दूसरे से दूर किन्तु आकार में बड़े अधिवास हैं । इन अधिवासों में रेवतीपुर, सुहवल, उतरौली, नवली, उसिया, गहमर, नासर, सेवराई, देवल, बारा इत्यादि वृहदाकार अधिवास प्रमुख हैं ।

गंगा नदी के खादर क्षेत्र एवं गंगा - कर्मनाशा नदियों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में अधिवास वितरण विरल है, जबकि गंगा नदी के उत्तर सैदपुर एवं गाजीपुर तहसीलों के बांगर प्रदेश में अधिवास वितरण सघन है । किन्तु गाजीपुर, सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तहसीलों में जहाँ रेहयुक्त ऊसर भूमि की पट्टी पाई जाती है, अधिवासों का वितरल विरल है । (मानचित्र संख्या 5.3 ए)

ग्रामीण अधिवासों के प्रकार :

अधिवास ग्रामीण भूदृश्य के महत्वपूर्ण अंग के रूप में अपने पारिस्थैतिक पर्यावरण के अन्तर्गत अव्यवस्थित क्रम में विकसित होते हैं और प्रकार का अभिप्राय अधियोग इकाई के लक्षण (स्वरूप) एवं विशिष्ट अधिवास के आवासों (गृहों) के स्थानिक वितरण को व्यक्त करना है ।

अधिवासों के प्रकार निर्धारण में अध्येताओं में मतैक्य नहीं है । विभिन्न भागों में अधिवास प्रकार को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट प्रतिमानों का चयन भूगोलवेत्ताओं ने किया है । आक्सियाडिस के अनुसार ' अधिवास प्रकार अधिवास एवं क्षेत्र के मध्यम अन्तर्सम्बन्ध को निर्दिष्ट करता है ।[11] इन्होंने अधिवासीय इकाईयों,

अधिवासीय तत्वों, अधिवासीय कार्यों एवं कारकों के आधार पर अधिवासों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है । प्रो० अहमद[12] ने ग्रामीण अधिवासों का विभाजन आवास समूहन की विशेषता जो एक निश्चित सीमा के अन्तर्गत होती है तथा जिसे ग्राम (मौजा) कहा जाता है, को आधार मानकर किया है । स्टीटिंग[13] ने ग्राम्य स्थिति के आधार पर अधिवासों का वर्गीकरण किया है । परन्तु यह विभाजन प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है । कभी - कभी एक ही ग्राम में कई अधिवास वितरित होते हैं जिनके नाम भी प्रायः अलग -अलग होते हैं जिन्हें ' पुरवा ' या ' टोली ' की संज्ञा दी जाती है । इनमें केन्द्रीय अधिवास को ग्राम कहते हैं ।[14] ये सभी एक ही ग्राम या ' मौजा ' की सीमा में अवस्थित हो सकते हैं । अतएव इन्होंने (1) सघन अधिवास (2) अर्द्धसघन अधिवास (3) प्रकीर्ण एवं (4) अपखण्डित अधिवास के रूप में अधिवास प्रकार को वर्गीकृत किया है । मानव निवास्य अनेक प्रकार के हैं किन्तु उनका अध्ययन प्रत्येक दृष्टिकोण से संपूर्ण तत्वों को ध्यान में रखकर करना आवश्यक है । डॉ० काशी नाथ एवं डॉ० जगदीश सिंह के अनुसार आकार प्रारूप तथा कार्य आदि के आधार पर अधिवासों को प्रविकीर्ण व सामूहिक दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है ।

अध्ययन क्षेत्र में गृह सघनता के संगठन तथा स्थानिक वितरण एवं ग्रामीण अधिवास की प्रकृति के निर्धारण में सांस्कृतिक परम्परायें तथा पर्यावरणीय शक्तियों व भूमि उपयोग व्यवस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है । किसी भी मानव बसाव में समूहन की प्रकृति अपकेन्द्र एवं अभिकेन्द्री बलों पर निर्भर करती है । सघन अधिवास में अभिकेन्द्री बल तथा प्रविकीर्ण अधिवास में अपकेन्द्री बल प्रभावी होते हैं । जाति व्यवस्था ने सामूहिक व सघन अधिवास की अपेक्षा प्रविकीर्णन को अधिक प्रभावित किया है । वर्तमान समय में कुछ ग्राम ऐसे भी हैं जिनके पुरवे विशिष्टि जातियों की बस्ती के रूप में है तथा जिनका एक विशिष्ट उपनाम भी है । इस प्रकार अधिवास स्वरूप, प्रतिरूप आकार व प्रकार तत्कालीन सामाजिक संरचना से प्रभावित रहा है । अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग का प्रकार, कृषि क्षेत्र प्रारूप, भूमि स्वामित्व आदि ने अधिवास प्रकार को प्रभावित किया है ।

प्रो0 रामलोचन सिंह ने अधिवास प्रकार की भौतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक आर्थिक आधार पर सघन, अर्द्धसघन अपखण्डित तथा प्रविकीर्ण चार अधिवास प्रकारों में विभाजित किया है । जिसे कुछ परिवर्तनो के साथ आज भी मान्यता प्राप्त है ।[15]

प्रो0 अहमद ने भी प्रो0 रामलोचन सिंह के प्रकारात्मक विभाजन का समर्थन किया है । अधिवास प्रकार के निर्धारण एवं वितरण में स्थलाकृति मानचित्रों, क्षेत्रीय सर्वेक्षण व अवलोकन, ग्राम्याकार, गाँवों की स्थानिक दूरी तथा प्रकीर्णन प्रवृत्ति का सहारा लिया गया है । आर0 बी0 सिंह, एस0 बी0 सिंह तथा अन्य अनेक अध्येताओं के द्वारा अधिवास वर्गीकरण पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रो0 आर0 एल0 सिंह द्वारा वर्गीकृत प्रकारों की छाप पड़ी है । इस समानता का मुख्य कारण अध्ययन क्षेत्रों की भौगौलिक विशि -ष्टताओं का होना है ।

उपर्युक्त संदर्भ में अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण अधिवासों को तीन अधिवास प्रकार में वर्गीकृत किया गया है : सघन, अर्द्ध सघन एवं पुरवाकृत ।

सघन अधिवास:

इस प्रकार के अधिवास में कई परिवारों का आवास एक इकाई भूमि पर सामूहिक रूप से अवगुम्फित होता है और आवासों के साथ - साथ सांस्कृतिक, व्यावसायिक एवं अन्य उत्पादक इकाईयाँ एकजुट विकसित पाई जाती हैं ।[16] प्रो0 काशीनाथ सिंह एवं प्रो0 जगदीश सिंह ने तो सघन अधिवास की जगह ' सामूहिक अधिवास ' शब्द का ही प्रयोग किया है ।

अध्ययन क्षेत्र में सघन अधिवास मुख्यतया गंगा नदी के तटवर्ती भूभाग (खादर क्षेत्र) एवं परिवहन मार्गों के सहारे केन्द्रित हैं जहाँ ग्रामीण बस्तियाँ बाढ़ से सुरक्षित ऊँचे स्थलों पर विकसित हुई हैं । सघन अधिवास के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र की कुल 26 न्याय पंचायतों के (14.17 प्रतिशत) अधिवास सम्मिलित हैं । अध्ययन क्षेत्र की सर्वाधिक

6 न्याय पंचायतें (23.07 प्रतिशत) विकास खण्ड जमानियां की हैं । इसके अतिरिक्त भांवरकोल (5), देवकली (4), बाराचवर, (3) कासिमाबाद (2) सैदपुर (1), मुहम्मदाबाद (1) एवं भदौरा (1) विकास खण्डों की न्याय पंचायत भी इस प्रकार के अधिवास प्रकार में सम्मिलित हैं । वाराणसी - सैदपुर राजमार्ग के सहारे पाये जाने वाले सघन अधिवास सड़क परिवहन की सुविधा के विकास के कारण ग्रामीण बाजार या सेवा केन्द्र के रूप में हो गये हैं ।

अर्द्ध सघन अधिवास :

अर्द्ध सघन अधिवास सघन तथा पुरवाकृत अधिवासों के मध्यम एक संक्रमणीय अवस्था को प्रदर्शित करते हैं । इस प्रकार के गाँवों से संलग्न पुरवे अपकेन्द्रीय और अभिकेन्द्रीय शक्तियों के संयुक्त परिणाम हैं ।

अध्ययन क्षेत्र की कुल 74 न्याय पंचायतों में (39.57 प्रतिशत) अधिवास इस प्रकार के अधिवास क्षेत्र में आते हैं जिनमें विकास खण्ड मुहम्मदाबाद की 10, देवकली की 8, कासिमाबाद की 7, गाजीपुर, बाराचवर एवं जमानियां से प्रत्येक की 6, मनिहारी, भांवरकोल एवं भदौरा से प्रत्येक की 5, सैदपुर करण्डा एवं रेवतीपुर से प्रत्येक की 4 एवं जखनियां तथा विरनों की दो-दो न्याय पंचायतों में इस प्रकार के अधिवास पाये जाते हैं । अर्द्ध सघन अधिवासों से युक्त क्षेत्रों में भिन्न जातियों से सम्बन्धित पुरवों का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है ।

पुरवाकृत अधिवास :

पुरवाकृत अधिवास में बस्ती के घर परस्पर एक दूसरे से पृथक - पृथक कुछ दूरियों पर निर्मित होते हैं, परन्तु वे सब मिलकर एक बस्ती (अधिवास) बनाते हैं । किसी - किसी बस्ती में प्रत्येक घर अलग - अलग होने के बजाय दो तीन घरों के छोटे - छोटे पुरवे होते हैं, उन थोड़ी - थोड़ी दूरी पर बसे गृहों या छोटे पुरवों के मिलने से एक बस्ती बनती है और उस समस्त बस्ती को एक ही नाम से जाना जाता

है । अध्ययन क्षेत्र के लगभग संपूर्ण पश्चिमोत्तर भाग (विकास खण्ड सादात, मरदह, जखनियाँ, विरनों, मनिहारी, करण्डा एवं सैदपुर) पुरवाकृत अधिवासों के लिए उल्लेखनीय हैं । यह क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित समतल भू-भाग है जिसमें पूर्व समय से ही विकास के लिए सुविधाजनक भौगोलिक परिवेश प्राप्त रहा हे । इस क्षेत्र में सर्वप्रथम पचोतर, बसहर, गौतम, वैश्य, रघुवंशी, राजपूत वंश एवं सकरवार एवं किनवार भूमिहार वंशों का आगमन जिन्होंने संपूर्ण क्षेत्र में अपना पृथक सामाजिक सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से अधिवासों की स्थापना की । भूमि संसाधन के सम्यक उपयोग हेतु क्षेत्रीय जमींदारों ने नवीन पुरवों के निर्माण प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया । सम्प्रति इस क्षेत्र में हरिजनों की संख्या अध्ययन क्षेत्र के अन्य भागों से अधिक है जो मुख्य अधिवास से कुछ दूरी पर स्थित पुरवों में निवास करते हैं । इस सम्बन्ध में सिगेरा (23 पुरवे) सौरभ (17 पुरवे) मरदह, बोगना, दुरखुसी एवं छावनी लाइन (प्रत्येक में 15 पुरवे); भोजापुर, गार्ड गोविन्दपुर, कीरत एवं सहेड़ी (प्रत्येक में 13 पुरवे), जलालाबाद, मटेहूँ, डोड़सर (प्रत्येक में 12 पुरवे), गदाईपुर, धरमागतपुर, हैदरगंज, खजूर गांव, देवकठिया, पहुँची, ताजपुर (प्रत्येक में 11 पुरवे); खानपुर, बेलहरी, विक्रमपुर, विजौरा, घरिहा, मलेटी एवं रामगढ़ (प्रत्येक में 10 पुरवे), आदि उल्लेखनीय हैं । इसके अतिरिक्त बाढ़ प्रभावित गंगा तटीय क्षेत्रों में सघन तथा अर्द्धसघन अधिवासों के मध्य कहीं - कहीं पुरवाकृत अधिवास पाये जाते हैं । इस प्रकार के अधिवासों के अन्तर्गत जनपद की कुल 93 न्याय पंचायतों में 46.25 प्रतिशत ग्रामीण अधिवास सम्मिलित हैं । विकास खण्ड स्तर पर जखनियां की 10, मनिहारी की 9 सादात की (13) सैदपुर की 10, विरनों की 8, मरदह की (11) गाजीपुर की 7 कासिमाबाद की 7 बाराचवर की 4 मुहम्मदाबाद की 2 भांवरकोल की 1 जमानियां की 2 रेवतीपुर की 1 एवं भदौरा की 1 न्याय पंचायतें इस प्रकार के अधिवास के अन्तर्गत सम्मिलित हैं । (मानचित्र सं0 5.3 बी.)

अधिवास प्रारूप :

मानव निवास (आबाद स्थल) किसी ग्राम के नामिक होते हैं और वे ही

DISTRICT GHAZIPUR
DISTRIBUTION OF SETTLEMENT
N
A
RURAL SETTLEMENT TYPES
B
COMPACT
SEMI COMPACT
HAMLETED
0
10
KM

FIG. 5·3

किसी ग्राम के आकार एवं स्वरूप को निर्धारित करते हैं । ग्रामीण अधिवासों के संरचनात्मक प्रारूप पर आबाद क्षेत्र एवं खेत प्रतिरूप का प्रभाव मुख्य रूप से पड़ता है । अधिवासित क्षेत्र का स्वरूप निवास - स्थल से खेतों की दूरी पर निर्भर करता है । विभिन्न भू- भौतिक सामाजिक एवम् आर्थिक कारक भी इसे प्रभावित करते हैं । इस प्रकार किसी क्षेत्र के अधिवास प्रारूप वहाँ के पर्यावरणीय विन्यास द्वारा प्रभावित होते हैं । भौतिक परिदृश्य धरातल की प्रकृति, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, अपवाह तंत्र का स्वरूप, जनसंख्या वृद्धि एवं उसका आर्थिक स्तर जैसे विविध कारक किसी क्षेत्र में अधिवास के प्रारूप को निर्धारित करते हैं । भारतवर्ष में अधिवास प्रारूपों का अध्ययन सर्वप्रथम प्रो0 रामलोचन सिंह द्वारा मध्य गंगा मैदान के ग्रामों के अभिविन्यास के संदर्भ में किया गया । इनके अनुसार सम्पूर्ण ग्राम अनेक वर्गों या आयतों में ही विभक्त हैं, तथा प्रत्येक चाहे वह कृषि क्षेत्र हो अथवा अन्य कार्यों में प्रयुक्त भूमि हो सबकी अपनी अलग सीमा होती है ।[17] इस प्रकार मुख्य आबाद स्थल एवं उनसे संलग्न पुरवे ग्रामीण अधिवास प्रारूप को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख तत्व हैं । प्रायः सर्वसम्मति से यह स्वीकार हो चुका है कि विनिर्मित क्षेत्र (आवासीय क्षेत्र) और उससे सम्बन्धित अवस्थापनात्मक तत्व आपस में एक दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित हैं तथा परवर्ती पूर्ववर्ती को एक निश्चित दिशा में प्रसरण के लिए अनुदेशित करता है । अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण अधिवासों के विविध प्रारूप दृष्टिगोचर हैं । इनमें से कुछ ग्रामीण अधिवासों के प्रारूपों को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है जो निम्नवत् है -

आयताकार अथवा वर्गाकार प्रारूप :

मध्य गंगा मैदान में जिसका अध्ययन क्षेत्र एक भाग है, सामान्यतः इसी प्रकार के अधिवास प्रारूपों की बहुलता है । यह प्रारूप बहुत ही साधारण तथा आसानी से पहचानने योग्य है । इस प्रकार के प्रारूप निर्माण के लिए प्राचीन बीघा - व्यवस्था पर आधारित भूमि का आयताकार वर्गीकरण उत्तरदायी है । गदनपुर, नायकडीह, अमेहठा गौरी (सैदपुर विकास खण्ड), दुबैठा (भदौरा विकास खण्ड), बीरपुर, शेरपुर खुर्द

(भांवरकोल विकास खण्ड), आदि ग्राम आयताकार प्रारूप का प्रतिनिधित्व करते हैं । (मानचित्र सं0 5.4, ए^1,ए^3,ए^4,ई^1,ई^2)

अवतल आयताकार प्रारूप :

किसी गांव के अवतल आयताकार प्रारूप के विकास में खण्डहर स्थल, तालाब, किला, मन्दिर, मस्जिद आदि सदृश कुछ विशिष्ट भौतिक सांस्कृतिक तत्वों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है । इस प्रकार के अधिवास प्रारूप अध्ययन क्षेत्र में अनेक जगहों पर विकसित हुए हैं जिनमें नवली, (रेवतीपुर विकास खण्ड) एवं देवल (भदौरा विकास खण्ड) उल्लेखनीय हैं । (मानचित्र सं0 5.4 बी^{4})

रेखीय प्रारूप :

अधिवासों के रेखीय प्रारूप के विकास के लिए प्रमुखतः रेखीय अपसारी या रेखीय अभिसारी शक्तियाँ उत्तरदायी हैं ।[18] इस प्रारूप में ग्रामों का प्रसारण और विकास किसी सड़क या नदी मोड़ अथवा नहर के किनारे होता है । घरेलू जलापूर्ति के साथ सुगमता की सुविधा रेखीय प्रारूप में आवासों के प्रकार को बल प्रदान करती है । (स्वातंत्र्योत्तर काल में विशेष रूप से सड़क यातायात के विकास ने ग्रामीण विपणन एवं ग्रामीण विपणन केन्द्रों के रेखीय प्रारूप वृद्धि को सुसाध्य किया है । देवकली गांगी नदी के किनारे, दुल्लहपुर, नन्दगंज (पक्की सड़क के किनारे (आदि ग्राम रेखीय प्रारूप में बसे हैं । (मानचित्रसं0 सी^{1},सी^{2},सी^{3})

एल एवं टी आकृति प्रारूप :

यह रेखीय प्रारूप का विकसित रूप है । सड़क के किनारे सर्वप्रथम रेखीय प्रतिरूप का विकास होता है, बाद में किसी अन्य सड़क के मुख्य सड़क से मिलने पर उसके सहारे भी आवासीय क्षेत्र का विकास हो जाता है । युसुफपुर, सौरभ, मानिकपुर (करण्डा विकास खण्ड), मौधा (सैदपुर विकास खण्ड), नवपुरा (विरनों विकास खण्ड),

आदि ग्रामों का प्रारूप अंग्रेजी के 'एल' अथवा 'टी' अक्षर के समान है । (मानचित्र सं0 5.4 सी[4], डी[1])

अर्द्धवृत्ताकार प्रारूप :

इस प्रकार से अधिवास प्रारूप किसी नदी मोड़ या तालाब अथवा गोखुर झीलों के सहारे विकसित होते हैं । आहिरौली, मैनपुर , मालिकपुर (करण्डा विकास खण्ड), आदि ग्राम अर्द्धवृत्ताकार प्रारूप के द्योतक हैं । (मानचित्र सं.5.4 बी[2], बी[3])

चौक पट्टी प्रारूप :

जब कोई ग्राम दो मार्गों के चौराहे या क्रास पर बसने प्रारंभ होते हैं उस गांव की गलियां मार्गों के साथ मेल खाती हुई आयताकार प्रारूप में बसने लगती हैं जो परस्पर लम्बवत होती हैं । तत्पश्चात्, समकोणीय गलियों के सहारे गृहों के निर्माण से इस प्रकार के प्रारूप आस्तित्व में आते हैं । शेरपुर कलां, बीरपुर, (भांवरकोल विकास खण्ड), बारा (भदौरा विकास खण्ड) आदि ग्राम इस प्रकार के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । (मानचित्र सं0 5.4 ई[1])

अनियमित प्रारूप :

अध्ययन क्षेत्र में ही नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य गंगा मैदान में ग्रामीण आवासों के छोटे छोटे समूह ग्रामीण पगडण्डियों द्वारा मुख्य अधिवास स्थल से जुड़े हुए हैं । आकार के ऐसे ग्रामों को अनियमित प्रारूप की संज्ञा दी गयी है [19] नवपुरा, वोगना (विरनों विकास खण्ड), आदि ग्रामों की तरह अनेक ग्राम इस कोटि में आते हैं जिनका प्रारूप अनियमित है । (मानचित्र सं0 5.4 ई[3])

ग्रामीण सेवा केन्द्र

वर्तमान समय में इन दिनों नगर - ग्राम सम्बन्ध दिन प्रतिदिन घनिष्ट होता जा रहा है । इस संदर्भ में सेवा केन्द्रों (ग्रामों में ग्राम सेवा केन्द्रों और नगर में नगर सेवा केन्द्रों) का महत्व और उनकी भूमि बढ़ती जा रही है । गाँवों का देश होने के कारण भारत अपनी आर्थिक शक्ति मुख्यतः ग्राम्यांचलों से प्राप्त करता है, अतएव इस (आर्थिक) क्षेत्र में स्थायी उन्नति की आशा तब तक नहीं की जा सकती जब तक विकास योजनओं को विस्तृत ग्राम्यांचलों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं - महत्वाकांक्षाओं से सम्बद्ध न किया जाय । इस संदर्भ में ' केन्द्र वर्धन नीति ' जिसें ध्रुव विकास नीति ' भी कहते हैं विशेष रूप से भूगोल वेत्ताओं, अर्थशास्त्रियों एवं प्रादेशिक आयोजकों के लिए नीति निर्माण में उपयोगी है और इन नीतियों के जरिये दिक्काल ढाँचे में ग्राम्यांचलों के संतुलित विकास के लिए नीतियों एवं योजनाओं का अन्तिम रूप दिया जा सकता है । इस तरह सामाजिक और भौतिक संरचनाओं के संवर्धन हेतु ग्रामीण सेवा केन्द्रों का चुनाव किया जा सकता है ।* ' किसी क्षेत्र में स्थित वह केन्द्र जो अपने आस-पास के क्षेत्र में विविध (सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि) सेवायें प्रस्तुत करता हो, उसे सेवा केन्द्र कहते है । ' यह सेवा किसी भी तरह की तथा किसी भी आकार की हो सकती है । यह सेवा चाहे अस्पताल से प्राप्त हो या विद्यालय से अथवा बाजार से । परन्तु ये केन्द्र केवल अपनी वस्तुओं से सेवायें ही नहीं प्रस्तुत करते, बल्कि वे उस क्षेत्र की सेवाओं का लाभ भी उठाते हैं, यथा वस्तुओं का संग्रह करना एवं धन संग्रह करना ।

ग्रामीण विकास हेतु किये गये प्रयासों के मूल्यांकन के उपरान्त ग्रामीण विकास की नयी व्यूह रचना में (विकास केन्द्र) उपागम का परीक्षण किया गया है ।

---

* ग्रामीण बस्ती भूगोल पृ0 सं0 182, जयराम यादव, राम सुरेश.

वाल्टर किस्ट्रालर[20] का ' केन्द्रीय स्थल सिद्धान्त ' तथा इसकी उपयोगिता का भारतीय सन्दर्भ में अध्ययन किया गया है, अर्थात् एक केन्द्रीय गांव की संकल्पना जो विविध क्रियाकलापों के लिए एक विकास केन्द्र के रूप में कार्य करेगा । केन्द्र स्थल ऐसे स्थायी मानव अधिवास होते हैं जो अपने चतुर्दिक फैले क्षेत्रों की जनसंख्या को वस्तु विनिमय, एवं विधि सेवायें प्रदान करने में तत्पर रहते हैं ।

प्रो0 जे0 सिंह[21] ने गोरखपुर परिक्षेत्र की पिछड़ी अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए ' केन्द्र स्थल ' की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है ।

नई राष्ट्रीय विकास नीति के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर सेवा केन्द्र, उपक्षेत्रीय स्तर पर विकास बिन्दु, क्षेत्रीय स्तर पर विकास केन्द्र , क्षेत्रीय स्तर पर विकास केन्द्र एवं राष्ट्रीय स्तर पर विकास ध्रुव को स्वीकार किया गया है[22*] ।- पदानुक्रमानुसार एक दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित होते हैं तथा क्षेत्रीय पद्धति द्वारा जुड़े हुए होते हैं । ये अपने क्षेत्र एवं अपने छोटे केन्द्र को सेवायें प्रदान करते हैं । क्षेत्रीय स्तर के केन्द्र नगरीय होते हैं, इस प्रकार विकास का केवल एक बिन्दु नहीं होता, इसकी पूरी एक श्रृंखला होती है । विकास केन्द्रों की श्रृंखला में सबसे नीचे एक समूह की तरह जुड़े गांव होते हैं । उसके बाद इससे केन्द्रीय स्थानों का समूह एक ऊँचे स्तर के विकास केन्द्र के चतुर्दिक तारामण्डल का रूप ले लेता है[23] । विकास केन्द्रों का चयन सड़क एवम् संचार की सुविधा, स्थानीय सहभागिता, सिंचाई की सुविधा, व्यापार एवं बैंक का प्रचलन, प्रगतिशील एवं आधुनिक कृषि का अस्तित्व, फुटकर व्यापार की प्रमाणिकता (प्रत्यक्षता), लघु औद्योगिक इकाई की स्थापना, सहकारी संस्थाओं की स्थापना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा आदि आधारों पर किया गया है ।

समन्वित क्षेत्र विकास हेतु केन्द्र स्थलों का निर्माण, प्रादेशिक विकास की

---

* स0 ग्रा0 विकास पृ0 66.

रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण होता है क्योंकि केन्द्र स्थलों से निर्मित प्रदेश एक प्रकृति के होते हैं, जिससे प्रादेशिक विभेदताओं को कम करने में सहायता मिलती है । सभी अधिवास केन्द्र स्थल नहीं हो सकते, क्योंकि विभिन्न कार्यकलापों एवं सेवाओं की स्थान विशेषपर ही केन्द्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है । सेवा केन्द्र ग्रामीण और नगरीय दोनों होते हैं, जहाँ से विकास धीरे - धीरे चतुर्दिक प्रसारित होता है । विशेष रूप से ग्रामीण सेवा केन्द्र नये विकास कार्यों का प्रचार और विकास की नयी नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में केन्द्रस्थलों के निम्नतम् पदानुक्रमिक स्तर पर विकास बिन्दु के रूप में कार्य करते हैं [24] । सामान्यतः लघु स्तर के प्रदेशों में ' समन्वित क्षेत्र विकास ' को ' ग्रामीण - विकास ' ही माना जाता है [25] । इसलिए ' समन्वित क्षेत्र - विकास ' के अध्ययन में सेवा केन्द्रों के पदानुक्रम तंत्र की संकल्पना को महत्व प्रदान किया गया है । इसी आशय से गाजीपुर जनपद के ' समन्वित विकास ' के अध्ययनार्थ सेवा केन्द्रों के पदानुक्रम तंत्र को प्रस्तुत किया गया है ।

किसी क्षेत्र विशेष के सेवा केन्द्रों के पदानुक्रम तंत्र के अध्ययन से यह जाना जा सकता है कि विभिन्न पदानुक्रमिक - स्तरों में परस्पर कार्यों एवं सेवाओं का पदानुक्रमिक संबंध है अथवा नहीं, केन्द्र स्थलों का पदानुक्रम व्यावहारिक हैं अथवा काल्पनिक, क्या कोटि का विभाजन मात्र केन्द्रों के बड़े और छोटे होने के नाते हैं ।

केन्द्रीय स्थान की अवधारणा :

केन्द्रीय स्थान शब्द सेवाकेन्द्र का पर्यायनामी है और व्यापक रूप से ग्राम, नगर, दुकान केन्द्र आदि से सम्बन्धित है, जो परिवर्ती क्षेत्रों के लिए सेवायें या वस्तुएँ प्रदान करते हैं । संक्षेप में केन्द्रीय स्थान का तात्पर्य क्षेत्रों की सेवा करने वाले केन्द्रों से है । सेवा केन्द्र आवश्यक नहीं कि क्षेत्र के केन्द्र में स्थित हों, लेकिन इनकी स्थिति केन्द्रीय महत्व की होती है और परिवर्ती क्षेत्रों के निवासियों के लिए ये कुछ निश्चित प्रकार्य सम्पन्न करते हैं । ऐसी सभी सेवायें अथवा प्रकार्य सम्पन्न करते हैं । ऐसी

सभी सेवायें अथवा प्रकार्य जो कि सेवा केन्द्रों द्वारा सम्पन्न होते हैं ' केन्द्रीय प्रकार्य ' के नाम से जाने जाते हैं । इस प्रकार केन्द्रीय प्रकार्य वे होते हैं जो कुछ स्थानों पर उपलब्ध होते हैं, तथापि इनसे अनेक बस्तियाँ लाभान्वित होती हैं । ये केन्द्रीय प्रकार्य प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, व्यापार आदि हो सकते हैं ।

ओम प्रकाश सिंह के शब्दों में सेवा केन्द्र केन्द्रीय स्थान है जो ऐसे स्थायी मानव प्रतिष्ठानों के रूप में परिभाषित किये जा सकते हैं जहाँ पर वस्तुओं, सेवाओं तथा समाजार्थिक प्रकृति की आवश्ययकताओं का विनिमय होता है । हरिहर सिंह का मत है कि सेवा केन्द्रों को ग्रामीण सेवा केन्द्र अथवा ग्रामीण केन्द्रीय स्थान के रूप में जानना चाहिए क्योंकि उस पर आश्रित अधिकाँश आबादी ग्रामीण ही होती है । उनके शब्दों में ग्रामीण केन्द्रीय स्थान उन्हें कहते हैं जो न केवल अपनी जनसंख्या बल्कि अपने प्रदेश के निवासियों के लिए भी अपनी सेवायें प्रदान करते हैं । इस तरह इनमें अन्य बस्तियों की अपेक्षा अधिक प्रकार्य पाये जाते हैं । कोई एक गाँव यदि अग्रलिखित 8 में से 4 कार्य भी सम्पन्न करता है तो उसे केन्द्रीय स्थान कहा जा सकता है : (1) बेसिक शिक्षा (2) उच्च शिक्षा, (3) पुस्तकालय एवं वाचनालय (4) चिकित्सा सुविधा, (5) यातायात एवं संचार, (6) पशु चिकित्सा, (7) सहसकारी संस्था और (8) पुलिस ।

केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त :

केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त मूलतः जर्मन अर्थशास्त्री एवं आर्थिक भूगोल वेत्ता वाल्टर क्रिस्टालर द्वारा 1932 में प्रतिपादित किया गया । अपने सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हुए क्रिस्टालर ने बताया कि उत्पादक भूमि का एक निश्चित क्षेत्रफल, एक नगर केन्द्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है एवं उस केन्द्र का महत्व और प्रभुत्व समीपवर्ती क्षेत्र का अनिवार्य सेवायें प्रदान करने में निहित है । इस तरह जिस बस्ती द्वारा समीपवर्ती क्षेत्र की सेवा की जाती है उसे ' केन्द्रीय स्थान ' कहते हैं । इस प्रकार केन्द्रीय स्थान सिद्धान्त में उत्पादक भूमि की कुछ निश्चित मात्रा से समर्थित एक केन्द्रीय

स्थान होता है जो सहायक अथवा अपने से बड़े क्षेत्र को वस्तुएँ तथा सेवायें प्रदान करता है । वस्तुओं एवं सेवाओं के संदर्भ में यह एक अथवा एक से अधिक केन्द्रीय कार्यों का समूह हो सकता है ।[26] ये सेवायें चाहे विस्तृत हों या सीमित लेकिन सभी सेवा केन्द्रों के लिए समान होती हैं । केन्द्रीय कार्यों से युक्त तथा विभिन्न लघु सेवा केन्द्रों वाली वृहत्तर जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले केन्द्र को ' उच्चकोटि का सेवाकेन्द्र ' तथा स्थानीय महत्व के सेवा केन्द्रों को ' निम्नकोटि का सेवा केन्द्र ' कहा जाता है ।

ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित विकास एवं संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग हेतु सामाजिक - आर्थिक क्रियाओं के विकेन्द्रित - केन्द्रीकरण की प्रक्रिया में अधिकतम लाभ स्थलों का चयन किया जाता है और ये स्थल सेवा केन्द्र के रूप में ग्राम एवं नगर के सामाजिक आर्थिक दूरी को कम कर ग्राम - विकास में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं । सेवा केन्द्रों का आज प्राथमिक महत्व है । क्योंकि, ये अपनी केन्द्रीय स्थिति के कारण क्षेत्रीय जनसंख्या की आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति में सहायक होते हैं । इन स्थलों के विकास कार्य हेतु नीति एवं कार्यक्रम का निर्धारण किया जाता है । ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण के ये केन्द्र ग्रामीण समुदायों के सामाजिक - आर्थिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं । सामान्यतः सेवा केन्द्र अपने चतुर्दिक फैले क्षेत्रों को विभिन्न सामाजिक - आर्थिक सेवायें प्रदान करते हुए उच्च श्रेणी के सेवा केन्द्रों से प्राप्त नव अभिज्ञानों को अपने सेवा क्षेत्र में प्रसारित कर कृषि, उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाते हैं । अपने सेवा क्षेत्र में विकास के लिए श्रेयस्कर वातावरण के साथ ही ये केन्द्र रोजगार के नये अवसर प्रदान कर नगरोन्मुख प्रवास रोकने में भी सक्षम होते हैं । वस्तुतः ये नवीनीकरण के केन्द्र हैं ।*

अध्ययन क्षेत्र के प्रायः सभी विकास खण्ड मुख्यालय जो वस्तुतः विकास

---

* समन्वित ग्रामीण विकास पृ0 71, डा0 मंगला सिंह, डा0 बेचन दूबे.

केन्द्र के रूप में कार्यरत हैं के अतिरिक्त यद्यपि कि अन्य अनेक गांव विपणन केन्द्र तथा उपनगरीय केन्द्र वास्तव में ' विकास केन्द्र ' के रूप में निरन्तर सेवा प्रदान कर रहे हैं फिर भी अध्ययन क्षेत्र के विस्तार एवं पिछड़ेपन को देखते हुए इनकी भूमिका क्षेत्रीय विकास हेतु अपर्याप्त है । अतः समन्वित ग्रामीण विकास हेतु नये विकास केन्द्रों की स्थापना आवश्यक है । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रस्तावित विकास केन्द्रों पर जनकल्याण के विभिन्न उपादानों की सुविधा का होना आवश्यक है जिनमें शिक्षण संस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनोरंजन केन्द्र, डाक व तार घर, शोध संस्थान, थाना अदालत, सामुदायिक भवन आदि प्रमुख हैं । ग्रामों के भण्डारण की व्यवस्था भी अपर्याप्त है । अतः अध्ययन क्षेत्र में प्रस्तावित सेवा केन्द्रों पर कृषि निवेशों से सम्बन्धित सेवाओं के विस्तार के साथ ही साथ उर्वरक भण्डार, बीज भण्डार, शीत गृह, कीटनाशक डिपो, कृषियंत्र भंडार, कृषियंत्र मरम्मत केन्द्र, कृषि विकास हेतु वांछित परामर्श की सुविधा, वित्तीय संस्था, मण्डी व विपणन केन्द्र, सहकारी समिति, पशुधन विकास केन्द्र आदि की समुचित व्यवस्था का होना आवश्यक है ।

बहुधन्धी, विकास को समन्वित करने के लिए सेवा केन्द्रों का विकास आवश्यक है । वस्तुतः सेवा केन्द्रों व विकास केन्द्रों का पदानुक्रमीय तंत्र का स्वरूप विकसित होना आवश्यक है, जहाँ विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो तथा विकास केन्द्रों के स्तर के अनुरूप विविध कृषि उत्पादों यथा फल, सब्जी, दूध मछली आदि के परिष्करण एवं संरक्षण की व्यवस्था हो जिनसे इन केन्द्रों के चतुर्दिक क्षेत्रों की कृषिगत उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है । किन्तु इन केन्द्रों का दूसरे केन्द्रों से सड़क मार्गो से जुड़ने के साथ साथ दूरस्थ ग्रामों का निकटवर्ती सेवा केन्द्र अथवा मुख्य सड़क से सम्पर्क अति आवश्यक है । अध्ययन क्षेत्र में विद्यमान सड़कों के अतिरिक्त नयी सड़कों, सम्पर्क मार्गो एवं रेल मार्गो की विस्तृत योजना प्रस्तावित है (मानचित्र 5.6) । इस प्रकार इन विकास केन्द्रों के बीच अन्तर्सम्बन्ध स्थापित होगा,

स्थानीय संसाधनों के आधार पर औद्योगिक विकास की संभावनायें बढ़ जायेंगी जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा और नगरीय प्रवास की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी जिससे ग्रामीण विकास होगा । विकास केन्द्र संकल्पना इस प्रकार एक प्रगतिशील जनतांत्रिक समतावादी एवं न्याय प्रिय समाज के निर्माण का उपयोगी माध्यम हे । अध्ययन क्षेत्र में सेवा केन्द्रों के पदानुक्रम को ज्ञात करने का भी प्रयास किया गया हे । इसमें कुछ नये विकास केन्द्रों को भी प्रस्तावित किया गया है ।

सेवा केन्द्रों की परिकल्पना का स्रोत निर्विवाद रूप से केन्द्रीय स्थल सिद्धान्त में निहित है । भूगोल विदों ने संसार के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाकेन्द्रों के निर्धारण हेतु भिन्न - भिन्न विधियों को प्रयुक्त किया है । भारत में इस क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने विपणन केन्द्रों तथा उनके सेवा क्षेत्रों का अध्ययन विपणन केन्द्रों के क्रिया - कलापों का विश्लेषण करके किया है ।

सेवा क्षेत्र :

सेवाओं की प्राप्ति के लिए लोग निकटतम एवं सुगम स्थान पर जाना चाहते हैं । इस द्रष्टिकोण से दूरी विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है । न्यूनतम आवश्यक सेवाओं की प्राप्ति के लिए कम से कम दूरी तय करने का प्राविधान होना चाहिये तथा प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी शिक्षा, दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ, डाकघर कृषि सम्बन्धी लघु इकाईयां, दाई एवं वेक्सिनेशन केन्द्र सबसे छोटे स्तर के सेवा केन्द्र पर होने चाहिए । इसी अनुपात में बड़ी सेवायें अपेक्षाकृत बड़े सेवाकेन्द्र पर व्यवस्थित होनी चाहिये । जनानुपात एवं दूरी के अनुरूप सेवा केन्द्रों का संगठन क्षेत्रीय विकास के लिए अनिवार्य है ।*

---

* समन्वित ग्रामीण विकास पृ0 72, सिंह एवं दूबे

अध्ययन विधि :

केन्द्र स्थल सिद्धान्त के प्रतिपादक वाल्टर क्रिस्टालर के बाद अनेक भारतीय एवं विदेशी विद्वानों ने सेवा केन्द्रों के पदानुक्रम निर्धारण हेतु केन्द्र की केन्द्रीयता मापन हेतु अलग-अलग विधियों का सहारा लिया है । लार्श,[27] आर0 ई0 डिकिन्सन,[28] बी0 जे0 एल0 बेरी और डब्लू0 एल0 गैरीशन,[29] आर0 पी0 मिश्र,[30] काशीनाथ सिंह[31] और ओमप्रकाश सिंह[32] आदि विद्वानों के इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं । अधिकांश ने गुणात्मक विधि से केन्द्रीयता मापन में विभिन्न सेवाओं को अलग-अलग सापेक्षिक महत्व के अनुसार अधिमान प्रदान कर प्रत्येक केन्द्र के लिए कुल अधिमान ज्ञात किया है। कुछ ने मात्रात्मक विधि को श्रेष्ठता प्रदान की है , जिसमें विभिन्न व्यापारिक कार्यो की न्यूनतम जनसंख्या (किसी सेवा को सम्पादित होने के लिए कम से कम उपभोक्ताओं की संख्या)[33] और व्यावसायिक जनसंख्या को आधार माना है । कुछ ने केन्द्रीयता की गणना केन्द्रों की अभिगम्यता के आधार पर की है ।

उपरोक्त विधियों में से किसी एक को पदानुक्रम निर्धारण हेतु आधार मानने में कुछ न कुछ कमी अवश्य नजर आती है । यदि केवल सेवा कार्यो के कुल अधिमान को आधार माना जाय तो ऐसे केन्द्र वंचित हो जायेंगे जो केवल व्यापारिक कार्यो को सम्पादित करते हैं । यदि केवल व्यापारिक कार्यो को ही महत्व प्रदान किया जाय तो ऐसे केन्द्र, जो विभिन्न सेवा कार्यो के लिए महत्वपूर्ण हैं (जैसे प्रशासनिक, संस्थागत, स्वास्थ्य आदि) केन्द्र स्थल के अध्ययन में नहीं आ पायेंगे । यदि अध्ययन क्षेत्र को समग्र रूप से देखा जाय तो केन्द्रों की पदानुक्रमीय व्यवस्था में उच्च कोटि के केन्द्रों पर सेवा कार्य एवं व्यापारिक कार्य दोनों सम्पादित होते हैं, मध्यम कोटि के केन्द्रों पर केवल व्यापारिक कार्य और निम्न कोटि के केन्द्रों से कुछ ग्रामीण केन्द्र स्थलों पर केवल व्यापारिक कार्य (चाय - पान अथवा छोटी - छोटी दुकानें) और कुछ प्रशासनिक केन्द्रों (जैसे ब्लाक) पर सेवा कार्यों की ही प्रधानता है । इस प्रकार यह आवशयक नहीं है कि प्रत्येक स्तर के केन्द्रों पर सेवा कार्य और व्यवसायिक कार्य दोनों साथ साथ

सम्पादित हों ही । अतः केन्द्रीयता मापन हेतु सेवा कार्य (गुणात्मक स्तर) और व्यवसायिक कार्य (मात्रात्मक प्रसार) दोनों को आधार मानना अधिक उपयुक्त एवं उचित प्रतीत होता है । केन्द्रों की अभिगम्यता के आधार पर केन्द्रीयता की गणना में जगदीश सिंह[34] ने बताया कि नयी रेलवे लाइनों एवं सड़कों के नये मिलन बिन्दुओं के बनते रहने से केन्द्रों के कार्यों की गहनता केन्द्रों की अभिगम्यता के अनुरूप नही पायी जाती है। अतः बदलते हुए क्षेत्रीय आयाम एवं समय के साथ पदानुक्रम निर्धारण के उपागम में परिवर्तन स्वाभाविक एवं आवश्यक है । इसीलिए वाल्टर क्रिस्टालर द्वारा अपनायी गयी विधि में टेलीफोन कनेक्शन की संख्या पश्चिमी जर्मनी के लिए उपयुक्त थी लेकिन भारत के लिए अनुपयुक्त है ।

आंकड़ा संकलन एवं सर्वेक्षण :

क्षेत्र की सभी बस्तियों का सर्वेक्षण करना दुरूह है । अतः इस सम्बन्ध में चयनित विधि का प्रयोग किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम विभिन्न स्रोतों द्वारा क्षेत्र में प्राप्त सरकारी एवं अर्द्धसरकारी सुविधाओं (यथा प्राइमरी स्कूल, हाईस्कूल, बस, स्टेशन, अस्पताल, साप्ताहिक बाजार, उपडाकघर आदि) का सर्वेक्षण प्रश्निका के माध्यम से किया गया है । प्रश्निका में केवल उन्हीं 77 विभिन्न सेवाओं, जो क्षेत्र में प्राप्त हैं, को सम्मिलित किया गया है । इन सेवा समूहों में से उन सेवाओं को ज्ञात किया गया है, जो विभिन्न ग्रामों में उपलब्ध हैं । इन सेवा समूहों को 11 निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है -

1. प्रशासनिक, 2. शैक्षणिक, 3. यातायात, 4. संचार, 5. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, 6. कृषि, 7. वित्त, 8. धार्मिक एवं मनोरंजन केन्द्र, 9. विपणन, 10. दुकानें तथा 11. अन्य सेवायें ।

1. प्रशासनिक सेवा :

इस श्रेणी में न्याय पंचायत मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, पुलिस चौकी एवं पुलिस स्टेशन को सम्मिलित किया गया है ।

2. शैक्षणिक सेवा :

इस सेवा समूह में प्राथमिक पाठशाला, लघु माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्र आदि आते हैं।

3. यातायात क्षेत्र:

इसमें बस स्टाप, बस स्टेशन, रेलवे हाल्ट, एवं रेवले स्टेशन को सम्मिलित किया गया है ।

4. संचार :

शाखा डाकघर, उपडाकघर, डाक एवं तार घर दूरभाष केन्द्र आदि सेवा समूहों को इस श्रेणी में रखा गया है ।

5. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा :

इस परिसर में चिकित्सक व्यवसायी, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिशु कल्याण केन्द्र, चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालयों को सम्मिलित किया गया है ।

6. कृषि सेवा :

बीज वितरण केन्द्र, उर्वरक वितरण केन्द्र एवं कृषि रक्षा केन्द्र सेवाओं को इस सेवा समूह में रखा गया है ।

7. वित्त :

इसमें साधन सहकारी समितियाँ, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक एवं राष्ट्रीयकृत

बैंक सेवाओं को लिया गया है ।

8. धार्मिक एवं मनोरंजन केन्द्र :

इसमें चलचित्र, पुस्तकालय एवं रामलीला मैदान को लिया गया है ।

9. विपणन केन्द्र :

साप्ताहिक बाजार, द्विदिवसीय बाजार, दैनिक बाजार एवं थोक बिक्री केन्द्र को इस सेवा समूह में रखा गया है ।

10. दुकानें :

इस सेवा समूह में कपड़े की दुकान, खाद्यान्न, किराना, विसात बाना, साईकिल-रिक्शा मरम्मत, साईकिल - रिक्शा बिक्री, घड़ी मरम्मत एवं बिक्री, बिजली सामान स्टेशनरी, जूता मरम्मत, जूता बिक्री, मिठाई, चाय, पान-बीड़ी, सिलाई, बाल काटने की दुकान, लुहार, धोबी, बढ़ई, कुम्हार, आतिशबाजी, फोटोग्राफी, शराब, ईंधन, फल मांस दवा मकान निर्माण, आभूषण, सब्जी, कृषि औजार, होटल, आरा मशीन, सीमेण्ट, लोहा समान जनरल स्टोर्स आदि सेवाओं को सम्मिलित किया गया है ।

11. अन्य सेवायें :

इसमें आटा - तेल चक्की, पेट्रोल डीजल - पम्प, विद्युत वितरण तथा भूमि परीक्षण आदि सेवा समूहों की गणना की गयी है ।

प्रयुक्त विधि तंत्र :

किसी भी क्षेत्र में सेवा केन्द्रों का अभिनिर्धारण एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि इसके अन्तर्गत सिद्धान्ततया न्यूनतम स्तर पर भी किसी प्रकार की सेवा अथवा सुविधा प्रदान करने वाले केन्द्र को शामिल होना चाहिये । इस प्रकार विपणन केन्द्र जो सप्ताह में कुछ चुने हुए दिन एवं समय पर सेवा केन्द्र की भूमिका निभाते हैं, भी

छ. औद्योगिक संस्थान		
लघु उद्योग	809	2404.00
मध्यम एवं बड़े उद्योग	4	486167.00
ज. वित्त संबंधित कार्य		
राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा	62,	31366.00
सहकारी बैंक शाखायें	20	97233.00
संयुक्त ग्रामीण बैंक शाखायें	67	29025.00

अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण सेवा केन्द्रों के चयन एवं उनके पदानुक्रम के अभिनिर्धारण के लिए 8 मुख्य केन्द्रीय कार्यो एवं उनके 39 उपविभागों (तालिका 5.4) को अंगीकृत किया गया है तथा भारण अंक एवं केन्द्रीयता सूचकांक के आंकलन हेतु एक विधितांत्रिक आधार पर कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । इसके लिए जनगणना आंकड़ों के साथ - साथ क्षेत्रीय सर्वेक्षण को आधारा बनाया गया है ।

1981 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में 2540 आबाद ग्राम एवं 9 नगर केन्द्र हैं । अध्ययन क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए सेवा केन्द्रों के चयन एवं उनके पदानुक्रम निर्धारण हेतु सभी अधिवासों पर विचार करना एक कठिन कार्य है । अतः उन अधिवासों को प्रथम वरीयता दी गई है जिनकी जनसंख्या 1000 से अधिक है और वे कम से कम 3 सेवा सुविधाओं अथवा संस्थानिक सेवाओं से युक्त है । फिर भी अध्ययन क्षेत्र में निर्धारित जनसंख्या से कम आबादी एवं सेवा कार्य के कतिपय ऐसे अधिवास भी सम्मिलित किये गये हैं जहाँ कुछ विशिष्ट केन्द्रीय कार्य निष्पादित होते हैं ।

सेवा केन्द्र की परिभाषा में आ जाते हैं । परन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से ऐसे सभी केन्द्रों को सम्मिलित करना न ही उचित है और न ही आवश्यक । अतएव सेवा केन्द्रों को किसी न किसी आधार पर परिसीमित करने की आवश्यकता होती है ।

तालिका 5.4

जनपद - गाजीपुर

केन्द्रीय कार्यों का वितरण एवं उनकी औसत जनसंख्या

कार्यों के नाम	जनपद में उनकी संख्या	औसत जनसंख्या
क. शिक्षण एवं मनोरंजन सुविधायें		
जूनियर बेसिक स्कूल	1135	1713.36
सीनियर बेसिक स्कूल	316	6154.02
हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज	104	18698.74
महाविद्यालय	9	216074.33
प्रा0 शिक्षण संस्थान	2	1972334.50
औ0 प्रा0 संस्थान	1	972334.50
सिनेमा हाल	10	194467.00
ख. स्वास्थ्य चिकित्सकीय सेवायें		
परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र	363	5357.21
परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	18	10837.16
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	28	69452.00
औषधालय	42	46301.00
चिकित्सालय	34	57196.00

ग. प्रशासनिक कार्य		
न्याय पंचायत	193	10076.00
पुलिस स्टेशन	20	97233.00
विकास खण्ड	16	121542.00
तहसीलें	4	486167.00
जनपद	1	1944669.00
नगरपालिका	3	648223.00
टाउन एरिया	6	324111.00
घ. यातायात एवं परिवहन कार्य		
बस स्टाप	142	13695.00
रेलवे स्टेशन हाल्ट सहित	29	97058.00
रेलवे जंक्शन	2	972334.00
पोस्ट ऑफिस	325	5984.00
टेलीग्राफ ऑफिस	67	29025.00
बड़ा डाकघर	2	972334.00
टेलीफोन	605	3214.00
मिलानकेन्द्र (टेलीफोन)	9	216074.00
ड. कृषि संबंधित कार्य एवं सेवायें		
बीज एवं उर्वरक वि0के0	180	10804.00
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	56	34726.00
पशु चिकित्सालय	26	74795.00
पशुधन विकास केन्द्र	31	62731.00
च. बाजार संबंधित कार्य		
सामाजिक बाजार केन्द्र	175	11112.00
प्रतिदिन बाजार केन्द्र	40	48617.00

छ. औद्योगिक संस्थान		
लघु उद्योग	809	2404.00
मध्यम एवं बड़े उद्योग	4	486167.00
ज. वित्त संबंधित कार्य		
राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा	62,	31366.00
सहकारी बैंक शाखायें	20	97233.00
संयुक्त ग्रामीण बैंक शाखायें	67	29025.00

अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण सेवा केन्द्रों के चयन एवं उनके पदानुक्रम के अभिनिर्धारण के लिए 8 मुख्य केन्द्रीय कार्यो एवं उनके 39 उपविभागों (तालिका 5.4) को अंगीकृत किया गया है तथा भारण अंक एवं केन्द्रीयता सूचकांक के आंकलन हेतु एक विधितांत्रिक आधार पर कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । इसके लिए जनगणना आंकड़ों के साथ - साथ क्षेत्रीय सर्वेक्षण को आधारा बनाया गया है ।

1981 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में 2540 आबाद ग्राम एवं 9 नगर केन्द्र हैं । अध्ययन क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए सेवा केन्द्रों के चयन एवं उनके पदानुक्रम निर्धारण हेतु सभी अधिवासों पर विचार करना एक कठिन कार्य है । अतः उन अधिवासों को प्रथम वरीयता दी गई है जिनकी जनसंख्या 1000 से अधिक है और वे कम से कम 3 सेवा सुविधाओं अथवा संस्थानिक सेवाओं से युक्त है । फिर भी अध्ययन क्षेत्र में निर्धारित जनसंख्या से कम आबादी एवं सेवा कार्य के कतिपय ऐसे अधिवास भी सम्मिलित किये गये हैं जहाँ कुछ विशिष्ट केन्द्रीय कार्य निष्पादित होते हैं ।

तालिका 5.5

वर्ग सेवा समूह	क्रं. सेवायें	संख्या	भारण अंक
1. शिक्षण	1. जूनियर बेसिक स्कूल	1135	1
	2. सीनियर बेसिक स्कूल	316	5
	3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	107	20
	4. डिग्री कालेज	9	40
	5. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	1	30
	6. पालीटेक्निक	1	20
2. स्वास्थ्य	7. एलोपैथिक	28	25
	8. आयुर्वेदिक	27	20
	9. होम्योपैथिक	14	10
	10. यूनानी	10	10
	11. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	41	40
	12. परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	18	10
	13. परिवार एवं मातृ शिशु उपकल्याण केन्द्र	393	1
	14. क्षय चिकित्सालय	1	35
	15. कुष्ठ चिकित्सालय	1	30
3. यातायात व संचार	16. बस स्टेशन	17	5
	17. बस स्टाप	220	1
	18. रेलवे स्टेशन	30	5
	19. डाकघर	304	1

	20. तारघर	7	10
	21. सार्वजनिक टेलीफोन	77	8
4. व्यापार व वाणिज्य	22. व्यापारिक बैंक	72	8
	23. सहकारी बैंक	11	8
	24. थोकमण्डी	24	10
	25. बाजार केन्द्र	105	1
5. प्रशासनिक	26. जिला मुख्यालय	1	40
	27. तहसील मुख्यालय	4	10
	28. विकास खण्ड केन्द्र	16	5
	29. पुलिस स्टेशन	20	4
6. प्रसार सेवा व अन्य	30. पशुचिकित्सालय,सेवाकेन्द्र	57	5
	31. बीज/गोदाम/खाद गोदाम	202	1
	32. विद्युतीकृत ग्राम	2540	1
	33. विद्युतीकृत नगर	9	10
	34. विद्युतीकृत हरिजन बस्तियाँ	496	5

अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण सेवा केन्द्रों के चयन एवं उनके पदानुक्रम के अभिनिर्धारण के लिए 8 मुख्य केन्द्रीय कार्यों एवं उनके 39 उपविभागों (तालिका) को अंगीकृत किया गया है तथा भारण अंक एवं केन्द्रीयता सूचकांक के आंकलन हेतु एक विधितांत्रिक आधार पर कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । इसके लिए जनगणना आंकड़ों के साथ - साथ क्षेत्रीय सर्वेक्षण को आधार बनाया गया है ।

1981 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में 2540 आबाद ग्राम एवं 9 नगर केन्द्र हैं । अध्ययन क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए सेवा केन्द्रों के चयन एवं उनके पदानुक्रम अभिनिर्धारण हेतु सभी अधिवासों पर विचार करना एक कठिन कार्य है

। अतः उन अधिवासों को प्रथम वरीयता दी गई है जिनकी जनसंख्या 1000 से अधिक हैं और वे कम से कम 3 सेवा सुविधाओं अथवा संस्थानिक सेवाओं से युक्त है । फिर भी अध्ययन क्षेत्र में निर्धारित जनसंख्या से कम आबादी एवं सेवा कार्य के कतिपय ऐसे अधिवास भी सम्मिलित किये गये हैं जहाँ कुछ विशिष्ट केन्द्रीय कार्य निष्पादित होते हैं । इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में पदानुक्रम अभिनिर्धारण हेतु सभी नगर केन्द्रों सहित 469 अधिवासों का चयन किया गया है ।

केन्द्रीय सूचकांक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक चयनित अधिवास का सेवा प्राप्तांक मूल्य परिकलित किया गया है । इसके लिए सर्वप्रथम अध्ययन क्षेत्र में उपलब्ध कार्य विशेष की संख्या से अध्ययन क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या को विभाजित कर कार्य द्वारा सेवित औसत जनसंख्या प्राप्त की गयी है । (तालिका 5.5) तत्पश्चात् जिस चयनित अधिवास में कार्य विशेष की सुविधायें उपलब्ध हैं, उसकी जनसंख्या से परिकलित औसत जनसंख्या को विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम को क्रियाशील कार्य विशेष के लिए अधिवास का भारण अंक मान लिया गया है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक चयनित अधिवास का केन्द्रीयता सूचकांक निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया गया है -

$$\frac{C = E\ (SS)\ \times P}{PS} \times 100$$

जहाँ C = केन्द्रीयता सूचकांक

SS = एक अधिवास का सेवा प्राप्तांक

P = अधिवास की कुल जनसंख्या

PS = क्षेत्र की कुल जनसंख्या

सेवा केन्द्रों के अभिनिर्धारण करने के क्रम में एक औसत केन्द्रीयता प्राप्तांक के योगफल का माध्यम परिकलित किया गया है और इस माध्य से अधिक केन्द्रीयता प्राप्तांक के कुल 94 केन्द्रों को बेहतर और संश्लिष्ट विधि से केन्द्रीय कार्य निष्पादित करने वाला मानकर अभिनिर्धारित किया गया है । (तालिका 5.6)

पदानुक्रम :

केन्द्रीयता सूचकांक जनसंख्या आकार के आधार पर अध्ययन क्षेत्र में चयनित सेवा केन्द्रों को दोहरे लघुगणक प्राग्किता आलेखी पत्र पर प्रदर्शित किया गया है । चित्र से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में प्रथम क्रम का सेवा केन्द्र गाजीपुर नगर केन्द्र है जो जनपदीय मुख्यालय होने के साथ ही वाराणसी मण्डल का द्वितीय कोटि का सेवा केन्द्र है और वाराणसी से रेल एवं सड़क द्वारा गहन कार्यात्मक सम्बन्धित स्थापित करता है । द्वितीय पदानुक्रम स्तर के 10 सेवा केन्द्र हैं जिनमें जमानियाँ, सैदपुर, मुहम्मदाबाद तहसील मुख्यालय के रूप में दिलदारनगर, सादात, गहमर, जंगीपुर, बहादुरगंज, नगर केन्द्र के रूप में औड़िहार कलाँ रेलवे जक्शन के रूप में और नन्दगंज चीनी और डिस्टीलरी उद्योग के कारण केन्द्रीयता सूचकांक में अग्रणी है । तृतीय क्रम में कुल 21 सेवा केन्द्र सम्मिलित हैं जिनमें लगभग आधा (10) विकास खण्ड मुख्यालय के रूप में है शेष उच्च शैक्षणिक संस्थाओं (मालिकपुरा, एवं भुड़कुड़ा (परिवहन, संचार एवं प्रसार सेवाओं के कारण मध्यम केन्द्रीयता सूचकांक के अन्तर्गत है । बड़ौरा एक ऐसा सेवा केन्द्र है जो जनसंख्या आकार की दृष्टि से बहुत छोटा है । इसे निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सेवा केन्द्रों के अन्तर्गत चयनित ही नहीं होना चाहिये । परन्तु सूती मिल (विशिष्ट कार्य) की स्थापना से केन्द्रीयता सूचकांक में वृद्धि होकर यह तृतीय क्रम से सम्बद्ध हो जाता है । चतुर्थ क्रम में कुल 31 सेवा केन्द्र सम्मिलित हैं, जिनमें कुछ वृहद तथा मध्यम आकार के बाजार केन्द्र हैं । ये सेवा केन्द्र विपणन डाकघर, सीनियर बेसिक स्कूल, मेडिकल प्रैक्टिशनर, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, सहकारी समिति, पुलिस चौकी तथा साप्ताहिक बाजार आदि की सुविधायें प्रदान करते हैं । पदानुक्रम में अंतिम स्थान ग्रामीण बाजारों का है, जिनमें प्राथमिक सीनियर बेसिक स्कूल, ब्रांच पोस्ट आफिस, लघु विपणन, न्याय पंचायत आदि की सुविधायें उपलब्ध हैं । इनकी कुल संख्या 31 है । (मानचित्र सं0 5.5)

DISTRICT GHAZIPUR
HIERARCHY OF THE SERVICE CENTRES
GHAZIPUR
ZAMANIA
SAIDPUR
MOHAMMADABAD
DILDARNAGAR
SADAT
AURIHAR
JANGIPUR
GAHMAR
NANOGANJ
BAHADURGANJ
KARANDA
REOTIPUR
KASIMABAD
MARDAH
JAKHANIA
USIA
MANIHARI
BARAURA
SUHWAL
BIRNO
BHADAURA
KARIMUDDINPUR
SHERPURKALAN
DEOKALI
BARA
I
II
III
IV
V
CENTRALITY INDEX
POPULATION SIZE

FIG. 5·5

तालिका 5.6

गाजीपुर जनपद : सेवा केन्द्रों के सेवा प्राप्तांक एवं केन्द्रीयता सूचकांक

सेवा केन्द्र	जनसंख्या	सेवा प्राप्तांक	केन्द्रीयता सूचकांक
गाजीपुर	60725	275.82	871
जमानियां	16426	251.36	212
सैद्पुर	12937	297.18	198
मुहम्मदाबाद	18031	166.36	155
दिलदारनगर	6735	365.62	127
सादात	6734	231.79	81
गहमर	16681	88.92	76
औड़िहार कला	2287	614.50	72
जंगीपुर	6249	184.02	59
बहादुरगंज	9764	103.22	52
नन्दगंज	1428	179.50	52
करण्डा	1687	534.34	46
रेवतीपुर	18024	47.03	44
कासिमाबाद	1704	471.58	41
मरदह	4349	155.60	35
उसिया	14137	44.24	32
जखनियाँ	1855	340.33	32
मनिहारी	1633	341.00	29
बरौड़ा	604	855.10	27
विरसनो	2492	198.21	25

सुहवल	7569	61.14	24
भदौरा	1411	332.65	24
बाराचवर	2326	190.39	23
करीमुद्दीनपुर	6151	73.31	23
शेरपुरकलां	18397	24.68	23
देवकली	3006	139.21	22
भुड़कुड़ा	2421	166.73	21
मालिकपुरा	1469	212.80	21
मिर्जापुर	4940	81.52	21
जलालाबाद	9331	40.74	20
खानपुर	3970	99.47	20
बारा	12404	31.41	20
खरडीहा	1639	223.57	19
नवली	9204	41.07	19
खालिसपुर	2590	121.55	17
गडुआ मकसूदपुर	2997	98.95	17
बीरपुर	5885	40.21	17
मौधा	3097	101.49	15
दुल्लहपुर	1415	204.68	15
भीमापार	2714	105.05	15
बोगना	4646	64.75	15
ताजपुर	4621	62.65	15
कटघरा	1354	200.87	14
गंगोली	4001	67.94	14

कुड़ेसर	3178	83.36	14
हंसराजपुर	1112	230.08	14
अविसहन	1165	217.28	13
भटेहूँ	1453	161.13	12
सहेड़ी	3033	75.53	12
सबुआ	3780	62.44	12
गोसन्देपुर	4035	60.09	12
हाजीपुर बरेसर	643	360.96	12
नगसर	2841	81.93	12
शादियाबाद	820	262.43	11
अनौड़ी	1079	194.09	11
भोजापुर	2998	71.02	11
बरही	1997	108.18	11
चोचकपुर	1868	116.24	11
बसन्तपट्टी	1118	184.00	11
मान्टा	1354	155.61	11
शाहबाज कुली	1096	194.07	11
बैटाबर	4597	47.75	11
बहरियाबाद	2465	81.66	10
माहपुर	741	250.01	10
रानीपुर	2481	77.37	10
पारा	3370	60.28	10
अन्धऊ	3947	50.02	10
मदनपुर	925	202.39	10
सिंगेरा	3865	48.07	10

अबादान	1939	98.94	10
गौसपुर	4200	45.21	10
सुखडेहरा	2759	68.77	10
सेवराई	6060	33.31	10
देवल	4522	44.21	10
सिंगापुर	1245	147.01	9
सिधौना	1792	100.03	9
धूवाअर्जन	1776	97.94	9
बासूपुर	663	267.06	9
परसा	3370	52.08	9
ताड़ी मुस्तकहम	2925	61.24	9
मसूदपुर	1221	124.66	8
हुरमुजपुर	1555	129.61	8
सौना खास	1973	83.30	8
भड़सर	2293	55.25	8
बद्धोपुर	2545	57.65	8
नसरतपुर	1865	78.89	8
सौरभ	3295	46.55	8
असावर	3262	48.07	8
नौनहरा	3437	45.60	8
देवरिया	1899	78.57	8
फुल्ली	4706	33.45	8
डेढ़गांवा	2678	58.57	8
बर्ल्ईन	3582	48.50	8

सेवा केन्द्रों का नियोजन :

सेवा केन्द्रों के पदानुक्रम प्रबन्ध तंत्र के उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में 94 सेवा केन्द्र संपूर्ण जनसंख्या एवं उसकी आवश्यकतानुसार पर्याप्त नहीं है । विकास कार्यक्रमों के कारण नित्य नये आयाम बढ़ते जा रहे है । अस्तु स्थानीय एवं क्रियात्मक रिक्तता को कम करने के लिए सेवा केन्द्रों का नियोजन आवश्यक है । पदानुक्रमानुसार सेवाकेन्द्र एक दूसरे से सामाजिक आर्थिक तथा पारिस्थैतिक कारणों से जुड़े हुए हैं तथा केन्द्रीय कार्यों से सम्बद्ध होकर स्थानीय एवं क्षेत्रीय विकास की गति बढ़ाते हैं और जन समुदाय की सम्पूर्ति में सहायक होते हैं । सामान्यतः केन्द्रीय विकेन्द्रीकरण की पद्धति से सामाजिक आर्थिक सेवायें बढ़ेगी क्रियाकलापों की अन्तर्सम्बद्धता को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्रीय असन्तुलन कम होगा । अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख विकासीय सुविधायें जैसे परिवहन एवं अभिगम्यता (रेल, सड़के एवं संचार) के साधनों तथा धरातलीय संरचना ग्रामों की गहनता एवं अन्तरण को दृष्टि में रखते हुए अध्येता ने 2001 तक इस क्षेत्र में 180 सेवाकेन्द्रों को विकसित करने की योजना प्रस्तावित किया है ।

इन प्रस्तावित सेवा केन्द्रों में 12 प्रथम, 24 द्वितीय, 48 तृतीय एवं 96 चतुर्थ श्रेणी के केन्द्र होंगे । क्षेत्रीय आवश्यकता एवं संतुलित विकास हेतु वर्तमान प्रवृत्ति के अनुरूप गाजीपुर नगर केन्द्र के अतिरिक्त गहमर, जमानियाँ, दिलदारनगर, मुहम्मदाबाद, कासिमाबाद, करीमुद्दीन, मरदह, नन्दगंज, सैदपुर, सादात, जखनियाँ, हँसराजपुर एवं दुल्लहपुर प्रथम सतर के केन्द्र हो सकते हैं । (मानचित्र सं0 5.6) ।

चयनित सेवा केन्द्रों का अध्ययन

सादात

स्थिति एवं विस्तार :

सादात बाजार 25^0, 45', 35" उत्तरी अक्षांश तथा 83^0,3', 30" पूर्वी देशान्तर के मध्य में ब्लाक सादात तहसील सैद्पुर, जिला गाजीपुर में स्थित है । यह बाजार सैद्पुर से 16 कि0मी0 दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है । इसके अतिरिक्त औड़िहार रेलवे जंक्शन से 25 कि0मी0 दूर उत्तर पश्चिम, जखनियाँ से 10 कि0मी0 दक्षिण तथा मेहनाजपुर से लगभग 26 कि0मी0 पूरब में स्थित है । इस प्रकार इसकी एक केन्द्रीय स्थिति है । यहाँ से सैद्पुर, औड़िहार, शादियाबाद, मिर्जापुर (गाँव) आदि को सड़कें गई है ।

सादात के चारों ओर कई गांव जैसे - दक्षिण पूरब में सोनबरसा, पूरब में बर्दानपुर, उत्तर में मरदानपुर, उत्तर पश्चिम में डोरा, पश्चिम में महमूदपुर, दक्षिण - पश्चिम में सेसुआ पार एवं दक्षिण में बढ़नपुर गाँव स्थित है । सादात बाजार के पूरब में सादात रेवले स्टेशन के पूरब में बापू इण्टर कालेज, समता इण्टर कालेज तथा डिग्री कालेज स्थित है । बाजार के उत्तर में गोविन्द इण्टर कालेज, ब्लाक हेड क्वार्टर, पुलिस स्टेशन आदि स्थित हैं । बाजार के पशिचमी छोर पर बस स्टेशन भी है । इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक जनसेवा केन्द्र है । (मानचित्र संख्या 5.7)

नामकरण :

सादात में अधिवास की स्थापना के बारे में कोई ठोस जानकारी प्राप्त करना असम्भव है । यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर लोगों का बसाव मुस्लिम कालीन साम्राज्य के समय ही हो चुका था । 18 वीं तथा 19 वीं शताब्दी के मध्यम यहाँ पर नवाब सादात अली खाँ को सर्वाधिकार प्राप्त था, किन्तु अंग्रेजी प्रशासन के चलते इनका प्रभाव घटता गया बाद में चलकर नवाब सादात अली खाँ के नाम पर ही यहाँ का नाम सादात रखा गया ।

SADAT
TO SADIABAD
TO RAILWAY STATION
FROM SAIDPUR
25° 40' N 83° 15' E
JARKHANIA
N
5 0 5 10 15 20
MTS
GS GENERAL STORE
CS CLOTH STORE
RS READYMADE STORE
K KERANA STORE
BOOKS BOOK STALL
SWT SWEET & TEA
P PAN
SHOE SHOE
FR FRUITS
V VEGETABLE
F FERTLIZER
CT CEMENT
W WATCH
MS MEDICAL STORE
TR TAILAR
CHU CHURIHAR
HP THARD PIPE
SAR SARAFA
POTS POTS
PTO POST & TELEGRAPHS
PS POLICE STATION
MACH MACHE
T B T B
BAS BASKET
DKO DIESEL KEROCINE OIL
C D COLD DRINK
MS MEAT SHOP
GASS GASS WELDING
U B I UNION BANK OF INDIA
LOB COOPERATIVE BANK
SD SEED STORE
Eq Egg
B M BULDING MATERIAL
E ELECTRICAL
CHA CHAKKI
PP PRINTING PRESS
STU STUDIO
PS PHOTO STATE
RON IRON STORE
BASKET

FIG. 5 7

भू - स्वरूप :

यहाँ का धरातल मुख्य रूप से समतल है । बीच का भाग ऊँचा तथा उत्तर एवं दक्षिण की तरफ इसका चन्द ढाल है । दक्षिण की तरफ एक बड़ा ताल है । बस्ती के दक्षिण के धरातल का ढाल दक्षिण को तथा उत्तर के धरातल का ढाल उत्तर की ओर है ।

सादात बाजार की उत्पत्ति एवं विकास :

सादात गंगा के मध्यवर्ती मैदानी भाग में स्थित है । अतः सादात आधिवास का विकास भी बहुत पहले ही हो गया था । ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर अधिवास का विकास मुगल साम्राज्य के समय हो गया था, 18 वीं शताब्दी के अन्तिम चरण से 19 वीं शताब्दी के प्रथम चरण के समय यहाँ पर नवाब सादात अली खाँ को सर्वाधिकार प्राप्त था । इसीलिए यहाँ मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक पायी जाती है । मुसलमानों की बस्ती सादात बाजार के दक्षिण में है । अन्य जातियाँ जैसे राजपूत, ब्राहमण, अहीर,चमार आदि मुसलमान बस्ती से उत्तर तथा बाजार के नजदीक बसे हैं । बाजार से सटे हुए उसके उत्तर में राजपूतों, ब्राहमणों एवं पूर्वी भाग में अहीरों का मिश्रित बसाव है । इसमें नाई, कहार आदि सेवा करने वाली जातियों का छिटपुट बसाव है । चमार एकदम उत्तरी भाग में एवं पश्चिमी भाग में मिलते हैं । धीरे - धीरे जन वृद्धि एवं विकास के कारण यहाँ के अधिकांश लोग सड़कों के किनारे बसते गये जिससे बाजार का विकास होता गया । वर्तमान स्थानों पर सुविधा अनुसार लोग मकान बनाकर बसते जा रहे हैं ।

दुकान संरचना :

सादात अधिवास में रहने वाले व्यक्तियों में सबसे अधिक व्यक्ति दुकानदारी में लगे हैं । सादात बाजार तथा अधिवास में आवश्यक अनेक वस्तुओं की दुकानें मिलती हैं । एक ही वस्तु विशेष की दुकानें भिन्न स्थानों पर छिटपुट रूप में मिलती हैं । दुकान संरचना

का कोई निश्चित क्रम नहीं है । कुछ ऐसी वस्तुओं की दुकानें है जिनमें एक से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं जबकि कुछ ऐसी हैं जिनके लिए एक व्यक्ति ही पर्याप्त होता है । जैसे पान की एक दुकान पर एक व्यक्ति पर्याप्त होता है । दुकानों की संरचना को दुकानों की संख्या एवं उनमें लगे व्यक्तियों की संख्या को तालिका (5.7) एवं मानचित्र (5.11) से स्पष्ट किया गया है ।

तालिका 5.7

दुकान संरचना (1991)

दुकान	दुकानों की संख्या	दुकानों में कार्य करने वालों की संख्या।
गल्ला किराना	49	136
मिठाई चाय	67	205
बिसात बाना	63	92
दर्जी	21	92
कपड़ा	72	104
पान	65	82
चक्की एवं कोल्हू	8	13
साईकिल	15	13
दवाखाना	12	32
जूते - चप्पल	19	19
आभूषण	15	27
लोहा	29	38
लकड़ी	18	55
बर्तन	32	37
सैलून	32	37
सब्जी एवं फल	49	53
अन्य	78	119
योग	637	1122

स्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

SHOP STRUCTURE
SADAT (1991)
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
NUMBER OF SHOPS
OTHERS
CLOTHS
SWEET & TEA
BETEL
BISATBANA
GRAIN
SUBJI & FRUIT
IRON
SALOON
TAILOR
SHOES
WOOD
CYCLE
GOLD SMITH
MEDICAL
CHAKKI & COLHOO
SHOPS

FIG. 5.11

सादात भी एक केन्द्रीय स्थान है । यह एक विकासशील बाजार होने के कारण अनेक कार्यों के माध्यम से बाजार एवं चारों तरफ स्थित निकटवर्ती क्षेत्रों की सेवा करता है । सादात निम्न लिखित मुख्य कार्यों के द्वारा सेवायें प्रदान करता है :-

1. शैक्षणिक सेवा केन्द्र : 1. प्राथमिक - प्राइमरी - बालक, बालिका
   2. माध्यमिक - जू0हा0 - बालक, बालिका
   3. उच्च शिक्षा
2. व्यापार सेवा केन्द्र
3. यातायात - सड़क , रेल । संचार - डाक, तार, टेलीफोन
4. चिकित्सा सेवा केन्द्र - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, पशु चिकित्सा केन्द्र
5. प्रशासनिक सेवा केन्द्र - थाना
6. कृषि सेवा केन्द्र - विकास खण्ड, बीज गोदाम, खाद गोदाम, कृषि रक्षा इकाई
7. बैंक सेवा केन्द्र - राष्ट्रीयकृत बैंक, जिला सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक.
8. सहकारी समितियाँ -
9. बुनाई एवं कढ़ाई सेवा केन्द्र -

1. शैक्षणिक सेवा केन्द्र एवं प्रभाव क्षेत्र :

सादात शिक्षण कार्य के रूप में व्यापाक क्षेत्रों में सेवा करता है । यहाँ पर बाजार के पश्चिम में एक मिडिल स्कूल, उत्तर पश्चिम में गोविन्द इण्टर कालेज तथा पूरब में बापू इण्टर कालेज, समता इण्टर कालेज तथा एक समता डिग्री कालेज है । जबसे डिग्री कालेज चलने लगा है तब से यहाँ स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर - दूर के क्षेत्रों में छात्र आते हैं । रेलमार्ग के सहारे उत्तर दिशा में इसका सेवा क्षेत्र सर्वाधिक है । उच्च शिक्षा के आधार पर इसका प्रभाव क्षेत्र 25 से 30 कि0मी0 तक मिलता है ।

2. व्यापार सेवा केन्द्र एवं प्रभाव क्षेत्र :

सादात बाजार में अधिकाधिक आवश्यक वस्तुएँ सुलभ हो जाया करती हैं । इसके साथ ही साथ यहाँ पर निकटवर्ती क्षेत्रों से उत्पादित वस्तुओं की अधिकाधिक खपत हो जाती है । इस प्रकार यहाँ के लोग खाद्य सामग्री की अधिकांश वस्तुएँ निकटवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त, करते हैं तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के ग्रामीण लोग यहाँ से अधिकांश वस्तुओं को प्राप्त करते हैं इसका प्रभाव क्षेत्र 10-12 कि0मी0 तक है ।

3. यातायात एवं संचार सेवा केन्द्र एवं प्रभाव क्षेत्र :

सादात निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए यातायात एवं संचार सेवा केन्द्र का कार्य करता है । सादात में वाराणसी से भटनी जाने वाली पूर्वोत्तर रेलवे का जंक्शन है । यहाँ से निकटवर्ती लोग विभिन्न स्थानों को आते जाते रहते हैं । बाजार के पश्चिम तरफ से सैदपुर से शादियाबाद जाने वाली पक्की सड़क है । इस पर वाराणसी से शादियाबाद, सैदपुर, गाजीपुर के लिए कुछ प्राइवेट बसें चलती हैं । पश्चिम में एक सड़क मिर्जापुर गांव तक जाती है जिस पर शाम तथा सबेरे बस चलती है इस प्रकार निकटवर्ती लोग इनसे विभिन्न स्थानों को जाते हैं । इसका प्रभाव क्षेत्र सादात से चारों ओर लगभग औसतन चार पाँच कि0मी0 तक है ।

4. चिकित्सा सेवा केन्द्र एवं प्रभाव क्षेत्र :

सादात में गोविन्द इण्टर कालेज के समीप ही एक पशु चिकित्सालय तथा एक आदमियों के लिए चिकित्सालय है । यहाँ पर बाजार के पशु तथा मनुष्य एवं बाजार के चारों ओर तीन चार कि0मी0 तक के क्षेत्रों के पशु एवं आदमी चिकित्सा के लिए आते हैं ।

5. प्रशासनिक सेवा केन्द्र एवं प्रभाव क्षेत्र :

सादात एक प्रशासनिक केन्द्र भी हैं । यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पश्चिम में थाना स्थित है । गोविन्द इण्टर कालेज के साथ ब्लाक हेड क्वार्टर भी हैं । अतः सादात निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए सुरक्षा सम्बन्धित सेवा कार्य करता है । इसका प्रभाव क्षेत्र चारों

ओर 8 से 9 कि0मी0 तक है ।

उपरोक्त सेवा केन्द्रों के रूप में कार्य करते हुए सादात बैंकिग एवं सहकारी संस्था का भी केन्द्र है । सादात इनके माध्यम से भी निकटवर्ती लोगों का आर्थिक दृष्टि से सेवा करता है ।

जनसंख्या वितरण एवं घनत्व :

सादात में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है । यहाँ की जनसंख्या रेलवे स्टेशन से पश्चिम तरफ ही मुख्य रूप से केन्द्रित है । सड़कों के किनारे ही अधिकांश जनसंख्या केन्द्रित है । सड़कों से कुछ हटकर कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या मिलती है । सड़कों के किनारे जनसंख्या अत्याधिक सघन पायी जाती है । अन्य भागों में जनसंख्या का बसाव विरल है । कुल जनसंख्या रेलवे स्टेशन के पूरब में भी निवास करती है जिसका विकास सड़क के सहारे हुआ है । जहाँ पर बाजार है वहाँ पर जनसंख्या अधिक केन्द्रित है किन्तु प्रशासनिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का बसाव बहुत कम है । इस प्रकार जनसंख्या का वितरण कहीं अधिक है तो कहीं कम है । जहाँ कृषि योग्य भूमि है वहाँ पर जनसंख्या नहीं मिलती है । यहाँ पर आस-पास के क्षेत्रों की अपेक्षा जनसंख्या घनत्व भी अधिक है । समय के बीतते एवं बाजार के विकास के साथ ही साथ यहाँ का जनंसख्या घनत्व भी बढ़ा है । 1951 में यहाँ प्रति एकड़ घनत्व 4.89 रहा जो कि वर्तमान समय में 13.43 हो गया है । इस प्रकार 1951 से लेकर अब तक जनसंख्या घनत्व लगभग चार गुना बढ़ा है ।

साक्षरता :

सादात में निवास करने वाली जनसंख्या का एक तिहाई से अधिक जनसंख्या शिक्षित है । 2.1 प्रतिशत ऐसी जनसंख्या हे जो पढ़ लिख सकती है किन्तु उसके पास साक्षरता का कोई प्रमाण - पत्र नहीं है । प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाली कुल संख्या 1325 है जिसमें पुरूषों का प्रतिशत अधिक है । इस प्रकार क्रमशः उच्च शिक्षा रखने वालों की संख्या में बहुत कमी मिलती है । उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली जनसंख्या मे

महिलाओं का स्थान बहुत कम है । स्नातकोत्तर के बाद की अन्य उपाधि रखने वाली जनसंख्या का 0.09 प्रतिशत है । जिसमें महिलाओं की संख्या एक भी नहीं है । (मानचित्र संख्या 5.10)

जाति संरचना :

सादात बाजार तथा बाजार से अलग अधिवासों में अनेक जातियाँ निवास करती हैं अतः यहाँ विभिन्न जातियों एवं समुदायों का मिश्रित अधिवासीय रूप पाया जाता है । यहाँ पर मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है जो बाजार के दक्षिण रेलवे लाइन से पश्चिम बसे हैं । कुछ मुसलमान रेलवे लाइन से पूरब भी बसे हैं । बाजार में भी कहीं - कहीं हैं । दूसरी महत्वपूर्ण जाति अहीर है जो बाजार से दक्षिण - पूरब में बसी है । इसके अलावा राजपूत, ब्राहमण, लाला, चमार, धोबी, सोनार, लोहार, बढ़ई, नाई, कहार आदि अन्य जातियां भी मिलती हैं । (मानचित्र 5.9)

कार्यशील जनसंख्या एवं उसकी बनावट :

भारत में अन्य विकसित देशों की अपेक्षा कार्यशील जनसंख्या बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर जन्मदर अधिक होने के कारण बच्चों की संख्या अधिक होती है । इसी के साथ ही साथ वृद्ध पुरूष तथा अधिकांश महिलायें भी पुरूषों पर आश्रित होती है । यही तथ्य सादात में भी मिलता है । यहाँ पर कुल जनसंख्या का 37.06 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है । शेष जनसंख्या 37.06 प्रतिशत जनसंख्या पर आश्रित है । यहाँ पर मुख्य व्यवसाय पहले से कृषि ही रहा है किन्तु बाजार के विकास के कारण आधे से अधिक जनसंख्या व्यापार, नौकरी आदि पर आश्रित है । (मानचित्र संख्या 5.12)

अधिवास प्रारूप :

सादात अधिवास का प्रारूप वर्तमान समय में विकसित आकार प्रतिरूप देखने से स्पष्ट होता है यहाँ पर सर्वप्रथम अलग - अलग कई पुरवों में भिन्न - भिन्न जातियों

CASTE STRUCTURE
SADAT (1991)
POPULATION (HUNDRED)
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
MUSLIM
AHIR
TELI
CHAMAR
RAJPUT
BRAHMAN
OTHER
NONIYA
LOHAR
KAHAR
DHOBI
NAI
SONAR
BARAI
SONKAR
KAYASTHA
BHUMIHAR

FIG. 5.9

OCCPATIONAL STRUCTURE SADAT (1991)

FIG. 5.12

के विकास के कारण बाजार एवं रिहायशी अधिवासों का विकास सड़कों एवं गलियों के सहारे हुआ तथा हो भी रहा है । इसलिए इसे कोई निश्चित आकार नहीं दिया जा सकता है । सादात अधिवास में बाजार के अतिरिक्त अन्य भागों में किसी खास जाति का बाहुल्य है किन्तु बाजार में सभी जातियाँ छिट-पुट रूप में मिलती हैं । यहाँ पर कुल 1016 घर है तथा कुल परिवारों की संख्या 1322 है । सादात अधिवास में विभिन्न जातियों के घरों एवं परिवारों की संख्या का विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट होता है ।

तालिका 5.6

जातिगत मकानों एवं परिवारों की संख्या (1991)

जाति	मकानों की संख्या	परिवारों की संख्या
ब्राहमण	46	56
राजपूत	62	75
भूमिहार	7	7
कायस्थ	11	11
अहीर	144	173
तेली	130	179
सोनार	17	23
सोनकर	18	28
चमार	145	209
धोबी	29	45
लोहार	31	41
बढ़ई	18	27
नाई	20	29
कहार	29	48
मुसलमान	234	298
नोनिया	27	36
अन्य	48	57
योग :-	1016	1322

स्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

LITERACY
SADAT
(1991)
ILLITERATE
PRIMARY
MIDDLE
HIGH SCHOOL
INTER MEDIATE
GRADUATE
POST GRADUATE
LITERATE
OTHER

FIG. 5.10

बाजार अधिवास की आकारिकीय :

सादात बाजार का विकास रेलवे स्टेशन से लेकर सैदपुर से बहरियाबाद जाने वाली सड़क तक लगभग एक कि0मी0 से अधिक दूरी तक एक सकरी सड़क के सहारे हुआ है । कुछ दूरी तक गलियों में इसका विकास हुआ है । सैदपुर से बहरियाबाद जाने वाली सड़क के सहारे भी बाजार का दोनों तरफ विस्तार जारी है । रेलवे लाइन के पूरब में भी कुछ दुकानों का विकास सड़कों के ही सहारे हुआ है तथा हो भी रहा है । बाजार में दुकानों के बसाव का कोई क्रमिक रूप नहीं है । विभिन्न वस्तुओं की दुकानें छिट-पुट रूप में मिलती है । बीच में बाजार सघन है तथा बाहर की ओर दुकानों का बसान विरल है । बाजार के मध्य में यूनियन बैंक है जिसका मकान किराये पर लिया गया है । एक यूनियन बैंक रेलवे स्टेशन के पास भी है । बाजार के पूर्वी छोर पर रेलवे स्टेशन के पास पोस्ट आफिस तथा टेलीफोन केन्द्र है । बाजार के पश्चिमी छोर पर एक तालाब है तथा वहाँ पर सड़क के किनारे हनुमान मंदिर है । पश्चिम भाग में ही सैदपुर बहरियाबाद वाली सड़क के दाहिने किनारे पर एक जूनियर हाईस्कूल है । बाजार की जातिगत आकरिकीय में यह पाया जाता है कि सभी जाति के लोग छिट-पुट रूप में मिलते हैं ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न जाति समुदाय से युक्त सादात बाजार के अधिवास का विकास सड़कों के सहारे जारी है । (मानचित्र संख्या 5.7)

अधिवासों का कार्यात्मक वर्गीकरण :

सादात के अधिवास को कार्यो के आधार पर कई भागों में बाँटा हैं । यहाँ पर अनेक कार्य जैसे व्यापार, प्रशासनिक, शिक्षण चिकित्सा, घरेलू उद्योग धन्धों आदि के कार्य होते हैं । इनके मुख्य कार्यों के अलावा सहकारी समिति, टेलीफोन एवं पोस्ट आफिस, बीज भण्डार, यूनियन बैंक, रेलवे स्टेशन, मंदिर, मस्जिद भी कई जगह स्थापित है । बाजार के मध्य में सिनेमा भी दिखाया जाता है । अतः कार्यों के आधार पर सादात अधिवास को कई भागों में रखा जाता है । जैसे - व्यापार क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र,

SADAT
N
COMMERCIAL AREA
HOUSE HOLD INDUSTRY
RESIDENTIAL AREA
EDUCATIONAL AREA
ADMINISTRATIVE A.
RAILWAY COLONY
MEDICAL SERVICE
S. SEED STORE
C.S CO-OPERATIVE SOCIETY
R.S
T OFFICE
ON BANK
ILWAY STATION
MPLE
SQUE
ID
LWAY LINE
GARDEN
WATER BODIES
AGREECULTURAL LAND
CANNAL
100 50 0 100 200 300
METRES

FIG. 5.8

चिकित्सा क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र, घरेलू औद्योगिक क्षेत्र आदि । रेलवे तथा बस यातायात में लगी भूमि को यातायात क्षेत्र में रखते हैं । जहाँ पर लोग निवास करते हैं , उसे रिहायशी क्षेत्र में रखा जाता है । इसके अतिरिक्त कृषि कार्य से सम्बन्धित भूमि को कृषि क्षेत्र में रखते हैं । (मानचित्र सं0 5.8)

इस प्रकार विभिन्न कार्यों से युक्त सादात अधिवास , सादात के कुल क्षेत्रफल के लगभग 18 से 20 प्रतिशत क्षेत्रफल में पाया जाता है । शेष भागों में कृषि कार्य किया जाता है । फसलों में मुख्य रूप से गेहूँ, धान, गन्ना, चना, मटर, अरहर की खेती की जाती है । बाजार के पासवर्ती भागों में सब्जी की खेती अधिक होती है ।

नियोजन :

जनसंख्या वृद्धि और समस्याओं को देखते हुए निम्न प्रकार से नियोजन किया जा सकता है --

1. सादात में रहने वाले बेघर लोगों के लिए मकान की व्यवस्था जर्जर मकानों की मरम्मत की व्यवस्था तथा भविष्य में बढ़ने वाली जनसंख्या के निवास के लिए उपयुक्त भूमि की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

2. बस्ती में सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए । जल निकास के लिए पक्की नालियों की व्यवस्था, कूड़े - करकट को एक जगह अलग एकत्र करने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

3. बस की अच्छी सुविधा के लिए सादात को मुख्य स्थानों जैसे गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया से सीधी सड़कों से जोड़ना चाहिए तथा अधिक से अधिक बसें चलानी चाहिए ।

4. सकरी सड़कों को चौड़ी करनी चाहिए एवं सादात के चारों ओर स्थित बस्तियों को नयी सड़कों से जोड़ना चाहिये । बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास होना चाहिए ।

5. सादात में उच्च स्तर के चिकित्सालय की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे मरीजों को अन्य स्थानों को न जाना पड़े । पशु चिकित्सालय की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ।

6. जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर चलाना चाहिए । परिवार नियोजन के कार्यकर्ताओं को अच्छे ढंग से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जो कि वहाँ के रहने वाले निवासियों को अच्छी तरह से समझा सकें । इसके साथ ही साथ गर्भ निरोधक साधनों का अधिक तथा निःशुल्क उपलब्ध कराना चाहिए ।

7. सादात में स्नातकोत्तर शिक्षा रोजगार परक शिक्षा एवं महिलाओं के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था के लिए विद्यालयों कालेजों का निर्माण किया जाय । जिससे शिक्षा का प्रसार एवं बेरोजगारी की समस्या का निराकरण हो सके ।

8. मनोरंजन के लिए आवश्यकतानुसार सिनेमा घरों का निर्माण पार्क की व्यवस्था तथा अन्य साधनों का विकास किया जाना चाहिये ।

9. दुकानों का बसाव क्रमिक रूप से होना चाहिये । जैसे सब्जी की दुकानें, गल्ले तथा किराना की दुकानें; कपड़े की दुकानें आदि अलग - अलग तथा एक क्रम से होनी चाहिए ।

10. बाजार में सड़कों पर बिजली द्वारा रोशनी की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

11. सादात में जनसंख्या वृद्धि एवं बेरोजगारी को देखते हुए एक औद्योगिक इकाई की स्थापना की जाय ।

12. कृषकों के लिए अच्छी तथा अधिक पैदावार लेने हेतु सिंचाई की व्यवस्था, शुद्ध तथा सस्ते खाद , बीज एवं कृषि उपकरणों की व्यवस्था की जाय । निजी नलकूपों के लिए सुविधायें प्रदान की जाय । कृषकों को अपनी पैदावार का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सरकारी खरीद के केन्द्रों की स्थापना की जाय ।

DEVELOPMENT PLAN
SADAT - MARKET
ADMINISTRATIVE A.
COMMERCIAL AREA
HOUSE HOLD INDUSTRY
RESIDENTIAL AREA
EDUCATIONAL AREA
MEDICAL SERVICE
RAILWAY COLONY
C.S. CO-OPERATIVE SOCIETY
S. SEED STORE
TO AZAMGARH
TO JAUNPUR
TO BHATANI
TO GHAZIPUR
TO VARANASI
DEOKALI CANNAL
N
F.R.
F.M.
W.S.
G.C.
R.A.
PARK
P.O.
O.E.C.
B.S.
R.S.
P.G.C.
P.G.
I.U.
R.S. RAILWAY STATION
B.S. BUS STATION
G.C. GIRLS COLLEGE
F.M. FUTURE MARKET
F.R. FUTURE RESIDENCE
BROAD GAUZE
P.G.C. POST GRADUATE CO
P.G. PLAY GROUND
I.U. INDUSTRIAL UNIT
W.S. WATER SUPPLY
R.A. RESIDENTIAL AREA
O.E.C. OCCUPATIONAL EDUCATIONAL CENTER
100 50 0 100 200 300
METRES

FIG. 5.13

कृषि के लिए हानिकारक कीड़ों एवं रोगों से बचाव के लिए दवाइयों, छिड़काव की मशीनों एवं इस कार्य को करने वाले व्यक्तियों की उचित व्यवस्था की जाय।

13. सादात में जनसंख्या वृद्धि एवं बेरोजगारी को देखते हुए एक औद्योगिक इकाई की स्थापना की जायें ।

14. अनेक घरेलू उद्योगों जैसे मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग, मुर्गी पालन सुअर पालन कालीन उद्योग आदि का विकास किया जाय तथा इससे सम्बन्धित सुविधायें प्रदान की जायें।

15. उपरोक्त सुविधाओं के साथ ही साथ अन्य सुविधायें जैसे सार्वजनिक स्थानों, खेल के मैदानों आदि की व्यवस्था की जाय । (मानचित्र संख्या 5.13)

चोचकपुर

स्थिति एवं विस्तार :

चोचकपुर सेवा केन्द्र 25^0,28',38" उत्तरी अक्षांश तथा 83^0,24',20" पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है, यह गाजीपुर से 21 कि0मी0 तथा नन्दगंज से 12 कि0मी0 पहले है । यह चतुर्थ श्रेणी का सेवा केन्द्र है । यह नन्दगंज से गाजीपुर वाया चोचकपुर मार्ग पर स्थित है । नन्दगंज से एक घंटे के अन्तराल पर बस सेवा उपलब्ध है । यह गांव मौनी बाबा के मेला (जो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है) से प्रसिद्ध है । यहाँ की जनसंख्या 2000 1991 में हैं । यहाँ रविवार और वृहस्पतिवार को बाजार का दिन रहता है । यहाँ 69 पान की दुकान (14.04 प्रतिशत) चाय की दुकान (7.25 प्रतिशत), मिठाई की दुकान (8.70 प्रतिशत) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोस्ट आफिस, ग्रामीण बैंक साधन सहकारी समिति है । यहाँ 1961 में सिर्फ 6 दुकानें थी 1969 में 19 दुकानें हुई तथा 1991 में 69 दुकानें हो गयी । (मानचित्र संख्या 5.14)

तालिका 5.9

चोचकपुर की कार्यात्मक संरचना

क्र0सं0	दुकानों के प्रकार	दुकानों की कुल संख्या			दुकानों का प्रतिशत
		1961	1971	1991	
1.	पान की दुकान	1	2	9	14.04
2.	चाय की दुकान	-	2	5	7.25
3.	जनरल स्टोर	-	1	3	4.35
4.	सिलाई की दुकान	1	1	4	5.80
5.	मिठाई की दुकान	-	1	6	8.70
6.	मेडिकल स्टोर	-	-	3	4.35
7.	सैलून	-	1	4	5.80
8.	साइकिल मरम्मत की दुकान	-	1	3	4.35
9.	कपड़ा की दुकान	-	1	4	5.80
10.	जेवर की दुकान	-	1	3	4.35
11.	स्टेशनरी	-	-	2	2.90
12.	जूता-चप्पल की दुकान	-	-	3	4.35
13.	होटल	-	-	1	1.45
14.	तेल पेराई की दुकान	-	-	1	1.45
15.	कारपेन्टरी	-	-	2	2.90
16.	आटा चक्की	-	1	2	2.90
17.	फर्नीचर	-	1	2	2.90
18.	रेडियो मरम्मत	-	1	2	2.90
19.	अन्य	3	5	10	14.49
निजी दुकानों की कुल संख्या		6	19	69	100.00
20.	साधन सहकारी समितियाँ	-	-	1	
21.	डाकघर	1	1	1	
22.	बैंक	-	-	1	
सरकारी संस्थाओं की कुल संख्या		1	1	3	

FUNCTIONAL MORPHOLOGY OF CHOCHAKPUR
1991
N
PRIMARY HEALTH CENTRE
SADHAN SAHKARI SAMITI
STOCK-MAN CENTRE
VILLAGE CHOCHAKPUR
POST OFFICE
WEEKLY MARKET
FROM NANDGANJ
PRIMARY AND JUNIOR HIGH SCHOOL
TO MAINPUR
TO ZAMANIA
FROM NANDGANJ
TO MAINPUR
CHOCHAKPUR
KARANDA
GANGA RIVER
JAMUACH
PAHARPURD
TO ZAMANIA
KM.
25°30'N
25°25'N
83°25'E
83°30'E
TYPE OF SHOPS
B BETEL SHOP
T TEA STALL
G GENERAL STORE
TI TAILORING
M MEDICAL STORE
S SWEET
A SALON
C CYCLE REPAIRING
E CLOTHES
O ORNAMENTS
SY STATIONARY
H SHOE
L HOTEL
I OIL
D CARPENTRY
F FLOURMILL
K FERNITURE
W WATCH AND RADIO REPAIRING
OS OTHERS
P.O. POST OFFICE
N BANK
NOT TO THE SCALE

तालिका 5.10

चोचकपुर के दुकानदारों की जातिगत संरचना

क्र0सं0	जाति का नाम	दुकानों की संख्या	दुकानों का प्रतिशत
1.	यादव	3	4.35
2.	राजपूत	3	4.35
3.	ब्राह्मण	3	4.35
4.	बरई (चौरसिया)	2	2.90
5.	गुप्ता	7	10.14
6.	स्वर्णकार	3	4.35
7.	मल्लाह	18	26.09
8.	शर्मा	4	5.80
9.	नाई	4	5.80
10.	मुसलमान	10	14.49
11.	हलवाई	8	11.59
12.	अन्य जाति	4	5.80
	योग	69	100.00

स्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल बाजार में ही हैं । चोचकपुर से स्थानीय लोगों की दैनिक आवशययक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है । इस तरह से यह एक साधारण सेवा केन्द्र है । यहाँ पर सरकार द्वारा विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन से यह एक मध्यम स्तरीय सेवा केन्द्र बन जायेगा ।

जखनियाँ

स्थिति एवं विस्तार :

जखनियाँ गाजीपुर जनपद के पश्चिमोत्तर में गाजीपुर से 38 कि0मी0 दूर पूर्वोत्तर रेलमार्ग के वाराणसी गोरखपुर खण्ड पर 25^0,45' उत्तरी अक्षांश एवं 83",22' पूर्वी देशानतर के मध्य स्थित है । यह सेवा केन्द्र वाराणसी से 64 कि0मी0 तथा मऊ से 30 कि0मी0 दूर स्थित है । इसके उत्तर में गौरा, पूर्व में मदरा, एवं खेमपुर, दक्षिण में कौला जखनियाँ तथा पश्चिम में रामवन, रोहिलपट्टी एवं कुंडिला गाँव स्थित है । भूलेख रिकार्ड में इसका नाम जखनियां गोविन्द है । जखनियाँ गंगा घाटी में मँगई एवं बेसो नदियों द्वारा निर्मित मैदान में बसा है । यह समुद्र तल से 98.87 मीटर उँचा है । इसका ढाल उत्तर मँगई नदी की ओर तथा 3/4 भाग का ढाल दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम बेसो नदी की ओर है । (मानचित्र सं0 5.15)

उद्भव एवं विकास :

जखनियाँ का उद्भव सन् 1910 में वाराणसी - भटनी छोटी लाइन एवं जखनियाँ रेलवे स्टेशन के निर्माण के साथ ही प्रारंभ होता है । मुख्य गाँव रेलवे स्टेशन से 1/2 किलोमीटर दूर पश्चिम बसा हुआ है । सन् 1915 में सुरूहुरपुर, शादियाबाद निवासी गनपत साव, रमेश्वर साव ने सर्वप्रथम अपनी आढ़त खोलकर व्यापारिक प्रतिष्ठान की नींव डाली । उस समय रेल के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन के साधन न थे । वाराणसी, मऊ , गोरखपुर, औड़िहार आदि स्थानों को जाने के लिए यात्री बहुत दूर-दूर से गाड़ी पकड़ने हेतु आते थे । आस-पास सघन जंगल था । यात्रियों को पानी पीने की सुविधा हेतु मदरा निवासी नन्हकू साव ने गट्टा, जलेबी, गुड़, लड्डू, दाना, सतुआ की दुकान खोली । तत्पश्चात् चन्द्रावती निवासी रामकुमार चौरसिया ने स्टेशन के सामने तत्कालीन रामसिंहपुर के जमींदार से थोड़ी जमीन लेकर पान की दुकान खोल दी । गनपत साव ने 1934 ई0 में अपनी सारी सम्पत्ति अपने दामाद भगवान दास को दे दी और भगवान दास ने पुराने आढ़त की मरम्मत कराकर नये सिरे से उसका विस्तार किया ।

JAKHANIAN
METER
TANK
SAW MILL
RESIDENCE
PLAY GROUND
RESIDENCE
Residence
PLANTATION
OPEN FIELD
RESIDENCE
TO BHATANI
N E R
VARANASI
TO GHAZIPUR
TO SADIABAD
RS
FROM
BUS STAND
JHOTANA
G School
Nursery
Madra
Mau
Ner Sadat
K Kerana
Cs Cloth store
Rs Readymade store
Fr Fruts
V Vegetable
L Landry
P Pan
To Tobacco
Gs Genral store
W Watch
MR Motor warles
Cy Cycle
IR Iron
Sho Shoes
Tr Tailor
Swt Sweet Tea
PP Printing press
Lohar Lohar
Wi Wile
AG Agro
Ct Cement
E Egg
BS Book stall
Ws Workshop
Do Diesel oil
Bs Bookstall
HB Harol bare
HP Handpump
Stu Studio
Gw Gass welding
Sar Sarafa
Ph Photo state
T Tea
IF Ice factory
PT Post & Telegraphs
+ Hospital & Dispensary
VH Vetanary Hospital
PP Plant protection
RS Railway station
PS Police station
S Saloon
Sd Sud store
Cha Chakki
ST Sub strasery
GPS Grloy primary school
JH Junior High school
PP Plant protection
S S Seed store
Govt

FIG 5-5

बन्दरों के आतंक से खपरैल टूट जाता था इसलिए टीन शेड से अपनी आढ़त को बनवाया। भगवान दास ने गल्ला गुड़, देशी घी, चीनी,चोटा,तम्बाकू,नमक, तेल का व्यापार बड़े पैमाने पर किया । सारा माल रेलगाडियों द्वारा लाया जाता था । इसी अवधि में महावीर साव गाजीपुर से आकर अपने पुस्तैनी पेशे के अनुसार कोल्हू चला कर सरसों तेल का व्यापार करते थे । आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर किराना, नमक, मिट्टी के तेल आदि का व्यापार करने लगे । उस समय बाजार की आबादी मात्र 10 व्यक्ति थी । पानी की आपूर्ति वर्तमान मिश्र कटरे के पूर्व स्थित कुएँ से होती थी । उस समय किसी का व्यक्तिगत कुआँ नहीं था । विकास के इसी क्रम में बुढ़ानपुर निवासी दहादीसाव, पदुमपुर निवासी सकूर दर्जी, स्टेशन पर सफाई करने वाला नूरा मेस्तर ही जखनियाँ के मूल निवासी थे । जखनियाँ एक बाजार के रूप में धीरे - धीरे रेखीय प्रतिरूप में पूर्व से पश्चिम स्टेशन एवं गाँव के बीच विकसित होने लगा । जखनियाँ के विकास को चार चरणों में विभक्त किया जा सकता है ।

1. 1910 - 1960
2. 1960 - 1970
3. 1970 - 1980
4. 1980 - 1990

सन् 1960 तक जखनियाँ एक बाजार का रूप धारण कर लिया था, किन्तु उसके विकास की गति काफी मंद थी । आदित्य सिंह, रघुनाथ साव, रामकुमार, छटंकी, अतवारू तेली बुढ़ानपुर से आकर सब्जी की दुकान करते थे । सन् 1953 में ब्लाक एवं सहकारी संघ की स्थापना हो चुकी थी । शिक्षा केन्द्र के रूप में स्टेशन से पूर्व जखनियाँ में जूनियर हाईस्कूल (मदरा) तथा प्राइमरी पाठशाला की नींव पड़ चुकी थी जिसमें दूर-दूर से छात्र पढ़ने आते थे ।

1960 एवं 1970 के मध्य जखनियाँ धीरे - धीरे विकसित होने लगा । वर्तमान भुड़कुड़ा ,रामसिंहपुर कच्ची सड़क का निर्माण चकबंदी के बाद प्रारंभ हुआ । अपने प्रारंभिक अवस्था में यह एक चकरोड के रूप में विकसित हुआ , बाद में कच्ची सड़क

का रूप धारण कर लिया कर लिया जिस पर जखनियाँ से भुड़कुड़ा ताँगे चला करते थे । सड़क निर्माण के साथ ही लोग उस पर जमीन खरीद कर अपना मकान एवं दुकान खोलने लगे । इस अवधि में मालचन्द्र साव, मोहन विश्वकर्मा, छोटे गुप्ता, अरूण पाण्डेय, राम नरेश चौबे, कमला सेठ, सन्तू यादव आदि के मकान बन चुके थे । कन्या प्राइमरी पाठशाला की स्थापना 1964 में हुई । नई सड़क एवं पुरानी बाजार के बीच वाले भाग में बगीचा था । स्टेशन एवं सड़क के बीच एक पगडंडी भी थी जिससे होकर लोग सड़क तक जाते थे । ब्लाक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, डाक व तारघर की स्थापना इसी अवधि में रेलवे लाइन के उत्तर पूर्व दिशा में हुई । सप्ताह में दो दिन बुधवार एवं शनिवार को ग्रामीणों की सुविधा हेतु बाजार लगना प्रारम्भ हुआ । सन् 1970-80 के बीच ज़खनियाँ का विकास तीव्रगति से होने लगा । इसके मुख्य तीन कारण थे ।

1. भुड़कुड़ा - गाजीपुर मार्ग का पक्का बनना ।
2. बसों का गाजीपुर एवं वाराणसी चलना ।
3. स्टेशन एवं नई सड़क के बीच रेलवे की सम्पर्क सड़क का निर्माण

भुड़कुडा - गाजीपुर मार्ग बन जाने से जखनियाँ का सम्बन्ध गाजीपुर, वाराणसी, ऐरा, चिरैयाकोट, आजमगढ़ से हो गया । इसके पूर्व गाजीपुर, चिरैयाकोट आजमगढ़ हेतु लोग ट्रेन से दुल्लहपुर होकर जाया करते थे जिससे काफी परेशानी होती थी । सड़क निर्माण एवं उस पर बसों के चलने से व्यापार के मार्ग खुल गये । बड़ी तेजी से लोग सड़क के किनारे जमीन खरीदकर दुकानों का निर्माण करने लगे । इसी अवधि में 1978-79 में रेलवे की सड़क बन जाने से लोग अवैध कब्जे कर दुकानों का निर्माण करने लगे । बाहर से आकर लोग बसने लगे । इस अवधि में नयी सड़क तथा स्टेशन रोड पर काफी संख्या में दुकानें बन गई ।

1980-90 की अवधि में जखनियाँ का विकास और तीव्र गति से हुआ । रेलवे क्रासिंग के पूर्व ब्लाक तक, जखनियाँ, शादियाबाद मार्ग पर तथा पुरानी बाजार एवं नई सड़क के बीच दोनों गलियों पर दुकानें बनने लगी । रामकुमार सिंह एवं मिश्र कटरे का

निर्माण हुआ । इसके अतिरिक्त नई सड़क से उत्तर की ओर दो गलियों के किनारे - किनारे दुकानें बनने लगी । जमीन का भाव एक से 2 लाख बिश्वा तक चला गया । जखनियाँ का विकास बड़ी तेजी से चारों तरफ सड़कों एवं गलियों के किनारे हो रहा है । इसी अवधि में यूनियन बैंक, गाँधी आश्रम आदि की स्थापना हुई । बाजार में कपड़े, चीनी, किराना, मिट्टी के तेल, डीजल, लोहा, सब्जी, फल चाय मीठा, पान, सीमेंन्ट, शराब, लकड़ी चीरने की मशीन, किताब, सिलाई , दवा, साइकिल, पेन्ट, पम्पिंग सेट, थ्रेशर, हार्डवेयर, सोना - चाँदी, बिजली, मीट- मछली, हैण्डपाइप, चारा मशीन कपड़ा धुलाई आदि की दुकानें सैकड़ों की संख्या में खुल गई । चौजा शादियाबाद मार्ग बन जाने से जखनियाँ के विकास की गति में तीव्रता आयेगी ।

जखनियाँ एक सेवा केन्द्र के रूप में :

जखनियाँ पूर्णरूप से सेवा केन्द्र के रूप में विकसित हो गया है यहाँ पर सेवा केन्द्र की सभी विशेषतायें हैं जो निम्नलिखित हैं ।

1. वाणिज्य एवं व्यापार केन्द्र
2. परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास
   1) रेल मार्ग
   2) सड़क मार्ग
   3) डाक व तारघर
   4) टेलीफोन केन्द्र
3. विकास परियोजनाएँ
   1) विकास खण्ड
   2) बीज खाद भण्डार
   3) कृषि उपकरण बिक्री केन्द्र
   4) कृषि फसल सुरक्षा केन्द्र
   5) बाल विकास परियोजना

4. स्वास्थ केन्द्र -

1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

2) मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र

3) पशु चिकित्सालय

5. बैंकिग सुविधा -

1) यूनियन बैंक आफ इण्डिया

2) जिला सहकारी बैंक

3) उपकोषागार

4) नवीन कृषि फाइनेंस बैंक लिमिटेड

6. शिक्षा सुविधायें -

1) शिशु मंदिर

2) प्राइमरी स्कूल बालक, बालिका

3) जू0 हा0 स्कूल, बालक, बालिका

4) इण्टर कालेज

7. सहकारिता -

1) सहकारी संघ

2) साधन सहकारी समिति

8. सुरक्षा - थाना

9. विद्युतीकरण एवं विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना

10. बुनाई एवं कढ़ाई केन्द्र

11. जलापूर्ति व्यवस्था

12. तहबाजारी व्यवस्था

जखनियाँ को एक सेवा केन्द्र के रूप में विकसित करने की मुख्य भूमिका रेल एवं सड़कों का है । जखनियाँ का संबंध बड़ी लाइन (1990-91) से बन जाने से देश के सभी बड़े नगरों से हो गया है । जखनियाँ से प्रति वर्ष 1 लाख 10 हजार व्यक्ति एक

स्थान से दूसरे स्थान हो आते है । 1979 में बस सेवा उपलब्ध होने से इसका संबंध वाराणसी, गाजीपुर, लालगंज, जौनपुर, आजमगढ़, सादात, दुल्लहपुर, मऊ आदि स्थानो से हो गया है । यहाँ सार्वजनिक विभाग की 5 सड़कें हैं ।

1. जखनियाँ - गाजीपुर मार्ग
2. जखनियाँ - ऐरा मार्ग
3. जखनियाँ - दुल्लहपुर मार्ग
4. जखनियाँ - शादियाबाद मार्ग
5. जखनियाँ - सादात मार्ग
6. जखनियाँ - झोटना मार्ग

जखनियाँ में डाक व तार तथा टेलीफोन की स्थापना से इसका महत्व और बढ़ गया । व्यापारिक प्रतिष्ठान की संरचना ठीक वैसे ही है जिस प्रकार अन्य ग्रामीण सेवा केन्द्रों की होती है । व्यापारिक प्रतिष्ठानों का विशेषीकरण क्रमबद्धता नहीं है । दुकानों की स्थापना व्यक्ति के रूचि, पेशे एवं भूमि की उपलब्धता के कारण है ।

जखनियाँ में विकास परियोजनाओं की स्थापना से इसका महत्व बढ़ने लगा । सन् 1952 - 53 में विकास खण्ड एवं सहकारी संघ की स्थाना की गई जिसके माध्यम से कृषकों को, बीज, उर्वरक, कपड़ा, उपभोक्ता वस्तुओं का व्यवसाय एवं ऊसर सुधार हेतु योजनायें चलायी गई, जिससे लोग जखनियाँ को आकर्षित होने लगे । सहकारी संघ के माध्यम से 1971 में 326 कुन्तल 1980 में 131 कु0 तथा 1990 में 75 कु0 बीज का वितरण किया गया । ये बीज पूर्व में सवाई पर किसानों को वितरित किये जाते थे । ह्रास का मुख्य कारण किसानों के पास नये बीजों का न होना पंत नगर के बीजों की उपलब्धतता एवं घाटे के कारण सवाई के प्रति अरूचि रही है । सन् 1982 में संघ ने रू0 72,585.00 उर्वरक की बिक्री की जबकि सन् 1985 में रू0 1,64,275 तथा 1991 में मात्र 46,470.00 रूपये का व्यापार किया । संघ ने सस्ते दर से कपड़ा ग्रामीणों को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भमिका अदा की । सन् 1982 में 82247 रू0 का ग्रामीणों ने सस्ते दर पर कपड़ा खरीदा । 1991 में यह बिक्री बढ़ कर 583000 रू0 हो गई ।

साधन सहकारी समिति ने जखनियाँ को एक सेवा केन्द्र का रूप देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है । साधन सहकारी समिति कृषकों को खाद बीज, उर्वरक, चीनी, पाम आयल, कपड़ा, मिट्टी का तेल सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करा रही है । इसके अतिरिक्त उन्नतिशील कृषि यंत्रों की भी बिक्री की जाती है जिनमें हैण्डहो, पैडीथ्रेशर हल , विनोवा फैन, हसिया आदि प्रमुख है ।

विकास परियोजनाओं के साथ ही जखनियाँ में स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना से ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें प्रदान की जा रही है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सैंड़कों.कीसंख्या में मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं । स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के साथ ही बाजार में कई दवा की दुकानें खुल गयी हैं । मातृ शिशु कल्याण केन्द्र पर बच्चों को विभिन्न प्रकार के टीके लगाना एवं जच्चा - बच्चा की देखभाल की जाती है । इसी प्रकार पशुओं की चिकित्सा हेतु पशु चिकित्सालय की स्थापना सन् 1964 में जखनियाँ में की गई । जिसमें विभिन्न रोगों की चिकित्सा, टीका एवं नस्ल सुधार के कार्यक्रम चलाये जाते हैं । सन् 1971-72 में 19 गाय एवं 312 भैंसों को कृत्रिम गर्भाधान कराया गया । 1980 में क्रमशः 172 एवं 408 तथा 1990 में 441 एवं 593 कृत्रिम गर्भाधान कराया गया । इसी प्रकार बकरी मुर्गी की उन्नतिशील जातियों का गर्भाधान एवं चूँजे वितरित किये गये । 1972 में 206 बकरी एवं 215 मुर्गी के बच्चों की उन्नतिशील जातियाँ सुलभ करायी गई । 1990-91 में क्रमशः 124 एवं 900 की सुविधा उपलब्ध कराई गई । 1990-91 में 5499 पशुओं की चिकित्सा की गई जिनमें गला घोटू, लंगड़ी, पोंकनी, खुरपका एवं अन्य रोगों एवं बीमारियों का उपचार किया गया । इस केन्द्र पर अति हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान परियोजना चलायी जा रही है जिसमें जर्सी,फिजिसियन एवं मुर्रा भैंसे प्रमुख है ।

जखनियाँ को एक सेवा केन्द्र का रूप प्रदान करने में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है । जखनियाँ में 1977 से पूर्व बैंक सुविधा न होने से काफी परेशानी उठानी पड़ती थी क्योंकि यहाँ पर सड़क मार्ग द्वारा आवागमन सुलभ नहीं था । 1977 में यूनियन

बैंक एवं जिला कोआपरेटिव बैंक की स्थापना से कर्मचारियों एवं ग्रामीणों को काफी सुविधा हुई । जखनियाँ का विकास तीव्रगति से होने लगा । इन बैंकों ने व्यापारियों एवं किसानों को ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के अवसर प्रदान किये तथा किसानों को ट्रैक्टर, बीज, खाद पम्पिंग सेट हेतु ऋण उपलब्ध कराये । 1991 में जखनियाँ में एक उपकोषागार खुला जिससे ट्रेजरी संबंधी परेशानियाँ दूर हो गई । ट्रेजरी के अभाव में क्षेत्रीय जनता एवं सरकारी कर्मचारी गाजीपुर या सैदपुर जाते थे । जखनियाँ में विद्युत, सुरक्षा हेतु थाना, शिक्षण संस्थायें, गांधी आश्रम आदि की सुविधायें उपलब्ध हैं जिनसे आस पास के ग्रामीण अन्यत्र न जाकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति इसी केन्द्र से करते हैं । जखनियाँ में तहसील एवं पेयजलापूर्ति हेतु योजना प्रस्तावित है जिससे निकट भविष्य में ही सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी । इससे स्पष्ट होता है कि जखनियाँ एक सेवा के रूप में तीव्रगति से प्रगति कर रहा है ।

नियोजन :

1. जखनियाँ में प्राइवेट बसों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए । इसके साथ ही साथ रोडवेज की भी बसें चलनी चाहिए इससे यात्रियों को यातायात की समस्या हल हो जायेगी ।

2. जखनियाँ में पेय जलापूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए ।

REFERENCES

1. Singh, R.L. (1962) Meaning, Objective and Scope Settlement Geography.N.G.S.I., p. 12
2. Stone, K.H. (1965) " The Development of a Focous for the Geography of Settlement, " Economic Geography, 40 p.p. 346 - 353.
3. Yadav. J.R. (1979), " Rural Settlement and House Types in the Lower Ganga Doab " Unpublished Thesis for Ph.D. p. 32-65.
4. Singh, R.L. "Traditional Indian Chronology and C.11 Dates of Excavated Sites."
5. Mukherjee, R.K., " Hindu Civilization, London p.142.
6. Singh. R.L. (1955), " Evolution of Settlements in the Middle Ganga Valley " Nat. Geog. Jour., India p. 82.
7. Baden Powel, B.H., (1892) Land System of British India " vol. I London, p. 97.
8. Singh, R.B. (1974), "Pattern Analysis of Rural Settlement " Varanasi, N.G.S.I., Varanasi, Vol. 2. p.109
9. Singh Rana, P.B. & D.K. (1975), " Pattern Analysis of Rural Settlement distribution and their types in Plain". A Quantitative Approach in Singh R.L. and Singh K.N. (eds.) Reading in Rural Settlement Geography ", N.G.S.I. Varanasi p. 269.
10. I bid p. 269.
11. Doxiadis, C.A. (1968) " Ekistic. An Introduction to the Science of settlements oxford University. Press, New York, p. 33.
12. Ahmad, E., Rural Settlement types in Uttar Pradesh, Annals of the Association of American Geographer Vol. XIII, p.p. 223-246.

13. Keating, H.M. (1935), " Village Type and their distribution in Plain of Kotinghom, " Geog. 20. p.p. 283-294.

14. Singh, R.B. (1975), Rajput Clan Settlements in Varanasi Distt. Ph.D. Thesis, Pub. N.G.S.I. Varanasi p.31.

15. I bid, page-33.

16. Doxiadis, C.A., Op. Cit, Ref. 11.

17. Singh, R.L. (1955) Evolution of Settlement in the Middle Ganga Valley " N.G.S.I. (2) p. 82

18. Doxiadis, C.A.O.P. Cit Ref. 11, p.p. 32-33.

19. Singh, R.L. O.P. Cit, Ref. 17, p. 109-113.

20. Christaller, W., (1966) " Die Orte In Saddentsch Land : Gustah Fisher Jane, Transtation by C.M., Baskin, Prentice Hall, Inc. Eunglewood Clifts, N.J.

21. Singh, J. (1979), Central Places and Spatial Organization in Backward Economy : Gorakhpur : A Study in Integrated Regional Development, U.B.B.P., Gorakhpur.

22. Dube,Bechan & Singh, Mangla (1985) " Samanwit Gramin Vikas, Vishwavidyalay Prakashan, Varanasi, p. 66

23. Dubhashi, P.R. (1984 July 16-31) Sthanik Aayojana", Yojana; p.30.

24. सिंह, बी0बी0 (1983), ' गाजीपुर जनपद में केन्द्र स्थलों की भूमिका, उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, पेज 11.

25. I bid.

26. Verma, L.N. (1976), " Spatial Arrangement of Central Places on Rewa Plateav " in V.C. Misra et.al (eds) Essays in Applied Geography, Sagar University. p. 251.

27. I bid.

28. I bid.

29. B.J.L. Berry, (1969) " Policy Implications of an Urban Location Model for the Kanpur Region " in P.B. Desai et al (eds.) Regional Perspective of Industrial and Urban Growth : The case of Kanpur, Calcutta, Mc Millan Co. Ltd., p.p. 203-219.

30. R.P. Mishra. (1972) " Growth Pole Policy for Regional Development in India " in Balanced Regional Development : Concept, Strategy and Case Studies, T.B. Lahiri (ed.) Oxford and I.B.H. Publishing Co. New Delhi. p.p. 44-48.

31. Singh, K.N., (1966), " Spatial pattern of Central Places in Middle Ganga Valley of India " The National Geographical Journal, India 11, pp.218-226.

32. Singh, O.P. (1971), " Towards Determining Hierarchy of Service Centres : A methodology For Central Place Studies " The National Geographical Journal India 17.

33. Godlund. S. (1951) " Bus Service Hinterlands and the Location of Urban Settlements in Scania " Lund Studies in Geography, Series B, " Human Geography "Vol. III,

34. Singh, J. OP. Cit, Ref. 21.

अध्याय - षष्ठम्

ग्रामीण विकास सुविधायें

ग्रामीण विकास :

ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को सुधारना तथा उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है ।[1] भारतीय योजनाओं में ' सामाजिक न्याय ' पर विशेष बल दिया गया है । फिर भी छठवीं योजना में यह स्वीकार किया गया कि लगभग 50.0% जनसंख्या बहुत दिनों से गरीबी रेखा के नीचे जी रही है ।[2]

गरीबी उन्मूलनार्थ सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर कई प्रकार के प्रयास किये गये । इन प्रयासों के पीछे मूल भावना यह रही है कि धीरे - धीरे सत्ता को पूँजीवादी शाक्तियों के हाथों से निकालकर समाजवादी समाज का निर्माण किया जाय ताकि प्रत्येक नागरिक को खाने तथा कमाने का समान अवसर उपलब्ध हो सके और गरीब एवं अमीर के बीच खाई पट सके । जिसके लिए समय - समय पर कई सामाजिक, आर्थिक प्रयत्न एवं परिवर्तन किये गये ।

समाजवाद, सहकारिता, भूमिसुधार प्रीवीपर्स की समाप्ति बैंको का राष्ट्रीयकरण तथा अनेक ग्रामीण योजनाओं के आरम्भ का उद्देश्य ग्रामीण विकास रहा है । गरीबी को हटाने के लिए कृषि एवं उद्योग के आधार को मजबूत बनाने के लिए हरित क्रान्ति लाई गई, लघु एवं कुटीर उद्योगों को महत्व दिया गया । उद्योगों में श्रमिक भागेदारी तथा निम्नतम मजदूरी को लागू किया गया एवं गरीबों को ऋण तथा अनुदान भी दिये गये ।[3]

स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने 7 जुलाई 1975 को निर्धनता रेखा के नीचे जीवन बिताने वाले लोगों की भलाई को ध्यान में रखकर बीस सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की । लगभग 7 वर्ष बाद 14 जनवद 1982 को इसे संशोधित किया गया और कुछ छोड़कर कुछ नये सूत्र जोड़े गये । इस कार्यक्रम में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की अतिरिक्त व्यवस्था करने तथा बागानी खेती पर बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया ।

इसके अलावा तिलहन एवं दलहन के उत्पादन में वृद्धि करने पर जोर दिया गया । भूमि सुधार को कड़ाई से लागू करना,फालतू भूमि का भूमिहीन लोगों में वितरण, कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करना, बंधुआ मजदूरी समाप्त करना तथा मुक्त किये गये मजदूरों का पुनर्वास, पानी की कमी वाले गाँव में स्वच्छ पेय जल की सप्लाई, गाँवों में बिजली पहुँचाना, गाँव वालों की कठिनाइयाँ कम करने के लिए बायो गैस तथा ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक साधनों का विकास, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना आदि ग्रामीण विकास कार्यक्रम उल्लेखनीय है ।[4]

आर्थिक दौर्बल्य निवारणार्थ एवं ग्रामीण विकासार्थ चालू विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अन्त्योदय योजना, काम के बदले अनाज योजना, निर्बल वर्ग आवास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवक प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम), सूखा बाहुल क्षेत्र कार्यक्रम और मरूस्थल विकास कार्यक्रम आदि प्रमुख हैं ।

योजनाकारों एवं राजनीतिज्ञों का प्रयास है कि 1995 तक निर्धनता की रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीणों का प्रतिशत 10 से अधिक न हो ।[5]

भारत में ग्राम्य विकास के कुछ प्रारम्भिक प्रयोग

19 वीं शताब्दी के अन्तिम दशकों और 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में राजनैतिक और सामाजिक चेतना भारत की चिंतन का अंग बन गई थी । विचारक देशभक्त भारतीय और अंग्रेजों में उदार राजनैतिक धारा के लोग अपने - अपने दृष्टिकोण से भारत की स्वतंत्रता और स्वशासन के साथ - साथ आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर भी विचार करने लगे थे । स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के तुरन्त बाद ग्राम्य सुधार के कुछ विशिष्ट प्रयोग किये गये जो इस चिंतन को व्यवहारिक स्वरूप देने के प्रयास की ओर संकेत करते हैं । अंग्रेजी शासन की कोई निश्चित नीति न होते हुए भी स्थानीय तौर पर कुछ अंग्रेज

प्रशासनिक अधिकारियों, इंजीनियरों तथा अन्य विशेषज्ञों ने, जो जन भावना से प्रेरित थे, विशेषकर जो आयरलैंड या स्काटलैंड के मूल निवासी थे, गाँवों की दशा सुधारने के कुछ छुट-पुट प्रयास किये । इनमें गुड़गाँव (तत्कालीन पंजाब प्रान्त का एक जिला) के कलेक्टर (श्री एफ0 एल0 ब्रेन) का प्रयोग उल्लेखनीय है ।

गुड़गाँव प्रयोग :

जैसा फिलिप वुडरफ ने अपनी किताब ' दि मेन हू रूल्ड इंडिया ' में लिखा है, ' प्रत्येक कमिश्नर, प्रत्येक कलेकटर का अपना शौक था । ' अंग्रेज शासकों के शौक की बहुत - सी कहानियाँ हर जिले और क्षेत्र में प्रचालित हैं । ब्रेन का ग्राम्य सुधार कार्यक्रम (1927) जो आरम्भ में मजाक या सनक का विषय माना जाता था , 1930 तक फैशन बन गया । कार्यक्रम के मुख्य मद गोबर के ढ़ेर गाँव के बाहर रख कर खाद तैयार करना, सड़कों को साफ रखना, खिड़कियों को खुला रखना, हरी खादों का उपयोग, उन्नतिशील बीजों की ओर विशेष ध्यान, सहकारिता और भूमि सुधार इत्यादि अन्य क्षेत्रों में भी प्रचलित हुए ।

ब्रेन का ग्राम पुनर्निमाण का कार्य भारत के पुराने सिद्धान्तों और परम्पराओं को पुनः स्थापित करने पर आधारित था जिसके मूल मंत्र थे कि लोग कठिन परिश्रम करें सादा जीवन बितायें, स्वयं पर नियंत्रण रखें, अपनी सहायता स्वयं करें और परस्पर सहयोग और सद्भावना से कार्य करें ।

जिन चार आधार बिन्दुओं पर श्री ब्रेन ने अधिक बल दिया वह थे

1. स्थायी सुधार के लिए ग्राम्य संगठन जैसे गाँव पंचायत, ।
2. प्रगतिशील लोगों द्वारा उदाहरण स्थापित करना ।
3. लोगों की ज्ञान-वृद्धि , तथा
4. सभी नागरिकों के हित में निजी हितों की कुर्बानी करने की भावना और सेवा वृत्ति ।

श्री ब्रेन का यह प्रबल मत था कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा ग्राम्य विकास की स्थायी प्रगति संभव नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता सीमित है और वह सबसे पिछड़े वर्ग के प्रति उदासीन होते हैं ।

कुछ कमियों के होते हुए भी गाँवों में चेतना और जाग्रति पैदा करने का यह एक ऐसा प्रयास था, जो भविष्य के कार्यक्रमों के लिए पद चिन्ह छोड़ गया ।

सेवाग्राम प्रयोग :

महात्मा गाँधी ने अपना ग्राम स्वराज का स्वप्न साकार करने हेतु 1935 में सेवाग्राम प्रयोग जो वर्धा ग्राम उत्थान कार्यक्रम के नाम से प्रचालित है आरम्भ किया । गाँधी जी का यह प्रयोग टालस्टाय के रूस में प्रयोगों और उनके द्वारा पारित सिद्धान्तों तथा गाँधी जी के दक्षिण भारत के प्रयोगों पर आधारित था । इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम मुख्य रूप से लिये गये -

1. खादी का उपयोग,
2. ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता,
3. ग्रामीण उद्योग,
4. बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा,
5. छूआ - छूत मिटाना
6. साम्प्रदायिक सद्‌भावना
7. शराब एवं अन्य मादक वस्तुओं पर रोक,
8. महिला उत्थान
9. राष्ट्रभाषा प्रसार

गाँधी जी के गाँव का स्वप्न एक ऐसे गांव का था जो दूसरे गाँवों या नगरों पर दिन - प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए निर्भर न हों, जो एक राष्ट्र का अंग होते हुए भी अपने में स्वयं पूर्ण गणतांत्रिक इकाई हो, जो अपना प्रशासन स्वयं सबकी सहमति

से चला सके । गाँधी जी के कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा का विशेष स्थान था ।

श्री निकेतन प्रयोग :

गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर महान दार्शनिक और कवि थे । उनका जीवन दर्शन और दृष्टिकोण गांधी जी से कुछ सीमा तक अलग था । उनके अनुसार गाँवों की गरीबी मिटाना ही काफी नहीं था, उनके जीवन में खुशी भरना भी उतना ही आवश्यक था । 1921 में उन्होंने श्री निकेतन संस्थान स्थापित किया जिसके माध्यम से उन्होंने अपने जीवन दर्शन के अनुसार ग्राम्य उत्थान का प्रयोग किया । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सुन्दर गाँवों की कल्पना थी जो सुखी एवं सम्पन्न भी हों । कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप देने के लिए यह व्यवस्था की गई कि संस्थान गांव वालों को उनकी समस्या हल करने में सहायता दें, उनकी समस्याओं पर चिंतन करें, उनका विश्लेषण करें । श्री निकेतन की कल्पना में गांव का मार्ग दर्शन समाज के सांस्कृतिक और कलात्मक परिप्रेक्ष्य में निहित था ।

बड़ौदा प्रयास :

सीधे प्रशासन द्वारा राज्य की सहायता से ग्राम्य विकास हेतु चलाया गया यह पहला सुनियोजित प्रयास था । 1932 में बड़ौदा रियासत के महाराजा ने अपने राज्य में ग्राम्य पुनर्निर्माण एवं उत्थान की एक योजना रियासत के तत्कालीन दीवान श्री वी0 टी0 कृष्णमाचार्य की देख - रेख में आरम्भ की । कार्यक्रम के मुख्य अंग यातायात के साधन विकसित करना, पीने के पानी की सुविधा जुटाना, उन्नतशील बीजों का फसलों में उपयोग, चरागाहों का विकास (जिससे पशुधन का विकास हो) कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण, सहकारी समितियों एवं पंचायतों का गठन तथा ग्रामीण स्कूलों का इस प्रकार पुनगर्ठन शामिल था जिससे वह कृषि के विकास में सहायक हो सकें । राज्य के प्रत्येक जिले में 20-25 गाँवों का एक क्षेत्र सघन विकास के लिए चुना गया और प्रत्येक क्षेत्र में एक स्नातक युवक प्रसार कार्य के लिए नियुक्त किया गया । वर्ष 1942 -43 तक इस प्रकार के सघन क्षेत्रों की संख्या 24 हो गई ।

इस कार्यक्रम की विशेषता यह थी कि इसे न केवल राज्य की ओर से चलाया जा रहा था (जैसा शेष भारत में 20 वर्ष बाद हुआ), बल्कि कार्यक्रम को सुदृढ़ आधार देने के लिए कई आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर कानून भी बनाये गये, जिनमें चकबन्दी और कर्ज व्यवस्था सम्बन्धी कानून शामिल थे ।

सहकारिता आन्दोलन :

एफ. निकोल्सन मद्रास के नागरिक थे भारत में ऋण ग्रस्तता को समाप्त करने के लिए उन्होंने सहकारिता के स्थापना के लिए प्रयास करना आरम्भ किया ।

1895-97 तक उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया, जिसमें सहकारी ऋण समितियों पर बल दिया गया । 1904 में सहकारी ऋण समिति एक्ट पास हुआ और वास्तव में इसी के साथ भारत में सहकारी आन्दोलन आरम्भ हुआ । भारतीय ग्रामीण समुदाय में सबसे बड़ी आर्थिक समस्या ऋण ग्रस्तता की थी जिसे हल करने के लिए सहकारिता आन्दोलन किया गया ।

इस प्रकार कहा जाता है कि ग्रामीण समुदाय के विकास में यह सबसे प्रथम प्रयास था ।

भारतण्डम् योजना

केरल राज्य में त्रिवेन्द्रम से 25 किमी0 दक्षिण भारतण्डम् में भारतीय यंग मेन क्रिश्चियन एसोशियन ने एक योजना चलायी डा0 स्पेन्सर हेन इसके संचालक थे ।

उद्देश्य :

ग्रामवासियों का अत्याधिक मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था । साथ ही साथ मनोरंजन के द्वारा लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का काम कम था ।

निष्कर्ष : इस योजना को बहुता कम सफलता मिली ।

ग्राम्य विकास योजना :

ग्रामय विकास योजना 1935 - 36 में भारत सरकार ने गांवो के विकास के लिए राज्यों को एक करोड़ रूपये का अनुदान दिया । इसी प्रेरणा से यह कार्यक्रम चलाया गया । इसके अन्तर्गत ग्रामोद्योग का विकास ग्राम यातायात सुधार ग्रामीण स्वास्थ्य एवं मनोरंजन तथा कृषि विभाग पर बल दिया गया ।

भारतीय ग्राम्य सेवा योजना :

इस आन्दोलन को उत्तर प्रदेश के जिलों में चलाया गया था । इसमें भारतीय ग्राम सेवा साथियों आदि को संगठित किया गया और दृश्य श्रव्य साधनों तथा प्रदर्शनी का पर्याप्त उपयोग कर कार्यक्रम चलाया गया ।

कार्यक्रम के उद्देश्य :

1. शिक्षा तथा कृषि उत्पादन पर बल ।
2. स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यक्रम ।
3. मनोरंजन के कार्यक्रम ।
4. उद्योगों का विकास ।
5. प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम ।
6. गृह निर्माण का प्रशिक्षण ।

उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग की स्थापना 1937 में हो गई थी परन्तु 1937 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद इसे ठोस रूप देने का प्रयास किया गया । गाँवों के बहुमुखी विकास के लिए शिक्षा, जनस्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, आवास, जच्चा - बच्चा कल्याण, कुटीर उद्योग, प्रौढ़ शिक्षा कृषि और पशुपालन के क्षेत्रों में समन्वित विकास का लक्ष्य रखा गया ।

स्वतंत्र भारत के प्रारम्भिक प्रयोग

स्वतंत्रता मिलने के समय या उसके तुरन्त बाद जिन तीन प्रयोगों को बाद की सामुदायिक विकास योजना, प्रसार विकास कार्य तथा ग्राम विकास कार्यक्रमों को अग्रणी कहा जा सकता है वह थे :

1. तत्कालीन मद्रास प्रान्त की फिरका विकास योजना,
2. नीलोखेरी (पंजाब) की शरणार्थी पुनर्वास योजना,
3. इटावा (उत्तर प्रदेश) की महेवा अग्रगामी योजना ।

फिरका योजना :

यह योजना मद्रास राज्य में 1946 में कार्यान्वित हुई थी । महात्मा गाँधी के आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके यह योजना चलाई गई थी । इसके अन्तर्गत निम्न पाँच प्रकार की सेवायें थी ।

1. कृषि तथा ग्राम उद्योग ।
2. स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा गृह निर्माण ।
3. ग्रामीण शिक्षा ।
4. ग्राम संगठन ।
5 ग्रामीण संस्कृति का विकास ।

विकास के लिए चुने हुए फिरके :

प्रशिक्षित ग्राम कल्याण अधिकारियों के अधीन रखे जाते थे । इस योजना के कार्यकर्ता ग्राम सेवक, समाज सेवक, तथा स्वयं सेवक थे ।

सरकार द्वारा प्रदत्त बहुत थोड़ी सी वित्तीय सहायता का स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रयोग किया गया । यह योजना जलपूर्ति तथा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने में सफल रही ।

1946 में यह कार्यक्रम प्रान्त के 34 फिरकों में आरम्भ हुआ । 1950 तक प्रत्येक जिले में दो फिरकों के हिसाब से 50 फिरके और बढ़ा दिये गये । इनमें लघुकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों प्रकार की योजनायें थी । यातायात सुविधा, जलपूर्ति, सहकारिता सफाई, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना तथा खादी एवं ग्राम उद्योग इसके प्रमुख कार्यक्रम थे ।

नीलोखेरी परियोजना :

भारत के विभाजन के समय देश के सामने सबसे बड़ी और गम्भीर समस्या पाकिस्तान से आने वाले लाखों शरणार्थियों को बसाने, उन्हें जीविका देने और आर्थिक व्यवस्था को स्थिर करने की थी । भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय के अंतर्गत 1947 में करनाल जिले (तत्कालीन पंजाब) में नीलोखेरी स्थान पर शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु एक छोटा शरणार्थी पुर्नवास केन्द्र स्थापित किया गया, जिसकी व्यवस्था श्री एस0 के0 डे, जो एक इंजीनियर थे, और बाद में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रथम प्रशासक तथा अंत में केन्द्रीय राज्य मंत्री बने , के सुपुर्द हुई । 1100 एकड़ क्षेत्र में लगभग 7000 शरणार्थियों को बसाने की योजना थी । योजना का आधार (काम करके कमाओं, तब खाओ' सिद्धान्त था और इसी परिप्रेक्ष्य में इसे ' मजदूर मंजिल ' का नाम दिया गया ।

नीलोखरी बस्ती, जो ' विकास केन्द्र बिन्दु के रूप में संगठित की गई, में अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधायें सृजित की गई तथा सामाजिक सेवाओं से सम्बन्धित संस्थायें स्थापित की गई ।

नीलोखेरी प्रयोग कई अर्थों में महत्वपूर्ण था । परियोजना की अपनी डेरी थी, मुर्गीखाना था, सुअर पालन योजना थी, छापाखाना था और अन्य कई संस्थायें थीं जो सभी सहकारी संस्थाओं के रूप में कार्यरत थीं । एक वर्कशाप भी था तथा प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था थी । लगभग 750 एकड़ दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाया गया और लगभग 1200 को उद्योगों में लगाया गया । धीरे - धीरे यह परियोजना वित्तीय रूप से

आत्मनिर्भर हो गई और सरकार पर इसका भार नहीं रहा ।

यद्यपि यह एक सीमित नियंत्रित प्रयास था फिर भी यह अपनी प्रकार का पहला बहुउद्देशीय समन्वित कार्यक्रम था जो सहकारी आधार पर चलाया गया ।

अग्रग्रामी विकास परियोजना, महेवा (इटावा) :

प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के सुझाव पर प्रदेश के ग्रामीण विकास को सुनियोजित कार्यक्रम निर्धारित करने और कार्यक्रम को चलाने के लिए सुनिश्चित प्रभावशाली प्रशासनिक ढाँचों को विकसित करने के लिए अमरीकन विशेषज्ञ श्री एलबर्ट मायर को उत्तर प्रदेश सरकार का नियोजन एवं विकास सलाहकार नियुक्त किया गया । 1948-49 में इटावा जिले के 64 गाँवों में अग्रगामी विकास परियोजना आरम्भ की गई । धीरे - धीरे परियोजना में नये कार्यक्रम और नये क्षेत्र शामिल किये गये । मुख्य उद्देश्य नये प्रयोग करना उनका मूल्यांकन करना और जिन कार्यक्रमों को जनता अपना ले और लाभकारी हो उनका सघन प्रसार करना था । 9156-57 तक इस परियोजना के अन्तर्गत तीन विकास क्षेत्र (महेवा, अजीतमल और भाग्यनगर) जिनमें 370 राजस्व ग्राम जो 280 गाँव सभाओं में संगठित थे स्थापित हो गये । इस क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 3.50 लाख थी । मई 1954 में विकास अन्वेषणालय लखनऊ में स्थापित हुआ । महेवा अग्रगामी विकास योजना इस अन्वेषणालय की प्रमुख प्रयोगशाला बन गई यद्यपि अन्य कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट प्रयोग भी चलाये गये । उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास के कार्यक्रमों और प्रशासनिक ढाँचे में इस प्रयोग का विशेष योगदान रहा है ।

श्री एलबर्ट मायर के शब्दों में परियोजना का आधारभूत रूप इस उद्देय से प्रेरित था कि गाँव के लोगों के दृष्टिकोण और विचारों में परिवर्तन किया जाये जिससे कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु आवश्यक वातावरण बने । कार्यक्रम का उद्देश्य तत्कालीन पिछड़े और गतिहीन गाँवों को गतिशील प्रगति के पथ पर अग्रसित ग्रामीण समुदाय में परिवर्तित करना था ।

कुछ समय कार्य करने के बाद परियोजना प्रशासन इस नतीजों पर पहुँचा कि :

1. गाँवों में विकास कार्य की इकाई अलग - अलग विभागीय कार्यक्रम न होकर, पूरा गाँव समन्वित विकास कार्य की इकाई हो ।

2. गाँव एक समुदाय के रूप में हैं । अधिकतर लोग लघु एवं सीमान्त कृषक या कृषि मजदूर की श्रेणी में है । केवल वही कार्यकर्ता उनका विश्वास पात्र बन सकता है जो उनसे बहुधा मिलकर उनकी दिन - प्रतिदिन की आवश्यकतायें पूरी करने में उनकी सहायता करें ।

3. किसानों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराना ।

क्षेत्र की क्षमता और आवश्यकताओं को देखते हुए, परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य रखे गये -

(1) कृषि के नये शोध कार्यों का लाभ उठाते हुए क्षेत्र में फसल सघनता बढ़ाना तथा कृषि की उन्नतिशील विधियों को अपनाना । विशेष बल उन्नत कृषि यंत्र का फसलों में उपयोग तथा प्रसार, सिंचाई की संतुलित व्यवस्था, उर्वरक का उपयोग, फसल सुरक्षा, भूमि व जल संरक्षण तथा बीहड़ सुधार पर दिया जाये ।

(2) कृषि फसल चक्र में नकदी फसलों का क्षेत्र तथा उत्पादिता बढ़ाना ।

(3) ग्रामीण युवकों को युवक प्रसार कार्यक्रम के माध्यम से संगठित करके विकास कार्यों की ओर प्रेरित करना तथा स्वतः रोजगारों में लगाना जैसे सब्जी उत्पादन, बकरी व बछिया पालन, मुर्गी पालन, रेशम के कीड़े पालना ।

(4) पंचायतों, सहकारी समितियों, स्कूलों तथा अन्य जन संस्थाओं को सुदृढ़ करना जिससे वह विकास कार्यों में पूरा योगदान दे सकें ।

(5) कृषि से सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमों जैसे पशु - पालन, मत्स्य - पालन को बढ़ावा देना ।

(6) ग्रामीणों में आत्मनिर्भरता की चेतना का सृजन ।

कार्यक्रम

1. ऊसर भूमि का सुधार ।
2. भूमि संरक्षण ।
3. कृषि प्रदर्शन ।
4. स्वच्छ जलपूर्ति.
5. सड़क निर्माण ।

ग्राम्य विकास का मूल प्रशासकीय ढाँचा और व्यवस्था

सामुदायिक विकास का आरम्भ :

2 अक्टूबर 1952 को जो 55 सामुदायिक विकास क्षेत्र स्थापित किये गये, उनमें प्रत्येक क्षेत्र में लगभग 2 लाख की जनसंख्या और 300 गाँव थे । प्रत्येक क्षेत्र तीन परियोजना उपक्षेत्रों में विभाजित था । पूरे देश में स्थापित इन 55 सामुदायिक क्षेत्रों में से 6 क्षेत्र उत्तर प्रदेश में थे । 1953-54 में 53 सामुदायिक क्षेत्र पूरे देश में खोले गये । सामुदायिक विकास कार्यक्रम गाँवों के लिए पहला समन्वित कार्यक्रम था ।

कार्यक्रमों को फैलाने के लिए ' राष्ट्रीय प्रसार सेवा ' कार्यक्रम बनाया गया । प्रत्येक राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड (ब्लाक) में लगभग 66,000 जनसंख्या और 100 गाँवों का क्षेत्र रखा गया ।

1963 तक भारत के सभी क्षेत्रों में विकास खण्ड स्थापित किये जा चुके थे । सामुदायिक विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य करने का लक्ष्य रखा गया था

क. **कृषि एवं संबंधित कार्यक्रम ।**

ख. **यातायात के साधनों का विकास ।**

ग. शिक्षा का विकास ।

घ. स्वास्थ्य सुविधायें ।

ड. प्रशिक्षण व्यवस्था ।

च. रोजगार के अवसर बढ़ाने के उपाय ।

छ. नगरों में आवासों की उपलब्धि की सुविधा उपलब्ध कराना ।

झ. सामाजिक सेवायें जिनमें सामुदायिक मनोरंजन दृश्य श्रव्य सामग्री का उपलब्धता, खेलकूद एवं सुविधायें इत्यादि शामिल हैं ।

ज. नई सहकारी समितियों का गठन और पुरानी समितियों का सुदृढ़ीकरण जिससे इनका लाभ क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को मिल सके ।

प्रसार खंडों में विशेष जोर निम्नलिखित तीन मुद्दों पर दिया गया -

1. ग्राम्य जीवन के सभी पहलुओं और उसके विकास से संबंधित कार्यक्रमों को लिया जाना चाहिये यद्यपि आवश्यकतानुसार कुछ कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया जा सकता है ।

2. ग्रामीण कार्यक्रमों और विकास के लिए वहाँ के रहने वालों को स्वयं अपने प्रयत्नों से प्रगति की ओर आगे आना चाहिए ।

3. ग्राम्य जीवन की सभी समस्याओं को हल करने के लिए सहकारी सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिये ।

विकास खण्ड स्तर :

विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी को सभी कार्यों की जिम्मेदारी दी गई ।

जिला स्तर :

जिला स्तर पर समन्वय और मार्गदर्शन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की थी ।

मंडल स्तर :

मंडल स्तर पर मंडलायुक्त के नेतृत्व में मंडलीय विकास अधिकारियों की टोली बनी जिनके दिन - प्रतिदिन के समन्वय ओर सामंजस्य की जिम्मेदारी मंडल में नियुक्त उप/संयुक्त विकास आयुक्त की निश्चित की गई ।

राज्य स्तर पर :

राज्स स्तर पर पदेन मुख्य सचिव की नियुक्ति ।

अखिल भारतीय स्तर :

अखिल भारतीय स्तर पर सामुदायिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन निश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति स्थापित की गई थी ।

अन्तर्विभागीय समन्वय :

नई व्यवस्था राज्य स्तर से गाँव स्तर तक इस स्थिति को सुधारने का पहला सुनियोजित प्रयास था ।

क्षेत्रीय विकास :

इस प्रशासनिक व्यवस्था के पीछे मूल सिद्धान्त क्षेत्रीय विकास था । गाँव क्षेत्रीय विकास की सबसे छोटी - परन्तु महत्वपूर्ण इकाई मानी गई, जहाँ विकास के सभी कार्यक्रम समन्वित ढंग से पूरे गाँव, गाँव के सभी रहने वालों की प्रगति और उन्नति के लिए चलाने का प्रयास किया गया ।

ग्राम सेवक :

ग्राम सेवक एक बहुधन्धी कार्यकर्ता के रूप में कृषि विकास को शीघ्र प्राथमिकता देता था, परन्तु सहकारी समितियों के कार्य से भी वह संबद्ध था ।

महिला व युवक कार्यक्रम :

महिला और युवक कार्यक्रम भी सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित किये गये ।

विकास केन्द्र बिन्दु :

सिद्धान्त रूप से विकास खण्ड स्तर संबंधित विकास कार्यो का केन्द्र बिन्दु था ।

ग्राम्य विकास के बाद के विशेष कार्यक्रम

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम :

पाँचवी राष्ट्रीय योजना में प्रथम बार गरीबी हटाने के स्पष्ट राष्ट्रीय उद्देश्य की घोषणा भी की गई । यह लक्ष्य रखा गया कि ग्रामीण जनसंख्या के सबसे निर्धन 30 प्रतिशत लोगों की आय बढ़ाकर उनकी प्रतिमास खपत में वृद्धि की जाये । इस खपत में वह सभी मद शामिल थे जिन पर उसको धन खर्च करना पड़ता था जैसे आहार, कपड़ा, मकान, सामाजिक सेवायें । इस परिप्रेक्ष्य में यह लक्ष्य रखा गया कि निम्नलिखित आधारिक न्यूनतम आवश्यकतायें जनता को अवश्य उपलब्ध कराई जायें -

1. सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा और कम से कम 60 प्रतिशत बच्चों की कक्षा 8 तक शिक्षा ।
2. गाँवों में सभी लोगों को पेयजल की सुविधा ।
3. ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक 80,000 से 1,00,000 आबादी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्रत्येक 8,000 से 10,000 आबादी के लिए उप स्वास्थ्य केन्द्र ।
4. ग्रामीण जनसंख्या के कम से कम 40 प्रतिशत भाग को विद्युत उपलब्ध करना ।
5. नगरीय क्षेत्रों में मलिन बस्तियाँ समाप्त करना या सुधार करना ।
6. पौष्टिक आहार की सुविधा महिलाओं और बच्चों तक पहुँचाना ।
7. भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल उपलब्ध कराना ।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

यह कार्यक्रम देश में 1978-79 में प्रारम्भ किया गया और 2 अक्टूबर 1980 से इसे देश के सभी विकास खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है । इस कार्य के लिए

50 प्रतिशत सहायता केन्द्र द्वारा दी जाती है । कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि गाँव के निर्धन परिवारों (बेरोजगार और अर्द्ध बेरोजगार परिवारों) विशेष कर लघु एवं सीमान्त कृषक तथा भूमिहीन मजदूरों को अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराकर उन्हें ' गरीबी की रेखा ' से ऊपर लाया जाये । प्रत्येक विकास खण्ड में प्रत्येक वर्ष 600 परिवारों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के परिवार हों । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल वहीं परिवार सम्मिलित किये जा सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 3500 रूपये से कम हों । कृषि , लघु सिंचाई, पुशपालन, उद्योग तथा व्यवसाय सम्बन्धी कार्यक्रम, जिनसे परिवार की आय बढ़ सके । लघु कृषकों को परियोजना की कुल लागत का 25 प्रतिशत और सीमांत कृषकों, भूमिहीन मजदूरों और दस्तकारों को 33 1/8 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । जनजाति के परिवारों को अनुदान की दर 50 प्रतिशत है । अनुदान की सीमा सामान्य क्षेत्र में 3000 रू0, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए 4000 रू0 और जनजाति क्षेत्रों के लिए 5000 रू0 रखी गई है । इस कार्यक्रम में विशेष भूमिका व्यवसायिक और सहकारी बैंकों की है, जो प्रत्येक परिवार को विशिष्ट परियोजना के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं ।

स्वतः रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण (ट्राइसेम) :

देश में बढ़ती बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए 1979-80 में पूरे देश में 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर यह योजना एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के सहायतार्थ शुरू की गई । योजना के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों तथा ग्रामीण दस्तकारों के परिवारों के ऐसे नवयुवक नवयुवती सदस्यों को जिनकी आयु सामान्यतः 18 से 35 वर्ष के मध्य हो तथा जो गरीबी की निर्धारित रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हों, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतः रोजगार के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण देकर स्थानीय संसाधनों पर आधारित उचित उद्योग धन्धे एवं व्यवसाय तथा सेवाओं में लगाने का कार्यक्रम है । उत्तर प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत प्रति

विकास खण्ड 40 प्रशिक्षार्थियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम :

यह कार्यक्रम अक्टूबर 1980 में ' काम के बदले अनाज ' जो वर्ष 1977-78 में शुरू किया गया था, के स्थान पर चलाया गया । इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य थे

1. ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार तथा अर्द्धरोजगार स्त्री और पुरूषों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, तथा ।

2. स्थानीय आवश्यकता की स्थायी परिसम्पत्तियाँ रोजगार के अवसरों के माध्यम से सृर्जित करना ।

पहले वर्ष भारत सरकार ने इस कार्यक्रम का शत-प्रतिशत खर्च वहन किया । वर्ष 1981-82 से भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों 50-50 प्रतिशत खर्च वहन करने लगीं । छठीं राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम की व्याख्या करते हुए कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या मुख्यतः अर्द्ध रोजगार और अकृषि मौसम में रोजगार न मिलने की है । इस कार्यक्रम की एक विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत मजदूरी की दर निर्धारित न्यूनतम कृषि मजदूरी से कम नहीं हो सकती और मजदूरी का एक अंश अनाज के रूप में दिया जाना जरूरी है । यह भी अपेक्षित है कि ठेकेदारों द्वारा कार्य न कराया जाये । सामाजिक वानिकी, चरागाह विकास, भूमि व जल संरक्षण, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, तालाब, स्कूल और चिकित्सालय भवन निर्माण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई । यह इंगित किया गया कि कुल परिव्यय का न्यूनतम 10 प्रतिशत अनुसूचित जातियों पर खर्च किया जायेगा जैसे हरिजन पेयजल कूप, हरिजन बस्तियों में स्वच्छता और हरिजन परिवारों को आवास स्थल ।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना :

यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का अंग है । कुछ वर्ष पूर्व से महाराष्ट्र सरकार एक ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम चला रही है जिसके माध्यम से प्रत्येक

परिवार के एक सदस्य को उसके जिले में रोजगार की गारन्टी है । भारत सरकार ने यह कार्यक्रम केन्द्रीय पोषित योजना के रूप में 100 प्रतिशत अनुदान के आधार पर 1983-84 में राज्यों को स्वीकृत किया । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रत्येक परियोजना भारत सरकार को प्रेषित करनी पड़ती है । केन्द्र से अनुमोदन होने और धनराशि अवमुक्त होने पर ही कार्य लिया जाता है ।

लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता :

लघु एवं सीमान्त कृषकों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1983-84 में यह नई योजना सभी एकीकृत विकास खण्डों में आरम्भ की गई । इस योजना के मुख्य कार्यक्रम लघु सिंचाई, दलहनी और तिलहनी बीजों व उर्वरक के मिनिकिट वितरण, फल तथा ईंधन के पेड़ों का लगाना, नर्सरी लगाना तथा भूमि विकास हैं । केन्द्र द्वारा पूर्व निर्धारित इस योजना हेतु प्रति विकास खण्ड 5 लाख रूपये परिव्यय निर्धारित किया गया । योजना का आधा खर्च राज्य योजना के परिव्यय से किया जाता है । इस योजना की सहायता शर्तें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की ही हैं ।

अन्य विशेष कार्यक्रम

अन्य विशेष कार्यक्रम जो ग्राम्य विकास के संदर्भ में चलाये जा रहे हैं वह हैं :

1. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का उत्थान ।
2. राष्ट्रीय बायो गैस विकास परियोजना ।
3. हरिजन पेयजल योजना ।
4. निर्बल वर्ग आवास कार्यक्रम ।
5. धुआँ रहित विकसित चूल्हा कार्यक्रम ।

उपरोक्त सभी कार्यक्रम पूरे देश में वृहत् आकार में चलाये जा रहे हैं ।

गाजीपुर जिले के विकास में व्यापक परिस्थितियाँ

1. जनपद के विकास में प्राकृतिक परिस्थितियाँ भी अवरोधक हैं, जनपद में कभी भीषण वर्षा से बाढ़ का प्रकोप हो जाता है तो कभी अनावृष्टि के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । इस जिले का यह इतिहास रहा है कि हर दस साल पर सूखा तथा हर तीसरे साल पर बाढ़ का प्रकोप होता है । परिणाम स्वरूप जिले का विकास नहीं हो पाता है ।

2. कच्चे माल तथा खनिज पदार्थों का अभाव :

जनपद में कोई भी ऐसा स्थान नही है जिसमें किसी भी स्थान पर कच्चे तथा खनिज पदार्थों की अधिकता हो, जिसके कारण किसी प्रकार के उद्योग धन्धे चलाने में कठिनाई होती है ।

3. बिजली की कमी :

यों जनपद में कोई बड़े उद्योग - धन्धे नहीं है, जो भी उद्योग धन्धे जनपद में चालू हैं वे छोटे पैमाने में तथा छोटे स्तर के हैं फिर बिजली की आपूर्ति समुचित नहीं हो पाती है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक विकास मन्द है ।

4. डीजल की कमी :

डीजल की आपूर्ति समुचित मात्रा में जनपद में नहीं हो पाती है, फलस्वरूप जो कार्य डीजल चालित है उनका उपयोग पूर्ण क्षमता के अनुसार नहीं हो पाता है ।

5. निमार्ण सामग्री का अभाव :

यह देखने में आता है कि गाजीपुर में निर्माण सामग्री जैसे सीमेन्ट, करकट, सीमेन्ट सीट आदि का अभाव रहता है । फलस्वरूप निर्माण कार्य नही हो पाते हैं जो जनपद के विकास में अवरोध उत्पन्न करता है ।

6. जिले की स्थिति :

जनपद की स्थिति भी इसी प्रकार है कि इसकी दो तहसीलें सैदपुर तथा जमनियां सीधा सम्बन्ध वाराणसी से रहता है और उन तहसीलों के निवासी अपने उत्पादित वस्तुओं तथा आवश्यक वस्तुओं का क्रय- विक्रय वाराणसी से करते हैं । इसी प्रकार गाजीपुर जनपद की मुहम्मदाबाद तहसील का सीधा सम्बन्ध बलिया तथा बिहार प्रान्त के बक्सर से है और वहाँ के निवासी अपने आवश्यक वस्तुओं का क्रय- विक्रय उन्हीं स्थानों से करते हैं । गाजीपुर तहसील के भी अधिकांश सामान भी वाराणसी से ही क्रय करते हैं जो जनपद के विकास में बाधक हैं ।

7. लोगों की मनोवृत्ति :

इस जनपद के लिए देश चोरी परदेश भिक्षा वाली कहानी चरितार्थ होती है । वर्ष 1889 से 1900 तक के आँकड़ों के आधार पर कुल 15162 गाजीपुर निवासियों का पंजीयन किया जा चुका था, जो विदेशों में कार्य अगला व्यवहार करते थे । इनमें से अधिकांश ब्रिटिश, गुयाना में ट्रिनिडाड, नैटाल तथा मारिशस रहते थे । उसी समय 31845 से अधिक ऐसे लोग कलकत्ता में रहते थे जिनका जन्म स्थान गाजीपुर जनपद में था, 42772 गाजीपुर वासी आसाम में पाये गये । आज यह संख्या लाखों में पहुँच गई है । इससे स्पष्ट है कि यहाँ के लोगों में एक प्रवृत्ति यह भी देखने में आती है कि लोग बेकार पड़े रहेंगे लेकिन छोटे - छोटे उद्योग धंधा चलाने के लिए उत्सुक नहीं है । यहीं नही यहाँ के निवासी बाहर शहरों में जाकर रिक्शा, तांगा तथा कुली का कार्य करते हैं परन्तु अपने जनपद में यही कार्य करने में अपने मान हानि का अनुभव करते हैं, जो जनपद के विकास में बाधक हैं ।

तालिका 6.1

गाजीपुर जिले में शिक्षा, चिकित्सा व अन्य सुविधाओं का तहसीलवार सार

क्रम सं0	तहसील का नाम	प्राइमरी स्कूल		मिडिल स्कूल		हाईस्कूल/ सेकेण्डरी स्कूल		उच्चतर माध्यमिक / पू0यू0सी0 इण्टर-मीडिएट एवं जूनियर कालेज		कालेज (स्नातक एवं उससे अधिक)		प्रौढ़ शिक्षा कक्षाएं/ केन्द्र		अन्य		ग्रामों की संख्या जिनमें कोई शिक्षा सुविधा नहीं है ।
		ग्राम	संस्थाएं	ग्राम	संस्थाएं	ग्राम	संस्थाएं	ग्राम	संस्थाएं	ग्राम	संस्थाएं	ग्राम	संस्थाएं	ग्राम	संस्थाएं	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	सैदपुर	208	223	96	102	16	17	5	5	-	-	-	-	-	-	795
2.	गाजीपुर	171	177	46	49	7	7	4	4	-	-	-	-	-	-	317
3.	मुहम्मदाबाद	195	201	38	41	14	15	4	4	-	-	-	-	3	3	335
4.	जमनियाँ	131	149	37	40	9	11	5	5	-	-	-	-	-	-	116
	योग	705	730	217	232	46	50	18	18					3	3	1763

स्रोत : जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 1981 ग्राम एवं नगर निदर्शनी भाग XIII - अ

तालिका 6.2
विकास सुविधाओं का तहसीलवार सार

तहसील का नाम	चिकित्सा																
	औषधालय		चिकित्सालय		प्रसूति गृह एवं बाल कल्याण केन्द्र प्रसूति केंद्र/प्रसूति गृह बाल कल्याण केन्द्र		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / स्वास्थ्य केन्द्र		परिवार नियोजन केन्द्र		प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र		जनस्वास्थ्य रक्षक		अन्य		ग्रामों की संख्या जिसमें कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है
	ग्राम	संख्या	ग्राम	संख्या	ग्राम	संख्या	ग्राम	संख्या	ग्राम	संख्या	ग्राम	संख्या	ग्राम	संख्या	ग्राम	संख्या	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1. सैदपुर	5	5	10	10	15	15	5	5	3	3	2	2	-	-	9	11	1000
2. गाजीपुर	1	1	2	2	11	11	6	6	8	8	1	1	-	-	21	23	465
3. मुहम्मद-बाद	-	-	6	6	10	10	4	4	-	-	2	2	-	-	12	12	725
4. जमानियाँ	3	3	6	6	5	5	2	2	2	2	-	-	-	-	17	19	225
योग	9	9	24	24	41	41	17	17	13	13	5	5	-	-	59	65	2415

स्रोत : जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 1981 ग्राम एवं नगर निदर्शनी भाग XIII - अ

तालिका 6.3

विकास सुविधाओं का तहसीलवार सार

क्रम सं0	तहसील का नाम	पेयजल									
		नल	कुआँ	तालाब	नलकूप	नदी	झरना	नहर	अन्य	एक से अधिक साधन	ग्राम जिसमें किसी प्रकार के पेय जल की कोई सुविधा नहीं है ।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	सैदपुर	12	1044	4	61	4	-	3	387	410	-
2.	गाजीपुर	20	478	-	114	3	-	2	178	237	-
3.	मुहम्मदाबाद	26	741	3	103	4	-	6	200	273	-
4.	जमानियाँ	1	249	3	-	1	-	-	24	26	-
	योग	59	2512	10	278	12	-	11	789	946	-

तालिका 6.4

विकास सुविधाओं का तहसीलवार सार

क्रम सं0	तहसील का नाम	डाक एवं तार घर							यातायात			विद्युत आपूर्ति	
		डाकघर	तारघर	डाक एवं तारघर	डाक एवं टेलीफोन	तारघर एवं टेलीफोन	डाक एवं तारघर तथा टेलीफोन	टेलीफोन	बस स्टाप	रेलवे स्टेशन	जलमार्ग	उपलब्ध	अनुपलब्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	सैदपुर	85	-	6	1	-	1	-	97	10	-	777	263
2.	गाजीपुर	56	-	2	-	-	1	-	40	3	-	441	57
3.	मुहम्मदाबाद	54	-	4	3	-	-	-	102	15	1	585	167
4.	जमनियाँ	48	-	8	3	1	-	-	29	7	-	138	111
योग		243	-	20	7	1	2	-	268	35	1	1941	598

(मानचित्र संख्या 6.1 बी)

DISTRICT GHAZIPUR
A
TRANSPORT SYSTEM 1990
FROM AZAMGARH
TO MAU
NH.29 TO MAU
FROM MAU
TO RASRA
TO RASRA
TO BALLIA
TO BALLIA
TO BUXAR
FROM JAUNPUR
FROM VARANASI
FROM MUGHALSARAI
FROM SAIDRAJA
MARDAH
KASIMABAD
JAKHANIA
BIRNO
BARACHAWAR
SADAT
MANIHARI
MUHAMMADABAD
GHAZIPUR
SAIDPUR
DEOKALI
REOTIPUR
KARANDA
BHADAURA
ZAMANIA
RAILWAY LINE BROAD GAUGE
RAILWAY LINE METRE GAUGE
NATIONAL HIGHWAYS
DISTRICT METALLED ROADS
UNMETALLED ROADS
B
LOCATIONAL PATTERN OF FACILITIES 1990
EDUCATIONAL
DEGREE COLLEGE
INTERMEDIATE COLLEGE
HIGH SCHOOL
TECHNICAL INSTITUTE
MEDICAL
HOSPITAL
PRIMARY HEALTH CENTRE
EXISTING SUB CENTRE
VETERINARY HOSPITAL
COMMERCIAL
MANDI CENTRE
GODOWN
BANKING
ELECTRIC POWER STATION 33 KV.
ELECTRIC POWER SUB STATION 33 KV
ELECTRIC POWER SUB STATION 132 KV.
5 0 5 10
KM

FIG. 6·1

महत्वपूर्ण जिला विकास मदों के संकेतांक जनपद : गाजीपुर

1.	कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	1981	8.0
2.	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग कि0मी0)	1981	576
3.	1971-81 के दशक में जनसंख्या वृद्धि	1981	27.0
4.	कुल जनसंख्या में प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति	1981	20.6
5.	राज्य के कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या में जनपद में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का प्रतिशत	1981	1.71
6.	लिंगानुपात प्रति हजार पुरूषो पर महिलाओं की संख्या	1981	988
7.	परिवार का औसत आकार संख्या	1981	
	1. ग्रामीण		6.9
	2. नगरीय		6.9
	3. योग		6.9
8.	कुल जनसंख्या में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिशत	1981	0.11
9.	कुल मुख्य कर्मकरों का जनसंख्या से प्रतिशत	1981	
	1. ग्रामीण		25.7
	2. नगरीय		24.7
	3. योग		25.6
10.	कृषि कर्मकरों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत कृषि तथा कृषि श्रमिक सम्मिलित करते हुए (1981)		20.1
11.	कृषि श्रमिकों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत (1981)		5.4
12.	कुल मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (1981)		
	1. कृषक		57.30
	2. कृषि श्रमिक		20.99
	3. पशुपालन, जंगल लगाना, वृक्षारोपण		0.35

क्रमशः

4. खान खोदना			0.05
5. पारिवारिक उद्योग			4.56
6. गैरपारिवारिक उद्योग			3.20
7. निर्माण कार्य			0.67
8. व्यापार एवं वाणिज्य			3.78
9. यातायात संग्रहण एवं संचार			1.60
10. अन्य			7.50
13. समस्त जोतों में लघु एवं सीमांत जोतों का प्रतिशत (1980-81)			90.38
14. समस्त जोतों के अन्तर्गत क्षेत्रफल लघु एवं सीमांत जोतों के क्षेत्रफल का प्रतिशत (1980-81)			50.47
15. सीमान्त जोतों का औसत आकार (हेक्टेयर) (1980-81)			0.43
16. समस्त जोतों का हेक्टेयर औसत आकार		(1980-81)	0.29
17. प्रति 100 हेक्टेयर प्रतिवेदित क्षेत्रफल पर पशुधन संख्या		1982	323
18. प्रति हजार जनसंख्या पर पशुधन संख्या		1981	553
19. प्रति सौ जनसंख्या पर दूध देने वाले पशुओं की संख्या		1982	14
20. प्रति हजार जनसंख्या पर कुक्कुट संख्या		1982	106
21. कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में वनों के अंतर्गत	1986-87	1987-88	1988-89
क्षेत्रफल का प्रतिशत	0.0	0.0	0.0
22. कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का प्रतिशत	77.8	78.86	×
23. फसल सघनता	144.30	145.22	×
24. सकल बोये गये क्षेत्र में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र का प्रतिशत अंश	5.75	5.74	×
25. खाद्यान्नों का औसत उपज (कुन्तल में)	12.81	12.21	×

क्रमशः

26. प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपभोग (कि0ग्रा0)	98.2	75.73	×
27. उपलब्ध (कि0ग्रा0)			
1. अनाज	433173000	427796000	×
2. दालें	44578000	39506000	×
28. कृषि उपज का सकल मूल्य (रू0)			
1. प्रति हे0 शुद्ध बोये गये क्षेत्र पर (प्रचलित भावों पर)	8400	×	×
2. प्रति व्यक्ति (ग्रामीण) प्रचलित भावों पर	1213	×	×
29. शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत	66.90	59.54	×
30. सकल बोये गये क्षेत्रफल में सकल सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत अंश	56.10	59.76	×
31. प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद (रूपया)	1117	×	×
32. पंजीकृत कार्यरत औद्योगिक इकाईयों में प्रति लाख जनसंख्या पर लगे व्यक्तियों की संख्या (वर्ष 1985-86)	44.00	×	×
33. पंजीकृत कार्यरत कारखानों में प्रति औद्योगिक कर्मकर श्रमिक एवं कर्मचारी पर उत्पादन का मूल्य रूपया (1985-86)	50468	×	×
34. पंजीकृत कार्यरत कारखानों में प्रति औद्योगिक उत्पादन का मूल्य (रूपया) (1985-86)	22.2		

क्रमशः

35. प्रति औद्योगिक कर्मकर अवार्धिक मूल्य हजार रूपये (1985-86)	-	×	×
36. प्रचलित भावों पर कुल शुद्ध घरेलू उत्पाद में विनिर्माण खण्ड का प्रतिशत	10.5	×	×
37. कुल आबाद ग्रामों में विद्युतीकरण ग्रामों का प्रतिशत	100.00	100.00	100.00
38. कुल विद्युत उपभोग में कृषि खण्ड में उपयुक्त विद्युत का प्रतिशत	82.17	84.90	84.00
39. प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (कि0वा0घ0)	98.00	98.00	113.00
40. प्रति हेक्टेयर शुद्ध बोये गये क्षेत्र पर कृषि खण्ड में उपभुक्त (कि0वा0घ0)	611	611	×
41. प्रति लाख जनसंख्या पर स्कूल संख्या			
1. जूनियर बेसिक स्कूल	58.4	59.1	59.1
2. सीनियर बेसिक स्कूल	16.2	16.7	17.7
3. हायर सेकेन्डरी स्कूल	5.5	6.0	6.00
4. डिग्री कालेज	0.46	0.46	0.46
42. साक्षरता प्रतिशत (1981)	27.6	27.6	27.6
43. प्रति लाख जन संख्या पर एलोपैथिक अस्पताल औषधालय तथा प्रा0 स्वा0 केन्द्रों की संख्या	3.5	4.2	4.3
44. प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक अस्पताल औषधालय तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शैयायों की संख्या	29.9	32.9	33.3
45. प्रति परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र उपकेन्द्रों पर सेवित औसत जनसंख्या	4732	4732	4697

क्रमशः

46. शुद्ध बोये गये क्षेत्र पर कृषि विपणन केन्द्रों की संख्या	2	2	×
47. प्रति हजार वर्ग कि0मी0 क्षेत्र पर शीत गृहों की संख्या	5	5	5
48. प्रति लाख जनसंख्या पर प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों की संख्या	9	9	9
49. प्रति लाख जनसंख्या पर भूमि विकास बैंकों की संख्या	0.2	0.2	0.2
50. प्रति लाख जनसंख्या पर कृषि सहकारी विपणन समितियों की संख्या	0.2	0.2	0.2
51. ऋण जमा अनुपात (वर्ष के जून माह के अन्त की स्थिति)	2.8	2.9	2.5
52. प्रति बैंक (वाणिज्यिक एवं ग्रामीण ब्रांच पर जनसंख्या हजार में)	14732	14405	14299
53. प्रति 100 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र पर पक्की सड़कों की लम्बाई			
1. कुल	42.02	46.08	×
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग	23.71	24.61	×
54. प्रति लाख जनसंख्या पर पक्की सड़कों की लम्बाई (कि0मी0)			
1. कुल	72.97	80.01	×
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग	41.2	42.73	×
55. प्रति हजार कि0मी0 क्षेत्र पर रेलवे लाइन की लम्बाई	57.15	57.15	57.15

क्रमशः

56. प्रति सस्ते गल्ले की दुकान पर सेवित जनसंख्या (हजार में)	4	3	3
57. प्रति लाख जनसंख्या पर तारघरों की संख्या	0.7	0.7	0.7
58. प्रति लाख जनसुख्या पर फोनों की संख्या	35	46	54
59. प्रति लाख जनसंख्या पर डाकघरों की संख्या	16.7	17.1	17.1
60. कुल आबाद ग्राम में पेयजल की दृष्टि से अभावग्रस्त ग्रामों का प्रतिशत	-	-	-
61. प्रति सिनेमागृह पर जनसंख्या (हजार में)	177	177	177
62. प्रति व्यक्ति जिला योजना व्यय/परिव्यय			
1. परिव्यय (रूपया)	37.76	43.04	52.18
2. वास्तविक व्यय	35.90	38.25	50.00

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका जनपद गाजीपुर, 1987, 1988, 1989.

ग्रामीण विकास में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान है - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का कार्यान्वयन ग्राम्य - विकास अभिकरण गाजीपुर द्वारा वर्ष 82-83 से सम्पादित किया जा रहा है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार है -

क. ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करना ।

ख. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन करना ।

शासन द्वारा उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सामग्री अंश तथा श्रम अंश के अन्तर्गत अधिकतम व्ययों की सीमा निर्धारित की गई है, जिससे योजना के मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके । परियोजना के सृजन में श्रम के अतिरिक्त

सामग्री पर 50 प्रतिशत व्यय किया जाना सुनिश्चित किया गया है ।

वर्ष 82-83 से इस अभिकरण द्वारा कुल 977 प्रोजेक्ट स्वीकृत किये गये थे, जिसमें से 416 परियोजनायें 31.12.84 तक पूर्ण की जा चुकी हैं । शेष अभी अपूर्ण हैं ।

विभागवार पूर्ण एवं अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है -

तालिका 6.5

क्रम सं0	विभाग का नाम	स्वीकृत प्रोजेक्टों की संख्या		
		पूर्व	कार्य प्रगति पर	योग
1.	सार्वजनिक विभाग	4	14	18
2.	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	-	59	59
3.	जिला परिषद	27	52	79
4.	विकास खण्ड (सम्पर्क मार्ग, सा0नि0केन्द्र हरिजन आवास एवं कूप आदि)	235	402	637
5.	शिक्षा विभाग (प्राइमरी पाठशाला भवन)	4	-	4
6.	वन विभाग (पौधशाला निर्माण)	31	-	31
7.	जल निगम (हैण्ड पम्प)	-	2	2
8.	गन्ना विभाग (सम्पर्क मार्ग)	-	22	22
9.	नलकूप विभाग (नलकूपों का निर्माण)	59	-	59
10.	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र गाजीपुर (तालाब)	1	-	1
11.	पुलिस अधीक्षक गाजीपुर (जलकुण्ड)	1	-	1
12.	उद्यान विभाग (राजकीय प्रक्षेत्र)	31	-	31
13.	शारदा सहायक - 36 (अल्पिका निर्माण)	5	-	5

14.	शारदा सहायक, देवकली पम्प नहर प्रथम एवं द्वितीय सिंचाई निर्माण खण्ड (ड्रेन गुल माइनर)	45	-	45
15.	सिंचाई निर्माण खण्ड (नहर में घास तथा सेवार की सफाई तथा मठ निर्माण)	2	-	2
16.	परगनाधिकारी, गाजीपुर (चौराहा निर्माण)	1	-	1
17.	प्रधान, शेरपुर (पाठशाला भवन)	-	4	4
18.	प्रधान जमुआँव (सामुदायिक मिलन केन्द्र)	-	1	1
19.	बीर अब्दुल हमीद मेमोरियल सोसायटी, बारा (अस्पताल निर्माण)	-	1	1
20.	प्रधानाचार्य गहमर इण्टर कालेज (सामुदायिक मिलन केन्द्र)	-	1	1
21.	परियोजना प्रशासक (खड़ण्जा निर्माण)	-	1	1
22.	लिफ्ट सिंचाई	-	2	2
	योग	416	516	977

तालिका 6.6

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम वर्ष 1984 - 85

क्रम सं0	एजेन्सी का नाम	स्वीकृत योजना की सं0	स्वीकृत परि-व्यय	कार्यों का विवरण (संख्या) अनारंभ	निर्माणा-धीन	पूर्ण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**सम्पर्क मार्ग**						
	अ. सा0नि0वि0गाजीपुर	18	94.22	-	14	4	गली तक पहुँच मार्ग एवं उसका जीर्णोद्वारक
	ब. ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गाजीपुर	59	140.15	-	59	-	
	स. जिला परिषद,गाजीपुर	79	158.25	-	52	27	
	द. लिफ्ट सिंचाई	2	0.75	-	2	-	
	य. गन्ना विभाग	22	17.759	-	22	-	
	र. विकास खण्ड	72	220.64	-	68	4	
	योग	252	631.799	-	217	35	
2.	**अल्पिका, माइनर एवं गुल निर्माण**						
	सिंचाई विभाग		5248.472		52		
3.	**नलकूपों का जीर्णोद्वार**		59.744		59		
4.	**प्राइमरी पाठशाला निर्माण**						
	अ. शिक्षा विभाग	4	3.33		-	4	
	ब. प्रधान, शेरपुर कलाँ	4	4.00		-4	-	
	स. विकास खण्ड	10	8.3		9	1	
	योग	18	15.63		13	5	

क्रमशः

5. नर्सरी स्थापना/पौधशाला निर्माण					
अ. वन विभाग	31	21.96	-	31	
ब. उद्यान विभाग	1	5.56	-	1	
योग	32	27.52	-	32	
6. खड़न्जा निर्माण					
अ. परियोजना प्रशासक	1	1.57	-	1	-
ब. विकास खण्ड	1	2.397	-	-	1
योग	2	3.917	-	1	1
7. हैण्डपम्प :					
अ. अधि0अभि0 जल निगम	2	0.20	-	2	-
8. अस्पताल निर्माण					
अ. बीर अब्दुल हमीद मेमोरियल, सोसायटी, बारा	1	0.33	-	1	-
9. सामुदायिक मिलन केन्द्र/कृषकाक्षा					
अ. प्रधानाचार्य,गहमर इण्टर कालेज	1	0.56	-	1	-
ब. प्रधान, जमुआंव	1	0.56	-	1	-
स. विकास खण्ड (सा0 मिलन केन्द्र)	17	9.18	-	16	-
द. विकास खंड (कृषक कक्ष)	1	0.67	-	1	-
योग	20	10.97	-	19	1

क्रमशः

10. तालाब/जलकुण्ड					
अ. प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र	1	0.07	-	-	1
ब. पुलिस अधीक्षक	1	0.68	-	-	1
स. विकास खण्ड	4	3.207	-	4	-
योग	6	3.957	-	4	2
11. सुन्दरीकरण					
अ. परगनाधिकारी,गाजीपुर	1	0.04	-	-	1
12. हरिजन आवास					
अ. विकास खण्ड	472	9.44	-	259	213
13. हरिजन पेयकूप					
अ. विकास खण्ड	58	4.186	-	44	14
14. बाउन्ड्री वाल					
अ. विकास खण्ड	1	1.07	-	1	-
15. पुलिया निर्माण					
अ. विकास खण्ड	1	0.10	-	-	1
महायोग	977	764.981	-	561	416

सिंचाई सुविधाओं की स्थिति :

भारत में सरकारी स्रोतों (नलकूपों नहरों) के अतिरिक्त निजी नलकूपों से पानी के वितरण की व्यवस्था है । छोटे किसान सिंचाई के लिए प्रायः इन्ही स्रोतों पर निर्भर हैं । पानी की उपलब्धि के अनुसार ही कृषक अपनी फसलों से सम्बन्धित योजनायें बनाते हैं ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई मुख्यतः तालाबों (34 प्रतिशत) कुंओं (50 प्रतिशत) छोटी - छोटी नदियों एवं नालों (16 प्रतिशत) आदि स्रोतों से तत्कालीन प्रचालित उपकरणों (दोन, ढेकलीपुर, बेड़ी, दुमला, रहट) के माध्यम से की जाती थी । (क्षेत्र के विभिन्न भागों में विविध माध्यमों से सिंचाई का वही प्रचलन था । अध्ययन क्षेत्र में करण्डा का दो तिहाई, जमानियाँ का एक तिहाई एवं मुहम्मदाबाद का एक चौथाई भाग गंगा - खादर क्षेत्र में पड़ने के कारण नियमित सिंचाई की अपेक्षा नहीं करता है । यह क्षेत्र जल - प्लावित होने के कारण एक लम्बे समय तक के लिए नमीयुक्त रहता है साथ ही कुओं का निर्माण करना भी लगभग असंगत है । यहाँ सिंचाई रहित कृषि (बारानी) पहले से ही है । अध्ययन क्षेत्र के शेष भागों में ढेकली, चर्खी, रहट, दोन, बेड़ी या दुगला इत्यादि साधनों से सिंचाई तालाब, पोखरी, कूपों एवं स्रोतों के जल से की जाती थी । वे सभी साधन अपर्याप्त होने के साथ - साथ सर्वसुलभ नहीं थे । कृषि - उत्पादकता में अभिवृद्धि की अनिवार्यता से उत्प्रेरित हो सिंचाई साधनों में अभियांत्रिक परिष्करण हुआ, जिससे निजी एवम् सरकारी दोनों स्तरों पर सिंचन क्षमता में अभिवृद्धि की पुर जोर कोशिश हो रही है । समकालीन परिस्थिति में अभियांत्रिक सिंचाई साधनों के परिणामस्वरूप तालाब, कूप तथा अन्य प्राचीन प्रचलित सिंचाई स्रोतों की जगह नहर विद्युत एवं डीजल चालित नलकूप तथा पम्पिंग सेट्स ने, स्थान ग्रहण कर लिया है ।

अध्ययन क्षेत्र में इस शताब्दी के चौथे दशक के अन्त तक एक भी नहर नहीं थी । प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951 -52 से 1955 - 56) की अवधि में मुहम्मदाबाद तहसील में टौंस नदी से एक छोटी 9 किमी0 की लम्बाई में रामगढ़ नहर का निर्माण पूरा हुआ जिसकी सिंचन - क्षमता 3000 हेक्टेयर है और कासिमाबाद विकास खण्ड के कुछ ग्रामों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है । इसके अतिरिक्त 1972 - 73 के वृहद् एवम् मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र में चार अन्य सिंचाई योजनायें चलायी जा रही हैं । (1) शारदा सहायक परियोजना सैदपुर (2) देवकली पम्प नहर सैदपुर, सादात, जखनियाँ, विरनो, मरदह, मनिहारी एवं देवकली विकास खण्डों में (3) नरायनपुर पम्प नहर भदौरा एवं रेवतीपुर विकास खण्डों में और (4) जमानियाँ पम्प नहर जमानियां विकास खण्ड में प्रारंभ की गई है । अध्ययन क्षेत्र में इन नहरों की कुल लम्बाई 121890 किमी0 है, जिससे कुल 30558 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है । सम्प्रति शारदा सहायक नहर एवं देवकली पम्प नहर का विस्तार किया जा रहा है, जिससे आलोच्य प्रदेश के विरनो, मरदह कासिमाबाद, बाराचवर, भांवरकोल और मुहम्मदाबाद विकास खण्ड लाभान्वित होंगे ।(मानचित्र सं0 3.3ए)

अध्ययन क्षेत्र लगभग तीन चौथाई विकास खण्डों में नहरों का विकास गया है, फिर भी कुल सिंचित भूमिका लगभग पाँचवा भाग (20.99 प्रतिशत) ही नहरों द्वारा सिंचित हैं, जबकि नलकूपों (सरकारी एवं निजी) द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड में सर्वाधिक (77.88 प्रतिशत) भाग सिंचित है । वर्ष 1970 - 71 से 1987 - 88 के मध्य सिंचित क्षेत्रफल के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि दक्षिणी भाग की अपेक्षा उत्तरी पूर्वी पश्चिमी एवं मध्यवर्ती भाग में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जबकि नहरों द्वारा दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग में पर्याप्त वृद्धि हुई है । कालक्रमिक दृष्टि से देखने पर 1970-71 से 1980-81 के मध्य नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में अप्रत्याशित वृद्धि (213.85 प्रतिशत) हुई है जबकि इसी काल में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में अपेक्षाकृत कम (41.01 प्रतिशत) वृद्धि हुई है साथ

ही 1981-82 के पश्चात् नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में निरन्तर अधिक वृद्धि होती रही है (तालिका 6.7) । सरकारी नलकूपों (21.18 प्रतिशत) की तुलना में निजी नलकूपों की संख्या (215.99 प्रतिशत) में लगभग दस गुना वृद्धि हुई है ।

तालिका 6.7

जनपद में सिंचाई साधनों एवं स्रोतों की स्थिति

वर्ष/जनपद	नहरों की लम्बाई	राजकीय नलकूपों की संख्या	निजी पक्के कुएं	लघु सिंचाई रहट	पम्पिंग सेट की संख्या भू स्रोतो पर लगे पम्पिंग सेट	बोरिंग पर लगे
1986-87	1228.1	654	11746	858	453	5504
1987-88	''	672	"	"	503	4483
1988-89	"	672	"	"	516	5822

गाजीपुर जनपद में सम्पूर्ण विकास खण्डों में सिंचाई के साधनों की प्रगति इस प्रकार है - नहरों की लम्बाई 86-87-88-89 1228.1 रही राजकीय नलकूपों की संख्या 86-87 में 654 और 87-88 में 672 और 88-89 में भी वहीं रहा । कुल पक्के कुएँ 11746 है, रहटों की संख्या 858 है, 88-89 में पम्पिंग सेटों की संख्या 6338 है । सिंचाई के साधनों की इतनी संख्या होने के बावजूद भी सिंचाई के साधनों की कमी है, अभी सिंचाई के साधनों को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने की आवश्यकता है ।

जनपद में कृषि यंत्र एवं उपकरण तथा उर्वरक का प्रयोग :

जनसंख्या में वृद्धि की द्रुत गति एवम् अवस्थापनात्मक सुविधाओं के विकास के परिणाम स्वरूप कृषि योग्य भूमि का विस्तार और भूमि उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि करना आवश्यक हो गया । कृषि योग्य भूमि का विस्तार निश्चित एवं निर्धारित सीमा

तक ही सम्भव है, जबकि प्रति इकाई कृषि उत्पादकता की वृद्धि की सम्भावना अधिक है । फलस्वरूप स्वातंत्रोत्तर काल में प्रचलित पुरातन कृषि पद्धति में पर्याप्त परिवर्तन हुआ जिसके तकनीकी प्रत्यावर्तन एवं रासायनिक उर्वरकों का बड़ता प्रयोग महत्वपूर्ण रहा है । कृषि उत्पादकता की वृद्धि में सिंचाई के अलावा उन्नत उपकरणों और बीजों का बड़ा महत्व है और उन्नत बीजों का भरपूर लाभ उठाने के लिए रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का उपयोग आवश्यक है । इन सबके लिए पूँजी आवाश्यक है, जिसे किसान अपनी वर्तमान हालत में मुश्किल से जुटा पाते हैं । परन्तु खेती को सर्वोपरि प्राथमिकता देने की सरकार की नीति खाद पानी बिजली बीज व कीटनाशक तथा खेती के उपकरण लागत से भी सस्ते मुहैया कराकर इस समस्या का निवारण करती रही है ।

पहले बैलों से जो अनेक काम लिये जाते थे, उनका स्थान धीरे - धीरे कारगर सस्ते तथा अधिक सुगम, इंजन एवम् मशीनें लेती जा रही हैं । गाँव से मण्डियों में सामान पहुंचाने के लिए रास्तों पर पुरानी बैलगाड़ी (काठ की) के प्रत्यावर्तित रूप (डनलप बैलगाड़ी) की तुलना में ट्रैक्टर ट्राली, टेम्पो ट्राली , रिक्शा ट्राली ,ट्रक और सायकिलें अधिक चलायी जा रही हैं । खेती के अतिरिक्त बैल पानी खीचने, गन्ना पेरने, बोझा ढोने तथा तेल पेरने का काम भी करता था किन्तु डीजल तथा विद्युत चालित इन्जनों ने तेजी के साथ यह काम संभाल लिया है । भारतीय कृषि पर बोझ बढ़ने के साथ - साथ कई क्षेत्रों में बैलों की शक्ति में कमी दिखाई पड़ने लगी है । यद्यपि कि छोटे किसान भी बैल की जगह ट्रैक्टर का प्रयोग (किराये पर) करने लगे हैं किन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि भारतीय कृषि की रीढ़ बैल एवं हल निकट भविष्य में समाप्त हो जायेंगे । (काठ के देशी हल से ट्रैक्टर की अवस्था तक पहुँचने में ट्रैक्टर को मेस्टल हल एवं उन्नत हैरों की अवस्था से गुजरना पड़ा है । वर्तमान समय में ' उन्नत हैरो ' का प्रयोग काफी बढ़ा (तालिका 6.8) ।

तालिका 6.8

उन्नत कृषि यंत्रों की संख्या एवं परिवर्तन

कृषि यंत्र	1972	1978	1982	1988
देशी हल	148858	127738	175188	120298
मेस्टन हल	11616	23447	35669	29805
उन्नत हैरो एवं कल्टीवेटर	8897	1850	2243	3450
उन्नत थ्रेसिंग मशीन	1242	6142	11580	16490
स्प्रेयर मशीन	390	1790	1800	2240
उन्नत बुनाई मशनि	418	3845	8421	10635
ट्रैक्टर	136	713	1549	3553

स्रोत : सांख्यिकी विवरणिका गाजीपुर, 1989

रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग :

स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम दशक (1951) में जहाँ अध्ययन क्षेत्र में रासायनिक उर्वरक का औसत प्रयोग लगभग नगण्य (1.05 क्रि0ग्रा0/प्रति हे0) था वहीं चौथे दशक (1987-88) में कृषि में गहनता के समावेश के साथ ही साथ सिंचाई के अतिरिक्त भूमि की उर्वरता अभिवृद्धि हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग उपरिहार्य हो गया । परिणामतः अध्ययन क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर औसत रासायनिक उर्वरक प्रयोग (100 कि0ग्रा0 प्रति हेक्टेयर) बढ़ गया है । (तालिका 6.9)।

तालिका 6.9

रासायनिक उर्वरक प्रयोग (मी0 टन)

वर्ष	1977-78	1981-82	1984-85	1985-86	1986-87
नाईट्रोजन	12687	19972	26125	27987	27142
फास्फेटिक	2218	4827	5062	7943	7395
पोटाश	1470	2618	2863	3262	2668
कुल	16375	27417	33250	39192	37205

स्रोत : सांख्यिकी विवरणिका गाजीपुर, 1989

गाजीपुर जनपद में 1985-86 में 27987 मी0 टन नाइट्रोजन का वितरण किया गया 7943 मी0टन फासफेटिक का 3262 मी0टन पोटाश का इस तरह कुल 39192 मी0टन उर्वरक का वितरण हुआ । 1987-88 में 20682 मी0टन नाइट्रोजन, 6300 मी0टन फासफेरिक, पोटाश 1917 मी0टन इस तरह 28899 मी0 टन उर्वरक का वितरण किया गया ।

उन्नत बीजों का प्रयोग :

उच्च उत्पादक एवं शीघ्र पकने वाले बीजों की किस्मों के प्रयोग ने सिंचाई सुविधाओं और रासायनिक उर्वरकों के ' हरित क्रान्ति ' की शुरूआत और क्रमिक शक्तिवर्द्धन को प्रोत्साहित किया । बीजों की उच्च उत्पादक किस्में किसानों द्वारा आम तौर से प्रयोग में लाई गई हैं और परम्परागत बीजों की शंकर विहीन किस्में लगभग विलुप्त हों गई हैं । अध्ययन क्षेत्र के लगभग सभी किसान, के.-68, यू0पी0 262, मालवीय 2003, आर0आर0 21, 2085 एवं जनक सदृश गेहूँ की उन्नत किस्मों और जया, पन्त 4, सरजू 52, मन्सूरी एवं रत्ना सदृश चावल की उन्नत किस्मों की कृषि

करते हैं । अन्य फसलों में मक्का, आलू, गन्ना, दाल एवं तिलहन फसलों के लिए भी उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है । शंकर मक्का किस्म अपनी उच्च उत्पादकता के कारण परम्परागत देशी मक्का को वृहद स्तर पर स्थानान्तरित कर दिया है । आलू में सी-140 (कुपुरी सिन्दूरी) ए-2706 (चन्द्रमुखी) सी अलंकार उच्च उत्पादकता के कारण अध्ययन क्षेत्र के लिए मुद्रादायिनी फसल का रूप धारण कर चुकी है । आलू की इन किस्मों में यद्यपि पहली किस्म उच्चतम उत्पादन देती है फिर भी छोटे कृषक अन्तिम दो को उनके अल्पकालीन वृद्धि एवं परिपक्वता के कारण, प्राथमिकता देते हैं और इनकी खेती के बाद गेहूँ की फसल भी ले लेते हैं । गन्ने की खेती के लिए सी0ओ0 1148, सी0ओ0 70, सी0ओ0 74 एवं सी0ओ0 395 की उन्नत किस्में अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश भागों में उगायी जाती है । दलहन फसलों में अरहर टा0-21, उड़द टा-9, चना टाइप -1, 3 और राधे एवं मटर टा0 - 163 आदि उन्नत किस्मों का प्रचलन सर्वत्र बढ़ा है । (तालिका 6.10)

तालिका 6.10

गाजीपुर जनपद : प्रयोग की जाने वाली उच्च उत्पादकता की प्रमुख किस्में

फसल	किस्म	औसत उपज प्रति हे0/ क्वी0 में	उत्पादन काल
गेहूँ	के. 68	25 - 30	135 - 140
	यू.पी. - 262	50 - 55	130 - 135
	जनक	55 - 60	135 - 140
	आर.आर. -21	50 - 55	120 - 125
चावल	मंसूरी	50 - 55	140 - 150
	रतना	55 - 60	125 - 130
	जया	60 - 65	135 - 140
	पन्त - 4	60 - 65	130 - 135
	सरजू - 52	60 - 65	135 - 140
अरहर	टा0 - 21	15 - 20	165 - 170
चना	टाईप - 1	20 - 25	140 - 150
	टाईप - 3	25 - 30	165 - 170
	राधे	25 - 30	150 - 155
उड़द	टा0 - 9	20 - 25	70 - 80
मटर	टा0 - 163	20 - 24	130 - 135

आलू	सी0 - 140	365 - 375	120
	ए - 2706	300 - 325	90
	सी, अलंकार	300 - 325	75
गन्ना	सी0 ओ0 1148	600 - 1000	270 - 330
	बी0 ओ0 - 70	600 - 1000	270 - 330

स्रोत : उपनिदेशक कार्यालय (कृषि विभाग) गाजीपुर .

जनपद में कृषि विकास सम्बन्धित कुछ मुख्य सूचनायें :

गाजीपुर जनपद में 1986-87 में बीज गोदामों की संख्या 98 थी यही संख्या 87-88 और 88-89 में भी रही । यहाँ उर्वरक भण्डार क्षमता भी 86-87, 87-88, 88-89 में 16195 मी0 टन रही । ग्रामीण गोदामों की संख्या 1986-87 में 171 थी जिसकी क्षमता 17100 मी0टन थी । 87-88 में गोदामों की संख्या 187 तथा क्षमता 18700 रही । यही स्थिति 88-89 में भी रही । जनपद में कीटनाशक डिपो की संख्या 17 तथा उनकी क्षमता 2882 मी0टन है । यहाँ बीज वृद्धि के 4 फार्म हैं।

गाजीपुर में शीत भण्डारों की संख्या 1986-87 में 16 थी जिसकी क्षमता 49309.2 मी0 टन थी । 1987-88 में शीत भण्डार की संख्या 17 तथा उसकी क्षमता 52809.2 मी0टन थी । एग्रो कृषि सेवा केन्द्रों की संख्या 1986-87 में 7 87-88 में 8 और 88-89 में भी 8 रही । अन्य कृषि सेवा केन्द्रों की संख्या 86-87, 87-88, 88-89 में 69 ही रही । गोबर गैस संयंत्र की संख्या 86-87 में 2308 तथा 1987-88 में 2545 तथा 1988-89 में 2896 थी ।

तालिका 6.11

जनपद में खाद्यान्न भण्डारों की संख्या एवं क्षमता

मद	1986-87		1987-88		1988-89	
	संख्या	क्षमता मी. टन	संख्या	क्षमता मी.टन	संख्या	क्षमता मी.टन
1. भारतीय खाद्य निगम	3	8918.4	3	8918.4	3	8918.4
2. वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन	1	2000.0	1	2000.0	1	2000.0
3. राज्य सरकार	20	2704.5	20	2704.5	20	2704.5
4. सहकारिता	1	2000.0	1	2000.0	1	2000.0

स्रोत : सांख्यिकी विवरणिका 1989, जनपद : गाजीपुर

परिवहन एवं संचार व्यवस्था :

अध्ययन क्षेत्र में गंगा नदी प्राचीन काल से ही परिवहन की सुविधा प्रदान करती रही है । वाराणसी - सैदपुर सड़क के किनारे पाये जाने वाले बौद्ध अवशेषों से यह प्रमाणित हो चुका है कि वाराणसी से सैदपुर होते हुए गाजीपुर तक का सड़क मार्ग मौर्य काल में ही एक महत्वपूर्ण मार्ग था, जिसे ' कुतुबुउद्दीन ऐबक ' ने घाघरा नदी के किनारे तक बढ़ाया । दूसरा महत्वपूर्ण सड़क मार्ग अकबर के शासनकाल में, वाराणसी से बक्सर तक निर्मित हुआ । ब्रिटिश शासन काल में प्रशासनिक व्यवस्था की देख - रेख के लिए कुछ कच्ची सड़कों का निर्माण हुआ जिनकी लम्बाई बहुत कम थी । 1841 ई0 में कुछ अन्य नई सड़कों का निर्माण कराया गया तथा गाजीपुर मुख्यालय को वाराणसी, गोरखपुर, बलिया एवं आजमगढ़ जनपदों के मुख्यालयों से जोड़ा गया । स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 208 कि0मी0 थी, जिन्हें 1963

ई0 तक बढ़ाकर 330 कि0मी0 कर दिया गया । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर राज्य प्रशासन ने सड़क निर्माण कार्य में ग्रामीण - जन का भी सहयोग लिया । सड़कों को चौड़ा करके नये ढंग के भारी वाहनों के बोझ को वहन करने योग्य बनाया गया ।

शासन ने ग्रामीण सड़कों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल कर उनके निर्माण में गति लाया और लक्ष्य रखा कि 1500 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाय और 1000 से 1500 तक की आबादी वाले गाँवों को भी 5 वर्ष के भीतर पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाय । पिछले वर्ष (1988-89) सरकार ने जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत इन ग्रामीण सम्पर्क मार्गों पर खड़न्जा लगाने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान किया था जिससे अधिकांश (60 प्रतिशत) ग्रामों में खड़न्जा युक्त सम्पर्क मार्ग निर्मित हुए हैं ।

अध्ययन क्षेत्र में पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 1475 (1989) किमी0 है । 1951 ई0 की जनगणनानुसार जहाँ प्रति लाख व्यक्तियों पर पक्की सड़कों की लम्बाई 18 किमी0 थी वहीं 1989 ई0 में बढ़कर 75.8 कि0मी0 हो गई (तालिका 6.13) यह अनुपात सभी विकास खण्डों में समान नहीं है यथा मरदह में 98.8 कि0मी0 गाजीपुर में 93.4, भदौरा में 93.2 कि0मी0, भांवर कोल में 56.6 कि0मी0 जखनियाँ में 66.00 किमी0 और विरनों में 66.00 कि0मी0 है । (मानचित्र संख्या 6.1 ए) ।

अध्ययन क्षेत्र में रेल मार्गों की कुल लम्बाई 193 किमी0 है जिसमें 52 कि0मी0 बड़ी लाइन (ब्राड गेज) जमानियाँ से बारा (मुगलसराय - पटना मुख्य रेलमार्ग पर) एवं दिलदार नगर से ताड़ीघाट (ब्रान्च रेल मार्ग) के बीच है । छोटी लाईन (मीटर गेज) 141 कि0मी0 की लम्बाई में गोमती नदी के पुल से भैंसही नदी के पुल तक (65 किमी0) एवं औड़िहार से ताजपुर डेहमा के बीच (76 किमी0) फैली है । वाराणसी - औड़िहार मऊ भटनी भीतर गेज रेलमार्ग को ब्राड गेज रेल मार्ग में परिवर्तित किया जा

तालिका 6.12

जनपद में पक्की सड़कों की लम्बाई (कि0मी0)

क्रमांक	मद	1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5
1.	सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत			
	1.1 राष्ट्रीय राजमार्ग	85	85	85
	1.2 प्रादेशिक राजमार्ग	-	-	-
	1.3 मुख्य जिला सड़कें	198	198	198
	1.4 अन्य जिला सड़कें	516	518	548
	योग	799	801	831
2.	स्थानीय निकायों के अन्तर्गत			
	2.1 जिला परिषद	166	166	271
	2.2 महापालिका/नगरपालिका नगर क्षेत्र समितियाँ	52	52	52
	योग	218	218	323
3.	अन्य विभागों के अन्तर्गत			
	3.1 सिंचाई	168	168	168
	3.2 गन्ना	17	17	17
	3.3 वन	-	-	-
	3.4 डी.जी.वी.आर.	-	-	-
	3.5 अन्य	215	215	215
	योग	400	400	400
कुल योग (1+2+3)		1417	1419	1554

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका गाजीपुर, 1989

तालिका 6.13

जनपद में विकास खण्डवार पक्की सड़कों की लम्बाई (कि0मी0)

वर्ष/जनपद विकास खण्ड का नाम	पक्की सड़कों की लम्बाई कुल	सा0नि0वि	प्रति हजार वर्ग पक्की सड़कों की कुल लंबाई	प्रति लाख जनसंख्या पर पक्की सड़कों की कुल लम्बाई
1	2	3	4	5
विकास खण्डवार वर्ष 1987-88				
1. गाजीपुर	100	65	635.7	93.4
2. करण्डा	67	30	635.6	80.2
3. विरनो	56	27	367.7	66.0
4. मरदह	96	52	517.5	95.8
5. सैदपुर	131	75	601.2	94.6
6. देवकली	102	61	495.1	83.3
7. सादात	126	70	531.6	105.8
8. जखनियाँ	107	50	525.5	91.7
9. मनिहारी	96	55	427.2	84.3
10.मुहम्मदाबाद	81	59	479.6	67.6
11.भांवरकोल	77	35	308.4	64.6
12.कासिमाबाद	108	67	471.6	89.3
13.बाराचवर	78	34	386.7	74.6
14.जमानियाँ	102	58	366.8	74.7
15.भदौरा	95	59	481.3	93.2
16.रेवतीपुर	75	37	341.7	71.8
योग ग्रामीण	1497	824	449.9	83.6
योग नगरीय	59	7	1189.0	38.2
योग जनपद	1556	831	460.8	80.0

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका गाजीपुर, 1989

तालिका 6.14

जनपद में यातायात एवं संचार सेवायें

वर्ष	डाकघर	तारघर	टेलीफोन	पब्लिक काल आफिस	रेलवे स्टेशन	बस स्टेशन
1	2	3	4	5	6	7
1986-87	325	14	673	93	30	206
1987-88	332	14	887	93	30	220
1988-89	332	14	1042	93	30	220

देवकली. में एक तारघर जखनियां में 2 बाराचवर, जमानियां में एक -एक भदौंरा में दो है । ग्रामीण डाकघरों की संख्या 310 तारघरों की 7, टेलीफोन की 233, पब्लिक काल आफिस 76 रेलवे स्टेशन 24 और बस स्टेशन 220 है ।

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका गाजीपुर, 1990

रहा है । अतः ब्राड गेज रेल मार्ग की कुल लम्बाई अब 117 कि0मी0 हो जायेगी । इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में प्रति लाख जनसंख्या पर 9.92 किमी0 तथा प्रति 100 किमी^{2} क्षेत्रफल पर मात्र 5.72 किमी रेल लाइन का घनत्व है जिसे बहुत कम कहा जा सकता है ।

अध्ययन क्षेत्र के आर्थिक विकास से सम्बन्धित अन्य अवस्थापनाओं से भी परिवहन व्यवस्था का घनिष्ठ सम्बन्ध है । विद्यालय, अस्पताल, क्रय-विक्रय समितियां, भूमि विकास एवं ग्रामीण बैंक शीत गोदाम, डाकघर, रेलवे स्टेशन (हाल्ट सहित) बस स्टेशन, पशु चिकित्सालय, बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक भण्डार के स्थापना में परिवहन की सुविधा ने उल्लेखनीय कार्य किया है ।

संचार व्यवस्था के अन्तर्गत डाकघर, तारघर, टेलीफोन, रेडियों, दूरदर्शन, सिनेमा, समाचार पत्र, सूचना सन्देश, विचार आदि के आदान-प्रदान (गोष्ठी) तथा विज्ञापन के अतिरिक्त परम्परागत माध्यम जैसे लोक नृत्य, नाटक आदि सम्मिलित हैं । संचार के साधन आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास के साथ - साथ प्रशासनिक कार्यों में सुदृढ़ता और सरलता लाकर समग्र विकास की गति को सटवर करते हैं । पत्र सूचना शाखा, प्रेस प्रभाग, विज्ञापन प्रभाग, प्रदर्शन प्रभाग, सामूहिक, श्रवण योजना, सामूहिक श्रवण योजना, सामूहिक दूरदर्शन योजना, जिला सूचना केन्द्र आदि ने कृषि सम्बन्धी सूचना के अतिरिक्त मनोरंजन विज्ञापन आदि के द्वारा ग्रामीण निवासियों को आकर्षित किया है । इस प्रकार समन्वित ग्रामीण विकास में संचार साधनों की एक विशिष्ट भूमिका है ।

अध्ययन क्षेत्र में संचार व्यवस्था की सुविधायें पर्याप्त नहीं है । संचार के साधनों में डाकघर की केन्द्रीय भूमिका होती है । अध्ययन क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डाकघरों की संख्या में वृद्धि तो हुई है, परन्तु कुल ग्राम संख्या के एक चौथाई (25.37 प्रतिशत) ग्राम आज भी डाकघरों से 3 किमी0 से अधिक दूर है (तालिका 6.14)। 1971 ई0 अध्ययन क्षेत्र में डाकघरों की संख्या 262 थी जो 1989 ई0 में 58

प्रतिशत की दर से बढ़कर 416 हो गयी है । इसी प्रकार तार घरों की संख्या 1971 ई0 में 22 थी जो 1989 ई0 में बढ़कर 34 हो गयी । विकास खण्ड स्तर पर डाकघरों एवं तारघरों के समीप सर्वाधिक ग्राम भदौरा विकास खण्ड 52.25 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत (में सबसे कम विरनो विकास खण्ड (क्रमशः 16.4 प्रतिशत एवं शून्य प्रतिशत) में है ।

सामूहिक श्रवण योजना एवं सामूहिक दूरदर्शन योजना के अन्तर्गत सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न संस्थाओं को ट्रांजिस्टर व रेडियो सेट्स तथा टी0वी0 सेट्स प्रदान किये गये हैं । अध्ययन क्षेत्र में जिला सूचना कार्यालय गाजीपुर के माध्यम से इस योजना का विकास खण्ड के सूचना केन्द्र, टाउन एरिया नोटीफाइड एरिया, नगर पालिका के सूचना केन्द्र, सहकारी बीज भण्डार, पुस्तकालय, शिक्षण संस्थायें तथा पंजीकृत सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थायें लाभान्वित हुई हैं । अध्ययन क्षेत्र में शत प्रतिशत ग्रामों के विद्युतीकरण हो जाने से दूरदर्शन का प्रयोग बढ़ा है रेडियों एवं दूरदर्शन द्वारा प्रसारित ' कृषि कार्यक्रम ' ग्रामीणों को आधुनिक कृषि प्रणाली के तरफ तो उन्मुख किया ही है साथ ही मौसम सम्बन्धी दैवी आपदाओं की सूचना प्रसारित कर उनके कृषिगत उत्पादन में सुरक्षा के प्रति आगाह भी किया है । नित्य 'कृषि कार्यक्रम' के अन्तर्गत रेडियों एवं दूरदर्शन से उन्नतशील कृषि के बारे में नयी तकनीक की जानकारी दी जाती है साथ ही सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी के लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को मिल रहा है । दूरदर्शन आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक विकास, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय बचत आदि विषयों की जानकारी देने तथा मनोरंजन के साथ प्रचार का आधुनिकतम शक्तिशाली और रोचक माध्यम है ।*

ग्रामीण विद्युतीकरण का विकास :

अंग्रेजी शासनकाल में विद्युतीकरण की दृष्टि से पिछड़ा उत्तर प्रदेश

---

* उ0प्र0 वार्षिकी 1989-89 पृ0 सं0 291.

प्रशासन ने स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद विद्युत उत्पादन की ओर ध्यान दिया । कृषि व उद्योग विकास तथा रोजगार के अवसर में वृद्धि के उद्देश्य से 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई । ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के मुख्य लक्ष्य हैं । निगम की नीति क्षेत्रीय विकास की है । उसमें पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है । ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वित ग्रामीण विकास के प्रमुख घटक के रूप में सिंचाई, कुटीर उद्योग, शिक्षा, पेय जल आदि की सुविधाओं की अभिवृद्धि में सक्रिय योगदान कर रहा है ।

अध्ययन क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति रिहन्द जल विद्युत केन्द्र एवं ओबरा ताप विद्युत गृह से होती है । विद्युत कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्युत परिषद ने इस जनपद को दो खण्डों में विभक्त कर दिया है । विद्युत खण्ड प्रथम के अन्तर्गत गाजीपुर, करण्डा, मरदह, विरनो, सैद्पुर, सादात, मनिहारी, जखनियाँ ओर देवकली विकास खण्ड आते हैं । विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय के अन्तर्गत मुहम्मदाबाद, कासिमाबाद, बाराचवर, भांवरकोल, रेवतीपुर, भदौरा तथा जमानियाँ विकास खण्ड आते हैं । अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण वर्ष 1967-68 में 237 आबाद ग्रामों (9.33 प्रतिशत) को विद्युतीकरण करके प्रारंभ हुआ । ' सेण्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन की परिभाषा के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में सम्प्रति (1989) शत प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत हैं । (तालिका 6.15)

तालिका 6.15

विद्युतीकृत ग्राम एवं कालक्रमानुसार परिवर्तन

घरेलू उपयोग हेतु विद्युतकृत ग्राम	घरेलू उपभोग हेतु विद्युतकृत हरिजन बस्तियाँ	वर्ष	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	कुल आबाद ग्रामों का प्रतिशत	परिवर्तन प्रतिशत
-	-	1967-68	237	9.33	-
-	-	1971-72	692	27.24	191.98
255	195	1981-82	937	37.30	35.40
309	264	1982-83	1966	78.30	109.82
318	294	1983-84	2055	81.90	4.53
325	335	1984-85	2462	96.90	19.81
340	404	1985-86	2516	99.00	2.19
367	496	1986-87	2540	100.00	0.95
434	565	1987-88	2540	100.00	0.00

ग्रामीण विद्युतीकरण ने उच्चतर कृषिगत उत्पादन, अतिरिक्त रोजगार सुअवसरों और अपेक्षाकृत ग्रामीण गृहस्थों के लिए अधिक आय को सुसाध्य बना दिया है । यह ग्रामीण जीवन के गुणात्मकता में एक सुधार के रूप में फलीभूत हुआ है ।

सम्प्रति विभिन्न कार्यों में विद्युत उपभोग में वृद्धि हुई है । 1985-86 ई0 में घरेलू प्रकाश हेतु अध्ययन क्षेत्र की कुल विद्युत आपूर्ति का मात्र 7.26 प्रतिशत प्रयुक्त होता था वहीं 1986-87 में घरेलू प्रकाश हेतु प्रयुक्त विद्युत की मात्रा बढ़कर क्रमश 14.57 एवं 22.28 प्रतिशत हो गई । इसी प्रकार कृषि कार्य एवं सिंचाई कार्य के लिए यह वृद्धि 49 प्रतिशत (1985-86) से बढ़कर 52.5 प्रतिशत (1987-88) हो गई है । ग्रामीण विद्युत का उपयोग विविध ग्रामीण कार्यों में एक वृहद पैमाने पर होता हैं । अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीणं विद्युतीकरण बड़ी तीव्र गति से हुआ है परनतु कम विद्युत आपूर्ति सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है । अध्ययन क्षेत्र के 20 प्रतिशत ग्रामों में विद्युत किसी भी समय नियमित नहीं रहती जबकि 38 प्रतिशत ग्राम ऐसे हैं जहाँ बिजली रात के समय ही नियमित रहती है जो जाड़े के मौसम में कृषि कार्य करते समय कष्ट साध्य होती है । 25 प्रतिशत ग्राम एक दृष्टि से अपने को सौभाग्य शाली मानते हैं जहाँ दिन के समय बिजली आपूर्ति होती है परन्तु उनके साथ एक कठिनाई यह है कि जब विद्युत कटती है तो कई-कई दिनों तक गायब रहती है । शहरों और कस्बों के निकट स्थित ग्राम ही नियमित बिजली आपूर्ति से लाभान्वित होते है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण के फलस्वरूप क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हुई हैं, जो कृषि पर आधारित है लेकिन वांछित विद्युत आपूर्ति न होने के कारण थे इकाइयाँ अपनी पूर्ण क्षमता से काम नहीं करती हैं ।

तालिका 6.16

गाजीपुर जनपद में विभिन्न कार्यों में विद्युत उपभोग (हजार किलोवाट घंटा)

मद	1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4
1. घरेलू प्रकाश एवं विद्युत शाक्ति	9226	6437	7047
2. वाणिज्यिक प्रकाश एवं लघु विद्युत शाक्ति	1407	572	2564
3. औद्योगिक विद्युत शाक्ति	23643	21575	25020
4. सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	-	-	47
5. रेल टैक्शन	-	-	397
6. कृषि विद्युत शाक्ति	157989	161836	185050
7. सार्वजानिक जलकल एवं मल प्रवाह उर्वचन व्यवस्था	-	193	147
8. योग	192265	190613	220272
9. प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (किलोवाट घंटा)	99	98.	713

स्रोत : जिला सांख्यिकी पत्रिका 1989, गाजीपुर ।

तालिका 6.17

जनपद में विकास खण्डवार विद्युतीकृत ग्राम एवं हरिजन बस्तियाँ

वर्ष/जनपद विकास खण्ड का नाम	विद्युतीकृत ग्राम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार	जिनमें एल.टी. मेन्स लगा दिये गये	उजीकृत निजी नलकूप पम्प सेटों की संख्या	विद्युतीकृत हरिजन बस्तियाँ
1986-87	2540	367	19614	496
1987-88	2540	934	19964	565
1988-89	2543	503	20685	678
विकास खण्डवार वर्ष 1988-89				
1. गाजीपुर	168	33	1221	73
2. करण्डा	82	17	945	91
3. विरनो	128	14	1361	34
4. मरदह	121	18	1567	32
5. सैदपुर	244	27	1566	56
6. देवकली	215	35	1419	49
7. सादात	185	23	1296	50
8. जखनियाँ	203	40	1614	48
9. मनिहारी	195	30	1750	42
10. मुहम्मदाबाद	201	35	1216	53
11. भांवरकोल	140	20	668	25
12. कासिमाबाद	227	40	1907	36
13. बाराचवर	185	22	1408	24
14. जमानियाँ	124	55	1001	50
15. भदौरा	65	44	790	32
16. रेवतीपुर	60	42	956	33
योग ग्रामीण	2543	507	20685	678
योग नगरीय	-	-	-	-
योग जनपद	2543	507	20685	678

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका 1989, जिला - गाजीपुर.

जनपद में विकास पशुधन एवं कुक्कुट आदि पक्षियों की संख्या

(पशुगणना 1982 के अनुसार (गौ जातीय देशी

गाजीपुर जनपद में 1972 में 3 वर्ष से अधिक के नरों की संख्या 297483 थी जो 1978 में 250207 हो गई और 1982 में 296289 हो गई । 3 वर्ष से अधिक मादा की संख्या 1972 में 100416 थी । 1978 में 112078 हो गई तथा 1982 में 156085 हो गई ।

बछड़े एवं बछिया 1972 में 91319 थे 1978 में 92117 हो गई और 1982 में 153996 हो गई । इस प्रकार जनपद में पशुधन संख्या 449218 थी, 1978 में 454402 हो गई तथा 1982 में 606370 हो गई ।

जनपद में पशु चिकित्सा एवं अन्य सेवायें :

गाजीपुर जनपद में 1986-87 में 31 पशु चिकित्सालय थे जो 1987-88 में 32 हो गये और 88-89 में भी 32 ही रहे । जनपद में पशुधन विकास केन्द्र 86-87 में 32 था 87-88 में 34 हो गया फिर 88-89 में भी 34 ही रहा । जनपद में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र एवं उपकेन्द्रों की संख्या 66 है । पशु प्रजनन फार्म कोई नहीं है । भेड़ विकास केन्द्र 2 हैं । सुअर विकास केन्द्र 8 है पिगरी - यूनिट 579 है पोल्ट्री यूनिट 351 है ।

गाजीपुर जनपद में मत्सय पालन विभागीय जलाशय

गाजीपुर जनपद में विभागीय जलाशय 4 हैं । जिसका क्षेत्रफल 5.25 हेक्टेयर है इनमें 1986-87 में 4.50 क्विंटल मछली का उत्पादन हुआ, 1987-88 में 61.25 क्विंटल तथा 88-89 में 10.50 क्विंटल मत्स्य उत्पादन हुआ ।

सहकारिता

जनपद में विकास प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ :

गाजीपुर जनपद में सहकारिता समिति की संख्या 1986-87, 87-88, 88-89 में 182 रही लेकिन सदस्यता संख्या 86-87 में 189356, 87-88 में 124353 तथा 88-89 में 125666 रही । अंश पूँजी 1986-87 में 12175 रही, 87-88 में 10521 रही तथा 88-89 में 12413 रही । कार्यशील पूँजी 70954, 1986-87 में थी, 87-88 में 82181 रही । 88-89 में 10330 रही । 1986-87 में जमा धन राशि 3579 थी, 87-88 में 1924 रही और 88-89 में 58946 रू0 ऋण वितरित किया गया ।

मध्यकालीन ऋण 86-87 में 937, 87-88 में 1492 तथा 88-89 में 10380 रू0 ऋण बांटा गया ।

गाजीपुर जनपद में समितियों के अन्तर्गत ग्रामों की संख्या 1986-87 में 2540 थी लेकिन 87-88 में 2523 और 88-89 में भी 2525 ही रही । भूमि विकास बैंक द्वारा 1986-87 में 6478 हजार रूपया 87-88 में 11765 हजार रूपया 14628 रूपया बाँटा गया । जनपद में सहकारी बैंक की शाखायें 20 हैं । जनपद में अन्य सहकारी समितियों की संख्या अलग - अलग है ।

1. क्रय - विक्रय समितियों की संख्या 4 है जिनकी सदस्यता संख्या 29448 है इसमें 9132 मूल्य रूपये का लेन - देन होता है ।
2. संयुक्त कृषि समितियों की संख्या 29 है इनकी सदस्यता संख्या 641 है । समितियों के अन्तर्गत 800 हेक्टेयर क्षेत्र आते हैं ।
3. प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन - सहकारी समितियों की संख्या 80 है इसकी सदस्यता (संख्या) 4900 है इसके द्वारा 1988-89 में 42,00,000 रूपये मूल्य का उत्पादन किया गया ।

4. मत्स्य सहकारी समितियों की संख्या 12 है इसकी सदस्यता संख्या 981 है । इसमें 185 हजार रूपये कार्यशील पूँजी के रूप में खर्च किया गया । वर्ष 1988-89 में 108 हजार रूपये में मत्स्य का विक्रय हुआ ।

5. बुनकरों की प्रारंभिक औद्योगिक सहकारी समितियाँ इनकी संख्या जनपद में 65 है सदस्यता संख्या 2250 तथा कार्यशील पूँजी 3704 हजार रू0 में वस्त्र उत्पादन 6880 हजार मीटर है ।

6. प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या 109 है सदस्यता संख्या 2188 है तथा कार्यशील पूँजी 698 हजार रूपया है वर्ष में विपरीत उत्पादों का मूल्य 1040 हजार रूपया है ।

7. गन्ना सहकारी समिति की संख्या एक है सदस्यता संख्या 10280 है क्रियाशील पूँजी 210 हजार में । वर्ष में 28 हजार ऋण वितरण किया गया।

जनपद में औद्योगिकरण की प्रगति

गाजीपुर जनपद में कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों में 1983-84 में कार्यरत कारखाने 4, 1984-85 में 8 तथा 1985-86 में 16 हो गये । 1983-84 में 7, 84-85 में 8, 85-86 में 15 कारखानों से रिटर्न प्राप्त हुये । औसत दैनिक श्रमिकों एवं कर्मचारियों की संख्या 1983-84 में 711, 1984-85 में 1675 तथा 1985-86 में 854 हो गई ।

इन कारखानों से उत्पादन का मूल्य 83-84 में 38700 हजार रूपया 84-85 में 251500 हजार रूपया 85-86 में 43100 हजार रूपया हो गया ।

तालिका 6.18

जनपद में ग्रामीण एवं लघु उद्योग

विभिन्न प्रकार के संस्थाओं के अधीन कार्यशील औद्योगिक इकाईयों की संख्या

वर्ष 1988 - 89

संस्था का नाम	पंचायत द्वारा चलित	क्षेत्र समितियों द्वारा चालित	औद्योगिक सहकारी संस्थाओं द्वारा चालित	पंजीकृत संस्थाओं द्वारा चालित	व्यक्तिगत उद्योग-पतियों द्वारा चालित	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
I. खादी उद्योग	-	-	1	1	-	2
II. खादी उद्योग द्वारा	-	-	6	6	1024	1036
III. लघु उद्योग इकाइयां	-	-	-	-	-	-
1. इंजीनियरिंग	-	-	-	-	30	30
2. रसायनिक	-	-	-	-	12	12
3. विधायन इकाइयाँ	-	-	-	-	-	-
4. हथकरघों की इकाईयाँ	-	-	-	-	100	100
5. रेशम की इकाईयां	-	-	-	-	-	-
6. नारियल जटा की इकाईयाँ	-	-	-	-	-	-
7. हस्तशिल्प इकाइयाँ	-	-	-	-	-	-
8. अन्य	-	-	-	-	200	200
9. कुल योग	-	-	-	-	342	342
समस्त में कार्यरत व्यक्ति	-	-	-	-	1710	1710

नोट : प्रभाग के पत्रांक 1627/दिनांक 4, 1989 द्वारा लघु उद्योग इकाइयों की संख्या इसी प्रकार दी गयी है ।

तालिका 6.19

गाजीपुर जनपद में औद्योगिक आस्थान

	1986-87	1987-88	1988-89
1. आस्थाओं की संख्या	1	1	1
2. शेडों की संख्या	8	8	8
आबंटित	8	8	8
कार्यरत	8	8	8
3. प्लाटों की संख्या	52	52	52
आबंटित	52	52	52
कार्यरत	4	5	10
4. रोजगार में लगे कार्यरत व्यक्ति की संख्या	80	95	95
उत्पादन रूपया	400000	500000	500000

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका गाजीपुर 1989

सामान्य शिक्षा एवं समाज शिक्षा
जनपद में शिक्षा संस्थायें (मान्यता प्राप्त)

वर्ष 1986-87 गाजीपुर में जूनियर बेसिक स्कूल की संख्या 1135 थी और 87-88 में जूनियर बेसकि स्कूल की संख्खा 1149 हो गई वह अभी तक उतनी ही है । सीनियर बेसिक स्कूल की संख्या 86-87 में 316 थी जिसमें 55 बालिका स्कूल थे । 1987-88 में सीनियर बेसिक स्कूल 324 थे, 88-89 में इनकी संख्या बढ़कर 344 हो गई ।

हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट विद्यालयों की संख्या 86-87 में 107 थी जिसमें 11 बालिका विद्यालय थे । 87-88 में कुल विद्यालयों की संख्या 116 ही रही

लेकिन बलिका विद्यालय की संख्या 12 हो गई । गाजीपुर में 87-88 में महाविद्यालय थे लेकिन 88-89 में 10 महाविद्यालय हो गये । विश्वविद्यालय एक भी नहीं है ।

तालिका 6.20

जनपद में प्राविधिक शिक्षा संस्थान, औद्योगिक शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षक संस्थान तथा उसमें भर्ती

1	1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4
1. प्राविधिक शिक्षा संस्थान पॉलीटेक्निक			
1.1 संख्या	1	1	1
1.2 सीटों की संख्या	90	90	90
1.3 भर्ती	82	83	87
2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान			
2.1 संख्या	1	1	1
2.2 सीटों की संख्या	200	200	200
2.3 भर्ती	231	291	339
3. शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान			
3.1 संख्या	2	2	2
3.2 सीटों की संख्या	50	50	50
3.3 भर्ती			
3.3.1 पुरूष	25	18	27
3.3.2 महिला	20	14	19

तालिका 6.21

जनपद में समाज शिक्षा महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम की प्रगति

क्रमांक	मद	1987	1988	1989
1	2	3	4	5
1.	प्रौढ़ साक्षरता केन्द्रों की संख्या	2400	3000	3000
2.	अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या	625	620	600
3.	वालबाड़ी आंगन बाड़ी केन्द्रों की संख्या	513	513	513
4.	युवक संगठनों की संख्या	1110	1135	1220
5.	महिला मण्डल की संख्या	37	127	127

स्रोतः सांख्यिकी पत्रिका गाजीपुर, 1989.

गाजीपुर जनपद में 1988-89 में आंकड़ों के अनुसार 1149 जूनियर बेसिक स्कूल हैं सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 344 हैजिसमें 55 बालिका विद्यालय हैं । हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट विद्यालयों की संख्या 88-89 में 116 थी जिसमें बालिका विद्यालय 12 थे महाविद्यालयों की संख्या 10 है विश्वविद्यालय कोई नहीं है । गाजीपुर जनपद में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी शिक्षित है वर्ष 1986-87 में कुल छात्रों की संख्या 165140 थी जिसमें 35030 अनुसूचित जाति - जनजाति की छात्रायें थीं।

वर्ष 1988-89 में कुल छात्रों की संख्या 170441 थी जिसमें 40276 अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की संख्या 7444 थी छात्राओं की संख्या कुल 22644 थी जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति की 2626 छात्रायें थी । डिग्री कक्षाओं में 1988-89

में कुल छात्रों की संख्या 7253 थी जिसमें 1023 अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र हैं । छात्राओं की कुल संख्या 1514 थी जिसमें 110 अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रायें थी । जनपद में मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में जूनियर बेसिक स्कूल में शिक्षकों की संख्या 1717 थी जिसमें 247 स्त्रियों की संख्या थी । हायर सेकेन्डरी स्कूल में कुल शिक्षकों की संख्या 2321 थी जिनमें 184 स्त्रियों की संख्या थी । महाविद्यालय में शिक्षकों की संख्या 1988-89 में 214 थी जिसमें 21 स्त्रियाँ थी । विश्वविद्यालय नहीं है । डिग्री कक्षाओं की सुविधा जखनियाँ, मनिहारी, भांवरकोल, और जमनियां में है । (मानचित्र संख्या 6.2)

तालिका 6.22

सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

जनपद में एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय

मद	1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4
1. राजकीय सार्वजनिक	60	72	74
2. राजकीयं विशेष	2	2	2
3. राजकीय निकाय एवं नगरपालिका	-	1	1
4. सहायता प्राप्त निजी	-	-	-
5. असहायता प्राप्त निजी	4	5	5
6. आर्थिक सहायता प्राप्त	3	2	2
योग	69	82	84

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका गाजीपुर, 1989

जनपद-गाजीपुर
शैक्षिक संस्था एवं कुल छात्र संख्या

संकेत: शैक्षिक संस्था

- जूनियर बेसिक स्कूल, संख्या
- सीनियर बेसिक स्कूल, संख्या
- उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संख्या
- डिग्री कालेज, संख्या

संकेत: छात्र संख्या (हजार में)

- जू. बे. स्कूल
- सी. बे. स्कूल
- उ. मा. विद्यालय
- डिग्री कालेज

जिला परिषद का एक एलोपैथिक अस्पताल ढढ़नि (जमानियां विकास खण्ड) में है । असहायता प्राप्त निजी में -

1.मानव सेवा संघ, गाजीपुर, 2. डा0 सुरेश राय का आँख अस्पताल 3. जहूराबाद (कासिमाबाद विकास खण्ड) ईसाई मशीनरी 4. परजीपार ईसाई मशीनरी (कासिमाबाद विकास खण्ड) 5. छतमपुर ईसाई मशीनरी) बाराचवर विकास खण्ड) सम्मिलित हैं । आर्थिक सहायता प्राप्त के अन्तर्गत -

1. सीतापुर नेत्र चिकित्सालय गाजीपुर एवं
2. जमदग्नि चिकित्सालय (विकास खण्ड - जमानियाँ) सम्मिलित हैं ।

तालिका 6.23

जनपद में एलोपैथिक चिकित्सा सेवा

वर्ष	चिकित्सालय एवं औषधालय प्रा0स्वा0 केन्द्र छोड़कर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	समस्त उपलब्ध शैयायें	डाक्टर	पैरामेडिकल कर्मचारी	अन्य
1986-87	25	41	581	117	1222	225
1987-88	27	55	639	164	1243	295
1988-89	27	57	647	166	1243	301

स्रोत : जिला साँख्यिकी पत्रिका गाजीपुर 1989

चिकितसालय एवं औषधालय मनिहारी और कासिमाबाद विकास खण्ड में 2.2 है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सभी 16 विकास खण्डों में है । सबसे अधिक शैयायें भांवरकोल में 42 है मरदह में 28 है । मनिहारी में 24, रेवतीपुर में 26 तथा गाजीपुर में 22 हैं । जनपद गाजीपुर में ग्रामीण डाक्टरों की संख्या 91 तथा नगरीय 75

है । पैरामेडिकल कर्मचारी सैदपुर और मुहम्मदाबाद विकास खण्ड में नहीं है बाकी सभी विकास खण्डों में है । पैरामेडिकल कर्मचारियों की संख्या ग्रामीण 713 और नगरीय 530 है कुल 1243 पैरामेडिकल कर्मचारी हैं । अन्य में 175 ग्रामीण तथा 126 नगरीय है ।

तालिका 6.24

गाजीपुर जनपद में आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्यो पैथिक चिकित्सा सेवा

वर्ष	आयुर्वेदिक			यूनानी		
	औषधालय एवं चिकित्सालय	उपलब्ध शैयायें	डाक्टरों की संख्या	औषधालय एवं चिकित्सालय	शैयायें उपलब्ध	डाक्टरों की संख्या
1986-87	27	99	28	6	16	6
1987-88	29	99	28	6	16	6
1988-89	29	99	28	6	16	6

स्रोतः सांख्यिकी पत्रिका गाजीपुर, 1989

ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय एवं चिकित्सालय की संख्या 26 है उपलब्ध शैयायें 80 है डाक्टरों की संख्या 24 है । यूनानी औषधालय एवं चिकित्सालयों की संख्या 6 हैं उपलब्ध शैयायें 16 हैं । डाक्टरों की संख्या 6 है । नगरीय आयुर्वेदिक औषधालय एवं चिकित्सालयों की संख्या 3 उपलब्ध शैयायें 19 डाक्टरों की संख्या 4 है ।

होम्योपैथिक

	औषधालय एवं चिकित्सालय	उपलब्ध शैयायें	डाक्टरों की संख्या
1986-87	14	-	14
1987-88	19	-	19
1988-89	19	-	19

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका गाजीपुर, 1989.

तालिका 6.25

जनपद में परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र

	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र
1986-87	18	393
1987-88	18	393
1988-89	19	396

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका गाजीपुर 1989.

तालिका 6.26

जल सम्पूर्ति

जनपद में विकास खण्डवार ग्रामों में पेयजल सुविधा स्रोत

वर्ष/जनपद विकास खण्ड का नाम	नल लगाकर जल सम्पूर्ति के अंतर्गत ग्राम		सामान्यतया प्रयोग में लाने के अनुसार ग्रामों की संख्या		
	संख्या	लाभान्वित जनसंख्या (1000)	कुआँ	हैंडपम्प	नल द्वारा पेयजल सुविधा
1	2	3	4	5	6
1986-87	516	577	2143	336	61
1987-88	520	480	2126	336	61
1988-89	520	480	2126	336	61

क्रमशः

विकास खण्डवार वर्ष 1988-89

1	2	3	4	5	6
1. गाजीपुर	34	20	151	-	-
2. करण्डा	25	27	82	-	-
3. विरनों	52	37	128	-	-
4. मरदह	32	25	121	-	-
5. सैदपुर	31	20	241	2	-
6. देवकली	71	32	150	25	40
7. सादात	12	10	124	60	-
8. जखनियां	10	12	80	123	-
9. मनिहारी	20	15	195	-	-
10. मुहम्मदाबाद	48	36	54	124	21
11. भांवरकोल	27	12	140	-	-
12. कासिमाबाद	33	20	226	-	-
13. बाराचवर	29	30	185	-	-
14. जमानियां	36	56	124	-	-
15. भदौरा	13	77	65	-	-
16. रेवतीपुर	37	51	60	-	-
योग ग्रामीण :	520	480	2126	336	61

स्रोत : साँख्यिकी पत्रिका गाजीपुर 1989.

सबसे अधिक नल द्वारा जलसम्पूर्ति 71 देवकली में है विरनों में 52 है मुहम्मदाबाद में 48 हैं । सबसे अधिक लाभान्वित जनसंख्या भदौरा में 77 हजार है । सबसे अधिक कुआँ 241 सैदपुर विकास खण्ड में है । सबसे कम मुहम्मदाबाद में 54 हैं । हैण्डपम्प सैदपुर विकास खण्ड के दो गांवों में है, देवकली के 25, सादात के 60 जखनियाँ के 123 और मुहम्मदाबाद के 126 गाँवों में है । कुल मिलाकर गाजीपुर जिले में पेयजल की सुविधा सन्तोषजनक है और अधिक विकास होने से लोगों को और सुविधा होगी । पेयजल सुविधा से अभावग्रस्त ग्रामों की संख्या नगण्य है ।

तालिका 6.27

पंचायत राज

जनपद में विकास खण्डवार न्याय पंचायत, गांव सभा एवं पंचायत घर

वर्ष /जनपद विकास खण्ड का नाम	न्याय पंचायत संख्या	ग्राम सभा संख्या	पंचायत घर संख्या
1	2	3	4
1986-87	193	1287	155
1987-88	193	1280	164
1988-89	193	1280	167
विकास खण्डवार : वर्ष 1988-89			
1. गाजीपुर	13	73	9
2. करण्डा	11	55	12
3. विरनों	10	58	10
4. मरदह	11	66	8

क्रमशः

1	2	3	4
5. सैद्पुर	15	117	9
6. देवकली	12	99	20
7. सादात	13	91	10
8. जखनियाँ	12	93	9
9. मनिहारी	14	100	8
10.मुहम्मदाबाद	13	102	11
11.भांवरकोल	11	76	10
12.कासिमाबाद	16	107	9
13.बाराचवर	13	91	3
14.जमानियां	14	72	18
15.भदौरा	7	35	11
16.रेवतीपुर	8	45	10
योग- ग्रामीण	193	1280	167

नोट : विकास खण्ड गाजीपुर की 8 ग्राम सभायें नगर क्षेत्र में स्थानानतरित हो गई है तथा एक नयी ग्राम सभा का सृजन हुआ है ।

सबसे अधिक न्याय पंचायत 16 कासिमाबाद में है सबसे कम 7 भदौरा में । सबसे अधिक ग्राम सभा 117 सैद्पुर विकास खण्ड में है सबसे कम भदौरा में 35 है । पंचायत घरों की संख्या सबसे अधिक देवकली में 20 है तथा मरदह और मनिहारी में 4 - 4 है ।

जिले के विकास कार्यक्रम :

1. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जिले के सभी 16 विकास खण्डों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अधीन उन कृषकों, कारीगरों, खेतिहर मजदूरों, बुनकरों व ग्रामवासियों को लिया गया है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं ।

2. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आर्थिक उत्थान हेतु विशेष अवयव योजना (स्पेशल-कम्पोनेन्ट प्लान) चलाई जा रही है । निगम आवेदन-पत्र भेजता है । छूट तथा मार्जिन मनी ऋण भी देता है ।

3. जिले में मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए मत्स्य पालक विकास अभिकरण कार्यरत है । अभिकरण छूट तथा तकनीकी सहायता भी देता है ।

4. जिले के पाँच विकास खण्डों में राज्य द्वारा प्रवर्तित एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है । ये विकास खण्ड मुहम्मदाबाद, भांवरकोल, रेवतीपुर, जमानियां तथा भदौरा हैं ।

5. जिलों में सिंचाई की सम्भाव्यता बढ़ाने हेतु निम्नलिखित प्रोजेक्ट (परियोजनायें) चल रही हैं -

क. शारदा कैनाल (नहर परियोजना) :

इस योजना के अधीन सादात, जखनियां तथा सैदपुर विकास खण्ड आते हैं ।

ख. देवकली पम्प कैनाल प्रोजेक्ट (परियोजना) :

इस परियोजना का कमाण्ड क्षेत्र जिले के देवकली , सैदपुर, मनिहारी, विरनों, सादात तथा मरदह विकास खण्ड हैं ।

ग. वीरपुर पम्प कैनाल :

यह भांवरकोल विकास खण्ड को आवृत्त करती है ।

घ. रामगढ़ पम्प कैनाल :

यह परियोजना जिले के कासिमाबाद विकास खण्ड तक ही सीमित है ।

ड. चाका बांध लिफ्ट कैनाल :

यह जिले के जमानियाँ, भदौरा तथा रेवतीपुर विकास खण्डों को आवृत्त करती है ।

6. स्वतंत्र ट्रेड यूनियन के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के अधीन ग्रामीण निधर्नो हेतु श्रम संगठन (लौर्प) जिले में कार्य कर रहा है । जिसका मुख्यालय करण्डा विकास खण्ड के कुसुम्ही कलाँ गाँव में है इस संगठन का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक विकास हेतु ग्रामीणों व गरीबों में जागरूकता लाना है ।

बैंक सुविधाएँ :

जिले में बैंक की शाखाओं का प्रसार अच्छा है । जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा जिला सहकारी बैंको सहित 165 शाखायें हैं । विकास खण्डवार शाखाओं की स्थिति निम्न तालिका में दी गयी है :

तालिका 6.28

विकास खण्ड	वाणिज्यिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	जिला सहकारी बैंक	भूमि विकास बैंक	योग
1	2	3	4	5	6
1. गाजीपुर	14	2	1	1	18
2. करण्डा	3	2	1	-	6
3. बिरनो	4	2	1	-	7
4. मरदह	1	5	1	-	7
5. सैदपुर	7	5	1	1	14
6. देवकली	3	6	1	-	10
7. सादात	4	4	2	-	10

1	2	3	4	5	6
8. जखनियां	3	4	2	-	9
9. मनिहारी	4	4	2	-	10
10.मुहम्मदाबाद	6	7	1	1	15
11.कासिमाबाद	3	5	2	-	10
12.बाराचवर	5	2	1	-	8
13.भांवरकोल	5	3	1	-	9
14.जमानियां	5	7	1	-	13
15.भदौरा	4	4	2	1	11
16.रेवतीपुर	1	6	1	-	8
योग	72	68	21	4	165

वार्षिक ऋण योजना 1989-90 के अन्तर्गत उपलब्धियों की समीक्षा

समीक्षा करने पर यह पाया गया कि योजना के क्रियान्वयन में ढिलाई बरती गई है । असंतोष प्रगति की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो इसी उद्देश्य से कार्य निष्पादन की समीक्षा निम्नलिखित आधारों पर होती है :

1. शाखा विस्तार
2. जिले में बैंक का जमा ऋण तथा ऋण जमा अनुपात ।
3. वार्षिक ऋण योजना 89.90 के तहत बैंकवार/क्षेत्रवार कार्य निष्पादन ।
4. एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अंतर्गत प्रगति ।
5. शहरी गरीब योजना एवं अन्य विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति ।

1	2	3	4	5	6
8. जखनियां	3	4	2	-	9
9. मनिहारी	4	4	2	-	10
10. मुहम्मदाबाद	6	7	1	1	15
11. कासिमाबाद	3	5	2	-	10
12. बाराचवर	5	2	1	-	8
13. भांवरकोल	5	3	1	-	9
14. जमानियां	5	7	1	-	13
15. भदौरा	4	4	2	1	11
16. रेवतीपुर	1	6	1	-	8
योग	72	68	21	4	165

वार्षिक ऋण योजना 1989-90 के अन्तर्गत उपलब्धियों की समीक्षा

समीक्षा करने पर यह पाया गया कि योजना के क्रियान्वयन में ढिलाई बरती गई है । असंतोष प्रगति की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो इसी उद्देश्य से कार्य निष्पादन की समीक्षा निम्नलिखित आधारों पर होती है :

1. शाखा विस्तार
2. जिले में बैंक का जमा ऋण तथा ऋण जमा अनुपात ।
3. वार्षिक ऋण योजना 89.90 के तहत बैंकवार/क्षेत्रवार कार्य निष्पादन ।
4. एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अंतर्गत प्रगति ।
5. शहरी गरीब योजना एवं अन्य विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति ।

शाखा विस्तार :

वर्ष 1989-90 में शाखा विस्तार कार्यक्रम में अग्रणी बैंक (यूनियन बैंक आफ इण्डिया) ने चार नयी शाखायें (जिनके लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक से सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के संदर्भ में प्राप्त हुए थे) खोल दी हैं यथा सैदपुर ब्लाक में नायकडीह, देवकली ब्लाक में पहाड़पुर, मुहम्मदाबाद ब्लाक में शहबाजकुली एवं भाँवरकोल में छोटी मछटी ।

जिला सहकारी बैंक ने एक शाखा भदौरा विकास खण्ड में ब्लाक मुख्यालय भदौरा पर खोली हैं । इस प्रकार जनपद में समस्त बैंकों की शाखायें 165 हो गयी हैं । सेवा क्षेत्र दृष्टिकोंण के अन्तर्गत शाखा विस्तार के सम्बन्ध में संस्थागत वित्त निदेशालय के माध्यम से जिन क्षेत्रों में शाखा खोलने हेतु संस्तुति रिजर्व बैंक को भेजी गयी थी एवं विचाराधीन लम्बित हैं वे निम्न हैं :-

	केन्द्र	विकास खण्ड
1.	बिजौरा	मरदह
2.	उतरौली	रेवतीपुर
3.	बड़ौरा	कासिमाबाद

भारतीय रिजर्व बैंक से अभी तक उक्त केन्द्रों के लिए लाइसेंस नहीं प्राप्त हुए हैं । शाखाओं की विकास खण्डवार स्थिति तालिका में दिखाई गई है ।

जनपद में बैंक जमा ऋण तथा ऋण जमा अनुपात :

राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर संस्थागत वित्त से सम्बन्धित जो भी बैठकें आहूत होती हैं उनमें अन्य विषयों के अतिरिक्त जनपद के ऋण जमा अनुपात (क्रेडिट

डिपाजिट रेशियो) पर चर्चा अवश्य होती हे एवं सरकार के उच्च अधिकारी, जन प्रतिनिधि एवं जिलाधिकारी इस बात पर बल देते हैं कि येन - केन प्रकारेण जनपद की ऋण जमा अनुपात बढ़ाने में प्रयत्न करने के उपरान्त भी विशेष प्रगति नहीं हो पा रही है क्योंकि बैंकों की जमा राशि किस क्रम में बढ़ रही है उसी क्रम में ऋण में वृद्धि नहीं हो पा नही है । विभिन्न बैंकों के जमा ऋण तथा ऋण अनुपात बैंकवार की तुलनात्मक स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है ।

तालिका 6.29

बैंकवार सकल जमा राशि, कुल ऋण तथा ऋण जमा अनुपात की तुलनात्मक स्थिति (रू0 हजार में)

क्र0 सं0 बैंक	दिसम्बर 1988			दिसम्बर 1989			मार्च 1990		
	सकल जमा रूपया	कुल ऋण रूपया	ऋण जमा अनु0 %	सकल जमा रू0	कुल ऋण रू	ऋण जमा अनु0 %	सकल जमा रूपया	कुल ऋण रूपया	ऋण जमा अनु0 %
1. यूनियन बैंक	868533	302167	34.79	1027224	326625	31.79	1093415	351796	32.17
2. भारतीय स्टेट बैंक	318464	96356	30.25	376350	106036	28.17	402392	119865	29.78
3. इलाहाबाद बैंक	272403	43826	16.08	299500	48930	16.33	324145	53013	16.35
4. पंजाब नेशनल बैंक	92315	30854	33.42	97559	29590	30.33	106239	31396	29.55
5. बैंक आफ बड़ौदा	33270	7418	22.30	35983	8149	22.64	37777	8672	22.95
6. सेन्ट्रल बैंक	10906	6296	57.73	13320	7651	57.90	16430	8140	49.54
7. बनारस स्टेट बैंक	56648	14708	25.96	60554	16275	26.87	65913	17868	27.10
8. स0क्षे0ग्रामीण बैंक	250485	130599	52.13	309641	137989	44.56	330303	155826	47.17
योग	1903024	632224	33.22	2220140	681245	30.68	2376614	746576	31.41

इस तुलना से यह स्पष्ट है कि यदि ऋण वितरण के लिए ठोस कदम नहीं उठाये गये तो ऋण जमा अनुपात में कोई सुधार नहीं हो पायेगा । विभिन्न बैठकों में बैंकों के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से यह अनुरोध किया है कि बड़े - बड़े उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे मध्यम एवं बड़े उद्योग जनपद में लगाये तथा सेवा व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी - बड़ी योजनायें बनायी जायें जिसमें बैंकों वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण की भारी खपत हो सके ।

वार्षिक ऋण योजना 1989-90 के अन्तर्गत बैंकवार/क्षेत्रवार कार्य निष्पादन :

वार्षिक ऋण योजना 1989-90 के अधीन क्षेत्रवार कार्य निष्पादन निम्न तालिका में दिया गया है ।

मार्च 1990 तक (हजार रूपया में)

क्षेत्र	लक्ष्य (वित्तीय)	उपलब्धि(वित्तीय)	प्रतिशत
1. कृषि	186839	189959	101.66
जिसमें से फसली ऋण	73902	73529	99.49
सावधि ऋण	75113	86734	115.47
कृषि से संबंधित ऋण	37824	29693	78.50
2. लघु उद्योग	28966	20381	70.36
3. सेवा एवं व्यवसाय	47577	49018	103.02
योग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	263382	259355	98.47

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वार्षिक ऋण योजना 1989-90 के अंतर्गत केवल लघु उद्योग क्षेत्र में उपलब्धियाँ लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो पाई जिसके लिए सभी प्रतिभागी, प्रतिभागी बैंकों एवं उद्योग विभाग से अपेक्षा है कि भविष्य में अधिक प्रयास करें ।

विकास एजेन्सियों को एक बार पुनः आपस में सहयोग करके विभिन्न क्षेत्रों/राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्राप्ति हेतु और प्रयास करने होंगे । बैंक शाखाओं से यह अपेक्षा की गई थी कि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोंण के अन्तर्गत प्रत्येक शाखा अपने सेवा क्षेत्र/आबंटित ग्रामों पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगी तथा शाखावार बनाये गये लक्ष्यों को पूर्ण प्रयास करके प्राप्त करेगी ।

बैंकवार/क्षेत्रवार उपलब्धि मार्च 1990 तक पेज 288 में दर्शायी है । परिशिष्ट में दर्शाये आंकड़ों के आधार पर बैंकवार प्रगति की स्थिति निम्न है -

1. यूनियन बैंक आफ इण्डिया :

जनपद गाजीपुर का अग्रणी बैंक अपनी 49 शाखाओं के माध्यम से जिले में ऋण वितरण कार्य कर रहा है । इस बैंक में जिला ऋण योजना 1989-90 के अंतर्गत 9185 खातों में 703.16 लाख रूपये लक्ष्य के विपरीत 10079 लाभार्थियों को 820.59 लाख रूपये ऋण वितरित किया जो लक्ष्य का 103.45 प्रतिशत था । इस प्रकार यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की प्रगति संतोषजनक रही ।

2. भारतीय स्टेट बैंक :

भारतीय स्टेट बैंक अपनी 9 शाखाओं के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण कर रहा है । इस बैंक ने जिला ऋण योजना 89-90 के अंतर्गत कुल लक्ष्य रू0 226.85 के विपरीत 499.63 लाख की उपलब्धि की जो कि लक्ष्य का 220.24 प्रतिशत है । यह उपलब्धि संतोषजनक है ।

3. सेन्ट्रल बैंक :

जनपद में एक शाखा है लक्ष्य रू 0 27.25 लाख था जबकि उपलब्धि रू0 11.12 लाख हो पाई प्रगति बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं थी जबकि जिलाधिकारी गाजीपुर ने कई बार स्वयं समीक्षा की थी ।

10. उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि0 :

कुल लक्ष्य रू0 207 .92 लाख के विपरीत उपलब्धि रू0 147.14 लाख रही जो 70.76 प्रतिशत थी प्रगति संतोषजनक नहीं है ।

11. उ0प्र0 वित्त निगम :

लक्ष्य रू0 75.00 लाख के विपरीत उपलब्धि रू0 40.00 लाख हुई ।

राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्य निष्पादन

1. एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम :

इसके अंतर्गत जनपद का कुल भौतिक लक्ष्य 10237 व वित्तीय लक्ष्य रू0 416.75 लाख के विपरीत उपलब्धि 11184 भौतिक तथा रू0 546.97 लाख वित्तीय रही जो 131.24 प्रतिशत (वित्तीय लक्ष्य से) है ।

2. शिक्षित बेरोजगार योजना (सीयू):

इस योजना के अंतर्गत कुल लक्ष्य 280 भौतिक के विपरीत 192 ऋणं प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये गये जिनके विपरीत ऋण वितरण दिसम्बर 90 तक जारी रहा ।

3. शहरी निर्धनों हेतु स्वतः रोजगार योजना (सेपप) :

जनपद के कुल लक्ष्य 482 (भौतिक) के विपरीत 360 खातेदारों की ऋण स्वीकृत किये गये वितरण जारी है ।

4. स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान :

जनपद के कुल भौतिक लक्ष्य 1250 के विपरीत 1052 प्रार्थियों को ऋण स्वीकृत किये गये तथा 990 आवेदकों को रू0 93.41 लाख ऋण वितरीत किये गये । उपरोक्त सभी व अन्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और भी अधिक सफलता से किया जा सकता है यदि सभी विकास एजेन्सी/कार्यालय ऋण प्रार्थना पत्रों की गुणवत्ता पर अपना विशेष

ध्यान दें तथा लाभार्थियों/अभ्यर्थियों का चयन करते समय पात्रता का अवश्य सुनिश्चित करें ।

सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अन्तर्गत विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर अनुश्रवण :

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शनों के अनुसार सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अन्तर्गत वर्ष 1983 से ही ब्लाक स्तरीय बैंकर्स समिति (बी0एल0बी0सी0) की बैठकें आहूत होती रही हैं । गाजीपुर जनपद में प्रत्येक विकास खण्ड में स्थित यूनियन बैंक के वरिष्ठतम शाखा प्रबन्धक को बी0एल0बी0सी0 का संयोजक प्रारम्भ में ही घोषित कर दिया गया था । वैसे तो बी0एल0बी0सी0 की बैठक तीन महीने में एक बार आहूत की जाती है किन्तु यदि कुछ विषयों योजनाओं को तुरन्त लागू करना होता है अथवा राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति जानने के लिए बी0एल0बी0सी0 की बैठकें एक त्रैमास में दो आहूत की जाती हैं ।

जिला सतर पर स्थायी समिति की बैठकें प्रतिमाह तथा जिला सलाहकार समिति की बैठकें त्रैमास में एक बार आहूत की जाती है । उक्त बैठकों में बैंकवार/ क्षेत्रवार प्रगति की समीक्षा की जाती है । गाजीपुर जनपद में अग्रणी बैंक एवं विकास एजेन्सियों में अच्छा समन्वय है एवं जो कठिनाइयाँ राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन अथवा प्रगति की समीक्षा करने में आती हैं उन्हें परस्पर सहयोग से दूर कर लिया जाता है ।

तालिका 6.30

बैंक शाखाओं की स्थिति विकास खण्डवार

विकास खण्ड का नाम	यूनियन बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	इलाहाबाद बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	बैंक आफ बड़ौदा	सेन्ट्रल बैंक	बनारस स्टेट बैंक	संयुक्त क्षेत्रीय ग्रा0 बैंक	जिला सहकारी बैंक	भूमि विकास बैंक
गाजीपुर	गाजीपुर (मुख्य)	गाजीपुर (मुख्य)	गाजीपुर	गाजीपुर	गाजीपुर	गाजीपुर	गाजीपुर	गाजीपुर	गाजीपुर	गाजीपुर
	डिग्री कालेज	फतेहपुर	-	-	-	-	-	फतेउल्लापुर	-	-
	कचहरी रोड	सुसुन्डी	-	-	-	-	-	-	-	-
	खलिसपुर	मिश्र बाजार	-	-	-	-	-	-	-	-
	महराजगंज	-	-	-	-	-	-	-	-	-
करण्डा	करण्डा	-	-	-	-	-	-	मैनपुर	करण्डा	
	सबुआ	-	-	-	-	-	-	चोचकपुर	-	-
बिरनो	जंगीपुर	जंगीपुर	बद्धूपुर	-	-	-	-	भोजपुर	जंगीपुर	-
	बिरनो	-	-	-	-	-	-	भड़सर	-	-
								बोगना	-	-
मरदह	मरदह	-	-	-	-	-	-	सिंगेरा	मरदह	-
	-	-	-	-	-	-	-	मटेहू	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	पृथ्वीपुर	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	नसरतपुर	-	-
सैदपुर	सैदपुर	-	-	-	-	-	-	सैदपुर	सैदपुर	सैदपुर
	औड़िहार	-	-	-	-	-	-	मौधा	-	-
	रसूलपुर	-	-	-	-	-	-	सिधौना	-	-
	दादरा	-	-	-	-	-	-	उचौरी	-	-
	नुरूदीनपुर	-------	-	-	-	-	-	खानपुर	-	-
	नायकडीह	-	-	-	-	-	-	भितरी	-	-

क्रमशः

विकास खण्ड का नाम	यूनियन बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	इलाहाबाद बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	बैंक आफ बड़ौदा	सेन्ट्रल बैंक	बनारस स्टेट बैंक	संयुक्त क्षेत्रीय ग्रा0 बैंक	जिला सहकारी बैंक	भूमि विकास बैंक
देवकली	नन्दगंज	-	-	-	-	-	-	देवकली	नन्दगंज	-
	बासूपुर	-	-	-	-	-	-	रामपुर मांझा	-	-
	पहाड़पुर	-	-	-	-	-	-	धुवार्जुन	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	सिरगिथा	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	देवचन्दपुर	-	-
सादात	सादात (मुख्य)	-	-	-	-	-	-	भीमापार	सादात	-
	सादात (रि0स्टे0)	-	-	-	-	-	-	माहपुर	बहरियाबाद	
	रायपुर	-	-	-	-	-	-	बहरिया	-	-
	हुरमुजपुर	-	-	-	-	-	-	मिर्जापुर	-	-
जखनियाँ	जखनियाँ	-	दुल्लहपुर	-	-	-	-	दुल्लहपुर	जखनियां	-
	जलालाबाद	-	-	-	-	-	-	भुड़कुड़ा	दुल्लहपुर	-
	-	-	-	-	-	-	-	बुढ़ानपूर	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	रामपुर बलभद्र	-	-
मनिहारी	शादियाबाद	-	-	-	-	-	-	बुजुर्गा	हंसराजपुर	-
	हंसराजपुर	-	-	-	-	-	-	मौधिया	शादियाबाद	-
	कटघरा	-	-	-	-	-	-	सिखड़ी	-	-
	मालिकपुरा	-	-	-	-	-	-	मनिहारी	-	-
मुहम्मदा-	मुहम्मदाबाद	मुहम्मदाबाद (ब्या0)	युसुफपुर	-	-	-	-	मुहम्मदाबाद	मुहम्मदाबाद	मुहम्मदाबाद
	शहबाज कुली	मुहम्मदाबाद (कृ0वि0शा0)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	नोनहरा	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	गौसपुर	-	-

क्रमशः

विकास खण्ड का नाम	यूनियन बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	इलाहाबाद बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	बैंक आफ बड़ौदा	सेन्ट्रल बैंक	बनारस स्टेट बैंक	संयुक्त क्षेत्रीय ग्रा0 बैंक	जिला सहकारी बैंक	भूमि विकास बैंक
	-	-	-	-	-	-	-	महुवी	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	राजापुर	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	इचौली	-	-
भांवरकोल	मिर्जाबाद	-	गोड़उर	-	-	-	-	शेरपुर	सुखडेहरा	-
	कनुवान	-	महेन्द	-	-	-	-	खरडीहा	-	-
	मछटी	-	-	-	-	-	-	कुण्डेसर	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	लौवाडीह	-	-
कासिमाबाद	बहादुरगंज	-	-	-	-	-	-	कासिमाबाद	कासिमाबाद	-
	गंगौली	-	-	-	-	-	-	महेशपुर	बहादुर	-
	सिधागर	-	-	-	-	-	-	हाजीपुर	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	बरेसर	-	-
								जहूराबाद	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	अलावलपुर	-	-
बाराचवर	करीमुद्दीनपुर	-	-	-	-	-	-	दुविहां	करीमुद्दीनपुर	-
	बाराचवर	-	-	-	-	-	-	ताजपुर	-	-
	अहमट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	माटा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कटरीपा	नसीरपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
जमानियां	ज.(रि.स्टे.)	जमानियां	बेटावर	-	-	-	ज.रे.स्टे.	जमानियां	ज.(कस्बा)	-
	ज.(कस्बा)	-	-	-	-	-	-	देवरिया	-	-
	अभयपुर	-	-	-	-	-	-	ढढ़नी	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	कुली	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	गरूआ मक.पुर	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	दरौली	-	-

क्रमशः

विकास खण्ड का नाम	यूनियन बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	इलाहाबाद बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	बैंक आफ बड़ौदा	सेन्ट्रल बैंक	बनारस स्टेट बैंक	संयुक्त क्षेत्रीय ग्रा0 बैंक	जिला सहकारी बैंक	भूमि विकास बैंक
भदौरा	गहमर	-	दिलदारनगर	-	-	-	-	करहियाँ	दि0नगर	दिलदारनगर
	उसियां	-	-	-	-	-	-	दिलदारनगर	रेवतीपुर	-
	दिलदारनगर	-	-	-	-	-	-	देवल	भदौरा	-
	-	-	-	-	-	-	-	बारा	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	भदौरा	-	-
रेवतीपुर	रेवतीपुर	-	-	-	-	-	-	तारीघाट	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	नगसर	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	डेढ़गांवां	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	पटखनियाँ	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	नौली	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	सुहवल	-	-
योग	49	9	8	1	1	1	3	68	21	4

महायोग - 165

जिले की विकास योजनायें

उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में गाजीपुर का स्थान है । इस जिले की 92.06 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है । कृषि एवं उससे संबंधित अन्य कार्यविधियों, घरेलू कुटीर उद्योगों द्वारा ही ग्रामीण क्षत्रों के निवासी अपना जीवन निर्वाह करते हैं ।

शासकीय विभागों एवं विकास एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है । जनपद में चलाये जा रहे विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का विवरण निमन प्रकार है -

1. कृषि ऋण :

(1) अधिक उपज वाली प्रजातियों के कार्यक्रम के अधीन, धान और गेहूँ की फसलों के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाया जायेगा ।

(2) उसी प्रकार गन्ने के अंतर्गत क्षेत्र में, तिलहनों और दालों के क्षेत्र को बढ़ाया जाना है ।

(3) खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रमों के अंतर्गत महत्वपूर्ण विशिष्टीकृत फसलों के उत्पादन के अंतर्गत अर्थात् धान, गेहूँ, गन्ना, बाजरा, तिलहनों और दालों के क्षेत्र को बढ़ाया जाना है ।

(4) ये योजना बनाई गयी है कि जिले में कम से कम 13000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए काफी बड़ी संख्या में व्यक्तिगत ट्यूबबेलों का लगाया/बोर किया जाना है ।

(5) नि:शुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत विभागीय योजनाओं को 5000 के लक्ष्य को पूरा करना है ।

(6) ये भी योजना है कि लगभग 350 व्यक्तिगत ट्यूबवेलों/नलकूपों का विद्युतीकरण किया जाना है ।

(7) मछली पालन विकास कार्यक्रम 120 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाना है ।

(8) ऊसर भूमि सुधार योजना के अंतर्गत 1000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किये जाने की योजना है ।

(9) 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र को सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाना है ।

(10) 400 गोबर गैस/जनता बायो गैस संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य है ।

2. औद्योगिक विकास :

गाजीपुर जनपद औद्योगिक रूप से पिछड़ा है। जिले में 4 मध्यम / बड़ी औद्योगिक इकाईयां है उनमें से एक सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन है, एक व्यक्तिगत है और दो सहकारी क्षेत्र के अधीन हैं ।

(1) जिले में कृषि पर आधरित और अधिक उद्योगों को लगाने के लिए दबाव दिया जाना है ।

(2) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अभियंत्रण इकाईयोंऔर टेक्सटाइल पर आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिये जाने की योजना है ।

(3) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उद्यम विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किये जाने की योजना है ।

(4) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा लगभग 500 लघु और ग्रामीण कुटीर उद्योगों के अंतर्गत इकाईयों की स्थापना किये जाने की योजना है ।

(5) खादी और ग्राम्य उद्योग विभाग का ढांचा बहुत कमजोर है जिसका कारण उसका निम्न स्तरीय विकास और ढांचा है । फिर भी इस विभाग को जो लक्ष्य दिये गये थे उन्हें प्राप्त कर लिया गया है । 360 इकाईयों के लिए रू0 16 लाख वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जो बैंकों के ऋणों से अलग है ।

3. सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) :

सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित महत्वपूर्ण गतिविधियाँ परिवहन, फुटकर व्यापार और व्यवसायिक तथा स्वतः नियोजितों को प्रदान की जाने वाली गतिविधियाँ है । इन क्षेत्रों के लिए कोई विशिष्टीकृत योजना नहीं है किन्तु कुछ हद तक ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम और शिक्षित युवकों के लिए स्वतः रोजगार योजना तथा शहरी गरीबों के लिए स्वतः रोजगार योजना जैसी योजनाओं के अन्तर्गत उनके मूल्यांकन किये जाने की आवश्ययकता है । यह योजना (वार्षिक कार्य योजना) में ऐसी गतिविधियों को पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है ।

4. लघु स्तरीय उद्योग :

प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार है जंगलों पर आधारित उद्योग टेक्सटाईल्स पर आधारित उद्योग, पशु पालन अभियंत्रण इकाईयाँ, गृह निर्माण सामान, रासायनिक उद्योग इत्यादि ।

5. तृतीयकश्रेणी क्षेत्र की गतिविधियाँ :

प्रमुख गतिविधियाँ हैं - साइकिल , रिक्शा, घोड़े सहित इक्का, स्वतः चालित रिक्शा, टैक्सी, दस्तकारी, जूते की मरम्मत की इकाईयाँ, दर्जीगिरी इकाईयाँ, आवासीय शिक्षा, उचित मूल्य की दुकानें इत्यादि ।

6. महत्वपूर्ण सरकारी योजनायें/विकासशील कार्यक्रम 1990-91 :

क. आई0 आर0 डी0 पी0 (एग्राविका) :

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में आई0 आर0 डी0 पी0 मुख्य है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सभी विकास खण्डों के माध्यम से चलाया जा रहा है । वर्ष 1989-90 में उक्त योजना के अंतर्गत जनपद का भौतिक लक्ष्य - 10237 था जिसके विपरीत 1990-91 का भौतिक लक्ष्य 12090 निर्धारित किया गया है । वित्तीय आबंटन वर्ष 90-91 के लिए रू0

10.97 करोड़ प्रस्तावित है । ऐसा संकेत मिला है कि शासन द्वारा निर्देशित लक्ष्य प्रस्तावित लक्ष्य से बहुत कम रहेगा ।

ख. विशेष घटक योजना (एस0सी0पी0) :

यह कार्यक्रम जिले के ग्रामीण, अर्द्धशहरी और शहरी क्षेत्रों में चल रहा है, कार्यक्रम में मुख्यतः चार श्रेणियाँ हैं ।

1. रू0 6000/- तक की योजनायें
2. रू0 12000/- तक की योजनायें
3. रू0 20000/- तक की योजनायें
4. रू0 35000/- तक की योजनायें

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ऋण प्रार्थना पत्रों को तैयार करता है, एवं अनुदान प्रदान करता है ।

ग. लघु सिंचाई योजना :

यह कार्यक्रम जिले के सभी 16 विकास खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है, यद्यपि लक्ष्यों को समाहित किया गया है फिर भी विकासशील योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता को प्रतिबन्धित नहीं किया जायेगा । इसी योजना के अंतर्गत निःशुल्क बोरिंग योजना भी सम्मिलित हैं ।

घ. बायो गैस :

जिले में ऊर्जा ईंधन के स्रोत्रों को मजबूत करने के लिए 400 के भौतिक लक्ष्य पर विचार किया गया है ।

च. मत्स्य पालक विकास कार्यक्रम :

मत्स्य पालक विकास अभिकरण (एफ0एफ0डी0ए0) ने जिले में 120 हेक्टेयर में मछली पालन तालाबों को विकसित करने का कार्यक्रम बनाया है । वित्तीय लक्ष्य

रू0 30.60 लाख की कुल आवश्यकता है जिसमें रू0 24.60 लाख बैंक ऋण व रू0 6.00 लाख अनुदान होगा । इसके अतिरिक्त मिनी हेचरी निर्माण रू0 10.00 लाख की आवश्यकता होगी ।

छ. ऊसर भूमि सुधार :

यह कार्यक्रम दो विकास खण्डों में कार्यान्वित है, उदाहरणार्थ देवकली में यूनियन बैंक आफ इण्डिया नन्दगंज और संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देवकली के माध्यम से और विरनों में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया विरनो और संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भड़सर के माध्यम से । परन्तु योजना के क्रियान्वयन की गति बहुत धीमी है क्योंकि सम्बन्धित विभाग सहयोग नहीं दे रहे हैं ।

ज. शहरी गरीबों के लिए स्वतः रोजगार कार्यक्रम [सेवप] :

यह कार्यक्रम जिले के 9 केन्द्रों द्वारा चलाया जा रहा है, ये केन्द्र हैं - गाजीपुर, सैदपुर, सादात, जंगीपुर , बहादुरगंज, मुहम्मदाबाद, जमानियाँ, गहमर और दिलदारनगर । प्रत्येक 300 की जनसंख्या के लिए एक का भौतिक लक्ष्य है और कुल का 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, भौतिक लक्ष्य 512 आया है ।

झ. शिक्षित बरोजगार युवकों के लिए स्वतः रोजगार योजना [सीयू] :

जिले के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिला सहसकारी बैंकों और भूमि विकास बैंक को छोड़कर सभी राष्ट्रीकृत और वाणिज्य बैंकों के लिए 286 का भौतिक लक्ष्य दिया गया है।

ट. अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मार्जिन राशि ऋण योजना :

यह कार्यक्रम अल्प संख्यक समुदायों के लिए है जिसके अन्तर्गत बैंकों द्वारा ऋण दिया जायेगा ओर मार्जिन राशि जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से उ0प्र0 अल्पसंख्यक समुदाय वित्तीय और विकास निगम द्वारा उपलब्ध होगी ।

ठ. कुटीर और ग्राम्य उद्योगों का विकास (के0वी0आई0सी0) :

यह कार्यक्रम जिले में दो प्रकार से कार्यान्वित किया जा रहा है अर्थात पूँजी अनुदान सम्बन्धी और ब्याज अनुदान सम्बद्ध उधारी ।

ड. पेक्सेम और सेम्फेक्स -।। :

दो योजनायें उदाहरणार्थ भूतपूर्व सैनिकों को स्वतः रोजगार के लिए तैयार करने (पेक्सम) और भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वतः रोजगार योजना-।। (सेम्फेक्स) को जिले में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास हेतु लागू किया जा रहा है । सभी बैंकों से अनुवर्ती कारवाई बराबर की जाती है परन्तु उपलब्धियाँ संतोषजनक नहीं है ।

इस प्रकार वार्षिक ऋण योजना 1990-91 द्वारा सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों और विभेदक ब्याज दर योजना, लघु एवं सीमान्त कृषकों/भूमिहीन मजदूरों, अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ओर कमजोर वर्गों को समान रूप से सहायता प्रदान करने के निरन्तर प्रयास किये जाते हैं ।

मूलभूत/सहयोगी सुविधाओं/सेवाओं हेतु व्यवस्था तथा उत्तरदायी एजेन्सी/विभाग :

विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु तथा शाखाओं को जो लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में आबंटित किये जाते हैं उन्हें प्राप्त करने हेतु ऋण वितरित किया जाता है, परन्तु ऋणों का सही व प्रभावी उपयोग क्षेत्र में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं एवं सहयोगी सुविधाओं पर निर्भर करता है ।

विगत कई वर्षों से जिला ऋण योजनायें तथा वार्षिक ऋण योजनायें अग्रणी बैंकों द्वारा बनाई जाती रही हैं एवं कुछ शासकीय विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती रही है कि बैंकों द्वारा तैयार की गयी जिला ऋण योजना के सही कार्यान्वयन हेतु मूलभूत सुविधायें वे उपलब्ध करायें जिससे कि क्षेत्रवार लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके किन्तु यह देखने में आया है कि बहुत से विभाग मूलभूत/सहयोगी सुविधाओं/सेवाओं हेतु व्यवस्था नहीं कर पाते हैं जिससे योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ता है । प्रत्येक क्षेत्र में अलग - अलग एर्जेसी व विभाग उत्तरदायी हैं जिनका उल्लेख निम्नवत् है -

1. कृषि -

फसल उत्पादन

विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (एस0एफ0पी0पी0):

जिले के प्रमुख व्यवसाय कृषि के लिए विस्तृत योजनायें एवं ऋण योजनाओं को अत्याधिक महत्व दिया जा रहा है । खरीफ व रबी की फसलों में धान तथा गेहूँ प्रमुख फसलें हैं ।

ए. अधिक पैदावार किस्म कार्यक्रम (एस0पी0पी0पी0) :

इस कार्यक्रम को 1965 में रबी तथा खरीफ की फसली मौसम में जिले के सभी विकास खण्डों में लागू किया गया था । गेहूँ तथा धान की अधिक पैदावार हेतु गहन खेती की जा रही है, और प्रमाणित बीज तथा खाद के उच्चतम आवश्यक स्तर का प्रयोग किया जा रहा है ।

बी. प्रमाणित बीज की आपूर्ति हेतु फार्म प्रक्रिया इकाईयों की स्थापना :

टिसौरा में केवल एक कृषि बीज गुणज फार्म है और इसके उत्पाद को बीज के रूप में प्रयोग किया जाता है । प्रमाणित बीज अधिकतर एन0एस0सी0 तथा टी0डी0सी0 व अन्य कृषि फार्मों से प्राप्त कर मांग की पूर्ति की जाती है ।

सी. मात्रा दर्शाते हुए खाद की आपूर्ति व्यवस्था तथा वितरण हेतु उत्तरदायी अभिकरण :

कृषि सहकारिता तथा उत्तर प्रदेश एग्रो मुख्य अनुमोदित संस्थायें हैं जो सम्पूर्ण वितरण का कार्य करती हैं । कुछ निजी विक्रेता भी वितरण का कार्य कर रहें हैं । खाद आपूर्ति का मुख्य भाग सहकारी संस्थाओं द्वारा कुल आवश्ययकता का 50 प्रतिशत निजी विक्रेताओं द्वारा किया जाता है ।

प्रभाव पड़ता है । प्रत्येक क्षेत्र में अलग - अलग एर्जेंसी व विभाग उत्तरदायी हैं जिनका उल्लेख निम्नवत् है -

1. कृषि -

फसल उत्पादन

विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (एस0एफ0पी0पी0):

जिले के प्रमुख व्यवसाय कृषि के लिए विस्तृत योजनायें एवं ऋण योजनाओं को अत्याधिक महत्व दिया जा रहा है । खरीफ व रबी की फसलों में धान तथा गेहूँ प्रमुख फसलें हैं ।

ए. अधिक पैदावार किस्म कार्यक्रम (एस0पी0पी0पी0) :

इस कार्यक्रम को 1965 में रबी तथा खरीफ की फसली मौसम में जिले के सभी विकास खण्डों में लागू किया गया था । गेहूँ तथा धान की अधिक पैदावार हेतु गहन खेती की जा रही है, और प्रमाणित बीज तथा खाद के उच्चतम आवश्यक स्तर का प्रयोग किया जा रहा है ।

बी. प्रमाणित बीज की आपूर्ति हेतु फार्म प्रक्रिया इकाईयों की स्थापना :

टिसौरा में केवल एक कृषि बीज गुणज फार्म है और इसके उत्पाद को बीज के रूप में प्रयोग किया जाता है । प्रमाणित बीज अधिकतर एन0एस0सी0 तथा टी0डी0सी0 व अन्य कृषि फार्मों से प्राप्त कर मांग की पूर्ति की जाती है ।

सी. मात्रा दर्शाते हुए खाद की आपूर्ति व्यवस्था तथा वितरण हेतु उत्तरदायी अभिकरण :

कृषि सहकारिता तथा उत्तर प्रदेश एग्रो मुख्य अनुमोदित संस्थायें हैं जो सम्पूर्ण वितरण का कार्य करती हैं । कुछ निजी विक्रेता भी वितरण का कार्य कर रहें हैं । खाद आपूर्ति का मुख्य भाग सहकारी संस्थाओं द्वारा कुल आवश्ययकता का 50 प्रतिशत निजी विक्रेताओं द्वारा किया जाता है ।

डी. कीटों तथा बीमारी के नियंत्रण हेतु कीटनाशक द्रव्यों तथा पौध सुरक्षा संयत्र की आपूर्ति व्यवस्था हेतु प्रचार कार्यक्रम :

कीटनाशक की व्यवस्था पौध सुरक्षा विभाग द्वारा की जाती हे और प्रत्येक विकास खण्ड में कृषि रक्षा लघु केन्द्र भी है । निजी वितरकों द्वारा कीटनाशकों की आपूर्ति की जाती है । इनका प्रसार विकास खण्ड स्तरीय आधिकारियों द्वारा किया जाता है ।

ई. तिलहन, दलहन, चना तथा अन्य नकद फसली हेतु विकास कार्यक्रम :

यह योजना जिले में चल रही है और प्रत्येक मौसम में किसानों को तिलहन तथा दालों की उन्नत किस्में बीज हेतु वितरत की जाती है ।

एफ. स्थानीय खाद संसाधनों का विकास :

यह योजना जिले के किसानों के लिए लागू है । इसके विकास के लिए अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ।

जी. कृषि प्रसार इकाईयां :

कृषि फार्मों के प्रसार के लिए कोई अलग इकाई नहीं है तथा यह कार्य ग्राम्य विकास अधिकारी और किसान सहायकों द्वारा खण्ड विकास स्तर पर विभिन्न प्रकार से चलाया जाता है ।

एच. वैज्ञानिक कृषि तकनीक में किसानों को प्रशिक्षण की व्यवस्था :

प्रत्येक फसली मौसम में न्याय पंचायत, खण्ड विकास स्तर और जिला स्तर पर जुताई प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की जाती है । विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम के लिए भी प्रशिक्षण का प्रावधान है ।

आई. प्रत्येक फसल हेतु उपलब्ध स्टाफ (तकनीकी स्टाफ सहित) में वृद्धि तथा प्रस्तावित विस्तार व्यवस्था:

प्रत्येक खण्ड विकास स्तर पर ग्राम्य विकास अधिकारी और किसान सहायक के सहयोग से प्रत्येक फसली मौसम में किसानों के देख-रेख के लिए एक सहायक विकास

अधिकारी (कृषि) है । किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता हेतु जिला स्तर पर एक उपनिदेशक (कृषि) और एक जिला कृषि अधिकारी भी उपलब्ध हैं । प्रत्येक जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारियों की सहायता से कृषि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिला कृषि अधिकारी जिम्मेदार हैं । खण्ड विकास स्तर पर ग्राम्य विकास अधिकारियों की सहायता से इस कार्यक्रम के लिए खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं ।

सिंचाई :

उत्तम किस्म की फसलों एवं खाद्यान्न के बढ़ोत्तरी के लिए यह आवश्यक है कि सिंचाई की उचित व्यवस्था हो । आई0 आर0 डी0 पी0 के अंतर्गत अथवा उक्त कार्यक्रम के बाहर निःशुल्क बोरिंग एवं लघु सिंचाई के कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं । जिला स्तर पर अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई) इस कार्य को देखते हैं । बोरिंग करने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय पर बोरिंग उपकरण एवं बोरिंग मैकेनिक उपलब्ध रहता है किन्तु आवश्यकताओं एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए वाराणसी मंडल विकास निगम एवं यू0पी0 एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन को भी निःशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत चयनित कृषकों के फार्म/खेतों पर बोरिंग करने के लिए अनुबंधित किया गया है । समीक्षा करने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त दोनों एजेन्सी रूचि नहीं ले रही हैं जिसके कारण कृषकों में क्षोम है । बोरिंग चार्ट समय पर सहायक विकास अधिकारी (लघु सिंचाई (जो विकास खण्ड मुख्यालय पर नियुक्त है) द्वारा कृषक/बैंक शाखा प्रबन्धकों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है । बराबर अनुवर्ती कारवाई जिलाधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी द्वारा की जाती है परन्तु प्रगति धीमी ही रहती है । विकास खण्डों के माध्यम से विद्युत पम्पसेट ऋण प्रार्थना पत्र शाखाओं को भेजे जाते हैं । किन्तु विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन देने में कई माह लग जाते हैं एवं कृषकों को काफी भाग दौड़ के बाद भी विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पाता है जिसके कारण लघु सिंचाई, कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में बाधा पड़ती है ।

2. सिंचाई एवं कृषि उपकरण :

ए. कुएँ, कृषि गृह इत्यादि के निर्माण हेतु सीमेन्ट तथा बिजली एवं डीजल मोटर की आर्थिक व्यवस्था ।

बी. लिफ्ट सिंचाई योजनाओं कुओं की खुदाई तथा सिंचाई टैंक के निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु उत्तरदायी एजेंसियों का विवरण । जिले में सिंचाई विभाग अपने तकनीकी स्टाफ और निजी निकायों के माध्यम से योजना का अनुश्रवण कर रहा है ।

सी. कुओं/पम्प सेटों के विद्युतीकरण के लिए राज्य बिजली बोर्ड का कार्यक्रम :

राज्य बिजली बोर्ड अधिकतर सभी गाँवों को कवर करता है किन्तु इस जिले में विद्युत आपूर्ति पर्याप्त नहीं है ।

डी. ट्रैक्टर, शाक्तिचालित हल और अन्य कृषि उपकरणों की आपूर्ति के लिए व्यवस्था:

यहाँ एक कृषि कार्यशाला है जहाँ कुछ सुविधायें उपलब्ध हैं । ट्रैक्टर और थ्रेशर किराये के आधार पर प्रदान किये जाते हैं स्थानीय किराये पर भी सुगमता से उपलब्ध है।

ई. डीजल आपूर्ति के लिए व्यवस्था :

जिले में दस डीजल पम्प हैं जिसमें से चार गाजीपुर में, दो सैदपुर में तथा मुहम्मदाबाद , कासिमाबाद, जमानियाँ व भदौरा प्रत्येक में एक - एक है । जो सभी विकास खण्डों को कवर करते हैं, डीजल की आपूर्ति पर्याप्त मानी जा सकती है ।

एफ. कृषि मशीनरी की मरम्मत/सर्विसिंग की व्यवस्था:

कृषि मशीनरी की मरम्मत और सर्विसिंग कृषि कार्यशाला गाजीपुर में की जाती है । स्थानीय रूप में यह गाजीपुर, मुहम्मदाबाद, जमानियां, सैदपुर और देवकली विकास खण्डों में भी उपलब्ध है ।

जी. फसल कार्यक्रम में प्रस्तावित परिवर्तन :

फसल क्रम में परिवर्तन उपलब्ध सिंचाई साधन तथा वर्षा पर निर्भर रहता है ।

एच. जल संरक्षण तथा ड्रेनेज सुविधाओं में वृद्धि कार्यक्रम भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किया जाता है । नहरों वाले क्षेत्र में कृषकों की देख-रेख सिंचाई विभाग के कार्यकर्ताओं

द्वारा की जाती है ।

आई. योजना के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध तकनीकी स्टाफ और प्रस्तावित अतिरिक्त स्टाफ का :

सिंचाई कार्यक्रम हेतु खण्ड विकास स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (एम0आई0) और जिला स्तर पर अधिशासी अभियन्ता (एम0आई0) सहायक अभियन्ता (एम0आई0) और कनिष्ठ अभियन्ता जिम्मेदार हैं । कृषि कार्यशाला में फोरमैन उपलब्ध है ।

3. भूमि विकास :

ए. विभिन्न योजनाओं के निष्पादन हेतु उत्तरदायी एजेन्सियों का विवरण :

जिले का भूमि संरक्षण विभाग निम्नलिखित कार्यों हेतु उत्तरदायी है ।

1. कांटूर बेडिंग
2. समतली करण
3. चेक डेमिंग
4. गोली जुताई
5. समरजेन्स बांध
6. बाढ़ अवरोधक बांध
7. ड्रेनेज नहर/चैनल
8. ऊसर सुधार
9. सिंचाई टैंक

ऊसर सुधार हेतु ऊसर निगम उत्तरदायी है । समतलीकरण तथा अन्य कार्यों हेतु ट्रैक्टर कृषि सेवा केन्द्र गाजीपुर से उपलब्ध है ।

बी. योजना के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध तकनीकी स्टाफ और अतिरिक्त स्टाफ संबंधी सूचना :

कार्यक्रम के निष्पादन हेतु भूमि संरक्षण विभाग में एक भूमि संरक्षण अधिकारी, एक तकनीकी सहायक और दो कनिष्ठ अभियन्ता उपलब्ध हैं ।

4. उद्यान और वृक्षारोपण :

ए. बीज, पौध, खाद एवं कीटनाशक इत्यादि इन पुटस की आपूर्ति व्यवस्था :

गाजीपुर खण्ड में आर0टी0आई0 में एक पौधशाला तथा जमानियाँ, भांवरकोल,

मुहम्मदाबाद और रेवतीपुर विकास खण्ड प्रत्येक में एक एक आई0ए0डी0ए0 की चार पौधशालायें बीज और पौधों की आपूर्ति कर रही हैं । सहकारी विक्रेताओं द्वारा उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है । किसानों द्वारा अधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग नही किया जाता है ।

बी. फार्मों और पौधशालाओं की स्थापना का कार्यक्रम :

जिले के सभी विकास खण्डों में उद्यान और वृक्षारोपण को बढ़ाने में उद्यान और सामाजिक वानिकी विभाग संलग्न है । प्रस्तावित मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं है ।

सी. योजना के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध तकनीकी स्टाफ और प्रस्तावित अतिरिक्त स्टाफ का विस्तार और प्रशिक्षण ।

5. वानिकी :

ए. खाद और कीटनाशकों की आपूर्ति व्यवस्था हेतु एजेन्सी :

कृषि सहकारी समितियाँ और यू0पी0 एग्रो इण्डस्ट्री कारपोरेशन कृषि विभाग और पौध संरक्षण विभाग मुख्य संस्थायें हैं जो उर्वरक और कीटनाशकों की आपूर्ति करते हैं । सहकारी विक्रेताओं द्वारा उर्वरक भी उपलब्ध है ।

बी. फीडर रोड/ निकासी पत्र (एक्सट्रेशन) पथ का विकास :

इस प्रकार के किसी विकास का विवरण उपलब्ध नहीं है ।

सी. वन उत्पाद हेतु प्रोसेसिंग, भण्डारण तथा विपणन हेतु व्यवस्था तथा लैम्पस का पंजीयन :

चूँकि वन क्षेत्र शून्य है, अतः वन उत्पाद भी शून्य है ।

डी. वानिकी के तहत विभिन्न योजनाओं के निष्पादन हेतु जिला वन अधिकारी के नियंत्रण में सामाजिक वानिकी विभाग है ।

ई. योजना के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध तकनीकी स्टाफ और प्रस्तावित अतिरिक्त स्टाफ का विवरण, जिले में जिला वन अधिकारी जो खण्ड विकास स्तर पर

अन्य क्षेत्र स्टाफ के साथ योजना को कार्यान्वित करता है ।

कृषि सहयोगी गतिविधियाँ :

1. दुग्ध पालन :

ए. दुग्ध पालन के विकास हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम विवरण उनके स्थान और अन्य विवरण :- किसी भी विकास खण्ड में कोई विशिष्ट योजना नहीं है, तथापि आठ विकास खण्डों क्रमशः 1. जमानियां, 2. भदौरा, 3. रेवतीपुर, 4. करण्डा, 5. देवकली, 6. मुहम्मदाबाद, 7. भांवरकोल और 8. बाराचवर को सघन दुग्धपालन योजना के लिए चुना गया है । सभी आठ विकास खण्डों को मिल्करूट के तहत कवर किया गया है । एग्राविका एवं आई0ए0डी0ए0 के तहत दुधारू पशु वितरित किये जा रहे हैं तथा जिले में लघु डेयरी योजना भी कार्यान्वित की जा रही है ।

बी. उन्नत जाति के पशुओं की आपूर्तिः

प्रोजेक्ट द्वारा पशु मेले आयोजित किये जा रहे हैं ताकि उन्नत जाति की पशु उपलब्धता सुनिश्चित हो ।

सी. प्रजनन कार्यक्रम तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र :

जिले में 17 ए0आई0तथा 39 ए0आई0 उपकेन्द्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र चल रहे हैं । योजना काल में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा जिले में लगभग 150 गर्भाधान केन्द्र प्रस्तावित है ।

डी. ग्रामीण पशु दवा केन्द्रों की स्थापना :

वर्तमान पशु दवा केन्द्रों की सूची दी गई है ।

मार्च 1991 तक वर्तमान योजना काल में लगभग 6 नये दवा केन्द्र प्रस्तावित हैं (पशु चिकित्सा सुविधायें तालिका63 1 में दर्शित है ()।

ई. चारा की आपूर्ति तथा प्रस्तावित पशु चारा निर्माण इकाई :

स्थानीय स्तर पर प्रसिद्ध कम्पनियों के कंसैन्ट्रेट तथा चारा उपलब्ध है । किसी भी खण्ड में पशु चारा निर्माण इकाई प्रस्तावित नहीं है ।

एफ. वर्तमान/प्रस्तावित चिलिंग तथा पास्चराजेशन प्लाण्ट विवरण :

अभी 3 'मिल्क रूट' है जो 8 खण्डों को कवर करती है । 1. जमानियाँ मिल्क रूट 2. करण्डा मिल्क रूट, 3. मुहम्मदाबाद मिल्क रूट द्वारा 83 दूध इकट्ठा करने वाले केन्द्रों को कवर किया जाता है । विस्तृत विवरण तालिका632में दर्शित है । अतिरिक्त ' मिल्क रूट ' सम्बन्धी कोई सूचना नहीं है । किन्तु दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जिन्होंने इस क्षेत्र में प्रारम्भिक कार्य किया है, सभी 16 खण्डों को कवर करने का प्रस्ताव है ।

एच. अतिरिक्त दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना :

कोई प्रस्ताव नहीं है ।

आई. दूध एकत्र करने वाले केन्द्र तथा योजना काल में प्रस्तावित केन्द्रों की संख्या :

87 दूध एकत्र करने वाली सहकारी समितियाँ हैं ।

जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा योजना काल में इनकी संख्या 250 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

जे. योजना में दूध/दुग्ध उत्पादन की वर्तमान/प्रस्तावित मात्रा :

1997 लीटर प्रतिदिन वर्तमान 15500 लीटर प्रतिदिन प्रस्तावित ।

के. दुग्ध और दुग्ध उत्पादन के परिवहन प्रक्रिया ओर विवरण के लिए व्यवस्था:

संघ की इसी गाड़ी द्वारा दूध का परिवहन किया जाता है और वितरण स्थानीय रूप से नगर में किया जाता है ।

एल. दुग्ध कृषकों के विस्तार और प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था :

प्रत्येक खण्ड स्तर पर चयनित लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है

लेकिन यह पर्याप्त नहीं है ।

एम. जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में एक प्रबन्धक व 11 क्षेत्र पर्यवेक्षक ब्लाक स्तर पर कार्यरत हैं ।

एन. कार्यान्वयन के लिए उपलब्धत तकनीकी स्टाफ और प्रस्तावित अतिरिक्त स्टाफ का विवरण :

तालिका 6.31 में पशु चिकित्सालय स्टाफ कार्मिक केन्द्र तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र से सम्बन्धित विवरणं दिया गया है । प्रत्येक अस्पताल में पशु - चिकित्सक स्टाक कार्मिक तथा प्रयोग शाला सहायक जिला पशु चिकित्सा अधिकारी एवं जिला पशुधन अधिकारी की देख - रेख में पशुधन विकास में कार्यरत हैं । संघ/समितियां व जिला पशुधन अधिकारी में और अधिक समन्वय की आवश्यकता है ।

तालिका 6.31

गाजीपुर जिले में पशु चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध ग्रामों के नाम

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	पशु चिकित्सालय	स्टाकमैन केन्द्र	ए0आई0 केन्द्र	ए0आई0 उपकेन्द्र
1.	गाजीपुर	गाजीपुर	गाजीपुर	गाजीपुर	जंगीपुर
		सुधाकरपुर	-	सुधाकरपुर	रानीपुर
		-	-	-	पारा
		-	-	-	बाईपुर
		-	-	-	मेदनीपुर
		-	-	-	कपूर
		-	-	-	कटेला
		-	-	-	फतेहउल्लापुर
2.	करण्डा	करण्डा	बड़सरा	करण्डा	बागवान
		-	बागवान	-	-

3. देवकली	देवकली	भितरी	देवकली	भितरी
	नन्दगंज	नन्दगंज	-	नन्दगंज
	रामपुर माँझा	-	-	-
	नारीपंच देवरा	-	-	-
4. सैदपुर	सैदपुर	खानपुर	सैदपुर	खानपुर
	सवाना	-	सवाना	-
5. सादात	सादात	-	सादात	भीमापार
	बहरियाबाद	भीमापार	-	परसानी
	-	परसानी	-	-
6. जखनियाँ	जखनियाँ	बाराचवर	जखनियाँ	दुल्लहपुर
	दुल्लहपुर	-	-	-
7. मनिहारी	मनिहारी	मलिकपुरा	मनिहारी	मलिकपुरा
	-	बरौली	-	-
	-	चौरा	-	-
8. बिरनो	बिरनो	लहुरापुर	बिरनो	लहुरापुर
	-	बोगना	-	-
9. मरदह	मरदह	गैन	मरदह	गैन
	-	सुलेमानपुर	-	सुलेमानपुर
10. कासिमाबाद	कासिमाबाद	बहादुरगंज	कासिमाबाद	बहादुरगंज
	अलावलपुर	सिधागर	-	अलावलपुर
	हाजीपुर बड़ेसर	रेगना	-	हाजीपुर बड़ेसर
11. मुहम्मदाबाद	मुहम्मदाबाद	-	मुहम्मदाबाद	बैरान
	-	-	-	कुण्डेसर
	-	-	-	राजापुर
	-	-	-	गौसपुर
	-	-	-	सेमरा
	-	-	-	सुखपुरा
12. भांवरकोल	भांवरकोल	मसौन	भाँवरकोल	मसौन
	-	खरडीहा	-	खरडीहा
	-	गरौड़	-	गरौड़

13. बाराचवर	बाराचवर	दुभिया	-	बाराचवर
	ताजपुर	सिरीअमहट	-	करीमुद्दीनपुर
	करीमुद्दीन	-	-	ताजपुर
14. रेवतीपुर	रेवतीपुर	नेवली	रेवतीपुर	नेवली
	ताड़ीघाट	नगसर	-	नगसर
	-	-	-	ताड़ीघाट
15. जमानियाँ	जमानियाँ	ढढ़नी	जमानियाँ	ढढ़नी
	-	दाउदपुर	-	-
	-	-	-	दाउदपुर
	-	लौहार	-	-
16. भदौरा	भदौरा	अमौरा	-	भदौरा
	दिलदारनगर	बारा	-	गहमर
	गहमर	-	-	-
योग	28	33	16	41

तालिका 6.32

गाजीपुर जिले में दुग्ध मार्गों, दुग्ध संग्रहण केन्द्रों व समितियों के नाम

क्र0 सं0	दुग्ध मार्ग का नाम	खण्ड का नाम	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति		
1.	करण्डा दुग्ध मार्ग	1. करण्डा	1. लीलापुर	2. सिकन्दरपुर	
			3. अटरिया	4. दीनापुर	
			5. स्वापुर	6. सबूआ	
			7. ऊरीपहाड़पुर	8. सीतापट्टी	
			9. मल्लहारपुर	10. सोरवी	
			11. सलारपुर	12. नन्दार	
			13. मेहरियां	14. महरौली	योगः 14
		2. देवकली	15. बासूचक	16. घनेरीपुर	
			17. खानका खोला	18. पहाड़पुर कलाँ	
			19. खान का खुर्द	20. सरौली	

		21.पंचौरा	22.मटरखाना	
		23.पंचदेवरा	24.माँझा	
		25.घरवा	26.दूबेथा	
		27.छोपरा		योग: 13
2. मुहम्मदाबाद दुग्ध मार्ग	3.मुहम्मदाबाद	28.मनिकपुरा	29.परसा	
		30.डोमनपुरा	31.कठौत	
		32.कबीरपुर		योग: 5
	4.भांवरकोल	33.शेरपुर खुर्द	34. मुर्कियागढ़	
		35.जगमुसहारी		योग: 3
	5.बाराचवर	36.राजापुर	37.विशम्भरपुर	
		38.बरेजी	39.गन्धापा	
		40.उत्तमपुरा	41.दबीहन	
		42.प्रानपुरा	43.पाटेपुर	
		44.गोविन्दपुर	45.हरदासपुर	
		46.उतरांव	47.निबादा	
		48.कमसदी	49.असावर	योग:14
3.जमानियां दुग्धमार्ग	6.जमानियाँ	50.शेरपुर	51.नरीयन उमरगांव	
		52.कसेर पोखरा	53.चकिया	
		54.खीदरीपुर	55.मटसा	
		56.ताजपुर	57.बेटावर कलाँ	
		58.बेटावर खुर्द	59.महवा	
		60.महाना	61.कोटिया	योग: 12
	7.रेवतीपुर	62.डेढ़गाँव	63.पकड़ी	
		64.गोपालपुर	65.तिलबैग	
		66.रेवतीपुर पूर्वी	67.रेवतीपुर पश्चिमी	
		68.नगसर नेवाजी राय	69.नगसरनीर राय	
		70.टौंगा	71.बड़ौरा	
		72.नगदीलपपुर	73.तिलकपुर	
		74.अनहारीपुर	75.नेवली	
		76.उतरौली	77.सुहवल	
		78.गौरा	79.उधारनपुर	
		80.पटकनियां	81.युवराजपुर	योग:20

8. भदौरा-	82.करहियाँ	83.पथारा	
	84.अमौरा	85.देवल	
	86.धनाड़ी	87.पचौरी	योगः 6

---

2. मुर्गी पालन :

ए. गाजीपुर स्थित अतिरिक्त मुर्गी पालन केन्द्रों में मुर्गियों के आपूर्ति के साथ - साथ नये फार्मों की स्थापना और उनके लिए मुर्गियों की आपूर्ति व्यवस्थाः

अतिरिक्त मुर्गी पालन फार्मों की स्थापना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण उपलब्ध है तथापि मार्च 1991 के अन्त तक 232 इकाईयाँ प्रस्तवित थी ।

बी. पशु चिकित्सालय सुविधाओं का विवरण तालिका 6.31 में दिया गया है ।

सी. चारे की आपूर्ति के लिए व्यवस्था :

मुर्गी पालन का चारा स्थानीय रूप से सहकारी विक्रेताओं के पास उपलब्ध है ।

डी. प्रशिक्षण और विस्तार के लिए व्यवस्था :

प्रारम्भिक प्रशिक्षण गाजीपुर मुर्गी पालन केन्द्र में दिया जाता है ।

ई. मुर्गीपालन उत्पादों के लिए शीत भण्डारन प्रोसेसिंग और विपणन की व्यवस्था :

चूँकि मुर्गीपालन उत्पादन जिले में काफी कम है इसलिए भण्डारन और प्रोसेसिंगइकाई की आवश्यकता नहीं है । विपणन स्थानीय स्तर पर किया जाता है ।

एफ. योजना के कर्यान्वियन के लिए उपलब्ध तकनीकी स्टाफ और प्रस्तावित अतिरिक्त स्टाफ का विवरण :

जिला पशुधन अधिकारी के तहत कार्यरत तकनीकी स्टाफ ही उपलब्ध है तथा क्षेत्र में कार्य की देख - रेख पशु सम्बन्धी कार्मिक करते हैं ।

3. मत्स्य पालन :

ए. मत्स्य बीज उत्पादन, पोषण और वितरण के लिए कार्यक्रम :

देवकली खण्ड में केवल एक केन्द्र है ।

मत्स्य स्थान फिंगर लिंगश का वितरण मत्स्य कृषक विकास एजेन्सी द्वारा किया जाता है ।

बी. मत्स्य सहकारी समितियाँ स्थापना के लिए कार्यक्रम :

विस्तृत कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है ।

सी. प्रस्तावित मत्सय जलाशय/तालाबों के आकार और संख्या का विकास किया जाना ।

डी. मत्स्य जाल, मशीनकृत नावोंइतयादि की आपूर्ति के लिए व्यवस्था :

एफ0एफ0डी0ए0 द्वारा मत्स्य जाल तथा नाव उपलब्ध कराये जाते हैं । तथापित यह स्थानीय रूप में उपलब्ध है । मशीनीकृत नाव इस जिले में प्रयोग नहीं की जाती है ।

ई. पंजीयन हेतु मत्स्य नाव के प्रकार तथा संख्या और निर्माण :

इस जिले के लिए लागू नहीं है ।

एफ. प्रशिक्षण व्यवस्था तथा प्रशिक्षित किये जाने वाले कार्मिकों की संख्या :

एफ0एफ0डी0ए0 गाजीपुर द्वारा प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जा रही है ।योजनाबद्ध कार्यक्रम के दौरान 1987-88 तक करीब 450 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, और वर्ष 1988-89, 1989-90 व 1990-91 में प्रत्येक के लिए 100 कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित था ।

जी. मत्स्य पालन विकास के लिए उपलब्ध और प्रस्तावित मूलभूत सुविधायें :
जिला मुख्यालय में एफ0एफ0डी0ए0 का कार्यालय स्थित है और देवकली खण्ड में उसका प्रजनन केन्द्र है मूलभूत सुविधायें पर्याप्त नहीं है तथापि एफ0एफ0डी0ए0 ने दिलदारनगर में एक मछली सेवन केन्द्र कीस्थापना को प्रस्तावित किया है । जिसके लिए तालाब को चिन्हित किया है ।

एच.   मत्स्य परिवहन, प्रोसेसिंग, भण्डारन और विपणन केलिए व्यवस्था :

प्रोसेसिंग और भण्डारन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उत्पादन बहुत कम है । परिवहन और विपणन व्यक्तिगत आधार पर किया जाता है ।

आई.   योजना के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध तकनीकी स्टाफ और प्रस्तावित अतिरिक्त स्टाफ का विवरण :

मत्स्य कृषक विकास एजेन्सी गाजीपुर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता तथा तहसील स्तर पर नियुक्त मत्स्य विस्तार अधिकारी की सहायता से कार्य की देख - रेख करते हैं । अतिरिक्त स्टाफ के सम्बन्ध में विवरण उपलब्ध नहीं है । मौजूदा जन बल पर्याप्त नहीं है ।

4. सुअर पालन :

ए.   प्रजनन के लिए व्यवस्था :

प्रजनन के लिए कोई भी व्यवस्था प्रस्तावित नहीं है ।

बी.   पशुओं की आपूर्ति के लिए व्यवस्था :

खुले बाजार में उपलब्ध है ।

सी.   पशु चिकित्सा सुविधायें :

तालिका 6.31 में दर्शित हैं ।

डी.   योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तार उपलब्ध तकनीकी स्टाफ और प्रस्तावित अतिरिक्त स्टाफ सहित योजना है :

योजना के लिए अलग से स्टाफ नहीं है तथापि पशु चिकित्सा सम्बन्धी स्टाफ कार्य की देख रेख करते हैं । प्रस्तावित स्टाफ के सम्बन्ध में विवरण नहीं है ।

ई.   पोर्क और पोर्क उत्पाद के विपणन के लिए खुले बाजार की व्यवस्था है ।

5. बकरी/भेड़ पालन :

ए.   बकरी नर/मादा भेंड़ की आपूर्ति, प्रजनन कार्यक्रम तथा चरागाह सुविधाओं के प्रावधान की व्यवस्था :

अनुमोदित मेला मालिकों द्वारा आयोजित मेलों में बकरी/भेड़ उपलब्ध है । बकरियों के प्रजनन के लिए सुविधायें प्रत्येक खण्ड में उपलब्ध है । जिले में कुल

1205 हेक्टेयर चरागाह उपलब्ध हैं । किन्तु खण्डों में इसका वितरण अनुपातिक नहीं है ।

बी. ऊन संग्रहण केन्द्र की स्थापना और ऊन कतरन इत्यादि के लिए व्यवस्था :

जिले में कोई संग्रहण केन्द्र नहीं है तथापि स्थानीय स्तर पर इसकी व्यवस्था की जाती है ।

सी. उपलब्ध पशुचिकित्सा ओर प्रस्तावित व्यवस्था :

पशुचिकित्सा सहायता व्यवस्था तालिका 6.31 में दी गई है ।

डी. ऊन, भेड़, मीट इत्यादि के विपणन की व्यवस्था :

उत्पादन बहुत कम होने के कारण जिले में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

ई. योजना के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध तकनीकी का और प्रस्तावित अतिरिक्त स्टाफ का विवरण :

विद्यमान पशुचिकित्सा सम्बन्धी स्टाफ इस कार्य को निष्पादित करते हैं । अतिरिक्त स्टाफ सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

6. रेशम कीट पालन :

जिले में प्राकृतिक मौसम इत्यादि के फलस्वरूप यह योजना पूरे जिले में लागू नहीं है । तथापित गाजीपुर विकास निगम कुछ योजना प्रस्तावित कर रही है । चार विकास खण्ड इस योजना के लिए चयनित किये गये हैं गाजीपुर सदर, देवकली, मनिहारी, और सैदपुर जिला रेशम अधिकारी की नियुक्ति हुई है जो इस योजना के क्रियान्वयन में प्रयासरत है ।

7. बायोगैस प्लाण्ट (संयंत्र) :

ए. बायो गैस प्लान्ट लगाने हेतु तथा गैस होल्डर की तकनीकी देख-रेख की व्यवस्था :

स्थानीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (क्षेत्रीय ग्रामीण संस्थान) गाजीपुर में एक तकनीकी दल अन्य क्षेत्र में गोबर गैस प्लाण्ट लगाने का कार्य तथा इसकी देख-रेख करता है तथा विस्तृत प्रशिक्षण देता है ।

बी. लगाने के बाद सेवाओं की व्यवस्था :

संयंत्र लगाने के बाद की सेवायें भी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के तकनीशियनों द्वारा प्रदान की जाती है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है ।

सी. विस्तार कार्य हेतु व्यवस्था :

ए0डी0ओ0 कृषि एक मात्र खण्ड का प्रतिनिधि है जो डी0डी0ओ0 गाजीपुर की देख-रेख में विस्तार कार्य की देख भाल करता है ।

डी. योजना के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध तकनीकी स्टाफ और प्रस्तावित स्टाफ का विवरण :

खण्ड स्तर पर तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं है तथापि प्रशिक्षण संस्थान के तकनिशियन/अधिशासी कार्य की देख-रेख करते हैं जो पर्याप्त नहीं है ।

8. ग्रामीण दस्तकार कुटीर और लघु उद्योग :

ए. निम्नलिखित व्यवस्था उपलब्ध है :

1. तकनीकी सहायता जिला उद्योग केन्द्र अपने खण्ड स्तर पर विस्तार हेतु गाजीपुर में स्थित है । जो जिले के सभी खण्डों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

2. कच्चे माल की आपूर्ति :

जिले में कच्चा माल उपलब्ध नहीं है इसलिए उद्योग निदेशालय कानपुर आवश्यकतानुसार नियंत्रित कच्चे माल जैसे - सीमेन्ट, पिग आयरन, ताँबा, तार, स्टील एवं प्लास्टिक ग्रेनूल्स इत्यादि का आपूर्ति करता है ।

3. बिजली की आपूर्ति :

जिलाधीश और महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र सदस्यों के नेतृत्व में गठित जिला बिजली समिति द्वारा ये कार्य निष्पादित किया जाता है । इनको 25 एच.पी. तक बिजली स्वीकृत करने का अधिकार है और शेष कार्य राज्य बिजली मण्डल गाजीपुर द्वारा किया जाता है । जिले में बिजली की आपूर्ति अपर्याप्त है ।

4. निर्मित माल का विपणन और नये डिजाइन बनाना :

जिले में विपणन की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । वे लघु उद्योग

जिनका पंजीयन निदेशक उद्योग (कानपुर) तथा स्टोर क्रय अनुभाग के तहत हुआ है । वे उत्पादन निवेदक की आपूर्ति करते हैं । जिले के सरकारी कार्यालय लघु उद्योग से निर्मित माल बाजार मूल्य से 15% अधिक दर पर क्रय करते हैं । डिजाइन हेतु ऐसी कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं है ।

बी. तकनीकी ज्ञान/कौशल हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था :

जिला उद्योग केन्द्र गाजीपुर के अधीन ग्रामीण उद्योग प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा ट्राइसेम हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है । यॉत्रिक ज्ञान के क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) गाजीपुर द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जाता है ।

सी. विकास हेतु प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या :

6 लघु तथा एक बृहद औद्योगिक क्षेत्र जिलों में विकास हेतु प्रस्तावित हैं।

डी. स्थापित की जाने वाली जॉंच प्रयोगशालाओं की संख्या :

कोई प्रस्ताव नहीं है ।

ई. योजना के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध तकनीकी स्टाफ और प्रस्तावित अतिरिक्त स्टाफ का विवरण :

जिला उद्योग केन्द्र गाजीपुर में प्रोजेक्ट (तकनीकी) प्रबन्धक (ऋण) और तहसील स्तर पर सहायक प्रबन्धक तथा खण्ड स्तर पर ए0डी0ओ0 (आई0एस0बी0) कार्य निष्पादित करते हैं । ग्रामीण उद्योग प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र गाजीपुर में प्रशिक्षण कार्य की देख - रेख हेतु एक फोरमैन है । अतिरिक्त प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है । ग्राम स्तर पर जिला खादी और ग्राम अधिकारी कुटीर और ग्रामीण उद्योग के कार्य की देख-भाल करता है । विभिन्न लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ाने हेतु योजनायें तैयार की जा रही हैं । पावरलूम बुनकरों को रू0 25000 के प्रोजेक्टस को इस वर्ष एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है व प्रोजेक्ट - प्रोफाइल्स - यूनिट कास्ट आदि सभी बैंकों की उन शाखाओं को प्रेषित की गई हैं जो ऐसे क्षेत्रों/ग्रामों को कवर करेगी जहाँ बनुकरों का बाहुल्य है । किन्तु

DISTRICT GHAZIPUR
LEVEL OF DEVELOPMENT 1981
N
INDEX
<0·80 HIGH
0·80–1·00 HIGH MEDIUM
1·00–1·20 LOW MEDIUM
>1·20 LOW
5 0 5 10
KM.

FIG. 6.3

LEVELS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT 1990
A
COMPOSITE DEVIATION INDEX
LOW
MEDIUM LOW
MEDIUM
HIGH
VERY HIGH
5.50
6.00
6.50
7.00
5 0 5 10
Km
LEVELS OF DEVELOPMENT 1990
B
COMPOSITE INDEX
LOW
MEDIUM LOW
MEDIUM
HIGH
VERY HIGH
50
75
100
125
5 0 5 10
Km
(C)
GROWTH IN POPULATION AND AGRICULTURAL PRODUCTION
POPULATION GROWTH
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL PRODUCTION ('000 M TONS)
POPULATION IN '000 PERSONS
YEARS
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000

FIG. 6·4

बिजली के नये कनेक्शन देना व नियमित रूप से बिजली की आपूर्ति करना कठिन नजर आ रहा है । गाजीपुर के 1981 के विकास को मानचित्र सं0 6.3 एवं 1990 के कृषि एवं जनसंख्या के विकास को मानचित्र सं0 6.4 में दर्शाया गया है ।

ग्राम्य विकास हेतु ग्रामीण चिन्तन (सुझाव)

अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश (48 प्रतिशत) गांवों में आज भी आदमी और जानवर एक साथ और एक सा जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हैं । पेयजल, विद्युत, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जैसी सुविधायें अब भी मौके के बजाय कागज पर पाई जाती हैं । किसी के दरवाजे पर पैर रखने की जमीन नहीं तो किसी के पास इतनी पड़ी है कि उसके इस्तेमाज में नहीं आती । प्रत्येक घर के सामने कूड़े का ढेर और गंदी झाड़ - झंखाड़ अथवा बांस की खूंटियां शौचालय का काम करती हैं । आजादी के 42 वर्ष बाद भी ऐसे गाँवों की संख्या प्रचुर है, जो कूप मण्डूक की जिन्दगी जी रहे हैं । गांवों में सबल एवं नैतिक नेतृत्व न होने के कारण स्वार्थवृत्ति के नौकरशाह ग्रामीण जनता का भरपूर शोषण और दमन करते हैं । सरकार द्वारा घोषित हर सुविधा को ग्राम वासियों तक पहुँचाने में यह लोग दलालों की भूमिका निभाते हैं । ग्रामीण जनता का भरपूर शोषण और दमन करते हैं । ग्रामीण विकास के लिए सस्ते दर पर सिंचाई पर्याप्त उर्वरक उन्नत बीज एवं कीटनाशक दवाओं की उपलब्धि तथा कृषि के सहयोगी संस्थान ' सहकारी समिति ' को क्रमशः द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ आवश्यक तत्व के रूप में वरीयता प्रदान करना चाहिए । परन्तु ग्रामीण विकास के लिए प्राथमिक आवश्यकता के संदर्भ में जहाँ सवर्ण जाति के एवं दो तिहाई पिछड़ी जाति के लोग कृषि श्रम आपूर्ति पर बल देते हैं वही अनुसूचित एवं एक तिहाई पिंछड़ी जाति के लोग आवासीय समस्या के निदान एवं कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि हेतु व्यवस्था करने पर बल देते हैं ।

अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न भार्गों में ग्रामीण विकास के लिए सुझाव उन क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं को ही लेकर थे । जखनियाँ, सादात, सैदपुर एवं देवकली विकास खण्डों को ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात एवं परिवहन सम्बन्धी सुधार हेतु सुझाव प्राप्त

हुए । रेवतीपुर एवं करण्डा विकास खण्डों में सरकारी एवं निजी नलकूपों को नियमित विद्युत आपूर्ति के लिए सुझाव मिले, क्योंकि विद्युत आपूर्ति में गड़बड़ी एवं अनियमितता से कृषि निष्पादन में व्यवधान उत्पन्न होता है । अतः इसका निराकरण ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है ।

ग्रामीण विकास के लिए ग्रामवासियों ने अन्य आवश्यक सुझाव भी दिये । सर्वाधिक 67.82 प्रतिशत व्यक्तियों ने ग्राम सुधार एवं बेरोजगारी दूर करने हेतु लघु उद्योगों की स्थापना पर बल दिया । 57.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार प्रकाश, सिंचाई तथा अन्य कृषि कार्यों के निष्पादन हेतु उर्जा के रूप में विद्युत की नियमित आपूर्ति आवश्यक है । ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जोतों का असमान वितरण आर्थिक असमानता का कारण है । 28.97 प्रतिशत व्यक्तियों के अनुसार भूमि के पुनर्वितरण की आवश्यकता है, जिनमें अनुसूचित (58.5 प्रतिशत) एवं पिछड़ी जाति (34.76 प्रतिशत) के उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है । 36 प्रतिशत व्यक्तियों के अनुसार गांवों के सुधार के लिए विकास कार्यों में निरन्तरता एवं गतिशीलता बनाये रखने हेतु गांवों के लिए प्रस्तुत सभी सुविधाओं, सामाजिक - आर्थिक प्रगति एवं प्रशासनिक व्यवस्था का निरीक्षण करना आवश्यक है । रेवतीपुर, जमानियां, भांवरकोल, भदौरा, बाराचवर एवं करण्डा बिकास खण्डों के बाढ़ प्रभावित ग्रामीण जनों के विकास के लिए बाढ़ से सुरक्षा के लिए उपाय करना जरूरी है । 35.40 प्रतिशत व्यक्तियों ने कृषि कार्य अथवा अन्य व्यवसाय हेतु सस्ते ब्याज दर पर ऋण प्रदान किये जाने के साथ ही कृषि को उद्योग का दर्जा दिये जाने का सुझाव दिया है ।क्षेत्रीय अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी कार्यक्रमों पर विभिन्न अभिकर्ताओं द्वारा सही अमल नहीं हो पाया है ।

संदर्भ

1. गुप्ता, एस0पी0 (1987) ' भारत में ग्राम्य विकास के चार दशक पृ0 1-10.

2. दूबे, बेचन एवं सिंह मंगला (1985), ' समन्वित ग्रामीण विकास ' पृ0 3-81.

3. जिला जनगणना हस्त पुस्तिका (1981) जिला गाजीपुर पृ0 444-447.

4. एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम कार्यकारी योजना (1982-1991) जिला ग्राम विकास अभिकरण, गाजीपुर ।

5. जिला ऋण योजना (1990-91) यूनियन बैंक आफ इंडिया : क्षेत्रीय कार्यालय गाजीपुर (उ0प्र0) पृ0 4-6, 16-23, 27-44.

6. सांख्यिकी पत्रिका (1985, 86, 87, 88, 89, 90) जनपद गाजीपुर ।

अध्याय - सप्तम

समन्वित ग्रामीण विकास एवं नियोजन

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम :

यह देश का दूसरा सबसे महत्वाकांक्षी ग्रामीण आर्थिक विकास कार्यक्रम था । यद्यपि यह अपने आप में कोई नया कार्यक्रम नहीं था अपितु पहले से ही चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वित रूप था । दरअसल 1970-80 के दशक में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की भरमार सी हो गयी उदाहरणार्थ - लघु कृषक विकास योजना, सूखोन्मुख क्षेत्र योजना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र योजना , काम के बदले अनाज योजना, मरूस्थल विकास कार्यक्रम आदि । इन कार्यक्रमों के एक साथ अथवा थोड़े समय के अन्तराल पर शुरू होने के कारण सम्बन्धित अधिकारियों में व्यावहारिक अनुभव तथा दीक्षा का अभाव लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में एकरूपता आदि के कारण कर्मचारी एवं क्रियान्वयन संस्थायें सभी कार्यक्रमों को एक साथ न संभाल सकीं । परिणामतः योजनायें धीरे-धीरे असफलता की ओर बढ़ने लगी । प्रयास और पूँजी निवेश के अनुरूप वांछित सफलता नहीं प्राप्त हो सकी । परिणामतः 1978-79 में उपर्युक्त सभी योजनाओं को समन्वित करके आई0आर0डी0पी0 की शुरूआत की गई । सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को देश के मात्र 2300 विकास खण्डों में लागू करने और प्रतिवर्ष 300 नये विकास खण्डों को सम्मिलित करने की योजना था किन्तु 2 अक्टूबर 1980 को देश के सभी 5011 विकास खण्डों में लागू कर दिया गया । यह कार्यक्रम परीक्षण किये गये स्ट्रेटेजीज का समन्वित रूप है और विशिष्ट कार्यक्रम यथा लघु कृषक एवं सीमान्त कृषक एजेन्सी और सूखा पीड़ित कार्यक्रम के क्रियान्वयन से मिले अनुभव के आधार पर प्रभावी पाया गया है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है पहचाने गये लक्ष्य समूह के परिवारों को निर्धनता रेखा से ऊपर उठाना और रोजगार के लिए अतिरिक्त अवसर सृजन करना । लक्ष्य समूह में वे लोग लिये गये हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनों में भी सर्वाधिक निर्धन हैं जिसमें लघु एवं सीमान्त कृषक एवं गैर कृषि मजदूर, ग्रामीण शिल्पकार एवं दस्तकार, अनुसूचित जाति

एवं अनुसूचित जनजाति मुख्य रूप से सम्मिलित हैं । सचिव, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के विचारों से स्पष्ट होता है कि समन्वित ग्रामीण - विकास कार्यक्रम के उद्देश्य के प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण शर्त है उद्देश्य क्राइटेरिया के आधार पर होनहार लाभार्थियों की पहचान । ग्रामीण जनसंख्या में सापेक्ष्य रूप से सम्पन्न एवं प्रभावशाली वर्ग इस कार्यक्रम के लाभ को अपने तक पहुँचाने के लिए सर्वथा दबाव डालते रहेंगे । अतः इस कार्य के उत्तरदायी व्यक्ति को सजग एवं विवेकपूर्ण होने की आवश्यकता है ।

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के सचिव का बयान है कि लक्ष्य समूह के लाभ के लिए संचालित विनियोग कार्यक्रम की सफलता एवं प्रभावशीलता के लिए आवश्ययक सहयोग व्यवस्था का होना आवश्यक हो जाता है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम निर्धनों के लिए कार्यक्रम है ऐसा भी हो सकता है कि अपने विकास के लिए योजना तैयार करना गरीबों के लिए साध्य न हो । लेकिन उनका योजना के चुनाव में संलग्नता आवश्यक हो । अनमनस्य या न चाहने वाले लाभार्थी पर योजना थोप देना सर्वथा विसंगत होगा । अपने और अपने परिवार के लिए योजना की उपादेयता के सम्बन्ध में लाभार्थी को स्वयं सन्तुष्ट होना चाहिए । उसकी अभिप्रेरणा और नैतिकता को सर्वथा दृष्टि में रखना चाहिए ताकि वह निवेश का ध्यान अविचलित रूचि के साथ रखे ।

यादव (1986)[1] के विचारों से पता चलता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम के क्रियान्वयन सम्बन्धी कमियां बढ़ी हैं । उनका विचार है कि लाभार्थियों के चयन में अपात्र व्यक्तियों का चयन किया जाता है और ग्राम सभाओं को चयन की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा है । विकास पत्रिकायें तथा बैंक द्वारा पास बुक समय पर जारी नहीं किया जाता है और योजनायें लम्बी अवधि की बनाई जा रही हैं ।

कृषि मंत्री (भारत सरकार)[2] ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि कार्यक्रम में अपात्र व्यक्तियों का चयन लगभग 11-12 प्रतिशत परिवारों का ही गरीबी की रेखा को पार करना, परिसम्पत्तियों के 30 प्रतिशत का सही न पाया जाना बड़ी संख्या में

परिवारों को सहायता के पश्चात् निगरानी न रखना और लगभग 234 मामलों में कोई आय का सृजन न किया जाना और लगभग 16 प्रतिशत मामलों में रिकार्ड के अनुसार परिसम्पत्तियों की लागत और लाभार्थियों द्वारा परिसम्पत्तियों की आंकी गई कीमत के बीच 500 रू0 से अधिक का अन्तर कदाचार और निधियों के दुरूपयोग का सूचक है ।

योजना आयोग[3] के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की एक रिपोर्ट में बताया गया 88 प्रतिशत लाभार्थी परिवार की आय में वृद्धि हुई है तथा बहुत से परिवारों के उपभोग का स्तर बढ़ा है और बहुत से परिवारों ने यह अनुभव किया कि उनके सामाजिक स्तर में सुधार हुआ है । जोशी[4] का कहना है कि गरीबी रेखा से नीचे जाने वालों की स्थिति में सन्तोषजनक सुधार नहीं हुआ है । जब कभी किसी निर्धन परिवार को कुछ लाभ पहुँचा भी है तो इसकी मात्रा इतनी नहीं होती कि वह निर्धन परिवार निर्धनता की रेखा से ऊपर उठ सके तथा यह भी आवश्यक नहीं कि एक बार जो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ गया हो तो वह स्थायी रूप से अपनी स्थिति सुरक्षित रख सकेगा ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थी की क्षमता एवं संसाधनों को ध्यान में रखकर ऋण की राशि स्वीकृत की जाती है इस कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा एक परिवार को अधिकतम 5000 रूपया तक ऋण प्रदान करने की व्यवस्था है ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम बहुद्देशी नियोजन प्रक्रियाओं से सम्बद्ध बहुआयामी है ।[5] इस योजना का मुख्य लक्ष्य श्रम एवं प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण निर्धन परिवारों के परियोजनाओं का निर्माण उनकी क्षमता एवं निकटतम संसाधनों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है । निर्धन परिवार में श्रम जीवन यापन का प्रधान साधन है इसलिए इन्हें श्रम प्रधान परियोजनायें ही ज्यादा उपयुक्त पड़ती है और अधिकतर इसी प्रकार के परियोजनाओं के लिए इन्हें ऋण प्रदान किये जाते हैं ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन से सम्बद्ध सरकारी कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्धन व्यक्ति को ऋण की जानकारी प्रदान करें और ऋण प्राप्ति में उन्हें सहयोग करें । कार्यात्मकता एवं स्थानीय संगठन समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के केन्द्र बिन्दु हैं । कार्यात्मकता, समस्त सामाजिक - सांस्कृतिक कारकों का समन्वित प्रारूप है । यह जनजीवन को निरन्तर प्रभावित करती रहती है तथा इसमें दिन प्रतिदिन विकास प्रक्रियाओं से प्रभावित कृषि उस पर आधारित उद्योग एवं अन्य धन्धे केन्द्रीय भूमिका का निर्वाह करते हैं । परिवहन, संचार, शिक्षा एवं अन्य सांस्थानिक सुविधायें कार्यात्मक समन्वय को गति प्रदान कर जनजीवन को ऊँचा उठाने में आधारीय सहयोग प्रदान करती हैं जिससे उसका सन्तुलित विकास हो सके । साथ ही ' हर एक के लिए न्यूनतम और जहां तक सम्भव हो उच्च स्तर तक ' से सम्बन्धित है । इसमें विकास के वे सभी घटक (कम्पोनेण्ट) समन्वित हैं, जिनसे ग्रामीणों को सामाजिक न्याय मिल सके ।

इस प्रकार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम बहुपक्षीय एवं बहुगत्यात्मक है, जो ग्रामीण विकास के विभिन्न घटकों के कार्यात्मक स्थानीय अध्यारोपण तथा बहुस्तरीय बहुवर्गीय एवं बहुक्षेत्रीय से संबंधित है और विभिन्न धन्धों (सेक्टर्स) एवं स्थानिक अन्तर्सम्बद्ध पद्धति का प्रतिफल है ।

समन्वित ग्रामीण विकास नीति का केन्द्रीय लक्ष्य श्रम एवं प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग है । लक्ष्यों में तीन तत्व उसके प्रमुख अंग हैं, प्रथम उत्पादन में सहायक क्रिया कलाप जैसे - सिंचाई, जोत, यंत्रीकरण, पशुधन, उर्वरक, ग्रामीण साख, प्राविधिकी एवं ग्रामीण विद्युतीकरण । दूसरा भौतिक अवस्थापना - सड़क, जलापूर्ति आदि और तीसरा सामाजिक अवस्थापना परिवार नियोजन, ग्रामीण शिक्षा मनोरंजन आदि । विभिन्न अधिगमों के माध्यम से विकास के विभिन्न घटकों का समन्वय ही इसका मुख्य आधार है ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य

1. ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारना
2. गरीबी की रेखा से ऊपर लाना ।
3. रोजगार दिलाना
4. कृषि यंत्रों खाद, बीज आदि के लिए तथा रोजगार उत्पादक कार्यों के लिए उचित मात्रा में संसाधन तथा बैंक द्वारा आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना आदि ।

इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनतम परिवारों का पता लगाये गये निर्धारित समूहों की आय में एक निश्चित समय के अन्दर वृद्धि करना एवं उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने तथा उनके वातावरण के अनुकूल उत्पन्न करने वाली परिसम्पत्तियाँ दिलाकर उनकी आय का स्रोत तैयार करना है । निर्धारित समूहों की तरह से किसी कार्य से सम्बद्ध किया जाय जिससे वे अपनी आर्थिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए इन कार्यक्रमों को अपने लाभ के निमित्त साधनों एवं व्यवहार्य योजनाओं में बदल सकें ।

कार्यक्रम की व्याप्ति :

यद्यपि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से कृषि कार्यक्रमों एवं कृषि से सम्बद्ध लोगों पर आधारित है तथापि खेतिहर और भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण व्यवसायिकों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य विकास योजनाओं जैसे लघु कृषक, विकास एजेन्सी, सूखा अवर्षण कार्यक्रम कमाण्ड क्षेत्र कार्यक्रम का भी समावेश कर लिया गया है ।

प्रावधान :

इस कार्यक्रम के लिए छठीं पंचवर्षीय योजना में 1500 करोड़ रूपया तथा सातवीं में 1187 करोड़ रूपया व्यय का प्रावधान रखा गया था । प्रतिवर्ष 600 परिवारों

को लाभान्वित करने की योजना थी, जिसमें 400 परिवारों को कृषि क्षेत्र में 100 परिवारों को ग्राम एवं कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में तथा 100 परिवारों को रोजगार के क्षेत्र में लाभान्वित करने का लक्ष्य था ।

उपलब्धियाँ :

छठीं पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम ने निर्धारित लक्ष्य (15 करोड़ परिवार) से अधिक लगभग 15.56 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया । इसमें 6 करोड़ 45 लाख अनुसूचित जाति एवं जनजाति से सम्बन्धित हैं । वित्तीय सम्बन्ध में भी कार्यक्रम में निर्धारित 4500 करोड़ रूपये से अधिक लगभग 4669 करोड़ रूपया (1669 करोड़ रूपया सहकारी अनुदान एवं 3100 करोड़ ऋण द्वारा) व्यय हो चुके हैं । निश्चित रूप से छठीं योजना में उपलब्धियाँ काफी अच्छी और सन्तोष जनक रहीं ।

7वीं योजना में इस कार्यक्रम से सम्बन्धित निम्नलिखित कदम उठाये गये -

1. निर्धनता रेखा के निर्धारण का मापदंड 4800 रूपये से 6400 रूपये प्रति परिवार किया गया ।

2. लाभान्वित होने वाले परिवार के चुनाव के लिए अधिकतम आय प्रति परिवार 4800 निर्धारित की गई ।

3. ऐच्छिक संस्थाओं को अधिक सहायता देने पर बल दिया गया ।

4. निरन्तर प्रतिमाह प्रगति के मूल्यांकन का नियम बनाया गया ।

कार्यक्रम का प्रारूप

यह कार्यक्रम विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त है और इनमें विभिन्न योजनाओं का समन्वय है । अतः कार्य रूप देने हेतु जिन कार्यों का सम्पादन होना है उसे सरलता से ग्राह्य बनाने के लिए निम्न चरणों में विभक्त किया गया है -

1. लाभार्थियों का चयन :

इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंग लाभार्थियों का चयन है । योजना की सफलता एवं भविष्य में उसका परीक्षण लाभार्थियों के चयन पर निर्भर करता हैं । इसमें किसी प्रकार की त्रुटि एवं सही व्यक्ति का चुनाव हो इसको ध्यान में रखकर ऐसी व्यवस्था की गयी है कि चयनित व्यक्तियों की सूची मुनादी कराकर तैयार की जाय और उसकी प्रतियाँ स्थानीय विधायकों को वितरित की जाय और गांव में प्रसारित की जायें । यदि कोई संशोधन है तो उसका समावेश किया जाय । अन्तिम रूप से स्वीकृत सूची पर चयनित संख्या उद्धृत करके उसकी प्रतियां बैंक कार्यालयों को खण्ड विकास कार्यालय द्वारा भेजने की व्यवस्था है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे परिवारों का चयन होता है जिनकी सभी स्रोतों से होने वाली कुल वार्षिक आय 4800/- है । चयन प्रक्रिया में बैंकों का प्रतिनिधित्व अपेक्षित है, कार्यक्रम के अन्तर्गत पात्रता निम्न प्रकार है -

लघु कृषक : 5 एकड़ असिंचित भूमि अथवा 2.50 एकड़ सिंचित भूमि ।

सीमान्त कृषक : 2.5 एकड़ असिंचित भूमि यदि भूमि पूर्ण सिंचित हो तो भूमि 1.25 एकड़ होनी चाहिए ।

कृषक मजदूर : ऐसे ग्रामीण व्यक्ति जिनकी आय मजदूरी या अन्य किसी कार्य से रू0 200/- मासिक से अधिक नहीं है ऐसे व्यक्तियों की कृषि मजदूरी से आय कुल आय का 50 प्रतिशत से कम है ।

खेतिहर मजदूर : ऐसे भूमिहीन जिनके पास केवल रहने की जगह है और कुल आय का 50 प्रतिशत या अधिक भाग खेतों में मजदूरी से प्राप्त होता है ।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को प्राथमिकता दी गयी है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण लक्षित परिवारों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है ।

1. नये चयन होने वाले परिवार को उपरोक्त पात्रता का होना चाहिए इनकी संख्या सामान्यतः 263 लाभार्थी प्रति विकास खण्ड निर्धारित की गई है ।

2. ऐसे परिवार जिनको छठीं योजना में चयन कर सहायता दी गयी परन्तु उन्होंने प्रोजेक्ट का सही और समुचित उपभोग कर रूपया 1000 या उससे कम अनुदान का उपभोग किया है । परन्तु वह अपनी आमदनी में इतनी वृद्धि नहीं कर सके जिससे वह गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें इस वर्ग के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 449 प्रति विकास खण्ड है । इस योजनान्तर्गत लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी -

सर्वप्रथम जनपद में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत क्या है, इसका विकास खण्डवार सर्वेक्षण कराकर एक संख्या ज्ञात कर ली जाय और उसी के अनुसार खण्डवार लक्ष्य दिये जायें परन्तु यह संख्या ऊपर दिये गये लाभार्थियों की संख्या से अधिक नहीं हो ।

3. अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए भी लक्ष्य उनके विकास खण्ड में जनसंख्या प्रतिशत को ध्यान में रखकर निश्चित किये जायेंगे । यदि अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या प्रतिशत से कम है तो वास्तविक प्रतिशत में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके उस विकास खण्ड में कुल चयनित लाभार्थियों में अनुसूचित जाति का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा । यदि परिवारों की संख्या विकास खण्ड में प्रतिशत या उससे अधिक हो तो वह वास्तविक लक्ष्य होगा । परन्तु नवीनतम निर्देशानुसार अनुसूचित जाति के लाभार्थियों का लक्ष्य कुल लाभार्थियों का 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है ।

4. अनुसूचित जनजाति के लिए कुल चयनित परिवारों में से 2 प्रतिशत अंश आरक्षित होगा । यदि उस विकास खण्ड में ऐसे परिवार हैं ।

5. प्रत्येक विकास खण्ड में महिला वर्ग का लक्ष्य 30 प्रतिशत रखा जायेगा । महिला वर्ग का लक्ष्य प्रति विकास खण्ड शासन द्वारा 214 निर्धारित किया गया है ।

2. योजनाओं एवं परिसम्पत्तियों का चुनाव :

योजनाओं एवं परिसम्पत्तियों का चुनाव लाभार्थियों के चयन पर आधारित

है । प्रायः परम्परागत कार्यों में लगे हुए लोगों को उन्ही कार्यों को करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है जिनका कि उन्हें अनुभव है । अन्य लाभार्थियों की योजनाओं/परिसम्पत्तियों को अपनाने हेतु प्रेरित करने से पहले उनकी सार्थकता एवं आर्थिक प्राप्ति में आकांक्षाओं को साकार करने की क्षमता को आंकना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसके लिए व्यक्ति का अनुभव उन्हें लाभकारी बनाने वाले कार्यों एवं पूर्ण करने की क्षमता प्राप्त उत्पादन हेतु उपयुक्त मूल्य एवं बिक्री हेतु क्षेत्र आदि बातों का विश्लेषण आवश्यक होता है अन्यथा लाभकारी योजना/परिसम्पत्तियाँ किसी क्षेत्र/व्यक्ति के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं, तो दूसरे के लिए अलाभकारी । यह उस क्षेत्र एवं अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है । योजनाओं/परिसम्पत्तियों का चुनाव इस कार्यक्रम का मेरूदण्ड है ।

3. ऋण व्यवस्था :

चयनित व्यक्तियों को ऋण की सुविधा दिलाने हेतु विकास खण्ड द्वारा ऋण प्रार्थना पत्र क्षेत्र में स्थित बैंक शाखा को भेजा जाता है । प्रार्थना पत्र तैयार करने का कार्य विकास खण्ड के कार्यकर्ता करते हैं । प्रार्थना पत्र में सूचनायें भरने के साथ फोटो व हस्ताक्षरों का सत्यापन उस अधिकारी द्वारा किया जाता है । ऋण, प्रस्तावों के प्राप्त होने के बाद शाखा स्तर पर इसकी जाँच की जाती है जिसमें निम्न बातें प्रमुख होती हैं ।

1. पात्रता के सम्बन्ध में छान-बीन ।
2. योजना परिसम्पत्तियों का आर्थिक विश्लेषण ।
3. परिसम्पत्तियों की उपलब्धि ।
4. योजनाओं/ परिसम्पत्तियों को लाभकारी बनाये रखने की सम्भावनाओं एवं उत्पादकता बनाये रखने हेतु आधार सुविधायें ।
5. परिसम्पत्तियों से प्राप्त उत्पादन के लिए उपयुक्त बिक्री व्यवस्था ।
6. ऋण राशि की आवश्यकता का आंकलन ।
7. पूर्व ऋण के सही जाँच उपयोग की जाँच ।

उक्त विश्लेषण के बाद ऋण स्वीकृत होता है । ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि परिसम्पत्तियों आदि का क्रय बैंक द्वारा सुनिश्चित कराया जाय । इसके लिए लाभार्थी को नगद ऋण न देना उपयुक्त होता है । लाभार्थी का सामान किस स्थान दुकान से क्रय किया जाय इसकी स्वतंत्रता होती है ।

4. योजना परिसम्पत्तियों को लाभकारी बनाये रखना :

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि योजना/परिसम्पत्तियां लाभप्रद एवं आर्थिक रूप से योग्य बनी रहें । इसका भार परियोजना/अभिकरण को सौंपा गया है । खण्ड विकास के कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेदारी रहती है कि यदि कोई योजना/परिसम्पत्तियाँ अनुत्पाद हो रही हैं तो उसे उचित सुविधा/सहायता हेतु सम्बन्धित विभाग की जानकारी में लाये एवं सहायता प्रदान करना सुनिश्चित कराये । समुचित बाजार की व्यवस्था एवं योजना सम्बन्धी अन्य आधारभूत सुविधायें प्रदान करना अभिकरण के कार्य क्षेत्र में आता है । कार्यक्रम का यह अत्यन्त आवश्यक पहलू है और इस पर विस्तृत विचार योजना परिसम्पत्तियों के चयन के समय होना चाहिए अन्यथा ऋण की अदायगी एवं कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति संदिग्ध रहेगी ।

5. कार्यक्रम हेतु आधारभूत सुविधायें :

कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास/प्रबन्ध करने की समुचित व्यवस्था है । इस उद्देश्यों से जनपद स्तर पर सभी प्रमुख विभागों को इस कार्यक्रम से सम्बद्ध रखा गया है । जिस समय योजना का प्रारूप तैयार होता है और इसका आर्थिक विश्लेषण होता है उसी समय योजनानुसार आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को प्रदान करने हेतु भी रूप - रेखा तैयार होनी चाहिए और उसका क्रियान्वयन भी साथ साथ होना चाहिए । यदि विभिन्न विभागों के आपसी तालमेल एवं धन के अभाव में ये सुविधायें विकसित नहीं हो पाती तो लाभकर योजनायें भी अलाभकर हो जाती और फिर गरीब व्यक्ति पर ऋण

भार बढ़ जायेगा ।

6. अनुदान एवं समायोजन :

कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान की व्यवस्था है जिसका समायोजन ऋण खाते में होता है । अनुदान की राशि योजना/परिसम्पत्ति की कुल लागत का 25 प्रतिशत लघु कृषकों एवं 33.3 प्रतिशत सीमान्त कृषकों एवं अकृषक लाभार्थियों के लिए है । अनुदान प्रमुख रूप से अंश राशि एवं प्रारम्भिक लागत की आपूर्ति के लिए है । अनुदान का समायोजन ऋण खाते में होता है इसके लिए शाखा स्तर पर अनुदान के खाते रहते हैं और शाखाओं को यह निर्देश है कि ऋण वितरण के साथ अथवा उसके अनुदान का समायोजन किया जाय । नये चयनित अभ्यर्थियों को औसतन रूपया 2000/- एवं पुराने लाभार्थियों को 500/- अनुदान प्राप्त होगा ।

कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु संस्थायें एवं बैठक :

कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं बैंको पर है । कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार संस्थाओं का प्रारूप/प्रक्रिया निम्न है -

एकीकृत ग्राम्य विकास अभिकरण :

इस कार्यक्रम के अंतर्गत यद्यपि विकास खण्ड को इकाई माना गया है परन्तु प्रशासनिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर क्रियान्वयन हेतु अभिकरण की स्थापना की गई । अभिकरण का अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है एवं उनके अधीन परियोजना निदेशक अथवा अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना) होते हैं जो मुख्य रूप से अभिकरण के संपूर्ण कार्यों के संचालन एवं कार्यरूप देने के लिए जिम्मेदार है । अभिकरण का जिला स्तर पर कार्यालय होता है, जो कार्यक्रम के क्रियान्वयन का संचालन करता है । लाभार्थियों को चयन, योजनाओं/परिसम्पत्तियों का चुनाव एवं उसकी व्यवस्था आधारभूत आवश्यकता को प्रदान करने हेतु प्रयत्न अनुदान का समायोजन एवं कार्यक्रम की प्रगति का आंकलन आदि कार्यों का सम्पादन इसी कार्यालय की देख-रेख में

होता है । इन सभी कार्यों का सम्पादन अभिकरण अपनी देख रेख में विकास खण्डों के माध्यम से कराती है । खण्ड विकास अधिकारियों की बैठक प्रत्येक माह में जिला स्तर पर होती है जिसमें प्रगति की समीक्षा की जाती है । अभिकरण संयुक्त प्रशिक्षण का दायित्व लेगा जिससे कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुचारू रूप से है ।

विकास खण्ड :

इस कार्यक्रम के लिए विकास खण्डों को इकाई माना गया है । प्रत्येक विकास खण्ड के लिए अनुदान राशि निश्चित की गई है । उसी के अनुसार लाभार्थियों की संख्या निर्धारित है । लाभार्थियों का चयन योजनायें/परिसम्पत्तियों का चुनाव एवं व्यवस्था ऋण प्रस्तावों को तैयार कराना एवं बैंक शाखाओं को प्रेषण आदि कार्य विकास खण्ड के कार्यकर्ताओं द्वारा होता है । इस प्रकार विकास खण्ड एवं उनके कर्मचारी इस योजना के क्रियान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण एवं अहं भूमिका निभाते हैं ।

बैंक :

बैंकों ने इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु लाभार्थियों को ऋण सुविधा प्रदान करने का दायितव लिया है । इसके साथ का ही योगदान चयन प्रक्रिया में भी अपेक्षित है । चयनित लाभार्थियों का ऋण प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद बैंक योजना/परिसम्पत्ति का चुनाव ऋण राशि तथा पात्रता सम्बन्धित अन्य बातों की छानबीन करते हैं । बैंकों को यह स्वतंत्रता है कि पात्रता एवं आई जाने वाली योजनायें/परिसम्पत्तियों की आर्थिक रूप से लाभ प्रदता सुनिश्चित होने पर ही ऋण प्रदान करें । अनुदान का समायोजन बैंक शाखायें ऋण वितरण के साथ अभिकरण के खाते से कर लेती हैं । इन खातों की देखभाल बैंक अपने अन्य ऋणों की भाँति करता है । वैसे इन ऋणों हेतु बैंक की औपचारिकताओं का सरलीकरण भी किया है ।

बैठकें :

जिला समन्वयन एवं सलाहकार समिति :

इस बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में होता है, जिसका अध्यक्ष

जिलाधिकारी एवं संयोजक/परियोजना निदेशक रिजर्व बैंक एवं अग्रणी बैंक होता है । बैंकों के अतिरिक्त नाबार्ड और संस्थागत वित्त प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं । जिले में बैंकों की आर्थिक सहायता व देख - रेख के अधीन चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा इस बैठक में होती है । जन प्रतिनधि भी इस समिति के सदस्य होते हैं ।

टास्क फोर्स बैठक :

यह मासिक बैठक विकास खण्ड स्तर पर परगनाधिकारी की अध्यक्षता में होती है । इसमें उस क्षेत्र में स्थित बैंक शाखाओं का प्रतिनिधित्व भी होता है । इस बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा लाभार्थियों के चयन परिसम्पत्तियों का प्रबन्ध एवं उन्हें सुलभ कराना आधारभूत सुविधायें एवं ऋण वसूली आदि मुद्दों पर विचार विमर्श होता है । यदि यह बैठक नियमित हो तो कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आने वाली बहुत सी समस्याओं का समाधान विकास खण्ड स्तर पर ही हो सकता है । इस प्रकार कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं मूल प्रारूप में ग्रामीण विकास की भावना निहित है । उद्देश्यों की प्राप्ति उसके सही एवं निष्पक्ष क्रियान्वयन से सम्भव है ।

योजना का कार्यान्वयन :

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आधारभूत सिद्धान्त मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों के श्रेष्ठ उपयोग द्वारा व्यक्ति को समाजोपयोगी तथा उत्पादक व्यवसायों में लगाकर उसे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सक्षम बनाना है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत परिसम्पत्तियाँ उपलब्ध कराने के तहत चयन किये गये परिवारों को निर्धनता रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया जाता है । परिसम्पत्तियाँ जो प्राथमिक, द्वैतीयक अथवा तृतीयक क्षेत्रों की हो सकती है, उन्हें वित्तीय सहायता (बैंक ऋण एवं अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है । योजनाओं के कार्यान्वयन में परिवार को एक इकाई माना गया है । परिवार का सर्वेक्षण कर निर्धनता रेखा अर्थात प्रति परिवार 3500 रू0 वार्षिक आय से कम आय वाले 600 परिवारों को प्रत्येक प्रखण्ड में चयन

किया जाता है तथा पाँच वर्ष में 3000 लाभभोगियों को चरण बद्ध रूप में सहायता प्रदान का लक्ष्य रखा गया है ।

परिवार सर्वेक्षण के उपरान्त निर्धनता रेखा के चुने हुए परिवारों को प्रति व्यक्ति वार्षिक आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और सहायता के लिए सामान्यतः अत्यन्त निर्धन व्यक्तियों को चुना जाता है । योजना की सम्भाव्यता और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक परिवार के लिए आयप्रद योजना तैयार की जाती है, जिससे पूर्ण नियोजन प्राप्त हो सके तथा यथेष्ट अतिरिक्त आय की वृद्धि हो सके । परिवार सर्वेक्षण में हर एक परिवार की स्थिति, उसका वर्तमान पेशा और उनके द्वारा किये गये कार्य के लिए उसकी अधिमान्यता का उल्लेख रहता है । सभी चयनित किये गये परिवारों और उसके लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दी गयी सहायता से किये गये विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा देना होता है ।

सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया :

लक्ष्य वर्गों की पहचान के लिए प्रखण्डों में गृह सर्वेक्षण कराया जाता है । गृह सर्वेक्षण के आधार पर लक्ष्य वर्गों की सूची तैयार की जाती है । इस सूची के लक्ष्य वर्गों को ही आर्थिक कार्यक्रम के माध्यम से सहायता पहुँचायी जाती है । इसके लिए लक्षित व्यक्तियों को अपनी अभिरूचि की प्रयोजन के लिए वैंकों में ऋण आवेदन पत्र देना होता है । ऐसे आवेदन पत्रों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा एक पंजी में अंकित कर प्रखण्ड में अवस्थित बैंकों को अग्रसारित किया जाता है । बैंक द्वारा पूरी लागत व्यय के अनुसार ऋण स्वीकृत किया जाता है । ऋण की राशि लाभान्वितों को नगद न देकर उन्हें अपेक्षित वस्तुएं ही बैंक अधिकारियों द्वारा दिलाई जाती है ताकि वे उसका समुचित लाभ उठा सके । बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाने के बाद लाभान्वित परिवारों को नियमानुसार देय राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा बैंक को दे दी जाती है । शेष राशि बैंक द्वारा लाभान्वितों से आसान किश्तों में वसूल की जाती है । वस्तुतः अनुदान की राशि ऋण से सम्बन्ध है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमः

1 अप्रैल 1977 से शुरू काम के बदले अनाज कार्यक्रम का नाम अक्टूबर 1980 में बदलकर ' राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ' रख दिया गया । इसका मुख्य उद्देश्य टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करने तथा ग्रामीण निर्धनों के पोषाहार स्तर को ऊँचा उठाने के अतिरिक्त वर्ष में कम काम आने वाली अवधियों के दौरान नौकरी चाहने वालों के लिए पूरक रोजगार प्रदान करना है । चूँकि गरीबों द्वारा निवेश किये गये धन का परिणाम एक समयावधि के बाद हो जायेगा । अतः इस अवधि के दौरान गरीब परिवार को आय के अतिरिक्त स्रोत की आवश्यकता होती है इसके अलावा और कई बातों को ध्यान में रखकर रोजगार परक कार्यक्रम की शुरूआत की गई । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का शुरूआत छठीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1981-82 में किया गया । इस कार्यक्रम के अंतर्गत छठीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल उत्पन्न रोजगार निर्धारित लक्ष्य 13200 लाख मैनडेज के बदले 1630.00 मैनडेज रहा है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पन्न रोजगार में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 1982-83, 83-84 और 84-85 के दौरान क्रमशः 41.0 प्रतिशत, 40.0 प्रतिशत, 42.0 प्रतिशत रहा है । इन अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी क्रमशः 12.0 प्रतिशत, 17.0 प्रतिशत, और 16.0 प्रतिशत था । 1985-86 के दौरान रोजगार की उत्पत्ति निर्धारित लक्ष्य 316.00 लाख के बदले 416.27 लाख रहा है । इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी क्रमशः 44.0 प्रतिशत और 14.0 प्रतिशत रहा है । ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारोत्पत्ति के उद्देश्य के प्राप्ति के अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत टिकाऊ सामुदायिक सम्पत्ति का सृजन किया गया है । छठीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 52,024,89 हेक्टेयर जमीन में 889.90 लाख वृक्ष लगाये गये । इसके अलावा छठ़ी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10,286 कि0मी0 ग्रामीण सड़क, 6599 विद्यालय भवन, 765 पंचायत भवन, 263 समुदाय केन्द्र और 6,094 लघु सिंचाई कार्य का निर्माण किया गया है ।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम :

सीमित क्षमता के कारण समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत सभी गरीबों को एक ही साथ गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठाया जा सकता है । अतः यह आवश्यक हो जाता है कि ग्रामीण गरीबों को आय के स्रोत उपलब्ध कराये जायं तथा उनके पहले दिनों में रोजगार की गारन्टी प्रदान की जाय । कई अन्य बातों के साथ इस बात को ध्यान में रखकर उ0प्र0 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी, रोजगार की गारन्टी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक एवं व्यक्तिगत (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए) टिकाऊ जनपद का सृजन है । इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 1984-85 और 85-86 में क्रमशः 42.70 करोड़ रूपये और 46.58 करोड़ रूपया खर्च हुआ ।

ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण (ट्राइसेम) :

ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण (ट्राइसेम) कार्यक्रम एक अलग योजना के रूप में वर्ष 1979-80 से आरम्भ किया गया था, किन्तु छठीं योजना अवधि के दौरान इसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अनिवार्य भाग के रूप में क्रियान्वित किया गया । इस कार्यक्रम का उद्देश्य समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लक्षित वर्गों में परिवारों के 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं का चयन करना है, उन्हें चुने गये व्यवसायों में प्रशिक्षण देना है, ताकि ये उसकी सहायता से रोजगार के लिए अपना व्यवसाय शुरू कर सकें । इस कार्यक्रम हेतु छठीं योजना में 5 करोड़ की राशि निर्धारित की गई थी, सन् 1985 तक इसमें 56568 कर्मचारियों को सम्मिलित किया जा चुका है ।

ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं तथा बच्चों का विकास :

' ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं तथा बच्चों का विकास ' योजना के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को एक उपयोजना के रूप में शुरू किया गया था और इसे देश के सभी 22 राज्यों के चुने हुए 50 जिलों में प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया जा

ग्रमीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम :

सीमित क्षमता के कारण समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत सभी गरीबों को एक ही साथ गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठाया जा सकता है । अतः यह आवश्यक हो जाता है कि ग्रमीण गरीबों को आय के स्रोत उपलब्ध कराये जायं तथा उनके पहले दिनों में रोजगार की गारन्टी प्रदान की जाय । कई अन्य बातों के साथ इस बात को ध्यान में रखकर उ0प्र0 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी, रोजगार की गारन्टी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक एवं व्यक्तिगत (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए) टिकाऊ जनपद का सृजन है । इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 1984-85 और 85-86 में क्रमशः 42.70 करोड़ रूपये और 46.58 करोड़ रूपया खर्च हुआ ।

ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण (ट्राइसेम) :

ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण (ट्राइसेम) कार्यक्रम एक अलग योजना के रूप में वर्ष 1979-80 से आरम्भ किया गया था, किन्तु छठीं योजना अवधि के दौरान इसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अनिवार्य भाग के रूप में क्रियान्वित किया गया । इस कार्यक्रम का उद्देश्य समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लक्षित वर्गों में परिवारों के 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं का चयन करना है, उन्हें चुने गये व्यवसायों में प्रशिक्षण देना है, ताकि ये उसकी सहायता से रोजगार के लिए अपना व्यवसाय शुरू कर सकें । इस कार्यक्रम हेतु छठीं योजना में 5 करोड़ की राशि निर्धारित की गई थी, सन् 1985 तक इसमें 56568 कर्मचारियों को सम्मिलित किया जा चुका है ।

ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं तथा बच्चों का विकास :

' ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं तथा बच्चों का विकास ' योजना के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को एक उपयोजना के रूप में शुरू किया गया था और इसे देश के सभी 22 राज्यों के चुने हुए 50 जिलों में प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया जा

रहा है । कार्यक्रम का मुख्य बल ग्रामीण क्षेत्रों निर्धनता के रेखा के परिवारों की महिलाओं पर है, उन्हें समूहों में संगठित करने पर और उनमें ऐसा गतिविधियों की शुरूआत करने पर है, जिनसे उनकी आय में वृद्धि हो सके उनमें अपनी समस्याओं के प्रति जागरूकता आ सके तथा वे सुविधाओं का लाभ उठा सकें ।

इन्दिरा विकास योजना :

छठीं पंचवर्षी योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 41,264 गृहों का निर्माण हुआ । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के सीधे लाभ और कल्याण के लिए इन्दिरा आवास योजना एक महत्वपूर्ण स्कीम है । इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता है कि गृह निर्माण के लिए जगह का चयन लाभार्थी के परामर्श से किया जाता है और निर्माण कार्य में लाभार्थी स्वयं सक्रिय रूप से संलग्न रहता है । पेयजल, नालीयुक्त पैखाना, सड़क और वृक्षारोपण का प्रावधान इस प्रोजेक्ट के अंग है ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों का परिचय

लघु कृषक:

लघु कृषक की श्रेणी में 2.5 एकड़ से अधिक तथा 5 एकड़ से कम (असिंचित) एवं 1.25 एकड़ से अधिक तथा 2.5 एकड़ से कम (सिंचित) भूमि होनी चाहिए ।

सीमान्त कृषक :

2.5 एकड़ से कम असिंचित तथा 1.25 एकड़ से कम सिंचित भूमि वाले कृषक सीमान्त की श्रेणी में आते हैं ।

कृषक मजदूर :

जिनकी आय का स्रोत कृषि हो, परन्तु उनकी अपनी भूमि न हो लेकिन मकान हो तथा कृषि मजदूरी से आय का 50% भाग प्राप्त होता हो । ऐसे व्यक्तियों को कृषक मजदूर की श्रेणी में गिना जाता है ।

मजदूर :

ग्राम में स्थायी रूप से रहते हों लेकिन निजी भवन न हो तथा आय का 50.0 प्रतिशत अकृषक कार्यों से प्राप्त होता हो मजदूर की श्रेणी में आते हैं ।

ग्रामीण दस्तकार :

ग्राम का निवासी हो तथा परम्परागत ग्राम्य शिल्प में संलग्न हो, उसे ग्रामीण दस्तकार की श्रेणी में रखा गया है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक परिवार को अधिकतम 3000 रू0 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए यह सीमा 5000 रू0 तक है । छठीं योजना में यह निश्चित किया गया कि जिन परिवारों को सहायता दी जाती है उनमें कम से कम 30.0 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अवश्य हैं । इस योजना के अंतर्गत धन की व्यवस्था बैंक करते हैं । बैंकों को 5000 रू0 तक की राशि का ऋण बिना किसी जमानत या गारन्टी के दिये जाने के निर्देश हैं ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है । राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है । जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी का अध्यक्ष जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तालमेल करने में मुख्य भूमिका अदा करता है । जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी का मार्ग दर्शन के लिए एक निकाय है । इसमें जनता के प्रतिनिधि, संसद, विधान सभाओं, जिला परिषदों के सदस्य जिला ग्रामीण विकास विभाग, भूमि विकास बैंकों, लीड बैंकों के प्रधान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की महिलायें सदस्य के रूप में शामिल हैं । जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों को कार्यक्रम की आयोजना तथा कार्यान्वयन में पूरी तरह शामिल किया जाता है । लाभ भोगियों का अन्तिम चयन ग्राम सभाओं की बैठक में किया जाता है ।

आकलन :

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (1983) के अनुसार कृषि क्षेत्र में प्रगति एवं कमजोर

वर्गों के सहायतार्थ विशिष्ट परियोजनाओं के फलस्वरूप 1977-78 से 1983-84 के बीच में लगभग 360 लाख व्यक्ति निर्धनता की रेखा से ऊपर उठे हैं । छठवीं योजना काल में 150 लाख परिवारों को लाभ होना था, लेकिन वास्तविक लाभ 1.65 करोड़ व्यक्तियों को हुआ ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 40 लाख परिवारों को कार्यक्रम में शामिल रखने का संशोधित लक्ष्य रखा गया है । इस योजना में दिसम्बर 1986 तक 5103 लाख परिवारों को कार्यक्रम का लाभ पहुँच चुका है । जिसमें 22 लाख अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर 1980-81 में 159 करोड़ रूपये, 1981-82 में 265 करोड़ रूपये, 1982-83 में 360 करोड़ रूपये व 83-84 में 406 करोड़ रूपये व्यय किये गये हैं । जिससे 1980-81 में 27 लाख, 1981-82 में 27 लाख, 82-83 में 35 लाख 83-84 में 37 लाख व 84-85 में 39 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुँचा है ।

तालिका :

कुछ प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के 1986-87 के लक्ष्य तथा नवम्बर 1986 तक उनकी उपलब्धि दिशाई गई है, जो गांवों की हालत सुधारने के लिए किये गये थे ।

तालिका 7.1

कार्यक्रम	इकाई	1986-87 के लक्ष्य	नवम्बर 1986 तक उपलब्धियाँ
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	प्रति हजार	4009.0	1724.5
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार के अवसर	लाख	2750.8	2404.7
3. राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	लाख	2364.5	1497.0
4. अतिरिक्त भूमि का आबंटन	एकड़	82278	6278.3
5. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	संख्या	19728	1212.0
6. अनुसूचित जातियों को मदद	लाख	21.4	12.0
7. अनुसूचित जनजातियों को मदद	लाख	8.3	5.2
8. पीने के पानी की समस्या का हल	(गाँवों की संख्या)	359.30	246.60
9. आवास खण्डों को आबंटन	लाख	6.3	5.2
10. गन्दी बस्तियों की सफाई	लाख	15.4	11.8
11. आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को आवास	प्रति हजार	118.8	113.8
12. गाँवों का विद्युतीकरण	संख्या	21592	7049.0
13. पम्पसेट चालू किये गये	लाख	3.9	2.3
14. वृक्षारोपण	लाख	33284.5	31663.3
15. टीके लगाये गये	लाख	59.3	20.3
16. प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र	संख्या	1554.0	48.0

स्रोत : योजना 1-15 अप्रैल, 1987

तालिका 7.2

राज्यों/केन्द्र शासित नये और पुराने परिवारों के लिए प्रति परिवार निवेश

राज्य	नये परिवार के लिए प्रति परिवार निवेश (कुल आर्थिक सहायता और ऋण)	पुराने परिवारों के लिए प्रति परिवार निवेश
बिहार	3363	3374 (फरवरी 86 तक)
गुजरात	3368	2498
हरियाणा	4244	4043
हिमांचल प्रदेश	3565	3088
कर्नाटक	3626	3524
महाराष्ट्र	4881	3716
मेघालय	2206	अप्राप्य
नागालैंड	2776	99
उड़ीसा	2776	2981
पंजाब	4216	3081
सिक्किम	2605	2556
तमिलनाडु	4963	2899
उत्तर प्रदेश	4292	3091
दादर और नगर हवेली	2977	2515
दिल्ली	4139	5131

स्रोत : कुरूक्षेत्र - जुलाई, 1986

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित अध्ययन :

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक नवीन योजना है फिर भी इसके कार्यक्रम पर सरकारी एवं गैर सरकारी तौर पर अनेक अध्ययन किये गये हैं । इस सम्बन्ध में प्रमुख अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार से है - दया कृष्ण[6] (1980), गिरधारी[7] (1981) ने अपने अध्ययन ' इण्डियन फार्मर ऐट क्रास रोड ' में पाया कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त उत्पादन, सामाजिक न्याय में वृद्धि तथा बेरोजगारों को पूर्ण रोजगार से है ।

योजना आयोग (1978-83)[8] के अनुसार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य गरीबों, आदिवासी तथा अनुसूचित जातियों का विकास है ।

प्रो० गिल्बर्ट (1985-86)[9] ने अपने सर्वेक्षण के उपरान्त बताया कि विकास की प्रकिया में चाहे जो भी परिवर्तन दिखाई पड़े हैं गरीबों को विकास का अपेक्षित लाभ अभी भी नहीं मिल पाया है । इन परिवर्तनों का तात्पर्य जीवन में अचानक बदलाव नहीं है, परन्तु इतना अवश्य है कि अत्यन्त छोटे किसानों की हालत बेहतर हुई है या वे अब पहले की तुलना में उतने अधिक गरीब नहीं रह गये हैं । वे अब ये स्वीकार करते हैं तथा अनुसूचित जाति के अनेक लोगों का दृष्टिकोण बेहतर पहनावे, अपेक्षाकृत अधिक आत्मविश्वास की भावना से इस बात की और पुष्टि होती है । साथ ही प्रो० गिल्बर्ट ने इस तथ्य पर बल दिया है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो भी कठिनाई उठाई जायेगी काफी कठिन होगी और अब तक जो प्रगति हो चुकी है, संभवतः वैसी ही प्रगति हासिल करना उतना आसान नहीं रहेगा ।

उमेशचन्द्र एवं डा• बालिस्टर[10] ने दुधारू पशु योजनाओं के सर्वेक्षण में पाया कि (1) गरीबी उन्मूलन की बजाय लाभार्थी एवं क्रियान्वयन कर्ता के लिए अनुदान की राशि ही मुख्य आकर्षण रही है । (2) बहुत से लाभार्थियों ने वास्तव में दुधारू पशु (भैंस)

की खरीद नहीं की उनकी जगह पर पुरानी या अन्य व्यक्तियों के भैंस को दिखाकर ऋण प्राप्त कर लिये तथा अनुदान का अधिकांश भाग कार्यक्रम के क्रियान्वयन में संलग्न कर्मचारियों एवं अधिकारियों में ही खर्च हो गया । (4) कुछ लाभार्थियों को अनुदान की राशि भी नहीं प्राप्त हो सकी तथा अधिकांश लाभार्थियों को अनुदान राशि का भुगतान ऋण राशि के प्राप्त होने के काफी समय बाद किया गया, जिससे उन्हें सम्पूर्ण ऋण पर ब्याज का भुगतान करना पड़ा (5) पशुओं का वास्तविकता से अधिक मूल्य लिया गया जो 1000 रूपया तक पाया गया । (6) लाभार्थियों को पिछड़ी स्थानीय नस्ल के पशु उपलब्ध कराये गये जिससे वे कार्यक्रम का पूरा लाभ नहीं उठा पाये, (7) दुधारू पशुयोजना के लिए प्रति लाभार्थी निवेश (3000 रू0) अपर्याप्त रहा है, क्योंकि यह राशि एक उन्नतशील भैंस खरीदने के लिए काफी कम है (8) पशुओं के अनुत्पादक मास में भरण पोषण के अभाव में लाभार्थी को मजबूरन पशु बेचने पड़ते हैं ।

डॉ0 दूबे (1985)[11] ने अपने अध्ययन में पाया कि (1) योजना के फलस्वरूप कुछ प्रतिशत लाभार्थी निर्धनता की रेखा से ऊपर उठे हैं, परन्तु अधिकांश लाभार्थी निर्धनता रेखा के नीचे ही स्थित हैं । (2) जो क्षेत्र अधिक पिछड़ा है वहाँ पर अधिक लाभार्थी निर्धनता से ऊपर उठे हैं और जो क्षेत्र अधिक विकसित है कम लाभार्थी निर्धनता रेखा से ऊपर उठे हैं । (3) ऊँची आय परिधि के लाभार्थी ऋण वापसी में देर करते हैं और निम्न आय परिधि वाले ऋण अपेक्षाकृत जल्दी वापस करते हैं । आय स्तर एवं ऋण अदायगी के बीच सहसम्बन्ध ऋणात्मक है । (4) जितना बड़ा कृषक उतना ही ऋण अदायगी में देर करता है क्योंकि वे अपने प्रभाव का उपयोग कर लेते हैं ।

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की एक मूल्यांकन रिपोर्ट[12] के अनुसार 88.0 प्रतिशत लाभार्थी के आय में वृद्धि हुई है, 77.00 प्रतिशत परिवारों ने यह स्वीकार किया है कि उनका उपभोग स्तर बढ़ा है, 37.09 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनकी परिसंपत्तियां कुछ हद तक बढ़ी हैं, और 64.0 प्रतिशत परिवारों ने इस बात का अनुभव किया कि उनके सामाजिक स्तर में सुधार हुआ है । साथ ही रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यक्रम में एक कमी यह रही है कि चयनित लाभार्थी परिवारों में 26

प्रतिशत परिवार ऐसे थे जिनका नियमानुसार इस कार्यक्रम के लाभार्थी परिवार के रूप में चयन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनकी वार्षिक आय पहले से ही 3500 रूपये से अधिक थी लाभार्थियों के चयन में केवल 29 प्रतिशत परिवारों का चयन ग्राम सभाओं के राय में हुआ था और शेष 17 प्रतिशत लाभार्थियों का चयन विकास खण्ड के अधिकारियों द्वारा सीधे कर लिया गया ।

राजेन्द्र सिंह[13] ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के विश्लेषणात्मक अध्ययन में पाया कि (1) सरकारी अनुदान की राशि का दुरूपयोग किया जाता है एवं लक्ष्य पूर्ति को दिलाने के लिए विकास खण्डों द्वारा अपात्र व्यक्तियों को भी ऋण सुविधा प्रदान किया जाता है । (2) पात्र की योग्यता एवं अनुकूलता के अनुरूप परिसम्पत्तियों के चुनाव के अभाव के कारण लाभार्थी पर ऋण का बोझ भार बढ़ा है । (3) परिसम्पत्तियों के लागत के हिसाब से ऋण की राशि अपर्याप्त दी गयी है । अतएव पुनः ऋण सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता हो जाती है । (4) आपने यह भी पाया है कि इस कार्यक्रम के द्वारा लगभग एक तिहाई लाभार्थी निर्धनता रेखा से ऊपर उठे हैं । कुल मिलाकर योजना का निर्धन जनसंख्या पर अनुकूल असर पड़ा है ।

त्रिपाठी एस0 (1984)[14] ने अपने अध्ययन में पाया कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में निर्धनों की पहचान सही ढंग से नहीं किया जाता है । निर्धनों के पहचान की प्रक्रिया स्थानीय शक्ति संरचना से प्रभावित होती है । अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की भाँति समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण समाज के उन परोप जैविक तत्वों को मजबूत बनाने में योगदान किया जो कि गरीबों का लाभ छीनकर अपनी सम्पन्नता बढ़ा रहे हैं उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि लाभ न तो आवश्यक मन्द लोगों तक पहुँचा है न ही यह जरूरत मन्द लोगों आवश्यकता के अनुरूप सिद्ध हुआ है । इसके साथ ही लाभ प्राप्ति में विलम्ब निर्धन व्यक्तियों के समस्या को मात्र और अधिक उलझा ही नहीं देता बल्कि उनको प्रोजेक्ट अधिकारियों का शिकार बना देता है । उनका कहना है कि बैंक द्वारा ब्याज निर्धारण में विलम्ब किया जाता है, छूट

पासबुक नहीं दिये जाते हैं, पासबुक में गलत विवरण भी होता है, छूट देने में विलम्ब की जाती है जिससे अधिक ब्याज के बोझ को लाभार्थियों को सहन करना पड़ता है ।

डा0 आदि शेषैया ने मध्यकालीन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 1984 में लिखा है कि ग्रामीण गरीबों को लाभ पहुँचाने के इरादे से जो भी कार्यक्रम लागू किये गये हैं उससे समृद्ध व्यक्तियों को ही लाभ पहुंचा है और लघु एवं सीमान्त किसान कार्यक्रम से वंचित रहे हैं ।[15]

ग्रामीण विकास कार्य से सम्बन्धित पूर्वोक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह विदित होता है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं । परिवर्तन का नवीनतम प्रयास के रूप में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण निर्धन वर्ग की सामाजिक आर्थिक उत्थान का एक अत्यन्त विस्तृत कार्यक्रम है । वर्तमान अध्ययन में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के लाभार्थियों के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस रूप में हो रहा है तथा इस कार्यक्रम का ग्रामीण निर्धनता के निवारण में क्या योगदान है ।

ग्रामीण जनता के आर्थिक उत्थान एवं विकास हेतु सरकार स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद सही प्रयासरत रही है किन्तु इस सम्बन्ध में योजनाबद्ध तरीके से समय - समय पर चलाये गये कृषि एवं ग्रामीण विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों में से अधिकांश का मुख्य लाभ या तो उन ग्रामीणों को मिला जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही सुदृढ़ थी या फिर जिनका सम्बन्धित कर्मचारियों पर व्यक्तिगत प्रभाव था । काफी कुछ लाभ सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ही उठाया । कमजोर वर्ग का ग्रामीण वहीं का वहीं रहा । वह न तो पर्याप्त जीविका जुटा पाने में समर्थ हो सका और न ही उसके सीमित श्रम शक्ति का समुचित उपयोग उसके अपने व्यक्तिगत अथवा राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए हो पाया । इस प्रकार ग्रामीण विकास योजनाओं की विफलता एवं उनमें दोहरापन के फलस्वरूप यह प्रस्तावित किया कि बहुत सारे एजेन्सियों के माध्यम से ग्रामीण निर्धनों के लिए संचालित इन बहुमुखी कार्यक्रमों का अन्त कर दिया

जाय और इसके स्थान पर समन्वित कार्यक्रम का शुरूआत किया जाय जो पूरे देश में संचालित हो सके । अस्तु ' समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ' को चालू किया गया ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम निर्धनता उन्मूलन करने वाले कार्यक्रमों में से एक प्रमुख कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ' निर्धनता रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया है । उन लोगों को वरीयता दी जाती है जो अत्यन्त निर्धन हैं । दूसरे शब्दों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में अन्त्योदय के सिद्धान्तों का पालन करके गरीबों में से सबसे अधिक गरीबों को पहले चुनकर लाभार्थियों का निर्धारण किया जाता है । आर्थिक विकास हेतु पूरे परिवार को एक इकाई माना जाता है और सम्पूर्ण परिवार के विकास हेतु कार्यक्रम बनाये जाते हैं ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीब से गरीब तबकों को गरीबी तथा उनकी अर्द्धबेरोजगारी एवं बेरोजगारी के समस्याओं का निवारण करना है । ग्रामीण अंचल के सभी क्षेत्रों को चाहे वे कृषि से सम्बन्धित हों या गैर कृषि से उनका सम्पूर्ण विकास करना ही मूलाधार है । इस कार्यक्रम का निर्माण करते समय यह प्रयास किया गया था कि इस कार्यक्रम के माध्यम से गाँवों का शहरीकरण किया जायेगा । यह कार्यक्रम मूलभूत रूप से चार तत्वों पर आधारित है प्रथम - गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करना, द्वितीय - कृषि विकास से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों का विकास करना, तृतीय - कृषि को प्रभावित करने वाली सेवाओं, बाजारों एवं साख व्यवस्था को स्थापित करना और चतुर्थ कृषकों को सहकारिता के आधार संगठित करना आदि ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लक्ष्य छूट के माध्यम से निम्नतम तपके के ग्रामीण परिवारों में सम्पदा - सृजन करना है । इस कार्यक्रम का यह भी लक्ष्य है कि लिंक सड़क का विकास किया जाय और दुग्धोत्पादन प्लान्ट का निर्माण किया जाय । अपने जीविकोपार्जन का कार्य चालू करने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण दक्षता का ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में अभाव है । अतः इस सम्बन्ध में इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण सुविधा, एसटाइपेन्ड और अन्य सहयोग प्रदान करना है ।

ग्रामीण क्षेत्र में उधार देना संकट मोल लेना है । सहकारी एवं अन्य साख संस्थायें जो इस उद्देश्य से वित्त प्रदान करने में संलग्न है, को मजबूत करने में यह कार्यक्रम उनको मौद्रिक सहायता प्रदान करता है ताकि पूँजी शेयर ऊँचा रहे ।

समन्वित ग्रामीणविकास कार्यक्रम में 3500 रू0 वार्षिक आमदनी वाले परिवार को निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है । इस कार्यक्रम में छोटे व सीमान्त कृषक, कृषक मजदूर, ग्रामीण आर्टिस्ट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को शामिल किया जाता है । ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा के नीचे अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की है इसलिए इस कार्यक्रम में इन जातियों को ऋण सुविधा प्रदान करने पर विशेष बल दिया जाता है ।

लाभार्थियों के परिवार का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार ग्राम सेवक, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है । लाभार्थी परिवार के परियोजनाओं का निर्धारण उनके निकट संसाधनों एवं क्षमताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है । उनके परियोजनाओं पर अनुदान की राशि भूमि एवं जाति को ध्यान में रखकर अलग - अलग प्रदान की जाती है । कृषकों को कृषि विकास के लिए सिंचाई के मशीन (डीजल पम्प) बैल, थ्रेशर आदि सामान ऋण में प्रदान किये जाते हैं । भूमिहीन एवं कम आमदनी वाले लाभार्थियों को आमदनी वृद्धि हेतु दुधारू पशु, बकरी , सुअर, मुर्गी पालन टमटम घोड़ा, रिक्शा सिलाई मशीन, दुकानदारी व छोटे - मोटे उद्योगों हेतु ऋण सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं ।

प्रत्येक ब्लाक में प्रतिवर्ष 600 निर्धनतम परिवारों (निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों) को ऋण की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है । इन परिवारों को ऐसे व्यवसायों की ओर प्रेरित किया जाता है कि वे कम पूँजी में अधिक लाभ प्राप्त कर सकें । इनमें सिंचाई की योजनायें, दूध देने वाले पशुओं को मुहैया करना, मुर्गी पालन, भेंड़ पालन आदि ऐसे कार्यक्रम शामिल किये जाते हैं कि इनमें वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग से लोग अपने स्थान पर रहकर ही अधिक कमाई कर सकें । साथ ही

परम्परागत कामों मिट्टी के बर्तन बनाने, बढ़ईगिरी, मोचीगिरी, दर्जी का काम उपकरणों की मरम्मत आदि के लिए मदद प्रदान की जाती है तथा उन धन्धों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए छठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक विकास खण्डों को 35 लाख रूपये रखे गये थे जिसे केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार को वहन करना था । इस योजना काल में 150 लाख परिवारों को लाभ होना था किन्तु वास्तविक लाभ 165 लाख व्यक्तियों को हुआ है । इस कार्यक्रम पर 1980-81 से1983-84 तक 1190 करोड़ रूपये व्यय किये गये हैं और 126 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुँचा है तथा सातवीं योजना में दिसम्बर 1986 तक लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 51.3 लाख है जिसमें 22 लाख अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार है ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में लाभार्थियों को किस उद्देश्य के लिए किनकी सहायता से एवं कितने समयों में (विलम्ब से (ऋण प्राप्त हो रहा है । क्या लाभार्थियों को ऋण सुविधा की प्राप्ति में रिश्वत देना पड़ता है और कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है इसका ध्यान सम्बन्धित अधिकारियों को रखना चाहिए ।

शोध प्रारूप एवं चयनित अध्ययन

समन्वित ग्रामीण विकास जिला गाजीपुर

परिदृष्टि योजना :

प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पवित्र पावनी गंगा के तट पर स्थित जनपद गाजीपुर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । जनपद में जनसंख्या का घनत्व 453 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है । जनपद का कुल क्षेत्रफल 3377 वर्ग कि०मी० है । जनपद 4 तहसीलों एवं 16 विकास खण्डों में विभक्त है । गाजीपुर जनपद गंगा, गोमती, गांगी, मंगई, बेसो एवं कर्मनाशा आदि नदियों से पूर्णतया प्रभावित होता है । जनपद की जनसंख्या 1981 में 19.6 लाख हो गई जो वर्ष 1971 की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है ।

जनपद का मुख्य पेशा कृषि है । कृषि की स्थिति बहुत हद तक बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित होती रहती है। जनपद औद्योगिक क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है । खनिज पदार्थ का अभाव एवं कच्चे माल की उपलब्धता न होने के कारण लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में भी अविकसित है । जनपद में एक मात्र अफीम कारखाना है, जिसमें प्रसार की संभावना बिल्कुल नहीं है । नन्दगंज में सहकारी चीनी मिल की स्थापना की गई है परन्तु अभी इससे कृषकों को वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है। लघु उद्योग इकाईयों की संख्या जनपद में मात्र 160 है जो 4130 व्यक्तियों के जीविकोपार्जन का स्रोत है ।

कृषि उत्पादन की दृष्टि से भी जनपद स्वावलम्बी नहीं है । कृषि योग्य कुल क्षेत्रफल 262284 हेक्टेयर है, जिसमें से मात्र 152796 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो पाती है । अतः उन्नतिशील कृषि के प्रसार की संभावनायें कम हैं । जनपद की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि प्रायः बाढ़ की विभीषिका का शिकार होना पड़ता है, जिससे जनपद में आर्थिक उन्नयन में बाधा अवश्य रहती है । मूलतः कृषि प्रधान जनपद होने के नाते एवं जनसंख्या उत्तरोत्तर वृद्धि से कृषि पर भार बढ़ता ही जा रहा है ।

वर्ष 1969-70 में प्रदेश के औसत आय 515 रूपये के सापेक्ष्य में जनपद की आय प्रति व्यक्ति 300 रूपये थी । इससे स्पष्ट है कि आर्थिक स्थिति से जनपदवासी विपन्न हैं । परिणाम स्वरूप यहाँ के निवासी बाहर जाकर बड़े नगरों में मजदूरी का कार्य करते हैं । कृषि के अतिरिक्त पशुपालन कार्यक्रम को जनपद में गोमती व गंगा क्षेत्र में अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है । गाय की गंगातिरी नस्ल गाजीपुर एवं बलिया की है जो सुधरी हुई नस्ल मानी जाती है परन्तु संगठित दुग्ध विक्रय का कोई प्रबन्ध न होने के कारण दुग्ध उद्योग भी अच्छी तरह से पनप नहीं पाया है । जनपद में प्रायः खोवा बनाने का कार्य होता है जिसे वाराणसी ले जाकर विक्रय करना होता है । पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वियन से जनपद के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का प्रयास हुआ और उपलब्धियाँ भी उल्लेखनीय रही हैं, किन्तु योजनाओं के जनित लाभ एवं अवसर के भागीदार सभी वर्ग के लोग समान रूप से नहीं रहे । सामाजिक एवं आर्थिक रूप से विपन्न अथवा विवश जनसमूह अपनी संकुचित प्रवृत्ति, रूढ़वादिता, हीनभावना आर्थिक अक्षमता अशिक्षा आदि के कारण सुलभ सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सके । सक्षम एवं सुविधाओं के लिए अपेक्षित अर्हताओं से सम्पन्न लोगों का आर्थिक स्तर उत्तरोत्तर ऊँचा होता गया एवं विषमता की खाई बढ़ती ही गयी । पांचवीं एवं छठीं पंचवर्षीय योजनाओं में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया तथा आर्थिक विषमता कम करने के अनेक कार्यक्रम अपनाये गये तथा उपलब्धियाँ भी प्रभावकारी रही हैं ।

सम्प्रति समन्वित ग्रामीण विकास योजना जनपद के समस्त विकास खण्डों में 2 अक्टूबर 1980 से कार्यान्वित की गई है । सभी विकास खण्डों में समूहों का चुनाव करा दिया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट 'क' पर दिया गया है तथा गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की एक त्वारित सूची वर्ष 81-82 के लिए तैयार कर ली गई है जिसमें नीचे से वरीयता क्रम में कम से कम 600 परिवारों को छांट लिया गया है । इन परिवारों के चयन के लिए ग्राम प्रधान, क्षेत्रीय समाजसेवियों की उपस्थिति में गांव सभा

की बैठक आयोजित की गई, और सर्वसम्मति से गरीबो में सबसे नीचे से वरीयता क्रम में सूची तैयार की गई । तदन्तर उनकी सम्मति अभिरूचि एवं सुझाव से उनके वांछित परियोजनायें दी गई जिसकी सहायता से सम्बन्धित परिवार अपनी जीविकोपार्जन अथवा गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकता है । जनपद में लगभग 9.8 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं । छठीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में 48000 परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का कार्यक्रम बनाया गया था ।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में वर्ष 81-82 के लिए कुल 321.816 लाख रूपये की पूँजी विनियोग की अपेक्षा की जाती है। कृषि क्षेत्र में 6.654 लाख ऋण एवं 4.338 लाख रूपया अनुदान पर व्यय हुआ । आशा की गई कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी । कृषि का अनुपूरक व्यवसाय पशुपालन है । पशुपालन कार्यक्रम पर 43.640 लाख रूपया अनुदान की व्यवस्था की गई जिससे 1947 परिवारों को लाभान्वित किया गया । इस कार्यक्रम के सफल संचालन से जनपद में दूध,घी, दही, अंडे मांस आदि की बहुलता होगी, जिससे निम्न आय वर्ग के लोगों को सहायता पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगी, साथ ही कृषि पर जनसंख्या का भार कुछ सीमा तक कम होगा एवं कृषकों को अतिरिक्त आय की सुविधा प्राप्त होगी । अल्प सिंचाई कार्यक्रम में कुल 550 परिवारों के 40.608 लाख रूपये ऋण एवं 11.019 लाख रूपये अनुदान का प्राविधान किया गया है, जिससे 725 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा, जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा ।

योजना का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय है । ग्रामीण शिल्पी जो प्रशिक्षण एवं धन के अभाव में दयनीय स्थिति में पड़े हुए हैं, उनमें पर्याप्त सुधार होगा तथा आय में वृद्धि होगी इस कार्यक्रम से 3467 परिवारों के लिए 134.816 लाख रूपये ऋण व 42.179 लाख रूपये अनुदान का प्राविधान है । निश्चित रूप से स्थानीय कच्चे माल एवं उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग

कर निर्बलतम् वर्ग के लोगों की आय में वृद्धि होगी । विभिन्न प्रकार के उद्योग,सेवा, व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण में 640 व्यक्तियों के लिए 4 लाख रूपये व्यय का प्राविधान था । रोजगार पूरक प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वालम्बी बनाने का ध्येय था । विभिन्न विकास कार्यक्रमों में त्वारित गति देने के लिए 9.60 लाख रूपया अवस्थापना मद पर 4.50 लाख रूपया प्रशासन एवं 3.20 लाख रूपये सहकारी अंशक्रय के लिए प्राविधान किया गया । इस प्रकार वर्ष 81-82 के लिए 96 लाख रूपया का प्राविधान किया गया ।

योजना की सफलता के लिए समस्त परियोजना स्टाफ जनपद स्तरीय अधिकारी, विकास खण्डों के प्रसार अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की टीम अपने सम्मिलित प्रयास से एक जूट होकर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अग्रसर है तथा वित्तीय संस्थाओं (व्यवसायिक बैंक, सहकारी बैंक, एवं संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) एवं आपूर्ति संस्थाओं से सहयोग लेकर लक्ष्य की उपलब्धि के लिए अग्रसर है ।

संसाधनों का विश्लेषण

गाजीपुर जनपद में कुल व्यवसायिक बैंकों की संख्या 37 है तथा सहकारी बैंकों की संख्या 16 है । भूमि विकास बैंक की कुल 4 शाखायें जनपद के चारों तहसीलों के मुख्यालयों पर स्थित हैं । इस प्रकार जनपद में औसतन प्रत्येक विकास खण्ड में विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक एवं सहकारी बैंकों की शाखाओं का औसत 5 पड़ता है । जिन विकास खंडो में व्यवसायिक बैंकों की शाखाओं का समान वितरण नहीं है उनके लिए प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 25.7.81 द्वारा अनुमोदन कराकर सम्बन्धित बैंकों के पदाधिकारी द्वारा बैंक शाखा में खोलने का अनुरोध किया गया । ऋण वितरण के लिए ग्रामोत्थान केन्द्र के ग्राम समूहों को विभिन्न बैंकों से सम्बद्ध कर दिया गया है ।

जनपद में कृषि विभाग एवं सहकारी विभाग के कुल बीज गोदाम/उर्वरक भंडारों की संख्या 197 हैं । कीटनाशक दवाओं के भंडारों की संख्या 17 है । क्रय

विक्रय समितियों की संख्या 4 है । जनपद में पशुधन के स्वास्थ्य रक्षा के लिए कुल 22 पशु चिकित्सालय हैं इसके अतिरिक्त 26 पशु सेवा केन्द्र हैं । कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या 17 है राजकीय नहरों की लम्बाई 1137 कि0मी0 है राजकीय नलकूपों की संख्या 530 एवं निजी नलकूपों की संख्या 14996 है । चिकित्सा के क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 16, एलोपैथिक, चिकित्सालयों की संख्या 49 आयुर्वेदिक चिकितसालयों की संख्या 18, होम्योपैथिक औषधालय 7 तथा यूनानी औषधालयों की संख्या 4 है । क्षय एवं कुष्ठ रोग के । - । चिकित्सालय तथा परिवार कल्याण केन्द्र की संख्या 17 है ।

दुग्ध पट्टियाँ जो प्रस्तावित हैं -

अभी तक जनपद में दुग्ध पट्टियाँ एक भी कार्यरत नहीं हैं । अधिकांश गरीब परिवार पशुधन पर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं । दुग्ध के क्रय विक्रय के लिए कोई संगठित व्यवस्था न होने के कारण इन गरीबों को इस निमित्त निम्न दुग्ध पट्टी प्रस्तावित है, जिनसे पशुपालकों को शोषण से राहत मिल सके और उनके दुग्ध वितरण की उचित व्यवस्था हो सके ।

1. गाजीपुर - मुहम्मदाबाद - कोरंटाडीह ।
2. गाजीपुर - विरनों - मऊ ।
3. गाजीपुर - मनिहारी - जखनियाँ ।
4. गाजीपुर - देवकली - सैदपुर ।
5. गाजीपुर - रेवतीपुर - भदौरा - जमानियाँ - गाजीपुर ।

छठीं पंचवर्षीय योजना हेतु चयनित लाभार्थी परिवारों की संख्या निम्न है -

कुल परिवारों की संख्या	48000
कृषि श्रमिक	12654
गैर कृषि श्रमिक	9276
ग्रामीण दस्तकार	2619

सीमान्त कृषक	21054
लघु कृषक	2397

चयनित परिवारों के लिए परिवारवार प्रस्तावित योजना का विवरण निम्न है -

कृषि कार्यक्रम	13425
पशुपालन कार्यक्रम	14735
अल्प सिंचाई कार्यक्रम	2755
कुटीर उद्योग	6345
सेवा	6795
व्यवसाय	3945

प्रस्तावित पंचवर्षीय योजना :

1. कृषि कार्यक्रम :

छोटे कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु उन्हें निवेशों की आपूर्ति तथा बैल एवं डनलप गाड़ी उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव योजना में किया गया है । कृषि निवेशों में उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन, कृषि यंत्र एवं बखारी उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है । इन सामाग्रियों की व्यवस्था हेतु वर्ष 1980-81 में 6.400 लाख रूपये अनुदान एवं 10 लाख रूपये ऋण, वर्ष 81-82 में 4.330 लाख रूपये अनुदान तथा 6.654 लाख रूपये ऋण, वर्ष 82-83 से 84-85 तक प्रत्येक वर्ष में क्रमशः 5.658 लाख रूपये अनुदान एवं 8.534 लाख रूपये ऋण का प्राविधान किया गया । इस प्रकार योजना काल में कुल 27.712 लाख रूपये अनुदान एवं 42.256 लाख रूपये ऋण का प्रस्ताव किया गया । इन्ही योजनाओं के कार्यान्वयन से जनपद के विकास खण्ड मुहम्मदाबाद, भांवरकोल, गाजीपुर, करण्डा एवं विरनों विकास खण्ड के कृषकों की स्थिति जो जनपद के उच्च विकास खण्डों की अपेक्षा ज्यादा प्रगतिशील हैं सुधार हुआ तथा

जनपद के शेष विकास खण्ड जहाँ की भूमि का अधिकांश भाग ऊसरीला है वहाँ के कृषकों की स्थिति में विकास की व्यापक संभावना है । जमानियाँ तहसील के तीनों विकास खण्डों में भी योजना के कार्यान्वयन से कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना सन्निहित हैं ।

2. पशुपालन कार्यक्रम :

छोटे कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा अन्य श्रेणी के इच्छुक चयनित लाभार्थियों को पशुपालन कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें दुधारू पशु भैंस, गाय एवं संकर बछिया उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है । दुधारू पशुओं के अतिरिक्त कुक्कुट विकास, भेंड़, बकरी एवं सुअर विकास की योजनायें प्रस्तावित की गयी हैं । इन योजनाओं के कार्यान्वयन से लाभार्थियों को जीवन निर्वाह के अतिरिक्त जनपद को पशु जन्म बहुमूल्य आहार तथा उनकी प्राप्ति सुलभ हो सकेगी । योजना कार्यान्वयन हेतु वर्ष 80-81 मर्ते 14.400 लाख रूपये अनुदान एवं 43.200 लाख रूपये ऋण वर्ष 81-82 में 14.464 लाख रूपये अनुदान तथा 43.640 लाख रूपये ऋण तथा वर्ष 1982-83 से 84-85 तक प्रति वर्ष क्रमशः 20.518 लाख रूपये अनुदान तथा 57.894 लाख रूपये ऋण का प्राविधान किया गया । इस प्रकार योजना काल में 90.418 लाख रूपये अनुदान एवं 260.522 लाख रूपये ऋण का प्रस्ताव किया गया ।

पशुओं के विकास एवं उन्नत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जनपद के गंगा नदी के किनारे के विकास खण्ड करण्डा, गाजीपुर, रेवतीपुर, भदौरा, जमानियाँ, मुहम्मदाबाद एवं भांवरकोल समृद्ध हैं । इन क्षेत्रों में उन्नत नस्ल की संकर बछिया तथा अन्य दुधारू पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी तथा जनपद के शेष विकास खण्ड जो अपेक्षाकृत कम उन्नतशील हैं उनके विकास की संभावना बढ़ेगी ।

3. अल्प सिंचाई कार्यक्रम :

गाजीपुर जनपद के 262284 हेक्टेयर में कृषि, होती है, जिससे वे विभिन्न स्रोतों से सिंचित होती है । जनपद की 109428 हेक्टेयर भूमि असिंचित है । योजनाकाल में निजी पम्प सेट, निजी नलकूप तथा सामूहिक नलकूपों के

लगाने से लगभग 11000 हेक्टेयर भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचन क्षमता उपलब्ध होगी । वर्ष 80-81 में 20.800 लाख रूपये अनुदान तथा 62.400 लाख रूपये ऋण का प्रस्ताव किया गया । वर्ष 81-82 में 11.019 लाख रूपये अनुदान तथा 40.608 लाख रूपये ऋण का प्राविधान किया गया । वर्ष 82-83 से 84-85 तक प्रति वर्ष 14.709 लाख रूपये अनुदान तथा 54.127 लाख रूपये ऋण का प्रस्ताव था । इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सिंचन क्षमता के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी । फलतः छोटे कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा ।

4. उद्योग कार्यक्रम :

समन्वित ग्रामीण विकास योजना का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कुटीर एवं ग्रामीण लघु उद्योगों की स्थापना है । ग्रामीण शिल्पकार जो प्रशिक्षण तथा धनाभाव के कारण दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं इन उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप अपनी आय में वृद्धि करके गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन कर सकेंगे । साथ ही उनके रोजगार के पर्याप्त अवसर भी सुलभ होंगे एवं स्थानीय कच्चे माल की खपत होगी । प्रचालित परम्परागत उद्योगों के अतिरिक्त कालीन, हथकरघा तथा जरी उद्योग, तेलघानी, साबुन निर्माण तथा दाल प्रशोधन इकाईयों की स्थापना का भी प्रस्ताव योजनाकाल में दिया गया है ।

इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1980-81 में 8 लाख रूपये अनुदान तथा 24 लाख रूपये ऋण का प्रस्ताव रखा गया । वर्ष 81-82 के लिए 18.117 लाख रूपये अनुदान तथा 61.785 लाख रूपये ऋण का प्राविधान किया गया । वर्ष 82-83 से 84-85 तक की अवधि के लिए प्रति वर्ष 24.187 लाख रूपये अनुदान तथा 72.561 लाख रूपये ऋण का प्रस्ताव किया गया । इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सामाजिक एवं आर्थिक असंतुलन के साथ - साथ अन्तवर्गीय असंतुलन भी समाप्त होगा ।

5. सेवा कार्यक्रम :

कुटीर उद्योगों के साथ - साथ सेवा कार्यों का भी महत्व है । इन कार्यों की स्थापना से ग्रामीण दस्तकारों को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना व्यक्त की गई है । इन कार्यों की स्थापना हेतु वर्ष 80-81 में 4 लाख रूपये अनुदान तथा 12 लाख ऋण की व्यवस्था की गई । वर्ष 81-82 में 11.744 लाख रूपये अनुदान तथा 35.481 लाख रूपये ऋण के रूप में विपरीत किये गये । वर्ष 82-83 से 84-85 तक की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष 16.069 लाख रूपये अनुदान एवं 48.207 लाख रूपये ऋण के रूप में वितरित किये गये । सेवा कार्यों में परम्परागत कार्यों के साथ - साथ मरम्मत कार्य पर आधारित सेवा कार्य जैसे साइकिल, रिक्शा मरम्मत, रेडियो मरम्मत तथा भारवाही पशुओं का क्रय सम्मिलित किया गया है ।

6. व्यवसाय कार्यक्रम :

कुटीर उद्योगों की स्थापना के साथ - साथ कच्चे माल की आपूर्ति तथा निर्मित वस्तुओं की बाजार में खपत हेतु व्यवसाय कार्यों की स्थापना का महत्व है । इन्ही उद्देश्यों की पूर्ति हेतु योजना में व्यवसायों की स्थापना का प्रस्ताव है । इन व्यवसायों में रेडीमेड कपड़े, जूता-चप्पल, सुतली तथा जनरल दुकानों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया । वर्ष 80-81 में 4 लाख रूपये अनुदान तथा 12 लाख रूपये ऋण वितरित किये जाने का प्रस्ताव था । वर्ष 80-81 में 4 लाख रूपये अनुदान तथा 12 लाख रूपये ऋण वितरित किये गये । वर्ष 81-82 में 12.318 लाख रूपये अनुदान तथा 57.650 लाख रूपये ऋण का प्रावधान किया गया । वर्ष 82-83 से 84-85 तक की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष 17.259 लाख रूपये अनुदान तथा 51.677 लाख रूपये ऋण का प्राविधान था ।

7. सहकारी अंश क्रय :

ऐसे चयनित लाभार्थी जो सहकारी समितियों के सदसय बनना चाहते हैं परन्तु नितान्त निर्धनता के कारण अपना हिस्सा पूँजी जमाकर सकने की स्थिति में नहीं

हैं, उन्हें सहकारी बैंक द्वारा बिना सूद के मध्यकालीन ऋण के रूप में अंशक्रय हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई । ऐसे लाभार्थी समितियाँ द्वारा संचालित कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं । इस कार्यक्रम हेतु वर्ष 1980-81 से 84-85 तक प्रत्येक वर्ष 3.200 लाख रूपये का प्रावधान किया गया ।

8. ट्राइसेम :

ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों/युवतियों के प्रशिक्षण के लिए एक विशेष योजना चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन्हें प्रशिक्षित कर स्वयं को रोजगार स्थापित करने के लिए अवसर देना है । इस कार्यक्रम हेतु वर्ष 1980-81 के लिए 7.200 लाख रूपये प्रशिक्षण पर व्यय का प्राविधान किया गया । वर्ष 1981 -82 से 84-85 तक की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष 4 लाख रूपये प्रशिक्षण पर व्यय किया गया ।

9. अवस्थापना :

विकास कार्यों में गति लाने के लिए संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए अवस्थापना मद से सहायता के रूप में व्यय किये जाने का प्रावधान था । वर्ष 80-81 के लिए 8 लाख रूपये एवं वर्ष 81-82 में 9.600 लाख रूपये तथा वर्ष 82-83 से 84-85 तक प्रति वर्ष 12.800 लाख रूपये व्यय किये गये ।

10. प्रशासन :

परियोजना स्टाफ के वेतन भत्ते आदि तथा स्टेशनरी आदि के लिए इस मद से व्यय किये जाने का प्रस्ताव है । वर्ष 80-81 के लिए 4 लाख रूपये वर्ष 81-82 के लिए 7.200 लाख रूपये तथा वर्ष 82-83 से 84-85 तक प्रत्येक वर्ष 9.600 लाख रूपये व्यय किये गये ।

गाजीपुर जनपद में प्रस्तावित ऋण योजना :

प्रत्येक विकास खण्ड में स्थापित ग्रामोत्थान केन्द्रों से ग्राम सभाओं को

सम्बद्ध किया गया है । उसी प्रकार उन गांव सभाओं के निकटस्थ बैंकों से भी गाँव सभाओं तथा गाँवों को सम्बद्ध किया गया है । ऋण पर आधारित कार्यक्रमों में लाभार्थियों को सम्बन्धित बैंक ऋण सुलभ करायेंगे । जनपद में व्यवसायिक बैंकों की 537 संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 22, भूमि विकास बैंक की प्रत्येक तहसीलों में 1-1 तथा प्रत्येक विकास खण्ड में जिला सहकारी बैंक की 1-1 शाखाओं को मिलाकर 16 शाखायें हैं । इस प्रकार अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित बैंकों की 79 शाखायें जनपद में शामिल हैं ।

कृषि कार्यक्रम :

वर्ष 1980-81 के लिए 10 लाख रूपये 1981-82 के लिए 6.654 लाख रूपये तथा वर्ष 82-83 से 84-85 तक की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष 8.534 लाख रूपये वितरित किये जाने का प्रस्ताव था । इस प्रकार कृषि कार्यक्रम पर योजनाकाल में 42.256 लाख रूपये ऋण के रूप में वितरित किये जाने का प्रस्ताव किया गया ।

पशुपालन कार्यक्रम :

वर्ष 80-81 के लिए 43.290 लाख रूपये, वर्ष 81-82 के लिए 43.640 लाख रूपये तथा 82.83 से 84-85 तक के लिए प्रतिवर्ष 57.894 लाख रूपये वितरित किये जाने का प्रस्ताव किया गया ।

अल्प सिंचाई कार्यक्रम :

वर्ष 80-81 के लिए 62.40 लाख रूपये वर्ष 81-82 के लिए 40.608 लाख रूपये तथा वर्ष 82-83 से 84-85 तक की अवधि के लिए प्रति वर्ष 54.127 लाख रूपये वितरित किये जाने का प्रस्ताव किया गया ।

उद्योग कार्यक्रम :

उद्योग कार्यक्रम के लिए वर्ष 80-81 में 24 लाख रूपये, 81-82 में 61.785 लाख रूपये वर्ष 82-83 से 84-85 तक प्रतिवर्ष 72-561 लाख रूपये वितरित किये जाने का प्रस्ताव किया गया ।

सेवा कार्यक्रम :

सेवा कार्यक्रमों की स्थापना पर वर्ष 1980-81 में 12 लाख रूपये, वर्ष 81-82 में 35.481 लाख रूपये तथा वर्ष 82-83 से 84-85 तक की अवधि में प्रतिवर्ष 48.207 लाख रूपये वितरित किये जाने का प्रस्ताव किया गया ।

व्यवसाय कार्यक्रम :

व्यवसायों की स्थापना के लिए वर्ष 80-81 में 12 लाख रूपये, वर्ष 81-82 के लिए 37.650 लाख रूपये तथा वर्ष 82-83 से 84-85 तक प्रति वर्ष 51.677 लाख रूपये वितरित किये गये ।

इस प्रकार सभी योजनाओं में वर्ष 80-81 के लिए 163.600 लाख रूपये, वर्ष 81-82 के लिए 225.818 लाख रूपये तथा वर्ष 82-83 से 84-85 तक की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष में 293.00 लाख रूपये वितरित किये जाने का प्रस्ताव योजना में किया गया ।

समन्वित ग्रामीण विकास कर्मचारी योजना वर्ष 1981-82

जनपद के विकास खण्डों में कुल 191 ग्राम समूहों का चयन किया गया है समूह 2 या 3 ग्राम सभाओं को मिलाकर बनाया गया है । इन्ही ग्राम सभाओं में से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन ग्राम सभाओं की बैठकों में पारित प्रस्तावों के आधार पर किया गया है । इस प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में 600 परिवारों को नीचे से वरीयता क्रम में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए चयनित किया गया है जिसमें अनुसूचित जाति के परिवारों का प्रतिशत 30 से अधिक है। विकास खण्डवार विभिन्न श्रेणी के चयनित परिवारों का विवरण निम्न प्रकार है ।

तालिका 7.3

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	चयनित परिवारों की संख्या कृषि श्रमिक	गैर कृषि श्रमिक	ग्रामीण दस्तकार	सीमान्त कृषक	लघु कृषक
1.	सैदपुर	121	202	84	228	15
2.	देवकली	77	192	46	257	28
3.	सादात	74	80	22	390	34
4.	जखनियाँ	65	262	182	48	43
5.	मनिहारी	101	66	72	325	36
6.	गाजीपुर	80	229	26	250	7
7.	करण्डा	162	88	13	304	33
8.	विरनो	115	111	57	312	5
9.	मरदह	210	759	48	221	42
10.	जमानियाँ	279	116	41	154	-
11.	रेवतीपुर	334	72	40	39	15
12.	भदौरा	265	106	27	199	3
13.	कासिमाबाद	55	57	30	439	19
14.	मुहम्मदाबाद	249	182	73	63	33
15.	भाँवरकोल	210	192	22	157	19
16.	बाराचवर	120	29	40	399	12
	योग	2516	2064	773	3903	344.

विकास खण्डों में संसाधनों की उपलब्धता एवं कार्यक्रम की उपयोगिता को देखते हुए परियोजनाओं का चयन किया गया है । कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि यंत्र, चारामशीन, स्पेयर, डस्टर, विनोइंग फैन, थ्रेशर, कोल्हू, डिस्कहैरो, उर्वरक औद्योगिकी बैल एवं डनलप गाड़ी आदि की परियोजनायें ली गई हैं । कृषि निवेशों में उर्वरक से केवल भू आबंटियों को लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव है । कृषि यंत्र एवं बखारी तथा बैल एवं डनलप गाड़ी सीमांत एवं लघु कृषकों को दिये जाने का प्रस्ताव है । इन योजनाओं से वर्ष में 2976 परिवार लाभान्वित हुए एवं 4.338 लाख रूपये अनुदान के रूप में दिये जाने का प्रस्ताव किया गया ।

पशुपालन काय्रक्रम के अंतर्गत दुधारू पशु भैंस एवं गाय तथा शंकर बछिया एवं कुक्कुट, भेड़ बकरी एवं सूकर इकाई स्थापना का प्रस्ताव है । इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से बहुमूल्य पशु जन्म आहार के अतिरिक्त ग्रामीण उद्योग के लिए ऊन की प्राप्ति सुलभ हो सकेगी । गंगा नदी के किनारे के गाँवों में जहाँ पहले से उन्नतिशील एवं स्वस्थ पशुओं की संख्या अधिक है । उनकी संख्या में वृद्धि होगी तथा अन्य क्षेत्रों में उन्नतिशील पशुओं के प्रसार की गति में तेजी आएगी । पशुधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संकरीकरण पर विशेष बल दिया जायेगा । इन योजनाओं से वर्ष में 1947 परिवार लाभान्वित हुए तथा 14.464 लाख रूपया अनुदान के रूप में व्यय किये गये ।

अल्प सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे कृषकों को बोरिंग निजी पम्पसेट तथा नलकूप एवं सामूहिक नलकूप लगाने का प्रस्ताव है । इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से छोटे कृषक अपने असिंचित भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर वह फसल चक्र अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे । योजनाओं से वर्ष में 550 परिवार लाभान्वित हुए तथा 11.019 लाख रूपये अनुदान के रूप में व्यय हुआ ।

उद्योग सेवा एवं व्यवसाय कार्यक्रम के अंतर्गत कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण लघु उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है । उद्योग 3 प्रकार के प्रस्तावित हैं -

1. ऐसे उद्योग जिनके लिए कच्चे माल की उपलब्धि क्षेत्रीय आधार पर सुलभ है, जैसे चर्मकला, गुड़, खाड़सीरी बीड़ी एवं बांस-बेत उद्योग तथा दाल प्रशोधन एवं रंग बनाना । सैदपुर में एक छोटा उद्योग कार्यशील है । स्थानीय आधार पर इनके निकटस्थ गाँवों में रंग बनाने की इकाई स्थापित होने की ज्यादा गुंजाइश है ।

2. ऐसे उद्योग जिनके लिए दक्ष दस्तकार क्षेत्र में उपलब्ध है और पैतृक धन्धों के रूप में चलाये जा रहे हैं, परन्तु आर्थिक विपन्नता के कारण इन उद्योगों से निर्मित सामान आवश्यकता के अंतर्गत आता है, परन्तु इन उद्योगों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में न होने के कारण उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य पर भी सामान उपलब्ध नहीं हो पाता है । जैसे - कम्बल, जरी,कालीन, तेलधानी, हथकरघा के वस्तु मऊ जो हैंडलूम के कारवार का एक बड़ा केन्द्र है जनपद के उत्तरी छोर के विकास खण्ड विरनो, मनिहारी, जखनियां, मरदह तथा कासिमाबाद के निकट होने के कारण इन विकास खण्डों में हथकरघा उद्योग के विकास की काफी संभावना है । इन उद्योगों की स्थापना से 3467 परिवार वर्ष में लाभान्वित होंगे तथा उद्योग सेवा एवं व्यवसाय की सभी योजनाओं की स्थापना पर 41.779 लाख रूपये अनुदान के रूप में व्यय होंगे ।

ट्राइसेम के अंतर्गत ग्रामीण बेरोजगार युवकों/युवतियों को रोजगार पूरक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के मामले में स्वावलम्बी बनाने का प्रस्ताव है । इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लोहारगिरी बढ़ईगिरी, जूता निर्माण, कृषि यंत्रों के निर्माण एवं मरम्मत आदि के प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव था । इन प्रशिक्षणों से वर्ष में 640 युवक/युवतियों प्रशिक्षित किये गये । प्रशिक्षित युवक/युवतियों को एकीकृत ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय स्थापना के लिए ऋण एवं अनुदान सुलभ कराया गया । इस कार्यक्रम पर वर्ष में 4 लाख रूपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव था।

तालिका 7.4

समन्वित ग्राम्य विकास विकास परियोजना जनपद - गाजीपुर

छठीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1980-81 से 84-85 के लिए लाभार्थी चयन) परिदृष्टि योजना

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	कृषि श्रमिक	गैर कृषि श्रमिक	ग्रामीण दस्तकार	सीमांत कृषक	लघु कृषक	योग
1.	सैदपुर	1020	830	120	980	50	3000
2.	देवकली	378	712	102	1608	200	3000
3.	सादात	366	316	107	1914	297	3000
4.	जखनियाँ	301	1515	893	163	128	3000
5.	मनिहारी	579	293	156	1774	198	3000
6.	गाजीपुर	461	1080	124	1290	45	3000
7.	करण्डा	790	279	29	1702	200	3000
8.	विरनो	682	435	100	1728	55	3000
9.	मरदह	917	307	138	1415	223	3000
10.	जमानियाँ	1352	598	151	660	239	3000
11.	रेवतीपुर	1670	360	200	695	75	3000
12.	भदौरा	1144	439	69	1247	101	3000
13.	मुहम्मदाबाद	1197	704	167	2200	214	3000
14.	कासिमाबाद	266	286	147	718	101	3000
15.	भांवरकोल	1119	684	63	1016	118	3000
16.	बाराचवर	412	438	53	1944	133	3000
	योग	12654	9276	2619	21054	2397	48000

तालिका 7.5 ए.

समन्वित ग्रामीण विकास योजना जनपद गाजीपुर छठीं पंचवर्षीय योजना (1980-81 से 84-85)
ऋण एवं अनुदान (लाख रूपये में)

क्र0	कार्यक्रम	1980-81		1981-82		1982-83		1983-84	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1.	कृषि कार्यक्रम	6.400	10.000	4.338	6.654	5.658	8.534	5.658	8.534
2.	पशुपालन कार्यक्रम	14.400	43.200	14.0464	43.640	20.518	57.894	20.518	57.894
3.	अल्प सिंचाई कार्यक्रम	20.800	62.400	11.019	40.608	14.709	54.127	14.709	54.127
4.	उद्योग कार्यक्रम	8.000	24.000	18.117	61.785	24.187	72.567	24.187	72.567
5.	सेवा कार्यक्रम	4.000	12.000	11.744	35.481	16.069	48.207	16.069	48.207
6.	व्यवसाय कार्यक्रम	4.000	12.000	12.818	37.650	17.259	51.677	17.259	51.677
7.	सहकारी अंशक्रय	3.200	-	3.200	-	3.200	-	3.200	-
8.	ट्राइसेम	7.200	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-
9.	अवस्थापना	12.00	-	9.600	-	12.800	-	12.800	-
10.	प्रशासन		-	7.200	-	9.600	-	9.600	-
	योग	80.000	163.600	96.000	225.818	128.000	293.000	128.000	293.000

तालिका 7.5 बी.

ऋण एवं अनुदान

क्र0	कार्यक्रम	वर्ष 1984-85		कुल योग	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1.	कृषि कार्यक्रम	5.658	8.534	27.712	42.256
2.	पशुपालन कार्यक्रम	20.518	57.894	90.418	260.522
3.	अल्प सिंचाई कार्यक्रम	14.709	54.127	75.946	255.389
4.	उद्योग कार्यक्रम	29.187	72.561	98.678	303.468
5.	सेवा कार्यक्रम	16.069	48.207	63.951	92.102
6.	व्यवसाय कार्यक्रम	17.259	51.677	68.095	204.681
7.	सहकारी अंशक्रय	3.200	-	16.000	-
8.	ट्राइसेम	4.00	-	23.200	-
9.	अवस्थापना	12.800	-	60.000	-
10.	प्रशासन	9.600	-	36.000	-
	योग	128.000	293.000	560.000	1268.418

प्रधानमंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र संख्या 3 के अंतर्गत एकीकृत ग्राम्य विकास योजना देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने हेतु सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है । इस योजना के चार मुख्य उद्देश्य -

1. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक निर्धनता को दूर करना ।
2. रोजगार परक योजनायें देकर स्वाश्रयी बनाना
3. गरीबी एवं अमीरी के बीच असन्तुलन को कम करना
4. प्राथमिक सेवायें - कृषि एवं पशुपालन से भार कम कर तृतीय सेक्टर जैसे उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय के लोगों को विभिन्न प्रकार की योजनायें देकर उन्हें स्वाश्रयी बनाना ।

यह योजना भारत सरकार द्वारा विनियोजित एवं वित्त पोषित है जिसमें 50 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 50 प्रतिशत राज्यांश है । इस योजनान्तर्गत जिन परिवारों की वार्षिक आय सम्पूर्ण स्रोतों से मिलाकर 3500 रूपये से कम हो और और जिनके पास 5 एकड़ तक असिंचित अथवा 2.5 एकड़ तक सिंचित क्षेत्र हो, ऐसे सभी कृषक, कृषक मजदूर या भूमिहीन श्रमिक अथवा ग्रामीण शिल्पकार अपनी इच्छानुसार रोजगार या जीविका का चयन कर लाभ उठा सकते हैं ।

लाभार्थियों का चयन बेस लाइन सर्वेक्षण के आधार पर गाँव सभा की खुली बैठक में आई0 आर0 डी0 मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार किया जाता है । 84-85 के वित्तीय वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड में 2000 लाभार्थियों का चयन कार्य उपयुक्त निर्देशों के आधार पर कर लिया गया है । इस प्रकार से चयनित लाभार्थियों की सूची को सम्बन्धित संसद सदस्यों, विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने हेतु सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किये जाते हैं । सभी चयनित परिवारों को सहकारी अथवा व्यवसायिक बैंकों से उदार शर्तों पर ऋण दिलाकर उन्हें 25 प्रतिशत या 33 1/3 प्रतिशत छूट दी जाती है । लघुकृषकों को 25 प्रतिशत तथा सीमांत

कृषक, कृषक मजदूर एवं शिल्पकारों को 33 1/3 प्रतिशत छूट दी जाती है । अनुसूचित जाति के परिवारों को 50 प्रतिशत तक छूट दी जाती है ।

आई0आर0डी0 योजनान्तर्गत मुख्यतः कृषि, लघुसिंचाई पशुपालन, उद्योग, सेवा तथा व्यवसाय संबंधी कार्यक्रम लिये जाते हैं चूँकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों की आय में वृद्धि कर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है । अतः यह आवश्यक है कि केवल वे ही योजनायें ली जायं जो स्थानीय परिस्थितियों में उपयुक्त हों तथा लाभार्थियों द्वारा स्वयं उन्हें ग्रहण किया जाय ताकि पूरा लाभ उठाने में वे सक्षम हो सकें ।

इस बिन्दु पर विकास खंड एवं डी0 आर0 डी0 ए0 स्तर पर निरन्तर चिंतन करने पर बल दिया जा रहा है । योजनाओं की चयन की प्रक्रिया में लाभार्थियों की स्वेच्छा एवं विकल्प महत्वपूर्ण बिन्दु हैं । अतः लाभार्थियों को पूर्ण अवसर प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया ताकि वे अपनी इच्छा के अनुरूप योजना का चयन कर सकें । योजनाओं के चयन में इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि मुख्यतः ऐसी योजनायें जिनका एक क्षेत्र में बाहुल्य होने से आर्थिक प्रगति पर कुप्रभाव पड़ता हो, उन्हें अधिक संख्या में न लिया जाय । इस संबंध में भी आवश्यक है कि अनुसूचित जाति/जनजातियों के लाभार्थियों के लिए परिसम्पत्ति जहाँ तक संभव हो सके, उनके परम्परागत व्यवसाय पर आधारित हो । इस संवर्ग के लाभार्थियों की परियोजनाओं की लागत अन्य संवर्ग के लाभार्थियों से कम नहीं होनी चाहिए । इस संबंध में सभी मार्गदर्शी सिद्धान्तों से सभी खंड विकास अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है ।

लाभार्थियों के चयन के पश्चात् वर्तमान आर्थिक कार्यकलापों के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी तकनीकी विभागों के अधिकारियों एवं व्यवसायिक बैंकों से परामर्श करके आदर्श योजनाओं का निर्माण कराया गया है । किसी भी योजना के लिए सामूहिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है । कच्चे माल का विपणन, पशुधन के स्वास्थ्य की देखभाल, निगरानी अनुश्रवण की कार्यवाही/की आवश्यक व्यवस्था करने तथा

समूह में लाभार्थियों की अधिक संख्या रखने हेतु निर्देशित किया गया है ।

उपर्युक्त निदेशों को दृष्टिगत रखते हुए आई0 आर0 डी0 योजना के अवस्थापना मदों के अन्तर्गत सचल पशु चिकित्सालय, कुक्कुट एवं बर्बरी बकरी विकास की तीन योजनायें 21.92 लाख रूपये की शासन को स्वीकृति हेतु भेजी गई जिसके अंतर्गत 11414 लाभार्थियों के लाभान्वित होने की संभावना है । प्रस्तावित अवस्थापना मदों का विस्तृत विवरण तालिका 7.9 पर दिया गया है ।

आई0 आर0 डी0 योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का परिसम्पत्ति उपलब्ध कराने के पश्चात् खंड विकास अधिकारियों को उनके आर्थिक विकास पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। यदि किसी लाभार्थी को एक परियोजना से इतनी आय का सृजन नहीं हो सका है, जिससे वह गरीबी रेखा पार कर सके तो उसे दूरी परिसम्पत्ति देने की कार्यवाही आवश्यक है । खण्ड विकास अधिकारियों को इन बिन्दुओं पर भी परिपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं । आई0 आर0 डी0 लाभार्थियों परिसम्पत्तियों के क्रय के सम्बन्ध में शासन का यह मत है कि इसमें सावधानी बरती जाय जिससे केवल ऐसी वस्तुएं क्रय की जाय जिसका गुणात्मक स्तर उच्च कोटि का हो तथा उनका मूल्य भी बाजार भाव के अनुकूल हो । इस बिन्दु पर शासनादेश संख्या - 6537/38-6-84-1॥1॥/83 दिनांक 8.3.84 के अंतर्गत निर्गत निर्देशों के अनुसार जनपद में अभिकरण द्वारा 57 विक्रेताओं का आटोमेटिक रजिस्ट्रेशन किया गया है । दुधारू पशुओं के क्रय के संबंध में वर्तमान प्रणाली के अनुसार पंजीकृत मेलों से पशु क्रय कराये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त उन्नतिशील नस्ल के सूकर, बकरी, भेड़ जैसे पशुओं के क्रय की व्यवस्था की गयी है । पशुओं के क्रय में उनके पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण तथा संक्रामक रोगों से बचाव हेतु व्यवस्था की गई है ।

लाभार्थियों के ऋण के साथ अनुदान का समायोजन सुनिश्चित करने पर

विशेष ध्यान दिया जा रहा है इस संबंध में प्रत्येक लाभार्थी को बैंक द्वारा ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं । ताकि उसमें समायोजित अनुदान की धनराशि तथा अवशेष ऋण की धनराशि पर किस्तों का विभाजन अंकित किया जा सके ।

इस योजना के अंर्तगत लाभार्थियों को दी गई परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन एवं अनुश्रवण निरन्तर कराया जा रहा है, ताकि योजना में गुणात्मक सुधार लाया जा सके । इस संबंध में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से संबंधित जनपद स्तरीय एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है । गत वर्ष के लाभार्थियों का सत्यापन जनपद के सभी विकास खंडों में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर अनुश्रवण कैम्पों के आयोजन एवं स्थलीय निरीक्षण के द्वारा कराया गया । प्राप्त विवरण के आधार पर 3747 मामलों का सत्यापन किया गया जिसमें 39 मामले त्रुटिपूर्ण पाये गये । दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही सम्पादित की जा रही है ।

एकीकृत ग्रामय विकास योजना यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है । शासन द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति समय से सुनिश्चित करने पर काफी बल दिया जा रहा है । इसकी समीक्षा प्रत्येक माह में जनपद स्तर पर की जा रही है तथा खंड स्तर पर कार्य की समीक्षा करने हेतु सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके हैं । फलस्वरूप इस योजनान्तर्गत भौतिकएवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति दिसम्बर 1984 तक शत प्रतिशत कर ली गई है, जो संलग्न विवरण तालिका7.7,7.8 से स्पष्ट है । योजनाकाल के प्रारंभ से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण भी क्रमशः अलग-अलग तालिकाओं में दिया गया है ।

ग्रामीण युवकों/युवतियों के लिए स्वतः रोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम योजना)

देश में बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप उत्पन्न अनेक समस्याओं में से ग्रामीण क्षेत्र की बढ़ती बेरोजगारी भी है । इससे निपटने के लिए ग्रामीण युवक/युवतियों के लिए स्वतः रोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राइसेम) योजना भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के

सहयोग से चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण योजना है । इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के निर्बल वर्ग के बेरोजगार युवकों/युवतियों को स्थानीय रूप से उपयुक्त छोटे उद्योगों एवं व्यवसाय को चला सकने की दक्षता प्रशिक्षण द्वारा प्रदान करके ससम्मान आजीविका आर्जित करने योग्य बनाया जाता है । इस योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के युवक/युवतियाँ जिनकी आयु सामान्यतः 19 वर्ष से 35 वर्ष ही चयनित किया जाता है । इस योजनान्तर्गत मुख्यतः वही व्यवसाय चयनित किये जाते हैं जिनसे आर्थिक विकास की संभावना हो । आई0आर0डी0 लाभार्थियों के परिवारों से व्यक्तियों का चयन करते समय उनके पैतृक परम्परागत व्यवसाय का भी ध्यान आवश्यक होता है जिससे वे पूर्व अर्जित अनुभव का लाभ उठा सकें । इस योजनान्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को 75 एवं 150 रूपये एवं संस्था को 50 रूपये प्रतिमाह का मानदेय अनुमन्य है । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षार्थियों को टूल किट्स तथा कच्चे माल क्रय हेतु सहायता प्रदान की जाती है । प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् उन्हें बैंकों से उदार शर्तों पर ऋण दिलाकर स्वतः रोजगार स्थापित कराया गया है । ट्राइसेम योजनान्तर्गत आई0आर0डी0 मार्गदर्शी सिद्धान्त में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रति विकास खण्ड 40 प्रशिक्षार्थियों को प्रति वर्ष प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इस प्रकार से वर्ष 84-85 में योजनान्तर्गत कुल 640 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है । प्रशिक्षण का कार्य जिला प्रबन्ध समिति द्वारा अनुमोदित राजकीय एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है ।

योजना की प्रगति निम्न प्रकार है -

तालिका 7.6

क्र0सं0	मद	वर्ष 82-83	वर्ष 83-84	वर्ष 84-85
1.	प्रशिक्षण			
	अ. कृषि	-	1	-
	ब. उद्योग	141	12	10
	स. सेवा	411	714	170
	योग	552	727	180
2.	स्वतः रोजगार प्रांरभ करने वाले व्यक्तियों की संख्या	181	415	23
3.	वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई ऋण की धनराशि (लाख रू0 में)	2.23	3.89	0.34
4.	धनराशि नकद स्वरूप दी गई (लाख रूपये में)	-	0.42	-
5.	ट्राइसेम प्रशिक्षण पर व्यय (लाख रूपये में)	5.50	6.24	2.45

तालिका 7.7

जिला ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत योजना की भौतिक प्रगति (अनुदान समायोजन के अनुसार) जनपद गाजीपुर

क्र0सं0	मद	लाभार्थी परिवारों की संख्या							
		1981-82		1982-83		1983-84		1984-85	
		कुल	अनुदान	कुल	अनुदान	कुल	अनुदान	कुल	अनुदान
1.	कृषि कार्यक्रम	2115	710	905	241	685	420	1274	793
2.	लघु सिंचाई	675	45	849	95	1218	215	385	92
3.	पशुपालन कार्यक्रम	1122	535	3790	2346	3730	2197	5806	2860
4.	उद्योग सेवा एवं व्यवसाय	226	8	3576	1353	5480	1786	3134	1358
	योग	4138	1298	9120	4035	11113	4618	10599	5103

तालिका 7.8

समन्वित ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत वित्तीय प्रगति

जनपद - गाजीपुर

धनराशि (लाख रूपये)

क्र0सं0	मद	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1.	कृषि	17.41	3.58	8.61	11.78
2.	लघु सिंचाई	13.27	20.90	28.39	9.74
3.	पशुपालन	10.77	38.02	45.46	72.87
4.	उद्योग सेवा एवं व्यवसाय	2.16	27.65	37.53	24.55
	उपयोग	43.63	90.15	119.99	118.94
	अन्य व्यय				
5.	प्रशिक्षण (ट्राइसेम)	5.22	5.08	6.24	2.45
6.	सहकारिता अंश	3.20	-	-	-
7.	अवस्थापना	5.03	0.24	0.21	-
8.	स्थापना	5.50	8.29	8.70	4.91
9.	अन्य	14.28	0.47	4.20	5.00
	उपयोग	33.23	14.08	19.35	12.36
	कुल योग	76.80	104.23	139.34	131.30

तालिका 7.9

समन्वित ग्रामीण विकास की कार्यकारी योजनान्तर्गत वर्ष 84-85 में प्रस्तावित अवस्थापना मदों के प्रस्तावों का विवरण

जनपद गाजीपुर

क्र0 सं0	प्रस्तावित योजना का नाम	प्रोजेक्ट का उद्देश्य	प्रोजेक्ट की लागत (लाख रू0 में)	कुल लाभार्थियों की संख्या जिनके लाभान्वित होने की संभावना है ।	अभ्युक्ति
1.	बर्बरी बकरी विकास	आई0आर0डी0 लाभार्थियों को उन्नत नस्ल की बकरी की आपूर्ति.	10.94	1126	वर्ष 84-85 में योजना शासन को स्वीकृत हेतु भेजी जा चुकी है।
2.	सचल पशु चिकित्सालय	पशुपालन सेक्टर अन्तर्गत आई0 आर0 डी0लाभार्थियों को पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना ।	5.80	8000	
3.	कुक्कुट विकास योजना	आई0 आर0 डी0लाभार्थियों को शुद्ध कुक्कुटों की आपूर्ति.	5.18	2218	
		योग	21.92	11414	

तालिका 7.10

आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत सेक्टरवार लाभार्थियों का वर्षवार विवरण

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण - गाजीपुर

क्र0सं0	सेक्टर	1983-84		1984-85		1985-86		1986-87		1987-88	
		कुल	अनुसूचित जाति	कुल	अनुसूचित जाति	कुल	अनुसूचित जाति	कुल	अनुसूचित जाति	कुल	अनुसूचित जाति
1.	कृषि	685	420	1721	1082	2244	891	2092	971	3807	1789
2.	अल्प सिंचाई	1218	215	776	146	553	160	183	15	90	15
3.	पशुपालन	3730	2197	6810	3693	3781	2264	4231	2299	2388	1395
4.	उद्योग सेवा व्यवसाय	5480	1786	5140	2061	3799	1738	5511	2244	7800	3743
	योग	11113	4618	14447	6982	10377	5033	12017	5729	14085	6942

आई0 आर0 डी0 योजना का जनपद में चल रही निम्न योजनाओं से सम्बन्ध

1. आपरेशन फ्लड - 2:

आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत जो लाभार्थी पशुपालन सेक्टर के अन्तर्गत दुधारू पशुओं द्वारा लाभान्वित कराये जाने उन्हें उन पशुओं से अत्याधिक दूध उत्पादन करने एवं परिसम्पत्ति का उचित मूल्य दिलाने हेतु इस योजना से सम्बद्ध कर दिया जाता है । इसके साथ ही साथ लाभार्थियों को पशुओं की देख रेख बीमारियों में उचित दवा का वितरण इस योजना द्वारा कराया जा रहा है

2. सुखोन्मुख योजना :

दैनिक आपदाओं के अंतर्गत होने वाले कार्यों में लाभार्थियों को दैनिक मजदूरी मिलती है, जो एक अल्पकालिक आमदनी स्रोत है । उस क्षेत्र में जहाँ लोग आपदाओं से प्रभावित हो जाते हैं, एकीकृत ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत गरीब एवं असहाय व्यक्ति को लाभान्वित कराकर उन्हें दीर्घकालिक आमदनी का स्रोत तैयार किया जा रहा है ।

3. समन्वित बाल विकास योजना :

इस योजनान्तर्गत जहाँ बालकों तथा गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार, दवायें एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत उनके परिवारों को लाभान्वित कराकर अतिरिक्त आमदनी के साधन उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे लाभार्थियों के दैनिक जीवन में आने वाले मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सके ।

4. एन0 आर0 ई0 पी0 एवं आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 :

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना द्वारा जहाँ लाभार्थियों के आर्थिक स्तर को सुधारा जाता है वहीं एन0आर0ई0पी0 एवं आर0ई0जी0पी0 के अन्तर्गत उन लाभार्थियों

को आवासीय सुविधा देकर उनके आर्थिक स्तर के साथ ही साथ सामाजिक जीवन में रहन - सहन को भी सुधारने का सतत प्रयास किया जा रहा है ।

5. प्रौढ़ शिक्षा :

प्रौढ़ शिक्षा में व्यस्कों को जहाँ शिक्षा देकर उनको समाज में जागरूक एवं शिक्षित बनाया जाता है वहीं एकीकृत ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत लाभान्वित कर उनके आर्थिक स्तर को भी ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है ।

ट्राइसेम :

ट्राइसेम योजनान्तर्गत ग्रामीण युवकों को तकनीकी शिक्षा देकर उन्हें स्वतः रोजगार स्थापित करने हेतु ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था की गई है । वर्ष 87-88 में लाभार्थियों के प्रशिक्षण हेतु जिला एवं खण्ड विकास स्तर पर निम्न प्रबंध किये गये-

1. जिले स्तर पर :

जिले स्तर पर जहाँ सरकार द्वारा प्रदत्त संस्थायें है वहीं डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा ट्रेडों के अंतर्गत प्रशिक्षण देने वाले केन्द्रों की भी स्थापना की गई है ।

2. विकास खण्ड स्तर पर :

गाँवों में रहने वाले उन व्यक्तियों को जो इस योजना में चयनित किये गये हैं तथा दूर जाकर प्रशिक्षण नहीं ले सकते उनमें प्रशिक्षण की व्यवस्था सुलभ कराने हेतु प्रत्येक विकास खण्डों में प्रशिक्षण संस्थायें खोली गयी हैं । ये प्रशिक्षण संस्थायें गर्वनिंग वाडी के संस्तुति के उपरान्त खोली जाती हैं तथा इन संस्थाओं में प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षकों की भी व्यवस्था हैं ।

अनुश्रवण :

ट्राइसेम योजनान्तर्गत प्रशिक्षण संस्थाओं की कार्य शैली एवं उनमें प्रशिक्षण

प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध व्यवसायों के लिए निरन्तर अनुश्रवण का कार्य निम्न अधिकारियों के द्वारा संचालित होता है -

1. जिले स्तर पर -

   क. अपर जिलाधिकारी (परियोजना) परियोजना निदेशक ।

   ख. सहायक परियोजना निदेशक (अनुश्रवण) ।

   ग. परियोजना अर्थशास्त्री ।

   घ. प्रधानाचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र ।

   ड. अन्वेषक (आई0आर0डी0)।

2. विकास खण्ड स्तर पर -

   क. खण्ड विकास अधिकारी

   ख. सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0वी0)

   ग. ग्राम विकास अधिकारी ।

तालिका 7.11

ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत संस्था में जाने वाले प्रशिक्षार्थियों का ट्रेडवार विवरण

वर्ष 1989-90

क्र0 सं0	संस्था का नाम	हथकरघा	फोटो	टंकण	ट्रैक्टर मैकेनिक	अम्बर चरखा	कागज उद्योग	कताई बुनाई	कम्बल बुनाई	रेशम उद्योग	रेडियो मैकेनिक	बक्सा आटा0	विद्युत कला	लौह कला	काष्ठ कला	वेल्डिंग	चर्म उद्योग	दरी कालीन
1.	आर0टी0आई	20	32	30	30													
2.	खादी ग्रा0 बोर्ड					200	10	20	5									
3.	आई0टी0आई									16	16							
4.	डी0आई0सी0											16	16	16				
5.	एस0टी0एस0 गाजीपुर												16			16		
6.	परि0प्र0गाजीपुर																10	10
7.	ओम नरायन राय शेरपुर										20							
8.	रेडियो ट्रेनिंग ई0गाजीपुर										20							
9.	आई0टी0आई0ई0कालेज गाजीपुर										26							
10.	श्री कमल रेडियो सेन्टर गाजीपुर										7							
11.	अनिल टाइप सेन्टर सैदपुर			16														
12.	आशुतोष का0टा0केन्द्र सादात			16														
13.	अखिलेश टाईप सेन्टर दुल्लहपुर			16														
14.	जनता टाइप केन्द्र, गाजीपुर			30														
15.	द्विवेदी टाइप सेन्टर, मुहम्मदाबाद			24														
	योग	20	32	142	30	200	10	20	5	16	88	16	32	16	16	16	10	10

जिला क्रेडिट प्लान

जनपद गाजीपुर :

इस योजना में बैंकों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है । जनपद में बैंकों की कुल 157 शाखायें कार्यरत थीं । जनपद लीड बैंक यू0वी0आई0 है । कार्यक्रम के क्रियान्वयन में इन सभी बैंकों का योगदान बहुत ही सराहनीय है । वित्तीय वर्ष में 88-89 में कुल 452.90 लाख ऋण वितरण का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया।

वर्ष 1988-89 के ऋण के अनुमानित लक्ष्यों का बैंकवार विभाजन निम्न प्रकार है -

तालिका 7.12

क्र0सं0	बैंक का नाम	बैंक शाखाओं की संख्या	लक्ष्य (लाख रूपये में)
1.	यू0वी0आई0 (लीड बैंक)	45	150.62
2.	संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	67	184.86
3.	जिला सहकारी बैंक	20	44.09
4.	भारतीय स्टेट बैंक	8	24.52
5.	इलाहाबाद बैंक	7	30.20
6.	पंजाब नेशनल बैंक	1	0.38
7.	दी बनारस स्टेट बैंक	3	10.36
8.	भूमि विकास बैंक	4	7.17
9.	बैंक आफ बड़ौदा	1	0.38
10.	सेण्ट्रल बैंक	1	0.38
	योग	157	452.96

तालिका 7.13

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम वार्षिक आयवार लाभार्थियों की संख्या जनपद - गाजीपुर

(1989-90 में चयनित परिवार)

क0सं0	जनपद का नाम	कलस्तर में ग्रामों की संख्या	0 से 2265 रूपये तक				2266 से 3500 रूपये तक				3501 से 4800 रूपये तक				योग			
			लघु कृषक	सीमांत कृषक	श्रमिक कृषक	योग	लघु कृषक	सीमांत कृषक	श्रमिक कृषक	योग	लघु कृषक	सीमांत कृषक	श्रमिक कृषक	योग	लघु कृषक	सीमांत कृषक	श्रमिक कृषक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	गाजीपुर	1583	-	128	107	235	811	3861	5057	9647	209	902	925	2036	1020	4891	6089	12000

तालिका 7.14

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम वार्षिक योजना 1988-89

विकास खण्ड | जनपद गाजीपुर

क्र0सं0/ मद	ईकाई	लक्ष्य	लाभार्थी परिवार (भौतिक)			अनुसूचित जाति लाभार्थी परिवार			महिला लाभार्थी परिवार		
			छठीं पंच-वर्षीय योजना	सातवीं पंच-वर्षीय योजना 88-89	योग	छठीं पंच-वर्षीय योजना	सातवीं पंच-वर्षीय योजना 88-89	योग	छठीं पंच-वर्षीय योजना	सातवीं पंच-वर्षीय योजना 88-89	योग
1. कृषि	संख्या	48	8	40	48	4	20	24	2	13	15
2. पशुपालन	"	72	14	58	72	7	38	45	13	36	49
3. अल्प सिंचाई	"	47	7	40	47	-	13	13	-	2	2
4. उद्योग	"	205	35	170	205	6	72	78	11	55	66
5. सेवा	"	136	36	100	136	35	70	105	4	8	12
6. व्यवसाय	"	110	4	106	110	-	44	44	4	57	61
योग		618	104	514	618	52	257	309	34	172	205

तालिका 7.15

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम वार्षिक योजना वर्ष 1988-89 जनपद - गाजीपुर

क्र0 मद का नाम	वित्तीय प्रगति (लाख रूपये में)			अनु0जाति का परिव्यय (लाख रू0 में)			ऋण		
	छठीं पंच-वर्षीय योजना	सातवीं पंच वर्षीय योजना	योग	छठीं पंच-वर्षीय योजना	सातवीं पंच वर्षीय योजना	योग	छठीं पंच-वर्षीय योजना	सातवीं पंच-वर्षीय योजना	योग
1. कृषि	0.000	0.800	0.800	0.040	0.200	0.240	0.360	1.200	1.560
2. पशुपालन	0.140	0.950	1.090	0.070	0.760	0.830	0.440	2.035	2.475
3. अल्प सिंचाई	0.140	1.200	1.340	-	0.390	0.390	0.560	3.200	3.760
4. उद्योग	0.350	3.750	4.100	0.060	1.490	1.550	1.655	6.800	8.455
5. सेवा	0.310	1.670	1.980	0.350	1.250	1.600	1.000	3.780	4.780
6. व्यवसाय	0.020	1.910	1.930	-	0.880	0.880	0.180	7.100	7.280
योग	1.040	10.280	11.320	0.520	4.970	4.690	84.195	24.115	28.310

वित्तीय वर्ष 1989-90 एवं सप्तम् पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पश्चात् समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक नये आयाम के साथ वित्तीय वर्ष 1990-91 में प्रवेश कर चुकी है ।

गरीबों का उत्थान करने में यह योजना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है । यह योजना शासन के निर्देशानुसार दिये गये अनुदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों आपरेशन गाइडलाइन्स के आधार पर तैयार की गई है ।

योजना का निर्माण पूर्वानुमानित कठिनाईयों एवं स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है । इसके अंतर्गत आने वाली हर कठिनाईयों का निराकरण करने एवं योजना में आशातीत सफलता प्राप्त करने तथा गुणात्मक स्तर पर सुधार लाने के लिए भरपूर प्रयास किया गया है ।

इस जनपद की विगत वर्षों में लक्ष्य से अधिक पूर्ति प्राप्त हुई थी जिसके लिए इस कार्य में लगे समस्त अधिकारी कर्मचारी, संस्थायें एवं स्वैच्छिक संगठन बधाई के पात्र हैं । इस वर्ष भी इस कार्यक्रम के सफल सम्पादन हेतु जनपद के समस्त अधिकारी/कर्मचारी, संस्थायें, स्वैच्छिक संगठन तथा जनप्रतिनिधियों की सत्यनिष्ठा एवं मनोयोग पूर्वक सहयोग अपेक्षित है ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1990-91 जनपद गाजीपुर

सारांश :

यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत समान अनुपात में वित्तीय पोषित के रूप में जनपद के सभी विकास खण्डों में चलाई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में चलाई जा रही है । वित्तीय वर्ष 1989-90 एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पश्चात् योजना में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन के साथ नये वर्ष 1990-91 में प्रवेश कर चुकी है । इस योजना पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा 264.50 लाख रूपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

रूपरेखा :

वर्तमान वित्तीय वर्ष में आई0आर0डी0 योजनान्तर्गत विभिन्न मदों में कुल 8407 लाभार्थियों को लाभान्वित कराने हेतु कार्यकारी योजना बनाई गई है । शासन के निर्देशानुसार इस वर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम सभा को आच्छादित किया जाना है । विगत वित्तीय वर्ष से बैंक द्वारा सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण लागू की गई । इसके अंतर्गत एक निश्चित बैंक को ग्राम सभायें आबंटित की गई तथा उसके अनुसार प्रत्येक बैंक शाखाओं को भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इस वर्ष कुल 756.63 लाख रूपये ऋण एवं 224.05 लाख रूपये अनुदान समायोजन हेतु योजना की संरचना की गई । योजना में शासन के निर्देशानुसार निःशुल्क बोरिंग हेतु जनपद को कुल लक्ष्य का 50 प्रतिशत आई0 आर0 डी0 कार्यक्रम से लाभान्वित कराने का लक्ष्य निर्धारित है ।

विशेष दुग्ध उत्पादन योजनान्तर्गत जनपद के 9 विकास खण्डों जो दुग्ध पट्टी पर स्थित हैं, दुधारू पशुओं को क्रय कराने का अधिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है । योजना में अनुसूचित जाति एवं महिला लाभार्थियों में क्रमशः 6 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत के अनुसार कुल 5044 अनुसूचित जाति के एवं 3363 महिलाओं को लाभान्वित कराने का लक्ष्य निर्धारित है ।

नवोन्मुख कार्यक्रम

शासन के निर्देशानुसार आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत जनपद को आबंटित लक्ष्य का 25% नवोन्मुख कार्यक्रम हेतु निर्धारित किया जाता है । इसी क्रम में जनपद - गाजीपुर में ट्राइसेम योजनान्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार समर्पित करने हेतु आई0 आर0 डी0 कार्यक्रम के अंर्तगत लाभान्वित कराने पर विशेष बल दिया जायेगा । इसलिए इन्हें नवोन्मुख कार्यक्रम के रूप में किया गया है । ट्रेडवार नवोन्मुख कार्यक्रम हेतु निर्धारित लक्ष्य निम्न है -

रूपरेखा :

वर्तमान वित्तीय वर्ष में आई0आर0डी0 योजनान्तर्गत विभिन्न मदों में कुल 8407 लाभार्थियों को लाभान्वित कराने हेतु कार्यकारी योजना बनाई गई है । शासन के निर्देशानुसार इस वर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम सभा को आच्छादित किया जाना है । विगत वित्तीय वर्ष से बैंक द्वारा सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण लागू की गई । इसके अंतर्गत एक निश्चित बैंक को ग्राम सभायें आबंटित की गईं तथा उसके अनुसार प्रत्येक बैंक शाखाओं को भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इस वर्ष कुल 756.63 लाख रूपये ऋण एवं 224.05 लाख रूपये अनुदान समायोजन हेतु योजना की संरचना की गई । योजना में शासन के निर्देशानुसार निःशुल्क बोरिंग हेतु जनपद को कुल लक्ष्य का 50 प्रतिशत आई0 आर0 डी0 कार्यक्रम से लाभान्वित कराने का लक्ष्य निर्धारित है ।

विशेष दुग्ध उत्पादन योजनान्तर्गत जनपद के 9 विकास खण्डों जो दुग्ध पट्टी पर स्थित हैं, दुधारू पशुओं को क्रय कराने का अधिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है । योजना में अनुसूचित जाति एवं महिला लाभार्थियों में क्रमशः 6 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत के अनुसार कुल 5044 अनुसूचित जाति के एवं 3363 महिलाओं को लाभान्वित कराने का लक्ष्य निर्धारित है ।

नवोन्मुख कार्यक्रम

शासन के निर्देशानुसार आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत जनपद को आबंटित लक्ष्य का 25% नवोन्मुख कार्यक्रम हेतु निर्धारित किया जाता है । इसी क्रम में जनपद - गाजीपुर में ट्राइसेम योजनान्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार समर्पित करने हेतु आई0 आर0 डी0 कार्यक्रम के अंर्तगत लाभान्वित कराने पर विशेष बल दिया जायेगा । इसलिए इन्हें नवोन्मुख कार्यक्रम के रूप में किया गया है । ट्रेडवार नवोन्मुख कार्यक्रम हेतु निर्धारित लक्ष्य निम्न है -

ट्रेड का नाम	लक्ष्य	ट्रेड का नाम	लक्ष्य
1. रेडियो एवं टी0वी	377	12. पशुपालन	269
2. विद्युत कला	99	13. इन्सेमिनेटर	22
3. लौह कला	10	14. दरीकालीन	20
4. काष्ठ कला	13	15. टंकण	191
5. हथकरघा	22	16. चर्मकला	28
6. फोटो ग्राफी	74	17. बांस बेंत कला	14
7. मोटर पाइन्डिंग	9	18. कढ़ाई/बुनाई	96
8. रेशम कीट पालन	46	19. सिलाई	350
9. रेशम धागा करण	15	20. प्रेस कम्पोजिंग	7
10. मालगिरी	1		
11. कुक्कुट पालन	316		

जिला क्रेडिट प्लान वर्ष 1990-91

जनपद गाजीपुर :

इस योजना में बैंकों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है । शासन के निर्देशानुसार दिनांक 1.4.1989 से जनपद में सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण योजना बैंक स्तर पर प्रचलित की जा रही है । जनपद में बैंकों की 161 शाखायें कार्यरत है । सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा को गांव आबंटित किये गये हैं ताकि इस गाँवों के विकास सम्बन्धी कार्य आसानी से सम्पन्न हो सकें । जनपद में यूनियन बैंक लीड बैंक है । लीड बैंक एवं संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय के द्वारा जनपद के समस्त शाखाओं को लक्ष्य आबंटित किया गया है । विगत वर्षों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सभी बैंकों का योगदान बहुत ही सराहनीय था । आशा है कि जनपद के लीड बैंक तथा अन्य व्यवसायिक बैंक एवं सहकारी बैंकों के अधिकारियों के सहयोग से वर्तमान वर्ष में लक्ष्यों की पूर्ति समयानुसार शत - प्रतिशत सुनिश्चित की जा सकेगी ।

वर्ष 1990-91 में ऋण वितरण के अनुमानित लक्ष्यों का विभाजन निम्न प्रकार है :-

तालिका 7.16

क्र0सं0 बैंक का नाम	बैंक शाखाओं की संख्या	भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
1. यू0बी0आई (लीड बैंक)	48	2245	202.05
2. संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	68	3896	350.64
3. जिला सहकारी बैंक	20	890	80.10
4. भारतीय स्टेट बैंक	8	485	43.65
5. इलाहाबाद बैंक	7	450	40.50
6. पंजाब नेशनल बैंक	1	15	1.35
7. सेन्ट्रल बैंक	1	36	3.24
8. भूमि विकास बैंक	4	345	31.05
9. बैंक आफ बड़ौदा	1	15	1.35
10. दी बनारस स्टेट बैंक	3	30	2.70
योग	161	3407	761.53

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की कार्यकारी योजना

जनपद गाजीपुर **वर्षः 1990-91**

वित्तीय प्राप्तियाँ :

1. वर्ष 1989-90 का अवशेष धनराशि (लाख रूपये में)	31.53
2. वर्ष 1990-91 का परिव्यय धनराशि (लाख रूपये में)	264.50
योग (1+2)	296.03

व्यय विवरण :

1. अनुदान समायोजन (लाख रू0 में)	224.05
2. अवस्थापना (लाख रू0 में)	26.45
3. प्रशासन (लाख रू0 में)	26.45
4. ट्राइसेम (लाख रू0 में)	12.00
5. लाभार्थियों हेतु सामूहिक योजना	7.08
योग -	296.03

तालिका 7.17

वार्षिक कार्यकारी योजना वर्ष 1990-91

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सेक्टरवार लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य

जनपद - गाजीपुर

क्र0 सं0 सेक्टर का नाम	इकाई	कुल लाभार्थी	अनुसूचित जाति के लाभार्थी	महिला लाभार्थी	अल्प संख्यक
1. कृषि	संख्या	395	240	150	55
2. पशुपालन	..				
क. दुधारू पशु	"	2364	1622	995	450
ख. छोटे पशु	"	460	379	295	-
3. अल्प सिंचाई	"	2300	770	293	300
4. उद्योग	"	1040	710	518	205
5. सेवा व्यवसाय	"	1848	1323	1115	380
योग		8407	5044	3363	1390

तालिका 7.18

वार्षिक कार्यकारी योजना वर्ष 1990-91

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सेक्टरवार लाभार्थियों का वित्तीय लक्ष्य धनराशि (लाख रूपये में)

जनपद - गाजीपुर

क0 सं0	सेक्टर का नाम	इकाई	कुल लाभार्थी	अनुसूचित जाति के लाभार्थी	महिला लाभार्थी	अल्प संख्यक	ऋण वितरण
1.	कृषि	धनराशि	9.89	6.09	3.75	1.37	35.55
2.	पशुपालन	"					
3.	क. दुधारू पशु	"	61.46	42.18	24.95	11.70	212.76
	ख. छोटे पशु	"	11.73	9.48	7.27	-	41.85
4.	अल्प सिंचाई	"	66.02	22.10	8.25	8.40	207.00
5.	उद्योग	"	27.02	18.46	13.47	5.33	93.60
6.	सेवा व्यवसाय	"	47.93	34.40	28.99	9.88	166.32
	योग		224.05	132.63	86.68	36.68	756.63

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गाजीपुर

अभिकरण का परिचय :

अखिल भारतीय ऋण समीक्षा समिति 1961-62 की अनुशंसाओं के आधार पर कृषि क्षेत्र के साधनहीन एवं निर्बल कृषक एवं कृषि श्रमिकों के उत्थान हेतु लघु विकास योजना भारत सरकार द्वारा लागू की गई । वर्ष 1975-76 में यह योजना जनपद की सैदपुर तहसील के सैदपुर देवकली एवं मनिहारी, गाजीपुर तहसील के करण्डा विरनों एवं मरदह 6 विकास खण्डों में प्रारम्भ की गयी ।

वर्ष 1978-79 में एकीकृत ग्राम्य विकास परियोजना का शुभारम्भ किया गया । इस योजना के अंतर्गत सैदपुर, तहसील के सैदपुर, देवकली, मनिहारी, सादात एवं जखनियाँ तथा गाजीपुर तहसील के विरनों विकास खण्ड का चयन किया गया । लघु कृषक विकास योजना के अंतर्गत चयनित विकास खण्डों में लघु कृषक विकास कार्यक्रम की योजनायें पूर्ववत चलती रहीं ।

वर्ष 1980 से जनपद के शेष विकास खण्ड कासिमाबाद, मुहम्मदाबाद, बाराचवर, भौंवरकोल, रेवतीपुर, भदौरा जमानियाँ एवं गाजीपुर एकीकृत ग्राम्य विकास परियोजना के अंतर्गत चयन किये गये ।

एकीकृत ग्राम्य विकास परियोजना के अंतर्गत उपर्युक्त श्रेणी के लाभार्थियों के अतिरिक्त ग्रामीण दस्तकारों को भी लाभान्वित किये जाने का प्राविधान किया गया है ताकि कृषि क्षेत्र से भार कम हो सके । लघु कृषक विकास अभिकरण गाजीपुर का निबन्धन दिनांक 14.2.1975 को निबन्धन सं0 35143 द्वारा सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत हुआ है । उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 9411/543, आई0आर0डी0 115/80 दिनांक 24.11.80 के निर्देशानुसार अभिकरण का नाम जिला ग्राम्य विकास अभिकरण रखा गया है ।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अंतर्गत जनपद के सभी विकास खण्डों

के लिए 5-5 लाख रूपये तथा छठीं पंचवर्षीय योजना के शेष तीन वित्तीय वर्षों के प्रत्येक विकास खण्ड को 8-8 लाख रूपये आबंटित किये गये । इस प्रकार वर्ष 1980 -81 से वर्ष 1984-85 तक के लिए प्रत्येक विकास खण्ड को 35-35 लाख रूपये अनुदान के रूप में सरकार की ओर से आबंटन किया गया ।

वर्ष 1981 - 82 में कुल प्रत्येक विकास खण्ड में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे 600 परिवारों के हिसाब से जनपद में कुल 9600 परिवारों का चयन गाँव सभा के अनुमोदन के पश्चात् किया गया । इन परिवारों के लिए एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों जैसे - कृषि, अल्प सिंचाई, पशुपालन, उद्योग सेवा एवं व्यवसाय के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों जैसे - कृषि, अल्प सिंचाई, पशुपालन, उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय के अंतर्गत लाभान्वित करने का भरपूर प्रयास किया गया । इस अवधि में कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि यंत्र 881, बखारी 641, बैल वितरण 252, डनलप गाड़ी 4, वितरित किये गये । अल्प सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत कूप निर्माण 2, कूप बोरिंग 26, पम्पिंग सेट 97, निजी नलकूप 741 कराये गये । पशुपालन कार्यक्रम के अंतर्गत दुधारू पशु 1439, कुक्कुट इकाई 4, भेड़ इकाई 13, बकरी इकाई 2, सूकर इकाई 49 की स्थापना करायी गयी । कुटीर उद्योग कार्यक्रम के अंतर्गत दरी निर्माण 6, कम्बल निर्माण 1, हथकरघा 123, कुम्हार गिरी 22, लोहारगिरी 21, चर्मकला 63, बढ़ईगिरी 56, कालीन निर्माण 71, रेडीमेड कपड़े तैयार करने के 5, जरी निर्माण 2, दाल प्रशोधन 2, रस्सी निर्माण 2, बीड़ी निर्माण 5, टोकरी निर्माण 31 तथा अन्य 10 उद्योग स्थापित कराये गये । सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत रिक्शा 165, रिक्शा ट्राली 56, सिलाई मशीन 130, साइकिल मरम्मत 72, एक्का घोड़ा 94, रेडियो मरम्मत 5, बैंड बाजा 4, फोटोग्राफी 4, लाउडस्पीकर 50, लाण्ड्री 5, टंकण 1, बैलगाड़ी 1, तम्बू कनात 7, सैलून स्थापना 6, भारवाही पशु 86, एवं अन्य सेवा कार्य 7 तथा व्यवसाय कार्यक्रम के अंतर्गत दुकान परचुन 283, रेडीमेड कपड़े की दुकान 33, दुकान जूता 38, दुकान फलसब्जी 12, दुकान कपड़ा 32, दुकान चाय-पान 68, विशातबाना 35 एवं अन्य व्यवसाय के अंतर्गत 58 इकाईयों की स्थापना करायी गयी ।

इस प्रकार विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल उपलब्धि निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	कार्यक्रम	लक्ष्य	पूर्ति
1.	कृषि	2520	1778
2.	अल्प सिंचाई	325	866
3.	पशुपालन कार्यक्रम	1947	1494
4.	उद्योग सेवा एवं व्यवसाय	3541	1677

ट्राइसेम योजना के अंतर्गत इस जनपद में कुल 640 युवक/युवतियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विपरीत कुल 512 युवक/युवतियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें अनुसूचित जाति के 140 तथा सामान्य जाति के 372 युवक/युवती प्रशिक्षित हुए । समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत कृषि श्रमिक, गैर कृषि श्रमिक, ग्रामीण दस्तकार, सीमान्त लघु कृषकों को लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव है । उपर्युक्त श्रेणी के परिवारों को अभिकरण द्वारा पोषित कार्यक्रम से तभी लाभान्वित किया जा सकता है जबकि किन्ही अन्य स्रोतों से उनकी वार्षिक आय 3500 रूपये से अधिक न हो । अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी अभिज्ञापित परिवार को तीन हजार रूपये तक अनुदान देय है । अभिकरण द्वारा पोषित विभिन्न कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन पर लघु कृषकों की 25 प्रतिशत तथा सीमान्त एवं अन्य उपर्युक्त श्रेणी के परिवारों को 33 1/3 प्रतिशत अनुदान देय है । सामान्यतः अभिकरण का अनुदान ऋण से सम्बद्ध है परन्तु कृषि निवेश, ऊसर सुधार एवं उद्यान कार्यक्रमों में 500 रूपये तक के निजी संसाधनों से एक पर भी अनुदान देय होगा ।

अभिकरण के प्रमुख उद्देश्य

1. समाज के कमजोर वर्गों का चयन एवं अभिज्ञापन तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं एवं समस्याओं का सर्वेक्षण कराना ।

2. अभिज्ञापित परिवारों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के निराकरण हेतु उत्पादक कार्यक्रमों की आदर्श योजना तैयार करना ।

3. अभिज्ञापित परिवारों को आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर समाज में समाज स्तर निर्मित करना अर्थात् गरीबी एवं अमीरी के बीच के असंतुलन को कम करना ।

4. प्राथमिक सेवायें कृषि एवं पशुपालन पर से भार कम कर तृतीय सेक्टर उद्योग सेवा एवं व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की लाभप्रद एवं रोजगार पूरक योजनायें देकर उन्हें स्वाश्रयी बनाना ।

अभिकरण का संगठन एवं अधिकार :

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना भारत सरकार द्वारा नियोजित एवं वित्त पोषित है । इसके लिए स्वीकृत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकार का है । जिला स्तर पर कार्यक्रमों के संचालन एवं परिवेक्षण हेतु अभिकरण का कार्यालय है जिसके एक पूर्णकालिक प्रशासनिक अधिकारी, परियोजना निदेशक तथा उनकी सहायता के लिए सहायक परियोजना निदेशक नियुक्त हैं। अभिकरण अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं ।

अभिकरण के पदाधिकारी :

1. जिलाधिकारी अध्यक्ष
2. परियोजना निदेशक/सचिव
3. सहायक परियोजना निदेशक (सह0)
4. सहायक परियोजना निदेशक (पशुपालन)
5. प्रोजेक्ट इकोनोनिस्ट
6. सहायक अर्थ अधिकारी
7. प्रधान लिपिक
8. ऑंकिक
9. आशुलिपिक
10. कनिष्ठ लिपिक

11. जीप चालक
12. चौकीदार
13. पत्र वाहक
14. अर्दली

अभिकरण की प्रबन्ध समिति :

अभिकरण के कार्यों के संचालन एवं मार्गदर्शन हेतु एक प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया गया है, इस समिति में जिला एवं मण्डल स्तर के विकास विभागों के मुख्य अधिकारी सदस्य मनोनीत किये गये हैं । इसके अतिरिक्त दो अशासकीय सदस्य भी नामित किये गये हैं जो अभिकरण द्वारा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत लघु/सीमान्त कृषक के श्रेणी में आते हैं साथ ही जनपद के लीड बैंक एवं अन्य बैंकों के प्रतिनिधि भी सदस्य मनोनीत किये गये हैं । शासन द्वारा जनपद के संसद सदस्य विधान मण्डल एवं विधान परिषद के सदस्यों को भी प्रबन्ध समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है । प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची निम्नलिखित है -

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	संयुक्त विकास आयुक्त	उपाध्यक्ष
3.	उप निबन्धक सहकारी समितियाँ	सदस्य
4.	उपनिदेशक, कृषि	सदस्य
5.	उपनिदेशक, पशुपालन	सदस्य
6.	अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) जिला विकास अधिकारी	सदस्य
7.	सहकारी निबन्धक सहकारी समितियाँ	सदस्य
8.	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
9.	जिला पशु धन अधिकारी	सदस्य
10.	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई	सदस्य

11.	राज्य सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
12.	जिला सहकारी बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य
13.	भूमि विकास बैंक का प्रतिनधि	सदस्य
14.	लीड बैंक का वरिष्ठ अधिकारी	सदस्य
15.	संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य
16.	सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
17.	अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम अथवा हरिजन सहायक विभाग का अधिकारी	सदस्य
18.	प्रशिक्षण संस्था के प्रधानाचार्य	सदस्य
19.	निर्बल वर्ग के दो गैर सरकारी व्यक्ति	सदस्य
20.	ग्रामीण महिलाओं की प्रतिनिधि	सदस्य
21.	जनपद के संसद सदस्य विधायक एवं विधान परिषद के सदस्य	सदस्य
22.	प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	सदस्य
23.	परियोजना निदेशक	सचिव.

एकीकृत ग्रामीण विकास योजना से प्रति विकास खण्ड से 600 निर्धनतम परिवारों का चयन किया जाता है जनपद के 16 विकास खण्डों हेतु वर्ष 82-83 की कार्यकारी योजना हेतु कुल 9600 परिवारों का चयन किया गया ।

सुविधायें :

कृषक मजदूर, गैर कृषक एवं सीमान्त कृषकों को 33 1/3 प्रतिशत एवं लघु कृषक का 25 प्रतिशत अनुदान का प्राविधान है ।

उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय :

उद्योग सेवा एवं व्यवसाय समन्वित ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है ।

उद्योग कार्यक्रम :

चर्म उद्योग, लोहारगिरी, बढ़ईगिरी, हथकरघा, कुम्हारगिरी, कम्बल, कालीन, दरी, बीड़ी, रस्सी, दाल प्रशोधन, जरी, अम्बर चर्खा, टोकरी आदि ।

सेवा कार्यक्रम :

रिक्शा, रिक्शाट्राली, साइकिल एवं रिक्शा मरम्मत, ध्वनि प्रसारण यंत्र, डनलप कार्ट, घोड़ा एवं खच्चर, लाण्ड्री, टंकण, बैलगाड़ी,तम्बू कनात, सैलून आदि ।

व्यवसाय कार्यक्रम :

चाय-पान की दुकान, परचून की दुकान, रेडीमेड गारमेन्ट, कढ़ाई-बुनाई, बेकरी, जूता की दुकान, फल-सब्जी की दुकान, राशन की दुकान, विसातबाना आदि ।

उपर्युक्त कार्यक्रमों का चुनाव चयनित प्रति विकास खण्ड इन्हीं 600 परिवारों में से ही करना है । प्रति विकास खण्ड इन्ही 600 परिवारों को लाभान्वित किया जाना है ।

ट्राइसेम : ग्रामीण युवकों के स्वतः रोजगार हेतु प्रशिक्षण :

ग्रामीण क्षेत्रों में बेकार नवयुवकों एवं नवयुवतियों को प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बी बताना ही इसका मुख्य उद्देश्य है । समन्वित ग्रामीण विकास योजना के लिए चयनित लाभार्थियों विशेषकर जो सेकेन्डरी एण्ड टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, उन्हीं को विशेष प्रधानता दी जाती है । इसका चयन समूह में किया जाता है । युवक/युवतियाँ जिनकी आयु 19 वर्षसे 35 वर्ष के बीच हो को ही प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । प्रति विकास खण्ड प्रशिक्षार्थियों की अधिकतम संख्या 60 होगी ।

प्रशिक्षण अवधि :

प्रशिक्षण की अवधि 3 माह से लेकर 6 माह तक की होती है । कुछ प्रशिक्षण अल्प अवधि के भी होते हैं ।

छात्रवृत्ति :

यदि प्रशिक्षार्थी अपने गांव में ही रहकर किसी मास्टर क्राप-टस मैन/संस्था से प्रशिक्षण प्रापत करता है तो उसे 50/- रूपये प्रतिमाह छात्र वेतन देय है , तथा गाँव से बाहर जाने पर आवासीय सुविधा न दिये जाने पर प्रति प्रशिक्षार्थी ।25/- रू0 छात्र वेतन देय है । यदि प्रशिक्षण की अवधि । माह से कम होती है तो 5 रू0 प्रतिदिन की दर से छात्र वेतन देय है । प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षणोपरान्त व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वयं को रोजगार सुलभ कराने का अवसर प्रदान किया जाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ।

कच्चे माल की सुविधा :

25। रूपये प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति माह की दर से देने का प्राविधान है, लेकिन पूरे प्रशिक्षण अवधि में मूल्य ।50/- प्रति प्रशिक्षार्थी से अधिक देय नहीं है ।

प्रशिक्षक/प्रशिक्षिकों का मानदेय :

50/- रूपये प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिमाह लेकिन मू0 400/- रूपये से अधिक न हो ।

टूलकिट :

प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को व्यवसाय सम्बन्धी टूल किट हेतु अनुदान स्वरूप 250/- रूपये तक की सामग्री देने का प्राविधान है ।

परिवारों के आय स्तर का अनुश्रवण :

जिन चयनित अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है उनके आय स्तर में सुधार के सम्बन्ध में मूल्यांकन हेतु अनुश्रवण कार्यक्रम रखा गया है । प्रत्येक अभ्यर्थी के पास परिचय एवं अनुश्रवण पुस्तिका अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, जिसमें इस बात की व्यवस्था एवं उल्लेख होगा कि

लाभार्थी को किस सीमा तक योजना से लाभ पहुँचाया जा रहा है और योजना ग्रहण करने के बाद उसके आय स्तर में किस सीमा तक बढ़ोत्तरी हुई है । योजना से सम्बन्धित सभी जनपद स्तरीय अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी यदि क्षेत्र में भ्रमण पर जायें तब लाभार्थी से सम्पर्क स्थापित करके उनकी आय स्तर की जानकारी करेंगे, उनकी कठिनाईयों का निराकरण करेंगे तथा अपना सुझाव अनुश्रवण पुस्तिका पर अंकित करेंगे ।

प्रत्येक विकास खण्ड में 600 चयनित परिवारों में से 300 परिवार अनुसूचित जाति के होने चाहिए । साथ ही 200 परिवार उद्योग सेवा एवं व्यवसाय के अंतर्गत होना चाहिए । इन 200 परिवारों में से 100 परिवारों के लिए कुटीर उद्योग का दिया जाना भी आवश्यक है ।

' जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गाजीपुर का वार्षिक भौतिक प्रगति

प्रतिवेदन वर्ष 1981-82'

तालिका 7.19

क्रमांक	कार्य का नाम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य	पूर्ति
1.	**कृषि कार्यक्रम -**			
1.	कृषि यंत्र वितरण	संख्या	1292	881
2.	बखारी वितरण	"	782	641
3.	बैल वितरण	"	451	252
4.	डनलप गाड़ी वितरण	"	31	3
2.	**पशुपालन कार्यक्रम -**			
1.	दुधारू पशु	"	1096	1439
2.	कुक्कुट इकाई	"	83	4

क्रमशः

3. भेंड़ इकाई	"	113	13
4. बकरी इकाई	"	472	2
5. सूकर इकाई	"	183	49
3. अल्प सिंचाई कार्यक्रम :			
1. सिंचाई कूप निर्माण	"	6	2
2. कूप बोरिंग	"	24	26
3. पम्पिंग सेट	"	87	97
4. निजी नलकूप	"	208	747
4. कुटीर उद्योग कार्यक्रम :			
1. दरी निर्माण	"	4	6
2. कम्बल निर्माण	"	24	1
3. हथकरघा	"	247	123
4. कुम्हारगिरी	"	79	22
5. लोहरगिरी	"	124	21
6. चर्मकला	"	144	63
7. बढ़ईगिरी	"	169	56
8. कालीनी निर्माण	"	210	71
9. रेडीमेड कपड़ा तैयार करना	"	4	5
10.जरी बनाना	"	6	1
11.दाल प्रशोधन	"	3	2
12.रस्सी बनाना	"	14	2
13.बीड़ी बनाना	"	66	5
14.टोकरी निर्माण	"	109	31
15.अन्य उद्योग	"	45	10

5. सेवा कार्यक्रम :

1. रिक्शा वितरण	संख्या	320	165
2. रिक्शा टाली	"	144	56
3. सिलाई मशीन	"	133	130
4. सायकिल	"	153	72
5. एक्का घोड़ा	"	203	94
6. रेडियो मरम्मत	"	14	5
7. बैंड बाजा	"	36	8
8. फोटो ग्राफी	"	2	4
9. लाउडस्पीकर	"	27	5
10. लाण्ड्री	"	120	50
11. टंकण	"	4	1
12. बैलगाड़ी	"	26	1
13. तम्बू कनात	"	24	7
14. सैलून	"	60	6
15. अन्य भारवाही पशु	"	42	86
16. अन्य सेवा कार्य	"	47	7
6. व्यवसाय कार्यक्रम :			
1. दुकान पर चुना	"	385	283
2. रेडीमेड गारमेन्ट की दुकान	"	36	33
3. दुकान जूता	"	41	36
4. दुकान पान सब्जी	"	33	12
5. दुकान कपड़ा	"	49	32
6. दुकान चाय पान	"	144	68
7. विशातबाना	"	5	35
8. अन्य	"	101	58

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गाजीपुर

वित्तीय प्रतिवेदन वर्ष 1981-82

तालिका 7.20

1. विभिन्न साधनों से प्राप्त धनराशि	(लाख रूपये में)
1. गत वर्ष की अनशेष धनराशि	21.13
2. भारत सरकार से प्राप्त धनराशि	37.77
3. राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि	30.50
4. अन्य साधनों से प्राप्त धनराशि	7.93
कुल उपलब्ध धनराशि	97.33
2. व्यय विवरण :	
1. कृषि कार्यक्रम	17.41
2. अल्प सिंचाई कार्यक्रम	13.27
3. पशुपालन कार्यक्रम	10.77
4. उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय कार्यक्रम	2.18
5. ट्राइसेम प्रशिक्षण	5.22
6. अंशक्रय	3.20
7. रिस्क फण्ड	7.16
8. अवस्थापना	5.03
9. प्रशासन	5.50
10. विविध व्यय	7.12
कुल व्यय	78.86

समन्वित ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक बातें

1. अभिलक्षित जनसंख्या :

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों तथा सम्पूर्ण ग्रामीण जनता विशेषकर कमजोर वर्ग लघु कृषक, सीमांत कृषक, कृषक श्रमिक, गैर कृषक श्रमिक, ग्रामीण शिल्पकार एवं दस्तकार के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाना, विकास के लिए समुदाय की सबसे छोटी इकाई के रूप में विशेष महत्व देना ।

2. क्षेत्रीय एवं स्थानीय नियोजन :

ग्रामीण विकास के लिए नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण, जो छोटे स्तर से बड़े स्तर के लिए उत्तरदायी हो । विकास प्रक्रिया (जोत, ग्राम समूह, पंचायत, विकास खण्ड, जनपद एवं प्रदेश) में स्थानिक संश्लिष्टता एवं अवस्थापना की सुदृढ़ता पर विशेष बल । विकास प्रक्रिया का आधार स्तर तथा स्थानीय संसाधनों का विकास एवं संरक्षण प्रदान करना एवं ग्रामों के समूहों को नियोजन की दृष्टि से संगठित करना ।

3. सेवा केन्द्र एवं बाजार :

ज्ञान अभिज्ञान की प्राप्ति, उत्पादन अतिरेकों का विक्रय, विभिन्न सेवाओं का विसरण विकास स्थल, जो प्रत्यक्षतः पदानुक्रम को सुदृढ़ करें तथा इन पर उद्योगों का विकास ।

4. यातायात :

ग्रामों को सड़क से जोड़ते हुए निम्न से उच्च श्रेणी के सेवा केन्द्र के साथ नगरों से परिवहन सम्पर्क बढ़ाना, जिससे परिवहन सुगमता बढ़े तथा ग्रामीण उत्पादन अतिरेक सुगमता से विक्रय केन्द्रों तक पहुँच सकें ।

5. कृषि :

खाद्य पदार्थ एवं पोषक तत्वों की पूर्ति में आत्मनिर्भरता हेतु कृषि को आधुनिक सुविधाओं हेतु विकसित करना । शुष्क कृषि विकास प्राविधिकी का विकास ।

6. सिंचाई :

भूमि प्रबन्ध के साथ - साथ उन्नत एवं व्यावसायिक कृषि उत्पादन हेतु लघु सिंचाई योजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर विकास करना ।

7. (अ) कृषि एवं सम्बन्धित कार्य :

कृषि के साथ - साथ उद्यान, वनीकरण (वृक्षारोपण) पर विशेष बल, जिससे ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके ।

(ब) पशुधन विकास :

उन्नत नस्ल के पशुओं का विकास एवं वितरण, पशु बीमा, पशु सेवा , स्वास्थ्य तथा रख रखाव आदि का समुचित ध्यान तथा ग्रामीणों को तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण ।

(स) कृषि निर्माण कार्य :

कृषि यंत्रों में सुधार एवं नयी प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण, प्रसार तथा प्रचार ।

8. ग्रामीण उद्योग :

श्रम बाहुल्य उद्योगों का विकास, जो स्थानीय संसाधनों पर आधारित हो । ग्रामीण दस्तकारों एवं शिल्पियों के साथ परम्परागत रोजगार पर विशेष बल ।

9. बैंकिंग - कृषि :

उद्योग एवं अन्य विकास कार्यों हेतु ऋण एवं अनुदान ।

10. प्राविधिकी :

मध्यम एवं देशी प्राविधिकी का सम्यक् विकास जिससे कम व्यय में अधिकाधिक

लाभ हो । श्रम बाहुल्य प्राविधिकी विकास पर विशेष बल ।

11. विद्युतीकरण :

ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के विकास के साथ ग्रामीण औद्योगीकरण एवं जीवन के सुविधाओं में वृद्धि हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण ।

12. स्वास्थ्य :

औषधी एवं स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के साथ परिवार नियोजन को प्राथमिकता ।

13. ग्रामीण जलापूर्ति :

पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध कराना, जिससे ग्रामीणों का स्वास्थ्य ठीक रहे।

14. शिक्षा :

ग्रामीण जनों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था । इसमें प्रशिक्षण सम्बन्धित कार्य भी सम्मिलित हैं।

15. मनोरंजन :

ग्रामों में शिक्षा प्रचार के साथ रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा की व्यवस्था तथा रंगमंच एवं प्रारम्भिक मनोरंजन के साधनों के विकास के साथ - साथ खेलकूद, व्यायाम एवं शारीरिक शिक्षा पर विशेष ध्यान ।

16. आवास :

समाज के कमजोर वर्ग के लिए आवास एवं ग्रामीण बस्ती में जल - निकास आदि की समुचित व्यवस्था ।

17. नियोजन :

सर्वेक्षण द्वारा स्थानीय एवं क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार योजना तैयार कर उसका समुचित कार्यान्वयन ।

18. **सामाजिक पुनर्जागरण, ग्रामीण नेतृत्व तथा तनाव शैथिल्य :**

पंचायत अधिकारी के माध्यम से ग्रामीण समुदाय में तनाव शैथिल्य लाने का प्रयास ताकि समाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में गांवों के विकास कार्यों में अनावश्यक बाधायें एवं रूकावट न आ पाये तथा जनसामान्य में विकास के प्रति रूचि जगे ।

समन्वित ग्रामीण विकास नियोजन

मूलभूत बातें :

1. ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कार्यक्रमों का निर्धारित किया जाना ।
2. उत्पादन कार्यक्रमों को अपनाकर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से एक निश्चित अवधि के अंदर उठाना ।
3. ग्रामीण क्षेत्रों के युवक एवं युवतियों को विभिन्न ग्रामीण दस्तकारियों में प्रशिक्षित करके स्वतः रोजगार के अवसर प्रदान करना ।
4. सभी विभाग के कार्यक्रमों एवं संसाधनों का समन्वित रूप से ग्राम्य विकास कार्य के लिए विभिन्न स्तरों पर सुदुपयोग सुनिश्चित करना ।

समन्वित ग्राम्य विकास कार्य के नियोजन में निम्न बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए -

1. ग्राम समूह के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामों का चयन किया जाना ।
2. ग्रमों का चयन करते समय विभिन्न विकास कार्यक्रमों से संबंधित अवस्थापना सुविधाओं को ध्यान में रखा जाय ।
3. लाभार्थियों के चयन में निम्न बिन्दुओं की ओर अवश्य ध्यान दिया जाय -

क. प्राथमिक सेक्टर : जैसे कृषि पशुपालन, दुग्ध उद्योग, मत्स्य पालन, सूअर, भेंड़ बकरी पालन, उद्यान रेशम मधुमक्खी पालन आदि से संबंधित लाभार्थियों को तहसील से प्राप्त 61 सूची को अन्तिम रूप देने से पूर्व दूसरी जाँच नितांत आवश्ययक है । लाभार्थियों के अन्य की सही जानकारी तथा अत्योदय सिद्धान्त के आधार पर लाभार्थियों के चयन में ग्राम सभा की संस्तुति अवश्य ली जाय ।

गाँव सभा की बैठक में ग्राम्य विकास, पंचायत राज एवं राजस्व विभाग के ग्राम स्तरीय कर्मचारी अवश्य भाग लें और गांव सभा प्रधान के साथ में भी त्रुटिपूर्ण चयन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायं ।

ख. गाँव सभा से प्राप्त लाभार्थियों की सूची का कम से कम दस प्रतिशत जाँच सहायक विकास अधिकारियों तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अवश्य की जाय जिससे पात्र व्यक्ति ही योजना से लाभान्वित हो सके ।

ग. चयन के पूर्व ग्राम/पंचायत सेवक एकीकृत ग्रामय विकास परियोजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की सूची अपने सर्वेक्षण के आधार पर अवश्य तैयार कर लें । जिसे गांव सभा की बैठक में अन्तिम रूप दिया जा सके ।

समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के लिए योजना निर्माण :

विभिन्न लाभार्थियों के लिए योजना बनाते समय निम्न बातें ध्यान गत रखना आवश्यक हैं :

1. लाभार्थी की ग्राह्य शक्ति, क्षमता अनुभव एवं अभिरूचि के आधार एवं उससे सलाह मशविरा करके योजना तैयार की जाय ।

2. लाभार्थी को वही योजनायें प्रस्तावित की जाय जिनकी अवस्थापना संबंधी सुविधायें गांव में तथा निकटस्थ स्थान पर सुलभ हो ।

3. वे ही उद्योग धन्धे प्रस्तावित किये जायं जिनके उत्पादन की स्थानीय खपत हो अथवा विक्रय का समुचित प्रबंध किया जा सके ।

4. प्रशिक्षण की सुविधा उसी ट्रेड में सुलभ करायी जाय जिस ट्रेड के विकास की स्थानीय संभावना हो ।

5. योजनान्तर्गत लाभार्थियों को वे ही उत्पादन कार्यक्रम प्रस्तावित किये जायं जिनके उत्पादन की स्थानीय खपत हो अथवा विक्रय का समुचित प्रबंध किया जा सके ।

6. प्रशिक्षित युवक/युवतियों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही उत्पादन सेवा इकाईयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन एवं सहायता दी जाय ।

7. दुधारू पशुओं के कार्यक्रम को बढ़ावा देने में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है ।

8. लाभार्थियों के लिए आर्थिक योजना बनाते समय बैंक एवं जिला उद्योग केन्द्र के प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय ।

9. ग्राम के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के साथ - साथ सामूहिक लाभ की योजनायें भी अवश्य तैयार की जायं ।

10. द्वितीय सेक्टर जैसे ग्रामीण दस्तकार एवं तृतीय सेक्टर जैसे नाई, धोबी, बढ़ई तथा अन्य व्यवसाय में लगे लोगों की गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर लाने के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं उनकी कार्यक्षमता अनुभव एवं ऋण ग्राह्यता को दृष्टिगत रखते हुए योजनाओं का चयन, प्रशिक्षण की सुविधा तथा ऋण सुविधा सुलभ कराई जाय जिससे लाभार्थी गांव में रहकर ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे सकें ।

11. समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत गांव सभा में चयनित लाभार्थियों की योजना से संबंधित अभिलेख एक निर्धारित रूप पत्र पर राजकीय अभिलेख के रूप में गांव सभा स्तर, खण्ड स्तर पर रखे जायं । प्रत्येक कृषक को जोत वही कार्यहित में तत्काल सुलभ कराया जाय ।

उपरोक्त तीनों सेक्टरों जैसे प्राथमिक सेक्टर कृषि, पशुपालन आदि द्वितीय सेक्टर - जैसे ग्रामीण दस्तकार तथा तृतीय सेक्टर जैसे सेवा एवं व्यवसाय में लगे लोगों के लिए समन्वित रूप से तैयार कियेगये उत्पादन एवं रोजगार संबंधी कार्यक्रमों को मजबूत बनाकर तथा इनके सुमचित कार्यान्वयन से देश की तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या

को पर्याप्त रोजगार दिया जा सकता है तथा कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में आशातीत वृद्धि लाई जा सकती है ।

समन्वित ग्राम्य विकास कार्यक्रम आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की भलाई के लिए चलाया गया एक समन्वित कार्यक्रम है । जिसकी सफलता कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न विकास विभागों के समन्वित रूप से कार्य करने में ही निहित है विभागों की अब तक आइसोलेशन में कार्य करने की प्रवृत्ति ही विभिन्न विकास काय्रक्रमों की सफलता में मुख्य रूप से बाधक रही है । इस प्रवृत्ति को और अधिक बढ़ावा देना कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों की आपूर्ति में घातक सिद्ध हो सकता है ।

कार्यान्वयन :

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से ही कार्यान्वित किया जाता है । विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का योगदान प्राप्त करने के लिए निम्न बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है -

1. सभी ग्रामीण क्षेत्र सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आ गये हैं । अतएव कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित गाँवों में ऋण वितरण के लिए साधन कृषक सहकारी समितियों को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए । सहकारी समिति के क्षेत्र में पड़ने वाले लाभार्थियों को सहकारी समिति का सदस्य बनाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम अपनाया जाय । सहकारी समिति के पदाधिकारियों पर खण्ड विकास अधिकारी के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण होना चाहिए ।

2. बैंक एवं वित्तीय वर्ष का कलेण्डर वर्ष एक होना चाहिए ।

3. राज्य सरकार द्वारा सभी विकास खण्डों में समन्वित ग्रामीण विकास योजना चालू करने के निर्णय के फलस्वरूप पूर्व तैयार की गई जिला वित्त पोषण योजना में परिवर्तन करना आवश्यक है ।

4. ऋण जिस कार्य के लिए दिया जाता है उसी कार्य हेतु इसका उपयोग हो ।

इसके लिए समय - समय पर जिला एवं खण्ड स्तर से जाँच होती रहनी चाहिए ।

5. योजना का लाभ विचौलिये न उठा पाये इसके लिए सतर्कता बरतनी आवश्यक है ।

6. वित्त - पोषण संस्थाओं के ऋण की वसूली में खण्ड स्टाफ पूर्ण सहयोग प्रदान करें ।

7. जिन लाभार्थियों की किंश्त नियमित रूप से न वसूल हो सके उनकी सूची बैंक के पदाधिकारी, विकास खण्ड कार्यालय को भेज दें जहाँ स्टाफ मीटिंग में ऋण वसूली की भी नियमित रूप से समीक्षा की जाय ।

8. लाभार्थियों को आवश्यक सामान की आपूर्ति सरकारी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं मण्डलीय विकास निगम, एग्रो तथा पंचायत उद्योग के माध्यम से कराने की व्यवस्था की जाय ।

9. ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यान्वियन में गाँव सभाओं को भी सम्मिलित किया जाय ।

10. ट्राईसेम योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं युवक/युवतियों को प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदान की जायेंजिनके ऋण प्रार्थना पत्र बैंक से स्वीकृत होने की संभावना हो ।

11. लाभार्थियों को देय अनुदान की धनराशि का समायोजन उनके द्वारा लिये गये ऋण पर देय ब्याज के रूप में किया जाय ।

12. लाभार्थी पर ब्याज उसी समय से लगना चाहिए जब उसे वास्तविक रूप से ऋण पर सामान की आपूर्ति हो जाय ।

ग्राम्य विकास विभाग के विभिन्न स्तरों पर स्टाक का सुदृढ़ीकरण

राष्ट्रीय महत्व के इस कार्यक्रम के सफलता पूर्वक कार्यान्वियन के लिए जरूरी है कि इस कार्यक्रम के संचालन में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत स्टाफ को और

सुदृढ़ बनाया जाय । इस संबंध में निम्न सुझाव विचारार्थ प्रस्तुत हैं :-

ग्राम सेवक स्तर :

बढ़ते हुए कार्यभार को देखते हुए प्रत्येक विकास खण्ड में पाँच अतिरिक्त ग्राम सेवकों की नियुक्ति की जाय ।

न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम सेवकों के कार्यालय एवं भण्डार हेतु एक भवन का निर्माण कराया जाय अथवा इसके लिए समुचित किराये का प्राविधान किया जाय ।

खण्ड स्तर :

सहायक विकास अधिकारी ग्रामीण उद्योग, समाज शिक्षा के पद खण्ड स्तर पर सृजित किये जायं तथा सहायक विकास अधिकारी कृषि रक्षा एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को खण्ड बजट पर लाया जाय । खण्ड विकास अधिकारी के पद को उन्नयन किया जाय । समस्त सहायक विकास अधिकारियों पर खण्ड विकास अधिकारी का प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाय ।

अंकिक (एकीकृत) एवं टंकण लिपिक के पद सृजित किये जायं । पुनर्जीवित विकास खण्डों की भाँति ही स्टाफ नियुक्त किया जाय ।

सभी विकास खण्डों में जहाँ कार्यालय भवन बनाये गये हैं वहाँ आवासीय भवन भी यथा शीघ्र बनवाये जायं । जहाँ कार्यालय भवन नहीं हैं वहाँ दोनों साथ बनवायें जायं । खण्ड कार्यालय बढ़ती हुए आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए और बड़ा बनाया जाय ।

जनपद स्तर :

संबंधित विकास विभागों के लिए जनपद स्तर पर एक विकास भवन का निर्माण तत्काल कराया जाय ।

जनपद स्तर के अन्य अधिकारी जैसे जिला गन्ना अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी पर भी अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों की भाँति जिला विकास अधिकार का

प्रशासनिक नियंत्रणं हो । जिला विकास प्रशासनिक नियंत्रण हो । जिला विकास अधिकारी के पद का उन्नयन किया जाय । सभी विकास विभाग से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण कार्यक्रम, आकस्मिक अवकाश एवं यात्रा भत्ता का नियंत्रण जिला विकास अधिकारी में निहित किया जाय ।

जनपद स्तर पर एक सहायक लेखाधिकारी के पद का सृजन किया जाय । सभी विकास विभागों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर विकास विभाग के कर्मचारियों की भाँति ही जिला विकास अधिकारी का नियंत्रण हो ।

अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना)/परियोजना निदेशक एवं अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) के अधिकार एवं कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया जाय ।

मण्डल स्तर :

सभी विकास विभाग से संबंधित मण्डलीय अधिकारियों पर उसी भाँति उप विकास आयुक्त का प्रशासनिक नियंत्रण होना चाहिए जिस प्रकार विकास अधिकार का जनपद स्तर के विकास विभाग के अधिकारियों पर प्रस्तावित किया गया है ।

सांख्यिकी अधिकारी की नियुक्ति उप विकास आयुक्त कार्यालय में की जाय । सहायक विकास आयुक्त का भी पद सृजित किया जाय ।

उप विकास आयुक्त कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण दूसरे उप विकास आयुक्त कार्यालयों तथा जिला विकास कार्यालयों में किया जाना चाहिये ।

राज्य स्तर :

ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित नीति निर्धारण एवं कार्यक्रम निर्माण में आवश्यक सहयोग देने हेतु मुख्यालय स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग में उप विकास आयुक्त/उप सचिव तथा सहायक विकास आयुक्त के सभी पदों की पूर्ति विभागीय

अधिकारियों से की जाय ।

मूल्यांकन एवं अनुश्रवण :

1. मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्यक्रम योजना के लक्ष्यों की पूर्ति तक ही सीमित न रहे ।

2. कार्यक्रम का समय समय पर अनुश्रवण कार्यक्रमों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अवश्य की जाय ।

3. कार्यक्रम के गुणात्मक पहलू की ओर मूल्यांकन में अवश्य ध्यान रखना चाहिए ।

4. अध्ययन भ्रमण एवं दृश्य दर्शन का अवश्य आयोजन कराया जाय ।

5. विभिन्न स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के उच्च कोटि के प्रशिक्षण की अवश्य व्यवस्था की जाय ।

6. कार्यक्रम के संचालन में आने वाली कठिनाईयों के ऊपर विचार विमर्श तथा प्राप्त अनुभवों के आधार पर कार्यक्रम में सुधार हेतु प्रत्येक वर्ष विभिन्न स्तरों पर कम से कम एक गोष्ठी का आयोजन किया जाय ।

7. खण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर किसान मेले किये जायें ।

नियोजन

नियोजन का मूल उद्देश्य अर्थव्यवस्था की प्रगतिशील शक्तियों को प्रोत्साहन देना है जिसके द्वारा प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों को समुन्नत किया जा सके । नियोजन में नई परिस्थितियों, नई समस्याओं एवं अंतर्सम्बन्धों को आत्मसात् करने की क्षमता होती है तथा इसमें बहुमुखी प्राविधिक कुशलताओं तथा विविध व्यावसायिक क्षमताओं का समन्वय होता है । वर्तमान जनसंख्या की आवश्यकतानुसार कृषि के विकास हेतु वर्तमान कृषि प्रतिरूपों में अभीष्ट परिवर्तन करने के निमित्त समष्टि रूप से कृषि नियोजन आवश्यक है ।

भूमि उपयोग नियोजन

उन्नतशील बीजों का उपयोग :

कृषि विकास हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रमाणिक बीज का कृषकों में भरपूर वितरण किया जाय । यद्यपि उच्चकोटि के बीजों के वितरण हेतु विकास खण्ड स्तर पर राजकीय बीज भण्डार केन्द्रों की स्थापना की गई किन्तु इनकी संख्या अल्प होने के कारण कृषकों को यथोचित लाभ नहीं मिल पाता है । अतः समन्वित कृषि विकास की दृष्टि से शोधित नये बीजों की पर्याप्त आपूर्ति अति अपेक्षित है । वर्तमान समय में जनपद में कुल मात्र 180 बीज एवं उर्वरक भण्डार है ।

खाद एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग :

गोबर को ईंधन के रूप में न जलाकर खाद बनायी जाय तथा हरी खाद का प्रचलन पुनः बढ़ाया जाय । रासायनिक उर्वरकों का वर्तमान में 91 कि0ग्रा0 प्रति हेक्टेयर प्रयोग होता है जो बहुत ही कम है । सर्वाधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग गाजीपुर विकास खण्ड (75 कि0ग्रा0 प्रति हे0) में एवं सबसे कम रेवतीपुर (55 कि0ग्रा0 प्रति हे0) विकास खण्ड में होता है । अतः यह असंतुलन दूर हो तथा व्यक्तिगत खाद की दुकानों एवं राजकीय गोदामों पर प्रशासनिक नियंत्रण हो जिससे मिलावट एवं मनमानी मूल्य के शिकार किसान न हो सकें ।

वैज्ञानिक शस्यावर्तन का अनुप्रयोग :

मृदा उर्वरता एवं कृषि उत्पादकता के संरक्षण में उत्तम मृदा प्रबन्ध का व्यवहार जैविक तत्वों की आपूर्ति , उचित शस्यों का अनुक्रमण एवं अन्य अनुमोदित ' पैकेट प्रोग्राम ' का प्रयोग अत्यावश्यक है । शस्यावर्तन अधिकतम शस्योत्पादन हेतु एक उचित अनुक्रम में उसी क्षेत्र में विभिन्न शस्यों का वर्धन है । शस्यावर्तन से विभिन्न लाभ-1-खर-पतवार, कीट एवं पौध की बीमारियों पर उत्तम नियंत्रण होता है, 2-मृदा अपरदन से होने वाली क्षति से बचत होती है, 3-नियोजित शस्य-स्वरूप से उत्पादन बढ़ता है, एवं 5-सिंचाई जल का अधिकतम आर्थिक उपयोग होता है, होते हैं ।

जनपद में परम्परागत प्राचीन पद्धति से ही शस्यों का हेर-फेर कर कृषि की जा रही है, किन्तु कुछ किसान आधुनिक कृषि पद्धति की दिशा में पूर्ण सचेष्ट हैं ।

सामान्यतया जनपद में एक शस्य के बाद भूमि को परती छोड़ने की परम्परा न्यूनाधिक अब भी चल रही है जो गहन कृषि की दृष्टि से अलाभकर है । गहन कृषि में आदर्श शस्यावर्तन हेतु जलापूर्ति, उर्वरक एवं चमत्कारिक बीजों की व्यवस्था आवश्यक है । जनपद में कृषि के विकास की सम्भावना की उपयुक्तता की दृष्टि से निम्नांकित शस्यावर्तन की संस्तुति की जाती है -

तालिका

जनपद में शस्यावर्तन हेतु संस्तुत फसलें तथा उन्नतिशील प्रजातियाँ

खरीफ	रबी	जायद
1. धान साकेत 4	चना/मटर/गन्ना/गेहूँ यू0पी0 203 के0	मूँग टी0 44
2. धान अगेती	प्याज	गन्ना
3. धान अगेती जया, साकेत 4	चना के0 468/गेहूँ यू0पी0 203	चरी टी0 9/मूँग टी0 44
4. धान अगेती	मटर	बैगन - आलू
5. धान	मटर	साँवा/चना/बाजरा

धान के अतिरिक्त अन्य शस्यों के उपयुक्त मृदायें बलुई दोमट, दोमट

खरीफ	रबी	जायद
1. बाजरा + मूँग	मटर	बैंगन/मिर्च।
2. मूँगफली + अरहर	-	-
3. मक्का - मूँग	आलू	गन्ना
4. सनई हरी खाद	गेहूँ	लोबिया - मक्का - आलू मूँग
5. शकरकन्द	सरसों के0 88	बाजरा-उर्द-गोभी
6. उर्द + गाजर	मटर/चना	मूँग/उर्द-टमाटर-प्याज
7. अरहर+उर्द/बाजरा+लोबिया	चना	-
8. अरहर टी0 21	गेहूँ सोनालिका	ककड़ी/खरबूज
9. मक्का	आलू	लोबिया+एम0पी0 चरी
10. तिल-बाजरा टी04	जौ अम्बर/गेहूँ यू0पी0 203	सूरजमुखी

दो वर्षीय शस्यावर्तन

1. मक्का+मूँग	आलू	गन्ना एम0पी0चरी +मूँग
2. सनई हरी खाद/मक्का	गेहूँ/आलू	लोबिया लौकी/कुम्हड़ा/तरोई
3. शकरकन्द गोभी	सरसों के0 88 गेहूँ	बाजरा+ उर्द मूँग
4. अगेती धान	मटर	बैगन
	आलू	करेला/लोबिया/तरोई
5. अगेती धान	मटर+गन्ना	उर्द
	-	उर्द/मूँग
6. ज्वार + मूँग	गेहूँ	मूँग
धान	चना	पालक,मूली
7. धान साकेत - 4	चना/मटर/गन्ना	-
8. धान अगेती	प्याज	गन्ना
	प्याज	मूँग
9. धान	गेहूँ सोनालिका	गन्ना
-	-	सांवा/चना

भूमि का मिश्रित एवं बहुपयोग :

जहाँ एक ओर भूमि उपयोग नियोजन के अंतर्गत भूमि उपयोग की उच्चतम क्षमता अभिस्थापन में गहन कृषि की अनुशंसा की गई है वहीं यह भी आवश्यक है कि क्षेत्रीय प्रगतिशील किसानों में भूमि के मिश्रित एवं बहुपयोग हेतु जागृति उत्पन्न की जाय । किसानों की जर्जर आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है कि भूमि का बहुमुखी उपयोग किया जाय जिसमें शस्योत्पादन एवं पशुपालन प्रमुख है ।

उपज एवं आय वृद्धि के लिए उन्नत किस्म के जानवरों को पालना उपादेय है । पशुपालन व्यवस्था में आबद्ध होने से ग्रामीणों की बेरोजगारी समस्या का समाधान ही न होगा, अपितु आर्थिक विपन्नता भी दूर होगी । अतः योजना के अंतर्गत व्यावसायिक कृषि कार्यों के विकास हेतु पशुपालन एवं बागवानी सुझाव प्रस्तुत हैं ।

भौतिक आपदाओं पर नियंत्रण :

वर्षा ऋतु में जलाधिक्य होने पर नदियाँ विनष्टकारी रूप धारण कर लेती हैं । इसके लिए नदियों पर बाँध बनाकर बाढ़ को रोका जाय । बाढ़ के पानी को नियंत्रित करके जलप्लावित क्षेत्र को शुद्ध कृषित भूमि में परिवर्तित करके कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है ।

भूमि उपयोग नियोजन की उपर्युक्त आयोजनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जाय -

1. सिंचाई साधनों का विस्तार व विद्युत आपूर्ति द्वारा किसानों का सहयोग किया जाय ।
2. कृषि में नई तकनीक का प्रयोग कराया जाय ।
3. परती भूमि को शुद्ध कृषित क्षेत्र में परिवर्तित कराया जाय ।
4. तालाबों में मत्स्य पालन कराया जाय ।

जनसंख्या नियोजन :

जनपद गाजीपुर के सांस्कृतिक स्वरूप में जनसंख्या नियोजन से सम्बन्धित निम्न सुझाव प्रस्तुत हैं जिससे जनसंख्या संसाधन एवं आवश्यकता के मध्यम संतुलन कायम रह सके ।

कृष्येतर उत्पादन में सुधार :

भूमि पर जनसंख्या के दबाव को कम करने के निमित्त मत्स्य पालन,

मुर्गीपालन, सुअर पालन, भेंड़ पालन एवं दुग्ध उद्योग को विकसित किया जाना चाहिए । इससे एक ओर जहाँ बेरोजगारी दूर होगी वहीं दूसरी ओर लोगों का आर्थिक स्तर भी ऊपर उठेगा ।

औद्योगीकरण :

अध्ययन क्षेत्र की सक्रिय जनसंख्या को प्राथमिक कार्यों से विमुख कराकर द्वितीयक एवं तृतीयक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । इसके लिए अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित लघु/कुटीर/परिवारिक उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए, साथ ही साथ इन उद्योगों के लिए बाजार एवं पूँजी का भी समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए । इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र के लोगों की प्रति व्यक्ति आय एवं जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा अध्ययन क्षेत्र का बहुमुखी विकास होगा ।

शैक्षणिक स्तर में विकास :

शैक्षणिक स्तर एवं संतानोत्पादन के बीच अत्यन्त ही घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । शिक्षित लोग जीवन स्तर को उच्च बनाये रखने के निमित्त परिवार नियोजन को अधिक महत्व देते हैं । जैसे - जैसे मनुष्य की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार होता है वैसे-वैसे संतोनात्पादन की दर में कमी होती है ।

अध्ययन क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में निम्न साक्षरता (27.62%) बाधक है । स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए बेरोजगारी एवं गरीबी निवारण हेतु रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए । स्त्रियों के लिए छात्रवृत्तियों एवं सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए । इस प्रकार पुरूष एवं स्त्री शिक्षा में व्याप्त विषमता को दूर किया जा सकता है । साक्षर स्त्रियाँ परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं ।

अध्ययन क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम मात्र कागजी होकर रह गया है, इस

कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु निरीक्षक की नियुक्ति हो, जिससे समय - समय पर विशेष निगरानी हो सके तथा गैर जिम्मेदार एवं अकर्मण्य अधिकारी दण्डित किये जा सकें ।

आश्रित जनसंख्या भार में कमी :

अध्ययन क्षेत्र में बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर तथा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके आश्रितों की जनसंख्या को कम किया जा सकता है । कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों, एवं कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास करके भी आश्रित जनसंख्या भार कम किया जा सकता है ।

जनसंख्या वृद्धि में कमी हेतु सुझाव :

1. लड़के और लड़कियों की न्यूनतम वैवाहिक उम्र में वृद्धि की जानी चाहिए जो कि क्रमशः 25 व 21 वर्ष होनी चाहिए यदि इससे कम उम्र में विवाह हो तो माता-पिता को दण्डित किया जाय ।

2. " मातृ - शिशु कल्याण कार्यक्रम " को प्राथमिकता देना चाहिए तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उप केन्द्रों को मजबूत एवं प्रभावशाली बनाया जाय ।

3. राष्ट्रीय कार्यक्रम को केवल स्वास्थ्य विभाग का ही दायित्व न समझकर उसे जन-आन्दोलनों के रूप में लाने के लिए सभी विभागों से सम्बद्ध कर देना चाहिए ।

4. जो व्यक्ति स्वेच्छा से अपना परिवार छोटा रखना चाहते हों उन्हें विशेष सुविधा प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाय ।

5. ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा एवं परिवार नियोजन का अधिक प्रचार - प्रसार किया जाय । जिन गाँवों में साक्षरता एवं परिवार नियोजन में लक्ष्य के अनुरूप सफलता मिले वहाँ अधिक निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाय ।

मूलतः भूमि संसाधन पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले गाजीपुर जनपद के लिए

खाद्यान्न उत्पादन की वर्तमान स्थिति एवं भावी आवश्यकता की दृष्टि से कृषि-भूमि के अनुकूलतम उपयोग एवं कृष्येतर उद्योगों का विकास करके ही सीमित भूमि - संसाधन एवं तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच सामंजस्य बनाया जा सकता है । गाजीपुर जनपद में सिंचाई सुविधा, बीज एवं उर्वरक वितरण केन्द्र, वित्तीय संस्था, पशु चिकित्सा सुविधा, शैक्षणिक संस्था और चिकित्सा सुविधा की वर्तमान स्थिति और उसके भावी नियोजित विकास को (मानचित्र सं0 7.1) में दर्शाया गया है ।

अध्ययन क्षेत्र में कृषि के समुचित विकास के लिए सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के विस्तृत शस्य संयोजन का सुझाव दिया गया है ।

1. बेसो, मंगई, भैंसही तथा टोन्स नदियों के प्रवाह क्षेत्र में पड़ने वाले प्रथम उप सम्भाग में ऊसर भूमि के सुधार कार्यक्रम को त्वारित करने सिंचन व्यवस्था को नियमित करने के बाद धान, गेहूँ, तिलहन, मक्का, एवं दलहन फसलों की गहन कृषि की पर्याप्त सम्भावनायें है । अतः इस क्षेत्र में गहन कृषि किये जाने की योजना प्रस्तावित है ।

2. अध्ययन क्षेत्र में मध्य में दूसरा उप सम्भाग गंगा -बेसू तथा मँगई नदी की लायी गयी मिट्टी से बना है। इस सम्भाग में अध्ययन क्षेत्र के 4 प्रमुख नगर केन्द्र एवं गंगा - खादर क्षेत्र के वृहदागार के ग्राम पड़ते हैं । शाक सब्जी के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र बहुत विकसित है । शाक सब्जी की बड़ी मण्डियां जंगीपुर एवं मुहम्मदाबाद में पाई जाती हैं, जो विकसित एवं सुव्यवस्थित यातायात एवं परिवहन से युक्त हैं ।

अतः इस क्षेत्र में नगर केन्द्रों, मण्डियों एवं भण्डारण हेतु निर्मित शीत गोदामों के समीपवर्ती अधिवासों में शाक-सब्जी के उत्पादन की प्राथमिकता का सुझाव है । इसी क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित नन्दगंज चीनी मिल को समुचित गन्ना आपूर्ति हेतु

DISTRICT GHAZIPUR
AGRICULTURAL INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT
A PLAN OF IRRIGATION FACILITY
B SEEDS & FERTILIZER DISTRIBUTION CENTRE
N
XISTING PROPOSED
PUMP CANAL
ST STATE TUBEWELL
EXISTING PROPOSED
SEED
FERTILIZER
C FINANCIAL INSTITUTIONS
D VETERINARY SERVICES
XISTING PROPOSED
CO OPERATIVE SOCIETY
GRAMIN BANK
EXISTING PROPOSED
VETERINARY HOSPITAL
VETERINARY DISPENSARY
E EDUCATIONAL INSTITUTIONS
F MEDICAL FACILITY
EXISTING PROPOSED
HIGH SCHOOL BOYS
GIRLS
INTERMEDIATE COLLEGE
BOYS
GIRLS
DEGREE COLLEGE
UNIVERSITY
TECHNICAL INSTITUTE
LIBRARY
EXISTING PROPOSED
PRIMARY HEALTH CENTRE
SUB CENTRE
DISPENSARY
HOSPITAL
10 5 0 10
Km
FIG. 7.1

विस्तृत पैमाने पर गन्ने की गहन कृषि प्रस्तावित है । साथ ही गन्ने की फसल सुधार हेतु शोधित बीज, सतत् सिंचाई उर्वरक की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए । गंगा खादर प्रदेश में जायद फसलों के लिए सिंचन साधनों का विकास करके शाक-सब्जी मक्का एवं फलों का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है ।

3. गंगा एवं कर्मनाशा नदी की लायी हुई करइल बांड मिट्टी से युक्त अध्ययन क्षेत्र का तृतीय उपसम्भाग जमानियाँ तहसील में विस्तृत है । यहाँ सिंचाई के समुचित अभाव में वर्षा पर आधारित कृषि की जाती है । इस क्षेत्र में सिंचाई हेतु सरकारी एवं निजी नलकूपों की व्यवस्था के माध्यम से करइल प्रधान मिट्टी क्षेत्र में गेहूँ, धान, दलहन, गन्ना एवं तिलहन तथा ऊपरवार क्षेत्र में शाक, सब्जी,, मक्का एवं फलों के लिए गहन कृषि की पर्याप्त सम्भानायें है । अतः इस क्षेत्र में भी गहन कृषि किये जाने की योजना प्रस्तावित है ।

4. अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण परिवेश में अमरूद, आम, केला, पपीता, बेल, आँवला इत्यदि फलों एवं शाक सब्जी के लिए बागवानी कृषि की योजना प्रस्तावित है । (मानचित्र सं0 7.2)

DISTRICT GHAZIPUR
SPATIAL ORGANISATION MODEL
N
GANGA
INTENSIVE GRAIN FARMING WITH
SUGARCANE
PULSES
VEGETABLES
OIL SEEDS
HORTICULTURE
DAIRY FARMING
0
5
10
KM
DISTRICT HEADQUARTER
TAHSIL HEAD QUARTER
GROWTH CENTRE
PRIMARY SURVICE CENTRE
FIG. 7·2

औद्योगिक नियोजन

विकास खण्ड गाजीपुर

गाजीपुर जनपद प्रदेश का ही नहीं अपितु देश का भी सबसे पिछड़ा हुआ जनपद है । यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है । उद्योग, लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग नहीं के बराबर विकसित हैं । गाजीपुर विकास खण्ड का लघु एवं कुटीर उद्योग नहीं के बराबर विकसित हैं । गाजीपुर विकास खण्ड का लघु एवं कुटीर उद्योग सर्वेक्षण कार्य विकास निगम एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर के तत्वाधान में प्रो0 वी0एन0 सिंह एवं डा0 रमाशंकर लाल ने किया है । जिनके आधार पर क्षेत्र के लिए कृषि पर आधारित तथा अन्य कुटीर एवं लघु उद्योगों की संस्तुति की गई है -

1. कृषि पर आधारित उद्योग :

पुआल से कार्ड बोर्ड, संरक्षण उद्योग दाल प्रशाधन उद्योग, तेलघानी, गुड़ निर्माण, मृत पशुओं से सम्बन्धित उद्योग, इत्र, गुलाब जल तथा केवड़ा जल को पुनर्जीवित किया जा सकता है ।

2. वृक्षों तथा बांसों पर आधारित उद्योग :

बाँस से टोकरी, उद्योग तथा अन्य उद्योग लगाये जा सकते हैं ।

3. खनिज सम्पदा पर आधारित उद्योग :

कंकड़ से चूना निर्माण उद्योग सीमेन्ट कागमला सीमेंट की जाली तथा पाइप उद्योग रेह से सज्जा बनाई जा सकती है ।

4. रसायन पर आधारित उद्योग :

स्याही उद्योग. रंग रोशन, वार्निश, दवा-उद्योग, कीटनाशक, रासायनिक खाद, सिरेमिक्स, प्लक उद्योग, सौन्दर्य प्रशाधन, टूथपेस्ट, डिटर्जेण्ट, मोमबत्ती,प्लास्टर आफ पेरिस से मूर्ति उद्योग, ब्लीचिंग पाउडर उद्योग इत्यादि लगाये जा सकते हैं ।

5. इंजीनियरिंग पर आधारित उद्योग :

ट्रैक्टर पार्ट, कृषि उपकरण, साइकिल पार्ट, मछली पकड़ने की नाव, स्टोपपिन, छाता निर्माण, बिजली का सामान, ताले, कैंची, बैलगाड़ी निर्माण आदि की अच्छी सम्भावनाएँ है ।

6. गैर परम्परा ऊर्जा पर आधारित उद्योग :

बायोगैस, सोर ऊर्जा, पवन चक्की, इत्यादि से सम्बन्धित उद्योग भी स्थापित किया जा सकता है ।

7. खादी एवं हैण्डलूम उद्योग :

खादी उद्योग, रेशमी एवं ऊनी वस्त्र, हाथ कागज, होजरी, जरी का काम, कढ़ाई का काम बैण्डेज बनाने के उद्योग लगाये जा सकते हैं ।

8. सेवा उद्योग :

यहाँ घरेलू हस्तकाल एवं सेवा उद्योग की विशाल संभावनायें है । यातायात, बैंकिंग विद्युत सुविधायें उपलब्ध है अतः टायर मरम्मत, नाई का काम, राजगिरी लाण्ड्री, होटल बोरिंग आदि का उद्योग लगाया जा सकता है ।

विकास खण्ड - करण्डा (गाजीपुर)

विकास खण्ड करण्डा गाजीपुर मुख्यालय से 19 कि0मी0 की दूरी पर पश्चिमी कोने पर स्थित है । इस विकास खण्ड के पश्चिम दक्षिण और पूर्व की दिशा की तरफ से गंगा नदी बहती है । इस विकास खण्ड के पश्चिम में वाराणसी जनपद दक्षिण में जमानियाँ ब्लाक, पूर्व इसकी सीमा गाजीपुर सदर ब्लाक से मिलती है तथा उत्तर में इसकी सीमा देवकली ब्लाक से सटी हुई है । विकास खण्ड का कुल क्षेत्रफल 153.8 वर्ग किमी0 है । इसकी कुल जनसंख्या 83,520 है । जिसमें 41911 पुरूष तथा 41669 स्त्रियाँ है । जनसंख्या घनत्व 536 तथा वृद्धि 22.5 की दर है । इस ब्लाक में मात्र 28.26

प्रतिशत लोग ही साक्षर हैं । 11,478 कृषक और 4460 कृषक मजदूर निवास करते हैं । यहाँ पर 28086 गौवंशीय, 11064 भैंसे 3464 भेंड़ें, 51117 बकरियाँ, 4731 मुर्गियाँ हैं । यहाँ पशुधन की दशा सुधारने के लिए कृत्रिम पशु केन्द्र खोलने की आवश्यकता है । यहाँ पर दूध से उत्पादित बने विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है । यहाँ से खोवा, दूध अन्य जनपदों को भेजा जाता है । इस क्षेत्र में कटहल के बाग अधिक हैं । कटहल से आचार बनाकर डिब्बा बन्द करके बाहर भेजा जा सकता है जिससे यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ सकती है ।

इस ब्लाक में निम्न उद्योग लगाये जा सकते हैं :-

1. दुग्ध
2. मत्स्य उद्योग
3. हथकरघा उद्योग
4. सीमेण्ट की जाली का उद्योग
5. कटहल का आचार उद्योग
6. अगरबत्ती उद्योग
7. रेशम उद्योग

इन सब उद्योगों के लिए व्यवसायिक शिक्षा का ज्ञान होना अति आवश्यक है ।

विकास खण्ड - देवकली (गाजीपुर) -

विकास खण्ड देवकली अंतर्गत लघु कुटीर उद्योगों को ग्राम्य स्तर पर स्थापित व विकसित करने से बेरोजगारी की समस्या का सभी निदान निकल सकता है । ग्रामोद्योगों को विकसित करने में तत्सम्बन्धी जानकारी व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से उपलब्ध हो सकती है । यहाँ साबुन, माचिस, मोमबत्ती, प्लास्टिक खिलौने, कालीन, रेशम, सूती होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक दवायें, इलेक्ट्रानिक सामान, काष्ठकला, धातु कला फल संरक्षण जैसे टमाटर व मिर्च आदि ग्रामोद्योगों को स्वीकार करना चाहिए ।

विकास खण्ड - विरनों ¦गाजीपुर¦ -

जनपदीय मुख्यालय से लगभग 18 किमी0 दूर अवस्थित विकास खण्ड विरनों का कुल क्षेत्रफल 152.00 वर्ग कि0मी0 है । जिसमें 10 न्याय पंचायतें 58 ग्राम सभायें एवं सवा चार लाख आबादी के साथ कुल 144 ग्रामों में 126 आबाद ग्राम हैं । बेसो, मंगई एवं भैंसही नदियों के बीच पट्टी होने तथा यथोचित आवागमन के साधनों के दूर होने के कारण खण्ड औद्योगिक दृष्टिकोंण से पूर्ण रूपेण उपेक्षित एवं शून्य है । भूमि कटाव के कारण क्षेत्र में तलों एवं ऊसरपन की अधिकता है । अतः मानव श्रम आधारित निम्नांकित लघु एवं कुटीर उद्योग ही क्षेत्र में संभव है जिनका विपणन केन्द्र जंगीपुर, गाजीपुर के अतिरिक्त संबंध नवसृजित जनपद मऊनाथ भंजन से हो सकता है ।

1. आलू के चिप्स एवं आटे का उद्योग ।
2. तालों में मत्स्य पालन ।
3. रेशम एवं टसर का काम
4. हैण्डलूम एवं पावरलूम का काम
5. ऊसर भूमि का सुधार कर फसलों का उत्पादन ।

विकास खण्ड - मरदह ¦गाजीपुर¦ -

विकास खण्ड मरदह राष्ट्रीय मार्ग सं0 29 पर जिला मुख्यालय से उत्तर 22 कि0मी0 दूर स्थित है । इसकी उत्तरी सीमा भैंसही नदी है । इसे मऊ जनपद से अलग करती है । इसकी दक्षिण सीमा मंगई नदी है । जो इसे विरनों तथा गाजीपुर विकास खण्ड से अलग करती है । इसकी पश्चिमी सीमा विरनो विकास खण्ड तथा पूर्व सीमा कासिमाबाद विकास खण्ड है । विकास खण्ड का कुल क्षेत्रफल 18.5 वर्ग मी0 है । जनसंख्या 97167 जनसंख्या घनत्व 520 वर्ग कि0मी0, अनुसूचित जाति 27 प्रतिशत, साक्षरता प्रतिशत पुरूष 38.36, स्त्री 9.10 प्रतिशत तथा कुल साक्षरता 23.74 प्रतिशत यहाँ पर 13542 परिवारों में निवास करती है । इस जनसंख्या में कृषक 77398 तथा कृषक मजदूर 3618 है । कुल धान्य उत्पादन प्रति व्यक्ति 3.2 कुन्तल वार्षिक है ।

पशुधन में गोवंशी - पशु 33015, भैंस महोसवंशी 12463, सूअर 593829 बकरी 10168 भैंड़ 2015 तथा कुक्कुट 7625 हैं । मत्स्य पालन की स्थिति यह है कि वर्ष 1986-87 में कुल 13900 अंगुलीकाई पूरे विकास खण्ड में बांटी गई ।

संस्तुत लघु एवं कुटीर उद्योग में कृषि से संबंधित उद्योग हैं । राइस मिल, चूड़ा मिल, मत्स्य पालन एवं जनन केन्द्र, पशुपालन एवं डेयरिंग उद्योग, पोल्ट्री उद्योग एवं मौन पालन ।

वन पर आधारित : रेशम उद्योग एवं ब्रुश उद्योग एवं आरा मशीन उद्योग ।

खनिज पर आधारित : सुर्खी कंकड़ से ईंट भट्ठा उद्योग ।

रसायन पर आधरित : साबुन, मोमबत्ती तथा माचिस उद्योग ।

खादी एवं हैण्डलूम पर आधारित : कालीन, कम्बल एवं सूती वस्त्र उद्योग ।

सेवा पर आधारित : सैलून, जूता निर्माण उद्योग ।

इंजीनियरिंग पर आधारित : थ्रेशर ग्रील उद्योग प्रमुख उद्योग हैं जिन्हें अपना कर ग्रामीण जनता का भरण पोषण हो सकता है । ग्रामोद्योग में आवश्यकता इस बात की है कि इन उद्योगों को लगाने के लिए स्कूल तथा कालेजों में व्यावसायिक शिक्षा दी जाय तथा शिक्षा लेने के उपरान्त बेरोजगार नवयुवकों को पूँजी तथा दिशा निर्देश प्रदान किये जायें ।

विकास खण्ड - मुहम्मदाबाद [गाजीपुर] -

1. रेशम पैदा करना और उससे कपड़े बनाये जाने का उद्योग नोट - जमीन बहुत उपजाऊ है । अतः रेशम के कीड़े पैदा करने तथा उनका विकास करने की बहुत अच्छी सुविधायें हैं । ऐसे बाग लगाये जा सकते हैं जिन पर कीड़े पनप सकते हैं ।
2. फल से उत्पाद उद्योग लगाये जा सकते हैं । क्योंकि इस क्षेत्र में टमाटर, अमरूद, श्रीफल, आँवला आदि के बाग बहुत हैं ।
3. हथकरघा के उद्योग बैठाये जा सकते हैं ।
4. डेयरी और पोल्ट्री के उद्योग भी लगाये जा सकते हैं ।
5. फर्नीचर तथा मकान में उपयोगी काष्ठ पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । अतः लकड़ी से बनाने वाले उद्योग लगाये जा सकते हैं ।

6. यहाँ पर बांस बहुत है अतः टोकरी, चीक कैर्टन आदि का भी लघु उद्योग बैठाया जा सकता है ।

7. इस क्षेत्र में आलू सर्वाधिक पैदा हो रहा है । अतः आलू से स्टार्च अलग करने का भी उद्योग बैठाया जा सकता है । स्टार्च का कपड़ा मिलों में बहुत उपयोग होता है ।

विकास खण्ड - भदौरा (गाजीपुर) -

जिले के दक्षिण पूरब भाग में स्थित यह विकास खण्ड पूरब में बिहार, उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में वाराणसी जिले की सीमाओं से लगा है । चावल उत्पादन अधिक है ।

उद्योग की संभावनायें :

सर्वेक्षण के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि इस विकास खण्ड में चावल मिल, भुजिया चावल उद्योग, चावल की भूसी से तेल उत्पादन, सीमेण्ट, गमला उद्योग, गुड़ खांडसारी उद्योग, चर्म उद्योग, लौह वस्तु उत्पादन उद्योग की संभावनायें अधिक हैं ।

विकास खण्ड - बाराचवर (गाजीपुर) -

कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग :

1. छोटी धान मिल
2. दूध से मक्खन निकालने के लिए क्रीम से परेतर लगाने के उद्योग ।
3. रेशम टशर के उत्पादन हेतु अर्जुन शहतूत आदि का वृक्षारोपण ।
4. टमाटर के प्रोसेसिंग से संबंधित उद्योग ।
5. पशु एवं पोल्ट्री पिन्ड प्रोसेसिंग संयंत्र से संबंधित उद्योग ।
6. दूध से खोया, क्रीम से घी बनाने का उद्योग

7. मुर्गी पालन को बढ़ाने के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही व प्रचार ।

वन आश्रित लघु एवं कुटीर उद्योग -

1. बांस की खांची टोकरी, पंखे बनाने के उद्योग ।

2. लकड़ी के फर्नीचर, दरवाजा व खिड़की, चौखट आदि की इकाईयों स्थापित की जा सकती हैं ।

3. आरा मशीन का उद्योग ।

खनिज संपदा पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग -

1. सुर्खी का उत्पादन संभव है ।

2. कुम्हारी के उद्योग भली प्रकार विकसित हो सकते हैं ।

3. सीमेंट जाली से संबंधित उद्योग चलाये जा सकते हैं ।

इंजीनियरिंग से संबंधित उद्योग -

1. गेट ग्रील का निर्माण संभव है ।

2. कृषि यंत्रों उपकरणों एवं ट्रैक्टर आटो मोबाइल्स मरम्मत से संबंधित उद्योग ।

3. प्रेशर पम्पिंग सेट इंजन की मरम्मत हेतु कार्यशालायें ।

4. बाल्टी, स्टील बाक्स अन्य भण्डारण तथा आसानी से बनाये जा सकते हैं ।

सेवा उद्योगों के विकास की संभावनायें -

1. साफ सुथरे रेस्टोरेन्ट व स्वल्पाहार की दुकानों का विकास संभव है ।

2. कस्बो में टायर ट्यूब मरम्मत के सेवा उद्योग लग सकते हैं ।

3. राजगिरी को सेवा कार्य में सुधार व प्रचार की संभावनायें हैं ।

विशेष विवरण -

1. बाराचवर औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र में काफी पिछ़डा है । जिसके काफी बड़े भू-भाग पर ऊसर है । जिसकी सुधार की विशेष आवश्यकता है ।

2. विद्युत वितरण व पक्की सड़कों की कमी है । इस क्षेत्र में आवश्यक विकासकर लघु एवं कुटीर उद्योग तथा कृषि आधारित उद्योगों का विकास संभव है ।

विकास खण्ड - जमानियाँ (गाजीपुर)

विकास खण्ड जमानियाँ जनपद मुख्यालय से 30 कि0मी दूर 27255 हेक्टयेर क्षेत्रफल में है । यहाँ धान की पैदावार अधिक है । विकास खण्ड में एक चावल मिल है । धान की भूसी का उपयोग सूअर पालने के व्यवसाय में लगे हैं उन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है । धान की भूसी से सीमेण्ट बनाने का तरीका विकसित हो चुका है । अतः इस क्षेत्र में धान की भूसी से सीमेण्ट बनाने का कारखाना स्थापित किया जा सकता है । गंगा के किनारे बहुत से परिवार लोग मछलियाँ मारने एवं बचेने का व्यवसाय करते हैं । उन्हें बढ़ावा देने की आवश्यकता है । जमानियाँ कस्बे में केवल एक कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र है । ऐसे ही प्रशिक्षंण केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र में खोलने की आवश्यकता है ताकि बेरोजगार लोग इन केन्द्रों से प्रशिक्षण लेकर कालीन बुनाई के उद्योग में लग सकें । विकास खण्ड में लगभग 1446 हेक्टेयर जमीन कृषि योग्य नहीं है । ऐसी जमीन पर अर्जुन एवं शहतूत के पौधे लगाये जाने चाहिए ताकि इन पर रेशम के कीड़ों को पाला जा सके और रेशम उद्योग को बढ़ावा मिल सके ।

विकास खण्ड - कासिमाबाद (गाजीपुर) -

लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास की संभावनायें है :-

1. हथकरघा उद्योग (बहादुरगंज कताई मिल है)
2. रेशम पालन उद्योग
3. फल संरक्षण उद्योग
4. चावल उद्योग ।
5. मत्स्य पालन उद्योग
6. बकरी पालन उद्योग
7. कुक्कुट पालन उद्योग

8. कालीन उद्योग
9. कृषि यंत्र निर्माण उद्योग ।
10. डेयरी उद्योग
11. खादी उद्योग
12. यंत्र रिपेयरिंग उद्योग ।
13. नर्सरी उद्योग
14. आटा चक्की उद्योग ।
15. तेल उद्योग

विकास खण्ड - सादात [गाजीपुर] -

इस विकास खण्ड में कोई प्राकृतिक संपदा नहीं है । धान, गेहूँ, जौ एवं मक्का यहाँ की मुख्य फसलें हैं । इस विकास खण्ड में इन्ही फसलों से संबंधित कोई उद्योग स्थापित किया जा सकता है । जैसे धान की भूसी से तेल निकालने के लिए मिल चलाया जा सकता है । गेहूँ से मैदा एवं दलिया मिल चलाया जा सकता है । मक्के से कार्नफ्लेक्स उद्योग भी लगाया जा सकता है । रेत से साबुन उद्योग चलाया जा सकता है । रेशम पालन हेतु अर्जुन एवं शहतूत के पौधों के रोपण की संभावनायें हैं ।

विकास खण्ड - जखनियाँ [गाजीपुर]

उद्योगों की स्थिति :

जिले के पश्चिम उत्तर भाग में स्थित यह विकास खण्ड उत्तर पश्चिम में आजमगढ़ जनपद पूरब में मनिहारी, विरनों एवं मरदह दक्षिण में सादात विकास खण्डों से लगा हुआ है । उद्योगों की स्थिति शून्य है । हथकरघा एवं बनारसी साड़ी का निर्माण होता है । आलू टमाटर एवं मटर का उत्पादन अधिक है । शीतगृह की सुविधा उपलबध है । दिनांक 21.5.90 से विकास खण्ड बड़ी लाईन की रेल सेवा से प्रदेश के अन्य भागों से जुड़ गया है ।

उद्योग की संभावनायें:

सर्वेक्षण के आधार पर निम्न उद्योगों की संभावनायें बनती हैं । कृषि पर आधारित उद्योग जैसे फल संरक्षण आलू के पापड़ एवं चिप्स, खोई एवं पुआल से कागज लुग्दी एवं मुर्गी के चारे बनाने वाले उद्योग लगाये जा सकते हैं ।

खाली एवं बेकार पड़ी जमीन में रेशम टशर पालन से रेशम टशर उत्पादक एवं हथकरघा तथा रेशमी साड़ी उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है । स्थानीय उपयोग की लौह वस्तुएँ बनाने का उद्योग सफलता पूर्वक चल सकता है । व्यवसायिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम विद्यालयों या स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा सकते हैं ।

विकास खण्ड - मनिहारी [गाजीपुर]

मनिहारी विकास खण्ड 2.11.1956 को स्थापित किया गया । यह जिले का सबसे पिछड़ा विकास खण्ड है । यहाँ की जोत अलाभकर तथा किसान गरीब हैं । खेतिहर मजदूरों की दशा सोचनीय है । गाँवों में दस्तकारों की संख्या कम है । बढ़ई, लुहार, कुम्हार जुलाहे एवं चर्मकार अपना जातिगत पेशा करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके सामने अनेक समस्यायें है । इस विकास खण्ड में सर्वेक्षण के समय यह देखा गया है कि गांव सड़क, बिजली, पानी, औषधालय, डाकघर एवं स्कूल की सुविधायें कम हैं । व्यवसायिक शिक्षा शून्य है । कुटीर एवं लघु उद्योग की स्थापना के साथ - साथ उपरोक्त सुविधाओं को जुटाना सबसे बड़ी उपलब्धि होगी । विकास खण्ड मनिहारी हेतु निम्नलिखित लघु एवं कुटीर तथा अन्य उद्योग संस्तुत हैं -

क. कृषि तथा पशुपालन पर आधारित :

दाल मिल, चावलमिल, आलू से आटा बनाने की मिल, फलसंरक्षण, खाड़सारी मत्स्य पालन,कुक्कुट पालन, डेयरी उद्योग, पशु आहार नमकीन व दालमोट उद्योग लगाये जा सकते हैं ।

ख. वन आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग :

जड़ी - बूटी उद्योग, आरा मशीन फसल उद्योग, बाँस काँस तथा अरहर के डण्टल से टोकरी निर्माण उद्योग, रेशम तथा टशर उद्योग, पैंकिंग हेतु पेटी उद्योग, मूँज तथा सन से रस्से व डोरी बनाने का उद्योग सफलता पूर्वक लगाये जा सकते हैं ।

ग. खनिज सम्पदा पर आधारित उद्योग :

कंकड़ से चूना उद्योग, ऊसर से सब्जी उद्योग, ईंट भट्ठा उद्योग, चिकनी मिट्टी से खिलौने बनाने का उद्योग सीमेंट, जाली, पाइप तथा गमला निर्माण का काम खूब फल-फूल सकता है ।

घ. रसायन पर आधारित :

पालीथीन तथा प्लास्टिक उद्योग, जिंग सल्फेट बनाने का उद्योग, गन्ना से सिरका तथा अम्ल बनाने का उद्योग इत्यादि लगाये जा सकते हैं ।

ङ. इंजीनियरिंग पर आधारित :

कृषि यंत्र मरम्मत उद्योग कृषि यंत्र निर्माण उद्योग स्टोपपिन तथा बाक्स निर्माण कार्य चाक कटर के ब्लेड तथा थ्रेशर निर्माण का काम किया जा सकता है ।

च. गैर परम्परा पर आधारित :

गोबर गैस प्लाण्ट, सोलर कुकर धुआँरहित चूल्हा का काम किया जा सकता है।

छ. खादी एवं हैण्डलूम :

कालीन एवं कारपेट निर्माण हथकरघा उद्योग होजरी उद्योग, कम्बल उद्योग, पुआल तथा गन्ने की खोई से कागज निर्माण उद्योग लगाये जा सकते हैं । चमड़ा प्रशोधन तथा उस पर आधारित उद्योग भी लगाये जा सकते हैं ।

ज. सेवा उद्योग :

नाई, रिक्शा चालन, ठेला इक्का तथा बैलगाड़ी चालन, टायर ट्यूब मरम्मत का

काम भी किया जा सकता है ।

विकास खण्ड - सैदपुर (गाजीपुर) -

सैदपुर विकास खण्ड गाजीपुर जनपद में स्थित वाराणसी से सन्निकर होने के कारण यहाँ पर ग्रामोद्योग, लघ उद्योग व बेरोजगार शिक्षित लोगों के लिए जीविकोपार्जन की अन्य संभावनायें है -

1. सेवा उद्योगों की संभावनायें :

हस्तकरघा, मोमबत्ती, दियासलाई, रोशनाई, सीमेंट का गमला, कृषि के छोटे यंत्रों चटाई, कुर्सी, चारपाई, स्वेटर बुनाई, सूप डोलची एवं टोकरी बनाने का उद्योग ।

2. इंजीनियरिंग लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की संभावनायें :

चमड़ा उद्योग, साबुन बनाने का उद्योग, कृषि यंत्रों एवं घरेलू सामानों को तेजधार बनाने का उद्योग, लोहे का ताला बाक्स, बखारी बनाने का उद्योग, बिजली द्वारा चालित कूलर बनाने का उद्योग, खस की टटी बनाने का उद्योग, साड़ी की कढ़ाई बुनाई/मशीन द्वारा बना स्वेटर बनाने का उद्योग, बेंत की कुर्सी, प्लास्टिक की कुर्सी, मोमबत्ती, अगरबत्ती बनाने का उद्योग ।

3. खादी एवं हैण्डलूम उद्योगों के विकास की संभावनायें :

रेशम उद्योग एवं करघा उद्योग की संभावनायें ।

4. कृषि पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों की संभावनायें :

आलू पर आधारित उद्योग, फल संरक्षण पर आधारित उद्योग, मटर की केनिंग, दूध, घी, मक्खन, खोवा, मुर्गीपालन, सूअर पालन, मत्स्य पालन, हरा एवं सूखा चारा साइलोब उद्योग, सन जूट से रस्सी उद्योग, दाल वाली फसलों से दाल तैयार करने का उद्योग ।

5. कृषि बेरोजगार शिक्षितों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना -

1. एग्रीकल्चरल पौधों को नर्सरी से उगाकर सप्लाई करना ।
2. ठेकेदारी प्रथा पर खेतों की जुताई, मिट्टी ठीक करना, दवाई, रोग खरपतवार

स्प्रेइंग द्वारा दवा का छिड़काव बीज उपलब्ध कराना, स्टोरेज कराना आदि आदि । यहाँ तक किचन गार्डेनिंग में नये जातियों के पौधे लगवाना, हेयर कटवाना, बेल लगवाना ।

विकास खण्ड - रेवतीपुर [गाजीपुर] -

सर्वेक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रेवतीपुर खण्ड विकास क्षेत्र के विकास एवं यहाँ के लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने हेतु निम्न उद्योग स्थापित व विकसित किया जा सकता है कि रेवतीपुर खण्ड विकास क्षेत्र के विकास एवं यहीं के लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने हेतु निम्न उद्योग स्थापित व विकसित किये जा सकते हैं :-

1. कुक्कुट व मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, फल और सब्जी, प्रोसेसिंग उद्योग, पशु व पोल्ट्री आहार निर्माण उद्योग एवं रेशम उत्पादन उद्योग ।

2. लकड़ी के फर्नीचर व अन्य सामानों के निर्माण उद्योग, बाँस की टोकरी कुर्सी, मेज, सजावट के सामान बनाने के उद्योग, बैलगाड़ी व इक्का निर्माण उद्योग । विकास क्षेत्र में 418 हेक्टेयर क्षेत्रफल उद्यानों व वृक्षों के अंतर्गत है तथा 136 हेक्टेयर कृषि योग्य बंजर भूमि है जिस पर उपयोगी वृक्ष लगाकर इन उद्योगों के लिए पर्याप्त लकड़ी प्राप्त की जा सकती है ।

3. ईट भट्ठा उद्योग एवं सीमेंट की जाली, नाप, गमला आदि निर्माण उद्योग ।

4. पी0वी0सी0 फुटविचार कन्डयूट पाइप निर्माण उद्योग, प्लास्टिक के खिलौने, डोलची, कुर्सी बेंत आदि निर्माण उद्योग, अगरबत्ती, दियासलाई, साबुन व मोटर बैटरी निर्माण उद्योग ।

5. स्टील फर्नीचर, ग्रिल, बखारी कन्टेनर, पैकिंग डिब्बा, कृषियंत्र निर्माण, उद्योग एवं जनरल इंजीनियरिंग वर्कशाप की स्थापना एवं विकास ।

6. गुड़ व खाँड़सारी, तेलघानी चर्मकला व हथकरघा उद्योग, कालीन व सूती ऊनी

दरी निर्माण मोमबत्ती निर्माण उद्योग कुम्हार कला उद्योग ।

7. लाण्ड्री, सैलून, रेस्ट्रोरेंट चालन, टायर-ट्यूब मरम्मत व सर्विसिंग । टी0वी0 एवं श्रव्य साधनों की मरम्मत तथा सर्विसिंग ।

उपर्युक्त उद्योगों के सफल संचालन हेतु निश्चित व निरंतर विद्युत आपूर्ति बनाये रखने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाना अनिवार्य है ।

विकास क्षेत्र में डोराडीह, बछौरा, तिलवां, गोपालपुर, रामपुर, विरऊपुर, हसनपुर आदि लगभग 20 गाँवों को सम्पर्क मार्ग नहीं है । जिसका निर्माण प्राथमिक आवश्यकता है । पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोगों को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी नहीं है । इस समस्या को दूर करने हेतु सिंगिल विण्डो स्कीम चलाई जाय ।

विकास खण्ड - भाँवरकोल (गाजीपुर) -

विकास खण्ड भांवरकोल गाजीपुर जनपद के पूर्वान्चल में गाजीपुर बलिया मार्ग पर मुख्यालय पर 33 कि0मी0 दूरी पर स्थित है । यह विकास खण्ड मुहम्मदाबाद तहसील में है । विकास खण्ड के पूरब में बलिया जनपद पश्चिम में मुहम्मदाबाद दक्षिण में गंगा नदी एवं उत्तर में विकास खण्ड बाराचवर है । दक्षिण में गंगा नदी इसका सीमांकन करती है यहाँ से निकटतम युसूफपुर (मुहम्मदाबाद) रेलवे स्टेशन है, जिसकी दूरी लगभग 15 कि0मी0 है । यहाँ कृषि उत्पादन मण्डी समिति नहीं है । निकटतम मण्डी मुहम्मदाबाद में है जहाँ से कृषि व्यापारी कृषि उपज का विपणन करते हैं । इस विकास खण्ड का लगभग दो तिहाई भाग गंगा एवं मंगई नदी में बाढ़ आ जाने से प्रभावित हो जाता है । विकास खण्ड के अधिकांश भाग की मिट्टी करइल है । शेष भाग बलुई दोमट एवं दोमट मिट्टी है । करइल का अधिकांश भाग असिंचित है जिसमें विशेषकर दलहनी फसलों (मसूर) की खेती की जाती है ।

विकास खण्ड में यूनियन बैंक आफ इण्डिया की दो शाखायें इलाहाबाद बैंक की दो शाखायें, एवं सहकारी बैंक की एक शाखा कार्यरत है जो कृषि निवेश में वृद्धिकर विकास करते हैं । विकास खण्ड का कुल क्षेत्रफल 2509 हेक्टेयर है जिसमें 2080 हेक्टेयर कृषि योग्य है । विकास खण्ड की कुल आबादी 276 रेवेन्यू गाँव थे जिसमें 140 आबाद तथा 136 गैर आबाद है । कुल 11 न्याय पंचायतें हैं । सन् 1981 में जनगणना के अनुसार 15819 कृषक परिवार एवं 11264 अकृषक परिवार हैं । इस प्रकार कुल 27083 परिवार है । विकास खण्ड की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है ।

यातायात के साधन इस विकास खण्ड में बहुत ही नगण्य है । एक मुख्य सड़क कबीरपुर से लट्ठूडीह है । इस विकास खण्ड के अधिकतर क्षेत्र उसे सड़कों के बीच पड़ते हैं । एक सड़क पश्चिमी छोर पर है, दूसरी पूर्वी छोर पर जो जनपद बलिया की सीमा पर है ।

इस विकास खण्ड में कोई उल्लेखनीय प्राकृतिक संपदा नहीं है । व्यावसायिक फसलों में मसूर, आलू, लाही, सरसों आदि हैं ।यहाँ गेहूँ, धान बाजरा, गन्ना आदि की भी खेती की जाती है । बाढ़ से प्रभावित इस क्षेत्र में कोई विशेष उद्योग नहीं है । अधिकांश लोग जो परम्परागत व्यवसाय जैसे कुम्हारागिरी, लोहारगिरी, तेलघानी, हथकरघा उद्योग, बाँस तथा केन रूई धुनाई, पत्तल निर्माण आदि में लगे हुए हैं । धीरे - धीरे इन व्यवसायों से दूर हो रहे हैं मगर इन्हें आर्थिक मदद देकर इन व्यवसायों में टोका जा सकता है । माँग पर आधारित पम्पिंग सेट मरम्मत, खाद्य तेल, चर्मोद्योग, ईंट भट्टा उद्योग, लकड़ी उद्योग, आटा चक्की आदि उद्योग स्थापित किये जो सकते हैं । मत्स्य पालन, दालमिल, तेलघानी उद्योग, मधुमक्खी पालन, कम्बल उद्योग आदि की भी संभावनायें हैं । कुछ लोग परम्परा से भेंड़ पालन में लगे हुए हैं इन्हें आर्थिक सुविधायें प्रदान कर कम्बल उद्योग का विकास किया जा सकता है । इस क्षेत्र में अधिकांश खाली जमीन पड़ी हुई है । जिसमें अर्जुन एवं शहतूत का वृक्षारोपण कर रेशम टशर उद्योग का विकास कर अधिकांश परिवार को स्वरोजगार में लगाया जा सकता है । स्थानीय माँग के आधार पर वेल्डिंग वर्कशाप, थ्रेशर,

DISTRIBUTION OF INDUSTRIES
1990
N
EXISTING PROPOSED
INDEX
AGRICULTURAL IMPLEMENTS
GENERAL ENGINEERING
FOREST-BASED INDUSTRY
MINERAL AND METAL-BASED INDUSTRY
AGRO-BASED INDSTRIES
OIL CRUSHING
COLD STORAGE
FOOD PROCESSING
LEATHER AND SHOE MAKING
FRUIT PROCESSING
GUR AND KHANDSARI
SUGAR MILL CO LTD.
CHEMICAL INDUSTRIES
PHARMACEUTICAL
GOVERNMENT OPIUM AND ALKALOID FACTORY
SCIENTIFIC CHEMICAL
SOAP-INDUSTRY
PERFUMERY
CANDLE WORKS
P.P.K. DISTILLERY LTD.
PURVANCHAL SHAHKARI KATAI MILLS LTD
HANDLOOM INDUSTRY
OTHER SPECIALIZED INDUSTRIES
NEWAR INDUSTRY
PRINTING AND BINDING
BIRI AND TOBACCO
POTTERIES
CARPENTARY AND BLACKSMITHY
PROPOSED
DAIRY INDUSTRY
BONE MILL
CATTLE FEED PLANT
LATHE WORKS
FISHERIES
PIGGERIES
CHICKENFARMS
5 0 5 10
KM.

निर्माण उद्योग, बाक्स एवं बाखारी निर्माण तथा कृषि के छोटे यंत्रों के निर्माण की संभावनायें हैं । इनका विकास यहीं किया जा सकता है । तथा अधिकांश लोग इस माध्यम से स्वरोजगार में लग सकते हैं । यहाँ के अधिकांश लोग जो कृषि पर आश्रित हैं कृषि से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों का स्वतंत्र रूप से विकास कर शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारी का समाधान किया जा सकता है । (मानचित्र सं0 7.3) ।

यदि उपर्युक्त सभी आयोजनाओं को क्रियान्वित किया जाय तो निश्चय ही जनपद का संपूर्ण विकास होगा । जनपद में यातायात नियोजन को मानचित्र सं0 7.4 में दर्शाया गया है ।

TRANSPORT SYSTEM
(2001 A.D.)
NH 29
MARDAH
KASIMABAD
JAKHANIA
BIRNOO
BARACHAWAR
SADAT
MANIHARI
MUHAMMADABAD
BHANWARKOLE
GHAZIPUR
SAIDPUR
DEOKALI
REOTIPUR
KARANDA
ZAMANIA
BHADAURA
RAILWAY LINE BROAD GAUGE
RAILWAY LINE METRE. GAUGE
NH 29 NATIONAL HIGHWAY
DISTRICT METALLED ROAD
UNMETALLED ROAD
5 0 5 10
KM.

FIG. 7.4

चयनित ग्रामों का अध्ययन

भुड़कुड़ा

स्थिति एवं विस्तार:

ग्राम भुड़कुड़ा गाजीपुर जनपद के पश्चिमोत्तर भाग में सैदपुर तहसील अन्तर्गत जखनियाँ विकास खण्ड में ऐरा - गाजीपुर मार्ग पर 25^{0},45' उत्तरी अक्षांश एवं 83^{0},20' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है । जनपद मुख्यालय से इसकी दूरी 42 कि0मी0 तथा विकास खण्ड मुख्यालय से जखनियाँ रेलवे स्टेशन (वाराणसी - गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे) से 3 कि0मी0 दूर स्थित है । सम्पूर्ण गाँव का क्षेत्रफल 372.32 हे0 है । इसके उत्तर में हसनपुर, फुलपुर नौ आबाद, परवनपुर दक्षिण में जांही, कुन्डीला उर्फ कुरिला पूर्व में करीमुल्लाहपुर तथा पशिचम में बीरभानपुर, डहरा, परसपुर, सिसवार गाँव स्थित है (मानचित्र सं 7.4 ए.)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

भुड़कुड़ा एक अध्यात्मिक,धार्मिक एवं शैक्षणिक केन्द्र के रूप में विख्यात है । यहाँ की संत परम्परा बाबदी साहिबा एवं कबीर से प्रभावित निर्गुण उपासकों से संबंधित है । यहाँ के संतो पर सिक्ख गुरूओं की परम्परा का भी प्रभाव रहा है । भुडुकुड़ा गाँव बनारस स्टेट के अंतर्गत था । उस समय महाराजा बलवन्त सिंह का शासन काल था । तिरछी निवासी ठाकुर गुलाल सिंह भुड़कुड़ा के जमींदार थे । किंवदन्तियों के अनुसार ठाकुर गुलाल सिंह एक मुकदमें के संबंध में अपने नौकर बुलाकी राम के साथ दिल्ली गये हुए थे । मालगुजारी न अदा करने के कारण वहीं पर बन्दी बना लिये गये । नौकर बुलाकी राम अकेला पड़ गया । भटकते - भटकते वह किसी तरह भुड़कुड़ा पहुँचा । दिल्ली में ही वह यादी साहिबा के चमत्कार से प्रभावित हुआ । ईश्वर की प्राप्ति हेतु बुलाकी भुड़कुड़ा - चौजा के सघन वन में ध्यानमग्न हो गया । कुछ दिनों बाद ठाकुर गुलाल सिंह दिल्ली दरबार से मुक्त कर दिये गये और वे किसी तरह भुड़कुड़ा पहुँचे । भुड़कुड़ा पहुँचने पर बुलाकी राम के संबंध में गाँव वालों एवं चरवाहों ने जानकारी दी कि वह जंगल में बैठकर दिन-राज पूजा करता रहता है । एक दिन ठाकुर गुलाल सिंह

GARADA CANAL
BHURKURA : MORPHOLOGY
THAKUR
BRAHMAN
AHIR
GANRERIYA
GOND
KOHAR
KAHAR
LOHAR
COMMUNITY
F. HOUSE
Tank
SHOPS
TELI
BANIYA
NAI
BHANT
DHOBI
CHAMAR
State tubewell
INTER COLLEGE
PLAY GROUND
P. School
Sanskrit pathasala
T. COLONY
H HOSTEL
CHAND
Stor
Panchayat BHAWAN
DEGREE COLLEGE
HOSTEL
DOM
G. School
MUSLIMS
MATH
MOSQUE
GRAVE YARD
GARDEN
PANCHAT BHAWAN
STATE TABLE WELL
PAKKA ROAD
KHARANJA
CHAK ROAD

अपने नौकरों के साथ गाँव के पूर्व जंगल (वर्तमान रामवन) की तरफ गये । बुलाकी राम एक झाड़ी के नीचे ध्यान मग्न होकर भगवान की भक्ति में तल्लीन था । ठाकुर गुलाल सिंह ने धीरे से जाकर उसकी पीठ पर एक लात जोरों से मारा । लात की मार से बुलाकी राम जरा भी विचलित नहीं हुए उनके मुख से राम शब्द के साथ दही गिरने लगा जिसको भक्त बुलाकी ने अपनी अंगुली में रोप लिया और भगवान का प्रसाद कहकर ठाकुर गुलाल सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया । इस चमत्कारिक घटना से ठाकुर गुलाल सिंह बुलाकी राम के चरणों में गिर कर क्षमा याचना की और सदैव के लिए उनके शिष्य बन गये । अपनी सारी सम्पत्ति एवं जमींदारी गुरू बुलाकी के चरणों में चमर्पित कर दिया । गुरू बुलाकी को अपनी छावनी भुड़कुड़ा आदर पूर्वक ले गये । छावनी ही गुरू का आश्रम दुमदुमा कहलाया । आजकल, दुमदुमा को रामशाला के नाम से जाना जाता है । दुमदुमा का निर्माण सं0 1780 में ठाकुर गुलाल सिंह ने धानापुर (वाराणसी) निवासी एवं भुड़कुड़ा के चकलेदार ठाकुर मर्दन सिंह के सहयोग से किया ।

भुड़कुड़ा की गुरू संत परम्परा का प्रारंभ बुला साहब से प्रारंभ होता है । इस क्रम में गुलाल साहब, भीखा साहब, चतुर्भुज साहब, नरसिंह साहब, कुमार साहब, रामहित साहब, जयनारायण साहब और रामवरन दास जैसे महान संत इस धरती को अपनी साधना स्थली बनाई । वर्तमान में दसवें गुरू संत श्री रामाश्रय दास जी हैं । भुड़कुड़ा की संत परम्परा में गुलाल साहब एवं भीखा साहब महान संत हुए जिनकी रचनायें आज हिन्दी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं । इन संतों ने अनेक चमत्कारिक कार्य किये जिससे इनका प्रभाव बड़ी तेजी से चारों तरफ फैलने लगा । इनकी रचनाओं का प्रकाशन संत रामवरनदास जी ने ' राम जहान ' के नाम से किया जो आज भी मठ में मौजूद है ।

भौगोलिक पृष्ठभूमि -

भुड़कुड़ा गंगा घाटी में स्थित होने के कारण एक समतल मैदानी भाग का अंश है । यह समुद्र तल से 100 मी0 ऊँचा है । गाँव का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर बेसो नदी की ओर है । शारदा सहायक नहर के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की

ओर मंगई नदी की तरफ है । गाँव के दक्षिणी भाग में नदी के कटाव से ऊपर की उपजाऊ मिट्टी बह गई है और अनुपजाऊ कंकरीली पीली मिट्टी है । शेष भाग में दोमट मिट्टी पाई जाती है । कहीं कहीं उसरीली मिट्टी पायी जाती है ।

स्वतंत्रता से पूर्व भुड़कुड़ा गाँव का अधिकांश भाग पलाश के घने जंगलों से आच्छादित था, किन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज इन का नामोनिशान भी नहीं है । यहाँ मुख्य रूप से आम, नीम बबुल, महुआ शीशम, पीपल आदि के वृक्ष वनस्पतियों के रूप में पाये जाते हैं । कहीं कहीं खजूर एवं ताड़ के वृक्ष भी दिखाई देते हैं ।

यहाँ की जलवायु मानसूनी है जहाँ वर्षा द0पू0 मानसून के द्वारा होती है । यहाँ औसत वर्षा 300 - 400 से0 मी0 होती है । वर्षा अधिकांशतः जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर माह में होती है उ0प0 मानसून से जनवरी एवं फरवरी में थोड़ी वर्षा हो जाती है जो रबी की फसल के लिए लाभकारी होती है । मई एवं जून माह अति उष्ण रहता है यहाँ तापमान 40^0 से0ग्रे0 से ऊपर चला जाता है । इन महीनों में प्रायः लू चला करती है । दिसम्बर जनवरी एवं फरवरी में तापमान 10^0 से0ग्रे0 के आस-पास चला जाता हे जिससे ढंड बढ़ जाती है ।

जनसंख्या जाति संरचना एवं अधिवास :

भुड़कुड़ा मध्यम जनसंख्या वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है । 1991 की जनगणना के अनुसार भुड़कुड़ा की जनसंख्या 2953 थी जिसमें पुरूषों एवं स्त्रियों की जनसंख्या क्रमशः 1511 एवं 1442 थी । वर्ष 1981 की जनगणना में भुड़कुड़ा की आबादी 2421 व्यक्ति थी जिसमें 1244 पुरूष एवं 1177 स्त्रियाँ थी । 1981-91 में जनसंख्या वृद्धि 20% रही । 1901 में भुड़कुड़ा की जनसंख्या मात्र 885 थी । 1911 में यह घटकर मात्र 7.90% रह गई । ह्रास का मुख्य कारण चेचक, प्लेग एवं हैजा बीमारियाँ रहीं ।

भुड़कुड़ा गाँव में कुल सोलह जातियाँ हैं । जिनमें 312 गृहों में 361 परिवार

निवास करते हैं । अनुसूचित जातियों की संख्या 120 है जो सर्वाधिक है । इसके पश्चात् अहीर (88), कोहार (26), गोड़ (22), धोबी (16) एवं गड़रिया (15) तथा ठाकुरों की संख्या 13 है गाँव में मुसलमानों की संख्या 30 है जिनमें 22 बुनकर एवं 2 तुकिया नाई है । बनियों की संख्या 8 है । इसके अतिरिक्त डोम, भाट, तेली, कहार लोहार आदि जातियाँ निवास करती हैं । (मानचित्र 7.5 बी.)

भुड़कुड़ा पुरवा प्रधान अधिवास के अंतर्गत आता है जिसमें छः पुरवे हैं । इनमें चमारों के तीन एक-एक कुम्हार एवं अहीर तथा एक मुख्य पुरवा है । मुख्य पुरवा जिसमें मठ स्थित है , के आस - पास ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के गृह हैं । ये दोनों जातियाँ मुख्य गाँव के पूर्वी, दक्षिणी एवं उत्तरी भाग में बसी हैं । धोबी मुसलमान, नाई, भाट, गोड़, लोहार मुख्य पुरवे के पश्चिमी भाग में बसे हुए हैं । मध्य टोले में कोहार, कहार, गड़ेरिया तेली बनियों के मकान हैं । उत्तर पुरवा अहीरों का है जो गाँव के उत्तरी छोर पर बसे हुए हैं । चमारों के तीन पुरवें गाँव के द0पू0 एवं दक्षिण दिशा में है । एक अन्य पुरवे का अभ्युदय शैक्षणिक परिसर के आस-पास है जहाँ शिक्षकों के आवास एवं शिक्षण संस्थायें, गाँधी आश्रम, एवं सहकारी समिति के भवन निर्मित है ।

गाँव के मध्य पूर्वी भाग में ' रामशाला ' स्थित है । यह एक विशाल बहुमंजिला भवन है । इसके दक्षिणी भाग में नौ संत गुरूओं एवं उनके शिष्यों की समाधियाँ क्रम से बनी हुई है । गाँव के 85% आवास मिट्टी एवं खपरैल के बने हुए हैं । 15% गृह पक्के हैं । समस्त शिक्षण संख्यायें लगभग पक्की बनी हुई हैं । मात्र संस्कृत पाठशाला प्राइमरी पाठशाला एवं मठ के पुराने कोठार भवन कच्चे हैं ।

भूमि - उपयोग - सिंचाई एवं कृषि :

भुड़कुड़ा का कुल क्षेत्रफल 372.32 हेक्टेयर है जिसमें 208.01 हेक्टेयर सिंचित, 96.72 हेक्टेयर असिंचित, 30.67 हेक्टेयर कृषि योग्य बंजर भूमि तथा 36.83 हेक्टेयर कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है जो भूमि उपयोग मानचित्र (7.5बी) द्वारा प्रदर्शित है इसमें 10 साल के अन्तराल एवं परिवर्तन तथा विकास को दर्शाया गया है ।

BHURKURA
CASTE - STRUCTURE
NO. OF HOUSES
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Chamar
Ahir
Muslim
Kohar
Gond
Brahaan
Dhobi
Gaderiya
Thakur
Lohar
Kahar
Teli
Bania
Mushar
Nai
Dom
BHURKURA
GENERAL LAND USE
1981
1991
INDEX
Irrigated (by sources)
Unirrigated
Culturable waste including gaucher & groves
Area not available for cultivation

FIG. 7.5 B

भुड़कुड़ा आध्यात्मिक एवं धार्मिक केन्द्र होने के कारण यहाँ के जमींदारों एवं संत गुरूओं ने जनकल्याण हेतु कुएँ एवं तालाब खुदवाकर सिंचाई एवं जानवरों को पानी पीने की सुविधा उपलब्ध कराई । स्वतंत्रता के पश्चात् कृषि की दयनीय दशा सुधारने हेतु सर्वप्रथम शारदा सहायक की एक शाखा इस गाँव के उत्तरी एवं पूर्वी छोर से निकाली गई जिससे धान एवं रबी की फसलों को सिंचाई सुविधा अल्प मात्रा में उपलब्ध कराई गई । नहर में पानी की उपलब्धता कराई गई । नहर में पानी की उपलब्धता सदैव बनी न रहने कारण कृषि की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था । प्रथम पंचवर्षीय योजना में गाँव के उ0पू0 भाग में एक सरकारी नलकूल लगा जिससे गाँव के समस्त पूर्वी भाग की सिंचाई होने लगी किन्तु पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग असिंचित क्षेत्र बना रहा । 1970 के बाद व्यक्तिगत एवं सरकारी अनुदान से सिंचाई के साधनों का बड़ी तेजी से विकास हुआ जिसमें विद्युत एवं डीजल इंजन पम्पिंग सेट लगने लगे । आज सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है । वर्तमान में निम्न लिखित प्रकार से सिंचाई उपलब्ध है । वर्तमान में निम्न लिखित प्रकार से सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हैं ।

1. कुएँ एवं तालाब
2. नहर
3. सरकारी नलकूप
4. व्यक्तिगत नलकूप

वर्तमान गाँव में सरकारी नलकूप की संख्या मात्र एक है जबकि व्यक्तिगत नलकूपों की संख्या 45 है । इनमें से 25 विद्युत एवं 13 डीजल तथा 7 विद्युत एवं डीजल चालित नलकूप हैं । अनुसूचित जातियों के 5 नलकूप हैं जिनमें 2 विद्युत एवं 3 डीजल चालित हैं । ग्रामीण विकास में निःशुल्क बोरिंग योजना अन्तर्गत 1989-90 में 17 एवं 1990-91 में 8 बोरिंग की गई । इससे सिंचित क्षेत्र एवं बहुफसली क्षेत्रों में वृद्धि हुई । परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन बढ़ने से कृषकों की आर्थिक दशा में क्रान्तिकारी सुधार हुआ है ।

समन्वित ग्राम्य विकास :

समन्वित ग्राम्य विकास योजनाओं के माध्यम से गाँव का विकास काफी तीव्र गति से हुआ । इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये गये :-

1. सम्पर्क मार्ग का निर्माण
2. सिंचाई सुविधा
3. बीज एवं खाद वितरण
4. फसल सुरक्षा
5. बायोगैस का निर्माण
6. दुधारू पशुपालन
7. कृषि यंत्र एवं बखारी
8. बैल एवं इक्का रिक्शा डनलप गाड़ियों का विक्रय
9. मत्स्य, मुर्गी एवं सूअर पालन
10. स्वतः रोजगार
11. सिलाई, बुनाई एवं टाइपिंग प्रशिक्षण
12. सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम
13. दस लाख कूप योजना
14. इन्दिरा एवं सामान्य आवास योजना
15. पेय जल सुविधा
16. सामुदायिक विकास एवं युवक मंगल दल
17. स्वास्थ्य सुविधायें - (अ) मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र
    (ब) बालाहार योजना
18. प्रौढ़ शिक्षा
19. डनलप गाड़ी

वर्ष 1981-91 के मध्य 89 लाभार्थियों को विकास हेतु सुविधायें प्रदान की गई ।

निम्नलिखित तालिका द्वारा ग्राम्य विकास की एक झलक मिलती है -

तालिका 7.22

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	विवरण
1980-81	3	डीजल व विद्युत नलकूप
1981-82	2	देशी हल
1982-83	2	बैलगाड़ी, डीजल नलकूप
1983-84	14	भैंस, परचून, पान दुकान, दवा, चाय दुकान इक्का लाउडस्पीकर, फर्नीचर, बखारी,पम्पिंग सेट
1984-85	23	भैंस,बैल,सूअर एक्का घोड़ा, लाउडस्पीकर, जनरल स्टोर, परचून, स्टेशनरी, सिंचाई मशीन
1985-86	7	भैंस, लकड़ी की दुकान, परचून, शामियाना, सिलाई मशीन
1986-87	19	डनलप गाड़ी, भैंस, जनरल स्टोर , परचून, सूअर, साइकिल, कपड़ा दुकान, चारा मशीन
1987-88	5	जनरल स्टोर, डनलप, भैंस, बैल, पम्प सेट
1988-89	3	किराना एवं चाय पान की दुकान
1989-90	4	किराना, कपड़ा भैस
1990-91	8	साइकिल मरम्मत - मीठा की दुकान किराना, कपड़ा की दुकान
1991-92	9	शामियाना, उर्वरक दुकान बाँस टोकरी, कपड़ा दुकान, किराना, डीजल पम्प सेट

शिक्षण संस्थायें :

नवें संत गुरू श्री रामवरन दास जी ने भुड़कुड़ा में सच्चिदानन्द संस्कृत पाठशाला की नींव सन् 1933 रखी । उनकी शिक्षा के प्रति अगाध रूचि थी । उन्होंने आधुनिक शिक्षा की महत्ता को समझा और भुड़कुड़ा में उन्हीं के नाम से महंथ

रामवरनदास हाईस्कूल की स्थापना सन् 1954 में हुई जो बाद में इण्टर कालेज के रूप में परिवर्तित हुआ । सन् 1972 ई0 में श्री रामवरन दास जी के शिष्य महंथ रामाश्रय दास (वर्तमान महंत) के नाम से कला संकाय में स्नातक स्तर की कक्षायें प्रारंभ हुई । अब इस महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय की भी मान्यता प्राप्त हो गई है । इसके अतिरिक्त दो प्राइमरी स्कूल, एक नर्सरी एवं एक कन्या जूनियर हाईस्कूल है जहाँ हजारों की संख्या में छात्र-छात्रायें प्राइमरी से लेकर स्नातक स्तर तक की शिक्षा ग्रहण करते हैं । इसके अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा का केन्द्र भी है । इन शिक्षण संस्थाओं के कारण सभी वर्गों के लोग सहज शिक्षा ग्रहण करते हैं । भुड़कुड़ा में शिक्षित लोगों का प्रतिशत 46 % जिनमें पुरूषों का प्रतिशत 65% तथा महिलाओं का 35% है । स्नातक तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या 152 है । जिनमें महिलाओं की संख्या 55 है ।

संचार एवं परिवहन के साधन :

सन् 1960 से पूर्व भुड़कुड़ा सड़क मार्ग से जुड़ा नहीं था । भुड़कुड़ा जखनियाँ रेलवे स्टेशन से पगडंडी मार्ग द्वारा जुटा हुआ था । सन् 1964 में कच्ची सड़क का निर्माण हुआ जो आज पक्की सड़क में परिवर्तित हो गया है और इसका संबंध गाजीपुर, ऐरा आदि स्थानों से हो गया है जिस पर भुड़कुड़ा से वाराणसी व गाजीपुर लालगंज, चिरैयाकोट, आजमगढ़ एवं लखनऊ के लिए सरकारी एवं प्राइवेट बसों की सुविधायें उपलब्ध हैं । भुड़कुड़ा से इक्का एवं जीप द्वारा जखनियाँ, बुड़ानपुर,चिरैयाकोट आसानी से जाया जा सकता है । सर्वप्रथम सन् 1978 से बसें चलनी प्रारंभ हुई । भुड़कुड़ा गाँव में डाकघर एवं टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है ।

विकास के अन्य उपादानः

भुड़कुड़ा में बायोगैस की संख्या 6 है तथा धुआँ रहित चूल्हों की संख्या 20 है । इस गाँव में विद्युतीकरण, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, सिलाई केन्द्र, बुनाई केन्द्र, गाँधी आश्रम, इन्दिरा एवं सामान्य वर्ग आवास, संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सामाजिक

वानिकी, थाना सामुदायिक विकास केन्द्र आदि की स्थापना कर गाँव का विकास किया जा रहा है ।

पेयजल की सुविधा ग्राम सभा एवं सरकार के माध्यम से है कुल 15 हैण्डपम्प विभिन्न बस्तियों में लगाये गये हैं जिनमें 2 मार्क 2 हैण्डपम्प हैं । ग्रामीण विकास कार्यक्रम में शौचालयों का निर्माण एक महत्वपूर्ण कड़ी है । भुड़कुड़ा में 1990-91 में 45 शौचालयों का निर्माण हुआ जिनमें 10 हरिजन बस्ती, 20 मुख्यबस्ती एवं 15 कालेज परिसर में आध्यापक आवासों में है । इससे पूर्व गाँव में मात्र 3 शौचालय ही थे ।

गाँधी आश्रम के माध्यम से 22 जुलाहा परिवार साड़ी बुनकर अपनी आजीविका चलाते हैं । स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र है । आँगनबाड़ी के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है । सहकारी संघ के माध्यम से ग्रामीणों को खाद, बीज, फसल सुरक्षा, संबंधी दवायें प्रदान की जाती हैं । इसके अतिरिक्त कालेज परिसर में उपभोक्ता सहकारी समिति एवं वेतन भोगी ऋण समिति है जहाँ से शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सस्ते दर से चीनी, मिट्टी का तेल आदि उपलब्ध होता है । भुड़कुड़ा में सस्ते गल्ले एवं डीजल, सीमेन्ट मिट्टी के तेल की दुकानें हैं । इसके अतिरिक्त सीमेंन्ट, लकड़ी, परचून, चाय मीठा, पान, फल कपड़ा, दवा आदि की दुकानें हैं जो स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं ।

ग्रामीण विकास में आधुनिक कृषि यंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है । भुड़कुड़ा में 3 ट्रैक्टर, 25 थ्रेशर, 20 हालर, 7 स्पेलर 8 चक्की एवं 20 गन्ना क्रशर तथा 20 पावर से चलने वाली चारा मशीनें हैं जो समय एवं श्रम की बचत करते हैं ।

खानपुर

स्थिति एवं विस्तार :

खानपुर 25^0,35' उत्तरी अक्षांश एवं 83^0,32' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है । इस गाँव का क्षेत्रफल 184.95 हेक्टेयर है । इसकी दूरी जनपद मुख्यालय से 5 कि0मी0 दक्षिण पश्चिम है यह गाजीपुर बुजुर्गा मार्ग पर बुजुर्गा से 1.3 कि0मी0 दूर दक्षिण में है । इसके उत्तर में भिखारी चक, उत्तर पूर्व में अब्दुल सत्तार चक पूर्व में मीरनपुर और बवेड़ी दक्षिण पूर्व में गुलाम मुहम्मद चक या सकरताली, दक्षिण में बबेड़ी, दक्षिण पश्चिम में ईसा चक या बाकराबाद पश्चिम में मोहाँव और उत्तर पश्चिम में औरंगाबाद स्थित है । (मानचित्र सं0 7.6) यह गाजीपुर सदर विकासखंड, तहसील सदर एवं जनपद गाजीपुर में स्थित है ।

भौगोलिक स्वरूप :

यहाँ की भूमि समतल है गांव में या आस पास कोई नदी नहीं है । गाँव में तीन पोखरी है । यहाँ की भूमि कंकड़ीली है । गाँव का ढाल उत्तर पूर्व से गाँव के मध्य पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर मध्य की तरफ है । गाँव में 5 नाला है ।

भूमि उपयोग :

खानपुर का कुल क्षेत्रफल 184.95 हेक्टेयर है जिसमें 130.32 हेक्टेयर सिंचित, 27.52 हेक्टेयर असिंचित, 13.76 कृषि योग्य बंजर भूमि, 13.35 हेक्टेयर कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है । भूमि उपयोग मानचित्र (7.6) द्वारा प्रदर्शित है इसमें दस साल के अन्तराल और परिवर्तन एवं विकास को दर्शाया गया है ।

जनसंख्या :

खानपुर ग्राम में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं इनकी दो जातियाँ हैं चमार और पासी । 1981 में जनसंख्या 650 थी जिनमें 300 पुरूष 350 महिलायें थीं 1991 में कुछ जनसंख्या 730 हो गई जिनमें 350 पुरूष, 380 महिला हैं ।

KHANPUR POST CONSOLIDATION
N
NOT TO THE SCALE
25°35' - 83°32'E
SADAT
AURANGABAD
ABDUL SATTAR
MOHAON
KHANPUR
GHAZIPUR
AURIHAR
KHANPUR
KHANPUR
GENERAL- LAND- USE
1981
1991
INDEX
Irrigated [by sources]
Unirrigated
Culturable waste including gaucher & groves
Area not available for cultivation

FIG. 7.6

तालिका 7.23

जाति संरचना खानपुर

जाति	गृह संख्या	%	परिवार संख्या	%	जनसंख्या	%
चमार	35	60%	50	66.6%	450	61.6%
पासी	25	40%	25	33.4%	280	38.4%
योग	60	100%	75	100.0%	730	100.0%

तालिका 7.24

शिक्षा - खानपुर

	पुरूष (शिक्षित)	महिला (शिक्षा)
शिक्षित	300	10
अशिक्षित	50	370
योग	350	380

तालिका 7.25

गृह प्रकार - खानपुर

गृह प्रकार	गृहों की संख्या	%	जनसंख्या	%
पक्का	6	10%	73	10%
कच्चा	54	90%	657	90%
योग	60	100%	730	100%

स्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

कृषि :

खानपुर में रबी, खरीफ एवं जायद तीनों फसलें होती है । यहाँ पर खरीफ की फसल में बाजरा .166 हेक्टेयर, ज्वार, अरहर .438 (हेक्टयर) धान 119.69 (हे0) खरीफ में कुल खाद्य पदार्थ 120.255 (हे0) क्षेत्र पर बोया जाता है । गन्ना 2.883 (हे0) पर बोया जाता है । खरीफ में सिंचित असिंचित खाद्य अखाद्य फसलें 125.610 (हे0) क्षेत्रफल पर होता है ।

रबी की फसल में गेहूँ 113.982 (हे0) क्षेत्र पर जौ 2.644 (हे0) चना 7.738 (हे0) मटर 1.650 (हे0) मसूर 1.650 (हे0) कुल दालें 10.295 (हे0) क्षेत्र पर बोई जाती है । आलू 6.532 (हे0) पर मसाला 0.043 (हे0) पर बरसीम 1.887 (हे0) क्षेत्र पर बोई जाती है ।

जायद की फसल में मूँग .515 (हे0) क्षेत्र पर आम .504 (हे0) पर प्याज 1.271 (हे0) क्षेत्र पर तरकारी .786 (हे0) क्षेत्र पर चरी .624 (हे0) क्षेत्र पर बोई जाती है ।

सिंचाई :

यहाँ पर सिंचाई के साधन में 2 राजकीय नलकूप एवं 6 व्यक्तिगत नलकूप हैं 6 कुआँ एवं 2 तालाब है । इन साधनों से 139.737 (हे0) क्षेत्र की सिंचाई होती है । 6 व्यक्तिगत नलकूपों में । विद्युत चालित एवं 5 डीजल से चलता है ।

समन्वित ग्रामीण विकास :

यह गाँव अनुसूचित जातियों का है इसमें सामान्य जाति का कोई नहीं है इसलिए इसे अम्बेडकर ग्राम घोषित किया गया है इसलिए यहाँ सरकार की तरफ से विकास की सारी योजनायें कार्यान्वित की गई हैं यह विकास खण्ड मुख्यालय से नजदीक भी है इसलिए इसका विकास तेजी से हुआ है ।

यहाँ पर इन्दिरा आवास 25 बने हैं,निर्बल वर्ग आवास 7 बने हैं, ये 7

निर्बल वर्ग आवास जवाहर रोजगार योजना के तहत बने हैं ।

दस लाख कूप योजना के तहत 2 हरिजन सिंचाई कूप बने हैं । सम्पर्क मार्ग का निर्माण 1.5 कि0मी0 हुआ है । खड़न्जा निर्माण 870 मीटर हुआ है । शौचालय 10 बना है, 20 प्रस्तावित है । 20 धूम्ररहित चूल्हे का निर्माण हुआ है । नि:शुल्क बोरिंग 4 हुई है । राजकीय नलकूप 2 हैं प्राइमरी पाठशाला एक है लेकिन भवन विहीन है । ट्राइसेम (स्वतः रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम) के अन्तर्गत 17 लोग लाभान्वित हुए हैं । आई0आर0डी0 के अन्तर्गत 49 लोगों को लाभान्वित किया गया है । बायोगैस नहीं है । हैण्डपमप 3 है । विद्युतीकरण नहीं हुआ है । सुलभ शौचालय 10 बना है । स्पेशल कम्पोनेण्ट के अन्तर्गत । बोरिंग हुई है और 87-88 में एक भैंस दिलाई गई है । भूमि आबंटन 30 लोगों को हुआ है । 6 पुरूष नसबन्दी कराये हैं 10 महिलायें नसबन्दी कराई हैं । समन्वित ग्रामीण विकास के लाभार्थियों की संख्या तालिका 7.26 में अंकित है ।

तालिका 7.26

क्र0सं0	लाभार्थी की श्रेणी	परिसम्पत्ति	ऋण (रू0)	अनुदान (रू0)	कार्य पूर्ति का वर्ष
1.	सीमान्त	भैंस	1500	1500	1983-84
2.	कृषक श्रमिक	भैंस	1500	1500	1984-85
3.	सीमान्त	बैल	700	700	1984-85
4.	सीमान्त	बैलगाड़ी	1600	1600	1984-85
5.	कृषक श्रमिक	भैंस	1500	1500	1984-85
6.	सीमान्त	बैल	750	750	1984-85
7.	सीमान्त	बैल	800	800	1984-85
8.	ग्रामीण दस्तकार	सिलाई मशीन	600	600	1984-85
9.	सीमान्त	डी.पम्प सेट	2000	834	1984-85
10.	सीमान्त	डी.पम्प सेट	2000	834	1984-85
11.	सीमान्त	डी.पम्प सेट	200	834	1984-85
12.	गैर कृषक श्रमिक	कीटनाशक दवा	3000	1000	1984-85

क्रमशः

13.	सीमान्त	भैंस	1500	1500	1984-85
14.	सीमान्त	भैंस	1750	1750	1985-86
15.	सीमान्त	बैल	800	800	1985-86
16.	गैर कृषक श्रमिक	कपड़े की दुकान	3000	3000	07.11.86
17.	सीमान्त	बैलगाड़ी	2000	2000	19.10.86
18.	सीमानत	भैंस	2000	2000	19.10.86
19.	कृषक श्रमिक	भैंस	2000	2000	19.10.86
20.	सीमान्त	भैंस	2500	1500	08.12.89
21.	सीमान्त	भैंस	2500	1500	28.12.89
22.	सीमान्त	भैंस	2500	1500	25.12.88
23.	कृषक श्रमिक	भैंस	2500	1500	21.11.88
24.	सीमान्त	भैंस	2000	2000	07.12.88
25.	कृषक श्रमिक	भैंस	2000	2000	07.12.88
26.	सीमान्त	भैंस	2000	2000	08.12.88
27.	सीमान्त	भैंस	2000	2000	09.02.89
28.	कृषक श्रमिक	भैंस	2000	2000	30.03.89
29.	कृषक श्रमिक	भैंस	2000	2000	30.03.89
30.	सीमान्त	कपड़ा फेरी	3000	3000	08.03.89
31.	सीमान्त	कीटनाशक दवा	6500	2000	22.10.89
32.	सीमान्त	कपड़ा फेरी	3000	3000	26.10.89
33.	कृषक श्रमिक	किराना दुकान	7000	5000	17.10.90
34.	कृषक श्रमिक	चर्म उद्योग	7000	5000	23.10.90
35.	कृषक श्रमिक	किराना दुकान	7000	5000	23.10.90
36.	सीमान्त	किराना दुकान	5000	5000	09.09.91
37.	गैर कृषक श्रमिक	किराना दुकान	7000	5000	24.09.91
38.	कृषक श्रमिक	भैंस	2500	2500	25.09.91
39.	सीमान्त	भैंस	2500	2500	07.09.91
40.	कृषक श्रमिक	भैंस	2500	2500	07.09.91
41.	कृषक श्रमिक	भैंस	2500	2500	07.09.91
42.	कृषक श्रमिक	भैंस	2500	2500	16.09.91
43.	सीमान्त	गाय	2500	2500	16.09.91
44.	गैर कृषक श्रमिक	गाय	2500	2500	16.09.91
45.	कृषक श्रमिक	गाय	2500	2500	16.09.91
46.	कृषक श्रमिक	भैंस	2500	2500	16.09.91

क्रमशः

47.	सीमान्त	भैंस	2000	2000	16.09.91
48.	कृषक श्रमिक	भैंस	2500	2500	16.09.91
49.	सीमान्त	भैंस	2500	2500	07.09.91

स्रोत : आर्थिक रजिस्टर खानपुर , विकास खण्ड - गाजीपुर सदर

उपरोक्त विवरण को देखने से स्पष्ट होता है कि खानपुर का समन्वित विकास काफी प्रगति पर है फिर भी कुछ कमियाँ हैं इसलिए गाँव का पूरा विकास नहीं हो पा रहा है ।

नियोजन :

खानपुर ग्राम में एक प्राइमरी पाठशाला का भवन होना बहुत जरूरी है । गाँव में विद्युतीकरण बहुत जल्दी होना चाहिए । जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए । गाँव में चार या छः दुकानें होनी चाहिए जिससे लोगों की आवश्यक आवश्यकतों की पूर्ति हो सके । बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाकर उससे फसल पैदावार बढ़ाना चाहिए । गाँव में आदमियों और पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए । गाँव में एक पोस्ट ऑफिस और एक मातृ शिशु कल्याण केन्द्र होना चाहिए । गाँव तक पक्की सड़क बननी चाहिए । गाँव में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान होनी चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसानों का अनाज उचित मूल्य पर बेचा जा सके ।

उपरोक्त बातों के क्रियान्वयन से खानपुर का समन्वित विकास संभव है ।

सरासन

स्थिति एवं विस्तार :

यह 25^0,57' उत्तरी अक्षांश और 83^0,38' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है, इसका क्षेत्रफल 37.23 हेक्टेयर है । इसकी विकास खण्ड मुख्यालय से दूरी 13 कि0मी0 है । इसके उत्तर में सलेम चक,उ0प0 में फरीद चक, पश्चिम में चक ख्वाजा है । (मानचित्र सं0 7.7) यह गाँव मुहम्मदाबाद तहसील, मुहम्मदाबाद ब्लाक एवं जनपद गाजीपुर में स्थित है ।

भौगोलिक स्वरूप :

सरासन का प्रवाह ढाल पश्चिम है इसके द0प0 में बेसो नदी प्रवाहित होती है । इसकी भूमि समतल एवं उपजाऊ है ।

जनसंख्या :

यहाँ 1981 में कुल 182 लोग थे जिसमें 95 पुरूष और 87 महिलायें थी । 1991 में कुल जनसंख्या 226 है जिसमें 120 पुरूष और 106 महिला है । यहाँ पर अनुसूचित जाति की एक भी संख्या नहीं। यहाँ कुल संख्या अहीर जाति की है । यहाँ परिवार की संख्या 37 है ।

गृह संख्या :

यहाँ पर गृहों की संख्या 37 है । मकान कच्चे व पक्के दोनों प्रकार के हैं ।

कृषि :

यहाँ पर रबी और खरीफ की खेती होती है । रबी में गेहूँ, जौ, चना, मटर, आलू, टमाटर तथा खरीफ में बाजरा, उड़द मक्का होता है । रबी की फसल 18.262 हेक्टेयर पर तथा खरीफ की 4.412 हेक्टेयर पर की जाती है ।

सिंचाई के साधनः

सिंचाई के लिए केवल एक सरकारी नलकूप है तथा 4 व्यक्तिगत नलकूप हैं

जिनमें 2 विद्युत चालित है 2 डीजल से चलता है ।

भूमि उपयोग :

सरासन का कुल क्षेत्रफल 37.23 हेक्टेयर है जिसमें 23.07 हेक्टेयर सिंचित, 5.67 हेक्टेयर असिंचित, 5.25 हेक्टेयर कृषि योग्य बंजर भूमि तथा 3.24 हेक्टेयर कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि (1981) है । भूमि उपयोग को मानचित्र (7.7) द्वारा प्रदर्शित किया गया, इसमें दस साल के अन्तराल को भी प्रदर्शित किया गया है ।

खाद :

खाद के लिए लोग गोबर और राख का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा समय - समय पर यूरिया, पोटाश डाई इत्यादि का छिड़काव करते हैं ।

बीज :

बीज में अधिकांश लोग घर का पुराना बीज ही इस्तेमाल करते हैं इसके साथ - साथ कुछ लोग विकास खण्ड से उन्नत किस्म के बीज ले आते हैं ।

उन्नतशील उपकरण :

उन्नतशील उपकरण में यहाँ कृषि कार्य में ट्रैक्टर से जुताई एवं थ्रेशर से मड़ाई का काम होता है लेकिन अधिकांश लोग पुरानी पद्धति से ही बैल द्वारा ही जुताई और मड़ाई का काम करते हैं ।

फसल सुरक्षा :

फसल सुरक्षा के लिए फसलें कीड़े को कीड़े से बचाने के लिए लोग राख का छिड़काव करते हैं कीड़े लग जाने पर कीटनाशक दवा डायथेन एम या गमासीन का छिड़काव करते हैं । यहाँ पर कोई फसल सुरक्षा केन्द्र नहीं है । फसल सुरक्षा के लिए लोगों को विकास खण्ड से सहायता मिलती है जो यहाँ से 13 कि0मी0 दूर है ।

समन्वित ग्रामीण विकास :

इस गाँव का विकास एकदम नही हुआ है क्योंकि कुछ समय पहले यह बेचिरागी मौजा था लेकिन 1981 की जनगणना में यह ग्राम की श्रेणी में आ गया । यहाँ पर रहने वाले लोग अधिकांश दूसरे गाँवों से आये हैं वे यहाँ पाही बनाकर रहते हैं।

शिक्षा :

यहाँ पर कोई शिक्षण संस्था नहीं है । यहाँ पर कुल 50 लोग शिक्षित हैं जिसमें 40 पुरूष और 10 महिला हैं । अशिक्षित पुरूष 80 हैं महिला 96 हैं । यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा एवं आँगनबाड़ी तथा अनौपचारिक शिक्षा कुछ भी नहीं है ।

भूमि सुधार योजना :

इसके तहत भी कुछ काम नहीं हुआ है । यहाँ की चकबन्दी हो चुकी है ।

यहाँ पर जवाहर रोजगार द्वारा कुछ भी कार्य नहीं हुआ है निर्बल वर्ग आवास भी नहीं है । इन्दिरा आवास नहीं है सहकारी संघ नहीं है बायोगैस भी नहीं है धूम्ररहित चूल्हा भी नहीं है विद्युतीकरण भी नहीं हुआ है मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र भी नहीं है । परिवहन, संचार, सिलाई केन्द्र, बुनाई केन्द्र, हथकरघा, बढ़ईगिरी, कुम्हारगिरी, शौचालय, जल निकासी, पेयजल सुविधा, दस लाख कूप योजना, बैंक कुछ भी नहीं है । सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत 0.55 हेक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षारोपण हुआ है । यहाँ पर कोई उद्योग नहीं है । मत्स्य पालन नहीं है, ईंट भट्टा भी नहीं है चक्की है, स्पेलर नहीं है, हालर नहीं है थ्रेशर 3 हैं, ट्रैक्टर नहीं है दुकान नहीं है । सहकारी सस्ते गल्ले की दुकान भी नहीं है । धार्मिक स्थल में एक मन्दिर है ।

यहाँ पर आई0आर0डी0 योजना के अन्तर्गत 4 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है । ट्राइसेम और स्पेशल कम्पोनेन्ट पर कुछ काम नहीं हुआ है ।

अन्त में यह कहना उपयुक्त होगा कि यह गाँव विकास की सारी सुविधाओं से दूर गाजीपुर जनपद के आधे से अधिक गांवों का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ विकास

बिल्कुल नहीं हुआ है ।

नियोजन :

सरासन गाँव के विकास के लिए यहाँ के निवासियों को विकास खण्ड मुख्यालय से तथा जिला मुख्यालय से सम्पर्क करके विकास का काम करवाना चाहिए । इस गांव के अविकसित होने का मुख्य कारण अशिक्षा है यहाँ अधिकांश लोग अशिक्षित हैं । अतः यहाँ एक प्राइमरी स्कूल खुलना अति आवश्यक है । गाँव में आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ दुकानों का भी होना जरूरी है । जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत खड़न्जा निर्माण कराना आवश्यक है तथा इन्दिरा आवास एवं शौचालय का बनना भी बहुत ही आवश्यक है इसके साथ साथ लोगों को कृषि के विकास पर भी ध्यान होगा । विकास खण्ड से उन्नत किस्म के बीजों के बोने से उत्पादन बढ़ेगा और लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी । बेकार पड़ी भूमि को भी सुधार कर कृषि योग्य बनाना चाहिए जिससेकृषि का क्षेत्रफल बढ़े । गांव तक कच्ची सड़क का होना बहुत आवश्यक है । संचार की कोई व्यवस्था नहीं है कम से कम एक पत्र पेटिका गांव में होना ही चाहिए । सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चल रही सभी विकास योजनाओं का लाभ लेने से ही गाँव का विकास होगा । इसके लिए ग्रामवासियों का जागरूक होना बहुत जरूरी है । तभी सम्पूर्ण विकास संभव है ।

बसुहारी

स्थिति एवं विस्तार :

25^0,30' उत्तरी अक्षांश और 83^0,35^0 पूर्वी देशान्तर के मध्य विकास खण्ड व तहसील जमानियाँ जनपद गाजीपुर में स्थित है । यह गाजीपुर मुख्यालय से 8 कि0मी0 दक्षिण तहसील मुख्यालय जमानियाँ से 16 कि0मी0 उत्तर सुहवल मलसा पक्की सड़क पर स्थित है । इस गांव के उत्तर में लठिया, धर्नी पट्टी, पूर्व में धर्नी पट्टी, मनमालरास, दक्षिण में मेदनी चक नम्बर 1 तथा पश्चिम में मोहनपुर गाँव इसकी सीमा निर्धारित करते हैं । गाँव के दक्षिण में एक मन्दिर तथा मध्य में एक तालाब है ।

भौतिक स्वरूप :

यह मध्य गंगा घाटी का हिस्सा है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित समतल क्षेत्र है । इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है । जबकि गंगा नदी गाँव के पश्चिम 3.25 कि0मी0 दूर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है । गाँव के पूर्व का भाग नीचा है । इस गाँव में बाढ़ का प्रकोप नहीं के बराबर होता है ।

बसुहारी गाँव में सामान्यतया दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है -

1. बलुआ दोमट
2. चीका मिट्टी

बलुआ 65% क्षेत्र में तथा चीका 35% क्षेत्र में स्थित है । बलुआ दोमट मिट्टी गाँव के उत्तरी भाग में है । इसका रंग हल्का भूरा से पीला भूरा है । गाँव के मध्य पश्चिम से पूर्व चीका मिट्टी का विस्तार है इसमें पानी सोखने की क्षमता अत्याधिक है । जहाँ धान गेहूँ की खेती होती है ।

भूमि उपयोग :

बसुहारी गाँव के भूमि उपयोग को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है :-

1. कृषि योग्य भूमि
2. अकृष्य भूमि

3. कृषि योग्य बेकार भूमि

तालिका 7.27

	वर्ष			
	1980-81		1990-91	
	क्षेत्र (ए0)	प्रतिशत	क्षेत्र (ए0)	प्रतिशत
1. कृषि योग्य भूमि	172	91.49	173	92.82
2. कृषि योग्य बेकार भूमि	14	7.45	8	4.26
3. अकृष्य भूमि	2	1.06	7	3.72
योग	188 एकड़	100.00	188 एकड़	100.00

जलवायु के आधार पर यहाँ खरीफ, रबी एवं जायद की कृषि की जाती है । खरीफ में धान, बाजरा, अरहर, ज्वार, मक्का की कृषि की जाती है । रबी में गेहूँ, चना, मटर एवं आलू की खेती की जाती है । (मानचित्र सं0 7.8 ए.बी.)

जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ बहु फसली कृषि की जाती है । इस प्रकार का क्षेत्र लगभग 60% है । गाँव में सिंचाई के साधनों में पम्पिंग सेट, कुआँ एवं रहट है जिसके द्वारा 67.63% भूमि पर सिंचाई की जाती है । कुल सिंचित क्षेत्र का 65% निजी पम्पिंग सेट द्वारा 1.16% कुओं द्वारा तथा 0.87% क्षेत्रफल रहट द्वारा सिंचाई की जाती है । गाँव में सरकारी नलकूप का अभाव है । सर्वप्रथम 1974 में व्यक्तिगत नलकूप लगा ।

सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिरूप :

गाँव में कोइरी, अहीर,बिन्द एवं दुसाध जातियाँ निवासी करती हैं । गाँव की कुल आबादी 1990-91 में 515 व्यक्ति थी जिसमें पुरूष 260 तथा स्त्रियाँ 255 थी । कोइरी की जनसंख्या 223, अहीर 109,बिन्द 126 एवं दुसाध 37 थे ।

BASUHRI KRAFIF CROPS 1990
N
INDEX
BAJRA ARHAR
JAWAR
PADDY
SAWAN
SUGARCANE
TAMUN
MAKKA
100 50 0 100 200
METERS
BASUHARI RABI CROPS 1990
N
INDEX
WHEAT
WHEAT GRAME
PATATO
ONION
CHILLI
CARROT
PEA
BARLEY
100 50 0 100 200
METERS

FIG. 7.8 B

गाँव में साक्षर व्यक्तियों की संख्या 25.29% है । कम शिक्षित होने का मुख्य कारण अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों की अधिकता है । मात्र एक व्यक्ति स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त किया है ।

तालिका 7.28
व्यावसायिक संरचना

व्यवसाय	व्यक्ति	कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत
कृषि	220	78.01
कृषि मजदूर	39	13.83
पशुपालन	1	0.35
वाणिज्य	1	0.35
निर्माण	2	0.71
परिवहन एवं संचारं	2	0.71
नौकरी प्रति रक्षा	6	2.13
अन्य	11	3.91
योग	282	100.00%

स्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण

तालिका 7.29
आई0आर0डी0 लाभार्थी

सन्	प्रोजेक्ट	ऋण की धनराशि	दी गई छूट
1983-84	लाउडस्पीकर	1500/-	1500/-
1983-84	सिलाई दुकान	600/-	600/-
1986-87	साइकिल दुकान	2000/-	2000/-
1987-88	परचून की दुकान	2500/-	2500/-
1987-88	परचून की दुकान	2750/-	2750/-
1988-89	सब्जी की दुकान	2750/-	2750/-
1988-89	बढ़ई गिरी	4000/-	2000/-
1989-90	डीजल नलकूप	8500/-	3500/-
1990-91	विद्युत नलकूप	8500/-	3500/-

स्रोत : आई0आर0डी0 लाभार्थी रजिस्टर बसुहारी, जमानियाँ विकास खंड - गाजीपुर ।

गाँव में प्राइमरी पाठशाला, चिकित्सालय एवं खेल के मैदान का अभाव है । जिससे गाँव का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है । विद्युतीकरण की सुविधा पम्पिंग सेटों के कारण उपलब्ध हो सकी है ।

चयनित ग्राम्यों की विकास आयोजना

चयनित ग्राम्यों के सर्वांगीण एवं समन्वित विकास हेतु निम्न योजना प्रस्तुत की जा रही है --

1. सिंचाई क्षमता में वृद्धि करके उपयोगी कृषि सम्भव की जाय ।
2. एक फसली क्षेत्र को द्विफसली क्षेत्र में परिवर्तित किया जाय तथा जिन क्षेत्रों में अच्छी सुविधा है उसे बहुफसली क्षेत्र बनाया जाय ।
3. समन्वित ग्रामीण विकास के निमित्त शिक्षा सुविधा, विशेषकर तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाय तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाय ।
4. स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए गांवों में उप - स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाय ।
5. दुग्ध उत्पादन एवं मुर्गीपालन आदि के द्वारा रोजगार के अवसर सुलभ कराकर लोगों की आय में वृद्धि की जाय ।
6. गांव के तालाबों में मत्स्य पालन कराकर आय में वृद्धि की जाय ।
7. वर्षा ऋतु में जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाय ।
8. परिवार - नियोजन के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि दर को कम किया जाय ।
9. वैज्ञानिक तरीके से कृषि की जाय ।

REFERENCES

1. Yadav, J.P. (1986) " Rural Housing ", Kurushet -ra, Vol. 9, New Delhi.
2. Tripathi, Satyendra, (1984) " The Role of Bank in Upliftment of Rural Poor Under I.R.D.P., " Integrated Rural Development Centre, B.H.U., Varanasi, (Unpublished Thesis) p.p. 180-81.
3. राय, पद्मा ﴾1987﴿ समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना 1-15 अप्रैल﴿ योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की एक मूल्यांकन रिपोर्ट,' पृ0 26.
4. जोशी, हरिश्चन्द्र, ﴾1987﴿ आर्थिक निर्धनता के कारण, एवं निदान- ', योजना 1-15 अप्रैल पृ0 7.
5. दूबे, बेचन एवं सिंह, मंगला, ﴾1985﴿ ' समन्वित ग्रामीण विकास ' जीवनधारा प्रकाशन, वाराणसी, पृ0 17.
6. Daya Krishan I.E.S. (1980) " India Farmar at Gross Road " Swan Publishers.
7. Girdhari, G.D. (1971), " Gramin Vikas Wa Prabhand Ke Mahatwapurna Pahalu, Changing Village, Rural News and Views 2(6).
8. Planning Commission, Government of India (1978-83) Draft Five year Plan, New Delhi.
9. प्रो0 गिल्बर्ट ﴾1985-86﴿, उद्धृत, मो0 यूनूस सिद्दकी - ' ग्रामीण विकास : विदेशी अर्थशास्त्री का दृष्टिकोंण ', ﴾अनुवादक - आर0 बी0 विश्वकर्मा﴿, योजना 16-31 मई, पृ0 26.
10. उमेश चन्द्र एवं डा0 बालिस्टर,﴾1986﴿ एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम-दुधारू पशु योजना', योजना 16-31 अक्टूबर पृ0 22-23.
11. दूबे, उषा, ﴾1987﴿, ' एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक विश्लेषण ' कुरूक्षेत्र, जनवरी पृ0 32.
12. राय पद्मा ' योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की एक मूल्यांकन रिपोर्ट,/ वही पृ0 26.
13. Singh, Rajendra, (1986), " What Wrong with IRODP "Yojana" December 1-15 p.p. 16-19.
14. Tripathi, Satyendra, OP. Cit, Ref. 2

15. आदिशेषैया ()1984() मध्यकालीन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, उद्घृत, सुरेन्द्र कुमार गुप्त, ()1987(), ' भारत में ग्रामीण निर्धनता एवं निवारण, ' योजना 1-15 नवम्बर पृ0 22.

सारांश एवं निष्कर्ष

भारतीय गाँव अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं से ग्रस्त हैं । इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप गांवों की दशा अत्यन्त दयनीय है । ग्रामीण जीवन स्तर अतिनिम्न है, उन्हें पर्याप्त भोजन, वस्त्र और मकान सम्बन्धी सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं । गाँवों में पानी, बिजली, यातायात, चिकित्सा और अनेक आधुनिक सुविधाओं का अभाव है । शिक्षा के अभाव में ग्रामवासी अज्ञानी एवं अन्धविश्वासी बन गये हैं । ग्रामों को उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं से मुक्ति दिलाकर एक सुव्यवस्थित एवं संगठित ग्रामीण समाज को निर्माण करना ही ग्रामीण विकास करना है । जिसका मूलभूत उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, पीने का पानी एवं सार्वजनिक परिवहन आदि आवश्यकताओं की पूर्ति करना है । दूसरे शब्दों में ग्रामीण विकास का अर्थ है - ग्रामीण अभावों की पूर्ति की ओर अग्रसर होना ।

भारत में ग्राम्य विकास की राजकीय प्रक्रिया बीसवीं सदी में आरम्भ हुई । स्वतंत्रता के पूर्व ग्रामीण विकास के लिए 1901 में सिंचाई आयोग, 1927 में शाही कृषि आयोग एवं 1932 में खाद्य उत्पादन सभा आदि का गठन कर एक सामान्य प्रयास किया गया ।

ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए 1921 से 1930 का दशक सबसे महत्वपूर्ण रहा है । इस समय श्री निकेतन इन्स्टीच्यूट आफ रूरल रिकान्स्ट्रक्शन श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा 1921 में स्थापित किया गया । मि0 एम0 हर्स्ट के निर्देशन में इस संस्थान ने ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य आरम्भ किया । टैगोर की प्रेरणा से ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्य प्रारम्भ किये गये यथा - स्वास्थ्य, सहकारिता, संगठन, कृषि प्रदर्शन, उत्तम बीज एवं उर्वरकों की आपूर्ति, कुटीर एवं हस्तकला में सुधार आदि । इन्हें व्रतचारी आन्दोलन एवं शिक्षा सत्र के नाम से अभिहित किया गया । शिक्षा सत्र के अन्तर्गत ग्रामीण बालकों को शिक्षा देने के साथ - साथ पठन - पाठन हेतु नये

साहित्य का सृजन भी किया गया । इससे ग्रामीण विकास को नयी दिशा मिली ।

1921 में ही डॉ0 स्पेन्सर हैच के नेतृत्व में भारतण्डम् की स्थापना ग्रामीण जनों के विकास के लिए की गई ।

गुड़गाँव प्रयोग 1927 में मि0 ब्रेने द्वारा आरम्भ किया गया । इसमें कड़ी मेहनत, आत्म सम्मान, आत्मसंयम, आत्मनिर्भरता, पारस्परिक निर्भरता एवं समादर को ग्रामीण निर्माण के लिए महत्वपूर्ण आदर्श मानकर ग्रामीण विकास की धारा प्रवाहित की गई ।

1932 में बड़ौदा में ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना विकास की दृष्टि से आरम्भ की गई ।

गांधी जी ने सेवाग्राम से कई रचनात्मक कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया, यथा खादी का उपयोग, ग्रमीण उद्योगों का विकास, अस्पृश्यता निवारण, मौलिक एवं प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामों की स्वच्छता, सामुदायिक सौहार्द्र, नशाबन्दी, स्वास्थ्य शिक्षा, नारी उत्थान एवं राष्ट्रभाषा की अभ्युन्नति । इन्होंने आत्मनिर्भरता, विशेषतः भोजन वस्त्र पर विशेष बल दिया । इन्होंने सर्वप्रथम पंचायती राज एवं सहकारी समाज का आन्दोलन प्रारम्भ किया ।

बिनोबा का ग्रामदान एवं भूदान तथा जय प्रकाश नारायण की गान्धीवादी परम्परा सामुदायिक विकास से जुड़ी थी ।

1937-39 के मध्य कांग्रेस मंत्रिमण्डल के समय ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए विभाग बने । लेकिन इनका प्रयास ग्रामीण विकास के संदर्भ में नगण्य ही रहा ।

स्वतंत्रता के पश्चात् विस्थापितों को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से 1948 में नीलोखेरी, अभियान के अंतर्गत 7000 विस्थापितों को 1100 एकड़ दलदली भू भाग पर बसाया गया ।

इटावा पायलेट परियोजना 1952 में सामुदायिक परियोजना के रूप में

एलबर्ट मेयर के नेतृत्व में स्थापित की गई । इसमें विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए इटावा के ही महेवा विकास खण्ड के 97 ग्रामों को चुना गया और विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया ।

ग्रामीण विकास के लिए स्वतंत्रता के पश्चात् समयबद्ध कार्यक्रम अपनाये गये । 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया । इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रचार तथा विपणन सेवाओं के विस्तार का लक्ष्य रखा गया । कृषि विकास भी इस कार्यक्रम का एक अंग रहा । इसके साथ ही 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा (एन0ई0एस0) को व्यवस्थित किया गया । इसी कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खण्डों की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गई कि ये क्षेत्र अपने संसाधनों द्वारा विकसित किये जायें । परन्तु कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप न दिया जा सका । 1960 में खाद्यान्न की कमी से ग्रामीण विकास की मुख्य धारा के रूप में कृषि विकास प्रस्फुटित हुआ । कृषि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ में जिला गहन कृषि कार्यक्रम (डी0आई0ए0पी0) कुछ चुने हुए जिलों में आरम्भ किया गया । तदुपरान्त गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (आई0ए0ए0पी0) देश के विभिन्न भागों में आरम्भ किया गया । वस्तुतः ये प्राथमिक विकास कार्यक्रम एक पक्षीय प्रयोग ही सिद्ध हुए ।

विविध पक्षों की समस्याओं का अध्ययन करने के पश्चात् 1969 में ' आल इण्डिया रूरल क्रेडिट रिफार्म कमेटी ' के सुझाव पर कृषकों की तात्कालिक आवश्यकता के अनुरूप ' लघु एवं सीमान्त कृषक तथा कृषक मजदूर विकास अभिकरण ' गठित किया गया । इसके अन्तर्गत बैंकों द्वारा भूमि विकास के लिए विभिन्न सुविधायें प्रदान की गयीं । ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि हेतु अवस्थापना, विकास, सिंचाई जल और सम्पर्क मार्ग आदि पर विशेष ध्यान दिया गया । ' न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ' के अंतर्गत विकास हेतु न्यूनतम आवश्यक साधनों की उपलब्धता का लक्ष्य रखा गया, यथा (अ) प्राथमिक शिक्षा की बच्चों के गृह के समीप उपलब्धि, (ब) स्वच्छ जलापूर्ति, (स) 1500 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को सड़क द्वारा जोड़ना, (द) भूमिहीनों के विकास

हेतु भूमि प्रदान करना तथा (य) 30-40 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण आदि ।

अगस्त 1979 में ग्रामीण युवावर्ग की बेरोजगारी कम करने हेतु स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवा वर्ग के प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना लागू की गई ।

' एप्लाइड न्यूट्रीशन कार्यक्रम ' ग्रामीण निर्धन लोगों के लिए यूनिसेफ के सहायता से चलाया गया । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं तथा प्रारम्भिक विद्यालयों के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया ।

इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात् ग्रामीण विकास के लिए 1977 तक कई योजनायें लागू की गई यथा सामुदायिक विकास योजना, लघु कृषक विकास एजेन्सियाँ ,सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक परियोजनायें, सूखा उन्मुख कार्यक्रम एवं काम के बदले अनाज । इन योजनाओं में कुछ दोहरापन था, अतः इन सभी योजनाओं को मिलाकर ' समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ' की शुरूआत की गयी ।

समन्वित ग्रामीण विकास शैक्षणिक एवं योजना वृत्तों का एक आकर्षक शब्द है, इसका अर्थ बहुस्तरीय, बहुक्षेत्रीय तथा बहुआयामी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है । समन्वित ग्रामीण विकास की संकल्पना विकासशील देशों में 1970 के पश्चात् अपनायी गयी । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भारत में सर्वप्रथम 1976-77 में 20 चुने हुए जिलों में आरम्भ किया गया । 1978-79 में लघु कृषक विकास एजेन्सी, सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के समीक्षा के बाद नया कार्यक्रम 2300 विकास खण्डों में आरम्भ किया गया और 2 अक्टूबर 1980 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भारत के सभी (5011) विकास खण्डों में लागू किया गया ।

कार्यात्मकता एवं स्थानीय संगठन समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के केन्द्र बिन्दु हैं । कार्यात्मकता समस्त सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का समन्वित प्रारूप है । यह जनजीवन को निरन्तर प्रभावित करती रहती है तथा इसमें दिन - प्रतिदिन विकास प्रक्रियाओं से प्रभावित कृषि, उस पर आधारित उद्योग एवं अन्य धन्धे केन्द्रीय भूमिका

का निर्वाह करते हैं । परिवहन, संचार, शिक्षा एवं अन्य सांस्थानिक सुविधायें कार्यात्मक समन्वयन को गति प्रदान कर जनजीवन को ऊँचा उठाने में आधारीय सहयोग प्रदान करती हैं, जिससे उसका सन्तुलित विकास हो सके । साथ ही ' हर एक के लिए न्यूनतम और जहाँ तक सम्भव हो उच्च स्तर तक ' से सम्बन्धित है । इसमें विकास के वे सभी घटक समन्वित हैं, जिनसे ग्रामीणों को सामाजिक न्याय मिल सके ।

इस प्रकार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम बहुपक्षीय एवं बहुगत्यात्मक है, जो ग्रामीण विकास के विभिन्न घटकों के कार्यात्मक स्थानीय अध्यारोहण तथा बहुस्तरीय, बहुवर्गीय एवं बहुक्षेत्रीय से सम्बन्धित है और विभिन्न धन्धों एवं स्थानिक अर्न्तसम्बद्ध पद्धति का प्रतिफल है ।

समन्वित ग्रामीण विकास नीति का केन्द्रीय लक्ष्य श्रम एवं प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग है । लक्ष्यों में तीन तत्व इसके प्रमुख अंग है - प्रथम, उत्पादन में सहायक क्रिया-कलाप जैसे सिंचाई, जोत, यन्त्रीकरण, पशुधन उर्वरक, ग्रामीण साख, प्राविधिकी एवं ग्रामीण विद्युतीकरण, दूसरा भौतिक अवस्थापना सड़क, जलापूर्ति आदि और तीसरा, सामाजिक अवस्थापना - परिवार नियोजन, ग्रामीण शिक्षा, मनोरंजन आदि । विभिन्न अभिगमों के माध्यम से विकास के विभिन्न घटकों का समन्वय ही इसका मुख्य आधार है ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का आधारभूत सिद्धान्त मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों के श्रेष्ठ उपयोग द्वारा व्यक्ति को समाजोपयोगी तथा उत्पादक व्यवसायों में लगाकर उसे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सक्षम बनाना है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत परिसम्पत्तियाँ उपलब्ध कराने के तहत चयन किये गये परिवारों को निर्धनता रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया जाता है । परिसम्पत्तियाँ जो प्राथमिक, द्वैतीयक अथवा तृतीयक क्षेत्रों की हो सकती है, उन्हें वित्तीय सहायता (बैंक ऋण एवं अनुदान) के रूप में उपलब्ध करायी जाती हैं । योजना के कार्यान्वयन में परिवार को एक इकाई माना गया है । परिवार का सर्वेक्षण कर प्रति परिवार 3500 रू0 वार्षिक आय से कम आय वाले 600 परिवारों को प्रत्येक प्रखण्ड में चयन किया जाता है तथा पाँच वर्ष में

3000 लाभ भोगियों को चरण बद्ध रूप में सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है । सभी चयनित किये गये परिवारों और उसके लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गयी सहायता से किये गये विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा देना होता है ।

बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाने के बाद लाभान्वित परिवारों को नियमानुसार देय अनुदान की राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा बैंक को दे दी जाती है । शेष राशि बैंक द्वारा लाभान्वितों से आसान किस्तों में वसूल की जाती है । वस्तुतः अनुदान की राशि ऋण से सम्बन्धित है । इस प्रकार समन्वित ग्रामीण विकास की संकल्पना क्षेत्र विशेष के बहुमुखी विकास से सम्बन्धित है ।

मुख्यालय शहर गाजीपुर के नाम पर अध्ययन क्षेत्र गाजीपुर जनपद का नाम पड़ा है । गाजीपुर (25^0,19' - 25^0,54' उत्तरी एवं 83^0,4' - 83^0,58' पूर्वी) मध्य गंगा मैदान के लगभग मध्य में, परन्तु उत्तर प्रदेश के सुदूर दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित, एक जनपद के रूप में वाराणसी मण्डल का प्रतिनिधित्व करता है । चार तहसीलों, 16 विकास खण्डों, 193 न्याय पंचायतों, 1280 ग्राम सभाओं एवं 2540 आबाद ग्रामों से युक्त इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 3377 वर्ग कि0मी0 है । अध्ययन क्षेत्र को उच्चावच की दृष्टि से प्रमुख तीन भागों में विभक्त किया गया है -

1. उत्तरी उच्च भूमि
2. मध्यवर्ती निम्न भूमि
3. दक्षिणी गंगा उच्च भूमि

उत्तरी उच्च भूमि के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 42.5% भाग आता है जिसके अन्तर्गत सादात, जखनियाँ, मनिहारी, विरनो, मरदह, कासिमाबाद तथा बाराचवर विकास खण्ड सम्मिलित है ।

मध्यवर्ती निम्न भूमि के अंतर्गत 48% भू भाग सम्मिलित है जिसमें सैदपुर, देवकली, गाजीपुर, करण्डा, मुहम्मदाबाद एवं भांवरकोल के खादर क्षेत्र सम्मिलित हैं ।

दक्षिणी गंगा उच्च भूमि जनपद के दक्षिणी भाग में गंगा एवं कर्मनाशा नदियों के मध्य स्थित है इसका कुल क्षेत्रफल 9.5% है जिनमें जमानियाँ, रेवतीपुर तथा भदौरा विकास खण्ड सम्मिलित है ।

अध्ययन क्षेत्र की जलवायु सामान्य है । कोहरा तथा पाला शीतकाल की विशेषता है । जनवरी माह में सबसे अधिक ठंडक पड़ती है और औसत तापमान 18^{0}से0ग्रे0 रहता है, जबकि मई माह में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और औसत तापमान 30^{0}से0ग्रे0 रहता है । यहाँ की सामान्यतः औसत वर्षा 1000 मि0मी0 प्रति वर्ष है । इस प्रकार इस जनपद में शीत ऋतु (नवम्बर से फरवरी तक (ग्रीष्म ऋतु (मार्च से मध्य जून तक (एवं वर्षा ऋतु (मध्य जून से अक्टूबर तक (का प्रभाव रहता है.।

अध्ययन क्षेत्र के भूमि उपयोग प्रतिरूप का 10 वर्ष के अन्तराल पर 1955-56 से 85-86 की अवधि का अध्ययन किया गया है । साथ ही वर्तमान प्रतिरूप 1989-90 का भी दर्शाया गया है । अध्ययन क्षेत्र प्रदेश का एक कृषि प्रधान जनपद है जहाँ विकास की गति मंद है, किन्तु पिछले दो दशकों में विकास के कारण इसके भूमि उपयोग में काफी परिवर्तन हुआ है । सन् 1955-56 की अवधि में अध्ययन क्षेत्र में सबसे अधिक शुद्ध कृषिगत क्षेत्र (77.03%(रहा, जबकि सबसे कम वर्तमान परती भूमि 1990 में (2.79%(रहा है । 1990 में 2.10 प्रतिशत कृषि योग्य बंजर भूमि, 1.64% ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल क्रमशः 4.53%, 2.60% एवं 1.65% है । किन्तु वर्तमान 1990 में शुद्ध कृषिगत क्षेत्र 77.07% है । कृषिगत भूमि में खाद्यान्न की कृषि की प्रधानता है, जिसमें गेहूँ, चावल एवं दलहन फसलें प्रमुख हैं । मुद्रादायिनी फसलों में गन्ना एवं आलू की खेती की जाती है ।

जनपद गाजीपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 52 वाँ (3377 वर्ग कि0मी0(तथा जनसंख्या की दृष्टि से 28 वाँ (1,944,669 व्यक्ति 1981(स्थान है । सन् 1981 में प्रदेश की कुल जनसंख्या का 1.75 प्रतिशत जनसंख्या गाजीपुर में निवास

करती है । अध्ययन क्षेत्र मध्य गंगा मैदान का भाग है, यहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक है । नदियों के किनारे वाले भाग में जहाँ बाढ़ का प्रकोप ज्यादा रहता है जनसंख्या न्यून अथवा शून्य है । जहाँ कंकड़ीला, क्षारीय ऊसर अथवा अनुपजाऊ भूमि उपलब्ध है जनसंख्या का वितरण असमान है । इसके विपरीत समतल एवं उपजाऊ भूमि एवं नदियों के किनारे वाले ऊँचे भागों में जनसंख्या का दबाव अत्याधिक है । 1901 से 1921 के मध्य जनसंख्या ह्रास की अवधि एवं 1921 के पश्चात् जनसंख्या वृद्धि की अवधि । 1901 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 857830 थी जिसमें 126.88 प्रतिशत की वृद्धि होकर 1981 की जनगणना के अनुसार 1944669 हो गयी । कुल जनसंख्या का 92.06 प्रतिशत ग्रामीण है तथा शेष 7.94 प्रतिशत नगरीय है जो 9 नगरीय केन्द्रों में विभक्त है ।

अध्ययन क्षेत्र में अधिवासों के वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में धरातल, बाढ़, नदी - कगार, जल - जमाव आदि तथा आर्थिक कारकों में कृषि योग्य भूमि, विपणन - केन्द्र एवम् यातायात व संचार के साधन है । परिणामतः ग्रामों का घनत्व, ग्रामाकार तथा अधिवासों की प्रकीर्णन प्रकृति में पर्यान्त क्षेत्रीय विषमता पाई जाती है । ग्राम के आकार की संकल्पना की अभिव्यक्ति उसके क्षेत्रीय विस्तार अथवा उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में की जाती है । ग्रामीण अधिवासों के आकार का निर्धारण क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर किया गया है । क्षेत्रफल को आधार मानकर ग्राम्याकार का विश्लेषण न्याय पंचायत स्तर पर किया गया है ।

अधिवास प्रकार एवं प्रारूप के अध्ययन में डाकसियासिस, कीटिंग रामलोचन सिंह, इनायत अहमद, काशीनाथ सिंह, जगदीश सिंह, रामबली सिंह आदि अध्येताओं के विचारों का सहारा लिया गया है । ग्राम्याकार प्रकीर्णन प्रकृति को स्थलाकृतिक मानचित्र तथा क्षेत्रीय सर्वेक्षण आदि आधारों पर (अधिवास प्रकार) वर्गीकृत किया गया है । अधिवासों का कोई नियमित प्रारूप नहीं है फिर भी रेखीय (मार्गों अथवा नदियों के किनारे) आयतीत, अर्द्धवृत्ताकार, क्षरीय, एल एवं टी आकृति आदि प्रारूपों में बसे गाँव पाये जाते हैं ।

किसी क्षेत्र में स्थित वह केन्द्र जो अपने आस-पास के क्षेत्र में विविध (सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि) सेवायें प्रस्तुत करता हो, उसे सेवा केन्द्र कहते हैं । यह सेवा किसी भी तरह की तथा किसी भी आकार की हो सकती है ।

सामान्यतः लघु स्तर के प्रदेशों में ' समन्वित क्षेत्र विकास ' को ' ग्रामीण - विकास ' ही माना जाता है । इसलिए ' समन्वित क्षेत्र - विकास ' के अध्ययन में सेवा केन्द्रों के पदानुक्रम तंत्र की संकल्पना को महत्व प्रदान किया गया है । इसी आशय से गाजीपुर जनपद के ' समन्वित ग्रामीण विकास ' के अध्ययनार्थ सेवा केन्द्रों के पदानुक्रम तंत्र को प्रस्तुत किया गया है ।

गाजीपुर जनपद में विकास के निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं :-

1. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जिले के सभी 16 विकास खण्डों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अधीन उन कृषकों, कारीगरों, खेतिहर मजदूरों, बुनकरों व ग्रामवासियों को लिया गया है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं ।

2. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आर्थिक उत्थान हेतु विशेष अवयव योजना (स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान) चलाई जा रही है ।

3. जिले में मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए मत्स्य पालक विकास अभिकरण कार्यरत है ।

4. जिले के पाँच विकास खण्डों में राज्य द्वारा प्रवर्तित एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है । ये विकास खण्ड मुहम्मदाबाद, भांवरकोल, रेवतीपुर, जमानियाँ तथा भदौरा हैं ।

5. जिले में सिंचाई की सम्भाव्यता बढ़ाने हेतु निम्नलिखित प्रोजेक्ट (परियोजनायें) चल रही हैं -

(क) शारदा कैनाल (नहर परियोजना) - इस योजना के अधीन सादात, जखनियाँ तथा सैद्पुर विकास खण्ड आते हैं ।

(ख) देवकली पम्प कैनाल प्रोजेक्ट (परियोजना) - इस परियोजना का कमाण्ड क्षेत्र जिले के देवकली, सैद्पुर, मनिहारी, विरनो, सादात तथा मरदह विकास खण्ड हैं ।

(ग) वीरपुर पम्प कैनाल - यह भांवरकोल विकास खण्ड को आवृत्त करती हैं ।

(घ) रामगढ़ पम्प कैनाल - यह परियोजना जिले के कासिमाबाद विकास खण्ड तक ही सीमित है ।

(ड.) चाका बांध लिफ्ट कैनाल - यह जिले के जमानियाँ, भदौरा तथा रेवतीपुर विकास खण्डों को आवृत्त करती है ।

1. स्वतंत्र ट्रेड यूनियन के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के अधीन ग्रामीण निर्धनों हेतु श्रम संगठन (लौर्प) जिले में कार्य कर रहा है जिसका मुख्यालय करण्डा विकास खण्ड के कुसुम्ही कलाँ गाँव में है । इस संगठन का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक विकास हेतु ग्रामीणों व गरीबों में जागरूकता लाना है ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम बहुउद्देशीय नियोजन प्रक्रियाओं से सम्बद्ध बहुआयामी है । इस योजना का मुख्य लक्ष्य श्रम एवं प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण निर्धन परिवारों के परियोजनाओं का निर्माण उनकी क्षमता एवं निकटतम संसाधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य - ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारना, गरीबी की रेखा से ऊपर लाना, रोजगार दिलाना एवं बैंक द्वारा आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना ।

इस कार्यक्रम के लाभार्थियों में लघुकृषक, सीमान्त कृषक, खेतिहर मजदूर एवं कृषक मजदूर आते हैं । इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं

को प्राथमिकता दी गई है ।

इसके अन्तर्गत प्रो0 गिल्बर्ट, उमेशचन्द्र एवं डा0 बालिस्टर, डा0 दूबे एवं सिंह, एस0 त्रिपाठी, राजेन्द्र सिंह एवं डा0 आदिशेषैया के अध्ययनों का सहारा लिया गया। गाजीपुर जनपद में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1990-91 के अंतर्गत कृषि में 395, पशुपालन में 2824, अल्प सिंचाई में 2300, उद्योग में 1040 एवं सेवा व्यवसाय में 1848 लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य रखा गया जिसमें कृषि के लिए 9.89 लाख रूपये, पशुपालन के लिए 73.19 लाख रूपये, अल्प सिंचाई के लिए 66.02 लाख रूपये, उद्योग के लिए 27.02 लाख रूपये एवं सेवा व्यवसाय के लिए 47.93 लाख रूपये वित्तीय लक्ष्य था ।

नियोजन का मूल उद्देश्य अर्थव्यवस्था की प्रगतिशील शक्तियों को प्रोत्साहन देना है जिसके द्वारा प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों को समुन्नत किया जा सके । वर्तमान जनसंख्या की आवश्यकतानुसार कृषि के विकास हेतु वर्तमान कृषि प्रतिरूपों में अभीष्ट परिवर्तन करने के निमित्त समष्टि रूप से कृषि नियोजन आवश्यक है ।

चयनित ग्राम में भुड़कुड़ा (सैदपुर तहसील), खानपुर (गाजीपुर तहसील), सरासन (मुहम्मदाबाद तहसील) एवं बसुहारी (जमानियाँ तहसील) का समन्वित ग्रामीण विकास एवं नियोजन से सम्बन्धित विस्तृत अध्ययन हुआ है । अध्ययन के अन्तर्गत प्रस्तुत नियोजन के क्रियान्वयन से जनपद का समन्वित ग्रामीण विकास संभव है ।

संदर्भ ग्रन्थ

1. समन्वित ग्रामीण विकास दूबे एवं सिंह, 1985
2. ग्रामीण बस्ती भूगोल, जी0पी0 यादव, रामसुरेश ।
3. भारत में ग्रामीण विकास के चार दशक, एस0पी0 गुप्त
4. ग्रामीण विकास न्यूज लैटर ग्रामीण विकास मंत्रालय, अगस्त सितम्बर 1991, रिपोर्ट 1990-91
5. जिला ऋण योजना 90-91, यूनियन बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)
6. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम - रसड़ा विकास खण्ड बलिया शोध प्रबन्ध श्री बिलास त्रिपाठी, बी0एच0यू0 ।
7. निर्धनता उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास - रोहतास (बिहार) शोध प्रबन्ध लल्लन सिंह ।
8. भूमि उपयोग एवं जनसंख्या वृद्धि - जनपद गाजीपुर , एक भौगोलिक विश्लेषण -अशोक कुमार सिंह ।
9. सांख्यिकी पत्रिका जनपद गाजीपुर 1981, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,90.
10. जिला जनगणना हस्तपुस्तिका ग्राम एवं नगर निदर्शनी

    भाग XIII- अ

    भाग XIII - ब प्राथमिक जनगणना सार जिला - गाजीपुर, 1981.
11. RURAL DEVELOPMENT DISTRICT GHAZIPUR Ph.D Thesis Rakesh Singh.
12. उत्तर भारत भूगोल पत्रिका 1983.
13. UTTAR PRADESH DISTRICT GAZETTERS, GHAZIPUR,1982
14. कोकाटे के0डी0 एवं दूबे बी0के0 : संचार और ग्रामीण विकास ' कुरूक्षेत्र ' वर्ष 28 अंक 11 सितम्बर 1983.
15. जैन, दिनेश, आर्थिक विकास का मूलाधार : सुनियोजित कार्यक्रम 'योजना' वर्ष 28 अंक 9 1984.

15. मिश्र चन्द्रशेखर, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, 'कुरूक्षेत्र' वर्ष। 28 अंक 11 सितम्बर 1983.

16. मुन्नीलाल, शिक्षा नीति में परिवर्तन जरूरी है तो किया क्यों नहीं जाता, 'योजना' 16-3 मार्च। 1983.

17. वर्मा, जे0 सी0, ग्रामीण विकास के निर्धारक तत्व ' खादी ग्रामोद्योग ' । वर्ष। 25, अंक 10, जुलाई 1979.

18. सिंह, काशीनाथ एवं सिंह ज़गदीश ' आर्थिक भूगोल के मूल तत्व ' तारा पब्लिकेशन, वाराणसी, 1978.

19. एकीकृत ग्रामीण विकास (आई0आर0डी0) कार्यक्रम निर्देशिका, 1989.

20. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यकारी योजना 1981 से 1991 तक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जनपद - गाजीपुर

21. A PRPJECT WORK OF SADAT MARKET A STUDY IN POPULATION AND SETTLEMENT GEOGRAPHY by Durg Vijay Singh.

परिशिष्ट 'क'

कमांक	विकास खण्ड का नाम	ग्राम समूहों के नाम
1.	सैदपुर	1. मिर्जापुर, 2. सिधौना, 3. अठगाँवां, 4. मौधा, 5.उचौरी, 6.खानपुर, 7.साई की तकिया, 8.गोरखा, 9.भद्ररोन, 10.ककरही, 11.भदैला, 12.रामपुर 13.अनौनी, 14.भढौला, 15.नायकडीह
2.	देवकली	1.देवकली, 2.पहाड़पुर कलाँ, 3.बासूपुर, 4.देवचँदपुर, 5.रामपुर मांझा, 6.नन्दगंज, 7.सिरगिथा, 8.गोला, 9.धुवार्जुन, 10.धरवांतुरना, 11.भीतरी ।
3.	सादात	1.डोरा, 2.मजुई, 3.हुरमुजपुर, 4.हरतरा, 5.चकफरीद 6.रायपुर, 7 7.पालिवार, 8.मिर्जापुर, 9.मगारी, 10.सेमरौल, 11.भीमापार, 12.माहपुर, 13.बौरवां, 14.शिशुआवार, 15.जगदीशपुर ।
4.	जखनियाँ	1.सहावपुर, 2.भुड़कुड़ा, 3.चकफातिमा, 4.जखनियां, 5.लोहिन्दा, 6.जलालाबाद, 7.मुस्तफाबाद, 8.सोनहरा, 9.पदुमपुर, 10.रामपुर बलभद्र, 11.खिताबपुर, 12.झोटना ।
5.	मनिहारी	1.मनिहारी, 2.युसुफपुर, 3.हंसराजपुर, 4.सिखड़ी, 5.वाजिदपुर, 6.सखली, 7.बुजुर्गा, 8.मुरैनी, 9.शादियाबाद, 10.कटघरा, 11.कैथवली, 12.मौधिया, 13.सुरहुरपुर, 14.रसूलपुर ।
6.	गाजीपुर	1.छावनी लाइन, 2.महराजगंज, 3.देवकली, 4.अन्धऊ, 5. चौकिया, 6.बबेड़ी, 7.कैथवलिया, 8.बंवाड़े, 9.महमूदपुर, 10.सुभारवपुर ।
7.	करण्डा	1.करण्डा, 2.गोसन्देपुर, 3.बड़सरा, 4.दीनापुर, 5.कटरिया, 6.चोचकपुर, 7.सौरभ, 8.सबुऊ, 9.मदनहीं, 10.कुसुम्ही, 11.मैनपुर ।
8.	विरनो	1.विरनों, 2.बोगना, 3.देवकठिया, 4.भोजपुर, 5.अराजी ओड़ासन, 6.वघोल, 7.बाबूरामपुर, 8.भैरोपुर, 9.हरिहरपुर, 10.लहुतपुर ।

क्रमशः

9.	मरदह	1.मरदह, 2.हैदरगंज, 3.गाई, 4.रायपुर बाघपुर, 5.सिगैरा, 6.मड़ही, 7.सुसेगपुर, 8.गोविन्दपुर, 9.नसरतपुर, 10.बीर बहादुर, 11.पृथ्वीपुर, 12.अभिसहन, 13. बौरी, 14.रानीपुर, 15.रुहीपुर ।
10.	जमानिगाँ	1.ढढ़नी, 2.सोनहरिया, 3.नलस्य, 4.देवरिया, 5.वेटावर, 6.फुल्ली, 7. बरूइन, 8.ताजपुर माँझा, 9.मुहम्मद्पुर, 10. बघरी, 11.देवढ़ी, 12.जलालपुर, 13.तिपरी, 14. गडवाँ मकसूदपुर ।
11.	रेवतीपुर	1.रेवतीपुर, 2.नवली, 3.सुहवल, 4.तारीघाट, 5.नगसर 6. लेडगाँवा ।
12.	भदौरा	1.वारा, 2.गहमर, 3.करहियाँ, 4.सेवराई, 5.देवल, 6.उसियाँ, 7.सरैला ।
13.	मुहम्मदाबाद	1.तिवारीपुर, 2.गौसपुर, 3.फिरोजपुर, 4.कुड़ेसर, 5.वालपुर, 6.परसा, 7.अवादान, 8.नोनहरा, 9.सोना, 10.दौलताबाद, 11.फकराबाद, 12.राजापुर ।
14.	कासिमाबाद	1.शेखनपुर, 2.वेद बिहारी का पोखरा, 3.गंगोली, 4.अलावलपुर, 5.जहूराबाद, 6.जगदीशपुर, 7.पाली, 8.महुआरी, 9.सिवाऊत, 10.सनेहुआ ।
15.	भांवरकोल	1.भांवरकोल, 2.मनिया, 3.खरडीहा, 4.शेरपुरकलाँ, 5.गोड़अर, 6.वीरपुर, 7.सोनाड़ी, 8.वसुनियां, 9.जसदेवपुर, 10.लौवाडीह, 11.अमरूपुर ।
16.	बाराचवर	1.बाराचवर, 2.करीमुद्दीनपुर, 3.ताजपुर, 4.दुविहाँ, 5.अमहट, 6.मुबारकपुर, 7.उतराँव, 8.शेरपुर ढोटारी, 9.भटौली कलाँ, 10. असावर, 11.कामूपुर, 12.ऊँचाडीह ।

लार्ड कार्नवालिस का मकबरा : गाजीपुर ।

लाट एवं अभिलेख सैदपुर (भितरी) ।

भुड़कुड़ा मठ ।

पहाड़ खाँ का मकबरा गाजीपुर ।

भुड़कुड़ा : समाधि स्थल ।

देवकली लिफ्ट नहर

गोखुर झील (गंगा नदी) मलसा ।

नवाब साहब की कोठी रौजा, गाजीपुर

गंगा कटाव : जमानियाँ

गंगा एवं गोमती का संगम

[illegible]षाण काल के अवशेष मसवानडीह, औड़िहार ।

रहट : एक पुराना सिंचाई का साधन ।

ग्रामीण विकास में परम्परागत सिंचाई के साधन, दोन

आलू खोदने की मशीन ।

कृषि यंत्र एवं ग्रामीण विकास धान पीटने की मशीन ।

मड़ाई एक परम्परागत तरीका ।

परम्परागत हल बैल द्वारा खेती ।

इक्का : परम्परागत वाहन जमानियाँ ।

बैलगाड़ी परम्परागत वाहन

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत खड़ंजा निर्माण

विद्युतीकरण एवं ग्रामीण विकास विद्युत उपकेन्द्र जखनियाँ ।

कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण विकास

टोकरी बनाते बंजारे जमानियाँ।

विश्व बैंक नलकूप एवं ग्रामीण विकास (मदरा) ।

ग्रामीण उत्थान एवं हैण्डपम्प मार्क 2 जखनियाँ ।

साधन सहकारी समिति खालिसपुर ।

ग्रामीण विकास में सेवा केन्द्र की भूमिका खालिसपुर।